34वीं वार्षिक रिपोर्ट
2019-20

ख्याल रखते हुए बढ़ते कदम

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड
(एक नवरत्न पीएसयू)

ख्याल रखते हुए बढ़ते कदम

भारत के विकास के अगले चरण को और सशक्त करने के विजन के साथ, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएफ़सी) अपनी स्थापना से ही, वैश्विक मंच पर राष्ट्र के उदय को और मजबूत करते हुए, प्रमुख फ़्लैगशिप परियोजनाओं में आगे रहा है ।

विद्युत क्षेत्र के वित्तपोषण में हमारी विशेषज्ञता का लाभ उठाते हुए और विवेकपूर्ण तरीके से संसाधनों का उपयोग करते हुए, हम प्रभावशाली बाजार लीडर के रूप में आगे आने के लिए परिवर्तनशील नीतिगत गतिशीलता के साथ आगे आए हैं।

हमने हाल ही में पिछले दिनों में चुनौतीपूर्ण प्रचालनगत परिवेश में परिसंपत्ति गुणवत्ता में सुधार करते हुए सतत वृद्धि प्राप्त की है, जो हमारे कुशल और तीव्र प्रचालनों को दर्शाता है। 2019 में आरईसी का अधिग्रहण हमारी इस यात्रा में एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन था। इसके परिणामस्वरूप समूह पोर्टफोलियो जोखिम का बेहतर प्रबंधन करने, ऋण प्रक्रियाओं में दक्षता में सुधार करने और दबावग्रस्त परिसंपत्तियों का समाधान करने में मदद करने में समर्थ हुआ है। इसके अतिरिक्त, हम उज्ज्वल भविष्य के सृजन के लिए नवीकरणीय परियोजनाओं के निधीयन में अपनी भूमिका को और अधिक मजबूत कर रहे हैं।

पीएफ़सी में, हमारा मानना है कि सही वृद्धि समावेशी होती है। हमारा प्रयास है कि आर्थिक विकास के लाभ सभी को और सबसे जरूरी समाज को प्राप्त हों। हम जितनी प्रगति करते हैं, स्टेकधारकों के प्रति हमारा दायित्व भी कई गुना बढ़ जाता है। हम यह सुनिश्चित करने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं कि हमारे कार्य उन बढ़े हुए दायित्वों को उचित ठहराते हैं।

हमारा प्रयास है कि आर्थिक विकास के लाभ सभी को और सबसे जरूरी समाज को प्राप्त हों।

अब तक
₹ 6.55 ट्रिलियन +
ऋण का संवितरण

निधियों की लागत
7.79%

अब तक
₹ 10 बिलियन
का सीएसआर व्यय

विषय-सूची

4 निगमित सिंहावलोकन

9 कार्य-निष्पादन एक नजर में

11 कार्य-निष्पादन संबंधी प्रमुख संकेतक

14 कोविड-19 के दौरान और अधिक दायित्व

16 अध्यक्ष का वक्तव्य

22 निदेशक प्रोफाइल

24 निदेशक मंडल की रिपोर्ट वित्तीय वर्ष - 2019-2020

39 निदेशक मंडल की रिपोर्ट का अनुलग्नक

58 प्रबंधन के साथ विचार-विमर्श और विश्लेषण रिपोर्ट

64 एकीकृत रिपोर्टिंग

68 निगमित शासन पर रिपोर्ट

85 निगमित शासन संबंधी प्रमाण-पत्र

86 व्यवसाय उत्तरदायित्व रिपोर्ट

96 सचिवालयी लेखापरीक्षा रिपोर्ट

101 एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

110 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

111 नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

112 तुलन-पत्र

113 लाभ और हानि विवरण

117 नकदी प्रवाह विवरण

202 समेकित वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

208 समेकित वित्तीय विवरणों पर नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

210 समेकित तुलन-पत्र

212 समेकित लाभ और हानि विवरण

216 समेकित नकदी प्रवाह विवरण

बैक इनसाइड कवर संदर्भ सूचना

निदेशकों का प्रोफाइल*

श्री रविन्द्र सिंह ढिल्लों
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

श्री प्रवीण कुमार सिंह
निदेशक (वाणिज्यिक)

श्रीमती प्रमिन्द्र चोपड़ा
निदेशक (वित्त)

श्री मृत्युंजय कुमार नारायण
सरकारी नामिती निदेशक

श्रीमती गौरी चौधरी
स्वतंत्र निदेशक

श्री आर. सी. मिश्रा
स्वतंत्र निदेशक

*31.08.2020 की स्थिति के अनुसार

वरिष्ठ प्रबंधन#

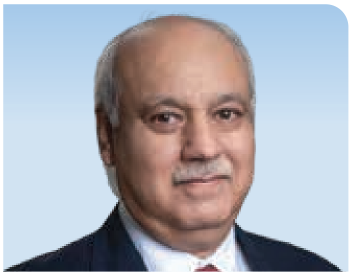

श्री सुबीर मूलचंदानी
कार्यपालक निदेशक

श्री जी. एस. पात्र
कार्यपालक निदेशक

श्री सुबीर साहा
कार्यपालक निदेशक

श्री योगेश जुनेजा
कार्यपालक निदेशक

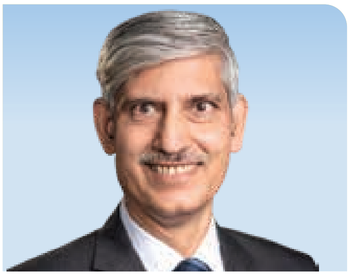

श्री मनोज शर्मा
कार्यपालक निदेशक

श्रीमती शैली वर्मा
कार्यपालक निदेशक

श्री आर. आर. झा
कार्यपालक निदेशक

श्री आर. के. भारद्वाज
कार्यपालक निदेशक

श्री पी. के. सिन्हा
कार्यपालक निदेशक

श्री संदीप कुमार
कार्यपालक निदेशक

श्री आर. मुराहरि
कार्यपालक निदेशक

श्री मनोहर बलवानी
कंपनी सचिव

#31.08.2020 की स्थिति के अनुसार

निगमित सिंहावलोकन

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएफ़सी) भारतीय विद्युत क्षेत्र को निधि उपलब्ध कराने वाली सरकारी स्वामित्वाधीन सबसे बड़ी एनबीएफ़सी है। हम अल्ट्रा मेगा पावर परियोजनाओं (यूएमपीपी), एकीकृत विद्युत विकास योजना (आईपीडीएस) और स्वतंत्र पारेषण परियोजनाओं (आईटीपी) के लिए नोडल एजेंसी भी हैं।

सतत वृद्धि के लिए, हम अन्य क्षेत्रों के साथ नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में, ईंधन आपूर्तिकर्ताओं और उपस्कर विनिर्माताओं के वित्तपोषण में निहित अवसरों का पता लगाकर टैप करते हैं। हमने सहायक कंपनी-पीएफ़सी कंसल्टिंग लिमिटेड - और कई अन्य व्यावसायिक यूनिटें, जैसे पावर एक्सचेंज स्थापित किए हैं ताकि भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए तैयारी को और मजबूत कर सके।

पीएफसी समूह संरचना

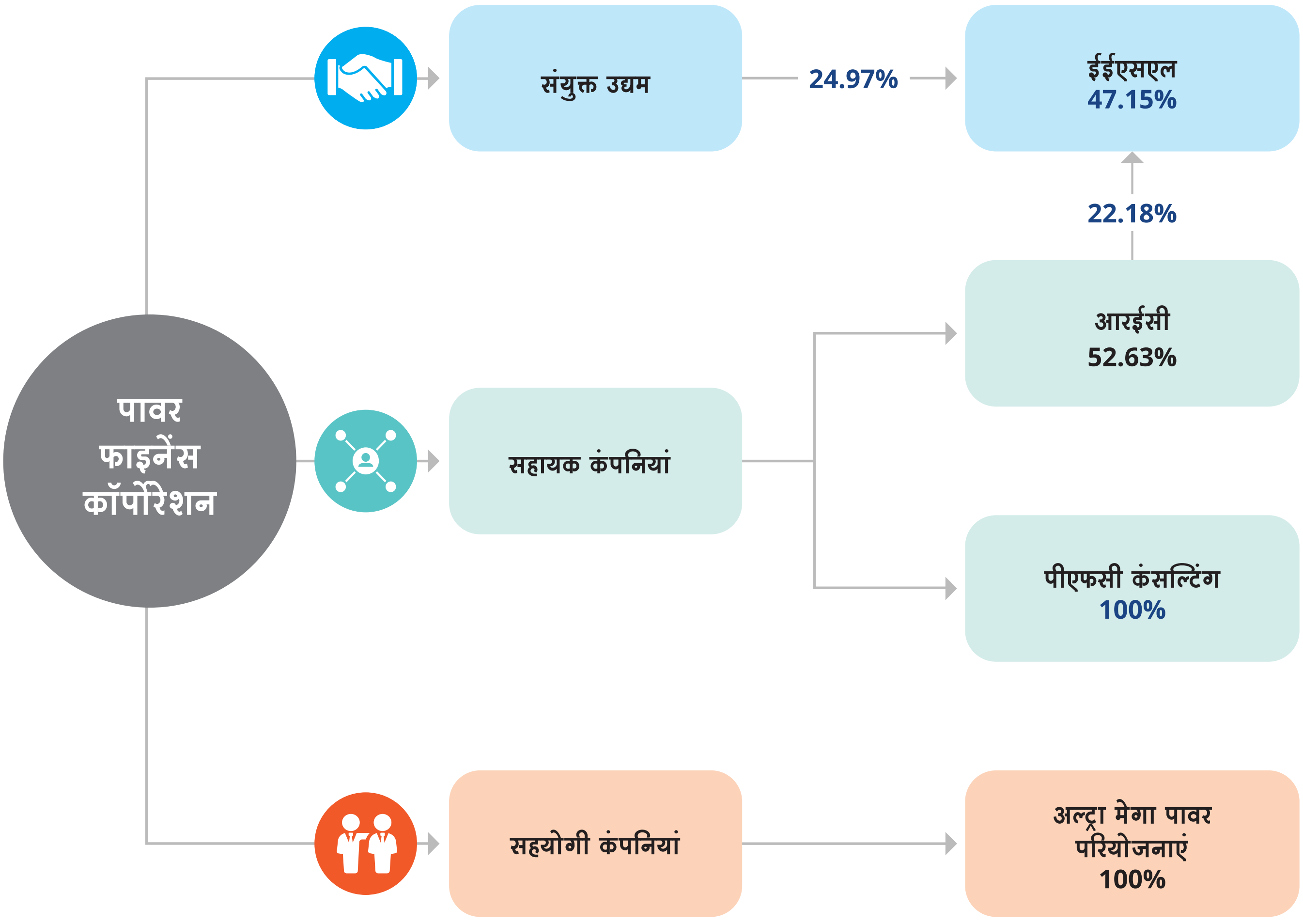

हमारा विज़न

भारत और विदेश में विद्युत एवं उससे जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रों की प्रत्येक आयामीय श्रृंखला में एक अग्रणी संस्थागत भागीदार बनना।

हमारा मिशन

पीएफसी सर्वाधिक अधिमान्य वित्तीय संस्थान होगा और इसके लिए उसका साध्य है दक्ष एवं अंतरराष्ट्रीय रूप से एकीकृत स्रोतीकरण तथा सेवा प्रदान करने के साथ-साथ वहनीय और प्रतियोगी उत्पाद एवं सेवाएं प्रदान करना, भारतीय विद्युत क्षेत्र में होने वाले सुधारों में अपनी भागीदारी करना और अपने स्टेकधारकों का मूल्य संवर्धन करना; भारत एवं विदेश में विद्युत एवं संबद्ध क्षेत्रों में कार्यक्षम निवेश को बढ़ावा देना।

हम यह लक्ष्य सिद्धि कर सकेंगे क्योंकि हम एक ऊर्जस्वित, समंजनीय, अग्रदृष्टा, विश्वस्त, सामाजिक रूप से उत्तरदायी संगठन हैं, अपने स्टेकधारकों के हितों के प्रति संवेदनशील हैं, अपने कार्यों में पारदर्शिता एवं एकनिष्ठा के कारण सदा-सर्वदा लाभप्रद एवं चिरस्थायी हैं।

विद्युत क्षेत्र में अग्रणी वित्तपोषक

अधिकांशतः भारत सरकार के स्वामित्वाधीन

विद्युत क्षेत्र में सरकार का महत्वपूर्ण वित्तीय भागीदार

'एएए' की सर्वोच्च दीर्घावधि घरेलू रेटिंग

पीएफ़सी समूह विद्युत क्षेत्र की सबसे बड़ी वित्तीय कंपनी है

2 ''नवरत्न'' कंपनियों - पीएफसी एवं आरईसी के साथ ग्रुप

कार्यनीति संबंधी पहलें

विद्युत क्षेत्र में भारत की सबसे बड़ी वित्तीय कंपनी होने के नाते, हमने अपनी प्रणालियों और प्रक्रियाओं को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए कई कार्यनीतिक पहलों को पूरा किया है तथा प्रमुख कंपनी (इनेब्लर) होने के नाते डिजिटिकरण के साथ मौजूदा बाजार परिवेश के साथ सामंजस्य स्थापित किया है। इन पहलों का लक्ष्य ईज ऑफ लेंडिंग का संवर्धन करना तथा नवीकरणीय क्षेत्र में हमारे बाजार शेयर का विस्तार करना है।

पूर्वभुगतान के लिए बाजार अनुकूल नीतियां शुरू करना तथा अधिक व्यवसाय आकर्षित करने के लिए कोलेटरल प्रतिभूतियां जारी करना।

डिस्कॉम (वितरण कंपनियों) द्वारा आईपीपी (स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों) को तुरंत भुगतान के लिए मैकेनिज़्म तैयार करना

अप्रेजल प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए सोलर और विंड प्रस्तावों तथा क्षेत्र में अधिक व्यापार आकर्षित करने के लिए ऑनलाइन स्क्रीनिंग की शुरुआत

प्रक्रिया को और अधिक गतिशील और सुदृढ़ बनाने के लिए निजी परियोजनाओं के लिए परियोजना एवं प्रमोटर रेटिंग फ्रेमवर्क सहित अप्रेजल सिस्टम की समीक्षा।

हमारे बाजार शेयर का विस्तार करने के लिए मौजूदा व्यवसाय परिवेश के साथ नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के लिए ऋण नीति का सरेखण

धोखाधड़ी से बचने के लिए पीएफ़सी द्वारा जारी किए गए एलओसी को सत्यापित करने हेतु बैंकों के लिए ऑनलाइन सिस्टम की शुरुआत।

हमारे उत्पाद एवं सेवाएं

हमारा विशिष्ट फोकस, विद्युत क्षेत्र के वित्तपोषण में तीन दशकों से अधिक की विशेषज्ञता के साथ हमें अपने ग्राहकों के वित्तीय प्रोफाइल और राष्ट्र की राजकोषीय स्थिति के आधार पर अनुकूलित समाधान प्रदान करने में समर्थ बनाता है।

निधि आधारित उत्पाद

- परियोजना सावधि ऋण (रुपए और विदेशी मुद्रा)
- अध्ययन/परामर्श के लिए अनुदान/ब्याज मुक्त ऋण
- बायर्स लाइन ऑफ क्रेडिट
- उपकरण की खरीद के लिए पट्टा वित्तपोषण
- निगमित ऋण
- विंड पावर परियोजनाओं के लिए पट्टा वित्तपोषण
- विद्युत एक्सचेंज के माध्यम से विद्युत खरीद के लिए क्रेडिट सुविधा
- कोयले के आयात के लिए लाइन ऑफ क्रेडिट
- ऋण पुनर्वित्तपोषण
- उपकरण विनिर्माताओं के लिए लघु/मध्यम अवधि ऋण
- ईंधन आपूर्ति परियोजनाएं और उपकरण विनिर्माण का वित्तपोषण
- खरीदारों/विक्रेताओं के लिए बिल पर सीधे छूट

गैर-निधि आधारित उत्पाद

- आस्थगित भुगतान गारंटी
- ईंधन आपूर्ति करार (एफएसए) के संदर्भ में संविदा/दायित्वों के कार्य-निष्पादन पर गारंटी
- चुकौती आश्वासन पत्र (एलओसी)
- क्रेडिट संवर्धन की गारंटी के लिए नीति

मुख्य उपलब्धियां

1988
ऋण देने संबंधी गतिविधियों की शुरुआत

1998
आरबीआई के साथ एनबीएफसी के रुप में पंजीकृत

2007
इक्विटी शेयरों का आईपीओ

2010
- आईएफसी के रुप में आरबीआई में पंजीकृत
- इक्विटी शेयरों का एफपीओ

2014
ऋण परिसंपत्तियों में ₹2 ट्रिलियन का माइलस्टोन पार किया।

2019
- आरईसी का अधिग्रहण
- ₹6 ट्रिलियन की ऋण परिसंपत्तियों के साथ विद्युत क्षेत्र में सबसे बड़ा वित्तीय संस्थान

2020
प्रचालनों पर कोविड-19 का अधिक प्रभाव नहीं पड़ा
- पिछले वर्ष (₹6,400 करोड़) की तुलना में मार्च 2020 (₹11,000 करोड़) के अंतिम सप्ताह में 72% अधिक ऋण संवितरण।
- पीएम - केयर्स फंड में ₹200 करोड़ का अंशदान

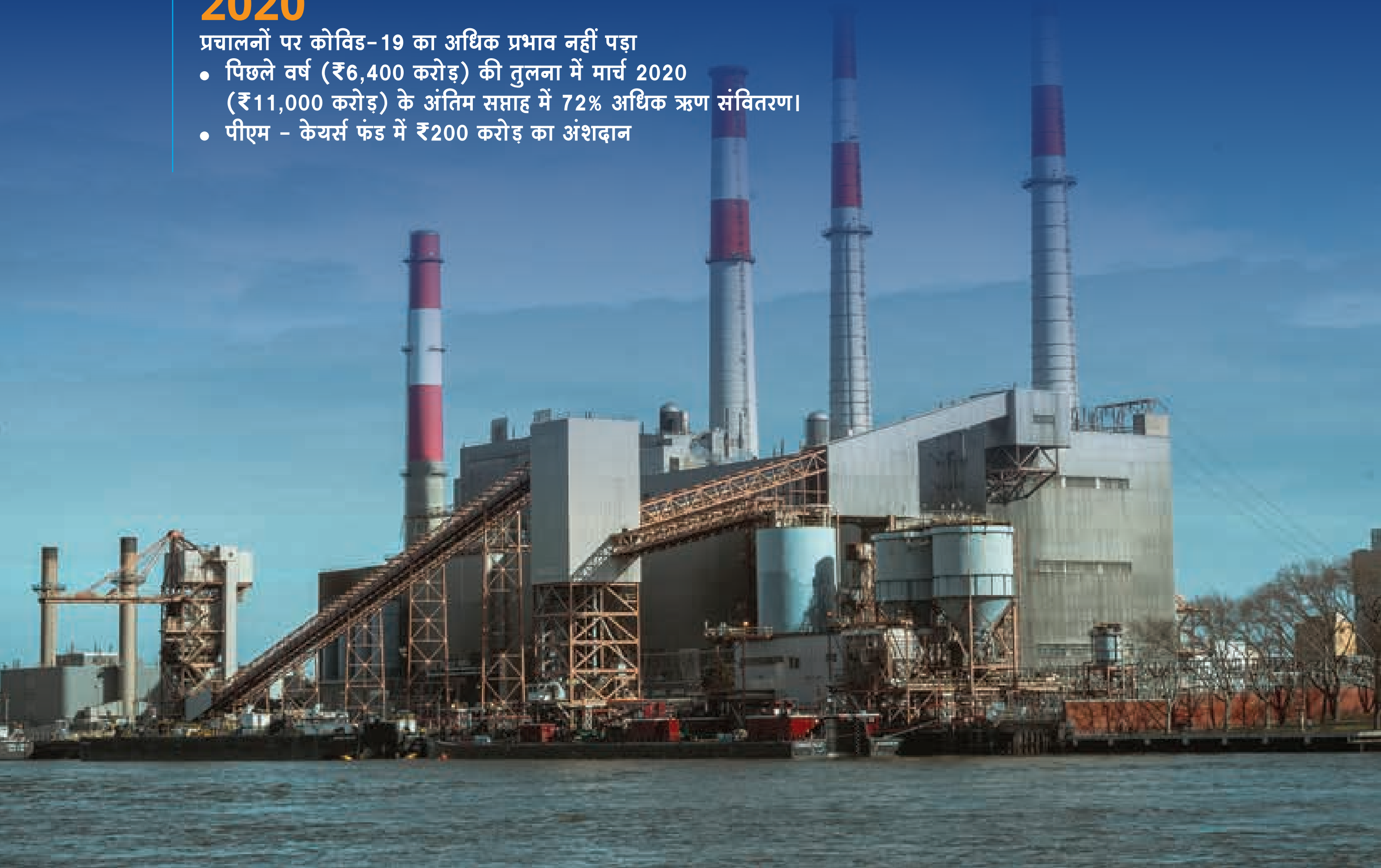

कार्य-निष्पादन एक नजर में

विवरण	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
I. संसाधन (वर्ष के अंत में) (₹ करोड़ में)					
इक्विटी पूंजी	1,320	2,640	2,640	2,640	**2,640**
भारत सरकार से ब्याजगत सब्सिडी निधि	107	103	113	16	**17**
आरक्षित और अधिशेष निधि	34,446	32,785	34,316	40,648	**42,524**
ऋण राशियाँ:					
(i) विदेशी मुद्रा ऋण (विदेशी मुद्रा नोट्स सहित)	10,776	8,444	18,260	28,827	**47,701**
(ii) बॉण्ड्स	1,71,137	1,89,743	1,93,829	1,90,324	**1,96,614**
(iii) दीर्घावधि रुपया ऋण	11,000	2,000	10,525	46,204	**57,099**
(iv) अल्पावधि रुपया ऋण	7,572	2,401	6,925	13,357	**2,038**
II. वित्तपोषण संबंधी प्रचालन (वर्ष के दौरान) (₹ करोड़ में)					
संस्वीकृत किए गए ऋण एवं अनुदान	65,042	1,00,603	1,16,233	95,230	**1,11,089**
संवितरित किए गए ऋण एवं अनुदान	46,588	62,798	64,414	67,678	**67,997**
III. कार्यकारी परिणाम (वर्ष के लिए)(₹ करोड़ में)					
कुल आय	27,564	27,019	25,980	28,766	**33,371**
कुल व्यय	18,504	21,909	20,135	18,951	**25,179**
कर पूर्व लाभ	9,060	5,110	5,845	9,816	**8,193**
कर संबंधी व्यय	2,947	2,983	1,458	2,863	**2,537**
कर पश्चात् लाभ	6,113	2,126	4,387	6,953	**5,655**
IV. कार्मिकों की संख्या	467	499	498	498	**484**

टिप्पणी: कंपनी ने 01 अप्रैल, 2018 से कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली, 2015 (यथा संशोधित) के अंतर्गत अधिसूचित भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एएस) को अपनाया और पारगमन (ट्रांजिशन) की प्रभावी तारीख 01 अप्रैल, 2017 थी। कंपनी ने पूर्व में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) के अनुसार 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष तक अपने वित्तीय विवरण तैयार किए हैं। तथापि, पारगमन के प्रभावों को विधिवत लेखांकित किया गया है और तुलनात्मक आंकड़े इंड एएस के अनुसार लाए गए हैं।

सभी प्रतिबद्धताओं को पूरा करते हुए

क्षेत्र-वार संवितरण

(%)

सरकारी क्षेत्र 87
निजी क्षेत्र 13

योजना-वार संवितरण

(%)

उत्पादन 53
पारेषण 10
वितरण 36
अन्य 1

क्षेत्र-वार ऋण परिसंपत्तियां

(%)

सरकारी क्षेत्र 83
निजी क्षेत्र 17

योजना-वार ऋण परिसंपत्तियां

(%)

उत्पादन 58
पारेषण एवं वितरण (टी एंड डी) 30
नवीकरणीय (बड़ी जल विद्युत सहित) 11
अन्य 1

रेटिंग्स

पीएफसी को प्राप्त ऋण राशियां:

अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी

- मूडीज बीएए3
- फिच बीबीबी-

घरेलू रेटिंग एजेंसी

- क्रिसिल एएए
- आईसीआरए एएए
- सीएआरई एएए

कार्य-निष्पादन संबंधी प्रमुख संकेतक

प्रचालनात्मक कार्य-निष्पादन

संस्वीकृत किए गए ऋण

(₹ करोड़ में)

16.65%
वर्ष दर वर्ष

14.32%
सीएजीआर

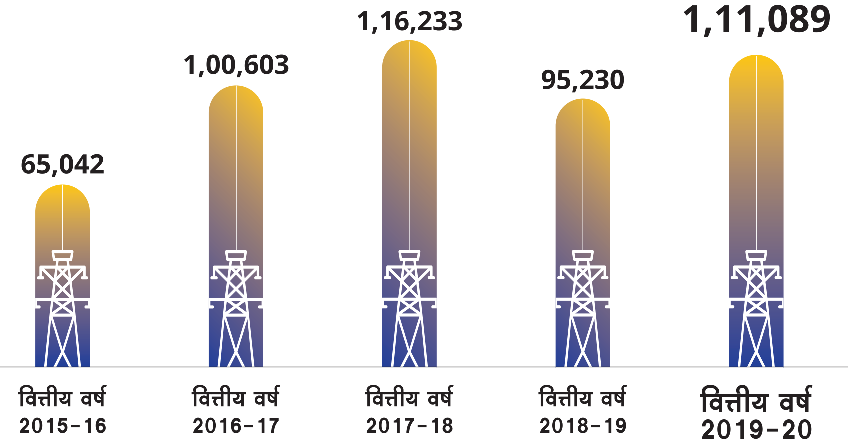

संवितरण किए गए ऋण

(₹ करोड़ में)

0.47%
वर्ष दर वर्ष

9.91%
सीएजीआर

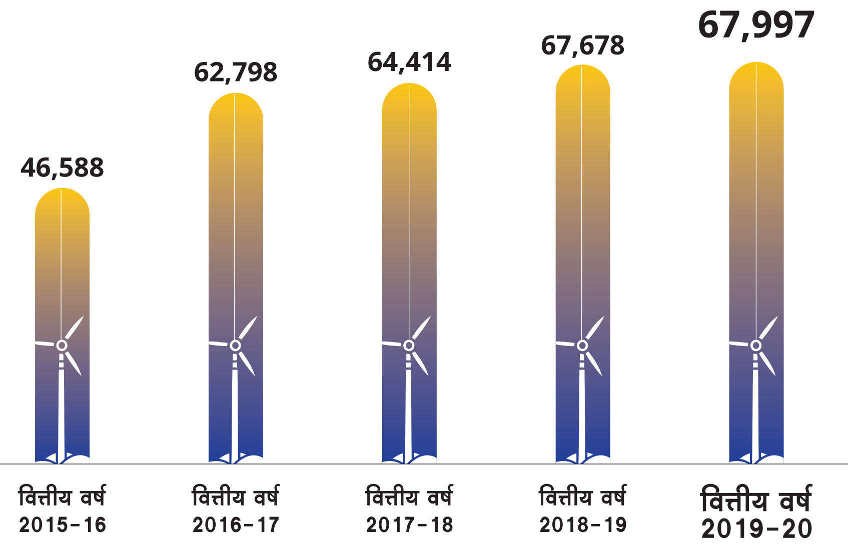

प्रचालनात्मक कार्य-निष्पादन

ऋण परिसंपत्ति बही (31 मार्च के अनुसार)

(₹ करोड़ में)

9.61%
वर्ष दर वर्ष

9.61%
सीएजीआर

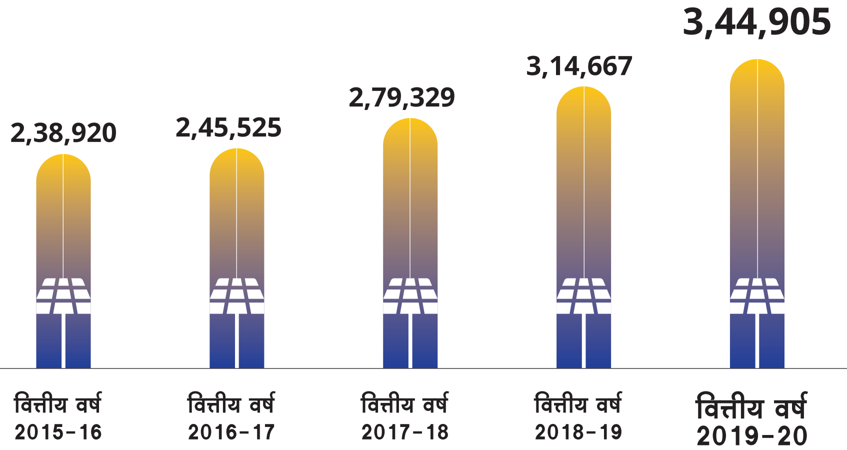

वित्तीय कार्य-निष्पादन

कुल आय

(₹ करोड़ में)

16.01%
वर्ष दर वर्ष

4.90%
सीएजीआर

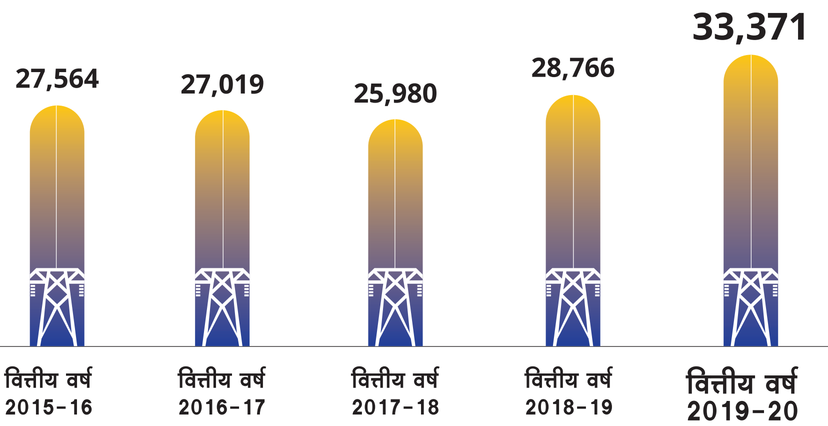

वित्तीय कार्य-निष्पादन

निधि की लागत

16 बीपीएस
वर्ष दर वर्ष

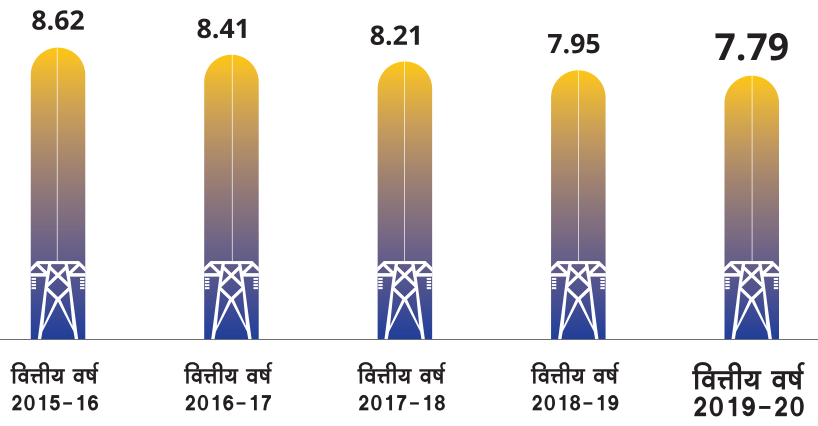

कर पश्चात् लाभ

(₹ करोड़ में)

18.67%
वर्ष दर वर्ष

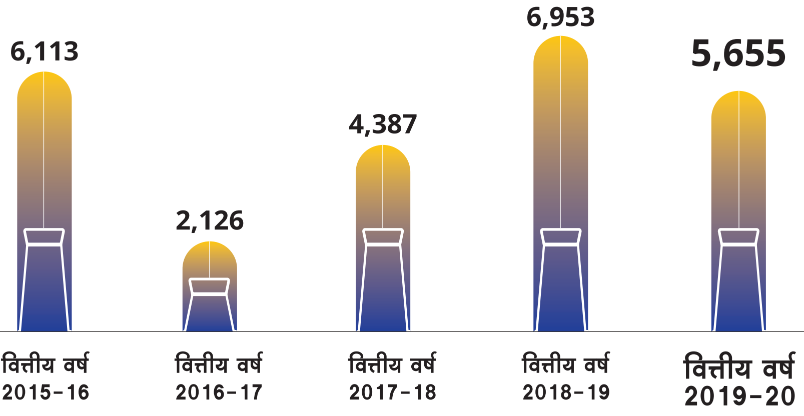

कोविड-19 के दौरान अधिक दायित्व

व्यावसायिक निरंतरता सुनिश्चित करते हुए, आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देते हुए

हमारा उद्देश्य एक उदाहरण प्रस्तुत करना है कि कैसे हम एक अप्रत्याशित उथल-पुथल में कंपनी को कैसे अच्छी स्थिति में रखें। यह भावना हमारे द्वारा बोर्ड में लागू किए गए उपायों में परिलक्षित होती है।

व्यवसाय सुदृढ़ता

- वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान ऋण परिसंपत्तियों में **10%** की वृद्धि दर्ज की
- क्रिसिल, आईसीआरए और सीएआरई द्वारा **एएए** की रेटिंग प्रदान की गई की गई।

कार्मिक संबंधी पहलें

- प्रौद्योगिकी से कारगर तरीके से लाभ उठाने और डाटा सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करने के माध्यम से दूरस्थ कार्य क्षमताएं स्थापित कीं।
- घर से कार्य और सीमित स्टाफ के साथ कार्यालय को चलाने के संयोजन से और सोशल डिस्टेन्सिंग अधिदेशों का पालन करते हुए हमेशा की तरह व्यवसाय सुनिश्चित किया।

सुदृढ़ संवितरण

- मार्च 2020 के अंतिम सप्ताह के दौरान संवितरण में **72%** की वृद्धि दर्ज की अर्थात 2019 (₹6,400 करोड़) के दौरान इसी अवधि की तुलना में ₹**11,000 करोड़** से अधिक

सामुदायिक देखभाल (कम्युनिटी केयर)

- पीएम-केयर्स फंड में **₹200 करोड़** का अंशदान
- महामारी संबंधी अलग-अलग कारणों के लिए **₹3.45 करोड़** की अतिरिक्त सहायता

अपने ऋणकर्ताओं को सहायता प्रदान करते हुए

संकट के दौरान आई कठिनाइयों को कम करने के लिए जून, 2020 तक 50% ऋणकर्ताओं की देय राशियों के **70%** पर अधिस्थगन (मोरेटोरियम) दिया गया।

सुदृढ़ लिक्विडिटी

- व्यवसाय प्रचालनों को सुचारु एवं सुविधाजनक बनाने के लिए 31 मार्च, 2020 से **₹23,000 करोड़** से अधिक की राशि का जुटाव
- बैंकों से **₹10,000 करोड़** की अतिरिक्त लाइन ऑफ क्रेडिट और **₹9,500 करोड़** के सावधि ऋण प्रक्रियाधीन

सरकारी योजनाओं को बढ़ावा

- **आत्मनिर्भर भारत** के अंतर्गत डिस्कॉमों के लिए, आरईसी के साथ **₹90,000 करोड़** की सरकार की लिक्विडिटी सहायता के लिए कार्यान्वयन एजेंसी का दायित्व संभाला
- डिस्कॉम लिक्विडिटी के लिए **₹45,000 करोड़** से अपने हिस्से के कार्यान्वयन के लिए फ्रेमवर्क तैयार किया

अध्यक्ष का वक्तव्य

"पीएफसी द्वारा आरईसी में भारत सरकार की 52.63% इक्विटी हिस्सेदारी के सफल अधिग्रहण के बाद यह पहला पूर्ण वित्तीय वर्ष था। पीएफसी समूह ने पिछले वर्ष में ₹1.4 लाख करोड़ से अधिक का संवितरण करते हुए बेहतर प्रदर्शन किया।"

– रविन्द्र सिंह ढिल्लों
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

देवियो और सज्जनो,

मुझे आपकी कंपनी की 34वीं वार्षिक आम बैठक में आप सभी का स्वागत करते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है। वित्तीय वर्ष 2019-20 पीएफसी के लिए चुनौतीपूर्ण वर्ष होने के बावजूद सफल वर्ष भी रहा।

वित्तीय वर्ष का अंत कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते अप्रत्याशित वैश्विक व्यवधानों के परिणामस्वरूप असंतोषजनक रहा और इसे फिर से कहने की आवश्यकता नहीं है। इस वैश्विक महामारी का न केवल विनिर्माण उद्योगों पर गंभीर प्रभाव हुआ है, बल्कि मुद्रा बाजारों में उथल-पुथल सहित दुनिया भर के वित्तीय बाजार भी प्रभावित हुए हैं।

कोविड-19 महामारी की बात करें तो, भारत भी इससे अछूता नहीं रहा है। यद्यपि, विद्युत उद्योग पर इसका प्रभाव कितना है, इसका अभी पता नहीं चल पाया है, लेकिन कोविड-19 और इसके बाद के परिणामों से निपटने के लिए सरकार द्वारा सुधारों की श्रृंखला के परिणामस्वरूप निश्चित रूप से विद्युत क्षेत्र पर प्रभाव कम होगा।

पीएफसी द्वारा आरईसी में भारत सरकार की 52.63% इक्विटी हिस्सेदारी के सफल अधिग्रहण के बाद यह पहला पूर्ण वित्तीय वर्ष था। पीएफसी समूह ने पिछले वर्ष में ₹1.4 लाख करोड़ से अधिक का संवितरण करते हुए बेहतर प्रदर्शन किया।

मुझे यह बताते हुए गर्व हो रहा है कि आपकी कंपनी तुलन-पत्र के आकार के मामले में सबसे बड़ा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। आपकी कंपनी वर्ष 2019-20 के लिए समेकित कर पश्चात लाभ की दृष्टि से पांचवां सर्वाधिक लाभार्जन करने वाला केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम है। फोर्ब्स ने 2019 के लिए अपनी रैंकिंग में दुनिया के शीर्ष 250 सर्वश्रेष्ठ नियोक्ताओं में आपकी कंपनी को स्थान दिया है, जो हमें भारत के शीर्ष 20 सर्वश्रेष्ठ नियोक्ताओं में भी शामिल करता है। समेकित आधार पर, आपकी कंपनी लाभ और परिसंपत्ति आकार की दृष्टि से शीर्ष 500 वैश्विक सार्वजनिक कंपनियों में से एक कंपनी बन जाएगी।

एनएसई में पीएफ़सी के 750 मिलियन यूएस डॉलर विदेशी बॉण्डस के लिस्टिंग समारोह की सेरिमोनियल बेल रिंगिंग में श्री राजीव शर्मा, पूर्व सीएमडी, पीएफ़सी एवं श्री पी. के. सिंह, निदेशक (वाणिज्यिक) के साथ श्री आर. के. सिंह, माननीय विद्युत एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री एवं श्री एस. एन. सहाय, सचिव (विद्युत), श्री आर. एस. ढिल्लों, सीएमडी, पीएफ़सी

व्यावसायिक दृष्टि से, इस वर्ष के दौरान पीएफसी ने कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल कीं। आपकी कंपनी ने इस वर्ष लगभग ₹68,000 करोड़ के ऋण संवितरण को पार करते हुए लगातार चौथे वर्ष भी अब तक का अपना सर्वाधिक संवितरण किया है। ऋण परिसंपत्तियां भी ₹3.5 लाख करोड़ के लक्ष्य को पार कर गई हैं और वर्ष के दौरान 10% की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई।

दबावग्रस्त परिसंपत्तियों की बात करें तो इस क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण विकास हुए हैं। वर्ष के दौरान पीएफ़सी की दो बड़ी दबावग्रस्त परिसंपत्तियों जीएमआर छत्तीसगढ़ और रत्तनइंडिया अमरावती का समाधान किया गया। इसके अतिरिक्त, सुजलोन एनर्जी और एस्सार पावर ट्रांसमिशन के लिए समाधान योजना को अनुमोदित किया गया।

ऋण की दृष्टि से, ऋण पोर्टफोलियो के विविधीकरण के मामले में आपकी कंपनी के प्रयासों के परिणाम अब सामने आने लगे हैं। पिछले वित्तीय वर्ष में, पीएफ़सी ने अंतरराष्ट्रीय बाजार से 3 बिलियन यूएस डॉलर की राशि जुटाई है। अब कुल ऋण राशि में विदेशी मुद्रा ऋण राशि के अंश में 16% की वृद्धि दर्ज की गई। आने वाले समय में, हम उम्मीद करते हैं कि हमारे पोर्टफोलियो में विदेशी मुद्रा ऋण राशि में और अधिक वृद्धि होगी। आपकी कंपनी 54ईसी पूंजीगत लाभ कर बॉण्डों के माध्यम से भी निधियां जुटा रही है जो कम लागत के कारण पीएफ़सी के लिए निधियों का महत्वपूर्ण स्रोत है। मुझे यह बताते हुए खुशी है कि कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में हमारे पहले निर्गम (इश्यू) के बाद से 54ईसी पूंजीगत लाभ कर बॉण्डों के अंतर्गत जुटाव में लगभग चार गुना की वृद्धि हुई है। ऋण की दृष्टि से, आपकी कंपनी द्वारा किए गए विभिन्न प्रयासों के परिणामस्वरूप वित्तीय वर्ष 19-20 में निधियों की लागत 7.95% से कम होकर वित्तीय वर्ष 20-21 में 7.79% हो गई है।

''फोर्ब्स ने 2019 के लिए अपनी रैंकिंग में दुनिया के शीर्ष 250 सर्वश्रेष्ठ नियोक्ताओं में आपकी कंपनी को स्थान दिया है, जो हमें भारत के शीर्ष 20 सर्वश्रेष्ठ नियोक्ताओं में भी शामिल करता है।''

''समेकित आधार पर, आपकी कंपनी लाभ और परिसंपत्ति आकार की दृष्टि से शीर्ष 500 वैश्विक सार्वजनिक कंपनियों में से एक कंपनी बन जाएगी।''

वैश्विक अर्थव्यवस्था की बात करें तो, इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास हुए हैं। कोविड-19 के बीच चीन पर निर्भर कई आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान पड़ने से वैश्विक विनिर्माण क्षेत्र पर प्रभाव पड़ा है। भारतीय संदर्भ में, भौगोलिक-राजनीतिक घटनाक्रम के कारण ये क्षेत्र और अधिक प्रभावित हुए हैं। इस वैश्विक महामारी के कारण उत्पन्न हुए अवसरों को ध्यान में रखते हुए, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र से 'वोकल फॉर लोकल' और 'आत्मनिर्भर भारत' का आह्वान करते हुए आत्मनिर्भर बनने का आग्रह किया है।

भारत इंक. और विद्युत क्षेत्र आत्मनिर्भर बनने की दिशा में राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण हैं और सरकार द्वारा दिए गए इस प्रोत्साहन का उपयोग अधिक घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने में कर सकते हैं, इससे भारत की अर्थव्यवस्था को तेजी से बढ़ाने में मदद मिलेगी। इसका यह भी अभिप्राय है कि आने वाली तिमाहियों में विद्युत की कम मांग में और अधिक तेजी देखने को मिलेगी। आने वाले समय में, सरकार के ये प्रयास उद्योग को महत्वपूर्ण गति प्रदान करने में सहायक होंगे।

कोविड-19 महामारी के परिणामस्वरूप देशभर की विद्युत संस्थाओं विशेषकर वितरण कंपनियों की हालत खराब हो गई है। लॉकडाउन के दौरान वाणिज्यिक और औद्योगिक क्षेत्र से विद्युत की मांग में कमी के कारण स्थिति ओर बदतर हो गई, जिसके परिणामस्वरूप वितरण कंपनियों को कम राजस्व की प्राप्ति हुई, क्योंकि ये बड़े उपभोक्ता या तो बंद रहे या इन्होंने केवल आंशिक रूप से प्रचालन किया, जिससे कम से कम राजस्व प्राप्त हुआ। नकदी प्रवाह पर दबाव को कम करने के लिए, भारत सरकार ने नकदी की कमी से जूझ रही (कैश-स्ट्रैप्ड) वितरण कंपनियों के लिए ₹90,000 करोड़ के सुधार-संबंधी आबंटन की घोषणा की थी। विद्युत उत्पादकों के लिए यह वित्तीय पैकेज एक स्वागत योग्य कदम है और इससे विद्युत क्षेत्र में सुधार को काफी बढ़ावा मिला है। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि आपकी कंपनी और इसकी सहायक कंपनी आरईसी ₹90,000 करोड़ के आत्मनिर्भर भारत लिक्विडिटी पैकेज के अंतर्गत निधि उपलब्ध कराने में एकमात्र ऋणदाता होंगे।

इसके अतिरिक्त, भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिसूचना के अनुरूप, कोविड-19 के बीच लिक्विडिटी की कमी को दूर करने के लिए, आपकी कंपनी ने 1 मार्च, 2020 से 31 अगस्त, 2020 तक अपने ऋणकर्ताओं को मूलधन और ब्याज

''मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि आपकी कंपनी और इसकी सहायक कंपनी आरईसी ₹90,000 करोड़ के आत्मनिर्भर भारत लिक्विडिटी पैकेज के अंतर्गत निधि उपलब्ध कराने में एकमात्र ऋणदाता होंगे।''

दोनों पर अधिस्थगन (Moratorium) प्रदान किया है। इसके परिणामस्वरूप राज्य और निजी स्वामित्वाधीन दोनों क्षेत्रों की विद्युत संस्थाओं के व्यवसाय के प्रचालनों को बनाए रखने के लिए उनके नकदी प्रवाह में सुधार करने में मदद मिलेगी।

आपकी कंपनी वार्षिक आधार पर राज्य विद्युत संस्थाओं की कार्य-निष्पादन रिपोर्ट प्रकाशित करती रही है और साथ ही, विद्युत वितरण कंपनियों की वार्षिक एकीकृत रेटिंग भी प्रकाशित कर रही है। इन रिपोर्टों का नीति निर्माताओं, डेवलपर्स, ऋणदाताओं, इक्विटी विश्लेषकों, विनियामकों, आम जनता आदि सहित स्टेकधारकों द्वारा बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है और इससे निर्णय लेने में मदद मिलती है। वितरण कंपनियों

बाराखंबा रोड मेट्रो स्टेशन पर पीएफसी द्वारा स्थापित किए गए ''महिला सुविधा लाउंज'' के उद्घाटन पर श्री मंगु सिंह, एमडी, डीएमआरसी और पीएफसी और डीएमआरसी के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ श्री एस. एन. सहाय, सचिव (विद्युत), भारत सरकार, श्री आर. एस. ढिल्लों, सीएमडी, पीएफसी, श्री राजीव शर्मा, पूर्व सीएमडी, पीएफसी

श्री एस. एन. सहाय, सचिव (विद्युत) एवं श्री आर. एस. ढिल्लों, सीएमडी के साथ श्री आर. के. सिंह, माननीय विद्युत एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री ''राज्य विद्युत संस्थाओं के कार्य-निष्पादन'' पर पीएफसी की रिपोर्ट जारी करते हुए

में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए, विद्युत मंत्रालय ने समय-समय पर मुख्य पैरामीटरों पर वितरण कंपनियों की कार्य-निष्पादन रिपोर्ट प्रकाशित करने की सलाह दी है, ताकि लोगों को अपनी विद्युत वितरण कंपनियों और अन्य कंपनियों के कार्य-निष्पादन में अंतर का पता लग सके।

नवीकरणीय क्षेत्र में भी सकारात्मक परिणाम देखने को मिले है, जहां एक ओर तो टैरिफ स्थिर हो गए हैं तथा दूसरी ओर इससे ऊर्जा के स्वच्छ स्रोतों में निवेश करने के लिए बड़े अवसर प्राप्त हुए हैं। इससे भारत के महत्वाकांक्षी हरित ऊर्जा लक्ष्य को प्राप्त करने में भी मदद मिलेगी।

स्वच्छ ईंधन की दिशा में सरकार भी ट्रांजिशनिंग के अपने लक्ष्य के अनुरूप वितरित सौर ऊर्जा उत्पादन में अभिनव मॉडल अपना रही है। चूंकि एक समान उपयोगी (वन-साइज-फिट्स-ऑल) दृष्टिकोण फायदेमंद नहीं हो सकता है, अतः सरकार भी कार्य-निष्पादन में सुधार हेतु प्रत्येक राज्य को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष समाधान खोजने के लिए प्रयासरत है। सरकार विभिन्न क्षेत्रों में स्वदेशी उत्पादन पर भी बल दे रही है और यह महत्वपूर्ण है कि भारत में निर्मित विद्युत क्षेत्र के उपकरणों की हिस्सेदारी में आने वाले समय में और वृद्धि होने की संभावना है। हमारा मानना है कि 'मेक इन इंडिया' और 'डिजिटल इंडिया' जैसे विभिन्न सरकारी प्रयास देश के भीतर ही वेफर्स, इनगॉट्स, सेल और मॉड्यूल के निर्माण के लिए एक ईको-सिस्टम बनाने की दिशा में बहुत ही सफल साबित होंगे। इससे न केवल भारतीय विद्युत क्षेत्र को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनने में मदद मिलेगी अपितु इससे रोजगार सृजन और उद्यमशीलता के अवसर प्रदान करने में भी सहायता मिलेगी। आपकी कंपनी देश भर में अग्रणी ऋणदाता होने के नाते, नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन के लिए और अधिक परिसंपत्तियों के सृजन में सहायता करने के लिए बहुत अच्छी स्थिति में है।

विद्युत क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए, सरकार इस क्षेत्र में कई सुधार पहलों पर बल दे रही है। विद्युत अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन का उद्देश्य उन मुद्दों का समाधान करना है जो वित्तीय व्यवहार्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहे हैं और इससे इस क्षेत्र में निवेश पर भी इसका प्रभाव पड़ रहा है। हमारा मानना है कि विद्युत के उत्पादन एवं पारेषण से संबंधित पीपीए/एफएसए/टीएसए जैसे अनुबंधों के निष्पादन को लागू करने के लिए विद्युत अनुबंध प्रवर्तन प्राधिकरण की स्थापना डिस्कॉम (मों) द्वारा पीपीए के पुनर्विचार संबंधी मुद्दे का समाधान करने में मदद मिलेगी, जिससे इस क्षेत्र में कई अनिश्चितताएं सामने आ रही हैं। राष्ट्रीय टैरिफ नीति में प्रस्तावित संशोधन जैसे टैरिफ के निर्धारण के लिए 15% पर हानि की कैपिंग, आरपीओ के गैर-अनुपालन के लिए उच्च दंड, नई नियामक परिसंपत्तियों के निर्माण पर प्रतिबंध आदि भी इस क्षेत्र को अधिक दक्ष बनाने में मदद करेंगे। हाल ही में, विद्युत मंत्रालय ने कोयला आधारित तापीय परियोजनाओं से विद्युत के साथ नवीकरणीय ऊर्जा की चौबीसों घंटे खरीद संबंधी दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिसका उद्देश्य विद्युत की आंतरायिकता (Intermittency), उत्पादन के सीमित घंटों, नवीकरणीय परियोजनाओं के कम सीयूएफ

''आपकी कंपनी देश भर में अग्रणी ऋणदाता होने के नाते, नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन के लिए और अधिक परिसंपत्तियों के सृजन में सहायता करने के लिए बहुत अच्छी स्थिति में है।''

श्री अर्जुन राम मेघवाल, माननीय राज्य मंत्री (भारी उद्योग एवं लोक उद्यम), भारत सरकार से ''सुदृढ़ विकास'' की श्रेणी में ''गवर्नेंस नाउ पीएसयू अवॉर्ड'' प्राप्त करते हुए श्री पी. के. सिंह, निदेशक (वाणिज्यिक) के साथ श्री आर. एस. ढिल्लों, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

इत्यादि को ध्यान में रखते हुए ग्रिड स्थिरता को बढ़ावा देना है। साथ ही, दबावग्रस्त परियोजनाओं के लिए पायलट पीपीए का दूसरा चरण शुरू किया गया, जिसमें 2,500 मेगावाट विद्युत की खरीद के लिए प्रति यूनिट ₹3.26 का टैरिफ निर्धारित किया गया था। इससे परियोजनाओं को स्थायी आधार पर विद्युत की बिक्री करने और आगे आने वाले दबाव का समाधान करने में मदद मिलेगी।

आपकी कंपनी ने हमेशा पारदर्शिता, जवाबदेही और पर्याप्त प्रकटीकरण के उच्चतम मानकों को बनाए रखते हुए बेहतर कॉर्पोरेट गवर्नेंस देने में विश्वास जताया है।

आपकी कंपनी बड़े पैमाने पर समाज में योगदान करने की दिशा में भी एक प्रतिबद्ध सामाजिक रूप से जिम्मेदार कॉर्पोरेट एंटिटी होने पर अड़िग रही है। आपकी कंपनी ने हमेशा सतत विकास और राष्ट्रीय महत्व के साथ-साथ स्थानीय महत्व की परियोजनाओं को लागू करने पर बल दिया है। पीएफसी ने आर्थिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़े नागरिकों के उत्थान के लिए उनके कौशल विकास, पिछड़े क्षेत्रों के लिए चिकित्सा सुविधा प्रदान करने, सोलर स्ट्रीट लाइट एवं हाई मास्ट लाइट की स्थापना आदि परियोजनाओं के वित्तपोषण की दिशा में अपने प्रयासों को जारी रखा है। हमने विशेष रूप से कई योजनाओं को लागू करने के लिए नीति आयोग द्वारा अधिसूचित महत्वाकांक्षी जिलों पर विशेष बल दिया है। आपकी कंपनी का उद्देश्य है कि अधिक से अधिक संख्या में लोगों के जीवन स्तर में सुधार किया जाए और समग्र रूप से समाज को लाभ पहुंचाया जाए। आपकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2020 में सीएसआर गतिविधियों के अंतर्गत ₹97 करोड़ का संवितरण किया है।

आपकी कंपनी ने कोविड-19 के दौरान पीएम केयर्स फंड में ₹200 करोड़ का अंशदान दिया एवं वंचित वर्ग के लिए भोजन की व्यवस्था करके समाज के प्रति अपना योगदान देकर अपनी सक्रिय भूमिका निभाई है। इस संकट के समय में, जब हमारे देश के कोरोना योद्धा आगे आकर हमारी मदद कर रहे हैं, तो आपकी कंपनी ने डॉ राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली में मेडिकल स्टाफ के लिए दोपहर के भोजन की सुविधा प्रदान करने में योगदान दिया है। आपकी कंपनी ने इस महामारी से निपटने के लिए विभिन्न जिला प्रशासन को चिकित्सा उपकरण, पीपीई किट, सैनिटाइज़र, फेस मास्क आदि भी प्रदान किए हैं।

मैं शेयरधारकों का बहुत आभारी हूं, जिन्होंने हम पर फिर से विश्वास दिखाया है। माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) विद्युत, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा और कौशल विकास एवं उद्यमिता, सचिव (विद्युत) एवं विद्युत मंत्रालय के अधिकारियों को उनके निरंतर समर्थन और दिशा-निर्देश के लिए मेरा हार्दिक धन्यवाद। मैं निदेशक मंडल, निवेशकों और मूल्यवान ग्राहकों का उनके समर्थन के लिए वास्तव में आभारी हूं।

''महामारी में लड़ने के लिए भोजन, पीपीई किट्स, सैनिटाइजर का दान''

सीएसआर व्यय

₹97 करोड़

पीएफ केयर्स फंड में

₹200 करोड़

का योगदान

''आपकी कंपनी ने हमेशा पारदर्शिता, जवाबदेही और पर्याप्त प्रकटीकरण के उच्चतम मानकों को बनाए रखते हुए बेहतर कॉर्पोरेट गवर्नेंस देने में विश्वास जताया है।''

जनरल (सेवानिवृत्त) डॉ. वी. के. सिंह, माननीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री, भारत सरकार से डन एंड ब्रैडस्ट्रीट का प्रतिष्ठित 'बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी' अवॉर्ड प्राप्त करते हुए श्री पी. के. सिंह, निदेशक (वाणिज्यिक) के साथ श्री आर. एस. ढिल्लों, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

''पीएफसी ने हमेशा सतत विकास और राष्ट्रीय महत्व के साथ-साथ स्थानीय महत्व की परियोजनाओं को लागू करने पर बल दिया है।''

मैं वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक, लोक उद्यम विभाग, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, नीति आयोग, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, सांविधिक लेखापरीक्षकों, आंतरिक लेखापरीक्षकों, रजिस्ट्रार, विभिन्न वाणिज्यिक बैंकों, वित्तीय संस्थानों, क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों और केंद्र और राज्य स्तर पर अन्य संबंधित सरकारी विभाग/एजेंसियों को उनके निरंतर समर्थन के लिए भी आभार व्यक्त करता हूं। मैं प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हमारे सहयोगियों द्वारा निरंतर और अटूट समर्थन की सराहना करता हूं।

आपकी कंपनी ने पिछले वर्षों के दौरान जो सफलता देखी है और जो उपलब्धियां हासिल की हैं, वह आपके द्वारा कंपनी के लिए पूर्ण समर्पण से की गई कड़ी मेहनत और उत्साह के बिना संभव ही नहीं होती।

हमें उम्मीद है कि आप सभी हितधारकों की निरंतर प्रतिबद्धता के साथ, पीएफसी प्रत्येक वर्ष शानदार प्रदर्शन जारी रखेगा।

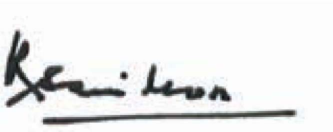

(रविन्द्र सिंह ढिल्लों)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

(बाएं से दाएं) आरएमएल हॉस्पिटल, नई दिल्ली में श्री पी. के. सिंह, निदेशक (वाणिज्यिक), पीएफ़सी, डॉ. राजीव सूद, डीन, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, श्री आर. एस. ढिल्लों, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, डॉ. पूनम कपूर एवं श्रीमती प्रमिन्द्र चोपड़ा, निदेशक (वित्त) - पीएफ़सी कोविड-19 के इलाज में व्यस्त डॉक्टरों एवं अन्य मेडिकल स्टाफ को 'TajSats' लंच बॉक्स प्रदान कर रहा है

निदेशक प्रोफाइल

रविन्द्र सिंह ढिल्लों

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

डीआईएन: 00278074

57 वर्षीय श्री रविन्द्र सिंह ढिल्लों, पीएफसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) हैं। पीएफसी के सीएमडी के रूप में वे पीएफसी के संपूर्ण प्रचालनों का नेतृत्व कर रहे हैं और भारत सरकार की विद्युत क्षेत्र में की जा रही प्रमुख पहलों अर्थात आत्मनिर्भर भारत योजना के अंतर्गत विद्युत क्षेत्र को लिक्विडिटी पैकेज, एकीकृत विद्युत विकास योजना, सभी के लिए 24X7 विद्युत, अल्ट्रा मेगा पावर परियोजनाओं, स्वतंत्र पारेषण परियोजनाओं और उज्ज्वल डिस्कॉम आश्वासन योजना आदि के कार्यान्वयन में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं।

श्री ढिल्लों के पास विद्युत क्षेत्र की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला में लगभग 35 वर्षों का समृद्ध और विविधतापूर्ण अनुभव है। इनके विविध कार्य अनुभवों में 3 वर्ष का अनुभव भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड में विद्युत उत्पादन उपकरण डिजाइन करने में, 6 वर्ष का अनुभव केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण में विद्युत प्रणालियों के मैक्रो लेवल पर योजनाएं बनाने में और 26 वर्षों का अनुभव पीएफसी में रहा है और इन 26 वर्षों में परियोजना अप्रेजल, फाइनेंशियल मॉडलिंग, परियोजना मॉनीटरिंग एवं दबावग्रस्त परिसंपत्ति समाधान में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

पीएफसी में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की नियुक्ति से पूर्व श्री ढिल्लों पीएफसी में निदेशक (परियोजना) के पद पर कार्यरत थे और इस पद पर रहते हुए इनके पास व्यवसाय विकास और परिसंपत्ति गुणवत्ता क्षेत्र की जिम्मेदारी थी। इनके नेतृत्व में, पीएफ़सी ने नवीकरणीय ऊर्जा व्यवसाय और कमीशंड परिसंपत्तियों के पुनर्वित्तपोषण पर अपना ध्यान केंद्रित किया। इन्होंने सीमापारीय वित्तपोषण और नए बाजार क्षेत्रों में व्यापार विस्तार दोनों के साथ पीएफ़सी के व्यवसाय विविधीकरण प्रयासों में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की।

श्री ढिल्लों के पास थापर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से बी.ई. (इलेक्ट्रिकल) डिग्री एवं आईआईटी, दिल्ली से पावर सिस्टम्स में एम.टेक की डिग्री है।

31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार, श्री ढिल्लों के पास कंपनी के 27,050 इक्विटी शेयर थे।

प्रवीण कुमार सिंह

निदेशक (वाणिज्यिक) एवं
निदेशक (परियोजना) - अतिरिक्त प्रभार

डीआईएन: 03548218

58 वर्षीय श्री प्रवीण कुमार सिंह के पास आईआईटी-बीएचयू से बी. टेक. (इलेक्ट्रिकल) और आईआईटी, दिल्ली से ऊर्जा और पर्यावरण प्रबंधन में एम. टेक. की डिग्री हैं। इन्होंने ह्यूस्टन विश्वविद्यालय, यूएसए के बेयर कॉलेज ऑफ बिजनेस से ''वैश्विक ऊर्जा एमबीए कार्यक्रम'' भी पूरा किया है। निदेशक (वाणिज्यिक) का प्रभार ग्रहण करने से पहले श्री सिंह ने पीएफसी में ही कार्यपालक निदेशक (परियोजना) के रूप में कार्य किया है। इन्होंने पीएफसी के परियोजना प्रभाग की विभिन्न यूनिटों में 24 वर्षों से अधिक अवधि तक कार्य किया है। इससे पहले इन्होंने 9 वर्ष तक बीएचईएल और सीआईआई के लिए भी कार्य किया है। ये भारत सरकार की विभिन्न समितियों में पीएफसी का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं। श्री सिंह 18 जून, 2019 से आरईसी लिमिटेड के निदेशक मंडल में पीएफसी के नामिती निदेशक भी हैं। श्री सिंह के पास इनके वर्तमान पोर्टफोलियो के साथ दिनांक 1 जून, 2020 से निदेशक (परियोजना), पीएफ़सी का अतिरिक्त प्रभार भी है। श्री सिंह भारत सरकार की विभिन्न समितियों में पीएफसी का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं। ये पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड और यूएमपीपी के कार्यान्वयन के लिए बनाए गए एसपीवी के निदेशक मंडल में भी हैं। इन्होंने पीएफसी में आरटीआई के प्रयोजन से अपीलीय प्राधिकारी के रूप में भी कार्य किया है।

31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार श्री प्रवीण कुमार सिंह के पास कंपनी के 32,194 इक्विटी शेयर थे।

श्रीमती प्रमिन्द्र चोपड़ा

निदेशक (वित्त)

डीआईएन: 08530587

53 वर्षीय श्रीमती प्रमिन्द्र चोपड़ा के पास वाणिज्य में स्नातक डिग्री है और ये योग्य कॉस्ट एकाउंटेंट एवं एमबीए हैं। इन्होंने 1 जुलाई, 2020 को पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड में निदेशक (वित्त) का पदभार ग्रहण किया। इनके पास विद्युत क्षेत्र में 32 वर्षों से अधिक का अनुभव है, जिसमें नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एनएचपीसी) और पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (पीजीसीआईएल) जैसी महत्वपूर्ण विद्युत क्षेत्र संस्थाएं शामिल हैं। इन्होंने वर्ष 2005 में पीएफ़सी में अपना कार्यभार ग्रहण किया तथा निदेशक (वित्त), पीएफ़सी के रूप में नियुक्ति से पूर्व कार्यपालक निदेशक (वित्त) के रूप में कार्यरत थीं। इन्होंने घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों से संसाधन जुटाव, बैंकिंग एवं ट्रेजरी, परिसंपत्ति-देयता प्रबंधन, दबावग्रस्त परिसंपत्ति समाधान आदि कई वित्त पोर्टफोलियो को संभाला है।

31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार श्रीमती प्रमिन्द्र चोपड़ा के पास कंपनी के 2,000 इक्विटी शेयर थे।

श्री मृत्युंजय कुमार नारायण
सरकारी नामिती निदेशक
डीआईएन: 03426753

श्री मृत्युंजय कुमार नारायण, उत्तर प्रदेश कैडर के 1995 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी हैं और विद्युत मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर कार्यरत हैं। इन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (आईआईटी), कानपुर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बी.टेक एवं एम.टेक किया है। इन्होंने किंग्स कॉलेज, लंदन से लोक नीति एवं प्रबंधन में एम.एससी और लखनऊ विश्वविद्यालय से एलएलबी भी की है।

लगभग 25 वर्षों के कार्यकाल में, इनके पास उत्तर प्रदेश राज्य में विभिन्न पदों पर कार्य करने का अनुभव है। विद्युत मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में कार्यभार ग्रहण करने से पहले, ये दो वर्ष तीन महीने तक माननीय मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के सचिव रहे। इस पद से उन्हें राज्य में शासन का व्यापक अनुभव प्राप्त हुआ। इनके पास नीतियों को तैयार करने उनके कार्यान्वयन का भी व्यापक अनुभव है। ये दो वर्षों से अधिक समय तक वाणिज्यिक कर एवं मनोरंजन कर आयुक्त के पद पर रह चुके हैं और यह विभाग राज्य के कर राजस्व में 60% से अधिक का योगदान करता है। प्रशासन के विकास में, इन्होंने उत्तर प्रदेश राज्य में सब-डिवीज़नल मजिस्ट्रेट से मुख्य विकास अधिकारी से जिलाधिकारी से संभागीय आयुक्त तक लगभग सभी पदों पर कार्य किया है। इन्होंने लखनऊ सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसिज लिमिटेड एवं मेरठ सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसिज लिमिटेड के निदेशक मंडल में निदेशक के रूप में भी कार्य किया। ये आरईसी लिमिटेड एवं पीटीसी इंडिया लिमिटेड के निदेशक मंडल में सरकारी नामिती निदेशक भी हैं।

श्रीमती गौरी चौधरी
स्वतंत्र निदेशक
डीआईएन: 07970522

78 वर्षीय श्रीमती गौरी चौधरी 3 नवंबर, 2017 से पीएफसी के निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशक हैं। ये अंग्रेजी साहित्य में एम.ए. हैं और संगीत प्रभाकर (सितार) हैं।

ये एक सामाजिक कार्यकर्ता है और टेलीफोन सलाहकार बोर्ड (टीएसी) और फिल्म सेंसर बोर्ड की भी सदस्य रही हैं।

31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार श्रीमती गौरी चौधरी के पास कंपनी के शून्य शेयर थे।

श्री आर. सी. मिश्रा
स्वतंत्र निदेशक
डीआईएन: 02469982

श्री आर. सी. मिश्रा ने वर्ष 1977 में पंजाब नेशनल बैंक में प्रबंधन प्रशिक्षु (मैनेजमेंट ट्रेनी) के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। तत्पश्चात इन्होंने 1978 में भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) ज्वॉइन की। इनके पास इलाहाबाद विश्वविद्यालय से विज्ञान में परास्नातक (एम.एस.सी.) की डिग्री और एलजुब्लजाना विश्वविद्यालय, स्लोवेनिया से व्यवसाय प्रशासन में परास्नातक (एमबीए) की डिग्री है। अपने लगभग चार दशकों के लंबे कार्यकाल के दौरान इन्होंने विभिन्न सार्वजनिक उद्यमों/संस्थानों, मणिपुर की राज्य सरकार और भारत सरकार में कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है, जिनमें अपर सचिव, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार, कार्यपालक निदेशक, ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (प्रसार भारती), संयुक्त सचिव, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, सचिव (वित्त), मणिपुर सरकार, सचिव (विद्युत), मणिपुर सरकार, सचिव/निदेशक (उद्योग), मणिपुर सरकार, सचिव (शिक्षा), मणिपुर सरकार, सचिव (पर्यटन), मणिपुर सरकार इत्यादि पद शामिल हैं।

नवंबर, 2012 में अधिवर्षिता की आयु पूर्ण करने पर सेवानिवृत्ति से पहले उनका अंतिम कार्यकाल मुख्य भविष्य निधि आयुक्त और सीईओ, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन - राष्ट्रीय स्तर का एक सार्वजनिक निकाय - सचिव, भारत सरकार के ग्रेड और वेतनमान में, के रूप में रहा। भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) से सेवानिवृत्ति के बाद इन्होंने वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन औद्योगिक और वित्तीय पुनर्गठन के लिए अपीलीय प्राधिकरण (एआईएफआर) के सदस्य और कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया।

श्री मिश्रा को अकादमिक कार्यों, विशेष रूप से लोक नीति और सार्वजनिक सेवाओं की प्रदायगी में प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल में बड़ी रुचि है। इन्होंने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्यातिप्राप्त संगठनों के लिए विभिन्न रिपोर्टें/पेपर तैयार किए। इन्होंने संयुक्त राष्ट्र के पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) के साथ वरिष्ठ विज़िटिंग फैलो के रूप में कार्य किया। ये कई अंतरराष्ट्रीय निकायों में विभिन्न पदों पर कार्य करते हुए उनसे जुड़े रहे, जिनमें यूएनईपी, यूनेस्को और यूनीसेफ इत्यादि शामिल हैं।

31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार श्री आर. सी. मिश्रा के पास कंपनी के शून्य शेयर थे।

निदेशक मंडल की रिपोर्ट
वित्तीय वर्ष - 2019-2020

सेवा में,
सदस्यगण,
पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

आपकी कंपनी के निदेशक मंडल को 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए आपकी कंपनी के कार्य-निष्पादन पर अपनी 34वीं वार्षिक रिपोर्ट और लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणियां, लेखापरीक्षक की रिपोर्ट, सचिवालयी लेखापरीक्षक की रिपोर्ट और भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए अपार हर्ष हो रहा है।

1.0 वित्तीय और प्रचालनात्मक विशेषताएं

- वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान कुल प्राप्त आय 16% बढ़कर ₹33,371.06 करोड़।
- वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान निवल ब्याजगत आय 7% की वृद्धि के साथ ₹10,097.23 करोड़।
- वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान ₹5,655.14 करोड़ की निवल आय।
- वित्तीय वर्ष 2018-19 के शून्य लाभांश की तुलना में वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रति इक्विटी शेयर ₹9.50 लाभांश का भुगतान। वित्तीय वर्ष 2019-20 में लाभांश के रूप में ₹2,508.08 करोड़ का भुगतान किया गया, जो कर पश्चात लाभ का 44.35% है।
- वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान कुल व्यय ₹25,178.52 करोड़ रहा। इसमें वित्तीय लागत ₹21,853.19 करोड़ थी। यह वित्तीय वर्ष 2019-20 में कुल व्ययों का 86.79% बनता है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में कार्मिक हितलाभ व्यय और अन्य व्यय, जिसमें प्रशासनिक व्यय और अन्य व्यय शामिल हैं, ₹282.73 करोड़ (कुल व्यय का 1.12% और वित्तीय लागत का 1.29%) रहा। जबकि पिछले वर्ष यह ₹282.40 करोड़ (कुल व्यय का 1.49% और वित्तीय लागत का 1.49%) था।
- वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान राज्य, केंद्र, निजी और संयुक्त क्षेत्र की कंपनियों को ₹1,11,089 करोड़ के ऋण की संस्वीकृतियां। इसी अवधि में ₹67,997 करोड़ का संवितरण किया गया।
- वित्तीय वर्ष 2019-20 में सकल ऋण परिसंपत्तियां बही ₹3,44,905 करोड़ रही। वित्तीय वर्ष 2019-20 में बकाया ऋण ₹3,03,452 करोड़ रहा।
- वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान, पीएफसी ने राज्य के स्वामित्वाधीन कंपनियों के वितरण इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए जर्मन डेवलपमेंट बैंक केएफडब्ल्यू के साथ 200 मिलियन यूरो के ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किया।
- वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए निष्पादनीय ऋण परिसंपत्तियों की वसूली दर 98.70% है।
- वित्तीय वर्ष 2019-20 के अंत में चरण-III की ऋण परिसंपत्तियों के लिए 53%(₹14,748 करोड़) का प्रावधान। 31 मार्च, 2020 को निवल चरण III परिसंपत्तियां ₹13,123 करोड़ थीं, जो कुल सकल ऋण परिसंपत्तियों का 3.80% है। पिछले तीन वर्ष में यह सबसे कम निवल एनपीए स्तर है।
- 31 मार्च, 2020 को भारत सरकार की शेयरधारिता 55.99% थी।
- पीएफसी की मजबूत वित्तीय स्थिति ने आपकी कंपनी में निवेशकों, नियामकों और अन्य हितधारकों का भरोसा बढ़ाया है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए एमओयू हस्ताक्षर के अवसर पर विद्युत मंत्रालय एवं पीएफसी के उच्च अधिकारियों के साथ श्री आर. एस. ढिल्लों, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, पीएफसी, श्री संजीव नंदन सहाय, सचिव (विद्युत), भारत सरकार

2.0 वित्तीय कार्य-निष्पादन सिंहावलोकन

(क) लाभप्रदता

(₹ करोड़ में)

विवरण	एकल		समेकित	
	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19
कुल आय	**33,371.06**	**28,766.31**	**62,275.36**	**54,156.83**
कर पूर्व लाभ	8,192.54	9,815.79	14,092.67	17,862.03
कर व्यय	2,537.40	2,862.87	4,615.42	5,221.76
कर पश्चात लाभ	**5,655.14**	**6,952.92**	**9,477.25**	**12,640.27**
कंपनी के स्वामी	-	-	7,122.13	9,920.86
गैर-नियंत्रणकारी ब्याज	-	-	2,355.12	2,719.41
कुल व्यापक आय	**5,320.51**	**6,745.95**	**8,588.64**	**12,372.52**
कंपनी के स्वामी	-	-	6,495.85	9,681.81
गैर-नियंत्रणकारी ब्याज	-	-	2,092.79	2,690.71

(ख) आरक्षित और अधिशेष निधियां (रिजर्व और सरप्लस)

(₹ करोड़ में)

विवरण	एकल		समेकित	
	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19
अधिशेष निधियों का प्रारंभिक शेष	**6,202.53**	**3,848.43**	**9,029.56**	**6,887.10**
वर्ष के लिए कर पश्चात लाभ	5,655.14	6,952.92	7,122.13	9,920.86
परिभाषित हितलाभ योजनाओं का पुनर्मापन	(5.01)	(1.94)	(6.14)	(8.57)
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(VIIक) के अंतर्गत अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए रिजर्व में अंतरण,	(304.81)	(353.42)	(481.94)	(497.44)
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(VIII)के अंतर्गत सृजित विशेष रिजर्व में अंतरण	(1,350.13)	(1,577.91)	(2,151.40)	(2,274.58)
भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-1ग (1) के अंतर्गत सृजित विशेष रिजर्व में अंतरण	(1,131.02)	(1,390.58)	(1,645.79)	(1,997.46)
डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में अंतरण	-	(289.73)	(25.87)	(393.21)
सामान्य रिजर्व में अंतरण	-	(1,000.00)	-	(1,000.00)
ब्याज डिफरेंशियल रिजर्व केएफडबल्यू ऋण (निवल) में अंतरण	(1.40)	(2.10)	(1.40)	(2.10)
लाभांश	(2,508.08)	0.00	(2,508.08)	(1,325.29)
लाभांश वितरण कर	(264.79)	0.00	(514.99)	(299.35)
उपयोग के आधार पर डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व से अंतरण	-	2.30	-	2.30
ओसीआई इक्विटी उपकरण से अंतरण	(249.96)	14.56	(295.33)	14.56
अन्य व्यापक आय/(व्यय)	-	-	(0.20)	(0.11)
ओसीआई पर मापित इक्विटी उपकरण की बिक्री से लाभ-हानि का पुनर्वर्गीकरण	-	-	-	2.85
समान नियंत्रण व्यवसाय समन्वय के लिए ब्याज लेखांकन की पूलिंग	-	-	-	-
क्षतिग्रस्तता रिजर्व (इम्पेयरमेंट रिजर्व)	-	-	(417.55)	-
समायोजन	(0.07)	-	(22.82)	-
अधिशेष निधियों का अंतिम शेष	**6,042.40**	**6,202.53**	**8,080.18**	**9,029.56**

*कंपनी (पीएफसी) के स्वामियों पर आरोप्य

टिप्पणी: पिछले वर्ष के आंकड़ों को तुलनात्मक रूप देने के लिए, आवश्यकता पड़ने पर, पुनः समूहबद्ध/पुनः वर्गीकृत किया गया है।

3.0 प्रचालनात्मक कार्य-निष्पादन सिंहावलोकन

(क) परिसंपत्ति गुणवत्ता

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2019-20	वित्तीय वर्ष 2018-19
सकल ऋण परिसंपत्तियां	3,44,905	3,14,667
चरण III परिसंपत्तियां	27,872	29,540
चरण III परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान	14,749	15,208
सकल ऋण परिसंपत्तियों के % रूप में सकल चरण III (एनपीए)	8.08%	9.39%
सकल ऋण परिसंपत्तियों के % रूप में निवल चरण III (एनपीए)	3.80%	4.55%

(ख) संस्वीकृतियां/संवितरण (आर-एपीडीआरपी/आईपीडीएस को छोड़कर)

(₹ करोड़ में)

श्रेणी	वित्तीय वर्ष 2019-20		वित्तीय वर्ष 2018-19	
विवरण	संस्वीकृतियां	संवितरण	संस्वीकृतियां	संवितरण
राज्य क्षेत्र	84,395	55,848	71,971	58,734
केंद्रीय क्षेत्र	6,550	1,006	1,221	819
संयुक्त क्षेत्र	1,873	2,326	5,976	3,608
निजी क्षेत्र	18,270	8,817	16,063	4,516
कुल	**1,11,089**	**67,997**	**95,230**	**67,678**

4.0 ऋण राशियां

4.1 जमा राशियां

आपकी कंपनी एक गैर-जमा राशियां स्वीकार करने वाली एनबीएफसी है और इसलिए इसने वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान कोई सार्वजनिक जमा राशि स्वीकार नहीं की। वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान आपकी कंपनी ने कोई बेमियादी ऋण लिखत जारी नहीं की ।

4.2 घरेलू बाजार से ऋण

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान घरेलू बाजार से लिए गए प्रमुख ऋण निम्नानुसार हैं:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	स्रोत	राशि
1.	कमर्शियल पेपर (परिपक्वता मूल्य)	9,000.00
2.	बॉण्ड-प्राइवेट प्लेसमेंट	36,353.60
3.	रुपया सावधि ऋण	22,325.00
4.	54ईसी पूंजीगत लाभ कर छूट बॉण्ड	1,134.44
कुल		**68,813.04**

इसके अतिरिक्त, पर्याप्त नकदी यानी लिक्विडिटी बनाए रखने के लिए, विभिन्न अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा कंपनी को, बिना किसी प्रतिबद्धता शुल्क के, अल्पावधि वित्तपोषण के उद्देश्य से 31 मार्च, 2020 को ₹11,070 करोड़ के ऋण संस्वीकृत किए गए।

4.3 बाह्य ऋण

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान विदेशी मुद्रा मूल्यवर्ग में लिए गए प्रमुख ऋण निम्नानुसार हैं:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	स्रोत	राशि
1	जीएमटीएन प्रोग्राम के अंतर्गत बॉण्ड	17,537
2	सिंडिकेटिड ऋण	3,854
कुल		**21,391**

हरित बॉण्ड

पीएफसी ने अक्तूबर 2017 में जलवायु बॉण्ड पहल (सीबीआई), लंदन, यूके से यथानुमोदित अपना हरित बॉण्ड फ्रेमवर्क शुरू किया।

आपकी कंपनी ने अपना पहला यूएसडी ग्रीन बॉण्ड दिसंबर, 2017 में जारी किया और 3.75% के कूपन पर 400 मिलियन अमरीकी डॉलर की राशि जुटाई। ये बॉण्ड लंदन शेयर बाजार के नए अंतरराष्ट्रीय प्रतिभूति बाजार (आईएसएम) और सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं। शेयरधारकों के जलवायु बॉण्ड प्रमाणन के लिए समझौते के अंतर्गत यथापेक्षित, सामान्य वार्षिक अपडेट इस प्रकार है

ग्रीन बॉण्ड के अंतर्गत जुटाई गई राशि का उपयोग पीएफसी ग्रीन बॉण्ड फ्रेमवर्क के अंतर्गत पात्र परियोजनाओं के रूप में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए किया गया। 31 मार्च, 2020 तक पीएफसी से वित्तपोषित सौर और पवन ऊर्जा परियोजनाओं का बकाया ऋण शेष क्रमशः ₹10,552 करोड़ और ₹7,864 करोड़ था। इसके अनुसार पीएफसी का ग्रीन बॉण्ड पोर्टफोलियो, हरित बॉण्ड के अंतर्गत बकाया ऋण से अधिक है।

श्री अर्जुन राम मेघवाल, माननीय राज्य मंत्री (भारी उद्योग एवं लोक उद्यम), भारत सरकार से ''सुदृढ़ विकास'' की श्रेणी में ''गवर्नेंस नाउ पीएसयू अवॉर्ड'' प्राप्त करते हुए श्री पी. के. सिंह, निदेशक (वाणिज्यिक) के साथ श्री आर. एस. ढिल्लों, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

नई दिल्ली में आयोजित पीएफ़सी की 34वीं एजीएम में श्री विशाल कपूर, निदेशक, विद्युत मंत्रालय, श्री पी. के. सिंह, निदेशक (वाणिज्यिक), पीएफ़सी एवं श्रीमती प्रमिन्द्र चोपड़ा, निदेशक (वित्त), पीएफ़सी के साथ श्री आर. एस. ढिल्लों, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, पीएफ़सी

5.0 ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी आमेलन और विदेशी विनिमय अर्जन तथा बहिर्गमन से संबंधित विवरण

5.1 ऊर्जा संरक्षण/प्रौद्योगिकी आमेलन

ऊर्जा संरक्षण और प्रौद्योगिकी आमेलन से संबंधित कोई महत्वपूर्ण विवरण नहीं है क्योंकि आपकी कंपनी के पास अपनी कोई विनिर्माण सुविधा नहीं है।

5.2 विदेशी मुद्रा विनिमय अर्जन और बहिर्गमन

ऋण चुकौती, वित्तीय और अन्य प्रभारों, यात्रा और प्रशिक्षण व्यय के मद में ₹6,422.4 करोड़ के विदेशी विनिमय का व्यय हुआ।

वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए विदेशी विनिमय अर्जन शून्य था।

6.0 क्रेडिट रेटिंग

- वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान दीर्घावधि और अल्पावधि दोनों में कंपनी के घरेलू ऋण कार्यक्रम (बैंक ऋण सहित) की रेटिंग सर्वोच्च बनी रही।
- **क्रिसिल, आईसीआरए और सीएआरई द्वारा दी गई घरेलू रेटिंग**
  - दीर्घावधि घरेलू ऋण कार्यक्रम रेटिंग-क्रिसिल एएए, आईसीआरए एएए और सीएआरई एएए
  - अल्पावधि घरेलू ऋण कार्यक्रम रेटिंग-क्रिसिल ए1+, आईसीआरए ए1+ और सीएआरई ए1+
- **अंतरराष्ट्रीय रेटिंग**

  कंपनी की अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग, अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज और फिच द्वारा क्रमशः प्रदत्त बीएए3 और बीबीबी- पर बनी हुई है।

7.0 जोखिम प्रबंधन

7.1 परिसंपत्ति देयता प्रबंधन

आपकी कंपनी ने चलनिधि (लिक्विडिटी) और ब्याज दर जोखिम के प्रबंधन के लिए रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार तैयार परिसंपत्ति देयता प्रबंधन नीति के अनुसार एक प्रभावी परिसंपत्ति देयता प्रबंधन प्रणाली लागू की है। चलनिधि जोखिम का मापन और मॉनीटरिंग नकदी प्रवाह के माध्यम से तथा ब्याज दर जोखिम की मॉनीटरिंग पारंपरिक अंतराल विश्लेषण तकनीक के माध्यम से की जाती है, जैसा कि रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों में विस्तार से दिया गया है। यह विश्लेषण विभिन्न समयावधि (बकेट) में किया जाता है और इसका उपयोग ऋणों के समय, मात्रा और परिपक्वता तथा समयावधि (अल्प, मध्यम, दीर्घ) और फिक्स्ड और फ्लोटिंग ब्याज दर के आधार पर परिसंपति और देयताओं के मिलान संबंधी महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए किया जाता है। परिसंपत्ति देयता परिपक्वता पैटर्न का विवरण, इस वार्षिक रिपोर्ट में शामिल एकल वित्तीय विवरणों की लेखांकन टिप्पणियों की टिप्पणी संख्या 47 में दिया गया है।

7.2 विदेशी मुद्रा जोखिम प्रबंधन

विदेशी मुद्रा ऋणों से संबंधित जोखिम के प्रबंधन के लिए आपकी कंपनी ने मुद्रा जोखिम प्रबंधन नीति-सीआरएम लागू की है। कंपनी ने आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार विनिमय दर और ब्याज दर जोखिम को कवर करने के लिए विभिन्न लिखतों के माध्यम से ऑप्शन, फॉरवर्ड और स्वैप जैसे कई हेजिंग लेन-देन किए हैं।

31 मार्च, 2020 तक, कुल विदेशी मुद्रा देयताएं 5,711 मिलियन यूएसडी, 65,448 मिलियन जेपीवाई और 11 मिलियन ईयूआर हैं जिसमें 2,050 मिलियन यूएसडी और 14,567 मिलियन जेपीवाई हेज्ड हैं। 5 वर्ष तक की अवशिष्ट परिपक्वता के शेष विदेशी मुद्रा पोर्टफोलियो का 66% हेज कर लिया गया है।

7.3 एकीकृत उद्यम व्यापी जोखिम प्रबंधन

कंपनी के समक्ष संभावित जोखिम के प्रबंधन के लिए एकीकृत उद्यम व्यापी जोखिम प्रबंघन नीति (आईआरएम नीति) लागू की गई है। इस नीति के कार्यान्वयन के लिए आपकी कंपनी ने निदेशकों की जोखिम प्रबंधन अनुपालन समिति गठित की है। आईआरएम नीति के अंतर्गत कंपनी को उन मुख्य जोखिमों की पहचान करनी होती है जिसका असर कंपनी के लाभ/राजस्व पर पड़ सकता है। इस संदर्भ में कंपनी ने 11 महत्वपूर्ण जोखिम पैरामीटरों की पहचान की है, जिनके उभरने की आशंका कंपनी के व्यवसाय मॉडल और वित्तीय लिखतों में संभव हो सकती है। इन जोखिम पैरामीटरों में प्रचालनात्मक बड़े जोखिम, वित्तीय जोखिम, बाजार जोखिम, नियामक जोखिम इत्यादि आते हैं। निर्धारित जोखिम आकलन कसौटी पर इनका नियमित आकलन होता है।

8.0 पीएफसी और सरकार की भागीदारी

8.1 स्वतंत्र पारेषण परियोजनाएं (आईटीपी)

विद्युत मंत्रालय ने निजी क्षेत्र की भागीदारी से पारेषण प्रणाली के विकास और सुदृढ़ीकरण के लिए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्द्धी बोली प्रक्रिया शुरू की है।

इस पहल का उद्देश्य भारत में पारेषण क्षमता विकसित करना है और ऐसी परियोजनाओं को आरंभिक सर्वेक्षण कार्य, माध्यमों की पहचान, सर्वेक्षण रिपोर्ट की तैयारी, सब-स्टेशनों के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया की शुरूआत और यदि आवश्यक हो तो वन संरक्षण मंजूरी प्रक्रिया की शुरूआत तक विकसित कर संभावित निवेशकों को आकर्षित करना है।

31 मार्च, 2020 तक आईटीपी के लिए 32 विशेष प्रयोजनीय वाहनों (एसपीवी) 2 पीएफसी द्वारा और 30 पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड (पूर्ण स्वामित्वाधीन सहायक कंपनी) द्वारा की स्थापना की गई। इसके अतिरिक्त मई 2020 में पीएफसीसीएल ने पारेषण योजनाओं के विकास के लिए 5 नए विशेष प्रयोजनीय वाहन निगमित किए हैं। कुल 37 एसपीवी में से 23 एसपीवी सफल बोलीदाताओं को हस्तांतरित

कर दिए गए और 8 एसपीवी के लिए बोली प्रक्रिया चल रही है। विद्युत मंत्रालय द्वारा योजनाओं के डिनोटिफिकेशन के बाद 3 एसपीवी बंद कर दिए गए और अन्य 3 एसपीवी बंद होने की प्रक्रिया में है।

8.2 अल्ट्रा मेगा पावर परियोजनाएं (यूएमपीपीएस)

सुपर क्रिटिकल प्रौद्योगिकी को अपनाते हुए लगभग 4,000 मेगावाट क्षमता वाली अल्ट्रा मेगा पावर परियोजनाओं का विकास विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार की पहल है जिसके लिए मंत्रालय ने आपकी कंपनी को नोडल एजेंसी और केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) को तकनीकी भागीदार के रूप में नामित किया है।

बोली प्रक्रिया के संचालन के लिए आवश्यक समुचित नियामक और भूमि, जल, कोयला ब्लॉक, पर्यावरण संबंधी मंजूरी के लिए पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड (पीएफसी की पूर्ण स्वामित्वाधीन सहायक कंपनी) विद्युत मंत्रालय और सीईए के साथ मिलकर आवश्यक आरंभिक साइट जांच और भूमि अधिग्रहण तथा स्थल अध्ययन गतिविधियां संचालित करती है। सफल बोलीदाता से इन परियोजनाओं के विकास और कार्यान्वयन की अपेक्षा की जाती है।

आपकी कंपनी ने यूएमपीपी के लिए कुल 19 पूर्ण स्वामित्वाधीन विशेष प्रयोजनीय वाहन स्थापित किए हैं। इनमें से 4 यूएमपीपी सफल बोलीदाताओं को हस्तांतरित कर दी गई हैं और विद्युत मंत्रालय तथा संबंधित राज्य सरकारों के निर्देश पर पीएफसी/पीएफसीएल 4 यूएमपीपी को बंद करने की प्रक्रिया में है।

विद्युत मंत्रालय मानक बोली दस्तावेज (एसबीडी) को संशोधित कर रहा है और ओड़िशा यूएमपीपी की बोली प्रक्रिया मंत्रालय से संशोधित एसबीडी की अधिसूचना जारी होने के बाद शुरू हो जाएगी। शेष अन्य यूएमपीपी का विकास कार्य चल रहा है।

8.3 एकीकृत विद्युत विकास योजना

(पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास और सुधार कार्यक्रम (आर-एपीडीआरपी) सहित)

श्री आर. के. सिंह, माननीय विद्युत एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री, श्री आर. एस. ढिल्लों, सीएमडी, पीएफसी और विद्युत मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी आईपीडीएस कैलेंडर 2020 का अनावरण करते हुए। इस कैलेंडर को भारत के 12 राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों को कवर करते हुए आईपीडीएस से संबंधित चित्रों के आधार पर तैयार किया गया है।

(क) शहरी क्षेत्रों में विद्युत वितरण क्षेत्र के सुदृढ़ीकरण तथा डिस्कॉम/विद्युत विभागों के संसाधन बढ़ाने के उद्देश्य से उप-पारेषण और वितरण नेटवर्क तथा मीटरिंग के अंतराल को पाटने के पूंजी व्यय पर वित्तीय सहायता के लिए, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने 03 दिसंबर, 2014 को एकीकृत विद्युत विकास योजना लागू की। इस योजना को 3 प्रमुख शीर्षों में संस्वीकृत किया गया है-

(i) नए सब स्टेशनों, नई लाइनों, पुरानी लाइन/केबल हटाने, एरियल बंच्ड और भूमिगत केबलिंग, मीटरिंग इत्यादि के साथ शहरी क्षेत्रों में उप-पारेषण और वितरण नेटवर्क सुदृढ़ करना।

(ii) छोटे शहरों के लिए आईटी समर्थता और ईआरपी जैसी आईटी आधारित प्रौद्योगिकी।

(iii) गैस इन्सुलेटिड सब स्टेशन (जीआईसी) और वास्तविक समय डेटा अधिग्रहण प्रणाली (आरटी-डीएएस) परियोजना जैसी नई प्रौद्योगिकी।

पूर्ववर्ती आर-एपीडीआरपी योजना आईपीडीएस स्कीम में शामिल है।

योजना का अनुमानित परिव्यय ₹32,612 करोड़ है इसमें पूरी कार्यान्वयन अवधि के दौरान भारत सरकार की ₹25,354 करोड़ की बजट सहायता शामिल है।

₹32,612 करोड़ के परिव्यय के अलावा, सीसीईए से पहले ही अनुमोदित ₹44,011 करोड़ (₹22,727 करोड़ की बजटीय सहायता सहित) की आर-एपीडीआरपी योजना लागत को भी आईपीडीएस की योजना के लिए आगे ले जाया गया है।

(ख) अन्य विकास कार्य

- योजना के अंतर्गत आईटी और तकनीकी इंटरवेंशन से बिलिंग/वसूली दक्षता में सुधार लाने में मदद मिल रही है। इससे कुल तकनीकी और वाणिज्यिक (एटी एंड सी) हानि में कमी आएगी। अनेक आर-एपीडीआरपी कस्बों में प्रशासनिक और अन्य उपायों के साथ आईटी प्रणाली और पार्ट-बी पूरा हो जाने के साथ एटी एंड सी हानि में कमी नजर भी आ रही है।
- नेशनल पावर पोर्टल के अंतर्गत शहरी वितरण मॉनीटरिंग प्रणाली पर आईटी समर्थ कस्बों में 37,000+11 केवी शहरी फीडर से डाटा संग्रह में पारदर्शिता भी बढ़ी है।
- इन पहलों से डिजिटल अर्थव्यवस्था को गति मिली है। यह इस बात से स्पष्ट है कि आईपीडीएस वेबसाइट पर संग्रहीत डाटा के अनुसार आईटी समर्थ कस्बों मे 50% से अधिक राजस्व का संग्रहण डिजिटल माध्यम से हुआ।

- बिहार, कर्नाटक, उत्तरप्रदेश और पूर्वोत्तर राज्यों में पहली बार गैस इन्सुलेटिड सब-स्टेशन(जीआईएस) कमीशन किए गए।
- पूरे भारत में अब बिजली संबंधी शिकायतों के लिए 1912 लघु कोड काम कर रहा है।
- आईपीडीएस - आरएपीडीआरपी के अंतर्गत विद्युत संस्थाओं के कार्मिकों का कौशल बढ़ाने के लिए क्षमता निर्माण/प्रशिक्षण भी चलाया जा रहा है। पीएफसी/विद्युत मंत्रालय सूचना के प्रसार के लिए परियोजना प्रबंधन, दिशा-निर्देश, सर्वोत्तम कार्यपद्धतियों आदि विषयों पर कार्यशालाओं का आयोजन भी करता है।

(ग) आईपीडीएस (आर-एपीडीआरपी योजना सहित) के अंतर्गत संस्वीकृतियों/संवितरण का ब्योरा

(₹ करोड़ में)

योजना	वित्तीय वर्ष 2019-20		मार्च 2020 तक संचयी	
	संस्वीकृत परियोजना लागत	संवितरण*	संस्वीकृत परियोजना लागत	संवितरण*
आर-एपीडीआरपी	(613)	877	34,714	12,894
भाग क (आईटी)	(432)	31	4,724	4,071
भाग क (एससीएडीए)	(45)	55	1,206	694
भाग ख	(136)	791	28,784	8,129
आईपीडीएस	-	**4,600**	**32,059**	**12,451**

टिप्पणी: 2019-20 में नकारात्मक संस्वीकृति आर-एपीडीआरपी परियोजनाओं को अंतिम रूप से बंद किए जाने पर लागत में कमी दर्शाती है। इसके अतिरिक्त, ₹578 करोड़ की राशि (संचयी) जे एंड के पीएमडीपी के अंतर्गत निर्मोचित की गई है।

*इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान, विद्युत मंत्रालय द्वारा आईपीडीएस के अंतर्गत 0.5% की सहायता/समर्थकारी गतिविधि के अंतर्गत वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए ₹27 करोड़, पीएफसी के आर-एपीडीआरपी के वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति सहित पार्ट-सी के अंतर्गत ₹56 करोड़ रुपए निर्मोचित किए गए। संचयी रूप से, विद्युत मंत्रालय ने आईपीडीएस के अंतर्गत नोडल एजेंसी शुल्क/समर्थकारी गतिविधि के लिए ₹193 करोड़ और आर-एपीडीआरपी के पार्ट-सी के अंतर्गत ₹528 करोड़ निर्मोचित किए।

श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, माननीय जल शक्ति मंत्री, जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग, भारत सरकार, द्वारा 'स्वच्छ भारत अवॉर्ड 2019' प्राप्त करते हुए श्री पी. के. सिंह, निदेशक (वाणिज्यिक)

9.0 सुधार और पुनर्गठन संबंधी पहलें

विद्युत कंपनियों का श्रेणीकरण

निधीयन के प्रयोजन से, आपकी कंपनी राज्य विद्युत उत्पादन और पारेषण कंपनियों को ए++, ए+, ए, बी और सी श्रेणियों में वर्गीकृत करती है। राज्य विद्युत उत्पादन कंपनियों का यह श्रेणीकरण (अर्द्धवार्षिक रूप से) पीएफसी की श्रेणीकरण नीति के अनुसार विशिष्ट पैरामीटरों की कसौटी पर कंपनी की नियामक परिवेश, लेखापरीक्षित लेखाओं के उत्पादन सहित प्रचालनात्मक और वित्तीय कार्य-निष्पादन के आकलन पर होता है।

राज्य विद्युत वितरण कंपनियों (एकीकृत प्रचालन की एसईबी/कंपनियों सहित) के संदर्भ में आपकी कंपनी की श्रेणीकरण नीति में, रेटिंग/ग्रेडिंग को पीएफसी की मानक श्रेणियों ए+, ए, बी और सी से जोड़कर विद्युत मंत्रालय की एकीकृत रेटिंग अपनाने का प्रावधान किया गया है।

यह वर्गीकरण पीएफसी को राज्य विद्युत कंपनियों के लिए क्रेडिट एक्सपोजर सीमा, ऋण के मूल्य निर्धारण और सुरक्षा नियम तय करने में सक्षम बनाती है।

राज्य विद्युत कंपनियों के कार्य-निष्पादन पर वार्षिक रिपोर्ट

पीएफसी, वार्षिक आधार पर राज्य विद्युत कंपनियों (एसपीयू) के कार्य-निष्पादन की रिपोर्ट प्रकाशित करता है। वर्ष 2015-16 से 2017-18 की रिपोर्ट विद्युत मंत्रालय को सौंप दी गई है और पीएफसी की वेबसाइट पर है। वर्ष 2016-17 से 2018-19 की रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा है। रिपोर्ट, विद्युत क्षेत्र की व्यापक जानकारी उपलब्ध कराती है तथा प्रमुख वित्तीय और प्रचालनात्मक पैरामीटरों पर राज्य विद्युत कंपनियों के कामकाज का व्यापक अध्ययन करती है। इसमें कार्य-निष्पादन के प्रमुख पैरामीटरों में लाभप्रदता, औसत आपूर्ति लागत और औसत वसूली (₹/kwh), निवल मूल्य, प्राप्य राशियां, देय राशियां, क्षमता (मेगावाट), उत्पादन (Mkwh), एटी एंड सी हानि (%) तथा कंपनी, राज्य, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर क्षेत्र में खपत के पैटर्न का विश्लेषण शामिल है।

10.0 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के अंतर्गत ऋण, गारंटी या निवेश का विवरण

आपकी कंपनी को, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के प्रावधानों से छूट प्राप्त है। तथापि, निवेश का विवरण इस वार्षिक रिपोर्ट में शामिल एकल वित्तीय विवरणी की लेखा टिप्पणियों की टिप्पणी संख्या 11 में दिया गया है।

11.0 सहायक कंपनियां

11.1 आरईसी लिमिटेड

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान पीएफसी ने आरईसी के 103,93,99,343 इक्विटी शेयर (आरईसी की शेयर पूंजी का 52.63%) का अधिग्रहण किया और आरईसी की धारक कंपनी तथा प्रमोटर बन गई है। इसके परिणामस्वरूप, 31 मार्च, 2020 को आरईसी की निम्नलिखित सहायक कंपनियां भी पीएफसी की सहायक कंपनियां बन गईं।

(i) आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड
(ii) आरईसी पावर डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी लिमिटेड
(iii) कोडरमा ट्रांसमिशन लिमिटेड
(iv) मंदार ट्रांसमिशन लिमिटेड
(v) डिनचेंग ट्रांसमिशन लिमिटेड
(vi) चांडिल ट्रांसमिशन लिमिटेड
(vii) दुमका ट्रांसमिशन लिमिटेड

आरईसी एक महत्वपूर्ण (गैर-जमा राशि स्वीकार करने वाली या धारक) गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) है जो भारतीय रिजर्व बैंक से एक इंफ्रास्ट्रक्चर वित्तीय कंपनी के रूप में पंजीकृत है। इसकी व्यावसायिक गतिविधि विद्युत क्षेत्र की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला में-चाहे उत्पादन हो, पारेषण हो या वितरण, परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। आरईसी राज्य बिजली बोर्डों, राज्य सरकारों, केंद्रीय/राज्य विद्युत कंपनियों, स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों, ग्रामीण विद्युत सहकारी और निजी क्षेत्र की कंपनियों को भी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है।

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान, आरईसी की कुल आय ₹29,885 करोड़ थी और इस दौरान आरईसी का निवल लाभ ₹4,886 करोड़ था।

कंपनी के प्रचालनात्मक और वित्तीय कार्य-निष्पादन के बारे में और ब्यौरा इसकी वेबसाइट www.recindia.nic.in पर उपलब्ध है।

11.2 पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड

- आपकी कंपनी पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड के माध्यम से विद्युत क्षेत्र को परामर्शी सेवा उपलब्ध करा रही है। पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड इसके पूर्ण स्वामित्वाधीन सहायक कंपनी है, जो 25 मार्च, 2008 को शामिल की गई थी। इसका दायित्व विद्युत क्षेत्र को बढ़ावा देना, संगठित करना और परामर्शी सेवा उपलब्ध कराना है। यह यूएमपीपी के विकास से संबंधित कार्य भी करती है। पीएफसीसीएल को स्वतंत्र पारेषण परियोजनाओं के डेवलपर के चयन के लिए विद्युत मंत्रालय द्वारा 'बोली प्रक्रिया समन्वयक' के रूप में नामित किया गया है।

  पीएफसीसीएल निम्नलिखित क्षेत्रों में सेवाएं उपलब्ध कराती है।

- विद्युत अधिनियम, 2003 के क्रियान्वयन से सामने आने वाले मुद्दों जैसे सुधार, पुनर्गठन, नियामक पहलू इत्यादि पर सलाह देना।
- विद्युत क्षेत्र के विभिन्न खंडो के लिए विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली सहित बोली प्रक्रिया का प्रबंधन।
- परियोजना गठन/ योजना/ विकास/ विशेष अध्ययन, कार्यान्वयन मॉनीटरिंग, दक्षता सुधार परियोजनाएं।
- मानव संसाधन प्रबंधन योजनाएं।
- संगठन कार्य-निष्पादन सुधार योजनाएं।
- कोयला ब्लॉक विकास।
- ''अपशिष्ट से ऊर्जा'' परियोजनाएं सहित, नवीकरणीय और गैर-परंपरागत ऊर्जा परियोजना विकास, अपशिष्ट से ऊर्जा परियोजनाएं सहित।
- आईपीडीएस और डीडीयूजीजेवाई योजनाओं के अंतर्गत परियोजना प्रबंधन गतिविधियां।
- विस्तृत परियोजना रिपोर्ट और स्मार्ट ग्रिड के लिए कार्यान्वयन एजेंसी का चयन।
- डीईईपी पोर्टल के अंतर्गत विद्युत (अल्पावधि, मध्यावधि और पायलट परियोजनाओं के लिए) विद्युत खरीद के लिए बोली।
- जीआईएस और स्मार्ट मीटरिंग।
- आईटी समर्थ ईआरपी और आरटी-डीएएस।

दिल्ली 'पिंकाथोन' के 7वें संस्करण में श्री आर. एस. ढिल्लों, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, पीएफसी

पीएफसीसीएल ने अब तक 25 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 72 ग्राहकों को परामर्शी सेवा उपलब्ध कराई है। अब तक पूरे किए गए कुल कार्यों की संख्या 138 है।

इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान, पीएफसीसीएल की कुल आय ₹118.07 करोड़ थी, जबकि पिछले वर्ष 2018-19 में यह ₹70.17 करोड़ थी। 31 मार्च, 2020 को पीएफसीसीएल की नेटवर्थ ₹60.07 करोड़ थी जबकि 31 मार्च, 2019 को यह ₹91.74 करोड़ थी। पीएफसीसीएल द्वारा अर्जित निवल लाभ पिछले वित्तीय वर्ष के ₹22.00 करोड़ की तुलना में वित्तीय वर्ष 2019-20 में ₹58.15 करोड़ था।

इसके अतिरिक्त, आपकी कंपनी को विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा, अल्ट्रा मेगा पावर परियोजनाओं के विकास के लिए 'नोडल एजेंसी' बनाया गया है और इसके पूर्ण स्वामित्वाधीन वाली सहायक कंपनी पीएफसीसीएल, स्वतंत्र पारेषण परियोजनाओ के लिए 'बोली प्रक्रिया समन्वयक' है। उक्त उद्देश्य के लिए 31 मार्च, 2020 तक कंपनी की सहायक/डीम्ड सहायक कंपनी के रूप में निम्नलिखित विशेष प्रयोजनीय वाहन (एसपीवी) शामिल किए गए हैं।

(i) छत्तीसगढ़ सरगुजा पावर लिमिटेड (पहले अकलतारा पावर लिमिटेड)

(ii) कोस्टल कर्नाटक पावर लिमिटेड

(iii) कोस्टल महाराष्ट्र मेगा पावर लिमिटेड

(iv) कोस्टल तमिलनाडु पावर लिमिटेड

(v) ओडिसा इंटीग्रेटिड पावर लिमिटेड

(vi) साखीगोपाल इंटीग्रेटिड पावर कंपनी लिमिटेड

(vii) घोगरपल्ली इंटीग्रेटिड पावर कंपनी लिमिटेड

(viii) तातिया आंध्रा मेगा पावर लिमिटेड

(ix) देवघर मेगा पावर लिमिटेड

(x) चेय्यूर इंफ्रा लिमिटेड

(xi) ओड़िशा इंफ्रापावर लिमिटेड

(xii) देवघर इंफ्रा लिमिटेड

(xiii) बिहार इंफ्रापावर लिमिटेड

(xiv) बिहार मेगा पावर लिमिटेड

(xv) झारखंड इंफ्रापावर लिमिटेड

(xvi) टांडा ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड*

(xvii) बिजावार विदर्भ ट्रांसमिशन लिमिटेड*

(xviii) शोंगटाँग करचम वांगटू ट्रांसमिशन लिमिटेड*

(xix) वापी II नॉर्थ लखीमपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड*

(xx) कोप्पल-नरेंद्र ट्रांसमिशन लिमिटेड*

(xxi) करूर ट्रांसमिशन लिमिटेड*

*पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड के पूर्ण स्वामित्वाधीन सहायक कंपनी

11.3 कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय की दिनांक 30 जून, 2020 के नोटिस द्वारा पूर्ण स्वामित्वाधीन सहायक कंपनी पावर इक्विटी कैपिटल एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड (पीईसीएपी) को भंग कर दिया गया है और कंपनी का नाम कंपनी पंजीयक के रिकॉर्ड से हटा दिया गया।

12.0 संयुक्त उद्यम, सहयोगी कंपनी और अन्य प्रमुख निवेश (31 मार्च, 2020 तक)

12.1 एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसिज लिमिटेड

एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसिज लिमिटेड (ईईएसएल), 10 दिसंबर, 2009 को शामिल की गई। भारत में और विदेश में ऊर्जा दक्ष परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए इसे संयुक्त रूप से पावरग्रिड, एनटीपीसी, आरईसी और पीएफसी द्वारा, प्रत्येक की 25% इक्विटी हिस्सेदारी के साथ, प्रमोट किया गया।

31 मार्च, 2020 को, कंपनी की अपनी सहायक कंपनी आरईसी के साथ ईईएसएल की इक्विटी शेयर पूंजी में 47.15% की हिस्सेदारी (24.97% सीधे और 22.18% अपनी सहायक कंपनी आरईसी के माध्यम से) थी।

वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए ईईसीएल के अनंतिम वित्तीय आंकड़ो के आधार पर इसका टर्नओवर इस वर्ष के लिए ₹1,934.07 करोड़ (एकल) था। वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए कर पूर्व और कर पश्चात लाभ क्रमश: ₹27.22 करोड़ और ₹44.92 करोड़ था।

12.2 पीटीसी इंडिया लिमिटेड

पीटीसी इंडिया लिमिटेड को संयुक्त रूप से पावर ग्रिड, एनटीपीसी, एनएचपीसी और पीएफसी द्वारा प्रमोट किया गया। पीएफसी ने पीटीसी में ₹12 करोड़ निवेश किया, जो पीटीसी की कुल इक्विटी का 4.05% है। पीटीसी भारत में पावर ट्रेडिंग समाधान, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई सार्वजनिक-निजी भागीदारी, उपलब्ध कराने वाली एक अग्रणी कंपनी है। इसका प्राथमिक उद्देश्य देश में वाणिज्यिक रूप से सक्रिय विद्युत बाजार विकसित करना है।

12.3 पीएफसी ने पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड (पीएक्सआईएल) में निवेश किया। पीएक्सआईएल के इक्विटी शेयर में पीएफसी का निवेश 31 मार्च, 2020 को ₹3.22 करोड़ था। पीएक्सआईएल का निवल मूल्य क्षय के बाद पीएफसी ने ₹3.22 करोड़ के कुल निवेश की राशि को निवेश मूल्य में घटाने का प्रावधान उपलब्ध कराया है।

पीएफ़सी द्वारा समर्थित आशा स्कूल में 5केडबल्यूपी क्षमता के स्टैंड-अलोन सोलर रूफ टॉप सिस्टम के उद्घाटन पर लेफ्टिनेंट जनरल आर. के. आनंद एवं श्री पी. के. सिंह, निदेशक (वाणिज्यिक) के साथ श्री आर. एस. ढिल्लों, सीएमडी, पीएफसी

13.0 भारत सरकार के साथ समझौता-ज्ञापन

केवल वित्तीय वर्ष 2004-05 को छोड़कर आपकी कंपनी को वित्तीय वर्ष 1993-94 से ही भारत सरकार द्वारा लगातार 'उत्कृष्ट रेटिंग' प्रदान की गई है। वित्तीय वर्ष 2019-20 की रेटिंग अभी दी जानी है।

14.0 राष्ट्रपति जी के निर्देश

पिछले 3 वर्ष के दौरान लोक उद्यम विभाग (डीपीई) के दिनांक 03 अगस्त 2017 के कार्यालय ज्ञापन और दिनांक 04 अगस्त, 2017 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसरण में निदेशक मंडल स्तर से नीचे के वाले कार्यपालकों के लिए दिनांक 01 जनवरी, 2017 से वेतनमान संशोधन करने के लिए विद्युत मंत्रालय ने दिनांक 10 मई, 2018 के पत्र द्वारा राष्ट्रपति जी के निदेश जारी किए। राष्ट्रपति के निर्देश के अनुरूप निदेशक मंडल स्तर और निदेशक मंडल स्तर से नीचे के कार्यपालकों का वेतनमान तथा लाभ और भत्ते इत्यादि 1 जनवरी, 2017 से संशोधित कर दिए गए हैं।

15.0 निगमित सामाजिक दायित्व

आपकी कंपनी की निगमित सामाजिक दायित्व और संधारणीयता नीति (सीएसआर और संधारणीयता नीति) का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कंपनी सामाजिक रूप से एक उत्तरदायी निगमित कंपनी बने जो सतत विकास, मुख्य रूप से समाज की विद्युत और ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने पर ध्यान देकर लोगों के जीवन में गुणवत्तापूर्ण सुधार लाने के लिए प्रतिबद्ध हो।

पीएफसी ने अपनी निगमित सामाजिक दायित्व और संधारणीयता नीति पूरी ईमानदारी और निष्ठा से लागू की है। सीएसआर संबंधी गतिविधियों के पर्यवेक्षण के लिए पीएफसी ने एक स्वतंत्र निदेशक की अध्यक्षता में निदेशकों की बोर्ड स्तर की सीएसआर एवं एसडी समिति गठित की है। वर्ष के दौरान पीएफसी ने पर्यावरण, कौशल विकास, स्वच्छता, स्वास्थ्य देखभाल और दिव्यांगजनों की मदद के लिए व्यापक गतिविधियां संचालित की हैं। डीपीई के अधिदेश के अनुसार पीएफसी ने आकांक्षी जिलों को प्राथमिकता देते हुए स्कूली शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल जैसे क्षेत्रों में भी योगदान किया है।

वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए, निदेशक मंडल ने ₹135.86 करोड़ का सीएसआर बजट अनुमोदित किया है।

किसी एक वर्ष के दौरान, संस्वीकृत परियोजनाएं आगामी वर्षों में पूरी की जाती हैं। परियोजना को पूरा करने के लिए निर्धारित विभिन्न चरणों के लक्ष्यों के आधार पर भुगतान किया जाता है। डीपीई के दिशानिर्देशों के अनुसार, सीएसआर बजट वित्तीय वर्ष के साथ समाप्त नहीं होता और खर्च न की गई राशि को उस प्रयोजन में उपयोग के लिए अगले वर्ष में आगे ले जया जाता है, जिसके लिए वह आवंटित की गई थी।

तदनुसार, वित्तीय वर्ष में कुल ₹314.74 करोड़ (₹135.86 करोड़ वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए और ₹178.88 करोड़ पिछले वर्ष से अग्रेनीत) व्यय किया जाना है, जिसमें से वित्तीय वर्ष 2019-20 में ₹97.15 करोड़ का व्यय किया जा चुका है।

कंपनी (सीएसआर नीति), नियमावली के अंतर्गत निगमित सामाजिक दायित्व रिपोर्ट वार्षिक रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

16.0 मानव संसाधन विकास संबंधी पहलें

विकास और प्रशिक्षण

निगमित लक्ष्यों के अनुरूप विशिष्ट कौशल विकास सुनिश्चित करने के प्रयोजन से वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान विभागीय कार्यक्रमों के आयोजन पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखा गया। अन्य आवश्यकता आधारित कार्यक्रमों के साथ-साथ केवाईसी नीति/एंटी-मनी लॉंडरिंग, सामान्य प्रबंधन कार्यक्रम (जीएमपी), नेतृत्व एवं टीम भावना निर्माण, औद्योगिक संबंध और आरक्षण नीति, कार्यनीतिक व्यापार संचार, कार्य-निष्पादन प्रबंधन-प्रक्रिया और महत्व, महिला कार्मिकों के लिए आउटबाउंड अनुभव आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम, पीवी सिस्टम सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग आदि जैसे जरूरी प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी द्वारा अपने कार्मिकों के लिए घरेलू स्तर पर ऐसे 20 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। घरेलू स्तर पर विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित कर और बाह्य प्रशिक्षण एजेंसियों द्वारा आयोजित किए गए कार्यक्रमों के लिए पीएफसी के कार्मिकों को प्रायोजित कर कुल मिलाकर 1915 कार्य दिवस का लक्ष्य प्राप्त किया गया।

मनोरंजन संबंधी कार्यकलाप

आपकी कंपनी पॉवर स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड (पीएससीबी) की सदस्य है। इसके नाते पीएफसी कार्मिकों ने वर्ष के दौरान पीएससीबी सदस्य संगठनों द्वारा आयोजित विभिन्न इंटर-सीपीएसयू खेल प्रतियोगिताओं में पूरे उत्साह और जोर-शोर से हिस्सा लिया। इनमें बैडमिंटन टूर्नामेंट, कैरम प्रतियोगिता, वॉलीबॉल टूर्नामेंट और शतरंज टूर्नामेंट जैसे स्पोर्ट्स टूर्नामेंट शामिल थे। पीएफसी ने स्वच्छता पखवाड़े के दौरान अपने कार्मिकों के लिए वाद-विवाद प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता, नारा लेखन प्रतियोगिता जैसी विभिन्न गतिविधियां भी आयोजित कीं। सितंबर-अक्तूबर, 2019 में स्वच्छता ही सेवा अभियान के दौरान कार्मिकों के बच्चों के लिए चित्रकला प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। अक्तूबर 2019 में हिंदी माह के समापन के अवसर पर पीएफसी कार्मिकों की भागीदारी के साथ एक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया।

पीएफसी द्वारा जयपुर में आयोजित 'इंटर सीपीएसयू पावर स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड क्रिकेट टूर्नामेंट' के उद्घाटन समारोह में दीप प्रज्वलन करते हुए श्री आर. एस. ढिल्लों, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, पीएफसी

पीएफसी ने अक्तूबर-नवंबर, 2019 के दौरान सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया, जिसमें पीएफसी कार्मिकों के लिए नारा लेखन, निबंध लेखन और चित्राभिव्यक्ति जैसी प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। स्वस्थ जीवनशैली और सुदृढ़ टीम कौशल सुनिश्चित करने के लिए पीएफसी ने वर्ष के दौरान अपने कार्मिकों के लिए नियमित स्वास्थ्य वार्ताओं और टीम निर्माण कार्यशालाओं का आयोजन किया। कार्यालय समय के बाद इच्छुक कार्मिकों के लिए हर शाम योग अभ्यास का एक सत्र भी आयोजित किया जाता है।

इस वर्ष कंपनी की महिला कार्मिकों के लिए विशेष रूप से अनेक विशिष्ट गतिविधियां आयोजित की गईं, जैसे पिंकाथोन-2019, आत्मरक्षा प्रशिक्षण और महिला खेल प्रतियोगिताएं आदि। अंतर-विभागीय महिला खेल प्रतिस्पर्धाओं के अंतर्गत आयोजित कैरम, शतरंज और टेबल टैनिस प्रतियोगिताओं में करीब 40 महिला कार्मिकों ने हिस्सा लिया।

पीएफसी की कैरम, टेबल टैनिस एवं चेस टीम के खिलाड़ियों के साथ श्री पी. के. सिंह, निदेशक (वाणिज्यिक)

मानव संसाधन प्रबंधन

आपकी कंपनी ने मानव संसाधनों के अधिग्रहण और उन्हें संगठन में बनाए रखने के लिए प्रभावी तंत्र लागू किया है, जिसे संगठनात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सर्वश्रेष्ठ निगमित प्रक्रियाओं के साथ बेंचमार्क के रूप में माना जाता है। यह अन्य कार्यनीतिक हस्तक्षेपों के अलावा मानव संसाधन प्रबंधन का प्रभावी नेतृत्व करती है जिससे उच्च स्तर की उत्पादकता सुनिश्चित होती है।

कंपनी के भीतर कार्मिकों के साथ औद्योगिक संबंध बहुत ही सौहार्दपूर्ण रहे और सामंजस्य बना रहा, इसके फलस्वरूप कार्मिक पूरी तरह से कंपनी के उद्देश्यों के प्रति समर्पित और प्रतिबद्ध रहे। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान एक भी कार्यदिवस का नुकसान नहीं हुआ। 01 अप्रैल, 2019 से 31 मार्च, 2020 की अवधि के दौरान कार्य दिवस हानि की दर 0.61% रही।

पदों का आरक्षण

समूह	31 मार्च, 2020 को कुल कार्मिक	अजा	अजा %	अजजा	अजजा %	अपिव	अपिव %
(क)	462	84	18.18%	28	6.06%	82	17.75%
(ख)	5	1	20.00%	1	20.00%	0	0.00%
(ग)	17	2	11.77%	1	5.88%	3	17.65%
(घ)	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
कुल	**484**	**87**	**17.98%**	**30**	**6.20%**	**85**	**17.56%**

पीएफसी अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़े वर्ग/ ईएसएम/ दिव्यांग कार्मिकों के कल्याण हेतु भारत सरकार द्वारा जारी निदेशों और दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के सभी प्रयास करती है। उठाए गए कदमों में यथालागू आरक्षण और विभिन्न निदेशों के अंतर्गत छूट शामिल हैं, जो सीधी भर्ती तथा पदोन्नति के मामलों में भी लागू होती है। आरक्षण के मामले को देखने के लिए अलग अलग संपर्क अधिकारी नियुक्त किए गए हैं।

महिला कार्मिकों का प्रतिनिधित्व

आपकी कंपनी में महिलाएं महत्वपूर्ण तथा जटिल प्रकार्यात्मक (फंक्शनल) दोनों क्षेत्रों में कार्यरत हैं। महिलाओं ने पदानुक्रमित स्तरों पर भी सभी पदों का प्रतिनिधित्व किया है। आपकी कंपनी अपनी महिला कार्मिकों को इस विषय पर भारत सरकार की नीति और सिद्धांत के अनुसार उन्नति के समान अवसर प्रदान करती है। कंपनी के कार्यबल में महिला कार्मिकों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व है और कुल कार्यबल में 20.68% महिलाएं हैं।

समूह	31 मार्च, 2019 की स्थिति	महिला कार्मिकों की संख्या	कार्मिकों की कुल संख्या और महिलाओं का %
(क)	462	98	21.21%
(ख)	5	0	0.00%
(ग)	17	3	17.65%
(घ)	0	0	0.00%
कुल	**484**	**101**	**20.87%**

पीएफसी अपने सामाजिक उत्तरदायित्व के एक भाग के रूप में महिला कार्मिकों के कल्याण के लिए सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए यथासंभव प्रयासरत है।

आंतरिक शिकायत समिति

कार्यस्थल पर महिला कार्मिकों का यौन शोषण (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत कार्यस्थल पर महिला कार्मिकों के यौन शोषण से जुड़े मामलों की जांच के लिए एक आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया गया है। समिति द्वारा प्राप्त शिकायतों का निपटान अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है।

(क) वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या: 01

(ख) वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या: शून्य

(ग) वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान लम्बित शिकायतों की संख्या: 01

17.0 निदेशकों की जिम्मेदारी का विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(5) की अपेक्षा के अनुसार प्रमाणित किया जाता है कि:-

(क) वार्षिक लेखाओं की तैयारी में, लागू लेखांकन मानकों का अनुपालन किया गया और महत्वपूर्ण विचलन से संबंधित उचित स्पष्टीकरण दिया गया;

(ख) ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया गया और उन्हें दृढ़तापूर्वक लागू किया गया और ऐसे निर्णय और अनुमान लगाए गए जो उचित एवं सार्थक थे, ताकि वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर कंपनी के कार्यकलापों की स्थिति और उस अवधि के लिए कंपनी के लाभ और हानि लेखा की स्पष्ट और सही तस्वीर प्रस्तुत की जा सके;

(ग) कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड तैयार करने में उचित और आवश्यक ध्यान दिया गया;

(घ) वार्षिक लेखे अनवरत सतत सरोकार आधार पर तैयार किए गए;

(ड.) कंपनी ने आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित किया है, जिसका अनुपालन किया जाना अनिवार्य है और ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं तथा प्रभावशाली ढंग से प्रचालनरत हैं;

(च) कंपनी ने सभी लागू विधियों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियां तैयार की हैं और इस प्रकार तैयार की गई प्रणालियां पर्याप्त हैं तथा प्रभावशाली ढंग से प्रचालनरत हैं।

पद्मश्री डॉ. प्रीतम सिंह (पूर्व-निदेशक, आईआईएम-लखनऊ/एमडीआई/आईएमआई) एवं श्री. एस. वाई. सिद्दीकी (चीफ मेंटोर, मारुति सुजुकी) से कॉर्पोरेट श्रेणी में 'चेंज माइस्ट्रो एंड इंस्टीट्यूशन बिल्डर ऑफ द ईयर' अवॉर्ड प्राप्त करते हुए श्री पी. के. सिंह, निदेशक (वाणिज्यिक), पीएफसी

18.0 सांविधिक लेखापरीक्षक

भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए गांधी मिनोचा एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स और दास गुप्ता एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स को कंपनी के संयुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया।

संयुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए कंपनी के लेखाओं की लेखापरीक्षा की है और किसी अर्हता, आरक्षण, प्रतिकूल टिप्पणी अथवा अस्वीकारोक्ति (डिसक्लेमर) के बिना अपनी रिपोर्ट दी है। लेखापरीक्षा रिपोर्ट की प्रतिलिपि वार्षिक रिपोर्ट के साथ अनुलग्नक के रूप में संलग्न है।

सचिवालयी लेखापरीक्षा

कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए अग्रवाल एस. एंड एसोसिएट्स, कंपनी सचिव को कंपनी के सचिवालयी लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया।

वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के साथ सचिवालयी लेखापरीक्षक की टिप्पणियों और उन टिप्पणियों पर प्रबंधन के उत्तर की प्रतिलिपि वार्षिक रिपोर्ट के साथ अनुलग्नक के रूप में संलग्न है।

19.0 भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (सी एंड एजी) ने यह उल्लेख किया है कि लेखापरीक्षा के आधार पर ऐसी कोई भी चीज उनकी जानकारी में नहीं आई है जिस पर कोई टिप्पणी दी जा सके या जिस पर सांविधिक लेखापरीक्षक की कोई रिपोर्ट के पूरक के तौर पर कोई रिपोर्ट दी जा सके। भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (सी एंड एजी) की रिपोर्ट की प्रतिलिपि वार्षिक रिपोर्ट के साथ अनुलग्नक के रूप में संलग्न है।

20.0 वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता संबंधी विवरण

कंपनी के आउटसोर्स्ड आंतरिक लेखापरीक्षक अर्थात मैसर्स एएसए एंड एसोसिएट्स एलएलपी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ने मूल्यांकन करने के बाद प्रमाणित किया है कि कंपनी ने आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्त प्रणाली कायम की है जो कंपनी अधिनियम, 2013 और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंस् ऑफ इंडिया के मार्गदर्शी टिप्पणी में वर्णित अपेक्षाएं पूरी करती है।

कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षक अर्थात् गांधी मिनोचा एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स और दासगुप्ता एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ने आंतरिक वित्तीय नियत्रंणों पर अपनी रिपोर्ट दी है और उसमें इस बात का उल्लेख किया है कि कंपनी के पास सभी वास्तविक संदर्भों में पर्याप्त आतंरिक वित्तीय नियत्रंण प्रणाली उपलब्ध है और कंपनी में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी वित्तीय रिर्पोटिंग पर आतंरिक वित्तीय नियत्रंणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शी टिप्पणी में उल्लिखित आतंरिक नियत्रंण के सभी अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए आतंरिक नियत्रंण के आधार पर 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनसार वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियत्रंण प्रभावशाली ढंग से प्रचालनरत थे।

21.0 सचिवालयी मानकों का अनुपालन

कंपनी भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी किए गए सभी यथालागू अनिवार्य सचिवालयी मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करती है।

22.0 कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियमावली, 2014 के नियम 5 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 (12) के अंतर्गत पारिश्रमिक के विवरण

कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियमावली, 2014 के नियम 5 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197(12) के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी को अपने निदेशक की तुलना में मध्यम स्तर के कार्मिकों के पारिश्रमिक के अनुपात का प्रकटन करना और निदेशक

मंडल की रिपोर्ट में समय-समय पर यथाविहित सीमा से अधिक पारिश्रमिक प्राप्त करने वाले कार्मिकों के विवरण देना आवश्यक है।

तथापि, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी की गई दिनांक 05 जून, 2015 की अधिसूचना के अनुसार सरकारी कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 के प्रावधानों का अनुपालन करने से छूट दी गई है। अतः तत्संबंधी विवरण निदेशक मंडल की रिपोर्ट के भाग के रूप में शामिल नहीं किए गए हैं।

बैंकॉक, थायलैंड में आयोजित समारोह में श्री हेमंत कौशिक, इंटरनेशनल ब्रांड कंसल्टिंग कॉर्पोरेशन (आईबीसी) यूएसए के सीईओ एवं चेयरमैन एवं श्री जेनिथ सैमरनसमरुआडकिट, थाई पोलिस मेजर जनरल कमांडर से प्रतिष्ठित 'एशियाज मोस्ट ट्रस्टिड कंपनीज अवॉर्ड 2019' प्राप्त करते हुए श्री पी. के. सिंह, निदेशक (वाणिज्यिक) एवं श्री वाई. वेणुगोपाल, मुख्य महाप्रबंधक, पीएफसी

23.0 वार्षिक रिटर्न लिंक

विहित प्रपत्र में वार्षिक विवरणी (रिटर्न) का एक सारांश वार्षिक रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

24.0 लेखापरीक्षकों द्वारा धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान न तो सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा और न ही सचिवालयी लेखापरीक्षकों द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(12) के अंतर्गत लेखापरीक्षा समिति को कंपनी के अधिकारियों अथवा कार्मिकों द्वारा कंपनी के विरुद्ध की गई कोई धोखाधड़ी की कोई ऐसी घटना रिपोर्ट की गई, जिसके विवरण निदेशक मंडल की रिपोर्ट में दिए जाने आवश्यक होते हैं।

25.0 डिबेंचर ट्रस्टी

आपकी कंपनी द्वारा बॉण्डों की विभिन्न श्रृंखलाओं के लिए नियुक्त किए गए डिबेंचर ट्रस्टियों के विवरण वार्षिक रिपोर्ट के साथ संलग्न हैं।

26.0 दावा न की गई राशियों और आईईपीएफ खाते में अंतरित शेयर/ लाभांश/ बॉण्डों का विवरण

बॉण्ड

31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार, बॉण्डों की दावा न की गई कुल और बकाया राशि (मूलधन और ब्याज) ₹15.69 करोड़ थी। वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान आईईपीएफ को हस्तांतरित बॉण्डों की दावा न की गई/बकाया राशि ₹39,275 थी।

दावा न की गई लाभांश-इक्विटी

31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार लाभांश (इक्विटी) की दावा न की गई शेष राशि ₹3.48 करोड़ (पूर्णांक में) थी। 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान हस्तांतरण के लिए देय ₹48,55,157 के दावा न किए गए लाभांश की राशि तदनुसार निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में हस्तांतरित की गई।

आईईपीएफ को हस्तांतरित इक्विटी शेयर

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124(6) के साथ पठित आईईपीएफ प्राधिकरण (लेखांकन, लेखापरीक्षा, हस्तांतरण और रिफंड) नियम, 2016 के नियम 6 के अनुसार ऐसे सभी शेयर कंपनी द्वारा आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में हस्तांतरित किए जाएंगे, जिनके लिए पिछले लगातार 7 वर्षों से लाभांश का दावा न किया गया हो। तदनुरूप कंपनी ने जून 2019 में 7,194 इक्विटी शेयर (₹10 प्रत्येक के) और दिसंबर 2019 में 4,414 इक्विटी शेयर (₹10 प्रत्येक के) आईईपीएफ के डीमैट खाते में अंतरित किए। 31 मार्च, 2020 को आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में रखे गए इक्विटी शेयरों की संख्या 48,123 थी। बाद में, जुलाई 2020 में 5,021 इक्विटी शेयर (10 रुपए प्रत्येक के) भी आईईपीएफ के डीमैट खाते में हस्तांतरित किए गए।

उपर्युक्त लाभांश और शेयरों के बारे में दावा करने वाले सदस्य वेबसाइट www.iepf.gov.in पर उपलब्ध निर्धारित प्रपत्र संख्या आईईपीएफ-5 के माध्यम से आईईपीएफ प्राधिकरण में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और उसकी एक हस्ताक्षरित हार्ड कॉपी प्रपत्र संख्या आईईपीएफ-5 में वर्णित अपेक्षित दस्तावेज के साथ कंपनी को भेज सकते हैं। इस तरह आईईपीएफ प्राधिकरण को हस्तांतरित किए गए लाभांश/शेयरों के संदर्भ में कोई दावा कंपनी के प्रति दाखिल नहीं किया जाएगा।

नोडल अधिकारी

आईईपीएफ नियमों के नियम 7(2ए) के अनुपालन में निम्नांकित व्यक्ति कंपनी के नोडल अधिकारी हैं

नोडल अधिकारी	श्री मनोहर बलवानी कंपनी सचिव
बॉण्ड/डिबेंचर के संदर्भ में उप नोडल अधिकारी	सुश्री समिधा जैन सीजीएम-(आरएम-II)

27.0 कार्मिक स्टॉक विकल्प योजना (ईएसओपी)

लोक उद्यम विभाग (डीपीई), भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार ने वेतन संशोधन पर अपने निदेशों के माध्यम से भी केंद्रीय क्षेत्र के सभी सार्वजनिक उपक्रमों (सीपीएसई) के लिए यह अनिवार्य किया था कि वे एक कार्मिक स्टॉक विकल्प योजना (ईएसओपी) तैयार करें और ईएसओपी के रूप में कार्मिकों को कार्य-निष्पादन संबद्ध वेतन (पीआरपी) के 10% से 25% का भुगतान करें। डीपीई के इन दिशा-निर्देशों के अनुरूप आपकी कंपनी ने कार्मिक स्टॉक विकल्प योजना तैयार की थी। तत्पश्चात निदेशक मंडल ने ईएसओपी के रूप में कार्मिकों को पीआरपी की 25% राशि का भुगतान करने के लिए निदेशित किया था। तथापि, डीपीई द्वारा 30 जुलाई, 2012 में बाद में जारी किए गए स्पष्टीकरण को ध्यान में रखते हुए इस पीआरपी आधारित स्टॉक विकल्प योजना को ऐच्छिक बना दिया गया है। ईएसओपी के बारे में ब्यौरा कंपनी वेबसाइट www.pfcindia.com पर उपलब्ध है। सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा इस संबंध में एक प्रमाणपत्र कंपनी की आगामी वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में प्रस्तुत किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त, अब तक 'पीएफसी-ईएसओपी 2010' के अंतर्गत स्वीकृति अथवा लागू करने के लिए कोई विकल्प लंबित नहीं हैं।

इसके अतिरिक्त, वर्ष 2019-20 के दौरान किसी भी कार्मिक को/उसके द्वारा कोई भी विकल्प स्वीकृत/लागू नहीं किया गया।

28.0 सतर्कता

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान सतर्कता यूनिट ने प्रबंधन के प्रभावी तंत्र के रूप में कार्य किया। सतर्कता यूनिट ने सक्रिय/निवारक सतर्कता पर विशेष बल दिया। विभिन्न यूनिटों के आवधिक और आकस्मिक निरीक्षणों के माध्यम से इस पहलू पर निरंतर बल दिया गया। इस अवधि में सतर्कता यूनिट ने आदेश/कारगर दिशा-निर्देश भी जारी किए ताकि रोजमर्रा के कार्यों में अंतराल दूर करने और

पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए प्रणालियों और प्रक्रियाओं को युक्तिसंगत बनाया जा सके। सभी हितधारकों को ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करने और संगठनात्मक दक्षता बढ़ाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल एक प्रभावी टूल के रूप में किया गया। सतर्कता यूनिट ने इस अवधि के दौरान पंजीकृत शिकायतों के संबंध में विस्तृत जांच की।

सतर्कता यूनिट ने कंपनी के प्रचालन में अधिक पारदर्शिता, वस्तुनिष्ठता और जवाबदेही लाने के उद्देश्य से व्यवस्थित सुधारों के लिए निरंतर कार्य किया। इस प्रकार इसने संगठन की दक्षता और प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए इसकी कार्यप्रणाली में समग्र रूप से सुधार की दिशा में अपना योगदान दिया है।

29.0 राजभाषा

यह बड़े गर्व का विषय है कि आपकी कंपनी को राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के क्षेत्र में किए गए इसके उत्कृष्ट प्रयासों के लिए राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा वर्ष 2018-19 के लिए 'राजभाषा कीर्ति पुरस्कार' के अंतर्गत 'क' क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में प्रथम पुरस्कार से नवाजा गया है। सीएमडी, पीएफसी ने भारत के माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के कर-कमलों से यह प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त किया। पीएफसी द्वारा लगातार सातवीं बार (पाँच बार प्रथम) पुरस्कार प्राप्त किया गया है।

विश्व हिंदी दिवस (10 जनवरी) के अवसर पर पीएफ़सी में राजभाषा संगोष्ठी का आयोजन

वर्ष के दौरान राजभाषा यूनिट द्वारा 'कबीर: अंतर्मन की आवाज' नृत्य-सांगीतिक प्रस्तुति का आयोजन किया गया। 14 सितंबर, 2019 से 13 अक्तूबर, 2019 तक हिंदी माह का आयोजन किया गया ताकि हिंदीमय वातावरण सृजित किया जा सके। हिंदी माह के दौरान, 'वर्तनी शोधन', 'शब्द व्यूह भेदन' और 'बूझो तो जानें' जैसी विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। हिंदी माह के समापन समारोह के अवसर पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें आपकी कंपनी के कार्मिकों ने अपनी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दीं, जिनमें विभिन्न भारतीय लोक-नृत्य, गीत, काव्य पाठ, नाटक और माइम्स आदि शामिल थे। सभी कार्मिकों को हिंदी की दो प्रसिद्ध पुस्तकें रश्मिरथी और मधुशाला भी वितरित की गईं।

वर्ष के दौरान 8 हिंदी कार्यशालाएं, 4 संगोष्ठियां और एक विशेष वार्ता का आयोजन किया गया, जिनमें 560 कार्यपालकों ने भाग लिया। निजी संपर्क कार्यक्रम के रूप में विभिन्न यूनिटों के आंतरिक निरीक्षण भी किए गए। कंपनी की 20 यूनिटों के साथ बैठकें भी आयोजित की गईं, जिनमें इन यूनिटों द्वारा हिंदी में किए गए कार्य की समीक्षा की गई।

गृह-पत्रिका 'ऊर्जा दीप्ति' के साहित्यकार विशेषांक और भारत की महान विभूतियां सहित दो अंक भी प्रकाशित किए गए। ये सभी प्रयास कंपनी में हिंदी के बेहतर और प्रगामी प्रयोग की संभावनाएं सृजित करने की दिशा में प्रेरक सिद्ध हुए।

30.0 सूचना का अधिकार अधिनियम

आपकी कंपनी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 लागू किया है, ताकि भारत के नागरिकों को जानकारी प्रदान की जा सके और कंपनी की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखी जा सके। कंपनी ने सूचना का अधिकार अधिनियम का प्रभावी ढंग से कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए अपने पंजीकृत कार्यालय में एक लोक सूचना अधिकारी (पीआईओ) और प्रथम अपीलीय प्राधिकारी (आरटीआई) नामित किया है। आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 4 में शामिल प्रकटीकरण संबंधी प्रावधानों के अनुपालन में कंपनी की प्राधिकृत वेबसाइट (www.pfcindia.com) पर संगत सूचना डाली जाती है/आवश्यक प्रकटन किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत 128 आवेदन प्राप्त हुए और 15 प्रथम अपील प्राप्त हुई और उन सभी का निपटारा अधिनियम के अंतर्गत किया गया। आपकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए तिमाही/वार्षिक विवरणी (रिटर्न) ऑनलाइन भरने के संबंध में केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के दिशा-निर्देशों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया है।

इसके अतिरिक्त, दिनांक 15 अप्रैल, 2013 के कार्यालय ज्ञापन सं. 1/6/2011-आई आर में दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार आपकी कंपनी ने अपनी वेबसाइट (www.pfcindia.com) पर सभी स्वमेव प्रकटीकरणों की तृतीय पक्षकार लेखापरीक्षा के लिए एक स्वतंत्र प्रोफेशनल नियुक्त किया है। उक्त तृतीय पक्षकार लेखापरीक्षा रिपोर्ट भी वेबसाइट पर उपलब्ध है।

31.0 शिकायत निवारण

कंपनी में व्यापक स्तर पर जनता की शिकायतों के निवारण हेतु शिकायत निवारण प्रणाली मौजूद हैं। यह प्रणाली विधिवत रूप से अधिसूचित है और नोडल अधिकारी निर्धारित समय-सीमा में शिकायतों का त्वरित निवारण सुनिश्चित करते हैं। कंपनी ने अपने कार्यकलापों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एक नागरिक चार्टर भी अधिसूचित किया है। लोगों की पहुंच सुगम बनाने के उद्देश्य से यह चार्टर कंपनी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

एडीएनईसी, अबू धाबी में आयोजित द वर्ल्ड एनर्जी कॉंग्रेस एग्जिबिशन 2019 में पीएफ़सी पॉड का दौरा करते हुए श्री एस. सी. गर्ग, पूर्व सचिव (विद्युत)।

32.0 नियामकों अथवा न्यायालयों या अधिकरणों द्वारा जारी किए गए ऐसे महत्वपूर्ण और जरूरी आदेशों के विवरण, जिनसे भविष्य में कंपनी का सुनाम प्रतिष्ठान का दर्जा और कंपनी का प्रचालन प्रभावित हो सकता है

किसी भी नियामक अथवा न्यायालय या अधिकरण द्वारा ऐसे कोई भी महत्वपूर्ण और जरूरी आदेश जारी नहीं किए गए, जिनसे वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान कंपनी के सुनाम प्रतिष्ठान का दर्जा और कंपनी का प्रचालन प्रभावित हुआ हो।

33.0 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसई) से खरीद का विवरण

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के साथ-साथ सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसई) आदेश, 2012 के लिए सार्वजनिक खरीद नीति के अंतर्गत यथावश्यक प्रकटीकरण के अंतर्गत वर्ष 2019-20 के दौरान सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसई) से की गई खरीद के विवरण तथा वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए लक्ष्य निम्नानुसार हैं

क्र.सं	विवरण	वित्तीय वर्ष 2020 -21 (₹ करोड़ में)	वित्तीय वर्ष 2019-20 (₹ करोड़ में)
(i)	कुल वार्षिक खरीद (मूल्य में)	33.55	40.28
(ii)	एमएसई से प्राप्त की गई वस्तुओं एवं सेवाओं का कुल मूल्य (अजा/अजजा उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई सहित)	13.77	10.07
(iii)	केवल अजा/अजजा के स्वामित्व वाले एमएसई से खरीदी गई वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य	0.039	1.61
(iv)	कुल खरीद में से एमएसई (अजा/अजजा उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई सहित) से खरीद का %	41%	25%
(v)	कुल खरीद में से अजा/अजजा उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई से खरीद का %	0.11%	4%
(vi)	एमएसई हेतु वेंडर विकास कार्यक्रम की कुल संख्या	1	2
(vii)	हाइपरलिंक द्वारा आपकी वेबसाइट पर वार्षिक एमएसई खरीद प्रोफाइल को अपलोड करने की पुष्टि	https://www.pfcindia.com/ DocumentRepository/ ckfinder/ files/Statutory_ Requirements/ Codes_and_ Policies/Public_ Procurement_ Policy_for_ MSME/ Annual_Procurement_ Plan_2020_21.pdf	

34.0 सांविधिक और अन्य सूचना

कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 और सीपीएसई के लिए निगमित शासन पर डीपीई के दिशा-निर्देश आदि के अनुसार प्रस्तुत की जाने वाली आवश्यक सूचना इस रिपोर्ट के अनुलग्नक में निम्नानुसार दी गई है।

विवरण	अनुलग्नक
डिबेंचर ट्रस्टियों का ब्यौरा	क
वार्षिक विवरणी का सारांश	ख
सीएसआर गतिविधियों से संबंधित वार्षिक रिपोर्ट	ग
संबंधित पक्षकार (एओसी-2) के साथ कंपनी द्वारा की गई संविदाओं/व्यवस्थाओं के विवरण का प्रकटीकरण	घ
प्रबंधन के साथ चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट	ङ
एकीकृत रिपोर्टिंग	च
निगमित शासन पर रिपोर्ट	छ
व्यवसाय दायित्व रिपोर्ट	ज
सचिवालयी लेखापरीक्षा रिपोर्ट	झ

ईएलईसीआरएएमए एग्जिबिशन, इंडिया एक्स्पो मार्ट, ग्रेटर नोएडा में पावर पवेलियन का उद्घाटन करते हुए श्री आर. के. सिंह, माननीय विद्युत एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री। पावर पवेलियन के डिजाइनिंग एवं फैब्रिकेशन के लिए पीएफसी नोडल एजेंसी थी।

35.0 अस्वीकारोक्ति

निदेशक मंडल, भारत सरकार, विद्युत मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारतीय रिज़र्व बैंक, लोक उद्यम विभाग, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड और केंद्र तथा राज्य स्तर पर अन्य संबंधित सरकारी विभागों/एजेंसियों के साथ-साथ विभिन्न घरेलू तथा अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों/बैंकों, एजेंसियों इत्यादि द्वारा कंपनी को दिए गए मार्ग-दर्शन, सहयोग और प्रोत्साहन के लिए तहेदिल से उनकी प्रशंसा करता है।

निदेशक मंडल शेयरधारकों, विभिन्न अंतरराष्ट्रीय और भारतीय बैंकों/बहुपक्षीय एजेंसियों/ वित्तीय संस्थानों/ क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के प्रति उनके द्वारा पीएफसी पर लगातार व्यक्त किए गए विश्वास और भरोसे के लिए अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता है। आपके निदेशक उपभोक्ताओं और ग्राहकों के प्रति भी उनके सतत विश्वास और सहायता के लिए कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं।

कंपनी भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक और सांविधिक लेखापरीक्षकों, आंतरिक लेखापरीक्षकों और सचिवालयी लेखापरीक्षकों का भी उनके सृजनात्मक सुझावों और सहयोग के लिए धन्यवाद करती है।

निदेशक मंडल कंपनी का चहुंमुखी उत्कृष्ट कार्य-निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए इसके कार्मिकों द्वारा किए गए अथक प्रयासों और योगदान को भी स्वीकार करता है और इसके लिए उनकी तहेदिल से प्रशंसा करता हैं।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

(आर. एस. ढिल्लों)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन-00278074

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 01 सितंबर, 2020

एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय कार्य-निष्पादन

निम्नलिखित मदों पर बिना विचार करते हुए अंकेक्षित वित्तीय विवरण के आधार पर वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएफसी) के एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय कार्य-निष्पादन

1. ति. 4 वित्तीय वर्ष 2019-20 में विदेशी मुद्रा दरों में मूवमेंट: वित्तीय बाजारों में अस्थिरता के कारण, ति. 4 में अन्य विदेशी मुद्राओं के मुकाबले भारतीय रुपए (आईएनआर) में गिरावट आई जिसके परिणामस्वरुप ति. 4 में ₹1,385.62 करोड़ की अतिरिक्त निवल विदेशी विनियम अंतरण हानि हुई।

2. वित्तीय वर्ष 2019-20 में कॉर्पोरेट कर दर में परिवर्तन: कराधान नियम (संशोधित) अधिनियम, 2019 में दिए गए विकल्प के अनुसरण में, पीएफसी पर लागू कॉर्पोरेट कर की दर 34.944% से घटकर 25.168% हुई। इसके परिणामस्वरुप, पीएफसी के कर पश्चात लाभ (पीएटी) में ₹586.80 करोड़ की निवल कमी (डीटीए के पुन:मापन सहित) हुई।

3. आरईसी लिमिटेड के इक्विटी शेयरों में निवेश पर प्राप्त कम आय: पीएफसी को आरईसी लिमिटेड से लाभांश के रुप में ₹1,143.44 करोड़ की राशि प्राप्त हुई। 10.63% के औसत अर्जन प्रतिफल को ध्यान में रखते हुए, पीएफसी के पास आरईसी लिमिटेड के इक्विटी शेयरों में ₹14,500 करोड़ के निवेश पर, ₹397.91 करोड़ का उच्चतर पीबीटी एवं फलस्वरुप ₹152.28 करोड़ का उच्चतर पीएटी होना चाहिए।

(₹ करोड़ में)

विवरण	अंकेक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार राशि	के कारण प्रभाव				
		1. ति.4 में फोरेक्स मूवमेंट	2. कॉर्पोरेट कर दर में परिवर्तन	3. आरईसी निवेश	कुल प्रभाव	समायोजित राशि
	(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ड़) = (ख+ग+घ)	(च) = (क+ड़)
प्रचालन से राजस्व	33,362.90	-	-	397.91	397.91	
प्रचालनों से समायोजित राजस्व		**33,362.90**	**33,362.90**	**33,760.81**		**33,760.81**
प्रचालनगत लाभ*	8,184.38	1,385.62	-	397.91	1,783.53	
समायोजित प्रचालनगत लाभ		**9,570.00**	**8,184.38**	**8,582.29**		**9,967.91**
कर पूर्व लाभ (पीबीटी)	8,192.54	1,385.62	-	397.91	1,783.53	
समायोजित कर पूर्व लाभ (पीबीटी)		**9,578.16**	**8,192.54**	**8,590.45**		**9,976.07**
कर पश्चात् लाभ (पीएटी)	5,655.14	1,120.58	586.80	152.28	1,859.66	
समायोजित कर पश्चात् लाभ (पीएटी)		**6,775.72**	**6,241.94**	**5,807.42**		**7,514.80**
अंतिम नेटवर्थ	45,164.13	46,284.71	45,750.93	45,316.41		**47,023.79**

* कर पूर्व लाभ माइनस अन्य आय

कृते गांधी मिनोचा एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या: 000458N

हस्ता/-
सीए मनोज भारद्वाज
भागीदार
सदस्य संख्या: 098606
यूडीआईएन: 20098606AAAACL2255

कृते दास गुप्ता एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या: 000112N

हस्ता/-
सीए अशोक कुमार जैन
भागीदार
सदस्य संख्या: 090563
यूडीआईएन: 20090563AAAABG9077

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 18 सितंबर, 2020

निदेशक मंडल की रिपोर्ट के अनुलग्नक

निदेशक मंडल की रिपोर्ट के अनुलग्नक – क

विभिन्न बॉण्ड श्रृंखलाओं के लिए कंपनी द्वारा नियुक्त बॉण्ड ट्रस्टी

क्र. सं.	ट्रस्टी का नाम और पता	बॉण्ड श्रृंखला
1.	**आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसिज लिमिटेड,** विश्वस्त भवन, प्रथम तल 218 प्रतापगंज पेठ, सतारा – 415 002	8.85% टीएएक्सयू बॉण्ड श्रृंखला – XXVIII 8.60% कर बॉण्ड श्रृंखला – 57सी 8.50% टीएएक्सयू बॉण्ड श्रृंखला – 61 8.80% टीएएक्सयू बॉण्ड श्रृंखला – 62बी 8.90% टीएएक्सयू बॉण्ड श्रृंखला – 63 8.95% टीएएक्सयू बॉण्ड श्रृंखला – 64
2.	**पीएनबी इंवेस्टमेंट सर्विसिज लिमिटेड,** 10, राकेशद्वीप भवन युसुफ सराय कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, गुलमोहर इनक्लेव, नई दिल्ली –110 049.	8.70% टीएएक्सयू पीएफसी बॉण्ड – 65 श्रृंखला 8.65% टीएएक्सयू पीएफसी बॉण्ड – 66 ए श्रृंखला 8.75% टीएएक्सयू पीएफसी बॉण्ड – 66 बी श्रृंखला 8.85% टीएएक्सयू पीएफसी बॉण्ड – 66 सी श्रृंखला 8.70% टीएएक्सयू पीएफसी बॉण्ड – 68 बी श्रृंखला 8.78% टीएएक्सयू पीएफसी बॉण्ड – 70 श्रृंखला 9.05% टीएएक्सयू पीएफसी बॉण्ड – 71 श्रृंखला 8.99% टीएएक्सयू पीएफसी बॉण्ड – 72 बी श्रृंखला 9.18% टीएएक्सयू पीएफसी बॉण्ड – 73 श्रृंखला 9.70% टीएएक्सयू पीएफसी बॉण्ड – 74 श्रृंखला 9.61% टीएएक्सयू पीएफसी बॉण्ड – 75-सी श्रृंखला 9.36% टीएएक्सयू पीएफसी बॉण्ड – 76-ए श्रृंखला 9.46% टीएएक्सयू पीएफसी बॉण्ड – 76-बी श्रृंखला 9.45% टीएएक्सयू पीएफसी बॉण्ड – 77-बी श्रृंखला 7.51% प्रतिभूत करमुक्त पीएफसी बॉण्ड – 79-ए श्रृंखला 7.75% प्रतिभूत करमुक्त पीएफसी बॉण्ड – 79-बी श्रृंखला 8.09% प्रतिभूत करमुक्त पीएफसी बॉण्ड – 80-ए श्रृंखला 8.16% प्रतिभूत करमुक्त पीएफसी बॉण्ड – 80-बी श्रृंखला 9.30% टीएएक्सयू पीएफसी बॉण्ड – 85-सी श्रृंखला 9.26% टीएएक्सयू पीएफसी बॉण्ड – 85-डी श्रृंखला 9.48% टीएएक्सयू पीएफसी बॉण्ड – 88-सी श्रृंखला इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड(2011-12)ट्रांच1-श्रृंखला – I इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड(2011-12)ट्रांच1-श्रृंखला – II इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड(2011-12)ट्रांच1-श्रृंखला – III इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड(2011-12)ट्रांच1-श्रृंखला – IV 8.43% श्रृंखला 1 प्राइवेट प्लेसमेंट 8.43% श्रृंखला II प्राइवेट प्लेसमेंट 8.72% श्रृंखला III प्राइवेट प्लेसमेंट 8.72% श्रृंखला IV प्राइवेट प्लेसमेट
3.	**कैटालिस्ट ट्रस्टीशिप लिमिटेड** (पूर्व में जीडीए ट्रस्टीशिप लिमिटेड), जीडीए हाउस, प्लॉट नं 85, भुसारी कॉलोनी (ढाएं), पॉड रोड, पुणे – 411 038.	7.21% करमुक्त बॉण्ड श्रृंखला 94-ए 7.38% करमुक्त बॉण्ड श्रृंखला 94-बी 7.22% करमुक्त बॉण्ड श्रृंखला 95-ए 7.38% करमुक्त बॉण्ड श्रृंखला 95-बी 9.29% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला 92-सी 8.84% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला 100-बी 9.00% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला 101-बी 8.90% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला 102-ए(II) 8.90% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला 102-ए(III) 8.94% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला 103 9.20% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला 115 III 9.37% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला 117 बी 9.39% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला 118 बी II 9.39% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला 118 बी III 8.98% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला 120-ए

क्र.सं.	ट्रस्टी का नाम और पता	बॉण्ड श्रृंखला
		8.98% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला 120-बी 8.66% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला 123-सी 8.55% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला 124-बी 8.48% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला 124-सी 8.65% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला 125 8.65% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला 126 8.20% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला 128 8.42% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला 130-बी 8.39% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला 130-सी 8.38% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला 131-बी 8.41% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला 131-सी इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड (2010-11) ट्रांच1-श्रृंखला - I इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड (2010-11) ट्रांच1-श्रृंखला - II इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड (2010-11) ट्रांच1-श्रृंखला - III इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड (2010-11) ट्रांच1-श्रृंखला - IV 8.20% करमुक्त बॉण्ड का सार्वजनिक निर्गम वि.व.2011-12 8.30% करमुक्त बॉण्ड का सार्वजनिक निर्गम वि.व.2011-12
4.	**विस्ट्रा आईटीईएल (इंडिया) लिमिटेड,** **(पूर्ववर्ती आईएल एंड एफएस ट्रस्ट कंपनी लिमिटेड)** आईएल एंडएफएस फाइनेंशियल सेंटर, प्लॉट सी-22, जी ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051.	जीरो कूपन बॉण्ड (2022) xix श्रृंखला 8.19% पीएफसी सबॉर्डिनेटिड श्रेणी II ऋण बॉण्ड श्रृंखला 105 8.01% करमुक्त बॉण्ड श्रृंखला 107-ए 8.46% करमुक्त बॉण्ड श्रृंखला 107-बी 19.65% पीएफसी सबॉर्डिनेटिड श्रेणी II ऋण बॉण्ड श्रृंखला 11 9.70% कर योग्य प्रतिभूत बॉण्ड श्रृंखला 112 सी 9.70% पीएफसी सबॉर्डिनेटिड श्रेणी II ऋण बॉण्ड श्रृंखला 114 7.19% 10 वर्षीय करमुक्त बाँड 2012-13, ट्रांच I श्रृंखला 1 7.69% 10 वर्षीय करमुक्त बाँड 2012-13, ट्रांच I श्रृंखला 1 7.36% 15 वर्षीय करमुक्त बाँड 2012-13, ट्रांच I श्रृंखला 2 7.86% 15 वर्षीय करमुक्त बाँड 2012-13, ट्रांच I श्रृंखला 2 6.88% करमुक्त बॉण्ड 2012-13 ट्रांच 2 7.88% करमुक्त बॉण्ड 2012-13 ट्रांच 2 7.04% करमुक्त बॉण्ड 2012-13 ट्रांच 2 7.54% करमुक्त बॉण्ड 2012-13 ट्रांच 2 8.18% करमुक्त बॉण्ड 13-14 श्रृंखला 1 ए 8.43% करमुक्त बॉण्ड 13-14 श्रृंखला 1 बी 8.54% करमुक्त बॉण्ड 13-14 श्रृंखला 2 ए 8.79% करमुक्त बॉण्ड 13-14 श्रृंखला 2 बी 8.67% करमुक्त बॉण्ड 13-14 श्रृंखला 3 ए 8.92% करमुक्त बॉण्ड 13-14 श्रृंखला 3 बी
5.	**माइलस्टोन ट्रस्टीशिप सर्विसिज प्रा.लिमिटेड,** 402 ए, हॉलमार्क बिजनेस प्लाजा, संत ध्यानेश्वर मार्ग गुरूनानक अस्पताल के सामने, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051.	7.16% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला 136 8.53% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला 137 8.45% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला 138 8.36% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला 140-बी 8.46% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला 141-ए 8.40% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला 141-बी 8.05% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला 146 8.03% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला 147 8.04% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला 149 7.50% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला 150-ए 7.63% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला 150-बी 7.47% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला 151-ए 7.56% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला 151-बी 7.55% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला 152 7.40% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला 153 7.27% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला 154 7.23% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला 155 7.10% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला 156- भारत सरकार के पूर्णतः चुकता बॉण्ड 6.83% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला 157 7.18% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला 158- भारत सरकार के पूर्णतः चुकता बॉण्ड

क्र.सं.	ट्रस्टी का नाम और पता	बॉण्ड श्रृंखला
		7.05% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला 159 7.60% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला 160 - भारत सरकार के पूर्णतः चुकता बॉण्ड 7.50% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला 163 7.75% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला 164 - भारत सरकार के पूर्णतः चुकता बॉण्ड 7.42% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला 165 7.46% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला 166 7.30% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला 167 7.28% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला 168-ए 7.44% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला 168-बी 7.10% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला 169-ए 7.30% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला 169-बी 7.35% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला 170-ए 7.65% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला 170-बी 7.62% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला 171 7.74% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला 172 7.73% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला 173-ए 7.73% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला 173-बी 7.75% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला 175 7.99% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला 176-बी 7.85% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला 177 5.25% पीएफसी 54 ईसी बॉण्ड श्रृंखला 1
6.	**बीकॉन ट्रस्टीशिप लिमिटेड,** 4सी एंड डी, सिद्धिविनायक चैम्बर्स, गांधी नगर, एमआईजी क्रिकेट क्लब के सामने, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051.	8.95% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला 178 8.6% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला 179(ए) 8.64% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला 179(बी) 8.75% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला 180 8.45% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला 181 8.20% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला 182 8.18% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला 183 9.25% पीएफसी सबॉर्डिनेटिड ऋण बॉण्ड श्रृंखला 184-ए 9.10% पीएफसी सबॉर्डिनेटिड ऋण बॉण्ड श्रृंखला 184-बी 8.98% पीएफसी सबॉर्डिनेटिड ऋण बॉण्ड श्रृंखला 185 8.79% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला 186 8.20% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला 187(ए) 8.85% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला 187(बी) 8.10% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला 188 8.15% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला 189 8.25% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला 190 7.35% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला 191 7.42% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला 192 7.93% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला 193 7.04% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला 194 7.86% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला 195 7.41% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला 196 7.41% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला 197 5.75% पीएफसी 54 ईसी बॉण्ड श्रृंखला II 5.75% पीएफसी 54 ईसी बॉण्ड श्रृंखला III

निदेशक मंडल की रिपोर्ट का अनुलग्नक – ख

फॉर्म सं. एमजीटी-9
वार्षिक विवरणी का सारांश
31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष की स्थिति के अनुसार

कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 12 (1) और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92 (3) के अनुक्रम में

I. पंजीकरण और अन्य विवरण

(i)	सीआईएन	L65910DL1986GOI024862	
(ii)	पंजीकरण की तारीख	16 जुलाई, 1986	
(iii)	कंपनी का नाम	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	
(iv)	कंपनी की श्रेणी/उप श्रेणी	पब्लिक कंपनी/सरकारी कंपनी, एनबीएफसी, शेयरों द्वारा लिमिटेड, कंपनी जिनके पास शेयर पूंजी है।	
(v)	पंजीकृत कार्यालय का पता तथा संपर्क विवरण	**पंजीकृत कार्यालय** 'ऊर्जानिधि', 1, बाराखंबा लेन कनॉट प्लेस नई दिल्ली - 110 001 ई-मेलः investorsgrievancepfcindia.com	**कंपनी सचिव** श्री मनोहर बलवानी दूरभाष: +91 11 23456020 फैक्स: +91 11 23456786
(vi)	क्या कंपनी सूचीबद्ध है हां/नहीं	हां	
(vii)	रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट का नाम,पता और संपर्क विवरण	केफिन टेक्नोलोजिस प्राइवेट लिमिटेड सेलेनियम बिल्डिंग, टावर - बी, प्लॉट नंबर 31 एवं 32, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, सेरीलिंगमपल्ली, हैदराबाद - 500 032, तेलंगाना, भारत टेलीफोन नंबर: 91 40 67162222 ई-मेल: einward-ris@kfintech.com वेबसाइट: www-kfintech-com	

II. कंपनी के मुख्य व्यापारिक कार्यकलाप

क्र. सं.	मुख्य उत्पाद/सेवाओं का नाम और विवरण	उत्पाद/सेवा का एनआईसी कोड	कंपनी के कुल टर्नओवर का %
1.	ऋण पर ब्याज तथा अन्य सेवाओं से आय	64920 (अन्य वित्तीय सेवाएं एवं कार्यकलाप अन्य क्रेडिट ग्रांटिंग)	100

III. धारित, सहायक तथा सहयोगी कंपनियों का विवरण

क्र. सं.	कंपनी का नाम	सीआईएन/जीएलएन	धारक/ सहायक/ सहयोगी	धारित शेयरों का %	लागू धारा
1.	पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड	U74140DL2008GOI175858	सहायक कंपनी	100	कंपनी अधिनियम, 2013 का खंड 2(87)
2.	पावर इक्विटी कैपिटल एडवायजर्स प्राइवेट लिमिटेड	U65100DL2008PTC175845	सहायक कंपनी	100	
3.	आरईसी लिमिटेड (पूर्ववर्ती रुरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड)	L40101DL1969GOI005095	सहायक कंपनी	52.63	
4.	कोस्टल महाराष्ट्र मेगा पावर लिमिटेड	U40102DL2006GOI146953	सहायक कंपनी	100	
5.	साखीगोपाल इंटीग्रेटिड पावर कंपनी लिमिटेड	U40108DL2008GOI178409	सहायक कंपनी	100	
6.	उड़ीसा इंटीग्रेटिड पावर लिमिटेड	U40102DL2006GOI152423	सहायक कंपनी	100	
7.	घोगरपल्ली इंटीग्रेटिड पावर कंपनी लिमिटेड	U45207DL2008GOI178456	सहायक कंपनी	100	
8.	कोस्टल कर्नाटक पावर लिमिटेड	U40102DL2006GOI146109	सहायक कंपनी	100	
9.	तातिया आंध्रा मेगा पावर लिमिटेड	U40200DL2009GOI189476	सहायक कंपनी	100	
10.	कोस्टल तमिलनाडु पावर लिमिटेड	U40102DL2007GOI157615	सहायक कंपनी	100	
11.	देवघर मेगा पावर लिमिटेड	U40300DL2012GOI234839	सहायक कंपनी	100	
12.	छत्तीसगढ़ सरगुजा पावर लिमिटेड	U40102DL2006GOI146111	सहायक कंपनी	100	
13.	चेय्यूर इंफ्रा लिमिटेड	U93000DL2014GOI263819	सहायक कंपनी	100	

क्र. सं.	कंपनी का नाम	सीआईएन/जीएलएन	धारक/ सहायक/ सहयोगी	धारित शेयरों का %	लागू धारा
14.	देवघर इंफ्रा लिमिटेड	U93000DL2015GOI282164	सहायक कंपनी	100	
15.	ओडिशा इंफ्रापावर लिमिटेड	U93000DL2014GOI263902	सहायक कंपनी	100	
16.	बिहार इंफ्रापावर लिमिटेड	U93000DL2015GOI282192	सहायक कंपनी	100	
17.	बिहार मेगा पावर लिमिटेड	U93000DL2015GOI282653	सहायक कंपनी	100	
18.	झारखंड इंफ्रापावर लिमिटेड	U40300DL2015GOI288311	सहायक कंपनी	100	
19.	टांडा ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	U74999DL2013GOI257471	सहायक कंपनी	पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड के माध्यम से सहायक कंपनियां	
20.	शोंगटोंग करचम वांगटू ट्रांसमिशन लिमिटेड	U40300DL2017GOI310556	सहायक कंपनी		
21.	बिजावर विदर्भ ट्रांसमिशन लिमिटेड	U40300DL2017GOI310540	सहायक कंपनी		
22.	वापी - II नार्थ लखीमपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड	U40100DL2018GOI335750	सहायक कंपनी		
23.	कोप्पल-नरेंद्र ट्रांसमिशन लिमिटेड	U40106DL2019GOI357628	सहायक कंपनी		
24.	करूर ट्रांसमिशन लिमिटेड	U40106DL2019GOI357791	सहायक कंपनी		
25.	आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड	U40101DL2007GOI165779	सहायक कंपनी	आरईसी लिमिटेड के माध्यम से सहायक कंपनियां	
26.	आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड	U40101DL2007GOI157558	सहायक कंपनी		
27.	डिनचेंग ट्रांसमिशन लिमिटेड	U40300DL2015GOI288066	सहायक कंपनी		
28.	कोडरमा ट्रांसमिशन लिमिटेड	U40300DL2018GOI331192	सहायक कंपनी		
29.	चांडिल ट्रांसमिशन लिमिटेड	U40108DL2018GOI330905	सहायक कंपनी		
30.	मंदार ट्रांसमिशन लिमिटेड	U40101DL2018GOI331526	सहायक कंपनी		
31.	दुमका ट्रांसमिशन लिमिटेड	U40300DL2018GOI331490	सहायक कंपनी		
32.	एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसिज लिमिटेड	U40200DL2009PLC196789	संयुक्त उद्यम	47.15 (जिसमें से 24.97% प्रत्यक्ष रूप से और 22.18% आरईसी के माध्यम से)	कंपनी अधिनियम, 2013 का खंड 2(6)

IV. शेयरधारिता पैटर्न (कुल इक्विटी के प्रतिशत के रूप में इक्विटी शेयर कैपिटल ब्रेकअप)

(i) श्रेणीवार शेयरधारिता

शेयरधारक की श्रेणी	वर्ष की शुरूआत में धारित शेयर की सं.				वर्ष के अंत में धारित शेयर की सं.				वर्ष के दौरान परिवर्तन
	डीमैट	भौतिक	जोड़	कुल शेयर का %	डीमैट	भौतिक	जोड़	कुल शेयर का %	
(क) प्रोमोटर और प्रोमोटर ग्रुप									
(1) भारतीय									
(क) व्यक्ति रूप में/एचयूएफ	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0
(ख) केंद्र सरकार/राज्य सरकार (सरकारें)	1558889417	0	1558889417	59.05	1478291778	0	1478291778	55.99	(3.05)
(ग) निगमित निकाय	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0
(घ) बैंक/एफआई	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0
(ड) कोई अन्य	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0
उप-जोड़ (क) (1)	**1558889417**	**0**	**1558889417**	**59.05**	**1478291778**	**0**	**1478291778**	**55.99**	**(3.05)**
(2) विदेशी									
(क) व्यक्ति विशेष (एनआरआई/ विदेशी व्यक्ति)	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0
(ख) निगमित निकाय	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0
(ग) संस्थान	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0
(घ) अर्हताप्राप्त विदेशी निवेशक	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0
(ड) अन्य	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0
उप-जोड़ (क) (2)	**0**	**0**	**0**	**0.00**	**0**	**0**	**0**	**0.00**	**0**
प्रोमोटर की कुल शेयरधारिता (क) = (क)(1)+ (क)(2)	**1558889417**	**0**	**1558889417**	**59.05**	**1478291778**	**0**	**1478291778**	**55.99**	**(3.05)**

शेयरधारक की श्रेणी	वर्ष की शुरूआत में धारित शेयर की सं.				वर्ष के अंत में धारित शेयर की सं.				वर्ष के दौरान परिवर्तन
	डीमैट	भौतिक	जोड़	कुल शेयर का %	डीमैट	भौतिक	जोड़	कुल शेयर का %	
(ख) सार्वजनिक शेयरधारिता									
(1) संस्थागत									
(क) म्यूचुअल फंड/यूटीआई	311547880	0	311547880	11.80	365135276	0	365135276	13.83	2.03
(ख) बैंक/एफआई	18554333	2	18554335	0.70	13436902	2	13436904	0.51	(0.19)
(ग) केंद्र सरकार/ राज्य सरकार/ सरकारें	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
(घ) वेंचर कैपिटल फंड	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
(ड़) बीमा कंपनियां	163827217	0	163827217	6.21	160127605	0	160127605	6.07	(0.14)
(च) एफआईआईएस	439035837	0	439035837	16.63	499420391	0	499420391	18.92	2.29
(छ) विदेशी वेंचर कैपिटल निवेशक	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0
(ज) अर्हताप्राप्त विदेशी निवेशक	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0
(झ) अन्य	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0
उप-जोड़ (ख)(1)	**932965267**	**2**	**932965269**	**35.34**	**1038120174**	**2**	**1038120176**	**39.32**	**3.98**
(2) गैर संस्थागत संगठन									
(क) निगमित निकाय	22221097	0	22221097	0.84	15603969	0	15603969	0.59	(0.25)
(ख) व्यक्ति विशेष									
(i) व्यक्ति विशेष जिनके पास न्यूनतम ₹1 लाख तक की शेयर पूंजी है	88282914	39650	88322564	3.35	76555351	31307	76586658	2.90	(0.44)
(ii) व्यक्ति विशेष जिनके पास न्यूनतम ₹1 लाख से अधिक की शेयर पूंजी है	24496867	0	24496867	0.93	22367253	0	22367253	0.85	(0.08)
(ग) अन्य									
समाशोधन सदस्य	5820168	0	5820168	0.22	1204715	0	1204715	0.05	(0.17)
निदेशक	116402	0	116402	0.00	0	0	0	0.00	0.00
आईईपीएफ	36835	0	36835	0	48123	0	48123	0.00	0.00
अनिवासी भारतीय	2865120	0	2865120	0.11	2499994	0	2499994	0.09	(0.01)
अनिवासी भारतीय नॉन-रिपैट्रिएशन	1020453	0	1020453	0.04	2010113	0	2010113	0.08	0.04
अर्हताप्राप्त संस्थागत खरीदार	0	0	0	0	705375	0	705375	0.03	0.03
न्यास	3327216	0	3327216	0.13	2643254	0	2643254	0.10	(0.03)
(घ) अर्हताप्राप्त विदेशी निवेशक	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
उप-जोड़ (ख) (2)	**148187072**	**39650**	**148226722**	**5.61**	**123638147**	**31307**	**123669454**	**4.68**	**(0.93)**
कुल सार्वजनिक शेयरधारिता (ख)= (ख)(1)+ (ख) (2)	**1081152339**	**39652**	**1081191991**	**40.95**	**1161758321**	**31309**	**1161789630**	**44.01**	**3.05**
कुल (क)+(ख)	**2640041756**	**39652**	**2640081408**	**100.00**	**2640050099**	**31309**	**2640081408**	**100.00**	**0.00**
(ग) अभिरक्षक द्वारा धारित शेयर, जिनके विरुद्ध जमा रसीदें जारी की गईं हैं									
1. प्रोमोटर और प्रोमोटर ग्रुप	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
2. सार्वजनिक	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
सकल योग (क+ख+ग)	**2640041756**	**39652**	**2640081408**	**100.00**	**2640050099**	**31309**	**2640081408**	**100.00**	**0.00**

(ii) प्रोमोटरों की शेयरधारिता

क्र सं.	शेयरधारक का नाम	वर्ष की शुरूआत में शेयरधारिता			वर्ष के अंत में शेयरधारिता			वर्ष के दौरान शेयरधारिता में परिवर्तन का %
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	कुल शेयरों के गिरवी/ऋणग्रस्त शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	कुल शेयरों के गिरवी/ऋणग्रस्त शेयरों का %	
1.	भारत के राष्ट्रपति	1558889417	59.05	शून्य	1478291778	55.99	शून्य	(3.05)

(iii) प्रोमोटरों की शेयरधारिता में परिवर्तन

क्र. सं.	विवरण		वर्ष की शुरूआत में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
			शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
1.	**भारत के राष्ट्रपति**		1558889417	59.05	1558889417	59.05
	वर्ष की शुरूआत में - प्रारंभिक शेष					
	तारीख	लेन-देन का प्रकार				
	19/07/2019	बिक्री (सीपीएसइ ईटीएफ में हस्तांतरित)	(80009707)	(3.03)	1478879710	56.02
	26/07/2019	खरीद	3695878	0.14	1482575588	56.16
	04/10/2019	बिक्री (भारत 22 ईटीएफ में हस्तांतरित)	(4498588)	(0.17)	1478077000	55.99
	18/10/2019	खरीद	214778	0	1478291778	55.99
	वर्ष के अंत में - अंतिम शेष				1478291778	55.99

(iv) शीर्ष के दस शेयरधारकों (निदेशक, प्रोमोटरों और जीडीआर तथा एडीआर धारकों से इतर) का शेयरधारिता पैटर्न

क्र. सं.	विवरण	वर्ष की शुरूआत में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
1.	**एचडीएफसी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड - एचडीएफसी इंफ्रास्ट्रक्चर**				
	वर्ष की शुरूआत में	198898595	7.53	198898595	7.53
	वर्ष के दौरान खरीद	45728428	1.73	244627023	9.27
	वर्ष के दौरान बिक्री	477400	0.02	244149623	9.25
	वर्ष के अंत में	244149623	9.25	244149623	9.25
2.	**भारतीय जीवन बीमा निगम -फार्च्यून प्लस ग्रोथ फंड**				
	वर्ष की शुरूआत में	156320146	5.92	156320146	5.92
	वर्ष के दौरान खरीद	195000	0.01	156515146	5.93
	वर्ष के दौरान बिक्री	1336932	0.05	155178214	5.88
	वर्ष के अंत में	155178214	5.88	155178214	5.88
3.	**द विंडअक्रे पार्टनरशिप मास्टर फंड एलपी**				
	वर्ष की शुरूआत में	0	0.00	0	0.00
	वर्ष के दौरान खरीद	128615000	4.87	128615000	4.87
	वर्ष के दौरान बिक्री	0	0	128615000	4.87
	वर्ष के अंत में	128615000	4.87	128615000	4.87
4.	**यूबीएस प्रिंसिपल कैपिटल एशिया लिमिटेड**				
	वर्ष की शुरूआत में	142238384	5.39	142238384	5.39
	वर्ष के दौरान खरीद	26085616	0.99	168324000	6.38
	वर्ष के दौरान बिक्री	81700000	3.09	86624000	3.28
	वर्ष के अंत में	86624000	3.28	86624000	3.28
5.	**रिलायंस कैपिटल ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड-खाता रेलिया**				
	वर्ष की शुरूआत में	93935897	3.56	93935897	3.56
	वर्ष के दौरान खरीद	153822096	5.83	247757993	9.83
	वर्ष के दौरान बिक्री	196772412	7.45	50985581	1.93
	वर्ष के अंत में	50985581	1.93	50985581	1.93

क्र. सं.	विवरण	वर्ष की शुरूआत में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
6.	**एमआईआरएई एसेट इमर्जिंग ब्लूचिप फंड**				
	वर्ष की शुरूआत में	12862054	0.49	12862054	0.49
	वर्ष के दौरान खरीद	45935720	1.74	58797774	2.23
	वर्ष के दौरान बिक्री	7913391	0.29	50884383	1.93
	वर्ष के अंत में	50884383	1.93	50884383	1.93
7.	**आबू धाबी इंवेस्टमेंट अथॉरिटी - पीकॉक**				
	वर्ष की शुरूआत में	11535455	0.44	11535455	0.44
	वर्ष के दौरान खरीद	12680556	0.48	24216011	0.92
	वर्ष के दौरान बिक्री	3287927	0.12	20928084	0.79
	वर्ष के अंत में	20928084	0.79	20928084	0.79
8.	**मोर्गन स्टैनली एशिया(सिंगापोर) पीटीई.**				
	वर्ष की शुरूआत में	0	0.00	0	0.00
	वर्ष के दौरान खरीद	52109174	1.97	52109174	1.97
	वर्ष के दौरान बिक्री	35653578	1.35	16455596	0.62
	वर्ष के अंत में	16455596	0.62	16455596	0.62
9.	**वैनगॉर्ड टोटल इंटरनेशनल स्टॉक इंडेक्स फंड**				
	वर्ष की शुरूआत में	10344621	0.39	10344621	0.39
	वर्ष के दौरान खरीद	1645535	0.06	11990156	0.45
	वर्ष के दौरान बिक्री	272303	0.01	11717853	0.44
	वर्ष के अंत में	11717853	0.44	11717853	0.44
10.	**एलएसवी एमर्जिंग मार्केट्स इक्विटी फंड एलपी**				
	वर्ष की शुरूआत में	12625500	0.48	12625500	0.48
	वर्ष के दौरान खरीद	0	0.00	12625500	0.48
	वर्ष के दौरान बिक्री	1412600	0.05	11212900	0.42
	वर्ष के अंत में	11212900	0.42	11212900	0.42

टिप्पणी:

1. कंपनी के शेयरों का कारोबार दैनिक आधार पर किया जाता है और इसलिए शेयरधारिता में तारीख वार वृद्धि/कमी का संकेत नहीं दिया जाता है।
2. शेयरहोल्डिंग को शेयरधारक के पैन के आधार पर माना जाता है।
3. प्रतिशत की गणना कंपनी के कुल शेयरों के 31 मार्च, 2020 तक की गई है।
4. शीर्ष 10 शेयरधारकों के लिए अंतिम शेष को आधार के रूप में लिया गया है।

(v) निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों में से प्रत्येक की शेयरधारिता:

क्र. सं.	निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों में से प्रत्येक के लिए	वर्ष की शुरूआत में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
1.	**राजीव शर्मा**				
	वर्ष की शुरूआत में	32574	0.00	32574	0.00
	वर्ष के दौरान शेयरधारिता में वृद्धि/कमी	कोइ परिवर्तन नहीं	0.00	32574	0.00
	वर्ष के अंत में			32574	0.00
2.	**एन. बी. गुप्ता**				
	वर्ष की शुरूआत में	24584	0.00	24584	0.00
	वर्ष के दौरान शेयरधारिता में वृद्धि/कमी	कोइ परिवर्तन नहीं	0.00	24584	0.00
	वर्ष के अंत में			24584	0.00
3.	**पी. के. सिंह**				
	वर्ष की शुरूआत में	32194	0.00	32194	0.00
	वर्ष के दौरान शेयरधारिता में वृद्धि/कमी	कोइ परिवर्तन नहीं	0.00	32194	0.00
	वर्ष के अंत में			32194	0.00
4.	**आर. एस. ढिल्लों (12.6.2019 से)**				
	वर्ष की शुरूआत में	27050	0.00	27050	0.00
	वर्ष के दौरान शेयरधारिता में वृद्धि/कमी	कोइ परिवर्तन नहीं	0.00	27050	0.00
	वर्ष के अंत में			27050	0.00

क्र. सं.	निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों में से प्रत्येक के लिए	वर्ष की शुरूआत में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
5.	**आर. सी. मिश्रा (11.07.2019 से)**				
	वर्ष की शुरूआत में	शून्य	0.00	शून्य	0.00
	वर्ष के दौरान शेयरधारिता में वृद्धि/कमी	कोइ परिवर्तन नहीं	0.00	शून्य	0.00
	वर्ष के अंत में				0.00
6.	**गौरी चौधरी**				
	वर्ष की शुरूआत में	शून्य	0.00	शून्य	0.00
	वर्ष के दौरान शेयरधारिता में वृद्धि/कमी	कोइ परिवर्तन नहीं	0.00	शून्य	0.00
	वर्ष के अंत में			शून्य	0.00
7.	**मृत्युंजय कुमार नारायण (28.8.2019 से)**				
	वर्ष की शुरूआत में	शून्य	0.00	शून्य	0.00
	वर्ष के दौरान शेयरधारिता में वृद्धि/कमी	कोइ परिवर्तन नहीं	0.00	शून्य	0.00
	वर्ष के अंत में			शून्य	0.00
8.	**सीताराम पारीक (06.02.2020 तक)**				
	वर्ष की शुरूआत में	शून्य	0.00	शून्य	0.00
	वर्ष के दौरान शेयरधारिता में वृद्धि/कमी	कोइ परिवर्तन नहीं	0.00	शून्य	0.00
	वर्ष के अंत में			शून्य	0.00
9.	**अरुण कुमार वर्मा (28.08.2019 तक)**				
	वर्ष की शुरूआत में	शून्य	0.00	शून्य	0.00
	वर्ष के दौरान शेयरधारिता में वृद्धि/कमी	कोइ परिवर्तन नहीं	0.00	शून्य	0.00
	वर्ष के अंत में			शून्य	0.00
10.	**चिन्मय गंगोपाध्याय (01.05.2019 तक)**				
	वर्ष की शुरूआत में	21488	0.00	21488	0.00
	वर्ष के दौरान शेयरधारिता में वृद्धि/कमी	कोइ परिवर्तन नहीं	0.00	21488	0.00
	वर्ष के अंत में			21488	0.00
11.	**मनोहर बलवानी**				
	वर्ष की शुरूआत में	शून्य	0.00	शून्य	0.00
	वर्ष के दौरान शेयरधारिता में वृद्धि/कमी	कोइ परिवर्तन नहीं	0.00	शून्य	0.00
	वर्ष के अंत में			शून्य	0.00

V. ऋणग्रस्तता

बकाया/संचित, परंतु भुगतान के लिए देय नहीं, ब्याज सहित कंपनी को ऋणग्रस्तता

	जमा राशियों को छोड़कर प्रतिभूत ऋण	अप्रतिभूत ऋण	अप्रतिभूत ऋण (भारत सरकार के पूर्णतः प्रदत्त बॉण्ड)	जमा राशियां	कुल ऋणग्रस्तता
वित्तीय वर्ष की शुरूआत में ऋणग्रस्तता					
1. मूलधन	19,327.84	2,55,742.78	5,000	0	2,80,070.62
2. देय परंतु भुगतान न किया गया ब्याज	0	0	0	0	
3. संचित परंतु देय नहीं ब्याज	644.47	6448.65	38.21	0	7,131.33
जोड़ (1+2+3)	**19,972.31**	**2,62,191.43**	**5,038.21**	**0**	**2,87,201.95**
वित्तीय वर्ष के दौरान ऋणग्रस्तता में परिवर्तन					
वृद्धि	8,831.35	1,02,629.63	38.21	0	1,11,499.19
कमी	(2,776.40)	(85,907.60)	(38.21)	0	(88,722.21)
विनिमय हानि	0	3,765.93	0	0	3,765.93
निवल परिवर्तन	**6,054.95**	**20,487.96**	**0**	**0**	**26,542.91**
वित्तीय वर्ष के अंत में ऋणग्रस्तता					
1. मूलधन	25,317.28	2,76,096.51	5,000	0	3,06,413.79
2. देय परंतु भुगतान न किया गया ब्याज	0	0	0	0	0
3. संचित परंतु देय नहीं ब्याज	709.98	6,582.88	38.72	0	7,331.58
जोड़ (1+2+3)	**26,027.26**	**2,82,679.39**	**5,038.72**	**0**	**3,13,745.37**

*टिप्पणी:

1. वार्षिक लेखाओं की क्लोजिंग के लिए संगत विनिमय दर निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

	31-03-2020	31-03-2019
यूएसडी/रुपए	75.385900	69.155000
जेपीवाई/रुपए	0.696500	0.624175
यूरो/रुपए	83.049600	77.672500

2. मूलधन (ऋण देयता) के मामले में वृद्धि वर्ष के दौरान ऋण को तथा कमी वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान को इंगित करता है।
3. ब्याज भुगतान के मामले में, जो दर प्रेषण के लिए लागू है, वह ब्याज खर्च की बुकिंग के लिए उपयोग किया जाता है तथा इसलिए लेखाओं के लिए कोई विनिमय अभि लाभ/हानि नहीं होती है। इसलिए ब्याज में परिवर्तन को वृद्धि के रूप में दिखाया गया है।
4. उपर्युक्त वर्णित, परिवर्तन हानि समन्वय के लिए कर नियमों के अनुसार परिकलित होता है; अगर हानि, ऋणमुक्ति के अनुसार जैसा कि एएस-11 में दिया गया है, लिया जाता है तो ऋण देयता का प्रारंभिक शेष और अंतिम शेष में मिलान नहीं हो सकता है।

VI. निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक

(क) प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशकों और/अथवा प्रबंधकों का पारिश्रमिक

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	प्रबंध निदेशक/ पूर्णकालिक निदेशक/ प्रबंधक का नाम					कुल राशि
		राजीव शर्मा	एन. बी. गुप्ता	पी.के. सिंह	आर. एस. ढिल्लों, (12.6.2019 से)	सी. गंगोपाध्याय (30.04.2019 तक)	
1.	**सकल वेतन**						
(क)	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन	88,56,376	80,24,091	70,85,310	38,86,790	21,20,752	2,99,73,319
(ख)	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अंतर्गत परिलब्धियों का मूल्य	12,28,545	66,888	2,54,309	21,243	2,99,824	18,70,809
(ग)	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (3) के अतंगर्त वेतन के बदले में प्राप्त होने वाले लाभ	0	0	0	0	0	0
2.	**स्टॉक विकल्प**	0	0	0	0	0	0
3.	**स्वेट इक्विटी**	0	0	0	0	0	0
4.	**कमीशन**	0	0	0	0	0	0
	- लाभ के % रूप में :	0	0	0	0	0	0
	- अन्य	0	0	0	0	0	0
5.	**अन्य**	0	0	0	0	0	0
	जोड़ (क)	**1,00,84,921**	**80,90,979**	**73,39,619**	**39,08,033**	**24,20,576**	**3,18,44,128**
	अधिनियम के अनुसार सीमा*						

*पीएफसी एक सरकारी कंपनी होने के नाते अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और निदेशकों की नियुक्ति तथा उनके पारिश्रमिक का निर्धारण कंपनी के संस्था के अंतर्नियम के संदर्भ में भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है।

टिप्पणी:

1. वेतन एवं भत्तों पर निदेशक या केएमपी की हैसियत से कार्य करने की अवधि के लिए भुगतान आधार पर विचार किया गया है।
2. उपरोक्त जानकारी फॉर्म -16 (आयकर अधिनियम 1961) के अनुसार वेतन से प्राप्त आय के अनुसार है।

(ख) अन्य निदेशकों का पारिश्रमिक

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	निदेशकों का नाम			
1.	**स्वतंत्र निदेशक**	**सीताराम पारीक (06.02.2020 तक)**	**गौरी चौधरी**	**आर.सी. मिश्रा (11.07.2019 से)**	**कुलराशि**
	बोर्ड/समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए शुल्क	5,60,000	6,10,000	4,40,000	16,10,000
	कमीशन	0	0	0	0
	अन्य	27,153	49,000	9,562	85,715
	जोड़ (1)	**5,87,153**	**6,59,000**	**4,49,562**	**16,95,715**
2.	**अन्य गैर-कार्यपालक निदेशक**	**अरुण कुमार वर्मा (27.08.2019 तक)**	**मृत्युंजय कुमार नारायण (28.08.2019 से)**		
	बोर्ड/समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए शुल्क	0	0		
	कमीशन	0	0		
	अन्य	0	0		
	जोड़ (2)	**0**	**0**		
	जोड़ (ख)=(1+2)				**16,95,715**
	कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक (क + ख)				
	अधिनियम के अनुसार संपूर्ण सीमा				

टिप्पणी: अन्य व्यय में आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसिज, यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति

- स्वतंत्र निदेशकों को सिटिंग शुल्क अर्थात ₹20,000/- का भुगतान किया गया। निदेशक मंडल की प्रत्येक बैठक में भाग लेने के लिए दिसंबर 2019 में निदेशक मंडल ने शुल्क बढ़ाकर ₹40,000 और निदेशकों की समिति की प्रत्येक बैठक में भाग लेने के लिए ₹30,000/- कर दिया। कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत यथानिर्धारित सीमाओं के भीतर निदेशक मंडल और निदेशकों की समितियों की प्रत्येक बैठक में भाग लेने के लिए ₹1,00,000 सिटिंग शुल्क का भुगतान किया गया।

(ग) प्रबंध निदेशक/ प्रबंधक/ पूर्णकालिक निदेशकों से इतर अन्य प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक	कुल राशि
		श्री मनोहर बलवानी, सीएस	
1.	सकल वेतन	46,79,051	46,79,051
(क)	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन	3,06,783	3,06,783
(ख)	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अंतर्गत परिलब्धियों का मूल्य	0	0
(ग)	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के अंतर्गत वेतन के बदले में प्राप्त होने वाले लाभ	0	0
2.	स्टॉक विकल्प	0	0
3.	स्वेट इक्विटी	0	0
4.	कमीशन	0	0
	- लाभ के % के रूप में		
	- अन्य		
5.	अन्य (अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्ति हितलाभ, आवासीय पट्टा और गैर करयोग्य अनुलब्धियों में अंशदान)	0	0
	जोड़	**49,85,834**	**49,85,834**

टिप्पणी:

1. वेतन एवं भत्तों पर निदेशक या केएमपी की हैसियत से कार्य करने की अवधि के लिए भुगतान आधार पर विचार किया गया है।
2. उपरोक्त जानकारी फॉर्म -16 (आयकर अधिनियम 1961) के अनुसार वेतन से प्राप्त आय के अनुसार है।

VII. अपराधों की शास्तियां/ दंड/ कंपाउंडिंग

प्रकार	कंपनी अधिनियम अधिनियम	संक्षिप्त विवरण	लगाए गई शास्ति/ सजा/ अधिरोपित कंपाउंडिंग शुल्क का विवरण	प्राधिकरण (आरडी/ एनसीएलटी/कोर्ट)	अपील यदि कोई की गई हो
(क) कंपनी					
शास्ति					
दंड			शून्य		
कंपाउंडिंग					
(ख) निदेशक					
शास्ति					
दंड			शून्य		
कंपाउंडिंग					
(ग) चूक करने वाले अन्य अधिकारी					
शास्ति					
दंड			शून्य		
कंपाउंडिंग					

निदेशक मंडल की रिपोर्ट का अनुलग्नक – ग

वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए सीएसआर कार्यकलापों पर वार्षिक रिपोर्ट

(कंपनी (निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियमावली, 2014 के नियम 8 और कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 9 के अनुक्रम में)

क्र. सं.	विवरण	विस्तृत विवरण
1.	किए जाने वाले प्रस्तावित कार्यक्रमों अथवा परियोजनाओं के सिंहावलोकन और सीएसआर नीति तथा परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों के लिए वेब लिंक के संदर्भ सहित कंपनी की सीएसआर नीति की संक्षिप्त रूपरेखा।	पीएफसी की निगमित समाजिक उत्तरदायित्व और संधारणीयता नीति (सीएसआर एंड एसपी) का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कॉर्पोरेशन सामाजिक रूप से एक उत्तरदायी निगमित निकाय बन सके, जो मुख्य रूप से समाज की विद्युत और ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने पर जोर देते हुए स्थायी विकास के लिए परियोजनाएं पूरी कर बड़े पैमाने पर समाज के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए प्रतिबद्ध हो। कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुपालन में और डीपीई के नए दिशा-निर्देशों के अनुसार पीएफसी के निदेशक मंडल ने निदेशकों की सीएसआर और एसडी समिति द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर पीएफसी की सीएसआर और एसडी नीति अनुमोदित की गई। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुपालन में कंपनी द्वारा तीन तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के दौरान अर्जित किए गए औसत निवल लाभ के कम-से-कम 2% के समतुल्य राशि प्रत्येक वित्तीय वर्ष में सीएसआर कार्यकलापों के लिए आबंटित की जाती है। निवल लाभ का अर्थ अधिनियम के लागू प्रावधानों के अनुसरण में तैयार किए गए वित्तीय विवरण के अनुसार कंपनी का लाभ। पीएफसी ने अपनी सीएसआर और संधारणीयता नीति का कार्यान्वयन पूरी ईमानदारी और उत्साह के साथ किया है। सीएसआर संबंधी कार्यकलापों का पर्यवेक्षण करने के लिए कंपनी ने एक स्वतंत्र निदेशक की अध्यक्षता में बोर्ड स्तर पर निदेशकों की सीएसआर एवं एसडी समिति का गठन किया है। वर्ष के दौरान, पीएफसी ने पर्यावरणीय निरंतरता, कौशल विकास, साफ-सफाई, स्वास्थ्य देखरेख, और अन्यथा सक्षम/दिव्यांग लोगों की सहायता आदि के क्षेत्रों में व्यापक पैमाने पर कार्यकलापों का कार्यान्वयन किया। इसके अलावा, डीपीई के अनुदेश के अनुसार, पीएफसी ने विषयगत क्षेत्रों यानी स्कूली शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा में भी योगदान दिया है जिसमें वरीयता प्राप्त जिलों को प्राथमिकता दी गई है। पीएफसी की सीएसआर नीति और परियोजनाओं/कार्यक्रमों के विवरण निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध हैं: https://pfcindia.com/DocumentRepository/ckfinder/files/CSR/CSRpolicy_ 07032019.pdf https://pfcindia.com/DocumentRepository/ckfinder/files/CSR/website_update_FY_1920_as_of_31032020.pdf
2.	सीएसआर समिति की संरचना	पीएफसी में सीएसआर और एसडी कार्यकलापों के लिए दिशा-निर्देश देने और विभिन्न सीएसआर एवं एसडी परियोजनाओं को शुरू करने के लिए निदेशक मंडल को सिफारिश करनेहेतु एक सीएसआर एवं एसडी समिति का गठन किया गया है। 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार समिति का स्वरूप निम्नानुसार है 1. श्री आर. सी. मिश्रा, स्वतंत्र निदेशक — अध्यक्ष 2. श्रीमती गौरी चौधरी, स्वतंत्र निदेशक — सदस्य 3. श्री प्रवीण कुमार सिंह, निदेशक (वाणिज्यिक) — सदस्य
3.	पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए पीएफसी का औसत निवल लाभ	₹6,792.89 करोड़
4.	निर्धारित सीएसआर व्यय (उपर्युक्त मद सं. 3 में दी गई राशि का 2%)	₹135.86 करोड़
5.	वित्तीय वर्ष के दौरान सीएसआर कार्यकलापों पर किए गए व्यय के विवरण:	
(क)	वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की जाने वाली कुल राशि:	₹314.74 करोड़ (अर्थात वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए ₹135.86 करोड़ और पिछले वर्ष का बकाया ₹178.88 करोड़ इस वर्ष में जोड़े गए)।
(ख)	खर्च न की गई राशि, यदि कोई है:	₹217.59 करोड़
(ग)	वित्तीय वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि का ढंग एवं उसके विवरण नीचे दिए गए हैं।	वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान ₹97.15 करोड़ की राशि निम्नलिखित प्रकार से खर्च की गई:

क्र सं	चिन्हित की गई सीएसआर परियोजना अथवा कार्यकलाप	वह क्षेत्र जिससे परियोजना संबंधित है	परियोजनाएं अथवा कार्यक्रम (1) स्थानीय क्षेत्र अथवा अन्य (2) राज्य और जिला	परियोजना अथवा कार्यक्रमवार राशि परिव्यय (बजट/संस्वीकृत राशि) (₹ करोड़ में)	परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों पर वित्तीय वर्ष 2019-20 में खर्च की गई राशि (₹ करोड़ में) उपशीर्ष: (1) प्रत्यक्ष व्यय (2) उपरिव्यय	रिपोर्टाधीन अवधि तक संचित व्यय (₹ करोड़ मे)	खर्च की गई राशि: प्रत्यक्ष रूप से अथवा कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
1.	कारगिल टाउन एंड डिस्ट्रिक्ट मुख्यालय (जे एंड के) की स्ट्रीट लाइटिंग/हाई मास्ट लाइट	पर्यावरणीय स्थिरता (सौर अनुप्रयोग/ वनीकरण/ अपशिष्ट प्रबंधन/ ऊर्जा कुशल एलईडी प्रकाश व्यवस्था)	जम्मू और कश्मीर	3.76	0.04	3.76	कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
2.	उत्तराखंड के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में आपदा के दौरान नष्ट हुए बुनियादी ढांचे के पुनः निर्माण के लिए राहत और पुनर्वास गतिविधियां	अन्य	उत्तराखंड	3	0.04	1.56	
3.	झारखंड के गिरिडीह,धनबाद और बोकारो जिलों में गांवों की गलियों में सोलर लाइटिंग सिस्टम की आपूर्ति, स्थापना और कमीशनिंग	पर्यावरणीय स्थिरता (सौर अनुप्रयोग/ वनीकरण/ अपशिष्ट प्रबंधन/ऊर्जा कुशल एलईडी प्रकाश व्यवस्था)	झारखंड	1.09	0.21	0.98	
4.	भुवनेश्वर शहर के कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में 500 केडब्लूपी की कुल क्षमता की आपूर्ति स्थापना और ग्रिड से जुड़े रूफ टॉप सोलर पीवी (आरटीएसपीवी) की आपूर्ति।	पर्यावरणीय स्थिरता (सौर अनुप्रयोग/ वनीकरण/ अपशिष्ट प्रबंधन/ऊर्जा कुशल एलईडी प्रकाश व्यवस्था)	ओडिशा	2.13	0.3	2.13	
5.	स्वच्छ भारत विद्यालय अभियान (8,100 शौचालय) के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शौचालयों का निर्माण	स्वच्छता/ पेयजल/ स्वास्थ्य सेवा	आंध्रप्रदेश	177.28	1.34	172.84	
6.	स्वच्छ भारत विद्यालय अभियान (1,100 शौचालय) के तहत राजस्थान के सरकारी स्कूलों में शौचालयों का निर्माण	स्वच्छता/ पेयजल/ स्वास्थ्य सेवा	राजस्थान	18.17	0.05	16.35	
7.	वाराणसी क्षेत्र के चौदह वार्डों में नगरपालिका ठोस अपशिष्ट (एमएसडब्ल्यू) के स्वचालित स्वीपिंग संग्रह और परिवहन की सेवाएं प्रदान करना	स्वच्छता/ पेयजल/ स्वास्थ्य सेवा	उत्तर प्रदेश	8.00	2.40	8.00	
8.	पीलीभीत में 500 सौर आधारित एलईडी स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम का कार्यान्वयन	पर्यावरणीय स्थिरता (सौर अनुप्रयोग/ वनीकरण/ अपशिष्ट प्रबंधन/ऊर्जा कुशल एलईडी प्रकाश व्यवस्था)	उत्तर प्रदेश	1.27	0.13	1.27	
9.	बस्ती में 500 सौर आधारित एलईडी स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम का कार्यान्वयन	पर्यावरणीय स्थिरता (सौर अनुप्रयोग/ वनीकरण/ अपशिष्ट प्रबंधन/ऊर्जा कुशल एलईडी प्रकाश व्यवस्था)	उत्तर प्रदेश	1.27	0.13	1.27	
10.	1,000 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए सौर सामुदायिक सिंचाई योजनाएं	पर्यावरणीय स्थिरता (सौर अनुप्रयोग/ वनीकरण/ अपशिष्ट प्रबंधन/ऊर्जा कुशल एलईडी प्रकाश व्यवस्था)	छत्तीसगढ़	24.00	5.77	18.78	
11.	श्रावस्ती में 500 सौर आधारित एलईडी स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम का कार्यान्वयन	पर्यावरणीय स्थिरता (सौर अनुप्रयोग/ वनीकरण/ अपशिष्ट प्रबंधन/ऊर्जा कुशल एलईडी प्रकाश व्यवस्था)	उत्तर प्रदेश	1.12	0.11	1.12	
12.	एनएच -7 के नागपुर क्षेत्र में वृक्षारोपण परियोजना	पर्यावरणीय स्थिरता (सौर अनुप्रयोग/ वनीकरण/ अपशिष्ट प्रबंधन/ऊर्जा कुशल एलईडी प्रकाश व्यवस्था)	महाराष्ट्र	12.63	4.2	6.31	

क्र सं	चिन्हित की गई सीएसआर परियोजना अथवा कार्यकलाप	वह क्षेत्र जिससे परियोजना संबंधित है	परियोजनाएं अथवा कार्यक्रम (1) स्थानीय क्षेत्र अथवा अन्य (2) राज्य और जिला	परियोजना अथवा कार्यक्रमवार राशि परिव्यय (बजट/संस्वीकृत राशि) (₹ करोड़ में)	परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों पर वित्तीय वर्ष 2019-20 में खर्च की गई राशि (₹ करोड़ में) उपशीर्ष: (1) प्रत्यक्ष व्यय (2) उपरिव्यय	रिपोर्टाधीन अवधि तक संचित व्यय (₹ करोड़ मे)	खर्च की गई राशि: प्रत्यक्ष रूप से अथवा कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
13.	सर सुंदरलाल अस्पताल, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी विभाग, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस (आईएमएस), बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू), वाराणसी के लिए कैंसर का पता लगाने और जागरूकता संबंधी मोबाइल वैन और संबंधित उपकरण उपलब्ध कराना	स्वच्छता/ पेयजल/ स्वास्थ्य सेवा	उत्तर प्रदेश	1.17	0.03	0.03	
14.	उत्तर प्रदेश के देवरिया क्षेत्र में सौर आधारित एलईडी स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम (एसएलएस) और सौर हाई मास्ट लाइट (एसएचएमएलएस) का कार्यान्वयन	पर्यावरणीय स्थिरता (सौर अनुप्रयोग/ वनीकरण/ अपशिष्ट प्रबंधन/ऊर्जा कुशल एलईडी प्रकाश व्यवस्था)	उत्तर प्रदेश	0.49	0.18	0.38	
15.	आगरा (उत्तर), आगरा (दक्षिण) और फिरोजाबाद क्षेत्रों में सौर आधारित एलईडी स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम (एसएलएस) और सौर हाई मास्ट लाइट (एसएचएमएलएस) का कार्यान्वयन	पर्यावरणीय स्थिरता (सौर अनुप्रयोग/ वनीकरण/ अपशिष्ट प्रबंधन/ऊर्जा कुशल एलईडी प्रकाश व्यवस्था)	उत्तर प्रदेश	2.26	0.45	1.76	
16.	सिद्धार्थनगर के गांवों में पीने के प्रयोजनों के लिए 500 इंडिया मार्क II हैंड पंप की आपूर्ति और स्थापना	स्वच्छता/ पेयजल/ स्वास्थ्य सेवा	उत्तर प्रदेश	2.03	1.22	1.22	
17.	आंध्र प्रदेश में अजा/ अजजा/अपिव/ पीडब्ल्यूडी/ महिला/ ईडब्ल्यूएस वर्ग से संबंधित बेरोजगार युवाओं के लिए कौशल विकास कार्यक्रम	शिक्षा/व्यावसायिक कौशल विकास	आंध्र प्रदेश	5	2.54	2.54	
18.	मछलीशहर क्षेत्र जौनपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल उद्देश्यों के लिए 500 इंडिया मार्क II हैंड पंपों की आपूर्ति और स्थापना	स्वच्छता/ पेयजल/ स्वास्थ्य सेवा	उत्तर प्रदेश	2.18	0.87	2.18	
19.	कानपुर देहात के अकबरपुर में एलईडी आधारित 500 सोलर स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम (एसएलएस) की आपूर्ति, स्थापना और कमीशन	पर्यावरणीय स्थिरता (सौर अनुप्रयोग/ वनीकरण/ अपशिष्ट प्रबंधन/ऊर्जा कुशल एलईडी प्रकाश व्यवस्था)	उत्तर प्रदेश	1.12	0.63	0.85	
20.	स्टैच्यू ऑफ़ यूनिटी परियोजना के लिए सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय एकता ट्रस्ट (एस वीपीआरईटी) को योगदान	अन्य	गुजरात	12.50	12.50	12.50	
21.	चंदौली और वाराणसी जिले में पेयजल उद्देश्यों के लिए 500 इंडिया मार्क II हैंड पंप की आपूर्ति और स्थापना	स्वच्छता/ पेयजल/ स्वास्थ्य सेवा	उत्तर प्रदेश	2.72	1.63	1.63	
22.	चंदौली और वाराणसी जिले में 422 सौर आधारित एलईडी स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम(एसएलएस) की आपूर्ति	पर्यावरणीय स्थिरता (सौर अनुप्रयोग/ वनीकरण/ अपशिष्ट प्रबंधन/ऊर्जा कुशल एलईडी प्रकाश व्यवस्था)	उत्तर प्रदेश	0.27	0.18	0.18	

क्र सं	चिन्हित की गई सीएसआर परियोजना अथवा कार्यकलाप	वह क्षेत्र जिससे परियोजना संबंधित है	परियोजनाएं अथवा कार्यक्रम (1) स्थानीय क्षेत्र अथवा अन्य (2) राज्य और जिला	परियोजना अथवा कार्यक्रमवार राशि परिव्यय (बजट/संस्वीकृत राशि) (₹ करोड़ में)	परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों पर वित्तीय वर्ष 2019-20 में खर्च की गई राशि (₹ करोड़ में) उपशीर्ष: (1) प्रत्यक्ष व्यय (2) उपरिव्यय	रिपोर्टाधीन अवधि तक संचित व्यय (₹ करोड़ मे)	खर्च की गई राशि: प्रत्यक्ष रूप से अथवा कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
23.	महबूबबाद में एलईडी आधारित सोलर फोर-आर्म लाइटिंग सिस्टम (60) और सोलर स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम (322) की स्थापना और कमीशनिंग	पर्यावरणीय स्थिरता (सौर अनुप्रयोग/ वनीकरण/ अपशिष्ट प्रबंधन/ऊर्जा कुशल एलईडी प्रकाश व्यवस्था)	तेलंगाना	1.73	1.73	1.73	
24.	गाजियाबाद में (25) चयनित प्राथमिक स्कूलों और कस्तूरबा गांधी स्कूलों का उन्नयन	शिक्षा/व्यावसायिक कौशल विकास	उत्तर प्रदेश	1.23	1.23	1.23	
25.	उत्तर पूर्व के छह राज्यों में समाज के एससी/एसटी/ओबीसी/ पीडब्ल्यूडी/महिला/ईडब्ल्यूएस से संबंधित 290 बेरोजगार युवाओं/स्कूल छोड़ने वालों के लिए कौशल विकास कार्यक्रम	शिक्षा/व्यावसायिक कौशल विकास	उत्तर पूर्व के छह राज्य	2.24	1.40	1.40	
26.	श्रावस्ती के विभिन्न गांवों में 500 एलईडी आधारित सोलर स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम (एसएलएस) की आपूर्ति स्थापना और कमीशनिंग	पर्यावरणीय स्थिरता (सौर अनुप्रयोग/ वनीकरण/ अपशिष्ट प्रबंधन/ऊर्जा कुशल एलईडी प्रकाश व्यवस्था)	उत्तर प्रदेश	1.23	0.74	1.23	
27.	झारखंड राज्य में 'प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना'(सौभाग्य) के होर्डिंग्स का प्रदर्शन	अन्य	झारखंड	48.75	7.25	48.75	
28.	बिहार-भोजपुर ग्राम विकास कार्यक्रम के 3 ब्लॉक (पीरो,बिहिया,जगदीशपुर) में विकास कार्य	अन्य	बिहार	22.89	10.24	18.22	
29.	मेरठ में नेत्रहीनों के लिए बृजमोहन स्कूल के भवन का निर्माण	शिक्षा/व्यावसायिक कौशल विकास	उत्तर प्रदेश	4.87	2.83	2.83	
30.	गुंटूर जिले के दुर्गी और वेल्दुर्थी मंडल के विभिन्न पिछड़े गांवों/ ब्लॉकों में अक्षय ऊर्जा प्रणाली प्रदान करना	पर्यावरणीय स्थिरता (सौर अनुप्रयोग/ वनीकरण/ अपशिष्ट प्रबंधन/ऊर्जा कुशल एलईडी प्रकाश व्यवस्था)	आंध्र प्रदेश	2.32	0.72	0.72	
31.	पूर्णिया में 500 एलईडी आधारित सोलर स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम की आपूर्ति, संस्थापना और कमीशनिंग	पर्यावरणीय स्थिरता (सौर अनुप्रयोग/ वनीकरण/ अपशिष्ट प्रबंधन/ऊर्जा कुशल एलईडी प्रकाश व्यवस्था)	बिहार	1.13	1.04	1.04	
32.	गोवा के तिस्वाडी में डॉ के बी हेगड़ेवार स्कूल में बुनियादी ढांचे के कार्यों के लिए वित्तीय सहायता	शिक्षा/व्यावसायिक कौशल विकास	गोवा	3.00	1.50	1.50	
33.	बिहार के सीतामढ़ी जिले के बेलसंड प्रखंड के भंडारी पंचायत के तीन गाँवों भंडारी, मांची और महेशपुर में आदर्श पंचायत परियोजना का निर्माण और भंडारी में दो सरकारी स्कूलों का परिवर्तन	अन्य	बिहार	2.56	0.43	0.43	
34.	बस्ती के विभिन्न गांव में 100 सोलर पीवी हाईमास्ट लाइटिंग सिस्टम (व्हाइट एलईडी एसएचएमएलएस) की आपूर्ति, स्थापना और कमीशनिंग	पर्यावरणीय स्थिरता (सौर अनुप्रयोग/ वनीकरण/ अपशिष्ट प्रबंधन/ऊर्जा कुशल एलईडी प्रकाश व्यवस्था)	उत्तर प्रदेश	1.15	0.21	0.21	

क्र सं	चिन्हित की गई सीएसआर परियोजना अथवा कार्यकलाप	वह क्षेत्र जिससे परियोजना संबंधित है	परियोजनाएं अथवा कार्यक्रम (1) स्थानीय क्षेत्र अथवा अन्य (2) राज्य और जिला	परियोजना अथवा कार्यक्रमवार राशि परिव्यय (बजट/संस्वीकृत राशि) (₹ करोड़ में)	परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों पर वित्तीय वर्ष 2019-20 में खर्च की गई राशि (₹ करोड़ में) उपशीर्ष: (1) प्रत्यक्ष व्यय (2) उपरिव्यय	रिपोर्टाधीन अवधि तक संचित व्यय (₹ करोड़ मे)	खर्च की गई राशि: प्रत्यक्ष रूप से अथवा कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
35.	दक्षिण सिक्किम जिले में विकास कार्य और चुनिंदा सरकारी स्कूलों में अन्य बुनियादी सुविधाओं का उन्नयन	शिक्षा/व्यावसायिक कौशल विकास	सिक्किम	0.93	0.93	0.93	
36.	मिर्जापुर में पेयजल प्रयोजनों के लिए 100 इंडिया मार्क- II हैंड पंप की आपूर्ति और स्थापना	स्वच्छता/ पेयजल/ स्वास्थ्य सेवा	उत्तर प्रदेश	0.98	0.05	0.05	
37.	खगड़िया जिले के विभिन्न गाँवों/ प्रखंडों में 12 सोलर हाई मास्ट लाइट सिस्टम (एसएचएमएलएस) की आपूर्ति, स्थापना और कमीशनिंग	पर्यावरणीय स्थिरता (सौर अनुप्रयोग/ वनीकरण/ अपशिष्ट प्रबंधन/ऊर्जा कुशल एलईडी प्रकाश व्यवस्था)	बिहार	0.13	0.12	0.12	
38.	श्रावस्ती में (1280) सरकारी स्कूलों और जिला पुस्तकालय का उन्नयन	शिक्षा/व्यावसायिक कौशल विकास	उत्तर प्रदेश	8.38	5.06	5.06	
39.	बीकानेर जिला चरण- II के विभिन्न गांवों में 500 एलईडी आधारित सोलर स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम (एसएलएस) की आपूर्ति, स्थापना और कमीशनिंग	पर्यावरणीय स्थिरता (सौर अनुप्रयोग/ वनीकरण/ अपशिष्ट प्रबंधन/ऊर्जा कुशल एलईडी प्रकाश व्यवस्था)	राजस्थान	1.40	1.26	1.26	
40.	फ़िरोज़पुर जिले में 646 सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में आरओ यूनिटों की स्थापना	स्वच्छता/ पेयजल/ स्वास्थ्य सेवा	पंजाब	6.76	2.85	2.85	
41.	बीएमसीएचआरसी, जयपुर में ऑपरेटिंग माइक्रो स्कोप की आपूर्ति, स्थापना और कमीशनिंग	स्वच्छता/ पेयजल/ स्वास्थ्य सेवा	राजस्थान	1.36	1.36	1.36	
42.	लखनऊ शहर में संबद्ध नागरिक कार्यों के साथ 20 पोर्टेबल और कॉम्पैक्ट ट्रांसफर स्टेशनों (पीसीटीएस) की स्थापना	स्वच्छता/ पेयजल/ स्वास्थ्य सेवा	उत्तर प्रदेश	3.26	1.47	1.47	
43.	गिरिडीह में 100 सोलर हाई मास्ट लाइट साइटम (एसएचएमएलएस) की आपूर्ति, स्थापना और कमीशनिंग	पर्यावरणीय स्थिरता (सौर अनुप्रयोग/ वनीकरण/ अपशिष्ट प्रबंधन/ऊर्जा कुशल एलईडी प्रकाश व्यवस्था)	झारखंड	1.06	0.98	0.98	
44.	खम्मम जिले में विभिन्न सरकारी स्कूलों का उन्नयन	शिक्षा/व्यावसायिक कौशल विकास	तेलंगाना	9.46	3.60	3.60	
45.	बांदा क्षेत्र के विभिन्न गांव/ ब्लॉक में 500 एलईडी आधारित सोलर स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम की आपूर्ति, स्थापना और कमीशनिंग	पर्यावरणीय स्थिरता (सौर अनुप्रयोग/ वनीकरण/ अपशिष्ट प्रबंधन/ऊर्जा कुशल एलईडी प्रकाश व्यवस्था)	उत्तर प्रदेश	1.42	0.51	0.51	
46.	दिल्ली में स्वास्थ्य उपकरण प्रदान करना	स्वच्छता/पेयजल/स्वास्थ्य सेवा	दिल्ली	0.75	0.75	0.75	
47.	भारतीय सेना के सैनिकों के लिए 5,000 एसपीवी एलईडी लालटेन प्रदान करना	पर्यावरणीय स्थिरता (सौर अनुप्रयोग/ वनीकरण/ अपशिष्ट प्रबंधन/ऊर्जा कुशल एलईडी प्रकाश व्यवस्था)	अखिल भारत	0.84	0.84	0.84	
48.	हमीरपुर में 500 सोलर पीवी एलईडी स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम की आपूर्ति, स्थापना और कमीशनिंग	पर्यावरणीय स्थिरता (सौर अनुप्रयोग/ वनीकरण/ अपशिष्ट प्रबंधन/ऊर्जा कुशल एलईडी प्रकाश व्यवस्था)	हिमाचल प्रदेश	1.12	1.02	1.02	

क्र सं	चिन्हित की गई सीएसआर परियोजना अथवा कार्यकलाप	वह क्षेत्र जिससे परियोजना संबंधित है	परियोजनाएं अथवा कार्यक्रम (1) स्थानीय क्षेत्र अथवा अन्य (2) राज्य और जिला	परियोजना अथवा कार्यक्रमवार राशि परिव्यय (बजट/संस्वीकृत राशि) (₹ करोड़ में)	परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों पर वित्तीय वर्ष 2019-20 में खर्च की गई राशि (₹ करोड़ में) उपशीर्ष: (1) प्रत्यक्ष व्यय (2) उपरिव्यय	रिपोर्टाधीन अवधि तक संचित व्यय (₹ करोड़ मे)	खर्च की गई राशि: प्रत्यक्ष रूप से अथवा कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
49.	एससी/एसटी/ओबीसी/ पीडब्ल्यूडी/महिला/ईडब्ल्यूएस से संबंधित 500 बेरोजगार युवाओं वालों के लिए कौशल विकास कार्यक्रम	शिक्षा/व्यावसायिक कौशल विकास	अखिल भारत	1.65	0.49	0.50	
50.	सिद्धार्थनगर में सरकारी स्कूलों का उन्नयन	शिक्षा/व्यावसायिक कौशल विकास	उत्तर प्रदेश	9.29	3.24	3.24	
51.	फिरोजपुर में अन्य ढांचागत सुविधाओं के प्रावधान के साथ 200 आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण	स्वच्छता/ पेयजल/ स्वास्थ्य सेवा	पंजाब	19.06	1.77	1.77	
52.	मुंडेरी, कन्नूर में सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के भवन का निर्माण	शिक्षा/व्यावसायिक कौशल विकास	केरल	3.00	0.37	0.37	
53.	बाराखंभा रोड मेट्रो स्टेशन पर महिलाओं की सुविधा लाउंज की स्थापना	अन्य	दिल्ली	2.18	2.18	2.18	
54.	प्रभाव आकलन/ प्रशिक्षण/ वेतन और भत्ते आदि।	प्रशासनिक उपरिव्यय	लागू नहीं	4.03	4.03	4.03	
				कुल		**97.15**	

इसमें पिछले वर्षों से आगे जारी रखे गए कार्यकलापों पर किया गया व्यय शामिल है।

6.	यदि पीएफसी पिछले तीन वित्तीय वर्षों के औसत निवल लाभ के 2% या उसके किसी भाग को खर्च करने में विफल हुआ है, तो पीएफसी को अपने निदेशक मंडल की रिपोर्ट में ऐसी राशि को खर्च न करने के कारण बताने होंगे।	एक वर्ष में संस्वीकृत की गई परियोजनाओं को आगामी वर्षों के दौरान पूरा किया जाता है और परियोजनाओं के विभिन्न चरणों के पूरा होने पर भुगतान को लक्ष्यों के साथ लिंक किया गया है। डीपीई के दिशा-निर्देशों के अनुसार सीएसआर संबंधी बजट समाप्त नहीं होता अर्थात यह नॉन-लैप्सेबल होता है और खर्च न की गई कोई भी राशि उन्हीं प्रयोजनों के लिए सदुपयोग हेतु आगे ले जाई जाती है, जिनके लिए यह आबंटित की गई थी।
7.	सीएसआर समिति का एक उत्तरदायित्व विवरण कि सीएसआर नीति का कार्यान्वयन और मॉनीटरिंग कंपनी के सीएसआर उद्देश्यों तथा नीति के अनुपालन में है।	पीएफसी की सीएसआर और स्थायित्व नीति का कार्यान्वयन और मॉनीटरिंग पीएफसी के सीएसआर उद्देश्यों तथा नीति के अनुपालन में है।

- उपयोगिता प्रमाण-पत्र के आधार पर ।
- डीपीई के दिशा-निर्देशों के अनुसार सीएसआर संबंधी बजट समाप्त नहीं होता अर्थात यह नॉन-लैप्सेबल होता है और खर्च न की गई कोई भी राशि उन्हीं प्रयोजनों के लिए सदुपयोग हेतु आगे ले जाई जाती है, जिनके लिए यह आबंटित की गई थी ।

टिप्पणी: वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान सीएसआर कार्यकलापों के लिए रू62.25 करोड़ (प्रशासनिक उपरिव्यय को शामिल करते हुए) की राशि संवितरित की गई और 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार संवितरित करने के लिए बकाया राशि (रिफंड को शामिल करते हुए) रू192.31 करोड़ है।

हस्ताक्षरित
(आर. एस. ढिल्लों)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन सं. 00278074

हस्ताक्षरित
(आर. सी. मिश्रा)
अध्यक्ष, सीएसआर समिति
डीआईएन सं. 02469982

निदेशक मंडल की रिपोर्ट का अनुलग्नक – घ

फॉर्म संख्या एओसी-2

(कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 8(2) और कंपनी अधिनियम की धारा 134 की उप-धारा (3)के खंड (ज) के अनुक्रम में)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 की उप-धारा (1) में संदर्भित संबंधित पक्षकारों के साथ कंपनी द्वारा की गई संविदाओं/व्यवस्थाओं,जिनमें उनके तीसरे प्रावधान के अंतर्गत एक निश्चित मात्रा वाले लेन-देन शामिल हैं, के विवरणों के प्रकटीकरण के लिए प्रपत्र

क्र.सं.	विवरण	विवरण
1.	**ऐसी संविदाओं अथवा लेन-देनों अथवा व्यवस्थाओं के विवरण जो निकट संबंधित पक्षकारों के साथ नहीं किए गए हैं**	
(क)	संबंधित पक्षकार का नाम (के नाम) और संबंध का स्वरूप	
(ख)	संविदाओं/ व्यवस्थाओं/ लेन-देनों का स्वरूप	
(ग)	संविदाओं/ व्यवस्थाओं/ लेन-देनों की अवधि	
(घ)	मूल्य, यदि कोई है, सहित संविदाओं अथवा व्यवस्थाओं अथवा लेन-देनों की प्रमुख शर्तें	शून्य
(ड.)	ऐसी संविदाओं अथवा व्यवस्थाओं अथवा लेन-देनों को करने का औचित्य	
(च)	निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदन की तारीख (तारीखें)	
(छ)	अग्रिम के रूप में भुगतान की गई राशि, यदि कोई है	
(ज)	धारा 188 के पहले प्रावधान के अंतर्गत यथावश्यक आम बैठक में जारी किए गए विशेष संकल्प की तारीख	
2.	**संबंधित पक्षकारों के साथ की गई प्रमुख संविदाओं अथवा व्यवस्थाओं अथवा लेन-देनों के विवरण**	
(क)	संबंधित पक्षकार का नाम (के नाम) और संबंध का स्वरूप	
(ख)	संविदाओं/ व्यवस्थाओं/ लेन-देनों का स्वरूप	
(ग)	संविदाओं/ व्यवस्थाओं/ लेन-देनों की अवधि	शून्य
(घ)	मूल्य, यदि कोई है, सहित संविदाओं अथवा व्यवस्थाओं अथवा लेन-देनों की प्रमुख शर्तें	
(ड.)	निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदन की तारीख (तारीखें)	
(च)	अग्रिम के रूप में भुगतान की गई राशि, यदि कोई है	

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

हस्ताक्षरित
(आर. एस. ढिल्लों)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन सं. 00278074

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 01 सितंबर, 2020

निदेशक मंडल की रिपोर्ट का अनुलग्नक – ङ

प्रबंधन के साथ विचार-विमर्श और विश्लेषण रिपोर्ट

कंपनी (पीएफसी) प्रबंधन को वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान कंपनी के कार्य-निष्पादन सहित औद्योगिक परिदृश्य पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

(क) औद्योगिक संरचना और विकास

विद्युत क्षेत्र किसी भी देश की आर्थिक वृद्धि और सामाजिक- आर्थिक विकास को गति देने के सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारकों में एक है। इसलिए विश्वसनीय बिजली आपूर्ति विद्युत क्षेत्र और इसके साथ भारतीय अर्थव्यवस्था के सतत विकास की प्रणेता है। इसीलिए भारत सरकार हर घर तक बिजली पंहुचाने के लिए पूरी सक्रियता से प्रतिबद्ध है।

इस दिशा में सरकार अनेक पहल कर रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत वितरण इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) शुरू की है। योजना का लक्ष्य गांवों का समग्र विद्युतीकरण करना है। साथ ही उप पारेषण और वितरण प्रणाली तथा फीडर की मीटरिंग व्यवस्था सुदृढ़ करने के अलावा घरेलू और कृषि उपयोग के लिए फीडर अलग करने पर भी विशेष ध्यान दिया जाना है। योजना के अंतर्गत, वर्ष 2018 में गांवों के शत-प्रतिशत विद्युतीकरण का लक्ष्य हासिल किया गया।

इसके अतिरिक्त, डीडीयूजीजेवाई के पूरक प्रयास के तौर पर, सरकार ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली से वंचित रह गए सभी क्षेत्रों को विद्युत संपर्क से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) शुरू की। अब तक लगभग 99 प्रतिशत परिवारों तक बिजली पंहुचाई जा चुकी है। सौभाग्य योजना की वजह से लगभग 28,000 मेगावाट विद्युत की अतिरिक्त मांग सृजित होने की आशा है। पारेषण और वितरण के व्यापक और प्रभावी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ लगातार विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकती है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने ''एकीकृत विद्युत विकास योजना'' आरंभ की है। यह योजना शहरी क्षेत्रों में उप-पारेषण और वितरण नेटवर्क मजबूत करने और वितरण क्षेत्र को सूचना प्रौद्योगिकी समर्थ बनाने पर ध्यान देगी। योजना के कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार ने पीएफसी को नोडल एजेंसी बनाया है।

बिजली की लगातार, निर्बाध और भरोसेमंद आपूर्ति बनाए रखने के सरकार के केंद्रित प्रयासों से विद्युत आधारित सहायक आर्थिक और व्यावसायिक गतिविधियां बढ़ने की आशा है जिससे बिजली की आपूर्ति और बढ़ेगी तथा अर्थव्यवस्था का समावेशी विकास सुनिश्चित होगा।

पीएफसी पर कोविड-19 का प्रभाव

कोविड-19 से पूरे विश्व में व्यापक आर्थिक और सामाजिक संकट उत्पन्न हुआ है। इसका असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी पड़ रहा है और विद्युत क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं है। अब तक आपकी कंपनी कोविड स्थिति के बीच सभी मोर्चों पर सुचारू संचालन में सफल रही है।

कोविड-19 का असर भारत में मार्च महीने के अंतिम दो सप्ताहों में आना शुरू हुआ। लेकिन राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान भी पीएफसी का कामकाज अप्रभावित रहा। वास्तव में कंपनी ने मार्च महीने में 11,000 करोड़ रुपए से भी अधिक का संवितरण किया। आपकी कंपनी ने तेजी से अपनी प्रौद्योगिकी क्षमताएं बढ़ाकर लॉकडाउन के असर से निपटने में सफलता पाई और पूर्णबंदी में भी अपना शत-प्रतिशत प्रचालन बनाए रखा। इस प्रकार पीएफसी की गतिविधियां लॉकडाउन के बावजूद सामान्य रूप से चलती रहीं और नेमी प्रचालन जारी रहे।

पीएफसी के व्यवसाय पर कोविड संबंधी कोई बड़ा असर नही

₹11,000 करोड़

कोविड महामारी के बावजूद मार्च, 2020 में संवितरण

साथ ही, आपकी कंपनी पर्याप्त निधि उपलब्धता पर भी लगातार ध्यान दे रही है ताकि इसका वित्तीय व्यवसाय सुनिश्चित रखा जा सके और विद्युत क्षेत्र को इसका वित्तीय सहयोग मिलता रहे। लॉकडाउन के दौरान भी पीएफसी बिना किसी मुश्किल के बाजार तक पहुंच बनाए रखने में सफल रही। इसके अतिरिक्त, पीएफसी को बैंको से भी पर्याप्त लाइन ऑफ क्रेडिट उपलब्ध है। ऋण बाजार में ऊंची साख और ऋणदाताओं के साथ स्थापित संबंधो के आधार पर कंपनी को विश्वास है कि वह अपने व्यवसाय प्रचालनों को जारी रखने के लिए आवश्यक धन जुटाने में सफल रहेगी और भविष्य में भी उसे इसकी कमी नहीं होगी।

इसके अतिरिक्त, भविष्य में विकास को लेकर हमें आशा है कि कंपनी अपना वृद्धि स्तर बनाए रखने में सफल रहेगी। पीएफसी मुख्य रूप से राज्य क्षेत्र को धन उपलब्ध कराता है और विद्युत क्षेत्र के अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र होने के कारण, हमें उम्मीद है कि सरकार मौजूदा स्थिति में अपनी निवेश योजनाएं जारी रखेगी और सरकारी कंपनियों को इस कठिन समय से उबारने के विभिन्न उपाय करेगी।

इसे देखते हुए कंपनी को विश्वास है कि कोविड महामारी का इसके व्यवसाय प्रचालनों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हालांकि कंपनी पर इस महामारी का असर भविष्य के विकास पर निर्भर करेगा और इसलिए कंपनी अनिश्चित आर्थिक स्थितियों के कारण संभावित बदलावों तथा व्यवसाय पर इसके आशंकित असर की बारीकी से मॉनीटरिंग कर रही है।

उत्पादन

स्थापित क्षमता

31 मार्च, 2020 तक, भारत की कुल स्थापित क्षमता 3,70,106.46 मेगावाट की थी। इसमें हमेशा की तरह ताप विद्युत का हिस्सा अधिक अर्थात लगभग 62% (2,30,599.57 मेगावाट) था। जल-विद्युत क्षेत्र का लगभग 12% (45,699.22 मेगावाट), नवीकरणीय ऊर्जा का लगभग 24% (87,027.68 मेगावाट) और नाभिकीय ऊर्जा का लगभग 2% (6,780 मेगावाट) था। स्थापित क्षमता सरकारी क्षेत्र में लगभग 28% (1,03,321.74 मेगावाट), निजी क्षेत्र में 47% (1,73,307.79 मेगावाट) और केंद्रीय क्षेत्र में लगभग 25% (93,476.93 मेगावाट) रही। वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए 12,186.14 मेगावाट की अतिरिक्त क्षमता हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। तथापि, वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान 7,065 मेगावाट की अतिरिक्त क्षमता प्राप्त की गई।

भारत का विद्युत उत्पादन स्रोत-वार विवरण (%)

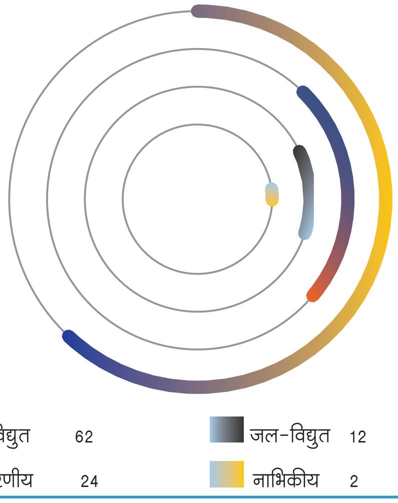

विद्युत उत्पादन ट्रेंड (बीयू)

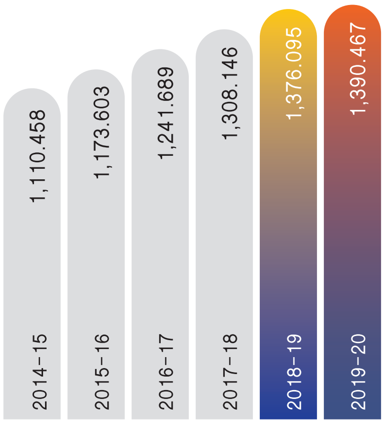

वित्तीय वर्ष 2019-20 क्षमता वृद्धि लक्ष्य बनाम प्राप्ति (मेगावाट)

लक्ष्य	प्राप्ति
12,186.14	7,065

देश में कुल विद्युत उत्पादन (ग्रिड से जुड़े नवीकरणीय स्रोतों से उत्पादन सहित) वर्ष 2014-15 के 1,110.458 बीयू से बढ़कर 2015-16

में 1,173.603 बीयू, 2016-17 में 1,241.689 बीयू, 2017-18 में 1,308.146 बीयू, 2018-19 में 1,376.095 बीयू और 2019-20 में 1,390.467 बीयू हो गया। वर्ष 2019-20 के दौरान, श्रेणीवार उत्पादन कार्य-निष्पादन इस प्रकार था।

वर्ष 2019-20 के दौरान, श्रेणीवार उत्पादन कार्य-निष्पादन इस प्रकार था।

ताप विद्युत उत्पादन में कमी	2.75%
जल-विद्युत में वृद्धि	15.48%
नाभिकीय ऊर्जा में वृद्धि	22.90%
भूटान से आयात में वृद्धि	31.49%
नवीकरणीय ऊर्जा माध्यम से वृद्धि	9.12%
कुल दर्ज वृद्धि दर में बढ़ोतरी	0.95%

पारेषण

पारेषण प्रणाली एक ओर उत्पादन स्रोत और दूसरी ओर वितरण व्यवस्था के बीच संपर्क स्थापित करती है। पारेषण योजना एक सतत प्रक्रिया है जिसके माध्यम से आवश्यकता, समय और अतिरिक्त पारेषण प्रणाली की जरूरत का आकलन किया जाता है। प्रणाली में नया उत्पादन जुड़ने और मांग में वृद्धि जैसे कारणों से पारेषण संबंधी जरूरतें उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए प्रभावी विद्युत वितरण के लिए पारेषण प्रणाली नेटवर्क सुदृढ़ करने, राज्यों के बीच पारेषण व्यवस्था विस्तार, राष्ट्रीय ग्रिड संवर्द्धन और पारेषण प्रणाली नेटवर्क बढ़ाना अनिवार्य है। विभिन्न उत्पादन केंद्रों से उत्पादित बिजली ले जाने और उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए पारेषण लाइनों का व्यापक नेटवर्क तैयार किया गया है।

4,25,017
सर्किट किलोमीटर
31 मार्च, 2020 तक भारत में पारेषण नेटवर्क विस्तार

वित्तीय वर्ष 2020 के अंत तक, हमारे देश में 4,25,017 सर्किट किलोमीटर (220 केवी और अधिक के वोल्टेज स्तर पर) का व्यापक पारेषण नेटवर्क विस्तार था। इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए 23,621 सर्किट किलोमीटर पारेषण लाइन जोड़ने के लक्ष्य पर 11,664 सर्किट किलोमीटर लाइन बढ़ाई गई।

वित्तीय वर्ष 2019-20 में पारेषण लाइन बढ़ोतरी सर्किट किलोमीटर

लक्ष्य	प्राप्त किया गया
23,621	11,664

वितरण

विद्युत क्षेत्र की मूल्य श्रृंखला में वितरण क्षेत्र सर्वाधिक महत्वपूर्ण कड़ी है, जो राजस्व एकत्र करने का माध्यम बनता है और इस क्षेत्र को स्थिरता उपलब्ध कराता है। सुदृढ़ और आत्मनिर्भर विद्युत क्षेत्र के विकास के लिए सशक्त और दक्ष वितरण क्षेत्र महत्वपूर्ण है। भारत में विद्युत वितरण में राज्य क्षेत्र की विद्युत कंपनियां बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। भारत सरकार दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना(डीडीयूजीजेवाई) और एकीकृत विद्युत विकास योजना (आईपीडीएस) के माध्यम से सभी घरों तक चौबीसों घंटे बिजली पंहुचाने के लिए आवश्यक वितरण प्रणाली को मजबूत करने में राज्यों को सहयोग कर रही है। सरकार ने प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) के अंतर्गत 15-18 महीने की छोटी अवधि में 26 मिलियन परिवारों को बिजली पंहुचाई है। विद्युत

26 मिलियन
घरों तक सौभाग्य योजना के अंतर्गत 18 महीनों में बिजली पंहुचाई गई

मंत्रालय विद्युत वितरण क्षेत्र के लिए वितरण परिदृश्य योजना पर भी काम कर रहा है। इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए नियोजित सुधारों और उन्नत प्रचालन प्रक्रियाओं को एकीकृत करना है।

(ख) अवसर और जोखिम

अवसर

आपकी कंपनी भारत में विद्युत क्षेत्र के लिए अग्रणी वित्तीय संस्थान है। पीएफसी संबंधित नवाचार और आधुनिकीकरण परियोजनाओं के साथ-साथ उत्पादन (पारंपरिक और नवीकरणीय), पारेषण और वितरण परियोजना सहित विद्युत क्षेत्र में अपने ग्राहकों को परियोजना अवधारणा से लेकर कमीशनिंग बाद तक की सेवाओं के लिए व्यापक वित्तीय उत्पाद, संबंधित परामर्श और अन्य सेवाएं उपलब्ध कराता है। पीएफसी दीर्घावधि परियोजना वित्त, अल्पावधि ऋण, बायर्स लाइन ऑफ क्रेडिट और ऋण पुनर्वित्तपोषण योजनाओं के साथ-साथ गैर-निधि आधारित सहायता सहित निधि आधारित विभिन्न वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है। आपकी कंपनी अपनी पूर्ण स्वामित्वाधीन कंपनियों के माध्यम से विद्युत क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए शुल्क-आधारित तकनीकी सलाह और परामर्शी सेवाएं भी उपलब्ध कराती है।

इसके अतिरिक्त, पीएफसी भारत में विद्युत क्षेत्र के विकास के लिए भारत सरकार की विभिन्न पहलों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह विद्युत क्षेत्र के लिए ढांचागत और प्रक्रियागत नीतियां और सुधार उपाय तैयार और लागू करने में केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और विद्युत क्षेत्र की कंपनियों के साथ मिलकर कार्य करता है। वर्तमान समय में पीएफसी विद्युत क्षेत्र की विभिन्न योजनाओं के लिए भारत सरकार का कार्यनीतिक भागीदार है। साथ ही यह यूएमपीपी कार्यक्रम और आईपीडीएस/(इसमें शामिल आर-एपीडीआरपी) के लिए नोडल एजेंसी तथा आईटीपी योजना के लिए अपने पूर्ण स्वामित्वाधीन पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड द्वारा बोली प्रक्रिया के समन्वयक के रूप में भी काम कर रही है। इसके अलावा कोविड के दौर में विद्युत क्षेत्र को धन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारत सरकार ने हाल में डिस्कॉम को अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए आत्मनिर्भर भारत योजना के अंतर्गत 90,000 करोड़ रुपए के ऋण पैकेज की घोषणा की है। इसके लिए पीएफसी और आरईसी प्रमुख ऋण भागीदार हैं।

₹90,000 करोड़
आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत डिस्कॉम के लिए ऋण पैकेज

यह ऋण पैकेज न केवल विद्युत क्षेत्र को फिर मजबूती प्रदान करेगा बल्कि पीएफसी की व्यवसाय वृद्धि का भी एक अवसर होगा। आपकी कंपनी का मानना है कि इससे निम्नलिखित कारणों से पीएफसी के व्यवसाय पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा:

1. कोविड-19 के कारण नए ऋण अवसरों के सीमित हो जाने की संभावना को देखते हुए, यह ऋण पैकेज पीएफसी के लिए अपनी ऋण परिसंपत्तियों में वृद्धि बनाए रखने के उद्देश्य से एक अच्छा व्यापार अवसर साबित होगा।

2. इस पैकेज के अंतर्गत उपलब्ध कराए जाने वाले सभी ऋण राज्य सरकार की गारंटी से समर्थित होंगे। इससे पीएफसी का सीआरएआर बनाए रखने और बढ़ाने में मदद मिलेगी क्योंकि इस वृद्धिशील लेंडिंग पर सरकार समर्थित गारंटी के कारण 20% का कम जोखिम होगा।

आशंका, जोखिम और चिंताएं

विद्युत क्षेत्र में पीएफसी के अत्यंत सशक्त संस्थान होने के बावजूद इसका व्यवसाय जोखिम मुक्त नहीं है। इसके प्रचालनों की प्रकृति को देखते हुए कंपनी सक्रियता से जोखिम की पहचान करती है और उससे निपटने के लिए समय रहते कार्रवाई करती है। कंपनी के समक्ष कुछ आशंकित जोखिम और चिंताएं निम्नलिखित हैः

1. आर्थिक मंदी

देश की आर्थिक वृद्धि की रफ्तार धीमी होने का प्रतिकूल असर पीएफसी के व्यवसाय पर पड़ सकता है। पीएफसी का कार्य-निष्पादन और इसके व्यवसाय की वृद्धि भारतीय अर्थव्यवस्था के समग्र विकास पर निर्भर करता है।

2. राज्य डिस्कॉम्स की वित्तीय स्थिति

वर्षों से जारी लोकलुभावन टैरिफ योजनाओं, तकनीकी और वाणिज्यिक हानि तथा प्रचालनात्मक कमियों ने राज्य विद्युत वितरण कंपनियों पर प्रतिकूल असर डाला है, जहां से अंततः धनराशि आती है।

3. क्रेडिट जोखिम

क्रेडिट जोखिम में ऋणकर्ता की क्रेडिट गुणवत्ता में कमी के साथ यह आशंका भी रहती है कि उसके द्वारा ऋण या अग्रिम राशि के अंतर्गत संविदागत पुर्नभुगतान में चूक हो सकती है।

4. कानूनी जोखिम

हमारे ऋणकर्ताओं की बाध्यताओं से संबंधित संविदाओं की प्रवर्तनीयता की अनिश्चितता की स्थिति से कानूनी जोखिम की आशंका उत्पन्न होती है। यह स्थिति प्रक्रिया में विलंब या संविदागत बाध्यताओं के पूरा होने में कठिनाई के कारण आती है।

5. ब्याज दर जोखिम

यह जोखिम हमेशा बना रहता है कि बाजार में ब्याज दरों में बदलाव का प्रतिकूल असर कंपनी की वित्तीय स्थिति पर पड़ेगा। मूल रूप से कंपनी को प्राथमिक ब्याज दर संबंधी जिस जोखिम का सामना करना पड़ता है वह समय के अंतर के कारण उत्पन्न होता है। ब्याज दरें परिवर्तनशील होती हैं और ऋणों की लागत, बाजार में नकदी प्रवाह, प्रतिस्पर्धी दरें, बेंचमार्क में परिवर्तन जैसे एएए बॉण्ड/जीएसईसी प्राप्तियां और रिजर्व बैंक नीति में बदलाव सहित विभिन्न आंतरिक और बाहरी कारणों पर निर्भर करती है।

6. विधान में परिवर्त्तन

पीएफसी कंपनी अधिनियम के अंतर्गत एक सूचीबद्ध सरकारी कंपनी और वित्तीय संस्था है। यह रिजर्व बैंक के साथ गैर जमा राशि स्वीकार करने वाली महत्वपूर्ण गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के रूप में पंजीकृत है और इसे जुलाई 2010 में आईएफसी के रूप में वर्गीकृत किया गया था। इसी कारण विभिन्न विधान पीएफसी पर लागू होते है जैसे कंपनी अधिनियम 2013, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड विनियम, सीपीएसई के लिए डीपीई के दिशानिर्देश, आरबीआई अधिनियम और दिशानिर्देश, कर विनियम इत्यादि। इन कानूनों और विधानों में बदलाव कंपनी के प्रतिफल/प्रचालन पर असर डाल सकते हैं।

(ग) खंडवार या उत्पादवार कार्य-निष्पादन

कंपनी का मुख्य व्यवसाय विद्युत क्षेत्र को वित्तीय सयोग उपलब्ध कराना है और कंपनी का कोई अलग खंड नहीं है जिसके बारे में रिपोर्ट की जाए।

(घ) दृष्टिकोण

कोविड-19 लॉकडाउन के बीच विद्युत वितरण कंपनियों/डिस्कॉम्स के राजस्व संग्रह में कमी आई है इसकी वजह से नकदी प्रवाह पर दबाव बढ़ा है। इसका विद्युत क्षेत्र की संपूर्ण मूल्य श्रृखंला पर असर पड़ा है। इसीलिए विद्युत क्षेत्र में धन की उपल्ब्धता बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने हाल में 90,000 करोड़ रूपए के ऋण पैकेज की घोषणा की है ताकि वितरण कंपनियां अपने दायित्वों पूरी कर सकें। पीएफसी और आरईसी को इसके लिए प्रमुख ऋणदाता भागीदार बनाया गया है।

पीएफसी, विद्युत क्षेत्र की योजनाओं को लागू करने में हमेशा से सरकार का कार्यनीतिक भागीदार रहा है और यह भी सरकार की अनेक पहलों में एक है। हमारा मानना है कि यह भारत सरकार का एक सकारात्मक कदम है और इससे पूरे विद्युत क्षेत्र की मूल्य श्रृखंला सुदृढ़ होगी। इसके अलावा यह भी आशा है कि इस धनराशि से पीएफसी के ऋणकर्ताओं को बिना किसी बाधा के अपना व्यवसाय जारी रखने में मदद मिलेगी।

(ङ) आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और इसकी पर्याप्तता

कंपनी ने अपने प्रचालनों के आकार के अनुरूप समुचित मॉनीटरिंग प्रक्रियाओं सहित आंतरिक नियंत्रण प्रणाली है। कंपनी के लेखापरीक्षक निरन्तर आधार पर काम करते हैं जिसमें वित्तीय तथा अन्य मामलों को शामिल किया जाता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी नियंत्रण और संतुलन उपाय कार्यरत हैं और सभी आंतरिक नियंत्रण प्रणालियां व्यवस्थित हैं, नियमित और सटीक लेखापरीक्षा अनुभवी चार्टर्ड एकाउंटेंट्स कंपनियों द्वारा कंपनी के अपने आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग के निकट समन्वय में की जाती है। इसके अलावा विभिन्न लेखापरीक्षा निष्कर्षों की समय-समय पर निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति द्वारा समीक्षा भी की जाती है।

हमारे आउटसोर्स्ड आंतरिक लेखापरीक्षक, मैसर्स एएसए एंड एसोसिएट्स एलएलपी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ने मूल्यांकन के बाद प्रमाणित किया है कि कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है जो कंपनी अधिनियम 2013 और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) के मार्गदर्शी नोट के अंतर्गत विभिन्न अपेक्षाओं का ध्यान

रखती है। कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षक गाँधी मिनोचा एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स तथा दास गुप्ता एंड एसोसिएट्स चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ने भी आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर अपनी रिपोर्ट देते हुए कहा है कि कंपनी के पास सभी पक्षों के लिए समुचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक नियंत्रण कंपनी के निर्धारित नियमों के अनुसार 31 मार्च, 2020 तक प्रभावशाली ढंग से कार्यरत थे। इसमें इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग संबंधी आंतरिक नियंत्रण लेखापरीक्षा दिशानिर्देशों की अनिवार्य अपेक्षाओं का अनुपालन किया गया है।

पीएफसी आईएसओ से प्रमाणित कंपनी है। इन सख्त आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाओं और क्रेडिट समीक्षा तंत्र से चूक की संभावना कम होती है और सभी स्टेकधारकों का विश्वास जीतने में मदद मिलती है।

(च) प्रचालनात्मक कार्य-निष्पादन के संदर्भ में वित्तीय कार्य-निष्पादन पर विचार-विमर्श

आपकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान समुचित वृद्धि दर बनाए रखी है। कंपनी की कुल आय 33,371.06 करोड़ रुपए रही जबकि वित्तीय वर्ष 2018-19 में यह 28,766.31 करोड़ रुपए थी। वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान कंपनी ने 5,655.14 करोड़ रुपए का निवल लाभ अर्जित किया।

इसके अतिरिक्त, कंपनी का निवल मूल्य (शेयर पूंजी + सभी रिजर्व) वित्तीय वर्ष 2019-20 में 4% बढ़कर 45,164 करोड़ रुपए हो गया जबकि वित्तीय वर्ष 2018-19 में यह 43,288 करोड़ रुपए था। कंपनी की ऋण परिसंपत्तियां भी 31 मार्च, 2020 तक 8.77% बढ़कर 3,44,905 करोड़ रुपए की हो गई जबकि 31 मार्च, 2019 को यह 3,14,667 करोड़ रुपए की थी।

औसत नेट वर्थ पर रिटर्न वित्तीय वर्ष 2018-19 के 17.33% की तुलना में वित्तीय वर्ष 2019-20 में 12.79% था। परिसंपत्तियों पर रिटर्न वित्तीय वर्ष 2019-20 में 1.60% था जबकि वित्तीय वर्ष 2018-19 में यह 2.33% था। ऋण इक्विटी अनुपात में वित्तीय वर्ष 2018-19 की तुलना में 2019-20 में मामूली बढ़ोत्तरी हुई और यह 6.66 गुणा से बढ़कर 6.72 गुणा पर आ गया।

वित्तीय विवरण तैयार करने में कंपनी ने, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी और पहली अप्रैल 2018 से प्रभावी, कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली, 2015 (यथा संशोधित) के अंतर्गत अधिसूचित भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस) का व्यवहार्य सीमा तक अनुपालन किया है।

(छ) मानव संसाधन/औद्योगिक संबंध के क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास

आपकी कंपनी ने प्रभावी मानव संसाधन अधिग्रहण और मेंटेनेंस कार्य, जिन्हें संगठनात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निर्धारित सर्वोत्तम कॉर्पोरेट पद्धतियों के साथ बेंचमार्क किया गया है, लागू किए हैं। मानव संसाधनों के साथ अन्य कार्यनीतिक इंटरवेंशनों के साथ उत्पादकता का उच्च स्तर सुनिश्चित होता है जिसके परिणामस्वरूप कार्यबल की प्रतिबद्धता प्रभावी कल्याणकारी उपायों से सुनिश्चित की जा सकती है। इन उपायों में व्यापक बीमा, चिकित्सा सुविधा और अन्य सुविधा शामिल है जिनसे स्वस्थ कार्यबल की उपलब्धता संभव हो सकती है। आपकी कंपनी अपने कार्मिकों को अपना सर्वाधिक मूल्यवान संसाधन मानती है और कौशल विकास सहित उनके लगातार समग्र विकास पर जोर देती है। मानव संसाधन विकास योजना के अंतर्गत कंपनी ने अपने कार्मिकों की प्रशिक्षण संबंधी जरूरतों के आकलन के लिए वार्षिक प्रशिक्षण योजना प्रणाली बनाई है। समुचित प्रशिक्षण के माध्यम से सभी स्तर के कार्मिकों को आवश्यक कौशल संपन्न बनाया गया है।

कंपनी के अपने कार्मिकों के साथ बहुत ही सौहार्दपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण संबंध है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान किसी भी कार्य दिवस पर काम का नुकसान नहीं हुआ। 31 मार्च, 2020 तक कंपनी के कार्मिकों की कुल संख्या 484 थी।

(ज) निगमित सामाजिक दायित्व और संधारणीय विकास (सीएसआर और एसडी)

आपकी कंपनी का लक्ष्य अपने निगमित सामाजिक दायित्व और संधारणीय विकास संबंधी पहलों से समाज के प्रति उत्तरदायी कंपनी बनने का है जो बड़े पैमाने पर समाज के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए प्रतिबद्ध हो। इस लक्ष्य के अनुरूप कंपनी की निगमित सामाजिक दायित्व और संधारणीय विकास नीति सुनिश्चित करती है कि कंपनी संधारणीय विकास की परियोजनाएं पूरी कर समाज के प्रति एक उत्तरदायी कंपनी बने।

वर्ष के दौरान पीएफसी ने पर्यावरण संधारणीयता, कौशल विकास, स्वच्छता, स्वास्थ्य देखभाल और दिव्यांगजनों की सहायता के लिए व्यापक गतिविधियों का कार्यान्वयन किया। वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए निदेशक मंडल ने 135.86 करोड़ रुपए का सीएसआर बजट मंजूर किया था।

(झ) नवीकरणीय और स्वच्छ विकास तंत्र

पूरा विश्व क्रमिक रूप से स्वच्छ और दक्ष ऊर्जा स्रोतों की ओर अग्रसर है। वर्तमान समय में ऊर्जा सेवाओं की भारी माँग है, जिसे पूरा किया जाना जरूरी है ताकि लोगों के लिए समुचित आय और उत्तम जीवन सुनिश्चित हो सके । विद्युत मंत्रालय ने ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) के माध्यम से घरों, वाणिज्यिक भवनों को बिजली देने, संयत्रों, उपकरणों की लेबलिंग, कृषि/नगरपालिकाओं, लघु और मध्यम उद्यमों, और बड़े उद्योगों इसमें औद्योगिक सब सेक्टर के लिए ऊर्जा उपभोग मानक, एसडीए का क्षमता निर्माण शामिल है, की माँगों के अनुरूप प्रबंध सहित कई ऊर्जा दक्षता उपाय किए हैं।

स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों पर सरकार के बल को ध्यान में रखते हुए पीएफसी भी स्वच्छ/नवीकरणीय उर्जा परियोजनाओं के वित्तपोषण पर अधिक से अधिक ध्यान दे रहा है। वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान पीएफसी ने जल-विद्युत उत्पादन (25 मेगावाट से अधिक) के लिए 8,642 करोड़ रुपए संस्वीकृत किए हैं और 5,846 करोड़ रुपए संवितरित किए हैं। इसके अतिरिक्त, पीएफसी ने नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए 10,231 करोड़ रुपए संस्वीकृत किए हैं और 6,150 करोड़ रुपए की राशि इस अवधि के दौरान संवितरित की है।

हरित विद्युत उत्पादन परियोजना संस्वीकृति और संवितरण

जल-विद्युत उत्पादन परियोजनाएं (>25 मेगावाट)

संस्वीकृत	₹8,642 करोड़
संवितरण	₹5,846 करोड़

नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं

संस्वीकृत	₹10,231 करोड़
संवितरण	₹6,150 करोड़

सचेतक टिप्पणी

''प्रबंधन विचार-विमर्श और विश्लेषण'' में कुछ विवरण दूरदर्शिता पर आधारित हैं और लागू विधियों और विनियमों के अपेक्षानुसार दिए गए हैं। कई कारक वास्तविक परिणामों को प्रभावित कर सकते है, जो प्रबंधन की दृष्टि से भविष्य के कार्य-निष्पादन के अनुमानों से अलग हो सकते हैं। पाठकों को इन दूरदर्शी वक्तव्यों पर अनावश्यक निर्भरता न रखने के लिए सतर्क किया जाता है।

एकीकृत रिपोर्टिंग

प्रत्येक संगठन सफलता के लिए विभिन्न प्रकार की पूंजियों पर निर्भर करता है और यह जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि ये पूंजी, विशेष रूप से गैर-वित्तीय पैरामीटर, संगठन के लिए और सभी स्टेकधारकों के लिए किस प्रकार मूल्य सृजित करती है।

एकीकृत रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क आपकी कंपनी को न केवल अपना गैर-वित्तीय कार्य-निष्पादन की जानकारी प्रदान करने में समर्थ बनाता है बल्कि वित्तीय और गैर-वित्तीय कार्य-निष्पादन के बीच संबंध को भी स्पष्ट करता है। यह फ्रेमवर्क अंतरराष्ट्रीय एकीकृत रिपोर्टिंग परिषद (आईआईआईआरसी) द्वारा अंतरराष्ट्रीय फ्रेमवर्क में अपनाए गए पूंजी मॉडल का उपयोग करते हुए तैयार किया गया है और यह पूंजी के प्रकारों पर हमारी निर्भरता और प्रभाव को स्पष्ट करता है, जो दीर्घावधि में मूल्य सृजित करने की सक्षमता के लिए मौलिक अपेक्षाएं है।

उपर्युक्त फ्रेमवर्क में पूंजी निम्न प्रकार वर्गीकृत की जाती है।

वित्तीय पूंजी

वित्तीय पूंजी व्यापक रूप से किसी संगठन के पास उपलब्ध धन के रूप में जानी जाती है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण पूंजी है क्योंकि यह विनिमय के माध्यम के रूप में भी कार्य करती है जिससे अन्य प्रकार की पूंजी में बदलाव के जरिए मूल्य प्राप्त किया जा सकता है।

प्रोदभूत वित्तीय पूंजी ऋण लिखतों पर शेयरधारकों को लाभांश और ब्याज के रूप में दी जाती है। सरकार को विभिन्न प्रकार के करों का भुगतान किया जाता है और इस प्रकार देश के समग्र विकास को बढ़ावा मिलता है। आपकी कंपनी की मुख्य वित्तीय पूंजियां इस प्रकार हैं।

आय	संवितरण	ऋण परिसंपत्तियां
वित्तीय वर्ष 2019-20 ₹33,371.06 करोड़	वित्तीय वर्ष 2019-20 ₹67,997 करोड़	वित्तीय वर्ष 2019-20 ₹3,44,905 करोड़
वित्तीय वर्ष 2018-19 ₹28,766.31 करोड़	वित्तीय वर्ष 2018-19 ₹67,678 करोड़	वित्तीय वर्ष 2018-19 ₹3,14,667 करोड़

ऊपर दिए आंकड़े अपनी स्थिति स्पष्ट करते हैं।

पीएफसी अपनी वित्तीय पूंजी के माध्यम से विशेष रूप से विद्युत क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाते हुए अपने स्टेकधारको के लिए श्रेष्ठ मूल्य सृजित कर रहा है और इस प्रकार देश के विद्युत क्षेत्र के विकास में योगदान कर रहा है। वित्तीय पूंजी के उपयोग से पीएफसी अन्य पूजियां जैसे मानव पूंजी तथा सामाजिक और संबंध पूंजी भी सृजित कर रहा है।

विनिर्मित पूंजी

पीएफसी विनिर्माण कंपनी नहीं है और केवल विद्युत क्षेत्र की परियोजनाओं को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। तथापि, विनिर्मित पूंजी की व्यवहार्यता पीएफसी में सीमित है। तथापि, पीएफसी अपनी मूर्त ओर अमूर्त अवसंरचना के द्वारा विनिर्मित पूंजी के लिए योगदान करता है।

पीएफसी का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके पास अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, नवीनतम प्रौद्योगिकी और उपभोक्ता केंद्रित प्रणाली है। पीएफसी अपने व्यावसायिक प्रचालन की सुविधा के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों से भी काम करता है।

पीएफसी भौतिक परिसंपत्तियों में निवेश करती है जिसमें भौतिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली और इंफ्रास्ट्रक्चर आता है। निवेश का उद्देश्य कार्यकुशलता, क्षमता और आपूर्ति तंत्र में सुधार करना है, जिससे सभी संबंधित स्टेकधारकों के लिए बेहतर सेवाएं सुनिश्चित हो सकें।

विद्यमान विनिर्मित पूंजी पीएफसी को बाजार या सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति में समर्थ बनाता है। इस सीमित विनिर्मित पूंजी का सृजन कर पीएफसी राष्ट्रीय स्तर पर संसाधन उपयोग में कमी लाता है और मानव पूंजी सृजन पर अधिक ध्यान देता है और इस प्रकार दक्षता के साथ-साथ देश के समग्र विकास को बढ़ावा देता है।

विनिर्मित पूंजी पीएफसी को अन्य प्रकार की पूंजियों के सृजन, विशेष रूप से मानव पूंजी सृजन पर ध्यान केंद्रित करने में सहयोग दे रही है।

बौद्धिक पूंजी

बौद्धिक पूंजी व्यापक रूप से अमूर्त पूंजी के रूप में जानी जाती है जो बौद्धिक संपदा जैसे पेटेंट, कॉपीराइट, सॉफ्टवेयर और संगठनात्मक प्रणालियां, प्रक्रियाओं और नवाचारों तथा बॉण्ड, और प्रतिष्ठा सहित प्रतिस्पर्धी लाभ उपलब्ध कराती है।

पीएफसी भारत सरकार, राज्य सरकारों, विद्युत कंपनियों, विद्युत क्षेत्र के अन्य मध्यस्थों और निजी क्षेत्र के ग्राहको के साथ विद्युत क्षेत्र के लिए नीतियों और प्रक्रियागत सुधारों के विकास और इन्हें लागू करने में निकट सहयोग से काम करती है। इसके अतिरिक्त, पीएफसी विद्युत क्षेत्र के लिए भारत सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों में भी शामिल है। यह यूएमपीपी कार्यक्रम और आईपीडीएस/आर-एपीडीआरपी के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है तथा आईटीपी योजना के लिए हमारे पूर्ण स्वामित्वाधीन वाली सहायक कंपनी पीएफसी कंसल्टिंग के माध्यम से बोली प्रक्रिया समन्वयक की भूमिका अदा करता है। सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों की नोडल एजेंसी के रूप में कंपनी विद्युत क्षेत्र के विकास और वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति सुधारने में भी योगदान कर रही है।

भारतीय विद्युत क्षेत्र के विकास में पीएफसी की भूमिका को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने मजबूत संगठनात्मक प्रणालियां, प्रक्रियां, सॉफ्टवेयर और प्रोटोकॉल विकसित किए हैं जो कंपनी को और प्रतिस्पर्धी लाभ प्रदान कर रहे हैं और बाजार में बॉण्ड और प्रतिष्ठा विकसित करने में इसकी मदद कर रहे हैं।

चूंकि बौद्धिक पूंजी मुख्य रूप से मानव संसाधन से संबंधित है, इसलिए पीएफसी ने संगठनात्मक जरूरतों की पूर्ति के लिए प्रभावी प्रणालियां लागू की है।

इन संगठनात्मक प्रणालियों, प्रक्रियाओं और प्रोटोकॉल यानि बौद्धिक पूंजी के जरिए पीएफसी ने अपने प्रचालन के लिए आवश्यक जानकारी और बौद्धिक क्षमता विकसित की है।

पीएफसी अपनी बौद्धिक क्षमताओं में लगातार वृद्धि कर रही है और व्यवधानों का सामना करने, नवाचार और परिवर्तित व्यवसास मॉडल के कारण होने वाले परिवर्तनों के साथ समायोजित होने के लिए बौद्धिक पूंजी सृजित कर रही है।

मानव पूंजी

मानव पूंजी किसी संगठन के प्रोफेशनलों के कौशल तथा व्यवसाय संबंधी जानकारी के साथ-साथ उनकी प्रतिबद्धता और अभिप्रेरणा तथा बेहतर से बेहतर करने, सहयोग या नवाचार की उनकी क्षमता से संबंधित है।

आपकी कंपनी ने प्रभावी मानव संसाधन अधिग्रहण और प्रबंधन प्रणाली लागू की है जो सर्वोत्तम निगमित पद्धतियों के मानदंडों के अनुरूप है और संगठनात्मक जरूरतों को पूरा करने में सक्षम है। समर्थ मानव पूंजी और कार्यनीतिक उपायों की मदद से प्रभावी संसाधन प्रबंधन और उत्पादकता का उच्च स्तर सुनिश्चित होता है।

पीएफसी के पास उच्च कौशल प्राप्त, पेशेवर रूप से दक्ष और अनुभवी कार्यबल है। कंपनी सर्वोत्तम प्रबंधन पद्धतियां अपनाती हैं। कंपनी के कार्मिकों की पहुंच शीर्ष प्रबंधन अधिकारियों तक है। इस प्रकार कंपनी के प्रबंधन और विकास में उनका प्रभावी योगदान मिलता है। पीएफसी का मानना है कि कार्मिक तभी सशक्त और सक्षम हो सकते है जब वे स्वयं को प्रभावित करने वाली नीतियों और प्रक्रियाओं से अवगत हों। इसलिए पीएफसी ने मानव संसाधन से संबंधित प्रमुख नीतियों को लागू किया है। जिनसे कल्याणकारी उपायों के प्रभावी पैकेज के माध्यम से कार्यबल की प्रतिबद्धता सुनिश्चित होती है। इन उपायों में चिकित्सा सुविधाएं, शिशु देखभाल छुट्टी (सीसीएल) और अन्य सुविधाएं शामिल हैं जिनसे एक स्वस्थ कार्यबल सुनिश्चित होता है।

कंपनी के अपने कार्मिकों के साथ संबंध बहुत ही सौहार्दपूर्ण और मैत्रीपूर्ण है जो उन्हें कंपनी के उद्देश्यों के प्रति पूरी तरह समर्पित बनाते है। इसकी मुख्य वजह है- पीएफसी का जिम्नेजियम, विभिन्न खेल-कूदों, सांस्कृतिक और साहित्यक गतिविधियों में भागीदारी के माध्यम अपने कार्मिकों के समग्र व्यक्तित्व विकास के लिए प्रतिबद्ध होना। पीएफसी समय-समय पर निबंध लेखन प्रतियोगिता, नारा लेखन प्रतियोगिता और भाषायी उत्सवों का आयोजन करती है। इन गतिविधियों में भागीदारी से कार्मिकों में टीम भावना तथा फिटनेस स्तर में वृद्धि होती है।

पीएफसी एक सशक्त मानव पूंजी सृजित करने मे सफल रही है। इसकी वजह से अभिप्रेरित कार्यबल तैयार हुआ है और कंपनी वर्ष-दर-वर्ष उत्कृष्ट वृद्धि हासिल कर सकी है।

पीएफसी का विकास देश के विकास में योगदान कर रहा है और स्टेकधारकों के लिए महत्वपूर्ण उपयोगिता सृजित कर रहा है। कंपनी का अभिप्रेरित कार्यबल बड़े पैमाने पर समाज में बदलाव लाने में सहयोग कर रहा है।

सामाजिक और संबंध पूंजी

सामाजिक और संबंध पूंजी का तात्पर्य संगठन और इसके सभी स्टेकधारकों के बीच संबंध द्वारा सृजित संसाधनों और मूल्य से है। इन संबंधों में समुदाय के साथ संबंध, सरकार के साथ संबंध, उपभोक्ताओं और आपूर्ति श्रृंखला भागीदारों के साथ संबंध शामिल है।

पीएफसी हमेशा से समाज और लोगों के जीवन में बड़े पैमाने पर बदलाव लाना चाहता है। यह समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का लगातार प्रयास कर रहा है ताकि सामाजिक और आर्थिक विषमताओं को दूर करने के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण में भी मदद मिल सके। पीएफसी लगातार उन गतिविधियों को सहयोग समर्थन दे रही है जिनका उद्देश्य वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना है और इसके साथ ही धरती की अपार क्षमता का भी संरक्षण करना है ताकि इसकी जैव विविधता की रक्षा हो सके।

पीएफसी ने सीएसआर एवं संधारणीयता विकास नीति लागू की है। इस नीति का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कंपनी समाजिक रूप से उत्तरदायी कॉर्पोरेट कंपनी बन सके जो सामाजिक जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने में प्रतिबद्ध हो। वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए निदेशक मंडल ने 135.86 करोड़ रुपए का सीएसआर बजट मंजूर किया है।

इस वर्ष के दौरान कंपनी ने पर्यावरण संधारणीयता, कौशल विकास, स्वच्छता, स्वास्थ्य देखभाल और दिव्यांगजनों की मदद के लिए व्यापक गतिविधियां संचालित की हैं। इसके अतिरिक्त, डीपीई के अधिदेश के अनुसार, पीएफ़सी ने विषयक क्षेत्रों अर्थात आकांक्षी जिलों को प्राथमिकता देते हुए स्कूली शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल में भी योगदान दिया है।

₹135.86 करोड़

वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए सीएसआर बजट

पीएफसी ने अपने सामाजिक दायित्वों के अंतर्गत समय-समय पर भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/ दिव्यांग कार्मिकों के लिए जारी निदेशों और दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के हर उपाय किए है। इन उपायों में सीधी भर्ती और प्रोन्नति के लिए विभिन्न निदेशों के अंतर्गत निर्धारित यथालागू आरक्षण और छूट शामिल है।

प्राकृतिक पूंजी

प्राकृतिक पूंजी का तात्पर्य सभी प्रकार की नवीकरणीय और गैर-नवीकरणीय पर्यावरणीय संसाधनों से है जैसे पानी, भूमि और ऊर्जा, जिन पर संगठन संचालन के लिए निर्भर करता है।

पीएफसी हमेशा पर्यावरण संरक्षा के प्रति सजग रहा है और प्रयास करता रहा है। इस प्रयासों में प्राकृतिक संसाधनों का कम से कम उपयोग और इनकी बर्बादी को रोकना शामिल है। पीएफसी का प्रयास रहा है कि जहां तक संभव हो प्रक्रियाओं के डिजिटीकरण से सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से कागज का उपयोग कम से कम किया जाए।

एक वित्तीय संस्थान होने के नाते पीएफसी में उत्पादों और अपशिष्ट को पुनः चक्रण (रिसाइकिल) का तंत्र विकसित करने की व्यवहार्यता सीमित है। तथापि, कंपनी ने एक ऑर्गेनिक कम्पोस्टिंग मशीन अपने कार्यालय परिसर में लगाई है जिससे कार्यालय भवन की रसोई/पैन्ट्री इत्यादि से प्रतिदिन निकलने वाले जैविक अपशिष्ट का पुनः चक्रण किया जाता है।

पीएफसी अपने व्यवसाय के संचालन के साथ-साथ पर्यावरण अनुकूल कदम उठाना अनिवार्य मानता है। ऋण प्रदान करने की अपनी जिम्मेदार कार्यनीति और पद्धतियों के कारण पीएफसी का नवीकरणीय व्यवसाय नई ऊँचाईयों को स्पर्श कर रहा है। कंपनी ने पावरग्रिड, एनटीपीसी और आरईसी के साथ भारत और विदेश में ऊर्जा दक्ष परियोजनाएं लागू करने के लिए 10 दिसंबर, 2009 को एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसिज लिमिटेड (ईईएसएल) को शामिल किया है।

इन उपायों के साथ आपकी कंपनी प्राकृतिक पूंजी के संरक्षण और संवर्धन में योगदान कर रही है। नवीकरणीय उत्पादो में निवेश, नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देकर, व्यवसाय में सकारात्मक पर्यावरणीय कार्रवाई शामिल कर पीएफसी प्राकृतिक पूंजी के सृजन और ऐसा करके पूरे विश्व में अपने बॉण्ड को लोकप्रिय बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

निदेशक मंडल की रिपोर्ट का अनुलग्नक – छ

निगमित शासन पर रिपोर्ट

निगमित शासन नियमों, कार्य प्रणाली और प्रक्रियाओं की व्यवस्था है जिनके माध्यम से कंपनी निर्देशित और नियंत्रित होती है। निगमित शासन में कंपनी के विभिन्न हितधारकों के हित को संतुलित रखना अनिवार्य रूप से शामिल होता है। इसमें अनिवार्य रूप से कंपनी में सभी हितधारको अर्थात शेयर धारकों, वरिष्ठ प्रबंधन कार्यपालकों, उपभोक्ताओं, आपूर्तिकर्त्ताओं, वित्तपोषकों, सरकार और समुदाय के हितों में संतुलन स्थापित करना शामिल हैं। चूंकि निगमित शासन कंपनी के उद्देश्यों को प्राप्त करने की रूपरेखा भी उपलब्ध कराता है, इसलिए प्रबंधन के प्रत्येक क्षेत्र अर्थात कार्य योजना और आंतरिक नियंत्रण से लेकर निष्पादन मूल्यांकन और कॉर्पोरेट स्पष्टीकरण तक इसकी व्यावहारिक पहुंच है।

आपकी कंपनी ने निगमित शासन नियमों का उच्च मानक बनाए रखने का हमेशा प्रयास किया है और शुरूआत से अब तक उत्तम निगमित शासन सिद्धांतों का पालन करती आ रही है।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 और सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के निगमित शासन के संबंध में जारी दिशा-निर्देशों की आवश्यकताओं के अनुसरण में निगमित शासन के प्रावधानों के अनुपालन के संबंध में प्रेक्टिसिंग कंपनी सचिव द्वारा जारी किए गए प्रमाण-पत्र के साथ निदेशक रिपोर्ट के भाग के रूप में रिपोर्ट नीचे दी गई है:

1. निगमित शासन पर कंपनी के विचारों के बारे में संक्षिप्त विवरण

कंपनी का निगमित शासन सिद्धांत दो मुख्य सिद्धांतों पर आधारित है। ये हैं:

(i) प्रबंधन के पास उद्यम को सतत विकास के पथ पर आगे बढ़ाने के लिए बिना किसी अवांछित व्यवधान के कार्यकारी स्वतंत्रता होनी चाहिए।

(ii) प्रबंधन की इस स्वतंत्रता का उपयोग नियामक रूप रेखा और प्रभावी जवाबदेही के अंतर्गत होना चाहिए।

आपकी कंपनी का कॉर्पोरेट स्वरूप, व्यवसाय संचालन और स्पष्टीकरण इसके निगमित शासन सिद्धांतों से जुड़ा है।

कंपनी के बोर्ड ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के अनुरूप प्रशासन सिद्धांतों और दायित्वो की अपने मार्गदर्शक सिद्धांतों के रूप में पूरी दृढ़ता से पुष्टि की है।

2. निदेशक मंडल

आपकी कंपनी का 2 - निदेशक मंडल कंपनी को कुशल नेतृत्व, वस्तुनिर्णय और कार्यनीतिक मार्गदर्शन उपलब्ध कराता है। कहा जा सकता है कि बोर्ड चार्टर कंपनी अधिनियम, संगम ज्ञापन, कंपनी के संस्था के अंतर्नियम, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड विनियम 2015 और कंपनी की आंतरिक संहिता/प्रक्रियाओं की निर्धारित रूपरेखा से संचालित होता है।

यह निगमित नीतियों, समग्र निष्पादन, लेखांकन और रिपोर्टिंग मानक तथा प्रबंधन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों, निगमित शासन और विनियात्मक अनुपालन की समीक्षा करता है। कंपनी के बोर्ड में विविध अनुभव और विशेषज्ञता के जाने माने प्रमुख व्यक्ति शामिल होते हैं।

संरचना

पीएफसी कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (45) के अंतर्गत सरकारी कंपनी है, 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार भारत के राष्ट्रपति कंपनी के कुल शेयर पूंजी के 55.99 प्रतिशत के धारक है और कंपनी के संस्था के अंतर्नियम के अनुसार निदेशकों को नियुक्त करने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास है। कंपनी के संस्था के अंतर्नियम के अनुसार कंपनी के निदेशकों की संख्या 3 से कम और 15 से अधिक नहीं होगी।

31 मार्च, 2020 को कंपनी के बोर्ड में सात निदेशक थे जिनमें चार पूर्णकालिक निदेशक, एक सरकारी नामिती अंशकालिक निदेशक और दो गैर सरकारी अंशकालिक (स्वतंत्र) निदेशक थे। इस वार्षिक रिपोर्ट में सभी निदेशकों का संक्षिप्त प्रोफाइल दिया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान कंपनी के निदेशक मंडल की संरचना में निम्नलिखित परिवर्तन हुए हैं:

(i) अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर निदेशक (परियोजना) श्री चिन्मय गंगोपाध्याय 1 मई, 2019 से बोर्ड के सदस्य नहीं है।

(ii) विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार से नियुक्ति के बाद श्री रविन्द्र सिंह ढिल्लों ने 12 जून, 2019 से निदेशक (परियोजना) का कार्यभार संभाला।

(iii) विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार से नियुक्त किए जाने पर श्री आर. सी.मिश्रा ने 11 जुलाई, 2019 से स्वतंत्र निदेशक का प्रभार संभाला।

(iv) भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय द्वारा मंत्रालय में संयुक्त सचिव श्री मृत्युंजय कुमार नारायण को 28 अगस्त, 2019 से बोर्ड में सरकारी नामिती निदेशक बनाया गया। उन्होंने संयुक्त सचिव श्री अरुण कुमार वर्मा का स्थान लिया जिन्हें पीएफसी बोर्ड में इस पद पर पहले नामित किया गया था।

(v) स्वतंत्र निदेशक श्री सीताराम पारीक कार्यकाल पूरा होने के बाद 6 फरवरी, 2020 से बोर्ड के सदस्य नहीं है।

अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर श्री राजीव शर्मा, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक तथा श्री एन.बी. गुप्ता निदेशक (वित्त) क्रमशः 1 जून, 2020 और 1 जुलाई, 2020 से बोर्ड के सदस्य नहीं है। विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार से नियुक्ति के बाद श्री रविन्द्र सिंह ढिल्लों, निदेशक (परियोजना) ने 1 जून, 2020 से अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का तथा श्रीमती प्रमिन्द्र चोपड़ा ने 1 जुलाई, 2020 से निदेशक (वित्त) का प्रभार संभाला है।

वर्ष के दौरान, कंपनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या के अभाव के कारण निदेशक मंडल की संरचना कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 तथा डीपीई द्वारा सीपीएसई के लिए जारी निगमित शासन दिशानिर्देशों के अनुरूप नहीं थी।

कंपनी पहले ही नियोक्ता प्राधिकारी, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार से कंपनी बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या की नियुक्ति में तेजी लाने का अनुरोध कर चुकी है ताकि पीएफसी, कंपनी अधिनियम, 2013, भारतीय विनिमय और प्रतिभूति बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के व्यवहार्य प्रावधानों तथा डीपीई द्वारा सीपीएसई के लिए जारी निगमित शासन दिशानिर्देशों के अनुपालन में समर्थ हो सके।

31 मार्च, 2020 को कंपनी के निदेशक मंडल की संरचना इस प्रकार थी:

पूर्णकालिक निदेशक		
(i)	श्री राजीव शर्मा	अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, मुख्य कार्यपालक अधिकारी और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक
(ii)	श्री एन. बी. गुप्ता	निदेशक (वित्त), मुख्य वित्तीय अधिकारी और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक
(iii)	श्री रविन्द्र सिंह ढिल्लों	निदेशक (परियोजना) और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक
(iv)	श्री प्रवीण कुमार सिंह	निदेशक (वाणिज्यिक) और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक
सरकारी नामिती निदेशक		
(v)	श्री मृत्युंजय कुमार नारायण	निदेशक (सरकारी नामिती)
गैर सरकारी अंशकालिक (स्वतंत्र) निदेशक		
(vi)	श्रीमती गौरी चौधरी	स्वतंत्र निदेशक
(vii)	श्री आर. सी. मिश्रा	स्वतंत्र निदेशक

आपकी कंपनी ने आरबीआई के मास्टर दिशा-निर्देश - गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी -प्रणालीबद्ध महत्वपूर्ण गैर-जमा प्राप्तकर्ता कंपनी और जमा प्राप्तकर्ता कंपनी(रिजर्व बैंक) दिशानिर्देश, 2016 के अंतर्गत कंपनी के निदेशकों की उपयुक्तता और समुचित स्तर का सुनिश्चय करने के लिए एक उपयुक्त और समुचित नीति तैयार की है। कंपनी की नामांकन और पारिश्रमिक समिति ने उपर्युक्त नीति के अनुरूप वर्ष 2019-20 के लिए कंपनी बोर्ड में क्रियाशील और स्वतंत्र निदेशकों को समुचित और उपयुक्त माना है।

इसके अतिरिक्त, भारतीय विनिमय और प्रतिभूति बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 की अपेक्षानुसार कंपनी ने एक कार्यरत सचिव से प्रमाणपत्र प्राप्त किया है कि कंपनी बोर्ड के किसी भी निदेशक को कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय/बोर्ड या किसी ऐसे वैधानिक प्राधिकरण द्वारा नियुक्ति से या पद पर बने रहने से न तो रोका गया है और न ही अयोग्य ठहराया गया है।

चूंकि पीएफसी एक सरकारी कंपनी है, इसलिए कंपनी बोर्ड के निदेशकों की नियुक्ति विद्युत मंत्रालय के माध्यम से भारत सरकार द्वारा की जाती है। इसके अलावा, चूंकि पीएफसी विद्युत क्षेत्र के वित्तपोषण के व्यवसाय में शामिल एनबीएफसी है इसलिए विद्युत मंत्रालय सुनिश्चित करता है कि कंपनी के बोर्ड में नियुक्त निदेशकों के पास कंपनी के कार्यों के संचालन के अपेक्षित क्षेत्रों अर्थात वित्त एवं तकनीकी आदि क्षेत्रों में अपेक्षित कौशल एवं विशेषज्ञता है। बोर्ड के सदस्यों के मुख्य कौशलों, विशेष योग्यता एवं दक्षता कि सूची रिपोर्ट में बाद में प्रदान की गई है।

बोर्ड की बैठकें

बोर्ड की बैठकें आमतौर पर कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में होती हैं और उनकी तैयारी काफी समय पहले की जाती है। पीएफसी बोर्ड की बैठकें नियमित रूप से होती हैं। बोर्ड की बैठकें निर्धारित कार्य सूची से अभिशासित होती हैं और बोर्ड का प्रत्येक सदस्य विचारणीय विषयों की सूची में किसी विषय को शामिल किए जाने की अनुशंसा कर सकता/सकती है। सभी प्रमुख मुद्दों पर व्याख्यात्मक टिप्पणियों सहित विस्तृत कार्य सूची दस्तावेज अग्रिम रुप में परिचालित किए जाते हैं ताकि बोर्ड तथ्यपरक एवं स्वतंत्र निर्णय ले सके। आपकी कंपनी भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा निदेशक मंडल की बैठकों पर जारी किए गए सचिवालयी मानक 1 का शब्दशः अनुसरण करती है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान निम्नलिखित तारीखों को बोर्ड की 13 बार बैठक हुई:

(i) 17 मई, 2019 (ii) 29 मई, 2019 (iii) 24 जून, 2019 (iv) 30 जुलाई, 2019 (v) 13 अगस्त, 2019 (vi) 27 अगस्त, 2019 (vii) 20 सितंबर, 2019 (viii) 22 अक्तूबर, 2019 (ix) 14 नवंबर, 2019 (x) 24 दिसंबर, 2019 (xi) 12 फरवरी, 2020 (xii) 09 मार्च, 2020 तथा (xiii) 21 मार्च, 2020

वार्षिक आम बैठक

कंपनी की पिछली वार्षिक आम बैठक 27 अगस्त, 2019 को हुई।

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान आयोजित बोर्ड बैठकों तथा पिछली वार्षिक आम बैठक में निदेशकों की उपस्थिति, अन्य कंपनियों में निदेशकों की समीक्षा तथा अन्य कंपनियों की समितियों में सदस्यता/अध्यक्षता, बोर्ड के सदस्यों के मुख्य कौशल, विशेषज्ञता एवं दक्षता आदि इस प्रकार है:

नाम और पदनाम	बोर्ड की बैठकें		31 मार्च, 2020* की स्थिति के अनुसार अन्य निदेशकों की संख्या	31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार अन्य कंपनियों की समितियों में अध्यक्षता/सदस्यता**		27 अगस्त, 2019 को आयोजित पिछली वार्षिक आम बैठक में उपस्थिति	मुख्य कौशल, विशेषज्ञता एवं दक्षता
	कार्यकाल के दौरान आयोजित उपस्थिति	उपस्थिति		सदस्य	अध्यक्ष		
श्री राजीव शर्मा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	13	13	2	शून्य	शून्य	उपस्थित	जीबी पंत विश्वविद्यालय से बीटेक (इलेक्ट्रिकल) तथा आईआईटी रुड़की से इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री और एफएमएस, दिल्ली विश्वविद्यालय से व्यवसाय प्रशासन में मास्टर डिग्री भी • विद्युत क्षेत्र में 35 वर्ष से अधिक का अनुभव
श्री एन. बी. गुप्ता निदेशक (वित्त)	13	12	8#(क)	शून्य	शून्य	उपस्थित	इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स् ऑफ इंडिया के सदस्य • विद्युत क्षेत्र में 33 वर्ष से अधिक का अनुभव
श्री प्रवीण कुमार सिंह निदेशक (वाणिज्यिक)	13	13	7#(ख)	शून्य	शून्य	उपस्थित	आईआईटी-बीएचयू से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बी.टेक • आईआईटी नई दिल्ली से एम.टेक (ऊर्जा एवं पर्यावरण प्रबंधन) • ग्लोबल एनर्जी एमबीए प्रोग्राम, बायेर कॉलेज ऑफ बिजनेस, ह्यूस्टन विश्वविद्यालय, यूएसए • विद्युत क्षेत्र में 35 वर्ष से अधिक का अनुभव

नाम और पदनाम	बोर्ड की बैठकें		31 मार्च, 2020* की स्थिति के अनुसार अन्य निदेशकों की संख्या	31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार अन्य कंपनियों की समितियों में अध्यक्षता/सदस्यता**		27 अगस्त, 2019 को आयोजित पिछली वार्षिक आम बैठक में उपस्थिति	मुख्य कौशल, विशेषज्ञता एवं दक्षता
	कार्यकाल के दौरान आयोजित उपस्थिति	उपस्थिति		सदस्य	अध्यक्ष		
श्री आर. एस. ढिल्लों निदेशक (परियोजना) (12 जून, 2019 से प्रभावी)	11	11	1	शून्य	शून्य	उपस्थित	आईआईटी दिल्ली से पावर सिस्टम्स में स्नातकोत्तर योग्यता के साथ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर • विद्युत क्षेत्र में 35 वर्ष से अधिक का अनुभव
श्री चिन्मय गंगोपाध्याय निदेशक (परियोजना) (30 अप्रैल, 2019 तक)	0	0	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	आईआईटी खड़गपुर से बीटेक (इलेक्ट्रिकल) और एफएमएस, दिल्ली विश्वविद्यालय से व्यवसाय प्रशासन में मास्टर डिग्री भी • विद्युत क्षेत्र में 38 वर्ष से अधिक का अनुभव
श्री मृत्युंजय कुमार नारायण निदेशक (सरकारी नामिती) (28 अगस्त, 2019 से)	7	5	2[#(ग)]	शून्य	शून्य	लागू नहीं	उत्तर प्रदेश कैडर के 1995 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी और विद्युत मंत्रालय में संयुक्त सचिव। • भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) कानपुर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बी.टेक और एम.टेक • सार्वजनिक नीति और प्रबंधन में किंग्स कॉलेज लंदन से एम.एससी और विधि में स्नातकोत्तर योग्यता प्राप्त।
डॉ. अरुण कुमार वर्मा निदेशक (सरकारी नामिती) (27 अगस्त, 2019 तक)	6	3	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	अनुपस्थित	गुजरात कैडर से 1986 बैच के भारतीय वन सेवा अधिकारी और विद्युत मंत्रालय में संयुक्त सचिव • भौतिकी में मास्टर डिग्री • एफआरआई एंड सी, देहरादून से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी के सह-सदस्य (एआईजीएनएफए) • आदिवासी विकास नीति में पीएचडी भारतीय प्रबंध संस्थान, बेंगलुरू एवं मैक्सवेल स्कूल ऑफ सिटिजनशिप एंड इंटरनेशनल अफेयर्स, सिरेक्यूज विश्वविद्यालय, यूएसए से लोक नीति एवं प्रबंध में स्नातकोत्तर कार्यक्रम (पीजीपीपीएम)
श्रीमती गौरी चौधरी स्वतंत्र निदेशक	13	11	शून्य	शून्य	शून्य	उपस्थित	अंग्रेजी में एमए • संगीत प्रभाकर (सितार) • सामाजिक कार्यकर्ता
श्री आर. सी. मिश्रा स्वतंत्र निदेशक (11 जुलाई, 2019 से)	10	9	शून्य	शून्य	शून्य	उपस्थित	• भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के 1978 बैच के अधिकारी • इलाहाबाद विश्वविद्यालय से विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि (एम.एससी) और एलजुब्लजाना विश्वविद्यालय, स्लोवेनिया से व्यवसाय प्रशासन में मास्टर्स डिग्री (एमबीए)

नाम और पदनाम	बोर्ड की बैठकें		31 मार्च, 2020* की स्थिति के अनुसार अन्य निदेशकों की संख्या	31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार अन्य कंपनियों की समितियों में अध्यक्षता/सदस्यता**		27 अगस्त, 2019 को आयोजित पिछली वार्षिक आम बैठक में उपस्थिति	मुख्य कौशल, विशेषज्ञता एवं दक्षता
	कार्यकाल के दौरान आयोजित उपस्थिति	उपस्थिति		सदस्य	अध्यक्ष		
श्री सीताराम पारीक स्वतंत्र निदेशक (05 फरवरी, 2020 तक)	10	10	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	उपस्थित	बीकॉम, एफसीए, डीआईएसए • इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउटंटेंस् ऑफ इंडिया के सदस्य • मैसर्स सारदा एंड पारीक, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, मुंबई के संस्थापक भागीदार

* निजी कंपनियों, कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत धारा 8 की कंपनियों तथा विदेशी कंपनियों में निदेशक शामिल नहीं है।

** लेखापरीक्षा समिति तथा शेयरधारक/निवेशक शिकायत निवारण समिति को छोड़कर बोर्ड की समितियों में अध्यक्षता/सदस्यता शामिल नहीं है।

सूचीबद्ध संस्थाओं में निदेशकगण का ब्यौरा

#(क) पीटीसी इंडिया लिमिटेड में पीएफसी के नामिती निदेशक

#(ख) आरईसी लिमिटेड में पीएफसी के नामिती निदेशक

#(ग) आरईसी लिमिटेड और पीटीसी इंडिया लिमिटेड में सरकारी नामिती निदेशक

बोर्ड के निदेशकों में से एक भी निदेशक, सभी कंपनियों जिनमें वह निदेशक है, 10 से अधिक समितियों का सदस्य और 5 से अधिक समितियों का अध्यक्ष नहीं है। कंपनी का कोई भी निदेशक किसी भी रूप में एक दूसरे का रिश्तेदार नहीं हैं।

स्वतंत्र निदेशकों की अलग बैठक

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम 2015, कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची 4 और सीपीएसई के गैर-सरकारी निदेशकों (स्वतंत्र निदेशकों) की भूमिका एवं जिम्मेदारियों पर डीपीई द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार स्वतंत्र निदेशकों की अलग बैठक 04 जनवरी, 2020 को हुई। सभी स्वतंत्र निदेशकों ने उक्त बैठक में भाग लिया।

स्वतंत्र निदेशकों द्वारा घोषणा

17 मई, 2019 को आयोजित वित्तीय वर्ष 2019-20 की बोर्ड की पहली बैठक में सभी स्वतंत्र निदेशकों ने इस आशय की घोषणा प्रदान की कि वे कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 149 (6), भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के प्रावधान और सीपीएसई के लिए निगमित शासन पर डीपीई के दिशा-निर्देशों के अनुसार स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा करते हैं।

इसके अतिरिक्त, 11 मई, 2020 को आयोजित वित्तीय वर्ष 2020-21 की बोर्ड की पहली बैठक में सभी स्वतंत्र निदेशकों ने इस आशय की घोषणा प्रदान की कि वे कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 149 (6), भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम 2015 के प्रावधान और सीपीएसई के लिए निगमित शासन पर डीपीई के दिशा-निर्देशों के अनुसार स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा करते हैं। उक्त बैठक में निदेशक मंडल ने पुष्टि की कि कंपनी के स्वतंत्र निदेशक कंपनी अधिनियम 2013, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 और सीपीएसई के लिए निगमित शासन पर डीपीई के दिशा-निर्देशों में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करते हैं तथा प्रबंधन से अलग हैं। वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान किसी स्वतंत्र निदेशक ने त्याग पत्र नहीं दिया है।

निदेशक मंडल की राय में, स्वतंत्र निदेशक अपेक्षित विशेषज्ञता और अनुभव रखते हैं और वे उच्च निष्ठावान और अनुभवी व्यक्ति हैं। स्वतंत्र निदेशकों ने ऑनलाइन दक्षता परीक्षण के लिए स्वयं को पंजीकृत किया है और निर्धारित अवधि में वे इस परीक्षण में शामिल होंगे।

स्वतंत्र निदेशकों के लिए परिचय कार्यक्रम

स्वतत्र निदेशकों को प्रदान किए गए परिचय कायर्क्रम का ब्योरा कार्यक्रम की समाप्ति के बाद कपंनी की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाता है। निम्नलिखित वेब लिंक के माध्यम से वेब साइट पर डाले गए ब्यौरे देखे जा सकते है:

http://www.pfcindia.com/DocumentRepository/ckfinder/files/Investors/Equities/disclosure/12042019/disclosure_SEBI_46_2.pdf

3. निदेशक मंडल की समितियां

विनियामक आवश्यकताओं के अनुसरण में तथा कंपनी के कार्यों पर तेजी से विचार विमर्श और संकेंद्रित निर्णय लेने को सुगम बनाने के उद्देश्य से बोर्ड ने भिन्न भूमिका, जवाबदेही एवं प्राधिकार के साथ बोर्ड स्तरीय समितियों का गठन किया है। बोर्ड ने संगत वित्तीय वर्ष में बोर्ड की समितियों की सिफारिशों को स्वीकार किया जो अनिवार्य रूप से अपेक्षित है। बोर्ड स्तरीय समितियां इस प्रकार हैं:

(i) निदेशकों की लेखापरीक्षा समिति

(ii) नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

(iii) हितधारक संबंध एवं शेयरधारक/निवेशक शिकायत समिति

(iv) जोखिम प्रबंधन समिति

(v) निदेशकों की सीएसआर एवं संपोषणीय विकास समिति

(vi) फंक्श्नल निदेशकों की ऋण समिति

(vii) निदेशकों की निवेश समिति

(viii) मानव संसाधन समिति

(ix) फंक्श्नल निदेशकों की एएलएम समिति

3.1 निदेशकों की लेखापरीक्षा समिति

कंपनी अधिनियम, सीपीएसई के लिए निगमित शासन पर डीपीई के दिशा-निर्देशों तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम 2015 और निगमित शासन पर आरबीआई के मानदंडों के अंतर्गत आवश्यकताओं के

अनुसार कंपनी के निदेशक मंडल में निदेशकों की लेखापरीक्षा समिति का गठन किया है।

बोर्ड द्वारा गठित कंपनी की लेखापरीक्षा समिति में दो स्वतंत्र निदेशक और एक फंक्शल निदेशक शामिल हैं। वर्ष के दौरान समिति की बैठकों की अध्यक्षता एक स्वतंत्र निदेशक द्वारा की गई।

31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार लेखापरीक्षा समिति की संरचना निम्नानुसार है:

सदस्य का नाम	पदनाम
श्री आर. सी. मिश्रा	अध्यक्ष
श्रीमती गौरी चौधरी	सदस्य
श्री आर. एस. ढिल्लों	सदस्य

कंपनी सचिव ने समिति के सचिव के रूप में काम करना जारी रखा। लेखापरीक्षा समिति की भूमिका, विचारार्थ विषय, कार्य क्षेत्र तथा प्राधिकार कंपनी अधिनियम के संगत प्रावधानों, सीपीएसई के लिए निगमित शासन पर डीपीई के दिशानिर्देशों तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम 2015 और निगमित शासन पर आरबीआई के मानदंडों के अंतर्गत प्रावधान के अनुसार है।

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान लेखापरीक्षा समिति की 7 बैठकें हुईं जो इस प्रकार हैं (i) 16 मई, 2019 (ii) 29 मई, 2019 (iii) 29 जुलाई, 2019 (iv) 13 अगस्त, 2019 (v) 20 सितंबर, 2019 (vi) 14 नवंबर, 2019 और (vii) 12 फरवरी, 2020

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान सदस्यों द्वारा बैठकों में उपस्थिति का ब्योरा नीचे दिया गया है:

सदस्य का नाम	पदनाम	बैठकों की संख्या	
		कार्यकाल के दौरान हुई बैठकें	उपस्थिति
श्री आर. सी. मिश्रा (13 अगस्त, 2019 से)	स्वतंत्र निदेशक	3	3
श्रीमती गौरी चौधरी	स्वतंत्र निदेशक	7	7
श्री आर. एस. ढिल्लों (12 जून, 2019 से 12 अगस्त, 2019 तक) (6 फरवरी, 2020 से)	निदेशक (परियोजना)	3	3
श्री सीताराम पारीक (5 फरवरी, 2020 तक)	स्वतंत्र निदेशक	6	6
श्री चिन्मय गंगोपाध्याय (30 अप्रैल, 2019 तक)	निदेशक (परियोजना)	0	0

निदेशक (वित्त) और निदेशक (वाणिज्यिक) उक्त समिति की बैठकों के लिए स्थायी आमंत्रिती हैं।

इसके अतिरिक्त, समिति के सदस्यों से बातचीत करने के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा के अध्यक्ष, स्वतंत्र आंतरिक लेखापरीक्षकों तथा सांविधिक लेखापरीक्षक (परीक्षकों) के प्रतिनिधि को लेखापरीक्षा समिति की बैठकों में आमंत्रित किया गया।

3.2 नामांकन और पारिश्रमिक समिति

आपकी कंपनी एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम है, और तदनुरूप सीएमडी और निदेशकों की नियुक्ति और उनके पारिश्रमिक का निर्धारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा कंपनी के संस्था के अंतर्नियम की शर्तों के अनुसार किया जाता है। तथापि, आपकी कंपनी ने कंपनी अधिनियम 2013, सीपीएसई के लिए निगमित शासन पर डीपीई के प्रावधानों, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम 2015 और निगमित शासन पर आरबीआई के मानदंडों के प्रावधानों के अनुसरण में एक नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का गठन किया है।

31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की संरचना इस प्रकार है:

सदस्य का नाम	पदनाम
श्री आर. सी. मिश्रा	अध्यक्ष
श्रीमती गौरी चौधरी	सदस्य
श्री मृत्युंजय कुमार नारायण	सदस्य

निदेशक (वित्त), निदेशक (वाणिज्यिक) और निदेशक (परियोजना) उक्त समिति की बैठकों के लिए स्थायी आमंत्रिती हैं।

नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की भूमिका और विचारार्थ विषय कंपनी अधिनियम के सम्बद्ध प्रावधानों, सीपीएसई के लिए निगमित शासन संबंधी डीपीई के दिशा-निर्देशों, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 और निगमित शासन संबंधी आरबीआई के मानदंडों के अनुरूप हैं।

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की 3 बैठकें हुईं जो इस प्रकार हैं (i) 24 जून, 2019 (ii) 29 जुलाई, 2019 और (iii) 20 सितंबर, 2019

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान सदस्यों द्वारा बैठक में उपस्थिति का ब्योरा नीचे दिया गया है:

सदस्य का नाम	पदनाम	बैठकों की संख्या	
		कार्यकाल के दौरान हुई बैठकें	उपस्थिति
श्री आर. सी. मिश्रा (13 अगस्त, 2019 से)	स्वतंत्र निदेशक	1	1
श्रीमती गौरी चौधरी	स्वतंत्र निदेशक	3	3
श्री मृत्युंजय कुमार नारायण (6 फरवरी, 2020 से)	सरकारी नामिती निदेशक	0	0
श्री सीताराम पारीक (5 फरवरी, 2020 तक)	स्वतंत्र निदेशक	3	3
श्री पी. के. सिंह (12 अगस्त, 2019 तक)	निदेशक (वाणिज्यिक)	2	2

पारिश्रमिक नीति

आपकी कंपनी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम है जिसमें प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति द्वारा बोर्ड के सभी सदस्यों की नियुक्ति की जाती है जो अन्य बातों के साथ ऐसे पूर्णकालिक निदेशकों के नियुक्ति आदेश/वेतन नियतन आदेश के माध्यम से उनका पारिश्रमिक नियत करते हैं। डीपीई के दिशा-निर्देशों के अनुसार कंपनी के अन्य कार्मिकों की नियुक्ति की जाती है तथा पारिश्रमिक नियत किए जाते हैं। सीएमडी तथा पूर्णकालिक निदेशकों के मामले में निदेशकों का पारिश्रमिक प्राप्त करने के अलावा, बोर्ड के सदस्यों का कंपनी, इसके प्रोमोटर्स या इसकी सहायक कंपनियों के साथ

कोई महत्वपूर्ण मौद्रिक संबंध या लेन-देन नहीं है, जो बोर्ड के निर्णय में निदेशकों के निर्णय की स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकता है। चूंकि पीएफसी सरकारी कंपनी है, इसलिए स्वतंत्र निदेशकों सहित बोर्ड के सभी सदस्यों के कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जाता है।

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने अपनी दिनांक 5 जून, 2015 की अधिसूचना के माध्यम से अन्य बातों के साथ सरकारी कंपनियों को छूट प्रदान की है, यदि केंद्र सरकार के ऐसे मंत्रालय या विभाग द्वारा अपनी स्वयं की मूल्यांकन विधि के अनुसार निदेशकों का मूल्यांकन किया जाता है जो कंपनी का प्रशासनिक रूप से प्रभारी है। तद्नुसार, सरकारी कंपनी होने के कारण पीएफसी को उपर्युक्त अधिसूचना के अनुसार छूट प्राप्त है क्योंकि स्वतंत्र निदेशकों सहित बोर्ड के सभी सदस्यों के कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने दिनांक 5 जुलाई, 2017 की अधिसूचना के माध्यम से निर्धारित किया कि कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची 4 में निर्धारित स्वतंत्र निदेशकों के कार्य-निष्पादन की समीक्षा से संबंधित प्रावधान तथा मूल्यांकन तंत्र भी सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं है।

सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के अंतर्गत सार्वजनिक उद्यम विभाग के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ उद्यमों द्वारा सेबी से इसी तरह की छूट प्राप्त करने का अनुरोध किया गया है।

सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 और बोर्ड मूल्यांकन संबंधी सेबी के 5 जनवरी, 2017 के दिशा-निर्देश नोट के अनुसार स्वतंत्र निदेशकों ने 4 जनवरी, 2020 को अपनी पृथक बैठक में गैर-स्वतंत्र निदेशकों, अध्यक्ष और समूचे बोर्ड के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन किया।

पूर्णकालिक निदेशकों का पारिश्रमिक

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सहित पूर्णकालिक निदेशकों को भुगतान किया गया पारिश्रमिक उनकी नियुक्ति की शर्तों एवं निबंधनों के अनुसार था।

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान कंपनी के पूर्णकालिक निदेशकों के पारिश्रमिक का ब्योरा नीचे दिया गया है:-

निदेशक का नाम	वेतन (₹)	हितलाभ (₹)	बोनस/अनुग्रह कमीशन (₹)	कार्य निष्पादन सम्बद्ध प्रोत्साहन (₹)	स्टॉक विकल्प (₹)	कुल (₹)
श्री राजीव शर्मा	41,24,393	25,74,863	0	33,85,665	0	1,00,84,921
श्री सी. गंगोपाध्याय (30 अप्रैल, 2019 तक)	20,26,937	3,93,639	0	0	0	24,20,576
श्री एन. बी. गुप्ता	43,38,369	12,37,195	0	25,15,415	0	80,90,979
श्री पी. के. सिंह	37,64,197	13,90,174	0	21,85,248	0	73,39,619
श्री आर. एस. ढिल्लों (12 जून, 2019 से)	29,84,048	9,23,985	0	0	0	39,08,033
कुल	**1,72,37,944**	**65,19,856**	**0**	**80,86,328**	**0**	**3,18,44,128**

टिप्पणी:

1. कंपनी की कार्य-निष्पादन संबद्ध वेतन (पीआरपी) प्रणाली के अनुसार कार्य-निष्पादन संबंधी प्रोत्साहनों का भुगतान किया जाता है।
2. निदेशकों की नियुक्ति तथा पारिश्रमिक सहित नियुक्ति की शर्तों, नोटिस अवधि, अलगाव शुल्क, यदि कोई हो, आदि का निर्धारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है।
3. निदेशक या केएमपी के पद पर कार्यावधि के लिए वेतन और भत्ते अदायगी आधार पर विचार किए गए हैं।
4. उपरोक्त जानकारी फॉर्म 16 (आयकर अधिनियम, 1961) के अनुसार वेतन से आय के अनुरूप है।

गैर-कार्यपालक निदेशकों/स्वतंत्र तथा सरकारी नामिती निदेशकों का पारिश्रमिक

स्वतंत्र तथा सरकारी नामिती निदेशकों का कंपनी के साथ कोई महत्वपूर्ण मौद्रिक संबंध या लेन-देन नहीं होता है। तथापि, स्वतंत्र निदेशकों को ₹20,000 के बैठक शुल्क का भुगतान किया गया। दिसंबर 2019 में निदेशक मंडल ने निदेशक मंडल की प्रत्येक बैठक में उपस्थिति के लिए बैठक शुल्क बढ़ा कर 40,000 रुपए और निदेशकों की समिति की प्रत्येक बैठक में उपस्थिति के लिए 30,000 रुपए कर दिया।

सरकारी नामिती निदेशक कंपनी से किसी पारिश्रमिक या बैठक शुल्क के लिए हकदार नहीं है।

31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार श्रीमती गौरी चौधरी, स्वतंत्र निदेशक और श्री मृत्युंजय कुमार नारायण, सरकारी नामिती निदेशक की कंपनी में शेयर धारिता शून्य थी।

3.3 स्टेकधारक संबंध एवं शेयरधारक/निवेशक शिकायत समिति

कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 तथा सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 की आवश्यकता के अनुसार निवेशकों की शिकायतों के निवारण की जांच पड़ताल करने के लिए कंपनी ने हितधारक संबंध एवं शेयरधारक/निवेशक शिकायत समिति का गठन किया है।

31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार हितधारक संबंध एवं शेयरधारक/निवेशक शिकायत समिति की संरचना इस प्रकार है:

सदस्य का नाम	पदनाम
श्रीमती गौरी चौधरी	अध्यक्ष
श्री एन. बी. गुप्ता	सदस्य
श्री आर. एस. ढिल्लों,	सदस्य

श्री मनोहर बलवानी, कंपनी सचिव कंपनी के अनुपालन अधिकारी के रूप में काम करते हैं।

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान हितधारक संबंध एवं शेयरधारक/निवेशक शिकायत समिति की 4 बैठकें हुईं जो इस प्रकार हैं (i) 17 मई, 2019 (ii) 13 अगस्त, 2019 (iii) 14 नवंबर, 2019 और (iv) 12 फरवरी, 2020

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान सदस्यों द्वारा बैठक में उपस्थिति का ब्योरा नीचे दिया गया है:

सदस्य का नाम	पदनाम	बैठकों की संख्या	
		कार्यकाल के दौरान हुई बैठकें	उपस्थिति
श्रीमती गौरी चौधरी	स्वतंत्र निदेशक	4	4
श्री एन. बी. गुप्ता	निदेशक (वित्त)	4	4
श्री आर. एस. ढिल्लों (12 जून, 2019 से)	निदेशक (परियोजना)	3	3
श्री चिन्मय गंगोपाध्याय (30 अप्रैल, 2019 तक)	निदेशक (परियोजना)	0	0

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए निवेशकों की शिकायतों पर सूचना इस प्रकार है:

विवरण	इक्विटी	बॉण्ड
वर्ष के प्रारंभ में लंबित	0	0
वर्ष के दौरान प्राप्त	499	3,006
वर्ष के दौरान निपटान की गई	499	3,006
वर्ष के अंत में अनिर्णीत	0	0

3.4 जोखिम प्रबंधन समिति

कंपनी की जोखिम प्रबंध योजना पर निगरानी रखने और उसकी समीक्षा करने तथा जोखिम प्रबंधन के लिए उठाए जाने वाले कदमों की निदेशक मंडल को सिफारिश करने के लिए जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया गया है।

31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार जोखिम प्रबंधन समिति की संरचना निम्नानुसार है:

नाम	पदनाम
श्री एन. बी. गुप्ता	अध्यक्ष
श्री आर. एस. ढिल्लों	सदस्य

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान जोखिम प्रबंधन समिति की 3 बैठकें हुईं जो इस प्रकार हैं **(i)** 25 अप्रैल, 2019, **(ii)** 11 सितंबर, 2019 और (iii) 23 मार्च 2020

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान सदस्यों द्वारा बैठक में उपस्थिति का ब्योरा नीचे दिया गया है:

सदस्य का नाम	पदनाम	बैठकों की संख्या	
		कार्यकाल के दौरान हुई बैठकें	उपस्थिति
श्री एन. बी. गुप्ता	निदेशक (वित्त)	3	3
श्री आर. एस. ढिल्लों (12 जून, 2019 से)	निदेशक (परियोजना)	2	2
श्री चिन्मय गंगोपाध्याय (30 अप्रैल, 2019 तक)	निदेशक (परियोजना)	1	1

3.5 निदेशकों की सीएसआर एवं संधारणीय विकास समिति

कंपनी की कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व एवं संधारणीय विकास गतिविधियों को दिशा प्रदान करने तथा सीएसआर एवं एसडी की विभिन्न परियोजनाएं शुरू करने के लिए निदेशक मंडल को सिफारिश करने के लिए सीएसआर एवं संधारणीय विकास समिति का गठन किया गया है।

31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार सीएसआर एवं स्थायी विकास समिति की संरचना इस प्रकार है:

नाम	पदनाम
श्री आर. सी. मिश्रा	अध्यक्ष
श्रीमती गौरी चौधरी	सदस्य
श्री पी. के. सिंह	सदस्य

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान सीएसआर एवं संधारणीय विकास समिति की 7 बैठकें हुई जो इस प्रकार हैं (i) 14 मई, 2019 (ii) 16 जुलाई, 2019 (iii) 29 जुलाई, 2019 (iv) 12 सितंबर, 2019 (v) 22 अक्तूबर, 2019 (vi) 04 दिसंबर, 2019 और (vii) 03 फरवरी, 2020

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान सदस्यों द्वारा बैठक में उपस्थिति का ब्योरा नीचे दिया गया है:

सदस्य का नाम	पदनाम	बैठकों की संख्या	
		कार्यकाल के दौरान हुई बैठकें	उपस्थिति
श्री आर. सी. मिश्रा (13 अगस्त, 2019 से)	स्वतंत्र निदेशक	4	3
श्री सीताराम पारीक (05 फरवरी, 2020 तक)	स्वतंत्र निदेशक	7	7
श्रीमती गौरी चौधरी (06 फरवरी, 2020 तक)	स्वतंत्र निदेशक	0	0
श्री पी. के. सिंह	निदेशक (वाणिज्य)	7	7
श्री आर. एस. ढिल्लों (12 जून, 2019 से 12 अगस्त, 2019 तक)	निदेशक (परियोजना)	2	2
श्री चिन्मय गंगोपाध्याय (30 अप्रैल, 2019 तक)	निदेशक (परियोजना)	0	0

3.6 फंक्श्नल निदेशकों की ऋण समिति

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान वित्तीय एवं पट्टा सहायता में वृद्धि तथा पात्रता की शर्तों में छूट सहित अलग अलग योजनाओं और परियोजनाओं को 500 करोड़ रुपए तक की वित्तीय सहायता संस्वीकृत करने के लिए निदेशकों की ऋण समिति और कार्यात्मक निदेशकों की समिति को मिला कर एक नई 'प्रकार्यात्मक निदेशकों की ऋण समितियों' का गठन किया गया।

31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार फंक्श्नल निदेशकों की ऋण समिति की संरचना निम्नानुसार है:

नाम	पदनाम
श्री राजीव शर्मा	अध्यक्ष
श्री एन. बी. गुप्ता	सदस्य
श्री पी. के. सिंह	सदस्य
श्री आर. एस. ढिल्लों	सदस्य

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान फंक्शनल निदेशकों की ऋण समिति की 12 बैठकें हुई जो इस प्रकार हैं (i) 13 सितंबर, 2019 (ii) 07 अक्तूबर, 2019 (iii) 31 अक्तूबर, 2019 (iv) 27 नवंबर, 2019 (v) 16 दिसंबर, 2019 (vi) 30 दिसंबर, 2019 (vii) 07 जनवरी, 2020 (viii) 09 मार्च, 2020, (ix) 12 मार्च, 2020, (x) 23 मार्च, 2020, (xi) 28 मार्च, 2020 और (xii) 30 मार्च, 2020 इसके अतिरिक्त निदेशकों की ऋण समिति की एक बैठक 21 जून, 2019 को हुई थी।

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान सदस्यों द्वारा बैठक में उपस्थिति का ब्योरा नीचे दिया गया है:

सदस्य का नाम	पदनाम	बैठकों की संख्या	
		कार्यकाल के दौरान हुई बैठकें	उपस्थिति
श्री राजीव शर्मा	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	12	12
श्री एन. बी. गुप्ता	निदेशक (वित्त)	12	12
श्री पी. के. सिंह	निदेशक (वाणिज्यिक)	12	12
श्री आर. एस. ढिल्लों	निदेशक (परियोजना)	12	12
श्री आर. सी. मिश्रा (06 फरवरी, 2020 से)	स्वतंत्र निदेशक	1	1
श्री सीता राम पारीक (13 अगस्त, 2019 से 05 फरवरी, 2020 तक)	स्वतंत्र निदेशक	0	0

3.7 निदेशकों की निवेश समिति

केंद्रीय विद्युत क्षेत्र उपक्रमों के आईपीओ में इक्विटी निवेश अनुमोदित करने तथा अन्य संबद्ध मामलों जैसे कि निकास/बिक्री के निर्णयों, आईपीओ के माध्यम से आवेदित किए जाने वाले शेयरों की संख्या, मामला दर मामला आधार पर प्रत्येक कंपनी में व्यक्तिगत निवेश की सीमा आदि के लिए भी निदेशकों की निवेश समिति का गठन किया गया है।

31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार निदेशकों की निवेश समिति की संरचना निम्नानुसार है:

नाम	पदनाम
श्री राजीव शर्मा	अध्यक्ष
श्री एन. बी. गुप्ता	सदस्य
श्री पी. के. सिंह	सदस्य
श्री आर. एस. ढिल्लों	सदस्य
श्री आर. सी. मिश्रा	सदस्य

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान निदेशकों की निवेश समिति की 3 बैठकें हुई जो इस प्रकार हैं (i) 04 जून, 2019 (ii) 09 अगस्त, 2019 और (iii) 12 फरवरी, 2030

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान सदस्यों द्वारा बैठक में उपस्थिति का ब्योरा नीचे दिया गया है:

सदस्य का नाम	पदनाम	बैठकों की संख्या	
		कार्यकाल के दौरान हुई बैठकें	उपस्थिति
श्री राजीव शर्मा	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	3	3
श्री एन. बी. गुप्ता	निदेशक (वित्त)	3	3
श्री पी. के. सिंह	निदेशक (वाणिज्यिक)	3	3
श्री आर. एस. ढिल्लों (12 जून, 2019 से)	निदेशक (परियोजना)	2	2

3.8 मानव संसाधन समिति

मानव संसाधन से संबंधित सभी मामलों पर विचार करने तथा अनुमोदन के लिए बोर्ड को प्रस्तुत करने से पूर्व उन पर निदेशक मंडल को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए एचआर समिति का गठन किया गया है।

31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार एचआर समिति की संरचना निम्नानुसार है:

नाम	पदनाम
श्री पी. के. सिंह	अध्यक्ष
श्री एन. बी. गुप्ता	सदस्य
श्री आर. एस. ढिल्लों	सदस्य

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान मानव संसाधन समिति की 3 बैठकें हुई जो इस प्रकार हैं (i) 14 मई, 2019 (ii) 11 नवंबर, 2019 और (iii) 13 दिसंबर, 2019

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान सदस्यों द्वारा बैठक में उपस्थिति का ब्योरा नीचे दिया गया है:

सदस्य का नाम	पदनाम	बैठकों की संख्या	
		कार्यकाल के दौरान हुई बैठकें	उपस्थिति
श्री पी. के. सिंह	निदेशक (वाणिज्यिक)	3	3
श्री एन. बी. गुप्ता	निदेशक (वित्त)	3	3
श्री आर. एस. ढिल्लों (12 जून, 2019 से)	निदेशक (परियोजना)	2	2

3.9 फंक्शनल निदेशकों की एएलएम समिति

आरबीआई के मास्टर दिशानिर्देश-गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - प्रणालीबद्ध महत्वपूर्ण जमा स्वीकार न करने वाली कंपनी और जमा स्वीकार करने वाली कंपनी (रिजर्व बैंक) निर्देश, 2016 के अनुपालन में फंक्शनल निदेशकों की एएलएम समिति का गठन किया गया है।

31 मार्च, 2020 को फंक्शनल निदेशकों की एएलएम समिति की संरचना इस प्रकार है:

नाम	पदनाम
श्री एन. बी. गुप्ता	अध्यक्ष
श्री आर. एस. ढिल्लों	सदस्य

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान फंक्शनल निदेशकों की एएलएम समिति की 23 मार्च, 2020 को 1 बैठक हुई।

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान सदस्यों द्वारा बैठक में उपस्थिति का ब्योरा नीचे दिया गया है:

सदस्य का नाम	पदनाम	बैठकों की संख्या	
		कार्यकाल के दौरान हुई बैठकें	उपस्थिति
श्री एन. बी. गुप्ता	निदेशक (वित्त)	1	1
श्री आर. एस. ढिल्लों	निदेशक (परियोजना)	1	1

4. अन्य समितियां

आईटी कार्यनीति समिति

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए सूचना प्रौद्योगिकी फ्रेमवर्क संबंधी भारतीय रिजर्व बैंक के प्रमुख दिशा-निर्देशों के अनुपालन में, कंपनी के निदेशक मंडल ने आईटी कार्यनीति समिति का गठन किया। इसमें श्री आर. सी. मिश्रा, स्वतंत्र निदेशक और कंपनी के मुख्य सूचना अधिकारी/मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी और मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी को शामिल किया गया। उक्त आईटी कार्यनीति समिति के विचारणीय विषयों और भूमिका एवं दायित्वों के अंतर्गत आईटी कार्यनीति और नीति दस्तावेज का अनुमोदन करना, प्रबंधन द्वारा कार्यनीतिक लक्ष्यों को हासिल करने के लिए अपेक्षित आईटी संसाधनों का निर्धारण करने के लिए प्रयुक्त पद्धति पर निगरानी रखना और आईटी संसाधन जुटाने और उनके इस्तेमाल के लिए उच्च स्तरीय दिशा-निर्देश प्रदान करना; पीएफसी की वृद्धि स्थायी बनाए रखने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी निवेश में समुचित संतुलन सुनिश्चित करना और आईटी जोखिमों के प्रति जागरुकता और जानकारी के साथ उन पर नियंत्रण करना आदि शामिल हैं।

5. सामान्य निकाय बैठक

कंपनी की पिछली तीन वार्षिक आम बैठकों का ब्योरा इस प्रकार है:-

एजीएम	दिनांक	दिन	समय	स्थान	विशेष संकल्प
31वीं	20 सितंबर, 2017	बुधवार	पूर्वाह्न 11.00 बजे	तालकटोरा इंडोर स्टेडियम, तालकटोरा गार्डन, नई दिल्ली -110 004	• भारत में या भारत के बाहर प्राईवेट प्लेसमेंट के आधार पर बॉण्डों/ डिबेंचरों/ नोट्स/ डिबेंचर प्रतिभूतियों आदि के निर्गम के माध्यम से 65,000 करोड़ रुपए तक की निधियां जुटाने के लिए।
32वीं	11 सितंबर, 2018	मंगलवार	पूर्वाह्न 10.30 बजे	तालकटोरा इंडोर स्टेडियम, तालकटोरा गार्डन, नई दिल्ली -110 004	• कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में 76 वर्षीय श्रीमती गौरी चौधरी को नियुक्त करना। • भारत में या भारत के बाहर प्राईवेट प्लेसमेंट के आधार पर बॉण्डों/ डिबेंचरों/ नोट्स/ डिबेंचर प्रतिभूतियों आदि के निर्गम के माध्यम से 65,000 करोड़ रुपए तक की निधियां जुटाने के लिए। • कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 230-232 के अंतर्गत पीएफसी के साथ पीएफसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और उनके शेयरधारकों एवं क्रेडिटर के समामेलन के लिए व्यवस्था योजना को मंजूरी प्रदान करना।
33वीं	27 अगस्त, 2019	मंगलवार	पूर्वाह्न 11.00 बजे	तालकटोरा इंडोर स्टेडियम, तालकटोरा गार्डन, नई दिल्ली -110 004	• भारत में या भारत के बाहर प्राईवेट प्लेसमेंट के आधार पर बॉण्डों/ डिबेंचरों/ नोट्स/ डिबेंचर प्रतिभूतियों आदि के निर्गम के माध्यम से 70,000 करोड़ रुपए तक की निधियां जुटाने के लिए।

पोस्टल बैलट

पिछले वर्ष पोस्टल बैलट के माध्यम से कोई विशेष संकल्प पारित नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त, आगामी एजीएम तक पोस्टल बैलट के माध्यम से कोई विशेष संकल्प संचालित करने का प्रस्ताव नहीं है।

6. प्रकटीकरण

कंपनी ने ऐसा कोई सारवान रूप से महत्वपूर्ण संबंधित पक्षकार लेन-देन नहीं किया है जिसके कंपनी के हित के साथ कोई संभावित टकराव की आशंका हो। इसके अतिरिक्त, कंपनी ने बोर्ड के सदस्यों के साथ कोई महत्वपूर्ण संबद्ध पक्ष लेन-देन नहीं किया जहां उनका निजी हित था। इसके अतिरिक्त, सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम 2015 के अनुपालन में कंपनी ने संबंधित पक्षकार लेन-देन पर नीतियां तैयार की है जो इस लिंक पर उपलब्ध है-
http://www.pfcindia.com/Default/ViewFile/?id=1561552784406_Final%20Policy%20on%20RPT%2017052019.pdf&path=Page

पिछले तीन वर्षों के दौरान सेबी, स्टॉक एक्सचेंज किसी अन्य सांविधिक प्राधिकरण द्वारा पूंजी बाजार से संबंधित किसी मामले पर न तो कोई दंड लगाया गया है और न ही कोई निंदा की गई है। तथापि, वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान कंपनी को बोर्ड की संरचना की आवश्यकता के गैर अनुपालन के लिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बांबे स्टॉक एक्सचेंज से दंड के नोटिस प्राप्त हुए।

कंपनी ने कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत यौन उत्पीड़न से संबंधित मामलों की जांच के लिए एक आंतरिक शिकायत समिति स्थापित की है। वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान उक्त अधिनियम के अंतर्गत शिकायतों की स्थिति निम्नानुसार है:

(क) वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान दर्ज शिकायतों की संख्या - 01

(ख) वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या - शून्य

(ग) वित्तीय वर्ष 2019-20 की समाप्ति पर लंबित शिकायतों की संख्या-01

संगत नियमों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 तथा सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम 2015 के अंतर्गत आवश्यकताओं के अनुसरण में कंपनी से अन्य बातों के साथ निदेशकों एवं कार्मिकों के लिए एक सतर्कता तंत्र/सचेतक नीति स्थापित करने की आवश्यकता है ताकि वे अनैतिक आचरण, वास्तविक या संदिग्ध धोखाधड़ी या कंपनी की आचार संहिता या नैतिकता नीति के उल्लंघन के बारे में अपने वास्तविक सरोकारों या शिकायतों को दर्ज करा सकें। ऐसी सतर्कता समिति के अभिन्न अंग के रूप में, पीएफसी की सचेतक नीति स्थापित की गई है और इस बात की पुष्टि की जाती है कि किसी भी कार्मिक को लेखा परीक्षा समिति तक पहुंचने से रोका न जाए।

यह निम्नांकित लिंक पर उपलब्ध है http://www.pfcindia.com/Default/ViewFile/?id=1490188785276šWBP.pdfpath=Page

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम 2015 के अंतर्गत आवश्यकताओं के अनुसरण में कंपनी ने सारवान सहायक कंपनी पर नीति तैयार की है और यह निम्नांकित लिंक पर उपलब्ध है
http://www.pfcindia.com/Default/ViewFile/?id=1561552854274šFinal%20Policy%20for%20Material%20Subsidiary17052019.pdfpath=Page

लेखा बहियों में व्यय की ऐसी किसी मद को डेबिट नहीं किया गया जो व्यवसाय के प्रयोजनार्थ नहीं थी। इसके अलावा, ऐसा कोई व्यय नहीं किया गया जो निजी प्रकृति का हो और निदेशक मंडल एवं शीर्ष प्रबंधन के लिए किया गया हो।

आपकी कंपनी ने मोटे तौर पर सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 तथा भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, सार्वजनिक उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के लिए निगमित शासन पर जारी किए गए दिशा-निर्देशों की सभी आवश्यकताओं का पालन किया है। गैर अनिवार्य आवश्यकताओं के अंगीकरण/गैर अंगीकरण पर सूचना इस रिपोर्ट के **अनुलग्नक - I** में प्रदान की गई है।

कंपनी ने जोखिम मूल्यांकन एवं न्यूनीकरण के बारे में बोर्ड को सूचित करने के लिए प्रक्रियाएं निर्धारित की है। कंपनी का निदेशक मंडल इन प्रक्रियाओं की आवधिक आधार पर समीक्षा करता है ताकि सुनिश्चित हो कि समुचित रूप से परिभाषित रूपरेखा के माध्यम से जोखिमों का प्रबंधन किया जाता है।

आपकी कंपनी द्वारा सांविधिक लेखापरीक्षकों को भुगतान किया गया कुल शुल्क 1.26 करोड़ रुपए है।

वित्तीय विवरण तैयार करने में कंपनी ने लागू सीमा तक कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली, 2015 (यथासंशोधित) के अंतर्गत अधिसूचित भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एएस) का 1 अप्रैल, 2018 से अनुसरण किया है।

7. संचार के साधन

कंपनी संचार को निगमित शासन की समग्र रूपरेखा के मुख्य घटक के रूप में मानती है और इसलिए व्यापक रूप से जनता से निरंतर, दक्ष एवं प्रासंगिक संचार पर बल देती है। कंपनी अपनी वार्षिक रिपोर्ट, आम बैठक, समाचार पत्रों तथा वेबसाइट के माध्यम से प्रकटीकरण के माध्यम से अपने शेयरधारकों के साथ संचार करती है। कंपनी निवेशक सम्मेलनों, सम्मेलन कॉल आदि के माध्यम से भी अपने संस्थानिक शेयरधारकों के साथ संचार करती है। यद्यपि तिमाही/वार्षिक वित्तीय परिणाम राष्ट्रीय समाचार पत्रों जैसे कि दि टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, इकोनॉमिक टाइम्स, बिजनेस स्टैंडर्ड, बिजनेस स्टैंडर्ड (हिंदी), दि फाइनेंशियल एक्सप्रेस, जनसत्ता, दैनिक जागरण (हिंदी), पायनियर, इंडियन एक्सप्रेस आदि में प्रकाशित किए जाते हैं, ये कंपनी की वेबसाइट अर्थात www.pfcindia.com पर भी उपलब्ध हैं और व्यापक प्रसार के लिए स्टॉक एक्सचेंज को भी प्रस्तुत किए जाते हैं।

कंपनी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण सूचना कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट में प्रदान की जाती है जिसमें अन्य बातों के साथ लेखापरीक्षित लेखा, समेकित वित्तीय विवरण, निदेशक रिपोर्ट, लेखापरीक्षक रिपोर्ट, निगमित शासन पर रिपोर्ट शामिल है जो प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए सदस्यों तथा अन्य पात्र व्यक्तियों को भेजी जाती है।

8. सीईओ/सीएफओ प्रमाणन

सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 की आवश्यकता के अनुसार, सीईओ अर्थात अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा सीएफओ अर्थात निदेशक (वित्त) द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र 24 जून, 2020 को आयोजित बैठक में निदेशक मंडल के समक्ष रखा गया (इस रिपोर्ट के **अनुलग्नक - II** के रूप में प्रति संलग्न है)।

9. प्रयोज्य कानूनों का अनुपालन

कंपनी ने मजबूत अनुपालन निगरानी प्रणाली स्थापित की है। बोर्ड कंपनी पर लागू सभी कानूनों का समुचित अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अनुपालन की स्थिति का आवधिक आधार पर समीक्षा करता है।

10. आचार संहिता

बोर्ड के सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन के लिए व्यवसाय आचरण एवं नैतिकता संहिता कंपनी के सभी निदेशकों तथा वरिष्ठ प्रबंधन के सदस्यों पर लागू एक व्यापक संहिता है। यह मिशन एवं उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कंपनी के विजन एवं मूल्यों के अनुरूप है तथा इसका उद्देश्य कंपनी के कार्यों के प्रबंधन में नैतिक एवं पारदर्शी प्रक्रिया को बढ़ावादेना है। संहिता की प्रति कंपनी की वेबसाइट अर्थात www.pfcindia.com पर उपलब्ध है।

बोर्ड के सदस्यों तथा प्रबंधन के वरिष्ठ कार्मिकों से प्राप्त पुष्टि के आधार पर आचार संहिता के अनुपालन के संबंध में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा की गई घोषणा इस रिपोर्ट के **अनुलग्नक - III** के रूप में संलग्न है।

11. आंतरिक (इनसाइडर) ट्रेडिंग की रोकथाम के लिए संहिता

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (इनसाइडर ट्रेडिंग की रोकथाम) (संशोधन) विनियम, 2018 के अनुपालन में आपकी कंपनी ने अप्रकाशित मूल्य संवेदी सूचना की गोपनीयता बनाए रखने के लिए और इसका दुरुपयोग रोकने के लिए व्यापक संहिता अर्थात पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की प्रतिभूतियों में व्यापार के विनियमन, मॉनीटरिंग एवं रिपोर्टिंग के लिए आचरण तथा अप्रकाशित कीमत संवेदी सूचना के उचित प्रकटीकरण के लिए पद्धति एवं प्रक्रिया संहिता तैयार की है। कंपनी में अपने आवंटन के दौरान प्राप्त सभी ऐसी सूचना की गोपनीयता की रक्षा करना और निजी लाभ प्राप्त करने या किसी तीसरे पक्षकार को लाभ प्रदान करने के लिए अपने पद या सूचना का दुरुपयोग न करना संहिता में उल्लिखित सभी नामित कार्मिकों तथा अन्य संबद्ध व्यक्तियों का दायित्व है। संहिता कंपनी की प्रतिभूतियों में संव्यवहार करते समय अपनाई जाने वाली प्रक्रियाएं एवं दिशा-निर्देश तथा किए जाने वाले प्रकटीकरण और गैर अनुपालन के परिणाम विहित करती है। कंपनी सचिव को अनुपालन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है और वह उक्त संहिता का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार हैं।

उक्त संहिता की आवश्यकता के अनुसरण में, ट्रेडिंग विंडो को समय समय पर बंद किया गया, जब बोर्ड को कुछ कीमत संवेदी सूचना प्रस्तुत की गई। अनुपालन अधिकारी ने ट्रेडिंग विंडो के बंद होने के दौरान कंपनी की प्रतिभूतियों में संव्यवहार न करने के लिए सभी कार्मिकों एवं अन्य संबंधित व्यक्तियों को रोकते हुए अग्रिम में कंपनी की वेबसाइट पर ट्रेडिंग विंडो के बंद होने के बारे में सूचना प्रदान की।

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की प्रतिभूतियों में ट्रेडिंग के विनियमन, मॉनीटरिंग एवं रिपोर्टिंग के लिए आचार संहिता तथा अप्रकाशित कीमत संवेदी सूचना के निष्पक्ष प्रकटीकरण के लिए पद्धति एवं प्रक्रिया संहिता की प्रति कंपनी की वेबसाइट अर्थात http://www.pfcindia.com/Default/ViewFile/?id=1558715955387_Insider%20Trading%20Code. pdf&path=Page पर उपलब्ध है।

12. शेयरधारक की सूचना

(क) वार्षिक आम बैठक

तारीख	समय	स्थान
29 सितंबर, 2020	दोपहर 12.30 बजे	वीडियो कांफ्रेंसिंग (वीसी) के माध्यम से

(ख) वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए वित्तीय कलेंडर (अनंतिम)

विवरण	तारीख
वित्तीय वर्ष	1 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2021
पिछली तीन तिमाहियों के लिए गैर लेखा-परीक्षित वित्तीय परिणाम	प्रत्येक तिमाही की समाप्ति से 45 दिन के भीतर घोषित किए जाएंगे।
लेखा-परीक्षित वित्तीय परिणाम	लेखा-परीक्षित वित्तीय परिणाम 30 मई, 2021 को या इससे पहले घोषित किए जाएंगे।
एजीएम (अगले वर्ष)	अगस्त, 2021

(ग) बही बंद करने की तारीख

24 सितंबर, 2020 से 27 सितंबर, 2020 (इसमें दोनों दिन शामिल हैं) तक कंपनी के सदस्य रजिस्टर और शेयर अंतरण बहियां बंद रहेंगी।

(घ) लाभांश का भुगतान

कंपनी की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी पर रुपए 9.5 प्रति शेयर की दर से अंतरिम लाभांश का भुगतान 12 मार्च, 2020 को किया गया।

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के अनुसरण में कंपनी ने लाभांश वितरण नीति तैयार की है जो इस रिपोर्ट के **अनुलग्नक - IV** के रूप में संलग्न है और यह निम्नांकित लिंक पर उपलब्ध है-

http://www.pfcindia.com/Default/ViewFile/?id=1546009180778_DividendDistribution.pdf&path=Page

(ड.) लाभांश का इतिहास

वर्ष	कुल प्रदत्त पूंजी (₹ करोड़ में)	भुगतान किए गए लाभांश की कुल राशि (₹ करोड़ में)	लाभांश की दर (% में)	भुगतान की तारीख (अंतरिम एवं अंतिम)
2014-15	1,320.04 (अंतरिम)	1,122.04	85	13 मार्च, 2015
	1,320.04 (अंतिम)	79.20	6	8 अक्तूबर, 2015
	कुल	**1,201.24**	**91**	
2015-16	1,320.04 (प्रथम अंतरिम)	1,161.64	85	4 जनवरी, 2016
	1,320.04 (द्वितीय अंतरिम)	594.02	45	24 फरवरी, 2016
	1,320.04 (अंतिम)	79.20	6	1 सितंबर, 2016
	कुल	**1,834.86**	**139**	-
2016-17	2,640.08 (अंतरिम)	1,320.04	50	7 अप्रैल, 2017
	कुल	**1,320.04**	**50**	-
2017-18	2,640.08 (प्रथम अंतरिम)	1,584.05	60	23 नवंबर, 2017
	2,640.08 (द्वितीय अंतरिम)	475.21	18	19 मार्च, 2018
	कुल	**2,059.26**	**78**	-
2019-20	2,640.08 (प्रथम अंतरिम)	2,508.07	95	12 मार्च, 2018
	कुल	**2,508.07**	**95**	

(च) स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्धता

पीएफसी के शेयर निम्नलिखित स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध हैं:

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई)	बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड (बीएसई)
एक्सचेंज प्लाजा, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (ईस्ट),	25वां तल, पीजे टावर्स, दलाल स्ट्रीट,
मुंबई- 400 051	मुंबई - 400 001
स्क्रिप कोड: पीएफसी ईक्यू	स्क्रिप कोड: 532810
स्टॉक कोड (आईएसआईएन): INE134E0 1011	

वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए एनएसई और बीएसई को वार्षिक सूचीबद्धता शुल्क का भुगतान किया गया है।

(छ) बाजार मूल्य डाटा

माह	उच्च (₹)		निम्न (₹)		अंतिम (₹)	
	एनएसई	बीएसई	एनएसई	बीएसई	एनएसई	बीएसई
अप्रैल, 19	124.00	123.75	113.05	113.15	115.60	115.95
मई, 19	125.30	125.15	104.80	104.90	124.30	124.15
जून, 19	138.75	138.80	122.85	123.00	134.20	134.10
जुलाई, 19	135.25	135.20	106.50	106.55	109.75	109.80
अगस्त, 19	112.50	112.40	97.70	97.75	104.80	104.95
सितंबर, 19	113.10	113.00	97.30	97.35	99.40	99.25
अक्तूबर, 19	110.25	110.20	90.45	90.50	109.15	109.10
नवंबर, 19	119.90	119.90	108.10	108.05	114.50	114.45
दिसंबर, 19	118.80	118.75	107.20	107.25	117.90	117.80
जनवरी, 19	125.50	125.45	103.85	103.90	116.65	116.60
फरवरी, 20	133.40	133.30	108.85	108.10	109.45	109.30
मार्च, 20	115.50	115.35	78.50	78.70	91.95	92.15

(ज) सूचकांकों की तुलना में कार्य-निष्पादन

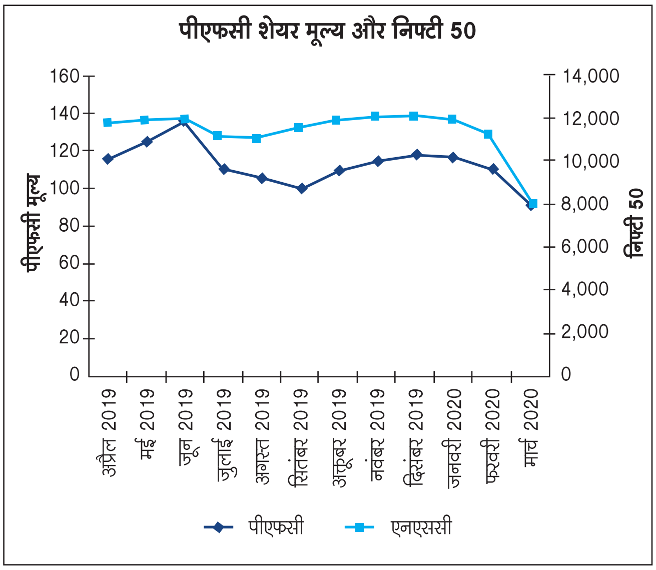

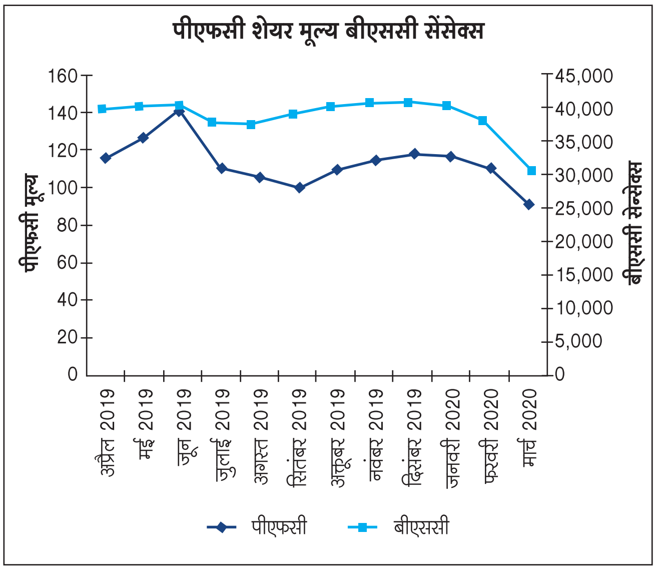

(झ) इक्विटी शेयरों के लिए पंजीयक एवं अंतरण एजेंट

संचार का पता

केफिन टेक्नोलॉजिज प्राइवेट लिमिटेड
सेलेनियम बिल्डिंग, टावर- बी, प्लॉट नंबर 31 एवं 32,
फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, सेरीलिंगमपल्ली,
हैदराबाद - 500 032, तेलंगाना, भारत
टेलीफोन नंबर: 91 40 67162222
ई-मेल: einward-riskfintech.com
वेबसाइट: www-kfintech-com

(ञ) शेयर अंतरण प्रणाली

डिपॉजिटरी के माध्यम से इक्विटी शेयरों का इलेक्ट्रॉनिक रूप में अंतरण किया जाता है जिसमें कंपनी की कोई भागीदारी नहीं होती है। इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयरों का लेन-देन सरल एवं त्वरित है। दलाल से बिक्री/क्रय लेन-देन की पुष्टि के बाद शेयरधारकों को लेन-देन के लिए खाते को डेबिट या क्रेडिट करने के अनुरोध के साथ प्रतिभागी डिपॉजिटरी से संपर्क करना चाहिए। प्रतिभागी डिपॉजिटरी खाते को अपडेट करके लेन-देन को पूर्ण करने की तुंत व्यवस्था करेगा। अंतरण को पंजीकृत कराने के लिए कंपनी को अलग से संचार भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है।

1 अप्रैल, 2019 से सेबी ने सूचीबद्ध कंपनियों के शेयरों के भौतिक अंतरण पर रोक लगा दी है तथा केवल डीमैट के माध्यम से अंतरण को अनिवार्य कर दिया है। तथापि, निवेशकों को भौतिक रूप में शेयर रखने से प्रतिबंधित नहीं किया गया है।

(ट) डीमेट सस्पेंस खाते का ब्योरा

31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार डीमैट सस्पेंस खाता में शेयरों का ब्योरा निम्नानुसार है:

विवरण	मामलों की संख्या	शेयरों की संख्या
वर्ष के शुरू में अर्थात 1 अप्रैल, 2019 को सस्पेंस खाता में शेयरधारकों तथा बकाया शेयरों की सकल संख्या	3	1,432
ऐसे शेयरधारकों की संख्या जिन्होंने वर्ष 2019-20 के दौरान सस्पेंस खाते सेशेयरों के अंतरण के लिए कंपनी से संपर्क किया	0	0
घटाएं: ऐसे शेयरधारकों की संख्या जिनको वर्ष 2019-20 के दौरान उचंत खाते से शेयर अंतरित किए गए	0	0
घटाएं: ऐसे शेयरों की संख्या जो वर्ष 2019-20 के दौरान आईईपीएफ खाते में अंतरित किए गए	0	0
वर्ष के अंत में अर्थात 31 मार्च, 2020 को सस्पेंस खाता में शेयरधारकों तथा बकाया शेयरों की सकल संख्या	3	1,432

वैध स्वामी द्वारा ऐसे शेयरों का दावा किए जाने तक उक्त शेयरों के संबंध में मतदान के अधिकार जब्त रहेंगे।

(ठ) शेयरधारिता का वितरण

31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार शेयरधारिता का वितरण

क्र. सं.	राशि	शेयरधारकों की संख्या	शेयरधारकों का %	राशि (₹)	शेयरों का %
1.	1-5000	2,16,723	85.85	30,31,73,540	1.15
2.	5001-10000	21,025	8.33	16,82,64,050	0.64
3.	10001-20000	8,307	3.29	12,38,75,920	0.47
4.	20001-30000	2,218	0.88	56,73,93,30	0.21
5.	30001-40000	985	0.39	35,65,23,90	0.13
6.	40001-50000	707	0.28	33,28,55,80	0.13
7.	50001-100000	1,192	0.47	86,53,06,30	0.33
8.	100001 तथा अधिक	1,283	0.51	25,59,32,92,640	96.94
	कुल	**2,52,440**	**100**	**26,40,08,14,080**	**100**

31 मार्च, 2020 तक शेयरधारिता पैटर्न

विवरण	शेयरों की कुल संख्या	इक्विटी का %
भारत के राष्ट्रपति	1,47,82,91,778	55.99
विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक	49,89,99,840	18.90
म्यूचुअल फंड	36,51,35,276	13.83
बीमा कंपनियां	16,01,27,605	6.06
निवासी व्यक्ति	9,22,37,417	3.49
निगमित संस्थाएं	1,44,87,512	0.55
भारतीय वित्तीय संस्थाएं	78,09,414	0.30
बैंक	56,27,490	0.21
एचयूएफ	54,76,776	0.21
न्यास	26,43,254	0.10
अनिवासी भारतीय	24,99,994	0.09
अनिवासी भारतीय गैर-प्रत्यावर्तनीय	20,10,113	0.08
कार्मिक	12,39,718	0.05
क्लियरिंग सदस्य	12,04,715	0.05
एनबीएफसी	11,16,457	0.04
क्वालिफाइड संस्थागत क्रेता	7,05,375	0.03
विदेशी संस्थागत निवेशक	4,20,551	0.02
आईईपीएफ	48,123	0.00
कुल	**2,64,00,81,408**	**100**

(ड) शेयरों का डिमैटीरियलाइजेशन

31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार डीमैट रूप में और भौतिक रूप में एनएसडीएल, सीडीएसएल के पास रखे गए शेयरों की संख्या

विवरण	शेयरों की संख्या	जारी की गई पूंजी का:
एनएसडीएल	2,58,87,32,576	98.06
सीडीएसएल	5,13,17,523	1.94
भौतिक	31,309	0.00
कुल	**2,64,00,81,408**	**100**

(ढ) बकाया जीडीआर और एडीआर वारंट या कोई परिवर्तनीय लिखत, परिवर्तन की तारीख तथा इक्विटी पर संभावित प्रभाव

कंपनी द्वारा कोई जीडीआर और एडीआर वारंट/परिवर्तनीय लिखत जारी नहीं किया गया है।

(ण) वस्तु मूल्य जोखिम या विदेशी विनिमय जोखिम तथा हेजिंग गतिविधियां

विदेशी मुद्रा ऋणों से संबद्ध जोखिमों के प्रबंधन के लिए आपकी कंपनी ने मुद्रा जोखिम प्रबंधन (सीआरएम) नीति स्थापित की है। कंपनी ने विभिन्न लिखतों जैसे कि मुद्रा हवाला, विकल्प, प्रधान स्वैप तथा हवाला दर स्वैप के माध्यम से विनिमय दर एवं ब्याज दर जोखिम को कवर करने के लिए हेजिंग लिखत शुरू की है।

(त) पत्राचार के लिए पंजीकृत कार्यालय का पता

पंजीकृत कार्यालय

ऊर्जानिधि, 1, बाराखंबा लेन,
कनॉट प्लेस,
नई दिल्ली - 110 001

कंपनी सचिव

श्री मनोहर बलवानी
टेलीफोन नंबर: + 91 11 23456020
फैक्स: + 91 11 23456786
ई-मेल: investorsgrievancepfcindia.com

(थ) क्रेडिट रेटिंग

घरेलू

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान, दीघावधि और अल्पावधि, दोनों ही ऋणों के मामले में कंपनी की घेरलू रेटिंग (बैंक ऋणों सहित) सर्वोच्च बनी रही।

क्रिसिल, आईसीआरए, केयर, एजेंसियों द्वारा घरेलू क्रेडिट रेटिंग

- दीर्घकालिक घरेलू ऋण कार्यक्रम की रेटिंग - क्रिसिल एएए, आईसीआरए एएए, केयर एएए
- अल्पावधि के घरेलू ऋण कार्यक्रम की रेटिंग - क्रिसिल ए1+, आईसीआरएए1+, और केयर ए1+

अंतरराष्ट्रीय

कंपनी की अंतरराष्ट्रीय क्रेडिटिंग रेटिंग बीएए3 और बीबीबी - बनी हुई है, जो क्रमशः अंतरराष्ट्रीय एजेंसी मूडीज़ और फिच ने दी है।

(द) अधिमानी आबंटन/अर्हक संस्था नियोजन

वर्ष के दौरान, कंपनी ने शेयरों या अन्य परिवर्तनीय प्रतिभूतियों के अधिमानी आबंटन/अर्हक संस्था नियोजन के रूप में कोई धन नहीं जुटाया है।

निगमित शासन पर रिपोर्ट का अनुलग्नक - I

गैर-अनिवार्य आवश्यकताएं

सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम 2015 के निगमित शासन खंड से संबंधित गैर अनिवार्य आवश्यकताओं की स्थिति निम्नानुसार है:

1. **बोर्ड:** कंपनी का प्रमुख इसका कार्यपालक अध्यक्ष है।

2. **शेयरधारकों के अधिकार:** निगमित शासन रिपोर्ट के शीर्षक साधन और संचार के अंतर्गत उल्लेख के अनुसार कंपनी के तिमाही वित्तीय विवरण प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित किए जाते हैं तथा कंपनी की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किए जाते हैं।

3. **लेखापरीक्षा रिपोर्ट में संशोधित राय:** लेखापरीक्षा की असंशोधित राय के साथ वित्तीय विवरणों की व्यवस्था की ओर अग्रसर होने के लिए कंपनी सदैव प्रयास करती है।

4. **आंतरिक लेखापरीक्षक की रिपोर्टिंग:** कंपनी के आंतरिक लेखा परीक्षकों को लेखापरीक्षा समिति की बैठकों में आमंत्रित किया जाता है तथा वे लेखापरीक्षा समिति के सदस्यों से नियमित रूप से बातचीत करते हैं।

निगमित शासन पर रिपोर्ट का अनुलग्नक - II

सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 17 (8) के अंतर्गत निदेशक मंडल के लिए प्रमाण-पत्र

हम एतदद्वारा निदेशक मंडल को यह प्रमाणित करते हैं कि:

हमने 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों तथा नकदी प्रवाह विवरण की समीक्षा की है और यह कि हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार:

(i) इन विवरणों में कोई सारवान रूप से असत्य विवरण नहीं है या कोई सारवान तथ्य छिपाया नहीं गया है या ऐसे विवरण नहीं हैं जो भ्रामक हो सकते हैं;

(ii) ये विवरण एक साथ कंपनी के कार्यों का सच्चा एवं उचित परिदृश्य प्रस्तुत करते हैं तथा इनमें लेखांकन के मौजूदा मानकों, प्रयोज्य कानूनों एवं विनियमों का पालन किया गया है।

हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा ऐसा कोई लेन-देन नहीं किया गया है जो कपटपूर्ण, अवैध या कंपनी की आचार संहिता का उल्लंघन करने वाला है।

हम वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक नियंत्रण स्थापित एवं अनुरक्षित करने की जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं और यह कि हमने वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की कारगरता का मूल्यांकन किया है और हमने ऐसे आंतरिक नियंत्रणों की डिजाइन या प्रचालन में खामियों, यदि कोई हो, जिसकी हमें जानकारी है, और कदम जो हमने इन खामियों को दूर करने के लिए उठाया है या उठाने का प्रस्ताव किया है, के बारे में लेखापरीक्षकों तथा लेखापरीक्षा समिति को खुलासा किया है।

हमने लेखापरीक्षकों और लेखापरीक्षा समिति को इंगित किया है:-

(i) वर्ष के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण परिवर्तनः

(ii) वर्ष के दौरान लेखांकन नीतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन की जानकारी दी है और वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियों में उनका खुलासा किया गया है, तथा

(iii) 31.03.2020 की स्थिति के अनुसार 664.02 करोड़ रुपए के बकाया मूलधन के साथ दो ऋणदाताओं द्वारा की गई धोखाधड़ी के बारे में पता चला है और वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान आरबीआई के धोखाधड़ी मॉनीटरिंग प्रकोष्ठ को सूचित किया गया है। हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार, पीएफसी का प्रबंधन या कार्मिक जिसकी पीएफसी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका है, उक्त धोखाधड़ी में शामिल नहीं था।

हस्ता/-	हस्ता/-
(एन. बी. गुप्ता)	**(आर. एस. ढिल्लों)**
निदेशक (वित्त)/सीएफओ	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/सीईओ
डीआईएन - 00530741	डीआईएन -00278074

निगमित शासन पर रिपोर्ट का अनुलग्नक - III

सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 और निगमित शासन पर डीपीई के दिशानिर्देशों के अंतर्गत आवश्यकता के अनुसार घोषणा

बोर्ड के सभी सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधकीय कार्मिकों ने 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए व्यवसाय आचार तथा बोर्ड के सदस्यों एवं वरिष्ठ प्रबंधन के लिए नैतिकता संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है।

हस्ता/-
(आर. एस. ढिल्लों)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/सीईओ
डीआईएन-00278074

निगमित शासन पर रिपोर्ट का अनुलग्नक - IV

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की लाभांश वितरण नीति

I. पृष्ठभूमि

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम 2015 के विनियम 43क, के अनुपालन में बाजार पूंजीकरण (जिसकी गणना प्रत्येक वित्तीय वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार की जाती है) पर आधारित शीर्ष 500 सूचीबद्ध संस्थाओं के लिए यह अपेक्षित है कि वे लाभांश वितरण नीति तैयार करें और उसका प्रकटीकरण अपनी वार्षिक रिपोर्टों और वेबसाइटों पर करें।

चूंकि पीएफसी 31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार मानदंडों के अनुसरण में शीर्ष 500 सूचीबद्ध संस्थाओं में शामिल है, इसलिए लाभांश वितरण नीति तैयार की गई है।

II. नीति रूपरेखा

यह नीति मोटे तौर पर कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसरण में तथा निवेश एवं लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम), वित्त मंत्रालय, सार्वजनिक उद्यम विभाग, सेबी द्वारा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के पूंजी पुनर्गठन के बारे में जारी किए गए दिशानिर्देशों तथा प्रयोज्य सीमा तक अन्य दिशानिर्देशों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है।

III. विचाराधीन कारक

पीएफसी लाभांश का लगातार भुगतान कर रहा है और सभी हितधारकों को संधारणीय मूल्य प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। निदेशक मंडल की सिफारिशों के आधार पर कंपनी के शेयरधारकों की वार्षिक आम बैठक में लाभांश की घोषणा की जाती है। लाभांश की सिफारिश करना बोर्ड के विवेक पर निर्भर है। बोर्ड अंतरिम लाभांश की भी घोषणा कर सकता है।

लाभांश के भुगतान के संबंध में निर्णय महत्वपूर्ण निर्णय है क्योंकि यह कंपनी के शेयरधारकों में वितरित किए जाने वाले लाभ की राशि का कंपनी के संपोषण तथा विकास योजनाओं के लिए आंतरिक प्रोद्भवन के प्रयोग की आवश्यकता के साथ संतुलन स्थापित करता है। लाभांश की सिफारिश करने/घोषणा करने से पूर्व सामान्यतया विचार किए जाने वाले कारक निम्नानुसार हैं:

(क) परिस्थितियां जिनके अंतर्गत कंपनी के शेयरधारक लाभांश की अपेक्षा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं

लाभांश के लिए कोई सिफारिश करने से पूर्व बोर्ड द्वारा सामान्यतः जिन कारकों पर विचार किया जा सकता है उनमें समय-समय पर यथालागू दिशानिर्देशों के अधीन भावी पूंजी व्यय योजनाएं, वित्तीय वर्ष के दौरान अर्जित लाभ, वैकल्पिक स्रोतों से निधियां जुटाने की लागत, नकदी प्रवाह की स्थिति तथा लाभांश पर कर सहित लागू कर शामिल हैं, परंतु इतने तक ही सीमित नहीं है।

(ख) वित्तीय पैरामीटर जिन पर लाभांश की घोषणा करते समय विचार किया जाएगा

केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम होने के कारण कंपनी निवेश एवं लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 27.05.2016 को केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम के पूंजी पुनर्गठन के बारे में जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार लाभांश की घोषणा करने का प्रयास करती है, जिसमें वर्तमान कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत अनुमत अधिकतम लाभांश के अधीन प्रत्येक सीपीएसई के लिए पीएटी के 30% या निवल मूल्य के 5%, जो भी अधिक हो, की दर से न्यूनतम वार्षिक लाभांश का भुगतान करना अनिवार्य किया गया है।

फिर भी, कंपनी से उस अधिनियम के अंतर्गत अनुमत अधिकतम लाभांश का भुगतान करने की अपेक्षा है जिसके अंतर्गत इसका गठन किया गया है, जब तक निम्नलिखित वित्तीय मानदंडों पर विचार करने के बाद विद्युत मंत्रालय के स्तर पर मामला दर मामला आधार पर भुगतान करने के लिए प्रस्तावित कम लाभांश उचित न हो:

(i) निवल मूल्य (नेटवर्थ) तथा ऋण लेने की क्षमता;

(ii) दीर्घावधि ऋण;

(iii) कैपेक्स/व्यवसाय विस्तार की आवश्यकताएं;

(iv) कैपेक्स की आवश्यकताओं के अनुसरण में भावी प्रयोग के लिए लाभ का प्रतिधारण; और

(v) नकदी एवं बैंक अधिशेष।

(ग) आंतरिक एवं बाहरी कारक जिन पर लाभांश की घोषणा के लिए विचार किया जाएगा

(ग)1 आंतरिक कारक

(ग)1.1 पूंजी और जोखिम भारित परिसंपत्ति अनुपात

आईएफसी होने के कारण पीएफसी से एक निश्चित स्तर पर सीआरएआर को बनाए रखने की अपेक्षा है। तदनुसार, लाभांश की घोषणा करते समय सीआरएआर के लिए अपेक्षित आंकड़े पर भी विचार किया जाता है ताकि निर्धारित आंकड़े का अतिलंघन न हो।

(ग)1.2 कंपनी का की नेटवर्थ

डीआईपीएएम, भारत सरकार द्वारा जारी किए गए वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार, प्रत्येक सीपीएसई मौजूदा कानूनी प्रावधानों के अधीन अनुमत अधिकतम लाभ के अधीन पीएटी के 30% या निवल मूल्य के 5%, जो भी अधिक हो, के न्यूनतम वार्षिक लाभांश का भुगतान करेगा। सरकारी कंपनी होने के कारण पीएफसी से इन दिशा-निर्देशों का पालन करने की अपेक्षा है।

उपर्युक्त पैरामीटरों के अलावा, कंपनी विभिन्न अन्य आंतरिक कारकों पर भी विचार कर सकती है जिनमें अन्य के अलावा निम्नलिखित शामिल हैं:

- मौजूदा व्यवसायों की पूंजी की वर्तमान एवं भावी आवश्यकताएं;
- कंपनी की सहायक कंपनियों/सहयोगी कंपनियों में अतिरिक्त निवेश;
- कोई अन्य कारक जिसे बोर्ड द्वारा उपयुक्त समझा जा सकता है।

(ग)2 बाहरी कारक

(ग)2.1 आर्थिक परिवेश

व्यवसाय की अनिश्चित या गिरावटपूर्ण आर्थिक स्थितियों के मामले में, कंपनी भावी उतार चढ़ाव को सहन करने हेतु रिजर्व का निर्माण करने के लिए लाभ के बड़े भाग को प्रतिधारित करने का प्रयास करेगी।

(ग)2.2 सांविधिक प्रावधान एवं दिशा-निर्देश

कंपनी लाभांश की घोषणा के संबंध में कंपनी अधिनियम द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों का पालन करेगी। इसके अलावा, सरकारी कंपनी होने के कारण कंपनी लाभांश की घोषणा के संबंध में भारत सरकार या किसी अन्य सांविधिक निकाय द्वारा समय समय पर जारी किए गए दिशानिर्देशों पर भी विचार करेगी।

(घ) प्रतिधारित अर्जन का उपयोग

कंपनी विद्युत क्षेत्र को वित्तपोषण प्रदान करने का काम करती है। कंपनी के संगम ज्ञापन में उल्लेख के अनुसार कंपनी के उद्देश्यों के अनुसरण में, इस प्रकार कंपनी के व्यवसाय एवं प्रचालनों के विकास में योगदान देने के लिए प्रतिधारित अर्जन का प्रयोग किया जाएगा।

(ङ) शेयरों की विभिन्न श्रेणियों के संबंध में अपनाए जाने वाले पैरामीटर

रिकॉर्ड तारीख के अनुसार कंपनी के इक्विटी शेयरों के धारक लाभांश प्राप्त करने के हकदार हैं। चूंकि कंपनी ने मतदान के समान अधिकारों के साथ इक्विटी शेयरों की केवल एक श्रेणी जारी की है इसलिए कंपनी के सभी सदस्य प्रति शेयर लाभांश की समान राशि प्राप्त करने के लिए हकदार हैं। शेयरों की किसी नई श्रेणी के निर्गम के समय उसकी प्रकृति एवं दिशा-निर्देशों के आधार पर नीति में उपयुक्त ढंग से संशोधन किए जाएंगे।

अन्य प्रावधान

सांविधिक अधिनियम, नियमावली, विनियम आदि में किसी परवर्ती परिवर्तन जो इस नीति के प्रावधानों से कोई असंगत प्रावधान बनाते हैं, के मामले में सांविधिक अधिनियम, नियमावली, विनियम आदि के प्रावधान नीति पर अभिभावी होंगे।

नीति में किसी लघु संशोधन/विचलन को अनुमोदित करने के लिए सीएमडी अधिकृत हैं और वह नीति के संबंध में किसी निर्वचन के लिए सक्षम प्राधिकारी होंगे।

निगमित शासन संबंधी प्रमाण-पत्र

सदस्यगण,
पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

हमने सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 (इसके बाद इसमें सेबी (एलओडीआर) विनियम 2015 कहा गया है) के विनियम 17 से 27, 46 (2) (ख) से (झ) और अनुसूची 5 के पैरा ग और घ तथा सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई), भारत सरकार द्वारा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के लिए निगमित शासन पर जारी किए गए दिशा-निर्देशों में प्रावधान के अनुसार 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा निगमित शासन की शर्तों के अनुपालन की जांच की है।

निगमित शासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जांच उक्त खंड एवं दिशानिर्देशों में निर्धारित निगमित शासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं एवं उनके कार्यान्वयन की समीक्षा तक सीमित है। यह कंपनी के वित्तीय विवरणों की न तो लेखापरीक्षा है और न ही राय की अभिव्यक्ति है।

हमारी राय में तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें प्रदान किए गए स्पष्टीकरणों के अनुसरण में एवं प्रबंधन द्वारा दिए गए अभ्यावेदनों के आधार पर, हम प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने निम्नलिखित को छोड़कर सेबी (एलओडीआर) विनियम 2015 के विनियम 17 से 27, 46 (2) (ख) से (झ) और अनुसूची 5 के पैरा ग एवं घ तथा निगमित शासन पर डीपीई के दिशा-निर्देशों में प्रावधान के अनुसार निगमित शासन की शर्तों का पालन किया है:

(i) कंपनी के निदेशक मंडल के गठन के संबंध में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए निगमित शासन पर भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम 2015 का विनियम 17(1)(क) एवं 17(1)(ख) और निगमित शासन पर डीपीई के दिशा-निर्देशों के खंड 3.1.2 एवं 3.1.4 का विनियम।

(ii) सेबी (एलओडीआर) विनियम 2015 के विनियम 17 (10) के अनुसार, स्वतंत्र निदेशकों के कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन संपूर्ण निदेशक मंडल द्वारा किया जाएगा।

(iii) सेबी (एलओडीआर) 2015 की अनुसूची 2 के भाग घ (क) के साथ पठित विनियम 19 (4) के अनुसार, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति निदेशक की अर्हताओं, सकारात्मक विशेषताओं एवं स्वतंत्रता के निर्धारण के लिए मानदंड तैयार करेगी और निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों तथा अन्य कार्मिकों के पारिश्रमिक के संबंध में निदेशक मंडल को नीति की सिफारिश करेगी और स्वतंत्र निदेशकों तथा निदेशक मंडल के निष्पादन के मूल्यांकन के लिए मानदंड तैयार करेगी।

हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आफ इंडिया लिमिटेड तथा बीएसई लिमिटेड ने भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 17 (1) और 19(1)/19(2) के गैर अनुपालन के लिए मौद्रिक दंड लगाया है जिसके विरुद्ध कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज तथा सेबी में अभ्यावेदन दिया है।

हम यह भी कथन करते हैं कि ऐसा अनुपालन प्रमाण-पत्र न तो कंपनी की भावी लाभप्रदता के संबंध में आश्वासन है और न ही उस कारगरता का आश्वासन है जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के कार्यों को संचालित किया है।

कृते अग्रवाल एस. एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव,
आईसीएसआई यूनीक कोड: P2003DE049100

हस्ता/-
सीएस सचिन अग्रवाल
भागीदार
एफसीएस नंबर: 5774
सीपी नंबर: 5910

तारीख: 01.09.2020
स्थान: नई दिल्ली
यूडीआईएन: F005774B000641431

निदेशक मंडल की रिपोर्ट का अनुलग्नक – ज
व्यवसाय उत्तरदायित्व रिपोर्ट

भाग क: कंपनी के बारे में सामान्य सूचना

कंपनी की कॉर्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन)	L65910DL1986GOI024862
कंपनी का नाम	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड
कंपनी का पता	'ऊर्जानिधि', 1, बाराखंबा लेन, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली - 110 001
वेबसाइट	www.pfcindia.com
ई-मेल आईडी	mb@pfcindia.com
रिपोर्टाधीन वित्तीय वर्ष	2019-20
सेक्टर जिनमें कंपनी काम करती है (कोडवार औद्योगिक गतिविधि)	64,920 (अन्य वित्तीय सेवाएं एवं गतिविधियां-अन्य क्रेडिट मंजूरी)
तीन प्रमुख सेवाओं के बारे में बताएं जो कंपनी प्रदान करती है	(i) रुपया सावधि ऋण (आरटीएल) (ii) अल्पावधि ऋण (एसटीएल) (iii) क्रेता लाइन ऑफ क्रेडिट (बीएलसी)
लोकेशन की कुल संख्या जहां कंपनी द्वारा व्यवसाय की गतिविधि संचालित की जाती है	
i. अंतरराष्ट्रीय लोकेशन की संख्या	कोई नहीं
ii. राष्ट्रीय लोकेशन की संख्या	3
कंपनी द्वारा सेवित बाजार - स्थानीय/ राज्य/ राष्ट्रीय/ अंतरराष्ट्रीय	राष्ट्रीय

भाग ख (कंपनी का वित्तीय ब्योरा) 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार)

प्रदत्त पूंजी (आईएनआर)	₹2,640.08 करोड
कुल टर्नओवर (आईएनआर) (प्रचालनों से राजस्व)	₹33,362.90 करोड
कुल कर पश्चात लाभ (आईएनआर)	₹5,655.14 करोड
कर पश्चात लाभ के प्रतिशत के रूप में निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर) पर कुल व्यय (% में)	वित्तीय वर्ष 2,018.19 के दौरान कर पश्चात लाभ का 1.72% (₹97.15 करोड़)
सीएसआर की गतिविधियों की सूची जिनमें व्यय किया गया है	इस रिपोर्ट का अनलुग्नक-I

भाग ग: अन्य ब्योरे

क्या कंपनी की कोई सहायक कंपनी/कंपनियां है?	हां
क्या सहायक कंपनी/कंपनियां मूल कंपनी की बीआर पहलों में भाग लेती हैं?	नहीं
क्या कोई अन्य संस्था/संस्थाएं (उदाहरणार्थ आपूर्तिकर्ता, वितरक आदि) जिनके साथ कंपनी व्यवसाय करती है, कंपनी की बीआर पहलों में भाग लेती हैं?	नहीं

भाग घ: बीआर सूचना

1. बीआर के लिए जिम्मेदार निदेशक का ब्योरा

(क) बीआर नीतियों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार निदेशक का ब्योरा

विवरण	ब्योरा
डीआईएन नंबर	03548218
नाम	पी. के. सिंह
पदनाम	निदेशक (वाणिज्यिक)

(ख) (बीआर हेड का ब्योरा)

विवरण	ब्योरा
डीआईएन नंबर(यदि लागू हो)	लागू नहीं
नाम	श्री मनोहर बलवानी
पदनाम	कंपनी सचिव
टेलीफोन नंबर	011- 23456749
ई-मेल आईडी:	mb@pfcindia.com

2. सिद्धांत-वार (एनवीजी एवं एनजीआरबीएस के अनुसार) बीआर नीतियां

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए राष्ट्रीय स्वैच्छिक दिशा-निर्देशों (एनवीजी) और जिम्मेदार व्यावसायिक आचरण पर राष्ट्रीय दिशानिर्देश (एनजीआरबीसी) ने व्यवसाय जिम्मेदारियों के 9 क्षेत्रों को अपनाया है। इनका संक्षेप में विवरण इस प्रकार है:

पी1 - व्यवसायों को नैतिकता, पारदर्शिता एवं जवाबदेही के साथ स्वयं का संचालन एवं शासन करना चाहिए।

पी2 - व्यवसायों को ऐसी वस्तुं एवं सेवाएं उपलब्ध करानी चाहिए जो सुरक्षित हों और अपने पूरे जीवनकाल के दौरान संधारणीय योगदान होना चाहिए।

पी3 - व्यवसायों को सभी कार्मिकों के कल्याण को बढावा देना चाहिए।

पी4 - व्यवसायों को सभी स्टेकहोल्डरों, विशेष रूप से उनका जो वंचित, कमजोर एवं हाशिए पर हैं, का सम्मान करना चाहिए और उनके प्रति उत्तरदायी होना चाहिए।

पी5 - व्यवसायों को मानवाधिकारों का सम्मान करना चाहिए और उन्हें बढावा देना चाहिए।

पी6 - व्यवसायों को पर्यावरण का सम्मान करना चाहिए, संरक्षण करना चाहिए और उसकी बहाली का प्रयास करना चाहिए।

पी7 - जब व्यवसाय सरकारी एवं विनियामक नीति को प्रभावित करने में शामिल हो तो उसे ऐसा जिम्मेदारी पूर्वक करना चाहिए।

पी8 - व्यवसायों को समावेशी विकास एवं साम्यपूर्ण प्रगति को बढावा देना चाहिए।

पी9 - व्यवसायों को दायित्वपूर्ण ढंग से कार्य करना चाहिए और अपने ग्राहकों एवं उपभोक्ताओं को मूल्य प्रदान करना चाहिए।

क्र. सं.	प्रश्न	व्यवसाय आचार-नीति	उत्पाद उत्तरदायित्व	कार्मिकों का कल्याण	स्टेकहोल्डर की सहभागिता	मानवाधिकार	पर्यावरण	लोक नीति	सीएसआर	ग्राहक संबंध
		सिद्धांत 1	सिद्धांत 2	सिद्धांत 3	सिद्धांत 4	सिद्धांत 5	सिद्धांत 6	सिद्धांत 7	सिद्धांत 8	सिद्धांत 9
1.	क्या आपके पास...... के लिए कोई नीति/नीतियां हैं	हां	चूंकि पीएफसी एनबीएफसी कंपनी है, इसलिए इस सिद्धांत की प्रयोज्यता सीमित है	हां	हां	यह नीति कंपनी की एचआर नीतियों एवं पद्धतियों में शामिल है	यह नीति कंपनी की विभिन्न नीतियों एवं पद्धतियों में शामिल है	यह नीति कंपनी की विभिन्न नीतियों एवं पद्धतियों में शामिल है	हां	हां
2.	क्या संगत स्टेकहोल्डरों के परामर्श से नीति तैयार की जा रही है?	6	-	हां	हां	-	-	-	हां	हां
3.	क्या नीति किसी राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय मानक की पुष्टि करती है	हां	-	हां	हां	-	-	-	हां	हां
4.	क्या नीति बोर्ड द्वारा अनुमोदित की जा रही है? यदि हां, तो क्या इस पर एमडी/स्वामी/सीईओ/उपयुक्त बोर्ड निदेशक द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं?	हां	-	हां	हां	-	-	-	हां	हां
5.	क्या इस नीति के कार्यान्वयन पर नजर रखने के लिए कंपनी में बोर्ड/निदेशक/कार्मिकों की कोई विशिष्ट समिति है	हां	-	हां	हां	-	-	-	हां	हां

क्र. सं.	प्रश्न	व्यवसाय आचार-नीति सिद्धांत 1	उत्पाद उत्तरदायित्व सिद्धांत 2	कार्मिकों का कल्याण सिद्धांत 3	स्टेकहोल्डर की सहभागिता सिद्धांत 4	मानवाधिकार सिद्धांत 5	पर्यावरण सिद्धांत 6	लोक नीति सिद्धांत 7	सीएसआर सिद्धांत 8	ग्राहक संबंध सिद्धांत 9
6.	ऑनलाइन देखने के लिए नीति के लिंक का ब्योरा प्रदान करें।	#	-	नीति आंतरिक दस्तावेज है इसलिए केवल कार्मिकों को उपलब्ध है।	#	-	-	-	#	#
7.	क्या नीति सभी संगत आंतरिक एवं बाहरी स्टेकहोल्डरों को औपचारिक रूप से संप्रेषित की गई है ?	हां	-	हां	हां	-	-	-	हां	हां
8.	क्या नीति/नीतियों को लागू करने हेतु कंपनी में अपनी संरचना है?	हां	-	हां	हां	-	-	-	हां	हां
9.	क्या नीति/नीतियों के संबंध में स्टेकहोल्डरों की शिकायतों के निवारण के लिए कंपनी में नीति/नीतियों से संबंधित शिकायत निवारण तंत्र है?	हां	-	हां	हां	-	-	-	हां	हां
10.	क्या कंपनी ने किसी आंतरिक या बाहरी एजेंसी द्वारा इस नीति के कार्यकरण की स्वतंत्र लेखा परीक्षा/मूल्यांकन कराया है?	हां	-	हां	हां	-	-	-	हां	हां

#इस रिपोर्ट के अनुलग्नक II में संगत स्पष्टीकरण/सूचना/लिंक का उल्लेख है।

(ख) यदि किसी सिद्धांत के विरुद्ध क्रम सं. 1 का उत्तर 'नहीं' है तो कृपया बताएं कि ऐसा क्यों है:

क्र. सं.	प्रश्न	सिद्धांत 1	सिद्धांत 2	सिद्धांत 3	सिद्धांत 4	सिद्धांत 5	सिद्धांत 6	सिद्धांत 7	सिद्धांत 8	सिद्धांत 9
1.	कंपनी ने सिद्धांतों को नहीं समझा है									
2.	कंपनी ऐसे चरण पर नहीं है जहां यह स्वयं को निर्दिष्ट सिद्धांतों पर नीतियों का निर्माण करने एवं कार्यान्वित करने की स्थिति में पाए									
3.	इस कार्य के लिए कंपनी के पास वित्तीय या मैनपावर संबंधी संसाधन उपलब्ध नहीं है	लागू नहीं								
4.	अगले 6 महीनों में किए जाने की योजना बनाई गई है									
5.	अगले 1 वर्ष में किए जाने की योजना बनाई गई है									
6.	कोई अन्य कारण									

3. **बीआर से संबंधित शासन**

बताएं कि कंपनी के बीआर कार्य-निष्पादन का आकलन करने के लिए निदेशक मंडल, बोर्ड की समिति या सीईओ बैठक की बारंबारता कितनी है।

फंक्शनल निदेशक द्वारा कंपनी की बीआर गतिविधियों पर नजर रखी जाती है तथा बोर्ड भी वार्षिक आधार पर निदेशक रिपोर्ट के भाग के रूप में व्यवसाय जिम्मेदारी रिपोर्ट की समीक्षा करता है।

क्या कंपनी बीआर अथवा संधारणीय रिपोर्ट प्रकाशित करती है? इस रिपोर्ट को देखने के लिए हाइपर लिंक क्या है? इसके प्रकाशन की आवृत्ति क्या है?

वित्तीय वर्ष 2012-13 से व्यवसाय दायित्व रिपोर्ट वार्षिक रिपोर्ट के भाग के रूप में प्रकाशित की जा रही है। वर्तमान रिपोर्ट वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए वार्षिक रिपोर्ट का भाग होगी तथा कंपनी की वेबसाइट www.pfcindia.com पर उपलब्ध होगी।

भाग ड.: सिद्धांत-वार कार्य-निष्पादन

सिद्धांत - 1

1. **क्या नैतिकता, घूसखोरी एवं भ्रष्टाचार से संबंधित नीति केवल कंपनी को शामिल करती है? क्या यह ग्रुप/ संयुक्त उद्यमों / आपूर्तिकर्ताओं/ ठेकेदारों/ एनजीओ/ अन्यों पर भी लागू होती है?**

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएफसी) विद्युत क्षेत्र की एक अग्रणी सार्वजनिक वित्तीय संस्था तथा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी है जो भारत के विद्युत क्षेत्र के विकास के लिए निधि तथा गैर-निधि आधारित सहायता प्रदान करती है। यह विद्युत क्षेत्र में निवेश कराने में बड़ी भूमिका निभाती है और इस क्षेत्र के विकास के वाहन के रूप में काम करती है। इसके ग्राहकों में राज्य विद्युत संस्थाएं, केंद्रीय विद्युत क्षेत्र संस्थाएं, विद्युत विभाग, निजी विद्युत क्षेत्र संस्थाएं, (स्वतंत्र विद्युत उत्पादक सहित), संयुक्त क्षेत्र विद्युत संस्थाएं, आदि शामिल हैं। पीएफसी ने आरबीआई के दिशा-निर्देशों के आधार पर अपने ऋण प्रचालन के लिए उचित प्रक्रिया संहिता (एफपीसी) का विकास किया है जिसका उद्देश्य सभी ऋणकर्ताओं को व्यवसाय लेन-देन में उचित संव्यवहार एवं पारदर्शिता के लिए कंपनी की प्रतिबद्धता का आश्वासन प्रदान करना है।

पीएफसी निगमित शासन को अच्छे प्रबंधन का अभिन्न भाग भी मानता है तथा अपने सभी संव्यवहारों में व्यावसायिकता, निष्पक्षता एवं ईमानदारी के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस दिशा में कंपनी ने बोर्ड के सदस्यों एवं वरिष्ठ प्रबंधन के लिए व्यवसाय आचरण एवं नैतिकता संहिता स्थापित की है।

निदेशक मंडल के सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन के लिए व्यवसाय आचरण एवं नैतिकता संहिता कंपनी के सभी निदेशकों तथा वरिष्ठ प्रबंधन के सदस्यों पर लागू एक व्यापक संहिता है। यह मिशन एवं उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कंपनी के विजन एवं मूल्यों के अनुरूप है तथा इसका उद्देश्य कंपनी के कार्यों के प्रबंधन में नैतिक एवं पारदर्शी प्रक्रिया को बढ़ावा देना है।

कंपनी ने एक कपटरोधी नीति भी अपनाई है ताकि कंपनी में कपट का पता लगाने एवं रोकने की व्यवस्था उपलब्ध हो सके। इसका उद्देश्य नियंत्रणों के विकास के लिए जिम्मेदारी आबंटित करके और कपट/संदिग्ध कपट की रिपोर्टिंग के लिए दिशा-निर्देश प्रदान करके निरंतर विधिक एवं नैतिक संगठनात्मक आचरण को बढ़ावा देना तथा संदिग्ध कपटपूर्ण व्यवहार की जांच करना है। यह नीति कंपनी में ऐसे कपट या संदिग्ध कपट की रिपोर्टिंग एवं अन्वेषण पर लागू होती है जिसमें कार्मिक (संविदा पर नियुक्त कार्मिकों सहित) तथा स्टेकहोल्डर, परामर्शदाता, वेंडर, आपूर्तिकर्ता, सेवाप्रदाता, ठेकेदार, ऋणकर्ता, ऋणदाता बाहरी एजेंसियां और/या कंपनी के साथ कारोबारी संबंध रखने वाला कोई अन्य पक्षकार शामिल है।

2. **पिछले वित्तीय वर्ष में कितनी स्टेकहोल्डर शिकायतें प्राप्त हुई हैं तथा प्रबंधन द्वारा संतोषप्रद ढंग से समाधान की गई शिकायतों का प्रतिशत क्या है?**

कपटरोधी नीति के अंतर्गत कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान कोई शिकायत प्राप्त नहीं की है।

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान कंपनी के शेयरहोल्डरों एवं बॉण्डधारकों से कुल 3,505 शिकायतें प्राप्त की हैं। 31 मार्च, 2020 तक सभी 3,505 शिकायतों (100%) का समाधान किया गया।

पीएफसी के नागरिक चार्टर के अतंर्गत, वर्ष के शुरू में लंबित नौ शिकायतों के अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान ग्राहकों उपभाक्ताओं से कुल 20 शिकायतें प्राप्त हुईं। 31 मार्च, 2020 तक इनमें से 27 शिकायतों (93.10%) का समाधान किया गया तथा 2 शिकायतें लंबित हैं।

सिद्धांत - 2

1. **अपने अधिकतम तीन उत्पादों एवं सेवाओं को सूचीबद्ध करें जिसकी डिजाइन में सामाजिक या पर्यावरणीय सरोकारों, जोखिमों और/या अवसरों को शामिल किया गया है।**

पीएफसी के सावधि ऋण, क्रेता लाइन ऑफ क्रेडिट, पट्टा वित्तपोषण आदि जैसे वित्तीय उत्पाद हैं जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं का वित्त-पोषण शामिल है जो संधारणीय तथा पर्यावरणीय दृष्टि से अनुकूल हैं। ऋण संस्वीकृत करते समय, पीएफसी शर्तें. निर्धारित करता है जिसमें अन्य बातों के साथ पर्यावरणीय स्वीकृतियां शामिल हैं।

2. **ऐसे प्रत्येक उत्पाद के लिए संसाधन प्रयोग के संबंध में निम्नलिखित ब्योरा प्रदान करें (ऊर्जा, जल और कच्चा माल आदि) प्रति यूनिट उत्पाद:**

चूंकि पीएफसी विनिर्माण कंपनी नहीं है और केवल विद्युत क्षेत्र की परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करती है इसलिए नीचे उल्लिखित निम्नलिखित प्रश्न सामान्यतया विनिर्माण क्षेत्र पर लागू हैं।

(i) **पूरी मूल्य श्रृंखला में पिछले वर्ष से सोर्सिंग/ उत्पादन / वितरण के दौरान प्राप्त कटौती?**

लागू नहीं

(ii) **पिछले वर्ष से उपभोक्ताओं (ऊर्जा, जल) द्वारा प्रयोग के दौरान कटौती प्राप्त हुई है?**

लागू नहीं

3. **क्या संपोषणीय सोर्सिंग (परिवहन सहित) के लिए कंपनी में प्रक्रियाएं है?**

लागू नहीं

4. **क्या कंपनी द्वारा कार्यस्थल के आसपास के समुदायों सहित स्थानीय एवं छोटे उत्पादकों से वस्तु एवं सेवाएं खरीदने के लिए कोई कदम उठाया गया है? यदि हां, तो स्थानीय एवं छोटे वेंडरों की क्षमता एवं दक्षता बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं।**

चूंकि पीएफसी वित्तीय संस्था है इसलिए सामग्री इनपुट की दृष्टि से यह अपेक्षाकृत कम संसाधन सघन है। हम प्रापण में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए आरक्षण के संबंध में समय-समय पर जारी किए गए भारत सरकार के निर्देशों का भी पालन कर रहे हैं।

5. **क्या उत्पादों एवं अपशिष्ट के पुनर्चक्रण के लिए कंपनी में कोई तंत्र है, यदि हां, तो उत्पादों एवं अपशिष्ट के पुनर्चक्रण का प्रतिशत क्या है (अलग से >5%, 5-10%, >10% के रूप में)? साथ ही, कृपया लगभग 50 शब्दों में इसका ब्योरा प्रदान करें।**

चूंकि कंपनी वित्तीय संस्था है इसलिए अपशिष्ट एवं उत्पादों के पुनर्चक्रण के लिए तंत्र की प्रयोज्यता सीमित है। तथापि, कंपनी ने कार्यालय भवन

के किचन/पेंट्री आदि में नेमी आधार पर सृजित जैविक अपशिष्ट के पुनर्चक्रण के लिए कार्यालय परिसर में एक जैविक कंपोस्ट मशीन इंस्टाल किया है।

सिद्धांत - 3

1. **कृपया कार्मिकों की कुल संख्या बताएं।**
31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार, पीएफसी में 484 कार्मिक थे।

2. **कृपया बताएं कि कुल कितने कार्मिकों को अस्थाई/ संविदा/ अनियत आधार पर हायर किया गया है?**
31 मार्च, 2020 तक, पीएफसी ने संविदा के आधार पर 68 कार्मिक काम पर रखे।

3. **कृपया बताएं कि स्थायी महिला कार्मिकों की संख्या कितनी है।**
31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार, कंपनी की सूची में 101 स्थायी महिला कार्मिक थीं।

4. **कृपया बताएं कि स्थायी दिव्यांग कार्मिकों की संख्या कितनी है।**
31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार, कंपनी की सूची में 14 दिव्यांग कार्मिक थे।

5. **क्या ऐसा कोई कार्मिक संघ है जो प्रबंधन द्वारा मान्यता प्राप्त है?**
पीएफसी में पीएफसी कार्मिक संघ, पीएफसी अजा/ अजजा/ अपिव कल्याण संघ तथा पीएफसी कार्यपालक संघ है।

6. **आपके स्थायी कार्मिकों का कितना प्रतिशत इस मान्यता प्राप्त कार्मिक संघ का सदस्य है?**
100% स्थायी कार्मिक इन मान्यता प्राप्त कार्मिक संघों के सदस्य है

7. **कृपया पिछले वित्तीय वर्ष में बाल श्रम, बंधुआ श्रम, अस्वैछिक श्रम, यौन उत्पीड़न के संबंध में प्राप्त शिकायतों तथा वित्तीय वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या बताएं।**

क्र. सं.	श्रेणी	वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान दर्ज हुई शिकायतों की संख्या	31 मार्च, 2020 को लंबित शिकायतों की संख्या
1	बाल मजदूरी/ बंधुआ श्रमिक/ अस्वैच्छिक श्रम	शून्य	शून्य
2	यौन उत्पीड़न	1	1
3	भेदभावपूर्ण रोजगार	शून्य	शून्य

8. **पिछले वर्ष आपके निम्नलिखित कार्मिकों में से कितने प्रतिशत को सुरक्षा तथा कौशल उन्नयन प्रशिक्षण दिया गया ?**

स्थायी कर्मचारी	75%
स्थायी महिला कर्मचारी	79%
नियत/ अस्थायी/ संविदा कार्मिक	शून्य
दिव्यांग कार्मिक	64%

सिद्धांत - 4

1. **क्या कंपनी ने अपने आंतरिक एवं बाहरी स्टेकधारकों की गणना की है?**
हां।

2. **क्या कंपनी ने उपर्युक्त में से वंचित, कमजोर एवं साधनविहीन स्टेकधारकों को चिह्नित किया है?**
आरक्षित श्रेणी के सभी कार्मिकों (अजा/ अजजा/ अपिव/ दिव्यांग एवं अल्पसंख्यक) को वंचित, कमजोर एवं साधन विहीन स्टेकधारकों के रूप में चिह्नित किया जाता है।

3. **क्या वंचित, कमजोर एवं साधनविहीन स्टेकधारकों के साथ भागीदारी के लिए कंपनी द्वारा कोई विशेष पहल की जाती है?**
इन लोगों (आरक्षित श्रेणी के सभी कार्मिकों - अजा/ अजजा/ अपिव/ दिव्यांग एवं अल्पसंख्यक) के लिए करियर प्रगति के विभिन्न स्तरों पर तैनाती के लिए भारत सरकार के सभी निर्देशों का पालन किया जाता है। दिव्यांग व्यक्तियों के लाभ के लिए अवसंरचना संबंधी विभिन्न व्यवस्थाएं की गईं। अंकों के प्रतिशत में विशेष छूट देकर अन्य बच्चों के साथ इन श्रेणियों के बच्चों को मेधावी पुरस्कार दिए जा रहे हैं। इस श्रेणी के अंतर्गत शामिल कार्मिकों के कल्याण की देखभाल के लिए अलग संपर्क अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। सुनिश्चित किया जाता है कि उपयुक्त स्तर के आरक्षित श्रेणी के व्यक्ति को विभिन्न चयन एवं पदोन्नति समितियों में सदस्य के रूप में नामित किया जाता है ताकि आरक्षित श्रेणियों के कार्मिकों के हितों की देखभाल हो सके।

सिद्धांत - 5

1. **क्या मानवाधिकारों पर कंपनी की नीति केवल कंपनी को शामिल करती है या यह ग्रुप/ संयुक्त उद्यमों/ आपूर्तिकर्ताओं/ ठेकेदारों/ एनजीओ/ अन्यों पर भी लागू है?**
मानवाधिकारों पर पीएफसी की कोई विशिष्ट नीति नहीं है। तथापि, यह नीति कंपनी की विभिन्न एचआर नीतियों एवं प्रक्रियाओं में शामिल है।

2. **पिछले वित्तीय वर्ष में कितनी स्टेकधारक शिकायतें प्राप्त हुई हैं तथा प्रबंधन द्वारा संतोषप्रद ढंग से समाधान की गई शिकायतों का प्रतिशत क्या है?**
वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान स्टेकधारकों की शिकायतों का ब्योरा नीचे दिया गया है:

विवरण	शिकायतों की संख्या			
	इक्विटी शेयरधारक	बॉण्ड धारक	कपट विरोधी नीति के अंतर्गत	नागरिक चार्टर के अंतर्गत
वर्ष के प्रारंभ में लंबित	शून्य	शून्य	0	9
वर्ष के दौरान प्राप्त	499	3,006	0	20
वर्ष के दौरान निस्तारित	499	3,006	0	27
वर्ष के दौरान अनिर्णीत	शून्य	शून्य	0	2
समाधान की गई शिकायतों का प्रतिशत	100%	100%	0	93.10%

सिद्धांत - 6

1. **क्या सिद्धांत 6 से संबंधित नीति के अंतर्गत केवल कंपनी शामिल है अथवा ग्रुप/ संयुक्त उद्यमों/ आपूर्तिकर्ताओं/ ठेकेदारों/ एनजीओ/ अन्यों पर भी लागू है?**
यह नीति कंपनी की विभिन्न नीतियों एवं प्रथाओं में शामिल है तथा इसके अंतर्गत पूरी कंपनी शामिल है।

2. **क्या जलवायु परिवर्तन, वैश्विक तापन आदि जैसे वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों से निपटने के लिए कंपनी में रणनीतियां/पहलें हैं? हां/नहीं यदि हां, तो कृपया वेब पेज आदि के लिए हाइपर लिंक प्रदान करें।**
पीएफसी सामाजिक दृष्टि से सजग संगठन है और संयुक्त राष्ट्र संगठन (यूएनओ) द्वारा प्रतिपादित वैश्विक संधि के 9 सिद्धांतों का पूर्णतः समर्थन करता है, जिसके अंतर्गत मानवाधिकार, पर्यावरणीय संरक्षण तथा श्रम अधिकार के क्षेत्र शामिल हैं। वैश्विक संधि के ये सिद्धांत कंपनी की विभिन्न संगठनात्मक नीतियों में शामिल हैं जिससे प्राकृतिक ढंग से उनका कार्यान्वयन सुगम हो रहा है।

पीएफसी समुचित आयोजना एवं निर्णय के माध्यम से समाज की अपेक्षाओं को पूरा करने की दिशा में निरंतर प्रयास करता है जिससे सामाजिक एवं आर्थिक विषमताओं को वास्तव में एवं स्थायी रूप से कम करने तथा पर्यावरण का संरक्षण करने में मदद मिलेगी। पीएफसी ने ऐसी गतिविधियों का समर्थन करना जारी रखा है जिनका उद्देश्य वर्तमान एवं भावी दोनों पीढ़ियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना और साथ ही सभी विविधताओं के साथ जीवन को सहारा देने में धरती की क्षमता की रक्षा करना है।

3. **क्या कंपनी संभावित पर्यावरणीय जोखिमों को चिन्हित एवं आकलित करती है?**
चूंकि पीएफसी कोई विनिर्माण कंपनी नहीं है तथा केवल वित्तीय उत्पाद प्रदान करती है इसलिए यह प्रश्न कंपनी पर लागू नहीं है।

4. **क्या स्वच्छ विकास तंत्र के संबंध में कंपनी की कोई परियोजना है? यदि हां, तो कृपया लगभग 50 शब्दों में इसका ब्योरा प्रदान करें। साथ ही, यदि हां, तो क्या कोई पर्यावरणीय अनुपालन रिपोर्ट दाखिल की गई है?**
उपर्युक्त प्रश्न पीएफसी पर लागू नहीं है क्योंकि यह विनिर्माण कंपनी नहीं है। तथापि, आपकी कंपनी राज्य तथा निजी क्षेत्रों में विशेष ब्याज दर पर नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं तथा ऊर्जा बचत परियोजनाओं को वित्त-पोषित करती है।

5. **क्या कंपनी ने स्वच्छ प्रौद्योगिकी, ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा आदि पर कोई अन्य पहल की है? यदि हां, तो कृपया वेब पेज आदि के लिए हाइपर लिंक प्रदान करें।**
हां कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2019-20 में 'सोलर एप्लीकेशन' के अंतर्गत ₹10.17 करोड़ रुपए का संवितरण सहित स्वच्छ प्रौद्योगिकी/नवीकरणीय ऊर्जा/ऊर्जा दक्षता आदि की विभिन्न पहलें शुरू की हैं। इस रिपोर्ट के अनुलग्नक-I में ब्योरा प्रदान किया गया है।

6. **क्या कंपनी द्वारा सृजित उत्सर्जन/अपशिष्ट रिपोर्टाधीन वित्तीय वर्ष के लिए सीपीसीबी/एसपीसीबी द्वारा अनुमत सीमा के अंदर है?**
लागू नहीं

7. **31 मार्च, 2020 के अंत तक की स्थिति के अनुसार सीपीसीबी/एसपीसीबी से प्राप्त कारण बताओ/ कानूनी नोटिसों की संख्या (अर्थात जिनका संतोषप्रद समाधान नहीं किया गया है)**
लागू नहीं

सिद्धांत - 7

1. **क्या आपकी कंपनी किसी ट्रेड चैंबर या एसोसिएशन की सदस्य है? यदि हां, तो उनमें से केवल मुख्य मुख्य का नाम बताएं जिनके साथ आपका कारोबारी संबंध है:**
जी हां, पीएफसी निम्नलिखित एसोसिएशनों का सदस्य है:

   1. स्कोप (एससीओपीई)
   2. एफ़आईसीसीआई
   3. केंद्रीय सिंचाई एवं विद्युत बोर्ड
   4. एएसएसओसीएचएएम (एसोचैम)
   5. भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई)
   6. विश्व ऊर्जा परिषद

2. **क्या आपने जनहित में सुधार या बढ़ोतरी के लिए उपर्युक्त एसोसिएशन के माध्यम से समर्थन/एकजुटता प्रदर्शित की है?**
पीएफसी जनहित में सुधार या उन्नति के लिए उपर्युक्त संघों के प्रयासों में उनके कार्यक्रमों का समर्थन करता है।

सिद्धांत - 8

1. **क्या कंपनी ने सिद्धांत 8 से संबंधित नीति के अनुसरण में कार्यक्रम/ उपाय/ परियोजनाएं निर्दिष्ट की हैं? यदि हां, तो कृपया उसका ब्योरा प्रदान करें।**
पीएफसी ने सीएसआर एवं संधारणीयता नीति स्थापित की है। इस नीति का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कंपनी सामाजिक दृष्टि से जिम्मेदार निगमित संस्था बने और पूरे समाज के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए प्रतिबद्ध हो।

   सामाजिक दृष्टि से जिम्मेदार निगमित संस्था के नाते पीएफसी निम्नांकित प्रयास करती है:-

   - वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में ऐसी हरित प्रौद्योगिकियों को प्रोत्साहित करना और उनसे लाभ उठाना, जो सामाजिक और पर्यावरण संबंधी स्थायित्व में योगदान कर सकें।
   - ऐसी परियोजनाएं शुरू करना, जो समुदायों को ऊर्जा, जल और स्वच्छता सुविधाएं प्रदान कर सकें।
   - दिव्यांग व्यक्तियों तथा स्वास्थ्य क्षेत्र की सहायता के लिए गतिविधियां शुरू करना।
   - ऐसे मुद्दों को उठाना जिनका राष्ट्रीय विकास एजेंडा में सर्वोपरि सरोकार है जैसे कि सबके लिए पानी की बचत करना, विशेष रूप से लड़कियों के लिए शौचालयों का प्रावधान, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, शिक्षा आदि।
   - सुविधाविहीन एवं वंचित वर्गों एवं समुदायों की शिक्षा, क्षमता निर्माण के उपायों, सशक्तीकरण के माध्यम से समाज में समावेशी विकास एवं साम्यपूर्ण विकास में योगदान देना।

   पीएफसी की सीएसआर नीति के उद्देश्य इस प्रकार हैं:

   - अपने स्टेकधारकों के हितों पर ध्यान देते हुए आर्थिक, सामाजिक एवं पर्यावरणीय दृष्टि से संपोषणीय ढंग से अपने कारोबार के संचालन के लिए संगठन में सभी स्तरों पर प्रतिबद्धता के स्तर में वृद्धि सुनिश्चित करना।
   - सीएसआर की गतिविधियों के माध्यम से पीएफसी लिमिटेड के लिए समाज में सद्भाव का सृजन करना और निगम के रूप में पीएफसी लिमिटेड की सकारात्मक एवं सामाजिक दृष्टि से जिम्मेदार छवि को सुदृढ़ करने में मदद करना।

2. **क्या परियोजनाएं/ कार्यक्रम अपनी टीम/ अपने प्रतिष्ठान/ बाहरी एनजीओ/ सरकारी संरचनाओं/ किसी अन्य संगठन के माध्यम से संचालित किए जाते हैं?**
सीएसआर तथा एसडी नीति के अंतर्गत शुरू की गई सभी परियोजनाएं सरकारी/अर्ध सरकारी कार्यान्वयन एजेंसियों तथा अन्य प्रतिष्ठित संगठनों द्वारा निष्पादित की गईं।

3. **क्या आपने अपनी पहल का कोई प्रभाव मूल्यांकन किया है?**
कंपनी ₹5 करोड़ से अधिक की संस्वीकृत परियोजनाओं/कार्यक्रमों के लिए अनिवार्य रूप से प्रभाव मूल्यांकन करेगी। शेष परियोजनाओं/ कार्यक्रमों के लिए मामला दर मामला आधार पर मूल्यांकन किया जाना होता है।

वित्तीय वर्ष 2019-20 में संचालित किए जा रहे प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन (संस्वीकृति-वार) का विवरण सारणी के रूप में निम्नानुसार है:

क्र. सं.	विवरण	क्षेत्र
1.	भारतीय प्रशासनिक स्टॉफ कॉलेज (एएससीआई), हैदराबाद द्वारा, वित्तीय वर्ष 2016-17 और वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान अजा/ अजजा/ अपिव/ ईडब्ल्यूएस सामाजिक श्रेणियों के बेरोजगार युवाओं के लिए कौशल विकास कार्यक्रम परियोजना का प्रभाव, मूल्यांकन अध्ययन।	पूरे भारत में
2.	इंडो-जर्मन इंस्टिट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलोजी (आईजीआईएटी) द्वारा स्वच्छ भारत विद्यालय अभियान के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शौचालयों के निर्माण का प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन।	आंध्र प्रदेश
3.	सेंटर ऑफ एनर्जी स्टडीज एंड रिसर्च (सीईएसआर), डीएवीवी, इंदौर द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में 1000 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए सोलर कम्युनिटी सिंचाई योजनाओं का प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन	छत्तीसगढ़

4. सामुदायिक विकास की परियोजनाओं में आपकी कंपनी का सीधा योगदान क्या है। रुपए में राशि तथा संचालित की गई परियोजनाओं का ब्योरा?

वर्ष 2019-20 के दौरान, पीएफसी ने स्वच्छता, कौशल विकास एवं शिक्षा, सोलर एप्लीकेशन, पर्यावरण और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में विभिन्न समुदाय विकास परियोजनाएं संचालित कीं। संस्वीकृत एवं संवितरित राशि की दृष्टि से पीएफसी का योगदान निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

गतिविधियों की प्रकृति	संस्वीकृत राशि	संवितरण
स्वच्छता/ अपशिष्ट प्रबंधन/ पेयजल	4.92	6.35
कौशल विकास एवं शिक्षा	24.21	20.30
सोलर एप्लीकेशन	5.32	10.17
पर्यावरण/वृक्षारोपण	0.00	0.34
स्वास्थ्य क्षेत्र	74.68	12.85
अन्य (मूल्यांकन अध्ययन, प्रशासन, उपरिव्यय, सौभाग्य, आरा एवं सीतामढ़ी जिला ग्राम विकास कार्यक्रम और केदारनाथ तथा आसपास के क्षेत्रों का पुनरुद्धार)	32.86	12.24
कुल	**141.99**	**62.25**

सीएसआर के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों का प्रसार (सामुदायिक विकास परियोजनाओं सहित), पीएफसी ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान ₹62.25 करोड़ (प्रशासनिक एवं उपरिव्यय सहित) की राशि संवितरित की।

5. क्या आपने यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं कि समुदाय विकास की इस पहल को समुदाय द्वारा सफलतापूर्वक अपनाया जाए?

पीएफसी द्वारा संस्वीकृत परियोजनाएं सरकारी/अर्ध सरकारी कार्यान्वयन एजेंसियों तथा अन्य प्रतिष्ठित संगठनों द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं। कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों के दौरान लगभग 70% नियोजन सुनिश्चित किया जाता है। पर्यावरणीय संपोषणीयता, नवीकरणीय ऊर्जा आदि जैसी परियोजनाओं में परिसंपत्तियां सृजित की जाती हैं, लाभार्थियों को अंतरित की जाती हैं तथा स्थल द्वारा, टूर रिपोर्ट आदि जैसी विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से पीएफसी द्वारा मॉनीटरिंग भी की जाती है।

सिद्धांत - 9

1. वित्तीय वर्ष के अंत में शेयरधारकों एवं बॉण्ड धारकों से शिकायतों के अलावा ग्राहक शिकायतों/उपभोक्ता मामलों का कितना प्रतिशत लंबित है?

पीएफसी के नागरिक चार्टर के अंतर्गत, वर्ष के शुरू में लंबित 9 शिकायतों के अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान ग्राहकों/उपभोक्ताओं से कुल 20 शिकायतें प्राप्त हुईं। 31 मार्च, 2020 तक इनमें से 27 शिकायतों (93.10%) का समाधान किया गया तथा 2 शिकायतें लंबित हैं।

2. क्या कंपनी उत्पाद लेबल पर उससे अधिक उत्पाद सूचना प्रदर्शित करती है जो स्थानीय कानूनों के अनुसार अधिदेशित है?

लागू नहीं

3. क्या अनुचित व्यापार प्रथाओं, गैर-जिम्मेदाराना विज्ञापन और/या प्रतियोगितारोधी व्यवहार के संबंध में कंपनी के विरुद्ध किसी स्टेकधारक द्वारा पिछले 5 वर्षों में कोई मामला दाखिल किया गया है और 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार लंबित है?

लागू नहीं

4. क्या आपकी कंपनी कोई उपभोक्ता सर्वेक्षण/उपभोक्ता संतुष्टि रुझान संचालित करती है?

पीएफसी में, विद्युत संस्था के साथ आवधिक आधार पर आयोजित सुगठित बैठकों, ग्राहकों के कार्यालयों/परियोजना स्थलों के पीएफसी के कार्यपालकों द्वारा किए गए आवधिक दौरों के माध्यम से, विभिन्न परियोजनाओं/ऋणों के मूल्यांकन, ऋण प्रलेखन एवं संवितरण के चरणों के दौरान नियमित लिखित/टेलीफोन पर पत्राचार, ग्राहकों द्वारा पीएफसी कार्यालय का दौरा आदि के माध्यम से ग्राहकों की शिकायतें प्राप्त की जाती हैं।

जवाब के आधार पर शिकायतों को दर्ज किया जाता है और प्रत्येक शिकायत के लिए सुधारात्मक एवं निवारक कार्रवाई रिकॉर्ड (सीएपीआर) शुरू किया जाता है। शिकायत के समाधान और भविष्य में उसकी पुनरावृत्ति रोकने के लिए उठाए गए सुधारात्मक कदम के बारे में संबंधित ग्राहक को सूचित किया जाता है।

व्यवसाय उत्तरदायित्व रिपोर्ट का अनुलग्नक - ।

ऐसी गतिविधियों की सूची जिन पर व्यय किया गया है:

1. कारगिल टाउन और जिला मुख्यालय (जम्मू कश्मीर) में स्ट्रीट लाइटिंग/हाई मास्ट लाइट।
2. आपदा के दौरान क्षतिग्रस्त ढांचे के पुनर्निर्माण के लिए उत्तराखंड के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और पुनर्वास गतिविधियां।
3. झारखंड के गिरिडीह, धनबाद और बोकारो जिलों के गांवों में गलियों में प्रकाश के लिए सोलर लाइटिंग प्रणाली की आपूर्ति, संस्थापना और कमीशनिंग।
4. भुवनेश्वर के कलिंग इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल साइंसिज में 500 केडब्ल्यूपी समग्र क्षमता की ग्रिड कनेक्टिड रूफ टॉप सोलर पीवी (आरटीएसपीवी) परियोजनाओं की आपूर्ति, संस्थापना और कमीशनिंग।
5. स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय अभियान के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शौचालयों (8,100 शौचालय) का निर्माण ।
6. स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय अभियान के अंतर्गत राजस्थान के सरकारी स्कूलों में शौचालयों (1,100 शौचालय) का निर्माण ।
7. वाराणसी म्युनिसिपल क्षेत्र के 14 वार्डों में ठोस शहरी कचरे के स्वचालित स्वीपिंग, संग्रहण और परिवहन के लिए सेवाएं प्रदान करना।
8. पीलीभीत में 500 सोलर आधारित एलईडी स्ट्रीट लाइटिंग प्रणाली का कार्यान्वयन।
9. बस्ती में 500 सोलर आधारित एलईडी स्ट्रीट लाइटिंग प्रणाली का कार्यान्वयन।
10. छत्तीसगढ़ में 1,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सोलर सामुदायिक सिंचाई योजनाएं।
11. श्रावस्ती में 500 सोलर आधारित एलईडी स्ट्रीट लाइटिंग प्रणाली।
12. एनएच 7 के नागपुर क्षेत्र में वृक्षारोपण परियोजना।
13. सर सुंदर लाल हॉस्पीटल, सर्जिकल ऑकोलोजी विभाग, आयुर्विज्ञान संस्थान (आईएमएस), बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू), वाराणसी के लिए कैंसर निदान और जागरूकता मोबाइल वैन तथा संबंधित उपकरण प्रदान करना।
14. उत्तर प्रदेश के देवरिया क्षेत्र के सोलर आधारित एलईडी स्ट्रीट लाइटिंग प्रणालियों (एसएलएस) और सोलर हाई मास्ट लाइटों (एसएचएमएलएस) का कार्यान्वयन।
15. आगरा (उत्तर), आगरा (दक्षिण) और फिरोजाबाद क्षेत्रों में सोलर आधारित एलईडी स्ट्रीट लाइटिंग प्रणालियों (एसएलएस) और सोलर हाई मास्ट लाइटों (एसएचएमएलएस) का कार्यान्वयन।
16. सिद्धार्थ नगर के गांवों में पेयजल प्रयोजनों के लिए 500 इंडिया मार्क-2 हैंडपंपों की आपूर्ति और संस्थापना।
17. आंध्र प्रदेश में समाज के अजा/ अजजा/ अपिव/ दिव्यांगजन/ महिला और ईडब्ल्यूएस श्रेणी से संबंधित बेरोजगार युवाओं के लिए कौशल विकास कार्यक्रम।
18. मछली शहर क्षेत्र, जौनपुर के गांवों में पेयजल प्रयोजनों के लिए 500 इंडिया मार्क-2 हैंडपंपों की आपूर्ति और संस्थापना।
19. अकबरपुर, कानपुर देहात में 500 सोलर आधारित एलईडी स्ट्रीट लाइटिंग प्रणाली की आपूर्ति, संस्थापना और कमीशिनंग।
20. 'स्टेच्यू आफ यूनिटी' के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय एकता ट्रस्ट (एसवीपीआरईटी) परियोजना में योगदान।
21. चंदौली और वाराणसी जिले में पेयजल प्रयोजनों के लिए 500 इंडिया मार्क-2 हैंडपंपों की आपूर्ति और संस्थापना।
22. चंदौली और वाराणसी जिले में 422 सोलर आधारित एलईडी स्ट्रीट लाइटिंग प्रणालियां (एसएलएस)।
23. महबूबाबाद में एलईडी आधारित सोलर फोर-आर्म लाइटिंग प्रणालियां (60) और सोलर स्ट्रीट लाइटिंग प्रणालियों (322) की संस्थापना और कमीशनिंग।
24. गाजियाबाद में (25) चयनित प्राथमिक स्कूलों और कस्तूरबा गांधी स्कूलों का उन्नयन।
25. उत्तर पूर्व के छह राज्यों में अजा/ अजजा/ अपिव/ दिव्यांगजन/ महिला/ ईडब्ल्यूएस से संबंधित 290 बेरोजगार युवाओं/बीच में स्कूल छोड देने वाले युवाओं के लिए कौशल विकास कार्यक्रम।
26. श्रावस्ती के विभिन्न गांवों में 500 एलईडी आधारित सोलर स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम (एसएलएस) की आपूर्ति, संस्थापना और कमीशनिंग।
27. झारखंड राज्य में 'प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना'(सौभाग्य) के होर्डिंग्स का प्रदर्शन
28. आरा जिला, बिहार-भोजपुर ग्राम विकास कार्यक्रम के 3 ब्लॉक (पीरो, बिहिया, जगदीशपुर) में विकास कार्य।
29. मेरठ में दृष्टि बाधितों के लिए बृजमोहन स्कूल के भवन का निर्माण।
30. गुंटूर जिले में दुर्गी और वेलदुर्ती के विभिन्न पिछड़े गांवों/ब्लॉकों में नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियां उपलब्ध कराना।
31. पूर्णिया में 500 एलईडी आधारित सोलर स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम की आपूर्ति, संस्थापना और कमीशनिंग।
32. गोवा के तिस्वाडी में डॉ के बी हेगड़ेवार स्कूल में बुनियादी ढांचे के कार्यों के लिए वित्तीय सहायता।
33. बिहार के सीतामढ़ी जिले के बेलसंड प्रखंड के भंडारी पंचायत के तीन गाँवों भंडारी, मांची और महेशपुर में आदर्श पंचायत परियोजना का निर्माण और भंडारी में दो सरकारी स्कूलों का रूपांतरण।
34. बस्ती के विभिन्न गांवों में 100 सोलर पीवी हाईमास्ट लाइटिंग सिस्टम (व्हाइट एलईडी एसएचएमएलएस) की आपूर्ति, स्थापना और कमीशनिंग।
35. दक्षिण सिक्किम जिले में विकास कार्य और चुनिंदा सरकारी स्कूलों में अन्य बुनियादी सुविधाओं का उन्नयन।

36. मिर्जापुर में पेयजल प्रयोजनों के लिए 100 इंडिया मार्क-2 हैंड पंप की आपूर्ति और संस्थापना।
37. खगड़िया जिले के विभिन्न गाँवों/प्रखंडों में 12 सोलर हाई मास्ट लाइट प्रणालियों (एसएचएमएलएस) की आपूर्ति, संस्थापना और कमीशनिंग।
38. श्रावस्ती में (1280) सरकारी स्कूलों और जिला पुस्तकालय का उन्नयन।
39. बीकानेर जिला चरण-II के विभिन्न गांवों में 500 एलईडी आधारित सोलर स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम (एसएलएस) की आपूर्ति, संस्थापना और कमीशनिंग।
40. फिरोजपुर जिले में 646 सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में आर ओ इकाइयों की स्थापना।
41. बीएमसीएचआरसी, जयपुर में ऑपरेटिंग माइक्रो स्कोप की आपूर्ति, संस्थापना और कमीशनिंग।
42. लखनऊ शहर में संबद्ध नागरिक कार्यों के साथ 20 पोर्टेबल और कॉम्पैक्ट ट्रांसफर स्टेशनों (पीसीटीएस) की संस्थापना।
43. गिरिडीह में 100 सोलर हाई मास्ट लाइट प्रणालियों (एसएचएमएलएस) की आपूर्ति, स्थापना और कमीशनिंग।
44. खम्मम जिले में विभिन्न सरकारी स्कूलों का उन्नयन।
45. बांदा क्षेत्र के विभिन्न गांवों/ब्लॉकों में 500 एलईडी आधारित सोलर स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम की आपूर्ति, संस्थापना और कमीशनिंग।
46. दिल्ली में स्वास्थ्य उपकरण प्रदान करना।
47. भारतीय सेना के सैनिकों के लिए 5,000 एसपीवी एलईडी लालटेन प्रदान करना।
48. हमीरपुर में 500 सोलर पीवी एलईडी स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम की आपूर्ति, संस्थापना और कमीशनिंग।
49. अजा/ अजजा/ अपिव/ दिव्यांगजन/ महिला/ ईडब्ल्यूएस से संबंधित 500 बेरोजगार युवाओं के लिए कौशल विकास कार्यक्रम।
50. सिद्धार्थनगर में सरकारी स्कूलों का उन्नयन।
51. फिरोजपुर में अन्य ढांचागत सुविधाओं के प्रावधान के साथ 200 आंगनवाड़ी केंद्र का निर्माण।
52. मुंडेरी, कन्नूर में सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के भवन का निर्माण।
53. बाराखंबा रोड मेट्रो स्टेशन पर महिलाओं के लिए सुविधा लाउंज की स्थापना।
54. प्रभाव आकलन/ प्रशिक्षण/ वेतन और भत्ते आदि।

व्यवसाय उत्तरदायित्व रिपोर्ट का अनुलग्नक – II

कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित संगत नीतियों के लिंक नीचे दिए गए हैं:

नीति का नाम	वेब लिंक	
	अंग्रेजी	हिंदी
सीएसआर तथा संधारणीयता नीति	http://www.pfcindia.com/DocumentRepository/ckfinder/files/CSR/CSRšPolicyš26082016.pdf	http://pfcindia.com/hnsite/DocumentRepository/ckfinder/files/CSR/PFC_CSR_POLICY_HND_20092016.pdf
उचित पद्धति संहिता	http://www.pfcindia.com/Home/VS/62	http://pfcindia.com/hnsite/Home/VS/62
व्यवसाय संचालन एवं आचारशास्त्र आचारशात्र संहिता	http://www.pfcindia.com/Home/VS/63	http://pfcindia.com/hnsite/Home/VS/63
कपटरोधी नीति	http://www.pfcindia.com/Home/VS/65	http://pfcindia.com/hnsite/Home/VS/65
व्हिसल ब्लोअर नीति	http://www.pfcindia.com/Default/ViewFile/?id=1490188785276_WBP.pdf&path=Page	http://pfcindia.com/hnsite/Default/ViewFile/?id=1490268719103_wbpHND.pdf&path=Page
संबद्ध पक्षकार लेन-देन पर नीति	http://www.pfcindia.com/Default/ViewFile/?id=1490186033556_Policy on Related PartyTransactions.pdfpath=Page	http://pfcindia.com/hnsite/Default/ViewFile/?id=1490267088709_PFC_Policy_Hindi.pdf&path=Page
महत्वपूर्ण सहायक कंपनियों पर नीति	http://www.pfcindia.com/Default/ViewFile/?id=1546008961743_Policyon.pdf&path=Page	http://pfcindia.com/hnsite/Default/ViewFile/?id=1490266955530_material_subsideiry_HND.pdf&path=Page
लाभांश वितरण नीति	http://www.pfcindia.com/Default/ViewFile/?id=1500569967022_ Dividend Distribution Policy of Power Finance Corporation Limited -Final Version. pdf path=Page	http://pfcindia.com/hnsite/Default/ViewFile/?id=1500987575423_Dividend_Distribution_Policy_of_pfc_hindi.pdf&path=Page
पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की प्रतिभूतियों की ट्रेडिंग के विनियमन, मॉनीटरिंग एवं रिपोर्टिंग के लिए अप्रकाशित कीमत संवेदनशील सूचना एवं संचालन के उचित प्रकटन के लिए पद्धति एवं प्रक्रिया संहिता	http://www.pfcindia.com/Default/ViewFile/?id=1471519901217_PFCs_Code_of_Conduct_for_regulating_reporting_trading_by_insiders_and_for_fair_disclosure_2015.pdf&path=Page	http://pfcindia.com/hnsite/Default/ViewFile/?id=1490270610504_CODE_OF_CONDUCT_FOR_INSIDER_TRADING_HND.pdf&path=Page
घटनाओं की तात्विकता के निर्धारण के लिए नीति	http://www.pfcindia.com/Default/ViewFile/?id=1472556452570_Circular%20Policy%20for%20Determination%20of%20Materiality%20of%20Events.pdfpath=PageName=Policy for Determination of Materiality of Events	http://pfcindia.com/hnsite/DocumentRepository/ckfinder/files/Statutory_investor/DoMEvents_hi.pdf

अन्य नीतियां आंतरिक दस्तावेज हैं तथा केवल संगठन के कार्मिकों को उपलब्ध हैं।

निदेशक मंडल की रिपोर्ट का अनुलग्नक – ।

फॉर्म एमआर-3

सचिवालयी लेखापरीक्षा रिपोर्ट
31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 (1) तथा कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियमावली, 2014 के नियम 9 तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 24क, के अनुसरण में)

सेवा में,
सदस्यगण,
पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

हमने पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (इसके बाद यहां आगे पीएफसी/कंपनी कहा गया है) द्वारा लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन तथा उपयुक्त निगमित प्रथाओं के पालन की सचिवालयी लेखापरीक्षा की है। सचिवालयी लेखापरीक्षा इस ढंग से की गई कि उससे हमें निगमित आचरण/सांविधिक अनुपालन का मूल्यांकन करने तथा उस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए तर्कसंगत आधार मिल सके।

कंपनी की बहियों, कागजातों, कार्यवृत्त बहियों, कंपनियों द्वारा दाखिल किए गए फॉर्मों एवं विवरणियों तथा अन्य अनुरक्षित रिकॉर्डों और कंपनी, इसके अधिकारियों, एजेंटों एवं अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा सचिवालयी लेखापरीक्षा के संचालन के दौरान प्रदान की गई सूचना के सत्यापन के आधार पर हम एतद्द्वारा सूचित करते हैं कि हमारी राय में 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय अवधि को शामिल करने वाली लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी ने यहां नीचे सूचीबद्ध सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है तथा यह भी कि पीएफसी ने इसमें यहां आगे की गई रिपोर्टिंग की सीमा तक, ढंग से और के अध्यधीन समुचित बोर्ड प्रक्रियाएं एवं अनुपालन तंत्र स्थापित किया है:

हमने निम्नलिखित के प्रावधानों के अनुसरण में 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए पीएफसी द्वारा दाखिल बहियों, कागजातों, कार्यवृत्त बहियों, फॉर्मों एवं विवरणियों तथा उसके द्वारा अनुरक्षित अन्य रिकॉर्डों की जांच की है:

(i) कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) तथा इसके अंतर्गत बनाई गई नियमावली;

(ii) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम 1956 (एससीआरए) तथा इसके अंतर्गत बनाई गई नियमावली;

(iii) डिपॉजिटरी अधिनियम, 1996 तथा इसके अंतर्गत बनाए गए विनियम एवं उप नियम;

(iv) विदेशी विनियम प्रबंध अधिनियम, 1999 तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियम एवं विनियम, जिस हद तक तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, विदेशी प्रत्यक्षनिवेश और विदेशी वाणिज्यिक ऋण का संबंध है;

(v) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (सेबी अधिनियम) के अंतर्गत निर्धारित निम्नलिखित विनियम एवं दिशानिर्देश:-

(क) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (शेयरों का सारवान अधिग्रहण एवं लाभ) विनियम, 2011;

(ख) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (इनसाइडर ट्रेडिंग का प्रतिषेध) विनियम, 2015;

(ग) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (पूंजी निर्गम एवं प्रकटन की अपेक्षाएं) विनियम, 2009;

(घ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (कार्मिक स्टॉक विकल्प योजना और कार्मिक स्टॉक क्रय योजना) दिशा-निर्देश 1999; भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम एवं सूचीबद्धता) विनियम 2008;

(ङ) कंपनी अधिनियम तथा ग्राहकों के साथ संव्यवहार के संबंध में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (निर्गम एवं शेयर अंतरण एजेंटों के पंजीयक) विनियम 1993;

(च) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों को सूची से हटाना) विनियम 2009

और

(छ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (प्रतिभूतियों का बाय-बैक) विनियम 1998;

(vi) गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 तथा इसके अंतर्गत बनाए गए विनियम।

(vii) धनशोधन निवारण अधिनियम, 2002

हमने निम्नलिखित के प्रयोज्य खंडों के अनुपालन की भी जांच की है:

(क) सामान्यतः अनुपालन किए जाने वाले भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी किए गए सचिवालयी मानक।

(ख) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015

(ग) सीपीएसई के लिए निगमित शासन पर लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देश (डीपीई दिशानिर्देश)

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने निम्नलिखित प्रेक्षणों के अधीन उपर्युक्त अधिनियम, नियमावली, विनियमों, दिशा-निर्देशों, मानकों आदि का अनुपालन किया है:

प्रेक्षण 1:
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 17 (1)(क) और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए निगमित शासन पर डीपीई दिशानिर्देशों का खंड 3.1.2 का गैर-अनुपालन। उक्त विनियम तथा दिशानिर्देशों के अनुसार कंपनी के निदेशक मंडल में कार्यपालक एवं गैर-कार्यपालक निदेशकों का अभीष्ट संयोजन होगा

तथा कम से कम एक महिला निदेशक होगी **और निदेशक मंडल में गैर-कार्यपालक निदेशकों का अनुपात 50% से कम नहीं होगा।**

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 17 (1)(ख) और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए निगमित शासन पर डीपीई दिशानिर्देशों का खंड 3.1.4 का गैर-अनुपालन। जहां निदेशक मंडल का अध्यक्ष एक गैर-कार्यपालक निदेशक होता है, निदेशक मंडल में कम से कम एक तिहाई स्वतंत्र निदेशक शामिल होने चाहिए और यदि कंपनी का नियमित गैर-कार्यपालक अध्यक्ष नहीं है, तो **बोर्ड में कम से कम आधे स्वतंत्र निदेशक शामिल होने चाहिएं।**

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 (4) का गैर-अनुपालन। उक्त अधिनियम के अनुसार, प्रत्येक सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी में कुल निदेशकों में से कम से **कम एक तिहाई निदेशक स्वतंत्र निदेशक होंगे।**

प्रेक्षण 2:
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 17 (10)-स्वतंत्र **निदेशकों के कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन समूचे निदेशक मंडल द्वारा किया जाएगा- का अनुपालन न किया जाना।**

प्रेक्षण 3:
सेबी (एलओडीआर) 2015 की अनुसूची-II, भाग घ (क) के साथ पठित विनियम 19 (4) के अनुसार, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति:

(क) किसी निदेशक की अर्हताओं, सकारात्मक विशेषताओं तथा स्वतंत्रता के लिए मानदंड तैयार करेगी और निदेशकों, प्रबंधन के प्रमुख कार्मिकों एवं अन्य कार्मिकों के पारिश्रमिक के संबंध में नीति के बारे में निदेशक मंडल को सिफारिश करेगी;

(ख) स्वतंत्र निदेशकों तथा निदेशक मंडल के कार्य-निष्पादन के मूल्यांकन के लिए मानदंड तैयार करेगी;

हम यह भी सूचित करते हैं कि कंपनी के निदेशक मंडल का गठन कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों, डीपीई के दिशा-निर्देशों तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 17 (1) के अनुसार किया जाना है। निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशकों की संख्या निदेशक मंडल की मूल संख्या के 50% से कम है। इस समय कंपनी के निदेशक मंडल में 3 गई-कार्यपालक एवं 2 स्वतंत्र निदेशक हैं। कंपनी ने अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया है।

सामान्यतः सभी निदेशकों को निदेशक मंडल बैठकों के निर्धारण के लिए पर्याप्त नोटिस दिया जाता है, एजेंडा तथा एजेंडा पर नोट कम-से-कम 7 दिन अग्रिम में भेजे गए और बैठक से पूर्व एजेंडा मदों पर और सूचना एवं स्पष्टीकरण मांगने एवं प्राप्त करने तथा बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए प्रणाली मौजूद है।

निदेशक मंडल/समिति की बैठक (बैठकों) में लिए गए सभी निर्णय बैठक के दौरान उपस्थित सभी निदेशकों/सदस्यों की सर्वसम्मति से लिए गए।

हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि प्रयोज्य कानूनों एवं नियमों, विनियमों एवं दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने एवं निगरानी करने के लिए कंपनी के आकार एवं प्रचालनों के अनुरूप कंपनी में पर्याप्त प्रणालियां एवं प्रक्रियाएं हैं।

कृते अग्रवाल एस. एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव,
आईसीएसआई यूनीक कोड: P2003DE049100

हस्ता/-
सीएस सचिन अग्रवाल
भागीदार
एफसीएस नंबर: 5774
सीपी नंबर: 5910

तारीख: 28 जुलाई, 2020
स्थान: नई दिल्ली
यूडीआईएन: F005774B000517263

इस रिपोर्ट को हमारे समदिनांकित पत्र के साथ पढ़ा जाए जो अनुलग्नक 'क' के रूप में संलग्न है तथा इस रिपोर्ट का अभिन्न भाग है।

अनुलग्नक – क

सेवा में,
सदस्यगण,
पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

हमारी समदिनांकित रिपोर्ट को इस पत्र के साथ पढ़ा जाए।

1. सचिवालयी रिकॉर्डों का अनुरक्षण कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी लेखापरीक्षा के लिए हमारे समक्ष प्रस्तुत रिकॉर्डों के अपने निरीक्षण के आधार पर इन सचिवालयी रिकॉर्डों पर राय व्यक्त करने की है।

2. हमने ऐसी लेखापरीक्षा पद्धतियां एवं प्रक्रियाएं अपनाई हैं जो सचिवालयी रिकॉर्डों की विषय-वस्तुओं की सत्यता के बारे में तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त थी। यह सुनिश्चित करने के लिए परीक्षण आधार पर सत्यापन किया गया कि सचिवालयी रिकॉर्डों में सही तथ्य दर्शाए गए हैं। हम विश्वास करते हैं कि हमने जो प्रक्रियाएं एवं पद्धतियां अपनाई हैं वे हमारी राय के लिए तर्कसंगत आधार प्रदान करती हैं।

3. हमने कंपनी के वित्तीय अभिलेखों तथा लेखाबहियों की सत्यता एवं उपयुक्तता का सत्यापन नहीं किया है तथा हमारी रिपोर्ट में अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा पहले उल्लिखित प्रेक्षण/ टिप्पणियां/ कमजोरियां शामिल नहीं हैं।

4. जरूरत पड़ने पर हमने कानूनों, नियमों एवं विनियमों के अनुपालन तथा घटनाओं आदि के घटित होने के बारे में प्रबंधन का अभ्यावेदन प्राप्त किया है।

5. निगमित प्रावधानों तथा अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जांच परीक्षण आधार पर प्रक्रियाओं के सत्यापन तथा इस संबंध में अपनी राय देने तक सीमित थी कि क्या कंपनी में सम्यक बोर्ड प्रक्रियाएं एवं अनुपालन तंत्र हैं या नहीं।

6. सचिवालयी लेखापरीक्षा रिपोर्ट न तो कंपनी की भावी लाभप्रदता के संबंध में आश्वासन है और न ही उस दक्षता या कारगरता का आश्वासन है जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के कार्यों को संचालित किया है।

7. लॉकडाउन/आवाजाही पर प्रतिबंध और कोविड-19 के कारण देश में मौजूदा परिस्थितियों ने कंपनी के रिकॉर्ड/दस्तावेजों के भौतिक सत्यापन को प्रभावित किया है।

कृते अग्रवाल एस. एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव,
आईसीएसआई यूनीक कोड: P2003DE049100

हस्ता/-
सीएस सचिन अग्रवाल
भागीदार
एफसीएस नंबर: 5774
सीपी नंबर: 5910

स्थान: नई दिल्ली
तारीख: 28 जुलाई, 2020

अनुलग्नक – II

सचिवालयी लेखापरीक्षकों के प्रेक्षण के साथ प्रबंधन का स्पष्टीकरण

क्र. सं.	प्रेक्षण	स्पष्टीकरण
1.	भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 17 (1)(क) और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए निगमित शासन पर डीपीई दिशानिर्देशों का खंड 3.1.2 का गैर-अनुपालन। उक्त विनियम तथा दिशानिर्देशों के अनुसार कंपनी के निदेशक मंडल में कार्यपालक एवं गैर-कार्यपालक निदेशकों का अभीष्ट संयोजन होगा तथा कम से कम एक महिला निदेशक होगी **और निदेशक मंडल में गैर-कार्यपालक निदेशकों का अनुपात 50% से कम नहीं होगा।** भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय निदेशक मंडल (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 17 (1)(ख) और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए निगमित शासन पर डीपीई दिशानिर्देशों का खंड 3.1.4 का गैर-अनुपालन। जहां निदेशक मंडल का अध्यक्ष एक गैर-कार्यकारी निदेशक होता है, निदेशक मंडल में कम से कम एक तिहाई स्वतंत्र निदेशक शामिल होने चाहिएं और यदि कंपनी का नियमित गैर-कार्यपालक अध्यक्ष नहीं है, तो **निदेशक मंडल में कम से कम आधे स्वतंत्र निदेशक शामिल होने चाहिएं।** इसके अतिरिक्त कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 (4) का गैर-अनुपालन। उक्त अधिनियम के अनुसार, प्रत्येक सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी में **कुल निदेशकों में से कम से कम एक तिहाई निदेशक स्वतंत्र निदेशक होंगे।**	पीएफसी के संस्था के अंतर्नियम के खंड 86 के अनुसार, पीएफसी के निदेशक मंडल के सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तद्नुसार, कंपनी ने कंपनी के निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशक (निदेशकों) की नियुक्ति की गति तेज करने के लिए विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार से अनुरोध किया है ताकि कंपनी सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015, कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और डीपीई के दिशा-निर्देशों का अनुपालन कर सके।
2.	भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 17 (10)-**स्वतंत्र निदेशकों के कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन समूचे निदेशक मंडल द्वारा किया जाएगा- का अनुपालन न किया जाना।**	कंपनी के संस्था के अंतर्नियम के खंड 86 के अनुसार, पीएफसी के निदेशक मंडल के सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। पारिश्रमिक एवं मूल्यांकन सहित ऐसी नियुक्ति के निबंधन एवं शर्तें.भारत सरकार द्वारा निर्धारित की जाती हैं।
3.	सेबी (एलओडीआर) 2015 की अनुसूची-II, भाग घ (क) के साथ पठित विनियम 19 (4) के अनुसार, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति: (क) किसी निदेशक की अर्हताओं, सकारात्मक विशेषताओं तथा स्वतंत्रता के लिए मानदंड तैयार करेगी और निदेशकों, प्रबंधन के प्रमुख कार्मिकों एवं अन्य कार्मिकों के पारिश्रमिक के संबंध में नीति के बारे में निदेशक मंडल को सिफारिश करेगी; (ख) स्वतंत्र निदेशकों तथा निदेशक मंडल के कार्य-निष्पादन के मूल्यांकन के लिए मानदंड तैयार करेगी;	कंपनी के संस्था के अंतर्नियम के खंड 86 के अनुसार, पीएफसी के निदेशक मंडल के सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। पारिश्रमिक एवं मूल्यांकन सहित ऐसी नियुक्ति के निबंधन एवं शर्तें.भारत सरकार द्वारा निर्धारित की जाती हैं। इसके अतिरिक्त, कंपनी के संस्था के अंतर्नियम के खंड 91 (3) में यह प्रावधान है कि इन अनुच्छेदों में किसी बात के होते हुए भी, राष्ट्रपति समय-समय पर ऐसे निर्देश या अनुदेश जारी कर सकते हैं, जो कंपनी के व्यवसाय संचालन और अन्य मामलों के संबंध में आवश्यक समझे गए हों, और इसी तरह वे ऐसे निर्देश या अनुदेश में परिवर्तन कर सकते हैं या उन्हें रद्द कर सकते हैं। इस तरह जारी किए गए निर्देशों या अनुदेशों को निदेशकों द्वारा तत्काल अमल में लाया जाएगा। जहां तक फंक्शनल निदेशकों, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों और अन्य कार्मिकों के पारिश्रमिक से संबंधित नीति है, कंपनी समय-समय पर जारी किए गए राष्ट्रपति के निर्देशों का अनुपालन कर रही है। 4 जनवरी, 2020 को आयोजित स्वतंत्र निदेशकों की 7वीं पृथक बैठक में नोट किया कि बोर्ड के सभी सदस्यों को भारत सरकार द्वारा पूरी तरह से मूल्यांकन के बाद नियुक्त किया जाता है और वे आवधिक कार्य-निष्पादन समीक्षा के अध्यधीन होते हैं और पीएफसी और सरकार के बीच वार्षिक एमओयू के संदर्भ में कंपनी के कार्य-निष्पादन की भी समय-समय पर समीक्षा की जाती है। बैठक में यह निर्णय किया गया कि बोर्ड का मूल्यांकन 5 जनवरी, 2017 के सेबी के गाइडेंस नोट के अनुरूप किया जायेगा।

101-345 वित्तीय विवरण

एकल (स्टैंडअलोन)

101 एकल वित्तीय विवरण पर स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

110 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

111 नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

112 एकल (स्टैंडअलोन) तुलन-पत्र

113 एकल (स्टैंडअलोन) लाभ और हानि विवरण

115 इक्विटी में परिवर्तन का एकल (स्टैंडअलोन) विवरण

117 एकल (स्टैंडअलोन) नकदी प्रवाह विवरण

119 एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

समेकित

202 समेकित वित्तीय विवरण पर स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

208 समेकित वित्तीय विवरण पर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां

210 समेकित तुलन-पत्र

212 समेकित लाभ और हानि विवरण

214 इक्विटी में परिवर्तन का समेकित विवरण

216 समेकित नकदी प्रवाह विवरण

218 समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

स्वतंत्र लेखापरीक्षक रिपोर्ट

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सदस्यों के लिए

एकल (स्टैंडअलोन) इंड एएस वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

राय

हमने पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (कंपनी) के एकल (स्टैंडअलोन) इंड एएस वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है जिसमें 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र तथा उस समय समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी में परिवर्तन विवरण तथा नकदी प्रवाह विवरण और लेखांकन की महत्वपूर्ण नीतियों का सारांश एवं अन्य व्याख्यात्मक सूचना (इसे यहां बाद में एकल इंड एएस वित्तीय विवरण कहा जायेगा) सहित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां शामिल हैं।

हमारी राय में तथा हमारी सर्वोत्तम सूचना के अनुसरण में और हमें प्रदान किए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपर्युक्त एकल कंपनी इंड एएस वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम 2013 ''अधिनियम'' द्वारा अपेक्षित सूचना कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम 2015, यथासंशोधित, ('इंड एएस') के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 में निर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानकों और भारत में लेखांकन के सामान्यतया स्वीकृत सिद्धांतों के अनुरूप अपेक्षित ढंग से प्रदान करते हैं ताकि 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार कंपनी के कार्यों की स्थिति, उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए लाभ तथा कुल व्यापक आय, इक्विटी में परिवर्तनों तथा नकदी प्रभावों की सही एवं उचित तस्वीर प्रदान की जा सके।

राय के लिए आधार

हमने एकल इंड 'एएस' वित्तीय विवरणों की अपनी लेखापरीक्षा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार की है। उन मानकों के अंतर्गत हमारी जिम्मेदारियों का वर्णन हमारी रिपोर्ट के एकल कंपनी इंड 'एएस' वित्तीय विवरण की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक की जिम्मेदारियों में भी किया गया है। नैतिकता की आवश्यकताओं, जो कंपनी अधिनियम, 2013 तथा इसके अंतर्गत बनाई गई नियमावली के प्रावधानों के अंतर्गत वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा से संगत हैं, के साथ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी की गई नैतिकता संहिता के अनुसरण में हम कंपनी से स्वतंत्र हैं और हमने इन आवश्यकताओं तथा नैतिकता संहिता के अनुसरण में नैतिकता की अपनी अन्य जिम्मेदारियों का निर्वहन किया है। हमारा यह विश्वास है कि हमने जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किया है वह एकल इंड 'एएस' वित्तीय विवरणों के बारे में हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त एवं उपयुक्त है।

विशेष ध्यान देने वाला मामला

हम एकल इंड 'एएस' वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 57 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जो कंपनी पर कोविड-19 महामारी के प्रभाव से संबंधित है। प्रबंधन का विचार है कि यह मानने का कोई कारण नहीं है कि महामारी का सतत आधार पर कंपनी की क्षमता पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। फिर भी, भावी अवधि में महामारी का दुष्प्रभाव अनिश्चित है और वह आने वाले वर्षों में क्षतिग्रस्तता भत्ते पर पड़ सकता है।

इस मामले में हमारी राय संशोधित नहीं है।

लेखा परीक्षा के प्रमुख मामले

लेखापरीक्षा के प्रमुख मामले ऐसे मामले हैं जो इन एकल इंड 'एएस' वित्तीय विवरणों के हमारे व्यावसायिक निर्णय में वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे। एकल इंड 'एएस' वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में इन मामलों पर संपूर्णता में तथा उन पर अपनी राय बनाने में ध्यान दिया गया है और हम इन मामलों पर अलग से राय प्रदान नहीं करते हैं। हमने नीचे उल्लिखित मामलों को लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण मामलों के रूप में सूचित करने के लिए निर्धारित किया है।

क्र.सं.	लेखापरीक्षा के प्रमुख मामले	लेखा परीक्षक का जवाब
1.	**वित्तीय लिखतों की क्रेडिट क्षतिग्रस्तता-ऋण परिसंपत्तियां** कंपनी निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित पद्धति का अनुपालन करती है, जिसमें हानि के लिए छूट का मूल्यांकन किसी बाहरी स्वतंत्र एजेंसी द्वारा किया जाता है, जिसमें ऋण जोखिम और हानि के साक्ष्य के स्तर के आधार पर परिसंपत्तियों को विभिन्न चरणों में वर्गीकृत करने के मानदंड/फ्रेमवर्क के संदर्भ में विभिन्न दिशा निर्देशों और प्रक्रियाओं को आधार बनाया जाता है। क्षतिग्रस्तता के मूल्यांकन के लिए सांख्यिकीय नमूनों का इस्तेमाल करना होता है, ताकि चूक की संभावनाओं, हानि के बारे में निर्दिष्ट चूक और चूक का प्रकटीकरण किया जा सके। ये नमूनें क्षतिग्रस्तता को मापने के प्रमुख संचालक हैं। क्षतिग्रस्तता छूट के मूलयांकन के लिए अंतर्निहित प्रमुख संकेतकों का प्रबंधन द्वारा सतत आधार पर मूल्यांकन किया जाता है।	**हमारी प्रक्रियाओं में शामिल हैं:** • कंपनी ने ऋण परिसंपत्तियों के वहन मूल्य का अनुमान लगाने के लिए स्वतंत्र विशेषज्ञ की सेवाओं का लाभ उठाया है। हमने कंपनी के आंतरिक दिशानिर्देशों और क्षतिग्रस्तता के लिए छूट के संबंध में प्रक्रियाओं और स्वतंत्र विशेषज्ञों के साथ साझा किए गए डेटा की पूर्णता और सटीकता के साथ विभिन्न नियामक अपडेट के साथ मानदंड/फ्रेमवर्क का सत्यापन किया है। • मानक लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं का इस्तेमाल करते हुए वसूलियां सत्यापित की गई हैं। ऋण की शेष राशि की पुष्टि की है और ऋणकर्ता की गुणवत्ता का मूल्यांकन किया है तथा प्रमुख नियंत्रण मानदंडों के साथ जांच की है। • हमने अंतर्निहित परिकल्पनाओं और व्यापक ईसीएल मूल्यांकन पद्धति की समीक्षा की है और अपने विचार साझा किए हैं।

क्र.सं.	लेखापरीक्षा के प्रमुख मामले	लेखा परीक्षक का जवाब
	सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र जहां हमने अधिक मात्रा में प्रबंधन के निर्णय की पहचान की है, इस प्रकार हैं: • क्रेडिट रिस्क में उल्लेखनीय वृद्धि (एसआईसीआर) - कंपनी ने इंड एएस में परिभाषित संकेतक के आधार पर एसआईसीआर को वर्गीकृत किया है, चूक की संभावनाओं (पीडी) और हानि निर्दिष्ट चूक (एलजीडी) का अनुमान लगाया है, तथा चरण-III के वहन मूल्य का अलग अलग मूल्यांकन किया है - यदि भावी नकदी प्रवाह और परिसंपत्ति मूल्यांकन के आधार पर अलग अलग हानियों का समुचित अनुमान नहीं लगाया गया हो, तो ऋणकर्ताओं के ऋणों और अग्रिमों में महत्वपूर्ण गलत बयानी हो सकती है। इन मामलों का प्रभाव यह है कि अपने जोखिम मूल्यांकन के भाग के रूप में हमने निर्धारित किया कि ईसीएल के मूल्य में अनुमान संबंधी उच्च स्तर की अनिश्चितता है। एकल इंड एएस वित्तीय विवरणों में कुल परिसंपत्तियों के प्रतिशत के रूप में ऋण परिसंपत्तियों की राशि के महत्व को देखते हुए, हमारी लेखा परीक्षा में ऋण परिसंपत्तियों की हानि लेखा परीक्षा संबंधी एक प्रमुख मामला है।	• तृतीय पक्ष द्वारा क्षतिग्रस्तता छूट संबंधी अध्ययन के घटकों और गणनाओं की जांच की गई, प्रबंधन के साथ उन पर विचार विमर्श किया गया और उन पर भरोसा व्यक्त किया गया। हमने मान्य क्रेडिट क्षतिग्रस्तता प्रभार और प्रावधान तथा संबंधित प्रकटीकरण को स्वीकार्य और संतोषजनक समझा है।
2.	**उचित मूल्य पर डेरिवेटिव वित्तीय लिखतों का मूल्यांकन** कंपनी ने बोर्ड द्वारा अनुमोदित मुद्रा जोखिम प्रबंधन नीति के अनुसार अपनी मुद्रा तथा ब्याज दर जोखिम के प्रबंधन के लिए आरबीआई के दिशा-निर्देशों के अनुसरण में डेरिवेटिव संविदाएं की हैं। इन डेरिवेटिव संविदाओं को या तो एफवीटीपीएल अथवा कुछ डेरिवेटिव संविदाओं को नकदी प्रवाह हेज (हेज लेखांकन) के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। एफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत डेरिवेटिव्स पर बाजार लाभ/हानि को लाभ एवं हानि खाते में मान्यता दी जाती है और हेज लेखांकन को अन्य व्यापक आय के रूप में मान्यता दी जाती है। महत्वपूर्ण प्रकटीकरण और इस तथ्य को देखते हुए कि इन अपेक्षाओं/परिकल्पनाओं/आकलन का अनुबंध से संबद्ध बैंक द्वारा अनुचित प्रयोग करने से आय के विवरण में महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है, हमने डेरिवेटिव वित्तीय लिखतों के मूल्यांकन तथा हेज लेखांकन को लेखा परीक्षा का महत्वपूर्ण मामला समझा है।	**हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में निम्नांकित शामिल हैं:** प्रबंधन की धारणा पर विमर्श और समझ तथा कंपनी की जोखिम प्रबंधन नीति का अध्ययन। इंड एएस 109 के संदर्भ में डेरिवेटिव के उचित मूल्य का सत्यापन। डेरिवेटिव लिखतों के वर्गीकरण पर प्रमुख आंतरिक नियंत्रण का मूल्यांकन। कंपनी ने प्रतिपक्षी बैंकों से डेरिवेटिव का उचित मूल्यांकन प्राप्त किया। हमारी प्रक्रिया में 31 मार्च, 2020 को बकाया विभिन्न वित्तीय डेरिवेटिव संविदाओं के ब्यौरे और उनके उचित मूल्य का मूल्यांकन शामिल है। इसके अतिरिक्त, हम डेरिवेटिव अनुबंधों के बाजार आधारित लाभ अथवा हानि की गणना को सत्यापित करते हैं, जो डेरिवेटिव अनुबंधों के मामले में लाभ एवं हानि खाते में और हेज नकदी प्रवाह के अंतर्गत डेरिवेटिव अनुबंधों के मामले में अन्य व्यापक आय के तहत मान्य है। हमें प्रतिपक्षी बैंकों से प्राप्त डेरिवेटिव अनुबंधों के उचित मूल्यांकन में कोई महत्वपूर्ण गलत बयानी नहीं मिली।
3.	**कोविड-19 महामारी को देखते हुए वैकल्पिक लेखापरीक्षा प्रक्रिया** कोविड-19 महामारी को देखते हुए और नतीजतन सरकार/स्थानीय प्रशासन द्वारा 25 मार्च, 2020 से शुरू होने वाली अवधि के दौरान सरकार/स्थानीय प्रशासन द्वारा राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन और यात्रा संबंधी प्रतिबंधों के कारण कंपनी के परिसरों में भौतिक रूप से लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं संचालित नहीं की जा सकीं। सांविधिक लेखापरीक्षा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अपेक्षित दस्तावेज/सूचना प्रदान करने की व्यवस्था के माध्यम से एक वैकल्पिक लेखापरीक्षा प्रक्रिया के रूप में की गई। हमने ऐसी वैकल्पिक लेखापरीक्षा प्रक्रिया को लेखा परीक्षा का एक महत्वपूर्ण मामला समझा है।	वैकल्पिक लेखापरीक्षा प्रक्रिया के एक हिस्से के रूप में, कंपनी ने हमें निम्नलिखित सूचना/ रिकॉर्ड/ दस्तावेज/ स्पष्टीकरण ई-मेल और अपने रिमोट सुरक्षित नेटवर्क के माध्यम से उपलब्ध कराए: - (क) आवश्यक अभिलेख/दस्तावेज विलेख, प्रमाणपत्र और अन्य संबंधित अभिलेखों की स्कैन की गई प्रतियां ई-मेल या कंपनी के रिमोट सुरक्षित नेटवर्क के माध्यम से उपलब्ध कराई गई; और (ख) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वार्ताओं और फोन पर विचार विमर्श, ई-मेल तथा इसी तरह के अन्य संचार माध्यमों से पूछताछ के जरिए जानकारी उपलब्ध कराई गई। प्रबंधन द्वारा यह भी सुनिश्चित किया गया है कि हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्य से इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध कराए गए आंकड़े और जानकारी सही, पूर्ण, विश्वसनीय है और सीधे कंपनी की लेखा प्रणाली से सृजित की गई है, जो कंपनी के रिकॉर्ड और फाइलों से निकाली गई है, जिसमें हाथ से कोई संशोधन नहीं किया गया है ताकि उनकी निष्ठा, प्रामाणिकता, पठनीयता और पूर्णता बनाए रखी जा सके। इसके अलावा, विभिन्न आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्टों/निरीक्षण रिपोर्टों की हमारी समीक्षा के आधार पर, हमारे संज्ञान में कुछ भी नहीं आया है जिससे यह आशंका हो कि ऐसी वैकल्पिक लेखापरीक्षा प्रक्रिया पर्याप्त नहीं होगी।

अन्य मामले:

1. कंपनी ने उसके द्वारा नियुक्त स्वतंत्र विशेषज्ञ एजेंसी द्वारा प्रदान किए गए दस्तावेज के आधार पर, इंड एएस 109 के तहत अपेक्षित ऋण परिसंपत्तियों और असंवितरित लेटर ऑफ कम्फर्ट के संदर्भ में संभावित क्रेडिट क्षतिग्रस्तता को मान्यता दी है। चूंकि गणना मापदंडों के लिए कुछ तकनीकी और पेशेवर विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है, इसलिए हमने उक्त स्वतंत्र विशेषज्ञ एजेंसी द्वारा प्रदान की गई अपेक्षित क्रेडिट क्षतिग्रस्तता गणना पर भरोसा किया है।

2. 31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए एकल इंड एएस वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा कंपनी के तत्कालीन संयुक्त लेखा परीक्षकों द्वारा की गई थी, जिनमें से एक पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा कंपनी है, और

जिसमें इंड एएस वित्तीय विवरणों के बारे में 29 मई, 2019 को एक असंशोधित राय व्यक्त की थी।

हमारी राय में उपरोक्त मामलों के संदर्भ में एकल इंड एएस वित्तीय विवरण संशोधित नहीं हैं।

एकल इंड एएस वित्तीय विवरणों से अलग जानकारी और तत्संबंधी लेखापरीक्षक की रिपोर्ट से अलग जानकारी

कंपनी का निदेशक मंडल अन्य जानकारी तैयार करने के लिए जिम्मेदार है। अन्य जानकारी के अंतर्गत सम्बद्ध अनुबंधों सहित निदेशक मंडल की रिपोर्ट, प्रबंधन विमर्श और विश्लेषण, व्यावसाय दायित्व रिपोर्ट और निगमित शासन संबंधी रिपोर्ट शामिल है, लेकिन उसमें एकल इंड एएस वित्तीय विवरण और हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट शामिल नहीं है। ऊपर वर्णित जानकारी इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तारीख के बाद हमें उपलब्ध कराए जाने की संभावना है।

एकल इंड एएस वित्तीय विवरणों के बारे में हमारी राय के अंतर्गत अन्य जानकारी शामिल नहीं है और हम उस पर निष्कर्ष रूप में कोई आश्वासन व्यक्त नहीं कर रहे हैं।

एकल इंड एएस वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी यह है कि ऊपर पहचान की गई अन्य जानकारी उपलब्ध होने पर हम उसे पढ़ें और ऐसा करते समय यह विचार करें कि क्या अन्य जानकारी एकल इंड एएस वित्तीय विवरणों या हमारी लेखापरीक्षा के साथ महत्वपूर्ण रूप से असंगत है अथवा अन्यथा भौतिक रूप से गलत प्रतीत होती है। अगर, हमने जो काम किया है, उसके आधार पर, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य जानकारी की सामग्री गलत है, तो हमारे लिए उस तथ्य की रिपोर्ट करना आवश्यक है।

अन्य जानकारी पढ़ने के बाद यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इसमें कोई महत्वपूर्ण गलत बयानी हुई है, तो हमें ऐसे मामले की जानकारी प्रशासनिक रूप से प्रभारी अधिकारियों को देनी होगी और परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक तथा प्रयोज्य कानूनों और विनियमों के अनुरूप समुचित कार्रवाई करनी होगी।

एकल इंड एएस वित्तीय विवरणों के संबंध में प्रबंधन और शासन से सम्बद्ध प्रभारी अधिकारियों का दायित्व

कंपनी का निदेशक मंडल अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों सहित भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखांकन के सिद्धांतों के अनुसरण में कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्य-निष्पादन, इक्विटी में परिवर्तन तथा नकदी प्रवाह की सही एवं निष्पक्ष तस्वीर प्रदान करने वाले इन एकल कंपनी इंड एएस वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 134 (5) में उल्लिखित मामलों के लिए जिम्मेदार है। इस जिम्मेदारी में कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा तथा धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं का निवारण करने एवं पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसरण में समुचित लेखांकन रिकॉर्ड रखना, समुचित लेखांकन नीतियों का चयन करना और लागू करना, युक्तिसंगत एवं विवेकपूर्ण निर्णय करना और अनुमान लगाना तथा ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन तैयार करना, लागू करना और बनाए रखना भी शामिल है, जो एकल इंड एएस वित्तीय विवरण तैयार करने एवं प्रस्तुत करने के लिए संगत लेखा रिकॉर्डों की परिशुद्धता एवं पूर्णता सुनिश्चित करने में लागू किए गए जो धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण होने वाली किसी बड़ी गलत बयानी से मुक्त सही एवं निष्पक्ष चित्र प्रस्तुत करते हैं।

एकल इंड एएस वित्तीय विवरण तैयार करने में, प्रबंधन सतत सरोकार के रूप में जारी रखने की कंपनी की सामर्थ्य का मूल्यांकन करने, सतत सरोकार के संबंध में यथालागू प्रकटन करने तथा लेखांकन के सतत सरोकार आधार का प्रयोग करने के लिए जिम्मेदार है जब तक कि प्रबंधन कंपनी का परिसमापन नहीं करना चाहता है या प्रचालन बंद नहीं करना चाहता है अथवा ऐसा करने के अलावा कोई वास्तविक विकल्प न हो।

निदेशक मंडल कंपनी की एकल इंड एएस वित्तीय रिपोर्टिंग की प्रक्रिया पर नजर रखने के लिए भी जिम्मेदार हैं।

इंड एएस वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के संबंध में लेखा परीक्षक के दायित्व

हमारा उद्देश्य इस बारे में तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या कुल मिलाकर इंड एएस एकल वित्तीय विवरण महत्वपूर्ण मिथ्या वर्णन से मुक्त हैं, क्या जालसाजी या त्रुटि के कारण लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में कोई मुद्दा है जिसमें हमारी राय शामिल है। तर्कसंगत आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है परंतु यह इस बात की गारंटी नहीं है कि इंड एएस के अनुसरण में संचालित लेखापरीक्षा हमेशा किसी महत्वपूर्ण मिथ्या वर्णन का पता लगाएगी जब यह मौजूद होगा। मिथ्या वर्णन धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकता है तथा तब महत्वपूर्ण माना जाता है जब व्यक्तिगत रूप से या सकल रूप में उनसे तर्कसंगत रूप से इन इंड एएस एकल वित्तीय विवरणों के आधार पर प्रयोक्ता द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की उम्मीद हो सकती है।

इंड एसए के अनुसरण में लेखापरीक्षा के अंग के रूप में हम पूरी लेखापरीक्षा के दौरान व्यावसायिक निर्णय का प्रयोग करते हैं और व्यावसायिक संशयवाद का पालन करते हैं। हम:

- इंड एएस वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण मिथ्या वर्णन के जोखिमों की पहचान करते हैं एवं इस बात का मूल्यांकन करते हैं कि क्या धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण डिजाइन तथा लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं इन जोखिमों के लिए जिम्मेदार हैं और लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करते हैं जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त एवं उपयुक्त है। धोखाधड़ी से उत्पन्न किसी महत्वपूर्ण मिथ्या वर्णन का पता न लगाने का जोखिम त्रुटि से उत्पन्न जोखिम से बड़ा है क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, इरादतन भूल, गलत प्रस्तुति या आंतरिक नियंत्रण का उल्लंघन शामिल हो सकता है।

- परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं डिजाइन करने के उद्देश्य से लेखापरीक्षा से संगत आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करते हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(3)(i) के अंतर्गत हम इस बारे में अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी ने पर्याप्त आंतरिक वित्तीय प्रणाली स्थापित की है और ऐसे नियंत्रणों का कारगर ढंग से प्रचालन किया जा रहा है।

- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता तथा प्रबंधन द्वारा व्यक्त किए गए लेखांकन के अनुमानों एवं संबद्ध प्रकटनों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करते हैं।

- लेखांकन के सतत सरोकार आधार के प्रबंधन के प्रयोग की उपयुक्तता तथा प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं कि क्या घटनाओं या परिस्थितियों से संबंधित कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है जिससे सतत सरोकार के रूप में जारी रखने के लिए कंपनी के सामर्थ्य पर महत्वपूर्ण संदेह उत्पन्न हो सकता है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है, तो इंड एएस वित्तीय विवरणों में संबद्ध प्रकटन पर हमें अपनी लेखापरीक्षक रिपोर्ट में ध्यान आकृष्ट करना होता है अथवा यदि ऐसा प्रकटन पर्याप्त नहीं होता है, तो हमें अपनी राय में संशोधन करना होता है। हमारे निष्कर्ष हमारी लेखापरीक्षक रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। तथापि, भावी घटनाओं या परिस्थितियों के कारण कंपनी का सुनाम प्रतिष्ठान के रूप में काम करना बंद हो सकता है।

- प्रकटनों सहित इंड एएस वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना एवं विषय-वस्तु का मूल्यांकन करते हैं और यह भी मूल्यांकन करते हैं कि क्या इंड एएस इंड एएस वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेन-देन एवं घटनाओं को ऐसे ढंग से दर्शाते हैं जिससे उचित प्रस्तुति प्राप्त होती है।

इंड एएस एकल वित्तीय विवरणों में गलत बयानी अपने आकार के अनुसार महत्वपूर्ण होती है जो व्यक्तिगत रूप से या सकल रूप में यह संभव बनाती है कि वित्तीय विवरणों का तर्कसंगत ज्ञान रखने वाले प्रयोक्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम (i) अपने कार्य के परिणामों के मूल्यांकन में तथा लेखा परीक्षा

के अपने कार्यक्षेत्र की आयोजना में और (ii) इंड एएस वित्तीय विवरणों में किसी चिह्नित मिथ्या कथन के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए मात्रात्मक अहमियत तथा गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं।

हम शासन की जिम्मेदारी वहन करने वाले अधिकारियों को अन्य बातों के अतिरिक्त, लेखा परीक्षा के नियोजित कार्यक्षेत्र एवं समय तथा आंतरिक नियंत्रण में किसी महत्वपूर्ण कमी, जिसकी हम अपनी लेखा परीक्षा के दौरान पहचान करते हैं, सहित लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण निष्कर्षों के संबंध में जानकारी देते हैं।

हम अभिशासन की जिम्मेदारी संभालने वाले अधिकारियों को यह विवरण भी प्रदान करते हैं कि हमने स्वतंत्रता और उनके साथ सभी संबंधों एवं अन्य मामलों और जहां लागू है, संबंधित सुरक्षा उपायों के बारे में संचार करने के संबंध में नैतिकता की संगत आवश्यकताओं का पालन किया है, जिनके बारे में तर्कसंगत रूप से विचार किया जा सकता है कि उनका हमारी स्वतंत्रता से सरोकार है।

अभिशासन की जिम्मेदारी संभालने वाले अधिकारियों के साथ संप्रेषित मामलों से हम ऐसे मामलों का निर्धारण करते हैं जो वर्तमान अवधि के इंड एएस वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे और इसलिए लेखापरीक्षा के प्रमुख मामले हैं। हम अपनी लेखापरीक्षक रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं, जब तक कि कानून या विनियम मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटन पर रोक न लगाए या जब अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में हम निर्धारण करते हैं कि हमारी रिपोर्ट में कोई मामला संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के प्रतिकूल परिणामों से तर्कसंगत रूप से ऐसे संचार के जनहित में लाभों पर भारी पड़ने की आशंका हो।

अन्य विधिक और नियामक अपेक्षाओं के बारे में रिपोर्ट

1. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप-धारा (11) के अनुसार भारत सरकार द्वारा जारी किए गए कंपनी (लेखापरीक्षक रिपोर्ट) आदेश, 2016 (आदेश) की अपेक्षा के अनुसार, हमने आदेश के पैरा 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर अनुलग्नक "क" में विवरण प्रदान किया है।

2. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा 5 के अनुसार जांच किए जाने वाले क्षेत्रों का उल्लेख करते हुए निर्देश जारी किए हैं जिसके अनुपालन का उल्लेख अनुलग्नक "ख" में किया गया है।

3. अधिनियम की धारा 143 (3) की अपेक्षा के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

   (क) हमने ऐसी समस्त जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं, जो हमारे पूर्ण ज्ञान और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिए अनिवार्य थे;

   (ख) हमारी राय में, कंपनी द्वारा कानून की अपेक्षा के अनुसार समुचित लेखा बहियां रखी गई हैं, जैसा कि इन बहियों की हमारी जांच से प्रतीत होता है;

   (ग) इस रिपोर्ट में उल्लिखित तुलन-पत्र, लाभ एवं हानि विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी में परिवर्तन संबंधी विवरण तथा नकदी प्रवाह विवरण लेखा बहियों के अनुसार हैं;

   (घ) हमारी राय में, उपर्युक्त एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरण कंपनी नियमावली, 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 में निर्दिष्ट लेखांकन मानकों के अनुरूप हैं;

   (ड.) कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 05 जून, 2015 को जारी की गई अधिसूचना संख्या जीएसआर 463(ई) के अनुसार, अधिनियम की धारा 164(2) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं हैं क्योंकि यह सरकारी कंपनी है;

   (च) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता तथा ऐसे नियंत्रणों के प्रचालन की कारगरता के संबंध में अनुलग्नक-ग में हमारी अलग रिपोर्ट देखें;

   (छ) कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 5 जून, 2015 की अधिसूचना संख्या जीएसआर 463(ई) के अनुसार, निदेशकों के पारिश्रमिक संबंधी अधिनियम की धारा 187 कंपनी पर लागू नहीं है क्योंकि यह सरकारी कंपनी है।

   (ज) कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियमावली, 2014 के नियम 11 के अनुसरण में लेखापरीक्षक रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संदर्भ में, हमारी राय में और हमारी पूर्ण जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार:

      (i) कंपनी ने अपने वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव का खुलासा किया है-एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 42 देखें,

      (ii) कंपनी के पास डेरिवेटिव संविदाओं सहित कोई दीर्घावधि संविदा नहीं थी जिसके लिए कोई सारवान पूर्वाभासी क्षति हुई।

      (iii) निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में अंतरित की जाने वाली अपेक्षित निधि के अंतरण में कंपनी ने कोई देरी नहीं की है।

कृते **गांधी मिनोचा एंड कंपनी**
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या: 000458N

हस्ता/-
सीए मनोज भारद्वाज
भागीदार
सदस्यता संख्या: 098606
यूडीआईएन: 20098606 AAAABY6975

कृते **दास गुप्ता एंड एसोसिएट्स**
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या: 000112N

हस्ता/-
सीए अशोक कुमार जैन
भागीदार
सदस्यता संख्या: 090563
यूडीआईएन: 20090563 AAAAAR7259

तारीख: 24 जून, 2020
स्थान: नई दिल्ली

एकल इंड एएस वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर स्वतंत्र लेखापरीक्षक रिपोर्ट का अनुलग्नक – क

(31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए एकल कंपनी इंड एएस वित्तीय विवरणों पर पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सदस्यों के लिए हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के 'अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट, शीर्षक के अंतर्गत पैरा 1 देखें)

(i) (क) कंपनी ने मात्रात्मक ब्योरा तथा अचल परिसंपत्तियों की स्थिति सहित पूर्ण विवरण दर्शाते हुए समुचित रिकॉर्ड रखा है।

(ख) जैसा कि हमें स्पष्टीकरण दिया गया है कि प्रबंधन वर्ष में एक बार अचल परिसंपत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन करता है। हमारी राय में, कंपनी के आकार तथा उसकी परिसंपत्तियों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए प्रत्यक्ष सत्यापन की बारंबारता तर्कसंगत है। जैसा कि हमें बताया गया है कि ऐसे प्रत्यक्ष सत्यापन पर प्रबंधन द्वारा कोई महत्वपूर्ण विसंगति नहीं पाई गई जिसके लिए किसी समायोजन की आवश्यकता है।

(ग) हमें प्रदान की गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों, हमारे द्वारा जांच किए गए रिकॉर्डों के अनुसार तथा हमें उपलब्ध कराए गए वाहन विलेखों/पंजीकृत बिक्री विलेख की जांच के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि स्वत्व विलेख, जिसमें भूमि एवं भवनों की सभी अचल संपत्तियां शामिल हैं जो फ्री होल्ड हैं, तुलन-पत्र की तारीख को कंपनी के नाम में धारित हैं। भूमि एवं भवन की अचल परिसंपत्तियां जिन्हें पट्टे पर लिया गया है, के संबंध में पट्टा करार कंपनी के नाम में हैं।

(ii) कंपनी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी है। तद्नुसार यह किसी मालसूची (इन्वेंट्री) की धारक नहीं है। इस प्रकार कंपनी (लेखापरीक्षक रिपोर्ट) आदेश, 2016 का खंड 3 (ii) लागू नहीं होता है।

(iii) जैसा कि हमें बताया गया है और बहियों एवं रिकॉर्डों से सत्यापित किया गया है, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के अंतर्गत अनुरक्षित रजिस्टर में शामिल कंपनियों, फर्मों या अन्य पक्षकारों को कोई प्रतिभूत या अप्रतिभूत ऋण मंजूर नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, कंपनी (लेखापरीक्षक रिपोर्ट) आदेश, 2016 के खंड 3 (iii) (क), (ख) और (ग) कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(iv) कंपनी ने ऐसा कोई ऋण, निवेश, गारंटी या प्रतिभूति प्रदान नहीं की है, जो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 185 और 186 के अंतर्गत शामिल हो सकता है।

(v) हमें प्रदान की गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 73 से 76 या किसी अन्य संगत प्रावधान तथा कंपनी (जमा राशि की स्वीकृति) नियमावली, 2014 के अंतर्गत वर्ष के दौरान जनता से कोई जमा राशि स्वीकार नहीं की है।

(vi) केंद्र सरकार ने कंपनी द्वारा प्रदान की जाने वाली किसी सेवा के लिए अधिनियम की धारा 148 की उप-धारा 1 के अंतर्गत लागत रिकॉर्डों के अनुरक्षण का प्रावधान नहीं किया है। तद्नुसार, कंपनी (लेखापरीक्षक रिपोर्ट) आदेश 2016 का खंड 3 (vi) कंपनी पर लागू नहीं होता है।

(vii) सांविधिक देय राशियों के संबंध में, हमें प्रदान की गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के आधार पर तथा कंपनी के रिकॉर्डों की हमारी जांच के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

(क) कंपनी भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, वस्तु एवं सेवा कर तथा इस पर यथा लागू अन्य महत्वपूर्ण सांविधिक देय राशि सहित अविवादित सांविधिक देय राशियों को उपयुक्त प्राधिकारियों के पास नियमित रूप से जमा कर रही है तथा कंपनी के लेखों के अनुसार 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार देय होने की तारीख से 6 माह से अधिक अवधि के लिए उपर्युक्त देय राशियों के संबंध में कोई अविवादित राशि बकाया नहीं है।

(ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा प्रबंधन द्वारा प्रमाणित जानकारी के अनुसार सक्षम प्राधिकारियों के समक्ष मामले लंबित होने के कारण ₹ 21.84 करोड़ की सांविधिक बकाया राशि जमा नहीं कराई गई है, जिसका ब्योरा नीचे दिया गया है:-

संविधि का नाम	बकाया राशि का स्वरूप	कुल विवादित बकाया राशि (रुपए)	विरोध के अधीन भुगतान की गई राशि (रुपए)	बकाया राशि (रुपए)	अवधि, जिसके लिए राशि बकाया है	फोरम, जहां विवाद लंबित है
वित्त अधिनियम 1994 का अध्याय v	सेवा कर और दंड राशि	86,55,830.00	5,90,170.00	80,65,660.00	1 अप्रैल, 2011 से 31 दिसंबर, 2015 तक	सीईएसटीएटी दिल्ली
		16,91,418.00	शून्य	16,91,418.00	1 जनवरी, 2016 से 30 नवंबर, 2016 तक	आयुक्त सीई एंड एसटी एलटीयू नई दिल्ली
		13,56,179.00	शून्य	13,56,179.00	1 दिसंबर, 2016 से 30 जून, 2017 तक	प्रधान आयुक्त सीई एंड एसटी एलटीयू नई दिल्ली
आयकर अधिनियम 1961	आयकर	17,64,18,418	11,60,08,439	6,04,09,979.00	निर्धारण वर्ष 2016-17	सीआईटी (अपील)-22 दिल्ली
आयकर अधिनियम 1961	दंड राशि	25,91,23,160	11,22,44,267	14,68,78,893.00	निर्धारण वर्ष 2014-15	सीआईटी (अपील)-22 दिल्ली

(viii) हमें प्रदान की गई सूचना तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्डों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने तुलन पत्र की तारीख तक किसी वित्तीय संस्था, बैंक, सरकार को ऋणों को चुकता करने या डिबेंचर धारकों की देय राशियों का भुगतान करने में चूक नहीं की है।

(ix) वर्ष के दौरान सभी प्रकार के ऋण लिखतों तथा सावधि ऋणों के माध्यम से कंपनी द्वारा जुटाए गए धन का प्रयोग उन्हीं प्रयोजनों के लिए किया गया है जिसके लिए यह जुटाया गया।

(x) हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें प्रदान की गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कोई धोखाधड़ी या इसके अधिकारियों एवं कार्मिकों द्वारा कंपनी पर कोई धोखाधड़ी नोटिस या सूचित नहीं किया गया है।

(xi) हमें प्रदान की गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार, चूंकि यह सरकारी कंपनी है, इसलिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 इस पर लागू नहीं होती है। तद्नुसार, कंपनी (लेखापरीक्षक रिपोर्ट) आदेश, 2016 का खंड 3 (xi) लागू नहीं होता है।

(xii) हमें प्रदान की गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी कोई निधि कंपनी नहीं है। अतः कंपनी पर निधि नियमावली, 2014 लागू नहीं होती है। तद्नुसार, कंपनी (लेखापरीक्षक रिपोर्ट) आदेश, 2016 का खंड 3 (xii) लागू नहीं होता है।

(xiii) हमें प्रदान की गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा कंपनी के रिकॉर्डों की हमारी जांच के आधार पर, संबद्ध पक्षकारों के साथ सभी लेन-देन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और 188 के अनुपालन में हैं। जहां भी लागू हो, लेखांकन मानक की आवश्यकता के अनुसार इंड एएस वित्तीय विवरणों में ब्योरों का प्रकटीकरण किया गया है।

(xiv) हमें प्रदान की गई सूचना तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्डों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने वर्ष के दौरान शेयरों या पूर्णतः अथवा अंशतः परिवर्तनीय डिबेंचरों का कोई अधिमानी आबंटन या निजी (प्राइवेट) प्लेसमेंट नहीं किया है।

(xv) हमें प्रदान की गई सूचना तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्डों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने निदेशकों या उनसे संबद्ध व्यक्तियों के साथ ऐसा कोई गैर-नकदी लेन-देन नहीं किया है जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 192 के अंतर्गत शामिल है।

(xvi) कंपनी गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी है और भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-1क के अंतर्गत पंजीकरण प्राप्त किया है।

कृते **गांधी मिनोचा एंड कंपनी**
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या: 000458N

हस्ता/-
सीए मनोज भारद्वाज
भागीदार
सदस्यता संख्या: 098606
यूडीआईएन: 20098606 AAAABY6975

कृते **दास गुप्ता एंड एसोसिएट्स**
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या: 000112N

हस्ता/-
सीए अशोक कुमार जैन
भागीदार
सदस्यता संख्या: 090563
यूडीआईएन: 20090563 AAAAAR7259

तारीख: 24 जून, 2020
स्थान: नई दिल्ली

एकल (स्टैंडअलोन) इंड एएस वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर स्वतंत्र लेखापरीक्षक रिपोर्ट का अनुलग्नक – ख

(31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए एकल कंपनी इंड एएस वित्तीय विवरणों पर पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सदस्यों के लिए हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के 'अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट' शीर्षक के अंतर्गत पैरा 2 देखें)

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(5) के अंतर्गत आवश्यकता के अनुसार, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किए गए निदेशों के संबंध में, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

निर्देश	उत्तर
क्या कंपनी ने ऐसी प्रणाली कायम की है, जिससे सभी लेखांकन लेनदेन आईटी प्रणाली के जरिए प्रोसेस किया जा सके? यदि हां, तो कृपया बताएं कि आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन प्रोसेस करने के लेखों की सत्यता पर क्या प्रभाव पड़े।	हां, कंपनी ने सभी लेखांकन लेनदेन आईटी प्रणाली के जरिए प्रोसेस करने की योजना बनाई है। अपनी लेखापरीक्षा के दौरान हमारे द्वारा किए गए सत्यापन के आधार पर और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार हमें कोई ऐसा उदाहरण नहीं मिला, जिसका लेखों की सत्यनिष्ठा पर गंभीर प्रभाव पड़ने की आशंका हो।
क्या ऋण को चुकता करने में कंपनी की असमर्थता के कारण ऋणदाता द्वारा कंपनी को प्रदान किए गए किसी मौजूदा ऋण या ऋणों/ ब्याज आदि के छूट/ बट्टे खाते के मामलों का कोई पुनर्गठन किया गया है? यदि हां, तो वित्तीय प्रभाव के बारे में बताएं।	ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया और कंपनी ने अपने ऋणों और ऋण संबंधी राशियों का भुगतान नियमित रूप से किया है।
क्या केंद्र सरकार/राज्य सरकार की एजेंसियों से विशिष्ट स्कीमों के लिए प्राप्त/प्राप्य निधियों को निबंधन एवं शर्तों के अनुसार समुचित रूप से लेखांकित/प्रयुक्त किया गया; विचलन के मामलों को सूचीबद्ध करें।	समेकित विद्युत विकास कार्यक्रम (विलयित आर- एपीडीआरडीपी) के अंतर्गत परियोजनाओं/कार्यक्रमों के लिए विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी की गई निधियों को समुचित रूप से लेखांकित किया गया है तथा संस्वीकृति की निबंधन एवं शर्तों तथा दिशा-निर्देशों के अनुसार लाभार्थियों को जारी की गई हैं।

कृते **गांधी मिनोचा एंड कंपनी**
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या: 000458N

हस्ता/-
सीए मनोज भारद्वाज
भागीदार
सदस्यता संख्या: 098606
यूडीआईएन: 20098606 AAAABY6975

कृते **दास गुप्ता एंड एसोसिएट्स**
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या: 000112N

हस्ता/-
सीए अशोक कुमार जैन
भागीदार
सदस्यता संख्या: 090563
यूडीआईएन: 20090563 AAAAAR7259

तारीख: 24 जून, 2020
स्थान: नई दिल्ली

एकल इंड एएस वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर स्वतंत्र लेखापरीक्षक रिपोर्ट का अनुलग्नक – ग

(31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर पावर फाइनेंस कॉर्पोशन लिमिटेड के सदस्यों के लिए हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के 'अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट' शीर्षक के अंतर्गत पैरा 3(च) देखें)

कंपनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के अंतर्गत एकल कंपनी इंड एएस वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के बारे में रिपोर्ट

हमने 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार एकल कंपनी इंड एएस वित्तीय विवरणों की अपनी लेखापरीक्षा के साथ इस तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए पावर फाइनेंस कॉर्परेशन लिमिटड एकल इंड एएस वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आतंरिक वित्तीय नियत्रंणों की लेखापरीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के संबंध में प्रबंधन का दायित्व

कंपनी का प्रबंधन आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की स्थापना एवं अनुरक्षण के लिए जिम्मेदार है जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के बारे में जारी की गई मार्ग-दर्शन टिप्पणियों में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण के लिए स्थापित मानदंड पर आधारित थे। इन जिम्मेदारियों में वित्तीय विवरणों के संदर्भ में ऐसे समुचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन तैयार करना, उनका कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है, जो इसके व्यवसाय का सुचारू और सक्षम संचालन सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से लागू किए गए। इनमें कंपनियों की नीतियों का अनुसरण, उसकी परिसंपत्तियों का संरक्षण, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और अनुवेदन, लेखांकन के रिकॉर्डों की परिशुद्धता और पूर्णताः और कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत अपेक्षित विश्वसनीय वित्तीय सूचना समय पर तैयार करना भी शामिल है।

लेखापरीक्षकों का दायित्व

हमारी जिम्मेदारी अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर राय जाहिर करने की है। इन वित्तीय विवरणों पर हमने अपनी लेखापरीक्षा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के बारे में जारी और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप-धारा 10 के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के लिए प्रयोज्य सीमा तक निर्धारित समझे गए 'मार्गदर्शन टिप्पणी'; मार्गदर्शन टिप्पणी) और लेखांकन मानकों के अनुसार की है इन मानकों एवं मार्गदर्शन टिप्पणियों के अंतर्गत यह अपेक्षित है कि हम नैतिकता की आवश्यकताओं का पालन करें तथा लेखापरीक्षा की योजना इस तरह बनाएं और इस तरह लेखापरीक्षा करें जिससे इस बात का युक्तिसंगत आश्वासन मिले कि क्या इंड एएस वित्तीय विवरणों के संदर्भ में इंड एएस वित्तीय विवरण स्थापित एवं अनुरक्षित हैं और क्या ऐसे नियंत्रण सभी महत्वपूर्ण मामलों में प्रभावी ढंग से काम कर रहे हैं।

इन मानकों एवं मार्गदर्शन टिप्पणियों के अंतर्गत यह अपेक्षित है कि ये दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा पर लागू होते हैं और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी किए गए हैं। इंड एएस वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, जोखिम जो महत्वपूर्ण कमजोरी मौजूद है, का आकलन करना और आकलित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण की डिजाइन एवं प्रचालन सक्षमता का परीक्षण एवं मूल्यांकन करना शामिल था। चुनी गई प्रक्रियाएं धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण इंड एएस वित्तीय विवरणों की महत्वपूर्ण गलत बयान के जोखिमों का मूल्यांकन सहित लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं।

हमारा यह विश्वास है कि हमने जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किया है वह वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त एवं उपयुक्त है।

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अर्थ

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में किसी कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली एक ऐसी प्रक्रिया है, जो वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के बारे में युक्तिसंगत आश्वासन प्रदान करने और आमतौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसरण में बाहरी प्रयोजनों के लिए इंड एएस वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए डिजाइन की जाती है। वित्तीय विवरणों के संदर्भ में किसी कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो (1) ऐसे रिकॉर्ड रखने से सबंधित हों, जो कंपनी की परिसंपत्तियों के लेन-देन और उनकी स्थिति को युक्तिसंगत, सही-सही और निष्पक्ष रूप से दर्शाती हों; (2) इस आशय का युक्तिसंगत आश्वासन प्रदान करती हों कि उनके लेने-देन का रिकॉर्ड आमतौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी की अनुमति की अपेक्षा के अनुसार रखा गया है और यह कि कंपनी की प्राप्तियां और व्यय कंपनी के प्रबंधन तथा निदेशकों के प्राधिकारों के अनुसार किए जा रहे हैं; और (3) कंपनी की परिसंपत्तियों के ऐसे अनाधिकृत अर्जन, इस्तेमाल या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के बारे में उपयुक्त आश्वासन प्रदान किया जा सके, जिनका इंड एएस वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने वाला हो।

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाएं

प्रबंधन की मिलीभगत अथवा उसके द्वारा नियंत्रणों के अनुचित प्रबंधन की आशंका सहित वित्तीय विवरणों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण त्रुटि या धोखाधड़ी की वजह से ऐसी महत्वपूर्ण गलत बयानी हो सकती है जिसका पता न लग पाए। इसके अतिरिक्त, भावी अवधियों से संबंधित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी मूल्यांकन के निष्कर्ष इस जोखिम के अधीन होते हैं कि स्थितियों में परिवर्तन के कारण वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो सकते हैं अथवा यह कि नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन का स्तर बिगड़ सकता है।

हमारी राय

हमारी राय में कंपनी में सभी महत्वपूर्ण दृष्टि से वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है तथा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा पर जारी किए गए मार्गदर्शन नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों को ध्यान में रखते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग की मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार वित्तीय विवरणों के संदर्भ में ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे।

कृते **गांधी मिनोचा एंड कंपनी**
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या: 000458N

हस्ता/-
सीए मनोज भारद्वाज
भागीदार
सदस्यता संख्या: 098606
यूडीआईएन: 20098606 AAAABY6975

तारीख: 24 जून, 2020
स्थान: नई दिल्ली

कृते **दास गुप्ता एंड एसोसिएट्स**
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या: 000112N

हस्ता/-
सीए अशोक कुमार जैन
भागीदार
सदस्यता संख्या: 090563
यूडीआईएन: 20090563 AAAAAR7259

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में,
निदेशक मंडल
पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड,
ऊर्जानिधि, 1 बाराखंबा लेन,
कनॉट प्लेस, नई दिल्ली - 110 001

प्रिय महोदय,

हमने पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (कंपनी) के एकल इंड एएस वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है जिसमें 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र तथा उस समय समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी में परिवर्तन विवरण तथा नकदी प्रवाह विवरण और लेखांकन की महत्वपूर्ण नीतियों का सारांश एवं अन्य व्याख्यात्मक सूचना (इसे यहां बाद में ''एकल वित्तीय विवरण'') सहित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां शामिल हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी लेखापरीक्षक रिपोर्ट (रिजर्व बैंक) निर्देश 2016 की अपेक्षा के अनुसार, कंपनी पर लागू सीमा तक उक्त निदेशों के अध्याय II में निर्दिष्ट मामलों पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

1. कंपनी गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था के व्यवसाय में लगी है, जिसके पास दिनांक 10 फरवरी, 1998 के पिछले प्रमाण-पत्र संख्या 14.00004 के बदले में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा संख्या बी-14.00004 के माध्यम से जारी किए गए दिनांक 28 जुलाई, 2010 के प्रमाण-पत्र के जरिए इंफ्रास्ट्रक्चर वित्त कंपनी के रूप में पंजीकरण का वैध प्रमाण-पत्र है। इसके अतिरिक्त, कंपनी 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार अपनी परिसंपत्ति/आय के पैटर्न के अनुसार ऐसे पंजीकरण का धारण जारी रखने के लिए हकदार है।

2. कंपनी मास्टर निर्देश गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - व्यवस्थित ढंग से महत्वपूर्ण गैर-जमा स्वीकार करने वाली कंपनी और जहां जमा स्वीकार करने वाली कंपनी (रिजर्व बैंक) निर्देश 2016 में निहित निर्देशों के अनुसार इंफ्रास्ट्रक्चर वित्त कंपनी पर लागू निवल स्वामित्व निधियों की आवश्यकता को पूरा कर रही है।

3. कंपनी आरबीआई के यहां गैर-जमा स्वीकार करने वाली इंफ्रास्ट्रक्चर वित्त कंपनी के रूप में पंजीकृत है। निदेशक मंडल ने 12 फरवरी, 2020 को आयोजित अपनी बैठक में वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान जनता से कोई जमा राशि स्वीकार न करने के लिए संकल्प पारित किया है।

4. कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान जनता से कोई जमा राशि स्वीकार नहीं की है।

5. वर्ष 2019-20 के लिए कंपनी के वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 133 के साथ पठित इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए सम्बद्ध नियमों के अनुसार तैयार किए गए हैं। तदनुरूप कंपनी ऋण परिसंपत्तियों और उनके वर्गीकरण में हानियों की गणना और तत्संबंधी प्रावधान की अनुमति के लिए अपने बोर्ड द्वारा अनुमोदित पद्धति का अनुपालन कर रही है। वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए कंपनी अधिनियम 2013 के नियामक अनुपालन को देखते हुए कंपनी को इंड एएस 109 के अनुसार हानियों के लिए प्रावधान करना होता है और आय मान्यता, लेखांकन मानकों, परिसंपत्ति वर्गीकरण और खराब एवं संदिग्ध ऋणों आदि के लिए प्रावधान (आईआरएसीपी) के संदर्भ में 2016 के दिशा निर्देशों का अनुपालन करने की आवश्यकता नहीं है। इस बारे में आरबीआई अधिसूचना संख्या डीओआर (एनबीएफसी) .सीसी. पीडी. संख्या 109/22.10.106/2019-20 दिनांक 13 मार्च, 2020 के अनुपालन में कंपनी ने आईआरएसीपी मानदंड (मानक परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान सहित) के अंतर्गत प्रावधान की गणना की है और कंपनी को हानि आरक्षी के अंतर्गत कोई राशि समायोजित करने की आवश्यकता नहीं है।

6. हमें प्रदान की गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार, पूंजी निधि, जोखिम परिसंपत्ति/एक्सपोजर तथा जोखिम परिसंपत्ति अनुपात का विवरण (एनबीएस-7 विवरणी) कंपनी द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 की सभी तिमाहियों के लिए संबंधित तिमाहियों के वित्तीय परिणामों के आधार पर दाखिल की गई है जिसे आरबीआई के मानदंडों के अनुपालन में सीआरएआर सहित निर्धारित अवधि के अंदर दाखिल करने की तारीख को तैयार किया गया है। इसके अतिरिक्त, 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों पर आधारित सीआरएआर ठीक से तैयार किया गया है तथा यह आरबीआई द्वारा न्यूनतम निर्धारित सीआरएआर के अनुपालन में है।

कृते **गांधी मिनोचा एंड कंपनी**
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या: 000458N

हस्ता/-
सीए मनोज भारद्वाज
भागीदार
सदस्यता संख्या: 098606
यूडीआईएन: 20098606 AAAABY6975

कृते **दास गुप्ता एंड एसोसिएट्स**
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या: 000112N

हस्ता/-
सीए अशोक कुमार जैन
भागीदार
सदस्यता संख्या: 090563
यूडीआईएन: 20090563 AAAAAR7259

तारीख: 24 जून, 2020
स्थान: नई दिल्ली

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6) (ख) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अनुसरण में 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड का वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 139 (5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक अधिनियम की धारा 143 (10) के अंतर्गत निर्धारित लेखापरीक्षा मानकों के अनुसरण में स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के अंतर्गत वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार हैं। हमें बताया गया है कि उन्होंने अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट दिनांक 24 जून, 2020 के माध्यम से ऐसा किया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से अधिनियम की धारा 143 (6) (क) के अंतर्गत 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की पूरक लेखापरीक्षा की है। यह पूरक लेखा परीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षक के कार्यकारी कागजातों तक पहुंच के बगैर स्वतंत्र रूप से की गई है तथा प्राथमिक रूप से सांविधिक लेखापरीक्षक एवं कंपनी के कार्मिकों से पूछताछ और कुछ लेखांकन रिकॉर्डों की वर्णनात्मक जांच तक सीमित है।

मेरी पूरक लेखापरीक्षा के आधार पर, मेरी जानकारी में ऐसा कुछ महत्वपूर्ण निकल कर नहीं आया है जिससे अधिनियम की धारा 143 (6) (ख) के अंतर्गत सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी की जा सके या उसमें कुछ जोड़ा जा सके।

कृते एवं की ओर से
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

हस्ता/-
(डी. के. सेकर)
लेखापरीक्षा महानिदेशक (ऊर्जा), नई दिल्ली

स्थान: नई दिल्ली
तारीख: 13 अगस्त, 2020

एकल तुलन-पत्र

31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	टिप्पणी सं.	31.03.2020 को	31.03.2019 को
	परिसंपत्तियां			
1.	**वित्तीय परिसंपत्तियां**			
	(क) नकदी और नकदी समतुल्य	7	182.52	310.09
	(ख) नकदी और नकदी समतुल्य में बैंक शेष से अन्य राशि शमिल है	8	16.47	13,890.52
	(ग) डेरिवेटिव वित्तीय लिखत	9	1,863.42	567.98
	(घ) ऋण	10	3,34,112.60	3,03,210.36
	(ङ) निवेश	11	16,473.32	16,586.20
	(च) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	12	5,339.12	5,330.96
	कुल वित्तीय परिसंपत्तियां (1)		**3,57,987.45**	**3,39,896.11**
2.	**गैर वित्तीय परिसंपत्तियां**			
	(क) वर्तमान कर परिसंपत्तियां (निवल)	13	651.31	498.42
	(ख) आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)	37	2,952.12	4,060.73
	(ग) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	14	31.35	27.74
	(घ) अमूर्त परिसंपत्तियां	14	0.41	0.59
	(ङ) राइट-ऑफ-यूज परिसंपत्तियां	15	35.75	-
	(च) अन्य गैर-वित्तीय परिसंपत्तियां	16	128.87	242.09
	कुल गैर-वित्तीय परिसंपत्तियां (2)		**3,779.81**	**4,829.57**
	कुल परिसंपत्तियां (1+2)		**3,61,787.26**	**3,44,725.68**
	देयताएं और इक्विटी			
	देयताएं			
1.	**वित्तीय देयताएं**			
	(क) डेरीवेटिव वित्तीय लिखत	9	599.82	505.59
	(ख) ऋण प्रतिभूतियां	17	2,21,847.67	2,05,584.49
	(ग) ऋण राशि (ऋण प्रतिभूतियों से अलग)	18	79,116.06	80,344.69
	(घ) सबॉर्डिनेटिड देयताएं	19	9,310.95	9,309.70
	(ङ) अन्य वित्तीय देयताएं	20	5,375.16	5,327.84
	कुल वित्तीय देयताएं (1)		**3,16,249.66**	**3,01,072.31**
2.	**गैर-वित्तीय देयताएं**			
	(क) वर्तमान कर देयताएं	13	0.11	0.53
	(ख) प्रावधान	21	264.29	264.00
	(ग) अन्य गैर-वित्तीय देयताएं	22	109.07	100.85
	कुल गैर-वित्तीय देयताएं		**373.47**	**365.38**
	कुल देयताएं		**3,16,623.13**	**3,01,437.69**
3.	**इक्विटी**			
	(क) इक्विटी शेयर पूंजी	23	2,640.08	2,640.08
	(ख) अन्य इक्विटी	24	42,524.05	40,647.91
	कुल इक्विटी (3)		**45,164.13**	**43,287.99**
	कुल देयताएं और इक्विटी (1+2+3)		**3,61,787.26**	**3,44,725.68**

संलग्न टिप्पणियां एकल कंपनी वित्तीय विवरण का अभिन्न अंग हैं।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

हस्ता/-
मनोहर बलवानी
कंपनी सचिव

हस्ता/-
एन. बी. गुप्ता
निदेशक (वित्त)
डीआईएन: 00530741

हस्ता/-
आर. एस. ढिल्लों
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 00278074

हमारी संलग्न समदिनांकित रिपोर्ट के संदर्भ में हस्ताक्षरित

कृते गांधी मिनोचा एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या: 000458N

हस्ता/-
सीए मनोज भारद्वाज
भागीदार
सदस्यता संख्या: 098606

कृते दास गुप्ता एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या: 000112N

हस्ता/-
सीए अशोक कुमार जैन
भागीदार
सदस्यता संख्या: 090563

तारीख: नई दिल्ली
दिनांक: 24 जून, 2020

एकल लाभ और हानि विवरण

दिनांक 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	टिप्पणी सं	31.03.2020 को	31.03.2019 को
	प्रचालन से राजस्व			
	(i) ब्याज आय	25	31,950.42	28,432.68
	(ii) लाभांश आय	39	1,289.52	167.03
	(iii) शुल्क और कमीशन आय	26	122.96	149.02
I.	**प्रचालन से कुल राजस्व**		**33,362.90**	**28,748.73**
II.	अन्य आय	28	8.16	17.58
III.	**कुल आय (I+II)**		**33,371.06**	**28,766.31**
	व्यय			
	(i) वित्तीय लागतें	29	21,853.19	18,987.60
	(ii) निवल परिवर्तन/अंतरण विनिमय हानि / (अभिलाभ)	40	2,633.42	520.25
	(iii) शुल्क एवं कमीशन व्यय	30	10.76	10.09
	(iv) उचित मूल्य में परिवर्तन पर निवल हानि/(अभिलाभ)	27	(699.05)	(84.98)
	(v) वित्तीय लिखतों पर क्षतिग्रस्तता (इंपेयरमेंट)	31	991.22	(871.48)
	(vi) कार्मिक हितलाभ व्यय	32	193.82	173.57
	(vii) मूल्य ह्रास और परिशोधन	14/15	9.10	6.14
	(viii) निगमित सामाजिक दायित्व व्यय	41	97.15	100.50
	(ix) अन्य व्यय	33	88.91	108.83
IV.	**कुल व्यय**		**25,178.52**	**18,950.52**
V.	**आपवादिक मदों एवं कर पूर्व लाभ / (हानि) (III-IV)**		**8,192.54**	**9,815.79**
VI.	**आपवादिक मदें**		**-**	**-**
VII.	**कर पूर्व लाभ / (हानि) (V-VI)**		**8,192.54**	**9,815.79**
	कर व्यय:	37		
	(1) वर्तमान कर:			
	- चालू वर्ष		1,406.73	2,346.50
	- पूर्ववर्ती वर्षों		17.75	1.22
	(2) आस्थगित कर		1,112.92	515.15
VIII.	**कुल कर व्यय**		**2,537.40**	**2,862.87**
IX.	**सतत प्रचालन से वर्ष के लिए लाभ/(हानि) (VII-VIII)**		**5,655.14**	**6,952.92**
X.	**बंद प्रचालन से वर्ष के लिए लाभ/(हानि) (कर उपरांत)**		**-**	**-**
XI.	**वर्ष के लिए लाभ/(हानि) (सतत और बंद प्रचालनों से) (IX+X)**		**5,655.14**	**6,952.92**
XII.	**अन्य व्यापक आय**			
(क)	(i) लाभ या हानि में वर्गीकृत न किए जाने वाले मद			
	- परिभाषित हितलाभ योजनाओं का पुनर्मूल्यांकन		(5.09)	(3.63)
	- इक्विटी लिखतों के उचित मूल्य पर निवल लाभ/(हानि)		(287.11)	(154.88)
	(ii) ऐसी मदों से संबंधित आयकर, जिन्हें हितलाभ या हानि के रूप में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा			
	- परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्मूल्यांकन		0.08	1.69
	उप जोड़ (क)		**(292.12)**	**(156.82)**

एकल लाभ और हानि विवरण

दिनांक 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	टिप्पणी सं	31.03.2020 को	31.03.2019 को
(ख)	(i) लाभ या हानि में पुनः वर्गीकृत किए जाने वाले मद			
	- नकदी प्रवाह हेज में हेजिंग लिखतों पर लाभ/(हानि) का प्रभावी हिस्सा		(46.74)	(77.08)
	(ii) ऐसी मदों से संबंधित आयकर, जिन्हें लाभ या हानि के रूप में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा			
	- नकदी प्रवाह हेज में हेजिंग लिखतों पर लाभ/(हानि) का प्रभावी हिस्सा		4.23	26.93
	उप जोड़ (ख)		**(42.51)**	**(50.15)**
	अन्य व्यापक आय (क+ख)		**(334.63)**	**(206.97)**
XIII.	**वर्ष के लिए कुल व्यापक आय (XI+XII)**		**5,320.51**	**6,745.95**
XIV.	**प्रति इक्विटी शेयर अर्जन (अंकित मूल्य रु. 10/- प्रत्येक): पर बुनियादी और तनुकृत आय**			
	(i) सतत प्रचालनों के लिए (₹ में)		21.42	26.34
	(ii) बंद प्रचालनों (₹ में)		-	-
	(iii) सतत और बंद प्रचालनों के लिए (₹ में)		21.42	26.34

संलग्न टिप्पणियां एकल कंपनी वित्तीय विवरण का अभिन्न अंग हैं।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

हस्ता/-
मनोहर बलवानी
कंपनी सचिव

हस्ता/-
एन. बी. गुप्ता
निदेशक (वित्त)
डीआईएन: 00530741

हस्ता/-
आर. एस. ढिल्लों
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 00278074

हमारी संलग्न समदिनांकित रिपोर्ट के संदर्भ में हस्ताक्षरित

कृते गांधी मिनोचा एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या: 000458N

हस्ता/-
सीए मनोज भारद्वाज
भागीदार
सदस्यता संख्या: 098606

कृते दास गुप्ता एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या: 000112N

हस्ता/-
सीए अशोक कुमार जैन
भागीदार
सदस्यता संख्या: 090563

तारीख: नई दिल्ली
दिनांक: 24 जून, 2020

इक्विटी में परिवर्तन का एकल (स्टैंडअलोन) विवरण

दिनांक 31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए

(क) इक्विटी शेयर पूंजी

(₹ करोड़ में)

विवरण	प्रारंभिक शेष	इस अवधि के दौरान परिवर्तन	अंतिम शेष
वि.व. 2018-19	2,640.08	-	**2,640.08**
वि.व. 2019-20	2,640.08	-	**2,640.08**

(ख) अन्य इक्विटी

(₹ करोड़ में)

विवरण	भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45-आईसी (1) के अंतर्गत सृजित विशेष आरक्षित निधि	आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36 (1) (viia) (X)	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1) (vii) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 1996-97 तक सृजित विशेष आरक्षित निधि	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1) (vii) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 1997-98 से सृजित एवं अनुरक्षित विशेष आरक्षित निधि	डिबेंचर मोचन आरक्षण निधि	प्रतिभूति प्रीमियम	विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद अतरण अंतर लेखा	ब्याज विभेद आरक्षित निधि - केएफडब्ल्यू ऋण	सामान्य आरक्षित निधियां	प्रतिधारित अर्जन	अन्य व्यापक आय के माध्यम से इक्विटी लिखित	नकदी प्रवाह हेजिंग में लिखतों पर लाभ/(हानि) का प्रभावी अंश	कुल
31 मार्च, 2018 को शेष	23.36	3,386.9	599.85	15,920.36	1,726.82	2,776.54	(356.41)	57.90	6,438.68	3,848.43	(106.25)	-	34,316.07
वर्ष के लिए लाभ										6,952.92			6,952.92
परिभाषित हितलाभ योजनाओं का पुनः मापन (कर को घटाकर)										(1.94)			(1.94)
अन्य व्यापक आय/(व्यय)											(154.88)	(50.15)	(205.03)
वर्ष के लिए व्यापक आय	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,950.98	(154.88)	(50.15)	6,745.95
प्रतिधारित आय में/से अंतरण	1,390.58	353.42	-	1,577.91	289.73	-	-	-	1,000.00	(4,597.08)	(14.56)	-	0.00
वर्ष के दौरान वृद्धि/विलोप (निवल)	-	-	-	-	(2.30)	-	(413.31)	2.10	-	0.20	(0.80)		(414.11)
31 मार्च, 2019 को शेष	**1,413.94**	**3,740.21**	**599.85**	**17,498.27**	**2,014.25**	**2,776.54**	**(769.72)**	**60.00**	**7,438.68**	**6,202.53**	**(276.49)**	**(50.15)**	**40,647.91**
वर्ष के लिए लाभ										5,655.14	-	-	5,655.14
परिभाषित हितलाभ योजनाओं का पुनः मापन (कर का निवल)										(5.01)	-	-	(5.01)
अन्य व्यापक आय/(व्यय)										-	(287.11)	(42.51)	(329.62)

इक्विटी में परिवर्तन का एकल (स्टैंडअलोन) विवरण

दिनांक 31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ करोड़ में)

विवरण	भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45-आईसी (1) के अंतर्गत सृजित विशेष आरक्षित निधि	आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36 (1) (viia) (X)	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1) (vii) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 1996-97 तक सृजित विशेष आरक्षित निधि	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1) (vii) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 1997-98 से सृजित एवं अनुरक्षित विशेष आरक्षित निधि	डिबेंचर मोचन आरक्षण निधि	प्रतिभूति प्रीमियम	विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद अतरण अंतर लेखा	ब्याज विभेद आरक्षित निधि - केएफडब्ल्यू ऋण	सामान्य आरक्षित निधियां	प्रतिधारित अर्जन	अन्य व्यापक आय के माध्यम से इक्विटी लिखित	नकदी प्रवाह हेजिंग में लिखतों पर लाभ/(हानि) का प्रभावी अंश	कुल
अवधि के लिए कुल व्यापक आय										5,650.13	(287.11)	(42.51)	5,320.51
लाभांश	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2,508.08)	-	-	(2,508.08)
लाभांश संवितरण कर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(264.79)	-	-	(264.79)
आरक्षित निधि में/से अंतरण	1,131.02	304.81	-	1,350.13	-	-	-	-	-	(2,785.96)	-	-	-
सामान्य आरक्षी में/से अंतराण	-	-	-	-	(2,014.25)	-	-	-	2,014.25	-	-	-	-
बट्टे खाते डाले गए अशोध्य ऋणों के प्रति आरक्षित निधि का उपयोग	-	(1,530.85)	-	-	-	-	-	-	1,530.85	-	-	-	-
एफवीटीओसीआई इक्विटी लिखतों की बिक्री/समाप्ति पर लाभ/(हानि) का पुनवर्गीकरण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(249.96)	249.96	-	-
वर्ष के दौरान संवर्धन/विलोप (निवल)	-	-	-	-	-	-	(671.46)	1.40	0.03	(1.47)	-	-	(671.50)
31 मार्च, 2019 को शेष	**2,544.96**	**2,514.17**	**599.85**	**18,848.40**	**-**	**2,776.54**	**(1,441.18)**	**61.40**	**10,983.81**	**6,042.40**	**(313.64)**	**(92.66)**	**42,524.05**

इसमें संलग्न टिप्पणियां समेकित वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

हस्ता/-
मनोहर बलवानी
कंपनी सचिव

हस्ता/-
एन. बी. गुप्ता
निदेशक (वित्त)
डीआईएन: 00530741

हस्ता/-
आर. एस. ढिल्लों
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 00278074

हमारी संलग्न समदिनांकित रिपोर्ट के संदर्भ में हस्ताक्षरित

कृते गांधी मिनोचा एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या: 000458N

कृते दास गुप्ता एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या: 000112N

हस्ता/-
सीए मनोज भारद्वाज
भागीदार
सदस्यता संख्या: 098606

हस्ता/-
सीए अशोक कुमार जैन
भागीदार
सदस्यता संख्या: 090563

तारीख: नई दिल्ली
दिनांक: 24 जून, 2020

एकल नकदी प्रवाह विवरण

31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2020 को		31.03.2019 को	
1.	**प्रचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह**				
	कर पूर्व लाभ	**8,192.54**		**9,815.79**	
	निम्नलिखित के लिए समायोजन:				
	संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की विमान्यता पर हानि (निवल)	0.96		0.32	
	मूल्य ह्रास और परिशोधन	9.10		6.14	
	जीरो कूपन बॉण्डों पर डिस्काउंट तथा वाणिज्यिक पत्र पर वित्तीय प्रभारों का परिशोधन	329.58		(136.83)	
	अप्राप्त विदेशी मुद्रा परिवर्तन क्षतिग्रस्तता/(अभिलाभ)	2,908.53		519.07	
	उचित मूल्य में निवल परिवर्तन	(699.05)		(84.98)	
	ऋणों पर प्रभावी ब्याज दर का प्रभाव	6.50		(10.47)	
	वित्तीय लिखतों पर हानि	991.22		(871.48)	
	निवेश पर ब्याज आय	(250.53)		(288.60)	
	सब्सिडी निधि ब्याज पर ब्याज	1.35		3.46	
	आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत ब्याज के लिए प्रावधान	0.17		5.86	
	प्रतिलेखित अतिरिक्त देयताएं	(0.18)		-	
	सेवा निवृत्ति लाभ आदि के लिए प्रावधान	44.44		56.09	
	लाभांश आय	(1,289.52)		(167.03)	
	ऋणों/ ऋण प्रतिभूतियों/ सबॉर्डिनेटिड देयताओं पर प्रभावी ब्याज सबॉर्डिनेटिड देयताएं	(188.06)		(0.35)	
	आयकर रिफंड पर ब्याज	0.66		(8.29)	
	पट्टा देयता पर ब्याज व्यय	0.77		-	
	कार्यशील पूंजी परिवर्तन पूर्व प्रचालन लाभ	**10,057.16**		**8,838.71**	
	वृद्धि/कमी				
	ऋण (निवल)	(32,097.93)		(36,321.76)	
	अन्य परिसंपत्तियां (वित्तीय और गैर वित्तीय)	13,891.09		(13,895.53)	
	डेरिवेटिव	(504.95)		11.00	
	अन्य परिसंपत्तियां; वित्तीय और गैर-वित्तीयद्ध	154.44		(668.69)	
	कर पूर्व प्रचालनों से नकदी प्रवाह	**(8,500.19)**		**(42,036.27)**	
	अदा किया गया आयकर	(1,584.39)		(2,544.76)	
	आयकर रिफंड	59.03		81.34	
	प्रचालन गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह		**(10,025.55)**		**(44,499.69)**
2.	**निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह**				
	संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के निस्तारण से प्राप्त राशि	0.07		0.11	
	संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण कर खरीद	(13.11)		(7.93)	
	सहायक कंपनियों में निवेश	-		(14,500.00)	
	निवेश पर ब्याज	250.32		243.25	
	निवेश पर लाभांश	1,289.52		167.03	
	अन्य निवेश में वृद्धि/कमी	29.12		277.97	
	निवेश गतिविधियों में प्रयुक्त निवल नकदी		**1,555.92**		**(13,819.57)**
3.	**वित्त पोषण की गतिविधियों से नकदी प्रवाह**				
	बॉण्डों का निर्गम (प्रीमियम सहित) (मोचन को घटाकर)	6,244.24		(8,957.74)	
	दीर्घावधि ऋण जुटाना (चुकोतियों को घटाकर)	10,895.44		35,678.55	
	विदेशी मुद्रा ऋण जुटाना (चुकौतियों को घटाकर)	15,293.94		9,634.40	
	सबॉर्डिनेटिड देयताएं जुटाना (मोचनों को घटाकर)	0.00		5,411.50	
	वाणिज्यिक पत्र जुटाना (चुकौतियों को घटाकर)	(10,000.00)		2,970.00	
	कार्यशील पूंजी मांग ऋण/ ओडी/ सीसी/ लाइन ऑफ क्रेडिट जुटाना (चुकौतियों का निवल)	(11,318.82)		13,357.18	
	अदावी बॉण्ड (निवल)	0.59		(2.78)	
	अदावी लाभांश (निवल)	0.32		0.53	
	अंतरिम लाभांश का भुगतान*	(2,508.08)		-	
	निगमित लाभांश कर का भुगतान	(264.79)		-	
	पट्टा देयता का भुगतान	(0.77)		-	
	वित्तीय गतिविधियों से निवल नकदी अंतर-प्रवाह		**8,342.06**		**5,8091.65**

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2020 को		31.03.2019 को	
	नकदी एवं नकदी समतुल्य में निवल वृद्धि एवं कमी	**(127.57)**			**(227.62)**
	जोड़ें: वित्तीय वर्ष के शुरू में नकदी एवं नकदी समतुल्य	310.09			537.71
	वित्तीय वर्ष के अंत में नकदी एवं नकदी समतुल्य		**182.52**		**310.09**
	वर्ष के अंत में नकदी एवं नकदी समतुल्य का ब्योरा				
	i) बैंकों में अधिशेष (नकदी एवं नकदी समतुल्य की प्रकृति का)				
	चालू खातों में	182.52		8.48	
	सावधि जमा खातों में		182.52	301.61	310.09
	ii) डाक व्यय एवं पेशगी सहित हाथ में चेक, ड्राफ्ट	-		-	
	वर्ष के अंत में कुल नकदी एवं नकदी समतुल्य		**182.52**		**310.09**

उपरोक्त नकदी प्रवाह विवरण इंड एएस 7 'नकदी प्रवाह विवरण' में निर्धारित अनुसार परोक्ष पद्धति के अंतर्गत तैयार किया गया है।

वित्तपोषण गतिविधियों से उत्पन्न देयताओं का समाधान

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	बॉण्ड/डिबेंचर	सावधि ऋण	विदेशी मुद्रा ऋण	कमर्शियल पेपर	डब्ल्यूसी डीएल आदि	सबॉर्डिनेटिड ऋण	कुल
	01 अप्रैल, 2018 को प्रारंभिक शेष	**1,90,028.53**	**10,524.99**	**18,260.08**	**6,924.74**	**-**	**3,800.00**	**2,29,538.35**
	वर्ष के दौरान नकदी प्रवाह	(8,957.74)	35,678.55	9,634.40	2,970.00	13,357.18	5,411.50	58,093.90
	निम्नलिखित के कारण गैर-नकदी परिवर्तन	42.00	-	-	(178.82)	-	-	(136.83)
	जीरो कूपन बॉण्ड पर डिस्काउंट/ कमर्शियल पेपर पर वित्तीय प्रभारों का परिशोधन							
	विनिमय दरों मे परिवर्तन	-	-	932.38	-	-	-	932.38
	31 मार्च, 2019 को अंतिम शेष	**1,81,112.79**	**46,203.54**	**28,826.86**	**9,715.92**	**13,357.18**	**9,211.50**	**2,88,427.80**
	वर्ष के दौरान नकदी प्रवाह	6,244.24	10,895.44	15,293.94	(10,000.00)	(11,318.82)	0.00	11,114.80
	निम्नलिखित के कारण गैर-नकदी परिवर्तन	45.49	-	-	284. 09	-	-	329.58
	जीरो कूपन बॉण्ड पर डिस्काउंट/ कमर्शियल पेपर पर वित्तीय प्रभारों का परिशोधन							
	विनिमय दरों में परिवर्तन	-	-	3,579.99	-	-	-	3,579.99
	31 मार्च, 2020 को अंतिम शेष	**1,87,402.52**	**57,098.98**	**47,700.79**	**0.00**	**2,038.36**	**9,211.50**	**3,03,452.17**

* नकदी प्रवाह विवरण में विदेशी मुद्रा नोट्स विदेशी मुद्रा ऋण का भाग हैं।

** नकदी प्रवाह विवरण में विदेशी मुद्रा ऋण तथा सिंडिकेटिड विदेशी मुद्रा ऋण का भाग है।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

हस्ता/-
मनोहर बलवानी
कंपनी सचिव

हस्ता/-
एन. बी. गुप्ता
निदेशक (वित्त)
डीआईएन: 00530741

हस्ता/-
आर. एस. ढिल्लों
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 00278074

हमारी संलग्न समदिनांकित रिपोर्ट के संदर्भ में हस्ताक्षरित

कृते गांधी मिनोचा एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या: 000458N

हस्ता/-
सीए मनोज भारद्वाज
भागीदार
सदस्यता संख्या: 098606

कृते दास गुप्ता एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या: 000112N

हस्ता/-
सीए अशोक कुमार जैन
भागीदार
सदस्यता संख्या: 090563

तारीख: नई दिल्ली
दिनांक: 24 जून, 2020

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

1. कंपनी के बारे में सूचना

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ('पीएफसी' या 'कंपनी') का निगमन वर्ष 1986 में हुआ। कंपनी का भारत में अवस्थित है और शेयरों द्वारा लिमिटेड कंपनी है, इसका पंजीकृत कार्यालय 'ऊर्जानिधि', 1, बाराखंबा लेन, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली - 110 001 में है।

यह कंपनी सरकारी कंपनी है जो विद्युत क्षेत्र को वित्तीय सहायता प्रदान करती है तथा प्रणालीगत दृष्टि से एक महत्वपूर्ण (जमा राशि स्वीकार न करने वाली या धारण न करने वाली) गैर बैंकिंग वित्त कंपनी (एनबीएफसी) है जो इंफ्रास्ट्रक्चर वित्त कंपनी (आईएफसी) के रूप में भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के यहां पंजीकृत है।

कंपनी के इक्विटी शेयर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) और बीएसई लिमिटेड में सूचीबद्ध हैं।

2. अनुपालन का विवरण

कंपनी के एकल वित्तीय विवरण कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमवाली, 2015 (यथा संशोधित) कंपनी अधिनियम 2013 के लागू प्रावधान और अन्य लागू नियामक मानकों/दिशानिर्देशों के अनुपालन में है।

3. ये एकल वित्तीय विवरण जारी करने के लिए दिनांक 24.06.2020 को कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किए गए हैं।

4. जारी किए गए परंतु अभी तक प्रभावी न किए गए मानदंड/संशोधन

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) ने मौजूदा मानदंडों में संशोधन या नए मानदंड जारी किए हैं। 31.03.2020 तक ऐसी कोई अधिसूचना नहीं थी जिसे 01.04.2020 से लागू किया जाना हो।

5. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

एकल वित्तीय विवरण तैयार करने में प्रयुक्त महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां नीचे दी गई हैं।

5.1 तैयारी और मापन आधार

ये एकल वित्तीय विवरण सतत सरोकार के आधार पर लेखांकन की प्रोद्भूत प्रणाली का पालन करते हुए तैयार किए गए। परिसंपत्तियों और देयताओं का मापन पिछली लागत या परिशोधित लागत या प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उचित मूल्य पर किया गया है।

उचित मूल्य वह कीमत है जो किसी परिसंपत्ति को बेचने या किसी देयता को बाजार प्रतिभागियों के बीच मापन तिथि पर व्यवस्थित लेन-देन में हस्तांतरित करने से प्राप्त हो सकता है, चाहे वह कीमत पालनीय हो या किसी अन्य मूल्यांकन तकनीक का उपयोग करते हुए आकलित की गई हो ।

इंड एएस अपेक्षाओं के अनुसार, उचित मूल्य मापन को लेवल 1, 2 अथवा 3 में वर्गीकृत किया गया है जिसका विवरण निम्नानुसार है:

- लेवल 1 इनपुट सक्रिय बाजारों में समान परिसंपत्तियों या देयताओं के लिए उद्धृत मूल्य (असमायोजित) है जो कंपनी को मापन तिथि पर मिल सकता है
- लेवल 2 इनपुट लेवल 1 में शामिल उद्धृत मूल्यों से अलग इनपुट है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से परिसंपत्ति या देयता के लिए पालनीय है।
- लेवल 3 इनपुट परिसंपत्ति या देयता के लिए वैसे इनपुट है जो पालनीय नहीं है।

5.2 नकदी और नकदी समतुल्य

नकदी में हाथ में नकदी और मांग जमा शामिल है। कंपनी सभी अल्पावधि अधिशेषों (जिनकी मूल परिपक्वता अवधि अधिग्रहण की तिथि से तीन माह या कम हो), उच्च लिक्विडिटी निवेश जो नकदी की ज्ञात राशियों में शीघ्रता से परिवर्तित किए जा सकते हैं, और जो मूल्य में परिवर्तनों के नगण्य जोखिम के अध्यधीन है।

5.3 डेरिवेटिव वित्तीय लिखत

(i) कंपनी ब्याज दर और विदेशी मुद्रा और विनिमय दर संबंधी किसी जोखिम के प्रबंधन के लिए प्रिंसिपल ओनली स्वैप, ब्याज दर स्वैप, विकल्प और वायदा संविदाएं जैसे कई डेरिवेटिव वित्तीय लिखतों का प्रयोग करती है।

(ii) कंपनी नकदी प्रवाह हेज या उचित मूल्य हेज के रूप में हेज संबंध के अंतर्गत कुछ डेरिवेटिव संविदाएं करती है।

नकदी प्रवाह हेज

डेरिवेटिव के उचित मूल्य में परिवर्तनों के प्रभावी अंश जो नकदी प्रवाह हेज के रूप में नामित किए जाते हैं और अर्हक हैं, को अन्य व्यापक आय में मान्य किया जाता है। निष्प्रभावी अंश से संबंधित अभिलाभ या हानि को तत्काल लाभ और हानि विवरण में मान्य किया जाता है। अन्य व्यापक आय में मान्य राशियां (जो प्रभावी अंश हैं) ऐसी अवधियों में लाभ और हानि विवरण में पुन: वर्गीकृत की जाती हैं जब हेज्ड मद लाभ या हानि को प्रभावित करती है।

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

उचित मूल्य हेज

डेरिवेटिव के नामित अंश के उचित मूल्य में परिवर्तन जो उचित मूल्य हेज के रूप में अर्हक होते हैं, लाभ और हानि विवरण में हेज्ड मद जो हेज्ड जोखिम पर आरोप्य होती है, के उचित मूल्य में किसी परिवर्तन के साथ तत्काल मान्य किए जाते हैं। हेजिंग लिखत के नामित अंश के मूल्य में परिवर्तन तथा हेज्ड जोखिम पर आरोप्य हेज्ड मद में परिवर्तन हेज्ड मद से संबंधित लाइन मद में लाभ एवं हानि विवरण में मान्य किए जाते हैं।

जब हेज्ड लिखत की अवधि समाप्त हो जाती है या कालातीत हो जाती है या प्रयुक्त हो जाती है या जब यह हेज लेखांकन के लिए अर्हक नहीं होती है, तो हेज लेखांकन बंद हो जाता है।

(iii) डेरिवेटिव, हेज संबंध के अंतर्गत नामित डेरिवेटिव लिखतों को छोड़कर, को शुरू में तिथि जब डेरिवेटिव लिखत के करार किए जाते हैं, को उचित मूल्य पर मान्य किया जाता है और इसके बाद प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उनके उचित मूल्य पर पुन: मापा जाता है। परिणामी अभिलाभ या हानि को लाभ एवं हानि विवरण में मान्य किया जाता है।

5.4 वित्तीय लिखत

वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं को तब मान्य किया जाता है, जब कंपनी वित्तीय लिखतों के संविदात्मक प्रावधानों का पक्षकार बन जाती है।

शुरूआती मान्यता पर वित्तीय परिसंपत्तियों एवं वित्तीय देयताओं को उचित मूल्य प्लस/माइनस लेन-देन लागत पर मान्य किया जाता है जो वित्तीय परिसंपत्तियों एवं वित्तीय देयताओं के अधिग्रहण या निर्गम पर आरोप्य है। ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियों एवं देयताओं के मामले में जो लाभ एवं हानि के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीपीएल) पर मान्य की जाती हैं, उसकी लेन-देन लागत लाभ एवं हानि विवरण में मान्य की जाती है।

5.4.1 वित्तीय परिसंपत्तियां

वित्तीय परिसंपत्तियों की सभी नियमित बिक्री या क्रय को निपटान की तारीख के आधार पर मान्य एवं विमान्य किया जाता है। वित्तीय परिसंपत्तियों का नियमित क्रय या बिक्री ऐसी बिक्री या क्रय है जिसके लिए बाजार स्थल में विनियम या अभिसमय द्वारा स्थापित समय सीमा के अंदर परिसंपत्तियों की डिलीवरी करने की आवश्यकता होती है।

शुरूआती मान्यता के बाद, वित्तीय परिसंपत्तियों के वर्गीकरण के आधार पर परिशोधित लागत या उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियों को बाद में पूर्णत: मापा जाता है।

(i) वित्तीय परिसंपत्तियों (इक्विटी लिखतों से भिन्न) का वर्गीकरण एवं मापन

(क) परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियां:
निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने वाली वित्तीय परिसंपत्तियों को बाद में प्रभावी ब्याज दर विधि (ईआईआर) का प्रयोग करके परिशोधित लागत पर मापा जाता है:

- परिसंपत्ति किसी व्यवसाय मॉडल के अंतर्गत धारित की जाती है जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करने के लिए परिसंपत्तियों का धारण करना है; और
- परिसंपत्ति की संविदात्मक शर्तें निर्धारित तारीखों को नकदी प्रवाहों को जन्म देती हैं जो बकाया मूलधन पर मूलधन एवं ब्याज के अनन्य भुगतान (एसपीपीआई) हैं।

प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) विधि

प्रभावी ब्याज दर विधि वित्तीय परिसंपत्ति की परिशोधित लागत की गणना करने तथा अपेक्षित जीवनकाल में ब्याज आय आवंटित करने की विधि है। ईआईआर विधि का प्रयोग करते समय कंपनी सामान्यतया किसी शुल्क, लेन-देन लागत तथा अन्य प्रीमियम या डिस्काउंट जो किसी वित्तीय लिखत की प्रभावी ब्याज दर का अभिन्न अंग है, परिशोधित करती है।

एफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत वित्तीय परिसंपत्तियों को छोड़कर वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए प्रभावी ब्याज दर आधार पर लाभ एवं हानि विवरण में आय को मान्य किया जाता है।

वित्तीय परिसंपत्ति की शुरूआती मान्यता पर ईआईआर का निर्धारण किया जाता है। इसके बाद संबंधित संविदा की शर्तों के अनुसरण में प्रत्येक रीसेट पर ईआइआर को अपडेट किया जाता है।

वित्तीय परिसंपत्तियों की शर्तों पर पुन: वार्ता होने पर बाजार संचालित से भिन्न ब्याज दर मूवमेंट, संशोधन से पूर्व परिगणित पिछले ईआइआर का प्रयोग करके मापे गए किसी अभिलाभ/हानि को उस अवधि में लाभ एवं हानि विवरण में मान्य किया जाता है जिसके दौरान ऐसी पुन: वार्ता होती है।

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

(ख) अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीओसीआई) पर वित्तीय परिसंपत्तियां

यदि निम्नलिखित दोनों शर्तें पूरी होती हैं, तो एफवीटीओसीआई पर वित्तीय परिसंपत्ति का मापन किया जाता है:

- व्यवसाय मॉडल का उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह के संग्रहण तथा वित्तीय परिसंपत्तियों की बिक्री दोनों द्वारा प्राप्त किया जाता है; और
- परिसंपत्ति की संविदात्मक शर्तें निर्धारित तिथियों को नकदी प्रवाहों को जन्म देती हैं जो बकाया मूलधन पर मूलधन एवं ब्याज के अनन्य भुगतान (एसपीपीआई) हैं।

(ग) लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां (एफवीटीपीएल)

किसी वित्तीय परिसंपत्ति को एफवीटीपीएल पर मापा जाता है, जब तक कि उसे लाभ एवं हानि विवरण में मान्य उचित मूल्य में सभी परिवर्तनों के साथ परिशोधित लागत या एफवीटीओसीआई पर मापा न गया हो।

व्यवसाय मॉडल

किसी भी वित्तीय परिसंपत्ति के वर्गीकरण के लिए वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रबंधन के व्यवसाय मॉडल का निर्धारण मूल आवश्यकता है। कंपनी अपने व्यवसाय मॉडल इस स्तर पर निर्धारित करती है जिससे ये पता चल सके कि नकदी प्रवाह सृजित करने के विशिष्ट उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कितनी वित्तीय परिसंपत्तियां एक साथ व्यवस्थित की गई है। कंपनी का व्यवसाय मॉडल निर्धारण लिखत दर लिखत आधार की अपेक्षा समुच्चय के उच्च स्तर पर निष्पादित किया जाता है।

कंपनी का व्यवसाय विद्युत क्षेत्र की पूरी मूल्य श्रृंखला में ऋण उपलब्ध कराना है। और इन ऋणों का प्रबंधन ऋण अवधि के दौरान संविदात्मक नकदी प्रवाह बनाए रखने के लिए किया जाता है। इसके अलावा संविदात्मक नकदी प्रवाह संग्रह के लिए कंपनी अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों का भी उपयोग कर सकती है।

(ii) इक्विटी लिखतों का वर्गीकरण एवं मापन

सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों एवं सहयोगी कंपनियों में इक्विटी निवेश से भिन्न सभी इक्विटी निवेश उचित मूल्य पर मापे जाते हैं। ट्रेडिंग के लिए धारित की गई इक्विटी लिखतों को एफवीटीपीएल पर वर्गीकृत किया जाता है। सभी अन्य इक्विटी लिखतों के लिए कंपनी शुरूआती मान्यता पर उसे एफवीटीओसीआई या एफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत करने के लिए अप्रतिसंहार्य चुनाव करती है। कंपनी लिखत दर लिखत आधार पर ऐसा चुनाव करती है।

एफवीटीओसीआई के रूप में वर्गीकृत इक्विटी निवेश को शुरू में उचित मूल्य प्लस लेन-देन लागत पर मापा जाता है। उसके बाद उसे उचित मूल्य पर मापा जाता है और उचित मूल्य में सभी परिवर्तनों को अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में मान्य किया जाता है और आरक्षित निधि में संचित किया जाता है। निवेश की बिक्री पर भी ओसीआई से लाभ एवं हानि विवरण में राशियों की कोई रिसाइक्लिंग नहीं होती है। तथापि, कंपनी इक्विटी के अंदर उसका अंतरण करती है।

एफवीटीपीएल श्रेणी में शामिल इक्विटी लिखतों को लाभ एवं हानि विवरण में मान्य सभी परिवर्तनों के साथ उचित मूल्य पर मापा जाता है।

(iii) वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षतिग्रस्तता

(क) शुरूआती मान्यता के बाद, कंपनी इंड एएस 109 वित्तीय लिखत के अंतर्गत आवश्यकता के अनुसार परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों पर अपेक्षित क्रेडिट हानि (ईसीएल) को मान्य करती है। ऋण परिसंपत्तियों से भिन्न ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियों पर ईसीएल को आजीवन अपेक्षित हानियों के बराबर राशि पर मापा जाता है। कंपनी वित्तीय लिखतों पर क्षतिग्रस्तता के रूप में लाभ एवं हानि विवरण में ईसीएल प्रभार या रिवर्सल (जहां निवल राशि विशिष्ट अवधि के लिए ऋणात्मक अधिशेष है) दर्शाती है।

ईसीएल की मान्यता एवं मापन के लिए क्षतिग्रस्तता की आवश्यकताओं को एफवीटीओसीआई पर ऋण परिसंपत्ति पर समान रूप से प्रयुक्त किया जाता है, सिवाय इसके कि ईसीएल को अन्य व्यापक आय में मान्य किया जाता है और तुलनपत्र में वहन राशि से कटौती नहीं की जाती है।

(ख) चुकौती आश्वासन पत्र (एलओसी) के अंतर्गत ऋण परिसंपत्तियों की क्षतिग्रस्तता एवं प्रतिबद्धताएं:

कंपनी आजीवन ईसीएल के समान राशि पर ऋण परिसंपत्तियों पर ईसीएल का मापन करती है, यदि क्रेडिट क्षतिग्रस्तता होती है या शुरूआती मान्यता के बाद क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि (एसआईसीआर) हुई है। यदि शुरूआती मान्यता की तुलना में कोई एसआईसीआर नहीं होता है तो कंपनी 12 माह के ईसीएल के बराबर राशि पर ईसीएल मापती है। इस बात का मूल्यांकन करते समय कि शुरूआती मान्यता के बाद कोई एसआईसीआर है, कंपनी तर्कसंगत एवं समर्थनीय सूचना पर विचार करती है जो अनुचित लागत या प्रयास के बगैर उपलब्ध होती है। यदि कंपनी पिछली अवधि में आजीवन ईसीएल के रूप में हानि छूट का मापन करती है परंतु परवर्ती अवधि में निर्धारित करती है कि क्रेडिट की गुणवत्ता में सुधार के कारण शुरूआती मान्यता के बाद कोई एसआईसीआर नहीं है, तो कंपनी पुन: 12 माह के ईसीएल के आधार पर हानि छूट का मापन करती है।

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

ईसीएल क्रेडिट क्षतिग्रस्त ऋण परिसंपत्तियों के लिए व्यक्तिगत आधार पर मापा जाता है तथा अन्य ऋण परिसंपत्तियों पर यह सामान्यतया सजातीय समूहों का प्रयोग करके सामूहिक आधार पर मापा जाता है।

कंपनी ऋण परिसंपत्तियों की तरह समान आधार पर एलओसी के अंतर्गत प्रतिबद्धताओं पर क्षतिग्रस्तता का मापन करती है।

(ग) परिणामी हानियों एवं रिवर्सल को लाभ एवं हानि विवरण में मान्य किया जाता है।

(iv) वित्तीय परिसंपत्तियों की विमान्यता

कंपनी किसी वित्तीय परिसंपत्ति को तब विमान्य करती है जब संपत्ति से नकदी प्रवाह के संविदात्मक अधिकार समाप्त हो जाते हैं या जब यह किसी दूसरे पक्षकार को वित्तीय परिसंपत्ति तथा परिसंपत्ति के स्वामित्व के सारवान रूप से सभी जोखिमों एवं इनामों को अंतरित कर देती है।

किसी वित्तीय परिसंपत्ति की पूर्णत: विमान्यता पर, परिसंपत्ति की वहन राशि एवं प्राप्त और प्राप्य प्रतिफल की रकम तथा संचयी अभिलाभ या हानि जिसे अन्य व्यापक आय में मान्य किया गया था और इक्विटी में संचित किया गया था, के बीच अंतर को लाभ एवं हानि विवरण में मान्य किया जाता है यदि ऐसे अभिलाभ या हानि को उस वित्तीय परिसंपत्ति के निपटान पर लाभ एवं हानि विवरण में अन्यथा मान्य किया गया है।

5.4.2 वित्तीय देयताएं

(i) डेरिवेटिव तथा वित्तीय गारंटी संविदाओं से भिन्न सभी वित्तीय देयताओं को बाद में प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) विधि का प्रयोग करके परिशोधित लागत पर मापा जाता है।

वित्तीय देयता की शुरूआती मान्यता पर ईआईआर का निर्धारण किया जाता है। इसके बाद संबंधित संविदा की शर्तों के अनुसरण में रीसेट की संबंधित तारीख को परिवर्तनशील ब्याज दर वाली वित्तीय देयताओं के लिए ईआइआर को अपडेट किया जाता है।

(ii) वित्तीय गारंटी

कंपनी द्वारा जारी की गई वित्तीय गारंटी को शुरू में उचित मूल्य पर मापा जाता है और यदि एफवीटीपीएल पर नामित नहीं है, तो बाद में निम्नलिखित के उच्चतर स्तर पर मापा जाता है:

- गारंटी के फलस्वरूप उत्पन्न किसी वित्तीय बाध्यता के निपटान के लिए अपेक्षित व्यय का सर्वोत्तम अनुमान; और
- उपयुक्त होने पर लाभ एवं हानि विवरण में मान्य आय की संचयी राशि को घटाकर शुरू में मान्य की गई राशि।

(iii) वित्तीय परिसंपत्तियों की विमान्यता

कंपनी वित्तीय देयताओं को तब और केवल तभी विमान्य करता है जब कंपनी की बाध्यताएं उन्मुक्त, रद्द या कालातीत हो जाती हैं। विमान्य वित्तीय देयता की वहन राशि और संदत्त एवं संदेय प्रतिफल के बीच अंतर को लाभ और हानि विवरण में मान्य किया जाता है।

5.5 सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों और सहयोगी कंपनियों में निवेश

सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों और सहयोगी कंपनियों में निवेश के इक्विटी शेयरों में निवेश को लागत पर लेखांकित किया जाता है।

5.6 संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण (पीपीई) तथा मूल्यहास

(i) शुरू में पीपीई की मदों को लागत पर मान्य किया जाता है। इसके बाद फ्रीहोल्ड भूमि जिसके लिए मूल्यहास नहीं किया जाता है, को छोड़कर, संचित मूल्यहास एवं संचित क्षतिग्रस्तता हानि को घटाकर लागत पर मापन किया जाता है। सक्रिय प्रयोग से निवृत्त तथा निस्तारण के लिए धारित पीपीई की मद को उसके बही मूल्य या निवल वसूली योग्य मूल्य के निचले स्तर पर व्यक्त किया जाता है।

(ii) प्रयोग के लिए रखी गई परिसंपत्तियों के मामले में, अंतिम निपटान के वर्ष में आवश्यक समायोजन के अध्यधीन अनुमोदित बिलों या संविदाओं के अनुसार किए गए कार्य के अनुमानित मूल्य जहां अंतिम बिल अभी तक प्राप्त/अनुमोदित नहीं हुआ है, के आधार पर पूंजीकरण किया जाता है।

(iii) पीपीई की किसी मद के प्रतिस्थापित पार्ट की लागत को मद की वहन राशि में मान्य किया जाता है यदि ऐसी संभावना होती है कि पार्ट में शामिल भावी आर्थिक लाभ कंपनी को प्रवाहित होंगे तथा उसकी लागत का मापन विश्वसनीय ढंग से किया जा सकता है। प्रतिस्थापित पार्ट की वहन राशि विमान्य की जाती है। पीपीई की अनुरक्षण या सर्विसिंग लागत को व्यय के अनुसार लाभ और हानि विवरण में मान्य किया जाता है।

(iv) निर्माणाधीन पीपीई को लागत पर अग्रेनीत किया जाता है तथा कोई मान्य क्षतिग्रस्तता हानि घटाई जाती है। पीपीई की ऐसी मदों को संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की उपयुक्त श्रेणियों में तब वर्गीकृत किया जाता है जब वे पूर्ण और आशयित प्रयोग के लिए तैयार हो जाती हैं। अन्य परिसंपत्तियों की तरह इन परिसंपत्तियों का मूल्यहास तब शुरू होता है जब परिसंपत्तियां अपने आशयित प्रयोग के लिए तैयार हो जाती हैं।

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

(v) सेल फोनों को छोड़कर, जहां कंपनी द्वारा उपयोगी जीवनकाल 2 वर्ष के रूप में निर्धारित किया गया है, अनुमानित उपयोगी जीवनकाल में ह्रासित मूल्य विधि के अनुसार उनके अवशिष्ट मूल्य को घटाकर परिसंपत्ति की लागत को बट्टे खाते में डालने के लिए मूल्यह्रास मान्य किया जाता है जो कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-II में निर्धारित जीवनकाल के समान है। पीपीई की मूल लागत के 5 प्रतिशत के रूप में अवशिष्ट मूल्य निर्धारित किया जाता है।

(vi) वर्ष के दौरान पीपीई में वृद्धि/कटौती पर मूल्य ह्रास को उस माह से/तक यथा अनुपात आधार पर प्रभारित किया जाता है जिसमें प्रयोग के लिए परिसंपत्ति उपलब्ध है/निपटान की गई है।

(vii) निपटान पर या परिसंपत्ति का प्रयोग जारी रखने से भविष्य में कोई आर्थिक लाभ प्राप्त होने की उम्मीद न होने पर पीपीई की किसी मद को विमान्य किया जाता है। पीपीई की किसी मद की विमान्यता पर उत्पन्न किसी अभिलाभ या हानि का निर्धारण बिक्री की निवल आय तथा परिसंपत्ति की वहन राशि के बीच अंतर के रूप में किया जाता है और उसे लाभ और हानि विवरण में मान्य किया जाता है।

(viii) क्रय के वर्ष में ₹5,000/- तक की लागत वाले पीपीई की प्रत्येक मद का पूर्णत: मूल्यह्रास किया जाता है।

5.7 अमूर्त परिसंपत्तियां एवं परिशोधन

(i) निश्चित उपयोगी जीवनकाल वाली अमूर्त परिसंपत्तियों जिनकी अलग से खरीद की जाती है, को लागत पर मान्य किया जाता है। लागत में परिसंपत्ति के आशयित प्रयोग के लिए उसे तैयार करने के लिए कोई सीधे आरोप्य आवश्यक आनुषंगिक व्यय शामिल होता है। परवर्ती मापन लागत पर किया जाता है जिसमें से संचित परिशोधन एवं संचित क्षतिग्रस्तता क्षति, यदि कोई हो, घटाई जाती है। परिशोधन को उनके अनुमानित उपयोगी जीवनकाल में सीधी रेखा आधार पर मान्य किया जाता है।

(ii) किए गए व्यय जो अमूर्त परिसंपत्तियों के तहत पूंजीकरण के लिए पात्र हैं, को उनके आशयित प्रयोग के लिए तैयार रहने तक विकास के अधीन अमूर्त परिसंपत्ति के रूप में अग्रेनीत किया जाता है।

(iii) निश्चित उपयोगी जीवनकाल वाली अमूर्त परिसंपत्तियों का उपयोगी जीवनकाल कंपनी द्वारा 5 वर्ष के रूप में अग्रेनीत किया गया है।

(iv) निपटान पर या जब प्रयोग अथवा निपटान से किसी भावी आर्थिक लाभ की उम्मीद नहीं होती है तब अमूर्त परिसंपत्तियों को विमान्य किया जाता है। किसी अमूर्त परिसंपत्ति की विमान्यता से उत्पन्न किसी अभिलाभ या हानि का निर्धारण निपटान की निवल आय तथा परिसंपत्ति की वहन राशि के बीच अंतर के रूप में किया जाता है और उसे लाभ और हानि विवरण में मान्य किया जाता है।

5.8 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक परिसंपत्तियां

(i) प्रावधानों को तब मान्य किया जाता है जब किसी पिछली घटना के फलस्वरूप कंपनी की कोई मौजूदा कानूनी या निर्माणकारी बाध्यता होती है, यदि इस बात की संभावना होती है कि कंपनी से बाध्यता का निपटान करने की अपेक्षा होगी और बाध्यता की राशि के लिए विश्वसनीय ढंग से अनुमान लगाया जा सकता है।

(ii) प्रावधान के रूप में स्वीकृत राशि बाध्यता से जुड़े जोखिमों और अनिश्चितताओं को ध्यान में रखते हुए रिपोर्टिंग अवधि के अंत में मौजूदा बाध्यता के निपटान के लिए अपेक्षित प्रतिफल का सर्वोत्तम अनुमान होती है।

(iii) जब कुछ या सभी आर्थिक लाभों का निपटान करने की आवश्यकता होती है, तो तीसरे पक्षकार से प्रावधान प्राप्त होने की उम्मीद होती है, प्राप्य प्रावधान को परिसंपत्ति के रूप में मान्य किया जाता है यदि आभासिक रूप में निश्चित होता है कि प्रतिपूर्ति प्राप्त होगी तथा प्राप्य प्रावधान की राशि को विश्वसनीय ढंग से मापा जा सकता है।

(iv) जहां यह संभावना न हो कि आर्थिक लाभों का बहिर्प्रवाह अपेक्षित होगा अथवा विश्वसनीय ढंग से राशि का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, लेखाओं पर टिप्पणियों में आकस्मिक देयता के रूप में बाध्यता का प्रकटन किया जाता है, जब तक कि आर्थिक लाभों के बहिर्प्रवाह की संभावना कम न हो।

(v) वित्तीय विवरणों में आकस्मिक देयताओं को मान्य नहीं किया गया है। हालांकि, आर्थिक लाभ के संभावित होने पर वित्तीय विवरणों में आकस्मिक परिसंपत्ति का खुलासा किया जाता है।

5.9 आय एवं व्यय की मान्यता

(i) बाद में परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों पर ब्याज आय को प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) विधि का प्रयोग करके मान्य किया जाता है। प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) ऐसी दर है जो शुरूआती मान्यता पर उस परिसंपत्ति की निवल वहन राशि के अनुसार वित्तीय परिसंपत्ति के अपेक्षित जीवनकाल में अनुमानित भावी नकदी प्राप्तियों को सटीक रूप में डिस्काउंट करती है।

(ii) इसके बाद वित्तीय परिसंपत्तियों पर लाभ एवं हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापे गए ब्याज को संबंधित संविदा की शर्तों के अनुसरण में प्रोद्भवन आधार पर मान्य किया जाता है।

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

(iii) ऋणकर्ताओं द्वारा बकाए के समय से भुगतान के लिए रिबेट को समय से संपूर्ण देय ब्याज राशि की प्राप्ति पर संबंधित संविदा की शर्तों के अनुसरण में मान्य किया जाता है और समतुल्य ब्याज आय के निमित्त डाला जाता है।

(iv) प्रदान की गई सेवाओं से आय को रिपोर्टिंग तिथि को संविदा की समाप्ति के चरण के संदर्भ में करारों/व्यवस्थाओं की शर्तों के आधार पर मान्य किया जाता है।

(v) निवेश से लाभांश आय को लाभ एवं हानि विवरण में उस समय मान्य किया जाता है जब लाभांश प्राप्त करने के लिए कंपनी का अधिकार स्थापित हो जाता है, जो उद्धृत प्रतिभूतियों के मामले में पूर्व लाभांश तिथि है।

(vi) बाद में परिशोधित लागत पर मापे गए ऋणों पर ब्याज व्यय को प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) विधि का प्रयोग करके मान्य किया जाता है।

(vii) अन्य आय एवं व्यय को संबंधित संविदा की शर्तों के अनुसरण में प्रोद्भवन आधार पर लेखांकित किया जाता है।

(viii) ₹ 1,00,000/- तक के पूर्वदत्त व्यय को शुरूआती मान्यता पर व्यय के रूपए में मान्य किया जाता है।

5.10 शेयरों के निर्गम पर व्यय

शेयरों के निर्गम पर व्यय को प्रतिभूति प्रीमियम खाते में प्रभारित किया जाता है।

5.11 कार्मिक हितलाभ

(i) परिभाषित अंशदान योजना

भविष्य निधि एवं पेंशन के लिए रिपोर्टिंग अवधि के दौरान कंपनी के प्रदत्त/देय अंशदान को लाभ एवं हानि विवरण में उस समय मान्य किया जाता है जब कार्मिक ऐसी सेवा प्रदान कर चुके होते हैं जिसके आधार पर वे अंशदान के लिए हकदार बनते हैं।

(ii) परिभाषित हितलाभ योजना

कार्मिकों को उपदान तथा सेवानिवृत्ति पश्चात हितलाभों जैसे कि चिकित्सा हितलाभ, आर्थिक पुनर्वास हितलाभ तथा सेवानिवृत्ति के बाद स्थापन भत्ता के लिए कंपनी की बाध्यता का निर्धारण प्रत्येक वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में किए जा रहे बीमांकक मूल्यांकन के साथ प्रक्षेपित यूनिट क्रेडिट विधि का प्रयोग करके किया जाता है। उपदान तथा अन्य सेवानिवृत्ति पश्चात निश्चित हितलाभ योजनाओं के पुन: मापन पर बीमांकक अभिलाभ/हानि को अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में मान्य किया जाता है। पिछली सेवा लागत को लाभ एवं हानि विवरण में योजना संशोधन की अवधि में मान्य किया जाता है।

(iii) अन्य दीर्घावधि कार्मिक हितलाभ

छुट्टी नकदीकरण, सर्विस अवॉर्ड योजना के लिए कंपनी की बाध्यता का निर्धारण प्रत्येक वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में किए जा रहे बीमांकक मूल्यांकन के साथ अनुमानित यूनिट क्रेडिट विधि का प्रयोग करके किया जाता है। इन बाध्यताओं को लाभ एवं हानि विवरण में मान्य किया जाता है।

(iv) अल्पावधि कार्मिक हितलाभ

अल्पावधि कार्मिक हितलाभों जैसे कि वेतन एवं मजदूरी को लाभ एवं हानि विवरण में उस सेवा के बदले में भुगतान किए जाने के लिए प्रत्याशित हितलाभों की गैर बट्टाकृत (अनडिस्काउंटिड) पर उस अवधि में मान्य किया जाता है जिसमें संबंधित सेवा प्रदान की जाती है।

(v) कार्मिकों को रियायती दर पर ऋण

कार्मिकों को रियायती दर पर प्रदान किए गए ऋणों को शुरू में उचित मूल्य पर मान्य किया जाता है और इसके बाद परिशोधित लागत पर मापा जाता है। ऐसे ऋणों के आरंभिक उचित मूल्य तथा लेन-देन मूल्य में अंतर को ऋण के निर्गम पर आस्थगित कार्मिक लागत के रूप में मान्य किया जाता है, जिसे ऋण की अपेक्षित शेष अवधि में सीधी रेखा के आधार पर परिशोधित किया जाता है। ऋण की अपेक्षित शेष अवधि में परिवर्तन के मामले में परिवर्तन की तारीख को अपरिशोधित आस्थगित कार्मिक लागत को संभावित आधार पर ऋण की अद्यतन अपेक्षित शेष अवधि में परिशोधित किया जाता है।

5.12 आयकर

आयकर व्यय में वर्तमान एवं आस्थगित कर शामिल होते हैं। इसे लाभ एवं हानि विवरण में मान्य किया जाता है, सिवाय इसके कि जब यह ऐसी मद से संबंधित होता है जो ओसीआई में या सीधे इक्विटी में मान्य की जाती है तथा ऐसे मामले में कर को भी ओसीआई में या सीधे इक्विटी में मान्य किया जाता है।

(i) **वर्तमान कर**

वर्तमान कर लागू की गई या सारवान रूप से लागू की गई तथा रिपोर्टिंग तिथि को यथालागू कर दरों और पिछले वर्षों के संबंध में देय कर में किसी समायोजन का प्रयोग करके वर्ष के लिए कर योग्य आय पर देय अपेक्षित कर है।

वर्तमान कर परिसंपत्तियों एवं देयताओं का उस समय प्रतितुलन किया जाता है जब मान्य राशि के प्रतितुलन के लिए कानूनी तौर पर प्रवर्तनीय कोई अधिकार होता है और निवल आधार पर परिसंपत्ति एवं देयता का निपटान करने का इरादा होता है।

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

(ii) **आस्थगित कर**

वित्तीय विवरणों में आस्थगित कर को परिसंपत्तियों एवं देयताओं की वहन राशियों तथा कर योग्य आय की गणना में प्रयुक्त समतुल्य कर आधारों के बीच अस्थाई अंतरों पर मान्य किया जाता है। परिसंपत्तियों/देयताओं की वहन राशि की वसूली या निपटान की अपेक्षित विधि के आधार पर रिपोर्टिंग तिथि तक अधिनियमित या सारवान रूप से अधिनियमित कानूनों के आधार पर कर दरों पर आस्थगित कर मापा जाता है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों एवं देयताओं का उस समय प्रतितुलन किया जाता है जब देयताओं के विरूद्ध वर्तमान कर परिसंपत्तियों को अलग करने के लिए कानूनी तौर पर प्रवर्तनीय अधिकार होता है तथा वे समान कर प्राधिकारी द्वारा लगाए गए आयकरों से संबंधित होती हैं।

आस्थगित कर देयता को सभी कर योग्य अस्थाई अंतरों के लिए मान्य किया जाता है। आस्थगित कर परिसंपत्ति को सभी कटौती योग्य अस्थाई अंतरों के लिए उस सीमा तक मान्य किया जाता है जहां तक इस बात की संभावना होती है कि कर योग्य लाभ उपलब्ध होंगे जिनके विरूद्ध उन कटौती योग्य अस्थाई अंतरों का प्रयोग किया जा सकता है। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को आस्थगित परिसंपत्तियों की समीक्षा की जाती है तथा उस सीमा तक घटाया जाता है जहां तक अब ऐसी संभावना नहीं रहती है कि संबंधित कर लाभ वसूल किए जाएंगे।

(iii) लाभांश के वितरण से उत्पन्न अतिरिक्त आयकर को उसी समय मान्य किया जाता है जब लाभांश का भुगतान करने की देयता को मान्य किया जाता है।

5.13 पट्टा

पट्टे से संबंधित संविदाओं को मान्य करने, मापन करने और प्रस्तुत करने के लिए कंपनी इंड एएस 116 'पट्टा' के सिद्धांतों को लागू करती है।

कंपनी पट्टाधारक के रूप में

कंपनी कोई संविदा शुरू करते समय ये आकलन करती है कि क्या संविदा पट्टे पर है या इससे संबंधित है। कोई भी संविदा तभी पट्टे पर या इससे संबंधित होती है जब यह चिन्हित परिसंपत्ति के, किसी समयावधि तक, उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार संप्रेषित करती है। यह आकलन करने के लिए कि संविदा चिन्हित परिसंपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार संप्रेषित कर रही है या नहीं, कंपनी यह मालूम करती है कि (क) क्या उसे पट्टे की अवधि में परिसंपत्ति के उपयोग से प्राप्त होने वाले सभी आर्थिक लाभ मिल रहे है या नहीं, तथा (ख) कि कंपनी के पास चिह्नित परिसंपत्ति के उपयोग को निदेशित करने का अधिकार है या नहीं।

कंपनी पट्टा संविदा किए जाते समय लागत पर राइट ऑफ यूज (आरओयू) परिसंपत्ति और संबंधित पट्टा देयता को मान्य करती है, केवल 12 महीने से कम अवधि (अल्पावधि) तथा कम मूल्य की परिसंपत्तियों से संबंधित पट्टों को छोड़कर, जो पट्टे की अवधि के दौरान स्ट्रेट-लाइन विधि पर संचालन व्यय में आते है।

कुछ पट्टा व्यवस्थाओं में पट्टा अवधि से पहले इसे विस्तारित करने या रद्द करने का विकल्प शामिल होता है। राइट ऑफ यूज यानि आरओयू परिसंपत्तियों और पट्टा देयताओं में भी ये विकल्प शामिल होते हैं जब इनके उपयोग को लेकर तर्क संगत निश्चितता हो।

आरओयू परिसंपत्तियां आरंभ में लागत पर मान्य होती हैं, जो पट्टा देयता की आरंभिक राशि, पट्टा शुरू होने की तिथि पर या पहले किए गए किसी भुगतान या किसी आरंभिक प्रत्यक्ष लागत से किसी प्राप्त लीज प्रोत्साहन को घटाकर समायोजित किया जाता है। बाद में इनका मापन लागत से किसी संचित ह्रास और क्षतिग्रस्तता हानि को घटाकर किया जाता है। राइट ऑफ यूज परिसंपत्तियों पर ह्रास का आकलन स्ट्रेट-लाइन विधि का उपयोग करते हुए, लागू होने की तिथि से अल्पत्तर पट्टा अवधि या राइट ऑफ यूज परिसंपत्तियों के जीवनकाल के आधार पर किया जाता है।

पट्टा देयता आरंभ में भविष्य के पट्टा भुगतानों के मौजूदा मूल्य की परिशोधित लागत पर मापी जाती है। पट्टा भुगतानों को इसमें शामिल ब्याज दर का उपयोग करते हुए घटाया जाता है या अगर यह तुरंत निर्धारित होने योग्य नहीं हो, तो कंपनी की वृद्धिशील वृद्धि दर का उपयोग किया जाता है।

यदि कंपनी अपने निर्धारण में बदलाव करती है तो पट्टा देयताओं का पुनर्मापन संबंधित राइट ऑफ यूज परिसंपत्ति से संबंधित समतुल्य समायोजन के माध्यम से किया जाता है कि क्या यह एक्सटेंशन या टर्मिनेशन विकल्प का प्रयोग करेगी।

पट्टा देयता और आरओयू परिसंपत्ति तुलन-पत्र में अलग-अलग प्रस्तुत किए जाते हैं। पट्टा देयता पर ब्याज व्यय राइट ऑफ यूज परिसंपत्ति में किसी ह्रास से अलग, लाभ और हानि विवरणी में वित्तीय लागत के एक घटक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। पट्टा भुगतानों को वित्तीय गतिविधियों में प्रयुक्त नकदी प्रवाह के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

कंपनी पट्टाकर्ता के रूप में

वे पट्टे जिनके लिए कंपनी पट्टाकर्ता है, वित्त या संचालन पट्टे में वर्गीकृत किए जाते हैं। वे संविदा जिनमें पट्टे से जुड़े सारे जोखिम और लाभ पट्टेदार को हस्तांतरित कर दिए जाते हैं, उन्हें वित्त पट्टा के रूप में वर्गीकृत किया जाता है अन्य सभी पट्टे संचालन पट्टे में रखे जाते है। संचालन पट्टों के लिए किराए से मिलने वाली आय, स्ट्रेट-लाइन आधार पर संबंधित पट्टे की अवधि पर मान्य होती है।

वित्त पट्टे के अंतर्गत पट्टेदार से बकाया राशि पट्टे में कंपनी के निवल निवेश की समान राशि पर प्राप्य के रूप में मान्य होती है। पट्टे से होने वाली वित्तीय आय लेखांकन अवधियों में आवंटित कर दी जाती है ताकि रिपोर्टिंग तिथि पर पट्टे के संदर्भ में कंपनी के निवल निवेश पर रिटर्न की नियत सावधि दर दर्शायी जा सके।

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

5.14 विदेशी मुद्रा लेन-देन और परिवर्तन

कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा भारतीय रुपया है। विदेशी मुद्रा के लेन-देन को लेन-देन की तारीख को विनिमय दरों का प्रयोग करके कार्यात्मक मुद्रा में परिवर्तित किया जाता है।

प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में, विदेशी मुद्रा में वर्णित मौद्रिक मदों को रिपोर्टिंग अवधि की अंतिम तारीख को प्रचलित विनिमय दर का प्रयोग करके रूपांतरित किया जाता है। मौद्रिक मदों पर विनिमय दर में अंतरों को लाभ एवं हानि विवरण में उस अवधि में मान्य किया जाता है जिसमें वे उत्पन्न होते हैं। तथापि, 1 अप्रैल, 2018 से पूर्व वित्तीय विवरणों में मान्य दीर्घावधि मौद्रिक मदों के लिए विनिमय दर में ऐसे अंतरों को 'विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद परिवर्तन अंतर लेखा' में संचित किया जाता है और ऐसी दीर्घावधि मौद्रिक मद की शेष अवधि में परिशोधित किया जाता है।

5.15 सामान्य नियंत्रण के अधीन व्यवसायों का संयोजन

सामान्य नियंत्रण के अधीन संस्थाओं या व्यवसायों वाला व्यवसाय संयोजन ऐसा व्यवसाय संयोजन है जिसमें संयोजन की सभी संस्थाएं या व्यवसाय अंततः उसी पक्षकार या पक्षकारों द्वारा व्यवसाय संयोजन के पहले और बाद में भी नियंत्रित होते हैं तथा यह नियंत्रण अस्थायी नहीं होता है।

ब्याज की पूलिंग विधि का प्रयोग करके सामान्य नियंत्रण के अधीन संस्थाओं या व्यवसायों वाले व्यवसाय संयोजनों को निम्नानुसार लेखांकित किया जाता है:

- संयोजक संस्थाओं की परिसंपत्तियों एवं देयताओं को उनकी वहन राशियों पर दर्शाया जाता है।
- उचित मूल्यों को दर्शाने या नई परिसंपत्तियों अथवा देयताओं को मान्य करने के लिए कोई समायोजन नहीं किया जाता है। केवल लेखांकन की महत्वपूर्ण नीतियों में सामंजस्य स्थापित करने के लए समायोजन किए जाते हैं।
- पिछली अवधियों के संबंध में वित्तीय विवरणों में वित्तीय सूचना को ऐसे पुनः वर्णित किया गया है जैसे कि व्यवसाय संयोजन वित्तीय विवरणों में पूर्ववर्ती अवधि आरंभ होने से पहले हुआ है, चाहे संयोजन की वास्तविक तिथि जो भी हो।

अंतरणकर्ता के वित्तीय विवरणों में उल्लिखित अवधारित अर्जन के शेष को अंतरिती के वित्तीय विवरणों में उल्लिखित तद्रूपी शेष के साथ जोड़ा गया है। रिजर्व की पहचान को कायम रखा जाता है तथा अंतरणकर्ता के रिजर्व अंतरिती के रिजर्व बन जाते हैं।

जारी की गई शेयर पूंजी के रूप में दर्ज राशि प्लस नकदी या अन्य परिसंपत्तियों के रूप में किसी अतिरिक्त विवेचन और अंतरणकर्ता की शेयर पूंजी की राशि के बीच अंतर, यदि कोई हो, को पूंजी रिजर्व में अंतरित किया जाता है तथा अन्य पूंजी रिजर्व से अलग प्रस्तुत किया जाता है।

5.16 पिछली अवधि की सारवान त्रुटियां

पिछली अवधि की सारवान त्रुटियों को प्रस्तुत पिछली अवधियों जिसमें त्रुटि हुई है, के लिए तुलनात्मक राशियों का पुनः वर्णन करके उत्तरभावी प्रभाव से ठीक किया जाता है। यदि त्रुटि प्रस्तुत शीघ्रातिशीघ्र अवधि से पहले हुई है तो प्रस्तुत शीघ्रातिशीघ्र अवधि के लिए परिसंपत्तियों के प्रारंभिक शेषों, देयताओं और इक्विटी का पुनः वर्णन किया जाता है।

5.17 लाभांश

अंतिम लाभांशों को शेयरधारकों द्वारा अनुमोदन की तारीख को देयता के रूप में दर्ज किया जाता है तथा अंतरिम लाभांशों को कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा घोषणा की तारीख को देयता के रूप में दर्ज किया जाता है।

5.18 प्रति शेयर अर्जन

कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों पर आरोप्य निवल लाभ या हानि में वित्तीय वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से भाग देकर प्रति शेयर बुनियादी (बेसिक) अर्जन की गणना की जाती है।

प्रति शेयर तनुकृत अर्जन की गणना करने के लिए इक्विटी शेयरधारकों पर आरोप्य अवधि के लिए निवल लाभ या हानि तथा अवधि के दौरान बकाया शेयरों के भारित औसत को सभी तनुकृतयोग्य संभावित इक्विटी शेयरों के प्रभाव के लिए समायोजित किया जाता है।

6. अनुमानों और प्रबंधन के निर्णयों का उपयोग

एकल वित्तीय विवरण तैयार करने में प्रबंधन से आकस्मिक देयताओं सहित परिसंपत्तियों एवं देयताओं की वहन राशि के बारे में निर्णय लेने, अनुमान व्यक्त करने तथा धारणाएं अपनाने की आवश्यकता होती है, जो अन्य स्रोतों से आसानी से स्पष्ट नहीं होती हैं। अनुमान तथा अंतर्निहित धारणाएं पिछले अनुभव तथा संगत कारकों पर आधारित होती हैं और सतत आधार पर इनकी समीक्षा की जाती है। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं।

लेखांकन के अनुमानों में परिवर्तन, यदि कोई हो, को उस अवधि में मान्य किया जाता है जिसमें अनुमान संशोधित किया जाता है यदि संशोधन केवल उस अवधि को प्रभावित करता है अथवा संशोधन की अवधि तथा भावी अवधियों में मान्य किया जाता है यदि वर्तमान एवं भावी दोनों अवधियों को प्रभावित करता है।

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

6.1 महत्वपूर्ण प्रबंधन निर्णय

एकल वित्तीय विवरणों की समझ बढ़ाने के उद्देश्य से, लेखांकन की नीतियों का प्रयोग करने में अनुमान, अनिश्चितता एवं महत्वपूर्ण निर्णयों जिनका एकल वित्तीय विवरणों में मान्य राशियों पर सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव होता है, के महत्वपूर्ण क्षेत्रों के बारे में सूचना इस प्रकार है:

(i) विशेष रिजर्व पर आस्थगित कर देयता

कंपनी ने यह बोर्ड संकल्प पारित किया है कि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत सृजित एवं अनुरक्षित विशेष आरक्षित निधि से आहरण करने का उसका कोई इरादा नहीं है। तदनुसार, सृजित एवं अनुरक्षित विशेष आरक्षित निधि में रिवर्स करना संभव नहीं है। इसलिए कंपनी उक्त आरक्षित निधि पर कोई आस्थगित कर देयता सृजित नहीं करती है।

(ii) क्रेडिट क्षतिग्रस्त ऋणों पर आय की गैर-मान्यता

विवेकपूर्ण उपाय के रूप में, क्रेडिट क्षतिग्रस्त ऋणों पर आय को उनके प्राप्त होने और/या प्रोद्भवन आधार पर मान्य किया जाता है जब अपेक्षित प्राप्ति बकाया ऋण राशि से अधिक होती है।

(iii) निवेशों का वर्गीकरण

सहायक कंपनी या संयुक्त उद्यम (जेवी) या सहयोगी में निवेश के रूप में कंपनी में किसी निवेश के वर्गीकरण के लिए प्रत्येक मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर नियंत्रण के स्तर का मूल्यांकन करने के लिए निर्णय की आवश्यकता होती है।

(क) एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसिज लिमिटेड (ईईएसएल) को एनटीपीसी लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल), आरईसी लिमिटेड (आरईसीएल) और पीएफसी के संयुक्त उद्यम (जेवी) के रूप में 2009 में निगमित किया गया। जेवी करार के अनुसरण में, संयुक्त उद्यम के सभी भागीदारों के सीमा के बगैर लाभांश, मतदान के अधिकारों आदि सहित समान अधिकार एवं विशेषाधिकार हैं जो इंड एएस 110 की अपेक्षाओं के अनुसार संबंधित गतिविधियों की प्रकृति के हैं। इसलिए संयुक्त नियंत्रण की कंपनी होने के नाते ईईसीएलए वित्तीय विवरणों के समेकन के उद्देश्य से संयुक्त उद्यम कंपनी मानी गई है।

31 मार्च, 2020 को कंपनी की अपनी सहायक कंपनी आरईसीएल सहित ईईसीएल की इक्विटी शेयर पूंजी में 47.15% शेयर (24.97% सीधे और 22.18% अपनी सहायक कंपनी आरईसीएल के माध्यम से) थे। तथापि, 31 मार्च, 2019 को कंपनी और आरईसीएल के ईईसीएल में 58.06% शेयरधारिता थी।

(ख) अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाओं (यूएमपीपी) का प्रबंधन भारत सरकार से अधिदेश के अनुसार किया जाता है तथा कंपनी में एकपक्षीय रूप से इन यूएमपीपी की संगत गतितविधियों का निर्देशन करने की व्यावहारिक योग्यता नहीं है। अतः उनकी 100 प्रतिशत प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी का धारक होने के बावजूद कंपनी संबंधित यूएमपीपी में अपने निवेश को सहयोगी कंपनियों में निवेश के रूप में मानती है जिनके पास उल्लेखनीय प्रभाव है। तथापि, कंपनी अधिनियम के प्रयोजनार्थ इन यूएमपीपी को सहायक कंपनी के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

(iv) वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षतिग्रस्तता हानि छूट के लिए संकेतकों का मूल्यांकन

परिसंपत्तियों की क्षतिग्रस्तता हानि छूट की गणना के उद्देश्य से संकेतकों की व्यहार्यता के मूल्यांकन के लिए अनेक बाहरी और आंतरिक कारकों का, जिनके परिणामस्वरूप परिसंपत्तियों की वसूलनीय राशि में कमी हो सकती है, का मूल्यांकन जरूरी है।

वित्तीय परिसंपत्तियों के क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि (एसआईसीआर) और चूक की पहचान के लिए उपलब्ध जानकारियों, जैसे ऋणकर्ता की बाह्य रेटिंग/नवीनतम वित्तीय जानकारी, नवीनतम प्रचालनात्मक डाटा जैसे प्लांट लोड फैक्टर, क्षमता उपयोग कारक, एसीसी-एआरआर अंतराल इत्यादि पर निर्णय लिया जाता है। इसके अतिरिक्त, परिसंपत्तियों की क्षतिग्रस्तता के आकलन के लिए संबंधित राज्य के कार्य निष्पादन पर भी विचार किया जाता है।

6.2 अनुमान अनिश्चितता के पूर्वानुमान एवं मुख्य स्रोत

अनुमानों और पूर्वानुमानों के बारे में जानकारी, जिनका परिसंपत्तियों, देयताओं, आय और व्यय पर महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है, निम्नानुसार है:

(i) परिभाषित हितलाभ बाध्यता (डीबीओ)

डीबीओ के बारे में कंपनी का अनुमान अनेक अंतर्निहित मान्यताओं पर आधारित होता है जैसे कि मुद्रास्फीति की मानक दरें, नश्वरता, डिस्काउंट दर तथा भावी वेतन वृद्धि के पूर्वानुमान। इन मान्यताओं में विचलन से डीबीओ की राशि तथा वार्षिक परिभाषित हितलाभ व्यय महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित हो सकता है जैसा टिप्पणी 36 में वर्णित है।

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

(ii) वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षतिग्रस्तता जांच (अपेक्षित क्रेडिट हानि)

परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्ति के लिए क्षतिग्रस्तता हानि छूट के मापन के लिए सांख्यिकीय मॉडलों, भावी आर्थिक स्थितियों के बारे में महत्वपूर्ण धारणाओं तथा क्रेडिट व्यवहार (उदाहरण के लिए, क्रेडिट जोखिम स्कोरिंग के लिए प्रयुक्त इनपुट और भार ऋणकर्ताओं द्वारा चूक किए जाने की संभावना तथा परिणामी हानियाँ) के प्रयोग की आवश्यकता होती है।

क्रेडिट क्षतिग्रस्त ऋणों से वसूल किए जाने के लिए अपेक्षित नकदी प्रवाह के अनुमान में कंपनी ऋणकर्ता की वित्तीय स्थिति, परियोजना की वर्तमान स्थिति, प्रतिभूतियों/कोलेटरल से निवल वसूली योग्य मूल्य आदि के बारे में निर्णय लेती है। ये अनुमान विभिन्न धारणाओं पर आधारित होते हैं, वास्तविक परिणाम भिन्न हो सकते हैं जिससे क्षतिग्रस्तता हानि छूट में परिवर्तन हो सकते हैं। उल्लिखित विवरण के लिए टिप्पणी 34.21 देखें।

(iii) उचित मूल्य का मापन

वित्तीय रिपोर्टिंग के प्रयोजनार्थ वित्तीय लिखतों के उचित मूल्य का अनुमान लगाने की आवश्यकता होती है। कंपनी उचित मूल्य के मापन के लिए मूल्यांकन की उपयुक्त तकनीकों का प्रयोग करती है। किसी परिसंपत्ति या देयता के उचित मूल्य का अनुमान लगाते समय कंपनी उद्धृत मूल्यों तथा बाजार - पालनीय डाटा का उस हद तक प्रयोग करती है जिस हद तक यह उपलब्ध होता है। इसके उपलब्ध न होने की स्थिति में, परिसंपत्तियों/देयताओं के उचित मूल्य की गणना के लिए अपालनीय इनपुट का प्रयोग किया जाता है। विभिन्न परिसंपत्तियों एवं देयताओं के उचित मूल्य के निर्धारण में प्रयुक्त मूल्यांकन तकनीकों एवं इनपुट के बारे में सूचना का खुलासा नीचे टिप्पणी 34.4 में किया गया है।

(iv) आयकर

कर की अनिश्चित स्थितियों के लिए भुगतान करने/प्राप्त करने के लिए अपेक्षित राशि सहित आयकर के लिए प्रावधान के निर्धारण में अनुमान शामिल होते हैं। आस्थगित कर परिसंपत्तियों का मूल्यांकन करने के लिए अपेक्षित भावी लाभप्रदता के संबंध में निर्णय लिए जाते हैं। कृपया विवरण के लिए टिप्पणी 37 देखें।

(v) संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण (पीपीई) और अमूर्त परिसंपत्तियों का उपयोगी जीवनकाल

कंपनी, परिसंपत्तियों की उपयोगिता के आधार पर, प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर ह्रासयोग्य/ अमूर्त परिसंपातियों के उपयोगी जीवनकाल के अपने अनुमान की समीक्षा करती है। इन अनुमानों के संबंध में अनिश्चितताएं तकनीकी और आर्थिक अप्रचलन से संबंधित हैं जो परिसंपत्तियों की उपयोगिता को परिवर्तित कर सकती है। पीपीई और अमूर्त परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवनकाल और वहन मूल्यों संबंधी विवरण के लिए कृपया टिप्पणी 14 देखें।

(vi) वित्तीय आंकड़ों पर कोविड-19 का प्रभाव

वर्तमान में, कंपनी के एकल वित्तीय विवरणों पर कोविड-19 का अधिक प्रभाव नहीं है। तथापि, कोविड-19 महामारी का कंपनी के वित्तीय विवरणों पर कितना प्रभाव होगा, यह इस महामारी की गंभीरता और इसको फैलने से रोकने तथा इसके प्रभाव को कम करने सहित भावी विकास कार्यों पर निर्भर करेगा, जोकि अनिश्चित है।

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

7. नकदी और नकदी समतुल्य

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2020 की स्थिति के अनुसार	31.03.2019 की स्थिति के अनुसार
(i)	बैंको में शेष (नकदी और नकदी समतुल्य)		
	- चालू खाते में	182.52	8.48
	- सावधि जमा खाते में		301.61
(ii)	डाक व्यय एवं अग्रदाय सहित उपलब्ध चेक, ड्राफ्ट	0.00	0.00
	कुल नकदी और नकदी समतुल्य	**182.52**	**310.09**

8. नकदी और नकदी समतुल्य में शामिल से भिन्न बैंक शेष

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2020 की स्थिति के अनुसार	31.03.2019 की स्थिति के अनुसार
(i)	बैंकों में उद्दिष्ट शेष		
	- सावधि जमा खाते	-	13.877.63
	- अदत्त लाभांश (टिप्पणी 8.2 देखें)	3.48	3.16
	- अदत्त बॉण्ड/ बॉण्डों पर ब्याज इत्यादि (टिप्पणी 8.2 देखें)	12.99	9.73
	- आईपीडीएस/आर-एपीडीआरपी योजना के अंतर्गत प्राप्त राशि	0.00	0.00
	नकदी और नकदी समतुल्य में शामिल से भिन्न कुल बैंक शेष	**16.47**	**13,890.52**

8.1 उपर्युक्त रिपोर्टिंग अवधियों के अंत में 'नकदी और नकदी समतुल्य' में शामिल से भिन्न कुल बैंक शेष के संदर्भ में प्रत्यावर्तन संबंधी कोई प्रतिबंध नहीं है।

8.2 निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में जमा कराये जाने के लिए कोई राशि बकाया नहीं है।

9. डेरिवेटिव वित्तीय लिखत

कंपनी मुद्रा और ब्याज दर जोखिम से बचाव के लिए डेरिवेटिव संविदाएं करती है। डेरिवेटिव्स में लेखांकन अपेक्षाओं को पूरा करने वाले या आर्थिक हेज से संबंधित हेज शामिल होते है। डेरिवेटिव लेन-देन में देयताओं के बचाव के लिए अग्रिम, ब्याज दर स्वैप, क्रॉस करेंसी स्वैप, करेंसी/क्रॉस करेंसी विकल्प इत्यादि शामिल होते हैं। ये डेरिवेटिव लेन-देन हेजिंग उद्देश्य के लिए किए जाते है, व्यापार या सट्टेबाजी उद्देश्यों के लिए नहीं।

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2020 की स्थिति के अनुसार			31.03.2019 की स्थिति के अनुसार		
		अनुमानिक राशि	उचित मूल्य की परिसंपत्तियां	उचित मूल्य की देयताएं	अनुमानिक राशि	उचित मूल्य की परिसंपत्तियां	उचित मूल्य देयताएं
	भाग - 1						
(i)	**मुद्रा डेरिवेटिव**						
	- स्पॉट और फॉरवर्ड	5,371.88	182.87	20.23	8,028.84	10.69	235.45
	- करेंसी स्वैप	12,061.74	1,400.21	-	7,261.28	285.26	100.01
	- विकल्प			-	2,766.20	78.30	-
	कुल मुद्रा डेरिवेटिव	**17,433.62**	**1,583.08**	**20.23**	**18,056.32**	**374.25**	**335.46**
(ii)	**ब्याज दर डेरिवेटिव्स**						
	- फॉरवर्ड दर करार और ब्याज दर स्वैप	**17,517.14**	**280.34**	**579.59**	**18,428.28**	**193.73**	**170.13**
	कुल ब्याज दर डेरिवेटिव	**17,517.14**	**280.34**	**579.59**	**18,428.28**	**193.73**	**170.13**
	कुल डेरिवेटिव वित्तीय लिखत (i+ii)	**34,950.76**	**1,863.42**	**599.82**	**36,484.60**	**567.98**	**505.59**

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2020 की स्थिति के अनुसार			31.03.2019 की स्थिति के अनुसार		
		अनुमानिक राशि	उचित मूल्य की परिसंपत्तियां	उचित मूल्य की देयताएं	अनुमानिक राशि	उचित मूल्य की परिसंपत्तियां	उचित मूल्य देयताएं
	भाग - 2 उपर्युक्त (भाग-1) में वे डेरिवेटिव शामिल हैं जो निम्नानुसार हेजिंग और जोखिम प्रबंधन उद्देश्यों के लिए रखे गए है।						
(i)	**नकदी प्रवाह हेजिंग (निर्दिष्ट)**						
	- मुद्रा डेरिवेटिव	6,030.87	428.11	233.57	1,728.88	-	100.03
	- ब्याज दर डेरिवेटिव	3,769.30			1,728.88	-	64.84
	कुल नकदी प्रवाह हेजिंग (निर्दिष्ट)	**9,800.17**	**428.11**	**233.57**	**3,457.76**	**-**	**164.87**
(ii)	**अनिर्दिष्ट डेरिवेटिव**	25,150.59	1,435.31	366.25	33,026.84	567.98	340.72
	कुल अनिर्दिष्ट डेरिवेटिव	**25,150.59**	**1,435.31**	**366.25**	**33,026.84**	**567.98**	**340.72**
	कुल डेरिवेटिव वित्तीय लिखत (i+ii)	**34,950.76**	**1,863.42**	**599.82**	**36,484.60**	**567.98**	**505.59**

9.1 फॉरवर्ड दर करार /ब्याज दर स्वैप का ब्योरा

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2020 की स्थिति के अनुसार	31.03.2019 की स्थिति के अनुसार
(i)	स्वैप करारों का अनुमानिक मूलधन	17,517.14	18,428.28
(ii)	संविदा के अंतर्गत प्रतिपक्षों के अपने दायित्व पूरा करने में विफल रहने की स्थिति में होने वाली हानियां	280.34	193.73
(iii)	स्वैप में प्रवेश के लिए एनबीएफसी द्वारा अपेक्षित कोलेटरल	-	-
(iv)	स्वैप से उत्पन्न क्रेडिट जोखिम का संकेन्द्रण	-	-
(v)	स्वैप बही का उचित मूल्य (प्रतिपक्षी बैकों से प्राप्त)	(299.25)	23.60

कंपनी ने आरबीआई के दिशा-निर्देशों के अनुसार केवल श्रेणी-1 अधिकृत डीलर बैंकों के साथ ही स्वैप संविदा में प्रवेश किया है।

9.2 31.03.2020 (31.03.2019 की स्थिति के अनुसार शून्य) को कंपनी के पास कोई विनिमय व्यापार डेरिवेटिव्स नहीं था।

9.3 डेरिवेटिव्स में जोखिम का मात्रात्मक स्पष्टीकरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2020 की स्थिति के अनुसार		31.03.2019 की स्थिति के अनुसार	
		मुद्रा डेरिवेटिव	ब्याज दर डेरिवेटिव	मुद्रा डेरिवेटिव	ब्याज दर डेरिवेटिव
(i)	हेजिंग के लिए डेरिवेटिव (अनुमानिक मूल राशि)(2)	17,433.62	17,517.14(1)	18,056.32	18,428.28(1)
(ii)	बाजार की स्थिति के अनुसार निर्दिष्ट (एमटीएम)				
	क) परिसंपत्ति (+ एमटीएम)	1,583.08	280.34	374.25	193.73
	ख) देयता (- एमटीएम)	20.23	579.59	335.46	170.13
(iii)	अनहेज एक्सपोजर	31,232.11	6,522.56	11,626.06	5,907.41

(1) ब्याज दर डेरिवेटिव में 31.03.2020 को ₹4,324.60 करोड़ पर डेरिवेटिव्स शामिल (3103.2019 को ₹5,634,60 करोड़)

(2) 31.03.2020 को ₹964.64 करोड़ के लिए एक चरण (यूएसडी/आईएनआर) के अग्रिम दर संविदा द्वारा आंशिक हेज्ड जेपीवाई ऋण देयता शामिल (31.03.2019 को ₹587.82 करोड़ यूएसडी/आईएनआर को शामिल करते हुए)।

9.4 विदेशी जोखिम प्रबंधन और ब्याज दर जोखिम प्रबंधन के लिए टिप्पणी 34.2.3 और 34.2.4 देखें और हेज लेखांकन से संबंधित स्पष्टीकरण के लिए टिप्पणी 34.3 देखें।

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

10. ऋण

कंपनी ने सभी ऋणों को, इंड एएस 109 की अपेक्षानुसार परिशोधित लागत पर वर्गीकृत किया है केवल 'लीजिंग' को छोड़कर जो इंड एएस 116 के अनुसार मापा जाता है।

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2020 की स्थिति के अनुसार	31.03.2019 की स्थिति के अनुसार
(क)	**ऋणकर्ताओं को ऋण**		
	(i) रुपया सावधि ऋण (आरटीएलएस)	3,31,444.41	2,99,463.59
	(ii) विदेशी मुद्रा ऋण	240.99	240.99
	(iii) क्रेता लाइन ऑफ क्रेडिट	2,031.28	1,759.67
	(iv) कार्यशील पूंजी ऋण	10,520,04	12,582.27
	(v) पट्टा (टिप्पणी 10.2 देखें)	223.77	223.77
	(vi) चूक भुगतान गारंटी के लिए प्राप्य	444.09	396.64
	(vii) ऋण पर प्रोद्भूत परंतु अदेय ब्याज	4,945.14	4,630.80
	(viii) ऋण पर प्रोद्भूत परंतु देय ब्याज	147.66	182.08
	(ix) ऋणों पर अपरिशोधित शुल्क	(101.22)	(88.41)
	ऋणकर्ताओं को कुल ऋण*	**3,49,896.16**	**3,19,391.40**
	घटाएः क्षतिग्रस्तता हानि छूट	(15,783.56)	(16,181.04)
	ऋणकर्ताओं को निवल ऋण	**3,34,112.60**	**3,03,210.36**
(ख)	**प्रतिभूतिवार वर्गीकरण**		
	(i) मूर्त परिसंपत्तियों द्वारा प्रतिभूत	2,17,212.02	2,01,490,39
	(ii) अमूर्त परिसंपत्तियों द्वारा प्रतिभूत	-	-
	(iii) बैंक/सरकारी गारंटियों द्वारा आवृत	73,667.83	59,474,29
	(iv) अप्रतिभूत	59,016.31	58,426.72
	सकल प्रतिभूतिवार वर्गीकरण	**3,49,896.16**	**3,19,391.40**
	घटाएः क्षतिग्रस्तता हानि छूट	(15,783,56)	(16,181.04)
	निवल प्रतिभूतिवार वर्गीकरण	**3,34,112.60**	**3,03,210.36**
(ग) I.	**भारत में ऋण**		
	(i) सार्वजनिक क्षेत्र	2,92,140.85	2,65,465.58
	(ii) निजी क्षेत्र	57,755.31	53,925.82
	भारत में सकल ऋण	**3,49,896.16**	**3,19,391.40**
	घटाएः क्षतिग्रस्तता हानि छूट	(15,783,56)	(16,181.04)
	भारत में निवल ऋण	**3,34,112.60**	**3,03,210.36**
(ग) II.	**भारत से बाहर ऋण**		
	घटाएः क्षतिग्रस्तता हानि छूट	-	-
	भारत से बाहर निवल ऋण	**-**	**-**
	भारत में और भारत से बाहर निवल ऋण	**3,34,112.60**	**3,03,210.36**

* प्रतिभूति के रूप में रखे गए ऋणों के ब्योरे के लिए टिप्पणियां 17.9, 17.10, 17.11 और 18.12 देखें।

10.1 वर्ष के दौरान कंपनी ने ऋणकर्ताओं को 31.03.2020 को शेष की पुष्टि के लिए पत्र भेजें है, सिवाय उस स्थिति के जहां ऋण अदालत/एनसीएलटी के समक्ष प्रत्याहित/लंबित है।

उपरोक्त शेषों के बारे में 98.78% की पुष्टि मिल गई है। ₹4,191.19 करोड़ के जिन शेष ऋणों के बारे में पुष्टि नहीं मिली है उनमें से 22.75% ऋण मूर्त प्रतिभूतियों से संरक्षित है, 49.26% सरकारी गारंटी/सरकार को ऋण से और 27.99% अप्रतिभूत ऋण है।

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

10.2 पट्टा परिसंपत्तियों से संबंधित ब्योरा

पट्टा परिसंपत्तियों में सकल निवेश और रिपोर्टिंग तारीख पर प्राप्य न्यूनतम मूल्य का मौजूदा मूल्य और अनार्जित वित्तीय आय मूल्य नीचे की तालिका में दिए गए हैं।

(₹ करोड़ में)

विवरण [क]	31.03.2020 की स्थिति के अनुसार	31.03.2019 की स्थिति के अनुसार
(i) कुल वसूली योग्य भावी अंडिस्काउंटिड पट्टा भुगतान (सकल निवेश) [ख]	280.04	305.75
(ii) वसूली योग्य पट्टा भुगतानों का वर्तमान मूल्य	223.77	223.77
कुल अनार्जित वित्तीय आय (i-ii)	**56.27**	**81.98**
कुल वसूली योग्य भावी अंडिस्काउंटिड पट्टा भुगतान (सकल निवेश)		
1-2 वर्ष	25.70	25.70
2-3 वर्ष	25.70	25.70
3-4 वर्ष	25.70	25.70
4-5 वर्ष	25.70	25.70
5 वर्ष के बाद	151.54	177.25
कुल सकल निवेश	**280.04**	**305.75**

(क) विंड टर्बाइन जेनरेटर को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए वित्त पट्टा

(ख) लीज किराया 01.01.2012 से 25 वर्ष की अवधि में वसूला जाना है, जिसमें 18 वर्ष प्राथमिक अवधि और अधिकतम् 07 वर्ष द्वितीयक अवधि है।

10.3 प्रतिभूतिकरण से संबंधित प्रकटीकरण

(i) वर्ष के दौरान कंपनी ने कोई भी प्रतिभूतिकरण लेन-देन नहीं किया है, 31 मार्च, 2020 को प्रतिभूतिकरण से संबंधित कोई स्पष्टीकरण नहीं है (31.03.2019 को शून्य)।

(ii) कंपनी, परिसंपत्ति पुनर्गठन कंपनी को ₹1,917.44 करोड़ के मूल बकाया के ऋण आबंटन के लिए एक बार समायोजन योजना में प्रविष्ट हुई, 31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान (पिछले वर्ष शून्य)।

(iii) 31 मार्च, 2020 (पिछले वर्ष शून्य) को समाप्त हुए वर्ष के दौरान कंपनी ने कोई आबंटन लेने-देन नहीं किया।

(iv) 31 मार्च, 2020 (पिछले वर्ष शून्य) को समाप्त हुए वर्ष के दौरान कंपनी ने अन्य एनबीएफसी से न तो कोई गैर निष्पादक वित्तीय परिसंपति की खरीद की, न ही कुछ बेचा।

10.4 वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान तीन ऋणकर्ताओं के मामले में समाधान योजना कार्यान्वयन के अनुरूप ₹1,202.67 करोड़ की राशि, संबंधित ₹1,374.28 करोड़ की क्षति हानि अंश की वापसी के साथ बट्टे खाते में डाली गई। समाधान के अंतर्गत प्राप्त लिखतों के ब्योरे के लिए टिप्पणी 11.6 देखें।

10.5 कंपनी द्वारा जमा जोखिम और प्रबंधन के ब्योरे के लिए टिप्पणी 34.2.1 देखें।

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

11. निवेश

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2020 की स्थिति के अनुसार					
		परिशोधित लागत (1)	अन्य व्यापक आय (2) द्वारा उचित मूल्य पर निर्दिष्ट	लाभ या हानि (3) द्वारा उचित मूल्य पर	पूर्ण योग (4) = (2) + (3)	लागत पर (5)	कुल (1) + (4) + (5)
(क)	**निवेश**						
(i)	**ऋण प्रतिभूतियां**						
	– आंध्रा बैंक के 10.95 प्रतिशत बेमियादी बॉण्ड (प्रत्येक 10,00,000 के 8,000 बॉण्ड)			810.05	810.05		**810.05**
(ii)	**इक्विटी लिखत**						
	सहायक कंपनियां (टिप्पणी 11.2 देखें)						
	– आरईसी लिमिटेड (प्रत्येक 10 रूपए के 103,94,95,247 इक्विटी शेयर)					14,500.50	**14,500.50**
	– पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड (प्रत्येक 10 रुपए के 52,246 इक्विटी शेयर)					0.15	**0.15**
	– पावर इक्विटी कैपिटल एडवाईजर्स प्राइवेट लिमिटेड (टिप्पणी 11.3 देखें) (प्रत्येक 10 रुपए के 50,000 शेयर)					0.05	**0.05**
	संयुक्त उद्यम (टिप्पणी 11.2 देखें)						
	– एनर्जी एफिसियेंसी सर्विसिज लिमिटेड (टिप्पणी 11.4 देखें) (प्रत्येक 10 रुपए के 24,55,00,000 इक्विटी शेयर)					245.50	**245.50**
	सहयोगी कंपनी (टिप्पणी 11.2 देखें)						
	– अल्ट्रामेगा विद्युत परियोजनाओं के विकास के लिए कंपनियां (15 कंपनियों के प्रत्येक 10 रुपए के 50,000 इक्विटी शेयर)					0.75	**0.75**
	अन्य						
	– पीटीसी इंडिया लिमिटेड (प्रत्येक 10 रुपए 1,20,00,000 इक्विटी शेयर)		46.50		46.5		**46.5**
	– कोल इंडिया लिमिटेड (प्रत्येक 10 रुपए के 1,39,64,530 इक्विटी शेयर)		195.57		195.57		**195.57**
	– एनएचपीसी लिमिटेड (टिप्पणी 11.8) (प्रत्येक 10 रुपए के 23,44,73,240 इक्विटी शेयर)		467.78		467.78		**467.78**
	– पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड (10 रुपए प्रत्येक के 32,20,000 इक्विटी शेयर)		-		-		**-**
	– जीएमआर छत्तीसगढ़ एनर्जी लिमिटेड (टिप्पणी 11.8) (क) देखें)		-		-		**-**
	– श्री महेशवर हाइड्रो पावर प्रोजेक्टस लिमिटेड (टिप्पणी 11.8 (ग) देखें		-		-		**-**
	– रतनइंडिया पावर लिमिटेड (टिप्पणी 11.6 देखें) (प्रत्येक 10 रुपए के 23,51,27,715 इक्विटी शेयर)			31.74	31.74		**31.74**

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2020 की स्थिति के अनुसार					
		परिशोधित लागत (1)	अन्य व्यापक आय (2) द्वारा उचित मूल्य पर निर्दिष्ट	लाभ या हानि (3) द्वारा उचित मूल्य पर	पूर्ण योग (4) = (2) + (3)	लागत पर (5)	कुल (1) + (4) + (5)
(iii)	**अधिमानी शेयर**						
	- रायपुर एनर्जेन लिमिटेड (टिप्पणी 11.6 देखें) (प्रत्येक 100 रूपए मूल्य के 59,82,371 विमोचन योग्य अधिमानी शेयर)	9.29					**9.29**
	- रत्नागिरी गैस एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड (टिप्पणी 11.7 देखें) (प्रत्येक 10 रुपए मूल्य के 15,24,88,000 संचयी मोचन योग्य अधिमानी शेयर						
	- रतनइंडिया पावर लिमिटेड (टिप्पणी 11.6 देखें) (प्रत्येक 10 रुपये मूल्य के 7,29,49,786 विमोचन योग्य प्राथमिकता शेयर)	58.99					**58.99**
	- रतनइंडिया पावर लिमिटेड (टिप्पणी 11.6 देखें) (प्रत्येक 10 रुपए 10,99,93,397 रुपए मूल्य के वैकल्पिक परिवर्तनीय संचयी मोचन योग्य अधिमानी शेयर)		100.58	100.58		100.58	
(iv)	**अन्य**						
	- 'स्मॉल इज ब्यूटिफुल' कोष की यूनिटें (प्रत्येक 10 रूपये मूल्य के 61,52,200 इकाइयां)		6.12		6.12		**6.12**
	कुल निवेश	**68.28**	**715.97**	**942.37**	**1,658.34**	**14,746.95**	**16,473.57**
(ख)	**भूगोलवार निवेश**						
(i)	**भारत के बाहर निवेश**						
(ii)	**भारत में निवेश**	68.28	715.97	942.37	1,658.34	14,746.95	**16,473.57**
	कुल भूगलवार निवेश	**68.28**	**715.97**	**942.37**	**1,658.34**	**14,746.95**	**16,473.57**
	घटाए: क्षतिग्रस्तता हानि छूट (टिप्पणी 11.3 और 11.5 देखें)					(0.25)	**(0.25)**
	निवल भूगोलवार निवेश	**68.28**	**715.97**	**942.37**	**1,658.34**	**14,746.70**	**16,473.32**

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.019 की स्थिति के अनुसार					
		परिशोधित लागत (1)	अन्य व्यापक आय (2) द्वारा उचित मूल्य पर निर्दिष्ट	लाभ या हानि (3) द्वारा उचित मूल्य पर	पूर्ण योग (4) = (2) + (3)	लागत पर (5)	कुल (1) + (4) + (5)
(क)	**निवेश**						
(i)	**ऋण प्रतिभूतियां**						
	- आंध्रा बैंक के 10.95 प्रतिशत बेमियादी बॉण्ड (प्रत्येक 10,00,000 के 8,000 बॉण्ड)			809.84	809.84		**809.84**
(ii)	**इक्विटी लिखत**						
	सहायक कंपनियां						
	- आरईसी लिमिटेड (प्रत्येक 10 रूपए के 103,94,95,247 इक्विटी शेयर)				14,500.50		**14,500.50**
	- पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड (प्रत्येक 10 रुपए के 52,246 इक्विटी शेयर)				0.15		**0.15**
	- पावर इक्विटी कैपिटल एडवाईजर्स प्राईवेट लिमिटेड (प्रत्येक 10 रुपए के 50,000 इक्विटी शेयर)				0.15		**0.15**

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.019 की स्थिति के अनुसार					
		परिशोधित लागत (1)	अन्य व्यापक आय (2) द्वारा उचित मूल्य पर निर्दिष्ट	लाभ या हानि (3) द्वारा उचित मूल्य पर	पूर्ण योग (4) = (2) + (3)	लागत पर (5)	कुल (1) + (4) + (5)
	संयुक्त उद्यम						
	– एनर्जी एफिसियेंसी सर्विसिज लिमिटेड (प्रत्येक 10 रुपए के 24,55,00,000 इक्विटी शेयर)					245.50	**245.50**
	सहायक कंपनी						
	– अल्ट्रामेगा विद्युत परियोजनाओं के विकास के लिए कंपनियां (15 कंपनियों के प्रत्येक 10 रुपए के 50,000 इक्विटी शेयर)					0.75	**0.75**
	अन्य						
	– पीटीसी इंडिया लिमिटेड (प्रत्येक 10 रुपए 1,20,00,000 इक्विटी शेयर		88.14		88.14		**88.14**
	– कोल इंडिया लिमिटेड (प्रत्येक 10 रुपए के 1,39,64,530 इक्विटी शेयर)		31.24		331.24		**331.24**
	– एनएचपीसी लिमिटेड (प्रत्येक 10 रुपए के 24,44,73,240 इक्विटी शेयर)		603.85		603.85		**603.85**
	– पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड (10 रुपए प्रत्येक के 32,20,000 इक्विटी शेयर)		-		-		**-**
	– जीएमआर छत्तीसगढ़ एनर्जी लिमिटेड (10 रुपए प्रत्येक का 27,50,00,000 इक्विटी शेयर		0.00		0.00		**0.00**
	– श्री माहेशवर हाइड्रो पावर प्रोजेक्टस लिमिटेड (10 रुपए प्रत्येक का 13,18,46,779 इक्विटी शेयर)		0.00		0.00		**0.00**
(iii)	**अन्य**						
	– 'स्मॉल इज ब्यूटीफुल' कोष इकाइयों (प्रत्येक 10 रूपये मूल्य के 61,52,200 इकाइयां)		6.18		6.18		**6.18**
	कुल	**-**	**1,029.41**	**809.84**	**1,839.25**	**14,746.95**	**16,586.20**
(ख)	**भूगोलवार निवेश**						
(i)	**भारत के बाहर निवेश**						
(ii)	**भारत में निवेश**	-	1,029.41	809.84	1,839.25	14,746.95	**16,586.20**
	कुल भूगलवार निवेश	**-**	**1,029.41**	**809.84**	**1,839.25**	**14,746.95**	**16,586.20**
	घटाये: क्षतिग्रस्तता हानि छूट	-	-	-	-	-	-
	निवल भूगोलवार निवेश	**-**	**1,029.41**	**809.84**	**1,839.25**	**14,746.95**	**16,586.20**

11.1 निवेशों पर क्षतिग्रस्तता हानि छूट का मूवमेंट

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2019-20	वित्तीय वर्ष 2018-19
प्रारंभिक शेष	-	-
जोड़े: वर्ष के दौरान क्षतिग्रस्तता हानि छूट की मान्यता	0.25	-
घटाएं: बट्टे खाते में वर्ष के दौरान अत्यधिक क्षतिग्रस्तता हानि छूट	-	-
अंतिम शेष	0.25	-

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

11.2 सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों और सहयोगी कंपनियों में निवेश का ब्योरा

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	निवेशक कंपनी का नाम	व्यवसाय का प्रधान स्थान/निगमन का देश	स्वामित्व ब्याज का अनुपात	
			31.03.2020	31.03.219
I.	**सहायक कंपनियां**			
(i)	आरईसी लिमिटेड	भारत	52.63%	52.63%
(ii)	पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड	भारत	100%	100%
(iii)	पावर इक्विटी कैपिटल एडवाइजर्स प्रा. लिमिटेड (टिप्पणी 11.3 देखें)	भारत	100%	100%
II.	**संयुक्त उद्यम:**			
(i)	एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसिज लिमिटेड (टिप्पणी 11.4 देखें)	भारत	24.97%	36.36%
III.	**सहयोगी कंपनियां*:**			
(i)	कोस्टल महाराष्ट्र मेगा पावर लिमिटेड (टिप्पणी 11.5 देखें)	भारत	100%	100%
(ii)	ओड़िशा इंटीग्रेटिड पावर लिमिटेड	भारत	100%	100%
(iii)	कोस्टल कर्नाटक पावर लिमिटेड (टिप्पणी 11.3 देखें)	भारत	100%	100%
(iv)	कोस्टल तमिलनाडु पावर लिमिटेड	भारत	100%	100%
(v)	छत्तीसगढ़ सरगुजा पावर लिमिटेड (टिप्पणी 11.5 देखें)	भारत	100%	100%
(vi)	साखीगोपाल इंटीग्रेटिड पावर कंपनी लिमिटेड	भारत	100%	100%
(vii)	घोगरपल्ली इंटीग्रेटिड पावर कंपनी लिमिटेड	भारत	100%	100%
(viii)	तातिया आंध्रा मेगा पावर लिमिटेड (टिप्पणी 11.5 देखें)	भारत	100%	100%
(ix)	देवघर मेगा पावर लिमिटेड	भारत	100%	100%
(x)	चेय्यूर इंफ्रा लिमिटेड	भारत	100%	100%
(xi)	ओड़िशा इंफ्रापावर लिमिटेड	भारत	100%	100%
(xii)	देवघर इंफ्रा लिमिटेड	भारत	100%	100%
(xiii)	बिहार इंफ्रा पावर लिमिटेड	भारत	100%	100%
(xiv)	बिहार मेगा पावर लिमिटेड	भारत	100%	100%
(xv)	झारखंड इंफ्रा पावर लिमिटेड	भारत	100%	100%

* 31.03.2020 और 31.03.2019 को प्रत्येक सहयोगी कंपनी में निवेश 0.05 करोड़ रुपए है।

टिप्पणी:-

(क) सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यम और सहयोगी कंपनियों में निवेश का मापन इंड एएस 27 के प्रावधानों के अनुसार लागत पर किया जाता है।

(ख) सहायक कंपनियां, यूएमपीपी के विकास के लिए उन्हें बोली प्रक्रिया पूरी होने पर सफल बोलीदाताओं को सौंपने के उद्देश्य से, भारत सरकार के आदेश के अंतर्गत एसपीवी में शामिल कंपनियां हैं।

11.3 विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार से अनुमोदन के आधार पर कंपनी ने अपने पूर्ण स्वामित्वाधीन सहायक कंपनी पावर (पीईसीएपी) इक्विटी कैपिटल एडवाइजर लिमिटेड का नाम कंपनी रजिस्ट्रार के रिकॉर्ड से हटा देने के लिए आवेदन किया था। इस संबंध में आवश्यक राजपत्र अधिसूचना अभी कॉर्पोरेट मंत्रालय से जारी की जानी है। इसके अनुसार कंपनी ने इस सहायक कंपनी में इक्विटी निवेश पर 0.05 करोड़ रुपए का क्षतिग्रस्ता हानि छूट सृजित की है।

11.4 वर्ष के दौरान संयुक्त उद्यम एनटीपीसी लिमिटेड, पीजीसीआईएल और आरईसीएल ने ईईसीएल में 30,81,24,000 अतिरिक्त इक्विटी शेयर दिया है। इस प्रकार कंपनी की ईईसीएल की इक्विटी शेयर पूंजी में शेयरधारिता 36.36 प्रतिशत से कम होकर 24.97 प्रतिशत हो गई है।

11.5 भारत सरकार से चार यूएमपीपी-तातिया आंध्रा मेगा पावर लिमिटेड, कोस्टल कर्नाटक पावर लिमिटेड, कोस्टल महाराष्ट्र मेगा पावर लिमिटेड और छत्तीसगढ़ सरगुजा पावर लिमिटेड के बंद किए जाने/अनिरंतरता के बारे में निर्देश प्राप्त होने और शून्य आस्ति तथा देयताओं के साथ प्रबंधन से अनुमति वित्तीय विवरण मिलने के बाद कंपनी का इन सहयोगी कंपनियों में अपने इक्विटी निवेश पर 0.20 करोड़ रुपए का क्षतिग्रस्ता हानि छूट सृजित हुई है।

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

11.6 वर्ष के दौरान, समाधान योजनाओं के कार्यान्वयन के बाद कंपनी को निम्नलिखित निवेश प्राप्त हुए है:

(क) 10 रुपए प्रति शेयर के 23,51,27,715 इक्विटी शेयर, 7,29,49,786 मोचन योग्य प्राथमिकता (कूपन दर 0.001 प्रतिशत प्रति वर्ष) और 10 रुपए प्रति शेयर के 10,99,93,397 वैकल्पिक परिवर्तन योग्य संचयी विमोचन योग्य अधिमानी शेयर (ओसीसीआरपीएस), आरआईपीएल (रतनइंडिया प्राईवेट लिमिटेड) के प्रीमियम पर 0.001 प्रतिशत प्रति वर्ष के विमोचन योग्य कूपन दर के साथ।

(ख) रायपुर एनर्जेन लिमिटेड (पहले जीएमआर छत्तीसगढ़ एनर्जी लिमिटेड के नाम से ज्ञात) के 100 रुपए प्रत्येक के 59,82,371 मोचन योग्य अधिमानी शेयर (आपीएस)। आरपीएस पर 0.01 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर पर लाभांश है।

11.7 डिमर्जर अर्थात विभाजन योजना लागू होने के बाद कंपनी ने 10 रुपए प्रतिशेयर (31.03.2020 को 1 रुपए पर मूल्यांकित) रत्नागिरी गैस एंड प्राइवेट लिमिटेड के 15,24,88,000 0.01% संचयी मोचन योग्य प्राथमिकता शेयर प्राप्त किए।

11.8 आरंभिक मान्यता पर कंपनी ने कुछ इक्विटी साधनों में निवेश के उचित मूल्यों में परिवर्तन को अन्य व्यापक आय में प्रस्तुत करने का अपरिवर्तनीय चुनाव किया। कंपनी का मुख्य संचालन बिजली क्षेत्र को वित्तीय सहयोग उपलब्ध कराना है। इस प्रकार इन साधनों में मूल्य उतार-चढ़ाव से लाभ-हानि एकल विवरण को पृथक करने के लिए प्रबंधन का मानना है कि एफवीटीओसीआई वर्गीकरण, पीवीटीपीएल पर वर्गीकृत किए जाने की अपेक्षा अधिक सार्थक प्रस्तुति उपलब्ध कराता है।

वर्ष के दौरान अमान्य किए गए एफवीटीओसीआई लिखतों का ब्योरा:

(₹ करोड़ में)

निवेश का ब्योरा	अमान्य शेयरों की संख्या	अमान्य किए जाने की तारीख पर उचित मूल्य	अमान्य किए जाने पर संचयी लाभ/(हानि)
वित्तीय वर्ष 2019-20			
एनएचपीसी लिमिटेड (क)	1,00,00,000	26.33	4.55
जीएमआर छत्तीसगढ़ लिमिटेड (ख)	27,50,00,000	-	(254.51)
श्रीमहेश्वर हाईड्रोपावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एसएमएचपीसीएल)	13,18,46,779	-	-
कुल			**(249.96)**
वित्तीय वर्ष 2018-19			
पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	3,89,349	7.67	5.63
एनएचपीसी लिमिटेड (क)	1,60,68,811	44.02	8.93
कुल			**14.56**

(क) ये इक्विटी शेयर वर्ष के दौरान ट्रांचेस में बेचे गए। उचित मूल्य और लाभों की गणना गैर मान्यता तारीख पर मूल्य के आधार पर की गई है और इसे समुच्चय आधार पर प्रस्तुत किया गया है।

(ख) वर्ष के दौरान कंपनी में जीएमआर छत्तीसगढ़ एनर्जी लिमिटेड के 27,50,00,000 इक्विटी शेयर, स्वामित्व हस्तांतरण द्वारा समाधान योजना के कार्यन्वयन पर पैकेज के एक हिस्से के रूप में एक नए प्रमोटर को हस्तांतरित किए गए।

(ग) एसएमएचपीसीएल (एक ऋणकर्ता कंपनी) के साथ वर्ष के दौरान हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के आधार पर पीएफसी द्वारा वित्त वर्ष 2016-2017 में सबॉर्डिनेट ऋण बदलाव के रूप में प्राप्त 661,00,000 इक्विटी शेयर रद्द कर दिए गए है। इसके बाद पीएफसी ने 1 रूपए के निवल संचालन मूल्य पर सबॉर्डिनेट ऋण को बहाल किया। इसके बाद वर्ष के दौरान एसएमपीसीएल में एनटेग्रा लिमिटेड के शेयरों की बहाली पर पीएफसी के 6,57,46,779 इक्विटी शेयर एनटेग्रा लिमिटेड को सौंप दिए।

ऐसे निवेशों की गैर मान्यता के बाद कंपनी ने इक्विटी में इन शेयरों पर संचयी लाभ/हानि (ओसीआई के माध्यम से रिजर्व से इक्विटी लिखतों के लिए बहाल आय) में हस्तांतरित कर दिए है। ब्योरे के लिए इक्विटी में परिवर्तन का एकल विवरण देखें।

11.9 निवेशों के उचित मूल्यांकन के विवरण के लिए टिप्पणी 34.4 देखें।

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

12. अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां

कंपनी ने इंड एएस 109 की अपेक्षाओं के अनुरूप परिशोधित लागत पर अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों को वर्गीकृत किया है।

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2020 की स्थिति के अनुसार	31.03.2019 की स्थिति के अनुसार
(i)	भारत से सरकार सर्विस बॉण्ड पर प्राप्य	5,038.72	5,038.21
(ii)	सहायक कंपनियों और सहयोगी कंपनियों* को अग्रिम	155.05	196.22
(iii)	कार्मिकों को अग्रिम	0.6	0.77
(iv)	कार्मिकों की ऋण	93.11	76.68
(v)	अन्य	72.05	29.38
	घटाएं: अन्य पर क्षतिग्रस्तता हानि छूट (टिप्पणी 12.2)	(20.41)	(10.3)
	कुल अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	**5,339.12**	**5,330.96**

* नकदी में प्राप्य

12.1 केएमपी (यों) को ऋण और अग्रिमों का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 तक	31.03.2019 तक
केएमपी (यों) को ऋण को अग्रिम (प्रोद्भूत ब्याज सहित)	0.51	0.52

12.2 अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों पर क्षतिग्रस्तता का मूवमेंट

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2019-20	वित्तीय वर्ष 2018-19
प्रारंभिक शेष	10.3	2.51
जोड़ें: वर्ष के दौरान सृजन	12.22	7.83
घटाये: वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तन	(2.11)	(0.04)
अंतिम शेष	**20.14**	**10.3**

13. वर्तमान कर परिसंपत्तियां/देयताएं (निवल)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2020 को	31.03.2019 को
(i)	अग्रिम आयकर और टीडीएस	461.93	433.33
(ii)	विवाद के अधीन आयकर मांग पर जमा किया गया कर	189.38	65.09
वर्तमान कर परिसंपत्तियां (निवल)		**651.31**	**498.42**
(i)	विवाद के अधीन आयकर मांग के लिए प्रावधान	0.11	0.53
वर्तमान कर देयताएं (निवल)		**0.11**	**0.53**

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

14. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई) और अमूर्त परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण							अमूर्त परिसंपत्तियां
	फ्रीहोड भूमि*	बिल्डिंग*	ईडीपी उपकरण	कार्यालय उपकरण	फर्नीचर और फिक्सचर	वाहन	कुल	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर
सकल वहन राशि								
1.04.2018 को प्रारंभिक शेष	**3.38**	**24.92**	**17.07**	**16.32**	**9.27**	**0.20**	**71.16**	**9.46**
बढ़ोतरी/समायोजन	-	-	2.24	3.64	2.04	-	7.92	0.01
निपटान/समायोजन	-	-	2.96	2.36	0.16	0.10	5.58	-
31.03.2019 को अंतिम शेष	**3.38**	**24.92**	**16.35**	**17.60**	**11.15**	**0.10**	**73.50**	**9.47**
बढ़ोतरी/समायोजन	-	-	3.30	5.13	3.85	0.02	12.30	0.81
निपटान/समायोजन	-	-	1.78	1.63	0.46	-	3.87	-
31.03.2020 को अंतिम शेष	**3.38**	**24.92**	**17.87**	**21.10**	**14.54**	**0.12**	**81.93**	**10.28**
संचित मूल्यहास/परिशोधन								
1.04.2018 को प्रारंभिक शेष	**-**	**11.12**	**13.93**	**12.65**	**7.22**	**0.16**	**45.08**	**8.75**
अवधि के लिए	-	0.67	1.90	2.59	0.70	0.01	5.87	0.31
वर्तमान परिसंपत्तियां, बेची गई/बही से हटाई गई	-	-	2.84	2.17	0.09	0.09	5.19	-
31.03.2019 तक अंतिम शेष	**-**	**11.79**	**12.99**	**13.07**	**7.83**	**0.08**	**45.76**	**8.88**
अवधि के लिए	-	0.64	2.18	3.45	1.38	0.01	7.66	0.99
वर्तमान परिसंपत्तियां, बेची गई/बही से हटाई गई	-	-	1.51	1.21	0.12	-	2.84	-
31.03.2020 तक अंतिम शेष	**-**	**12.43**	**13.66**	**15.31**	**9.09**	**0.09**	**50.58**	**9.87**
निवल वहन राशि								
31.03.2019 तक	**3.38**	**13.13**	**3.36**	**4.53**	**3.32**	**0.02**	**27.74**	**0.59**
31.03.2020 तक	**3.38**	**12.49**	**4.21**	**5.79**	**5.45**	**0.03**	**31.35**	**0.41**

टिप्पणी: 14.4 देखें

14.1 कंपनी संपत्ति, संयत्र और उपकरण तथा अमूर्त परिसंपत्तियों के अनुमानित उपयोगी जीवन, अवशेष मूल्य और मूल्यहास विधि की प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में समीक्षा करती है और अपने अनुमानों में परिवर्तन, यदि कोई हो, को उत्तरव्यापी प्रभाव से लेखांकित किया जाता है। कंपनी संपत्ति, संयत्र और उपकरण तथा अमूर्त परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवनकाल का ब्योरा नीचे दिया है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	ईडीपी उपकरण							
	बिल्डिंग	सर्वर और नेटवर्क	उपकरण जैसे डेस्कटॉप, लैपटॉप इत्यादि	कार्यालय उपकरण	सेल फोन	फर्नीचर और संयुक्त उपकरण	वाहन	अमूर्त परिसंपत्तियां
उपयोगी जीवन (वर्ष में)	60	6	3	5	2	10	8	5
अवशेष मूल्य, वास्तविक लागत के प्रतिशत	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	-

14.2 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई) का उपयोगी जीवन कंपनी अधिनियम 2013 की धारा II में निर्दिष्ट जीवन काल के अनुरूप है, सेल फोन को छोड़कर, जहां उपयोगी जीवन काल का अनुमान कंपनी द्वारा 2 वर्ष किया गया है।

पीपीई में मूल्यहास को लिखत मूल्य विधि से संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की लागत से उनके अवशेष मूल्य को घटाकर मान्य किया जाता है। अमूर्त परिसंपत्तियां का परिशोधन उनके उपयोगी जीवन पर सीधी रेखा विधि से किया जाता है।

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

14.3 प्रबंधन की राय में, इंड एएस 36 के संदर्भ में कंपनी की संपत्ति, संयंत्र और उपकरण तथा अमूर्त परिसंपत्तियों में कोई क्षति नहीं हुई है। इसके अनुसार इंड एएस 36 परिसंपत्तियों के अंतर्गत क्षतिग्रस्तता हानि के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

14.4 प्रतिभूति के रूप में रखी गई परिसंपत्तियों के ब्योरे के लिए टिप्पणी 17.9 और 17.10 देखें।

15. राइट-ऑफ-यूज परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2020 को	31.03.2019 को
(i)	लीज होल्ड भूमि का प्रारंभिक शेष	-	-
(ii)	बढ़ोतरी (टिप्पणी 38 देखें)	36.20	-
(iii)	घटाएं: संचित मूल्यहास*	0.45	-
	लीज होल्ड भूमि का अंतिम शेष	**35.75**	**-**

* इंड एएस 116 की अपेक्षानुसार राइट-ऑफ-यूज परिसंपत्तियों पर मूल्यहास व्यय, एकल लाभ-हानि विवरण में मूल्यहास और परिशोधन व्यय में शामिल किया गया है।

16. अन्य गैर वित्तीय परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2020 को	31.03.2019 को
(i)	पूर्व भुगतान किया गया व्यय	3.18	29.31
(ii)	आस्थगित कार्मिक लागत	48.21	40.67
(iii)	अन्य	77.48	172.11
	कुल अन्य गैर वित्तीय परिसंपत्तियां	**128.87**	**242.09**

17. ऋण प्रतिभूतियां

कंपनी ने डंड एएस 109 की अपेक्षाओं के अनुसार ऋण प्रतिभूतियों को परिशोधित लागत पर वर्गीकृत किया है।

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2020 को	31.03.2019 को
(i)	बॉण्ड/डिबेंचर		
	- इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड (टिप्पणी 17.3 देखें)	278.63	278.63
	- कर मुक्त बॉण्ड (टिप्पणी 17.4 देखें)	12,275.11	12,275.11
	- 54 ईसी पूंजीगत अभिलाभ कर छूट बॉण्ड (टिप्पणी 17.5 देखें)	1,918.54	784.1
	- कर योग्य बॉण्ड (टिप्पणी 17.6 देखें)	1,72,930.24	1,67,774.95
	- विदेशी मुद्रा नोटस (टिप्पणी 17.7 देखें)	27,892.78	8,298.60
(ii)	कमर्शियल पेपर (टिप्पणी 17.8 देखें)	-	9,715.92
(iii)	उपर्युक्त पर प्रोद्भूत किंतु अदेय ब्याज	6,814.43	6,588.16
(iv)	उपर्युक्त पर अपरिशोधित लेन-देन लागत	(262.06)	(130.98)
	कुल ऋण प्रतिभूतियां	**2,21,847,67**	**2,05,584.49**
	भूगोलवार ऋण प्रतिभूतियां		
(i)	भारत में ऋण प्रतिभूतियां	1,93,872.39	1,97,222.82
(ii)	भारत से बाहर ऋण प्रतिभूतियां	27,975.28	8,361.67
	भूगोलवार कुल ऋण प्रतिभूतियां	**2,21,847,67**	**2,05,584.49**

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

17.1 कंपनी अपरिवर्तनीय बॉण्ड निर्गमों की श्रृंखलाओं सहित विभिन्न लिखतों के माध्यम से धन जुटाती है। वर्ष के दौरान कंपनी ने अपनी किसी भी ऋण प्रतिभूति कोई चूक नहीं किया है।

17.2 गैर-परिवर्तनीय रूपया बॉण्ड के संदर्भ में, मूलधन और ब्याज की भुगतान के पूर्व नीयत तारीख 30.03.2020 और 31.03.2020 थी।

17.3 बकाया इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्डों का ब्योरा इस प्रकार है:

क्र. सं.	बॉण्ड श्रृंखला	कूपन रेट (प्रतिवर्ष)	बकाया मूलधन राशि (₹ करोड़ में)		मोचन की तारीख	मोचन ब्योरा
			31.03.2020	31.03.2019		
1.	इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड 86 डी श्रृंखला	8.72%	2.40	2.40	30.03.2027	आवंटन की तिथि से 15 वर्ष बाद की किसी तिथि के समतुल्य मूल्य पर मोचन योग्य।
2.	इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड 86 सी श्रृंखला	8.72%	0.87	0.87	30.03.2027	आवंटन की तिथि से 15 वर्ष पर किसी तिथि के समतुल्य मूल्य पर मोचन योग्य, वार्षिक चक्रवृद्धि संचयी ब्याज के साथ।
3.	इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड (2011-12)-श्रृंखला III	8.75%	2.86	2.86	21.11.2026	आवंटन की तिथि से 15 वर्ष बाद की किसी तिथि के समतुल्य मूल्य पर मोचन योग्य।
4.	इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड (2011-12)-श्रृंखला IV	8.75%	7.77	7.77	21.11.2026	आवंटन की तिथि से 15 वर्ष पर किसी तिथि के समतुल्य मूल्य पर मोचन योग्य, वार्षिक चक्रवृद्धि संचयी ब्याज के साथ।
5.	इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड (2010-11)-श्रृंखला III	8.50%	5.27	5.27	31.03.2026	आवंटन की तिथि से 15 वर्ष बाद की किसी तिथि के समतुल्य मूल्य पर मोचन योग्य।
6.	इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड (2010-11)-श्रृंखला IV	8.50%	19.33	19.33	31.03.2026	आवंटन की तिथि से 15 वर्ष पर किसी तिथि के समतुल्य मूल्य पर मोचन योग्य, वार्षिक चक्रवृद्धि संचयी ब्याज के साथ।
7.	इंफ्रा बॉण्ड प्राइवेट प्लेसमेंट श्रृंखला	8.43%	7.39	7.39	30.03.2022	आवंटन की तिथि से 10 वर्ष बाद की किसी तिथि के समतुल्य मूल्य पर मोचन योग्य।
8.	इंफ्रा बॉण्ड प्राइवेट प्लेसमेंट श्रृंखला -II	8.43%	15.47	15.47	30.03.2022	आवंटन की तिथि से 10 वर्ष पर किसी तिथि के समतुल्य मूल्य पर मोचन योग्य, वार्षिक चक्रवृद्धि संचयी ब्याज के साथ।
9.	इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड (2011-12) श्रृंखला -I	8.50%	21.85	21.85	21.11.2021	आवंटन की तिथि से 10 वर्ष पर किसी तिथि के बारे मूल्य पर मोचन योग्य।
10.	इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड (2011-12) श्रृंखला -II	8.50%	36.34	36.34	21.11.2021	आवंटन की तिथि से 10 वर्ष पर किसी तिथि के समतुल्य मूल्य पर मोचन योग्य, वार्षिक चक्रवृद्धि संचयी ब्याज के साथ।
11.	इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड (2010-11) श्रृंखला -I	8.30%	49.96	49.96	31.03.2021	आवंटन की तिथि से 10 वर्ष पर किसी तिथि के बारे मूल्य पर मोचन योग्य।
12.	इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड (2010-11) श्रृंखला -II	8.30%	109.12	109.12	31.03.2021	आवंटन की तिथि से 10 वर्ष पर किसी तिथि के समतुल्य मूल्य पर मोचन योग्य, वार्षिक चक्रवृद्धि संचयी ब्याज के साथ।
	कुल		**278.63**	**278.63**		

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

17.4 बकाया कर मुक्त बॉण्डों का ब्योरा इस प्रकार है:

क्र. सं.	बॉण्ड श्रृंखला	कूपन रेट (प्रतिवर्ष)	बकाया मूलधन राशि (₹ करोड़ में)		मोचन की तारीख	मोचन का ब्योरा
			31.03.2020	31.03.2019		
1.	7 35 कर मुक्त बॉण्ड 3ए 2015-16	7.35%	213.57	213.57	17.10.2035	
2.	7 60 कर मुक्त बॉण्ड 3बी 2015-16	7.60%	155.48	55.48	17.10.2035	
3.	कर मुक्त बॉण्ड 8 67 बीपीएस श्रृंखला 3ए	8.67%	1,067.38	1,067.38	16.11.2033	
4.	कर मुक्त बॉण्ड 8 92 बीपीएस श्रृंखला 3 बी	8.92%	861.96	861.96	16.11.2033	
5.	7 27 कर मुक्त बॉण्ड'2 ए 2015-16	7.27%	131.33	131.33	17.10.2030	
6.	7 52 कर मुक्त बॉण्ड 2 बी 2015-16	7.52%	45.18	45.18	17.10.2030	
7.	कर मुक्त बॉण्ड 8 54 बीपीएस श्रृंखला 2 ए	8.54%	932.70	932.70	16.11.2028	
8.	कर मुक्त बॉण्ड 8 79 बीपीएस श्रृंखला 2 बी	8.79%	353.32	353.32	16.11.2028	
9.	8 46 कर मुक्त बॉण्ड श्रृंखला 107 बी	8.46%	1,011.10	1,011.10	30.08.2028	
10.	7.04% टीआर-2 कर मुक्त बॉण्ड 12-13	7.04%	10.25	8.89	28.03.2028	
11.	7.54% टीआर-2 कर मुक्त बॉण्ड 12-13	7.54%	58.96	60.32	28.03.2028	
12.	7.36% 15 वर्षीय कर मुक्त बॉण्ड 12-13 टीआर-1 श्रृंखला-2	7.36%	162.72	159.81	04.01.2028	परिपक्वता पर मूल्य के समतुल्य मोचन योग्य
13.	7.86% 15 वर्षीय कर मुक्त बॉण्ड 12-13 टीआर-1 श्रृंखला-2	7.86%	194.28	197.19	04.01.2028	
14.	कर मुक्त बॉण्ड श्रृंखला 95 बी	7.38%	100.00	100.00	29.11.2027	
15.	कर मुक्त बॉण्ड श्रृंखला 94 बी	7.38%	25.00	25.00	22.11.2027	
16.	8.30% कर मुक्त बॉण्ड सार्वजनिक निर्गम वित्तीय वर्ष 11-12	8.30%	1,280.58	1,280.58	01.02.2027	
17.	8.16% कर मुक्त बॉण्ड श्रृंखला 80 बी	8.16%	209.34	209.34	25.11.2026	
18.	7.75% कर मुक्त बॉण्ड श्रृंखला 79 बी	7.75%	217.99	217.99	15.10.2026	
19.	7 11 कर मुक्त बॉण्ड 1ए 15-16	7.11%	75.09	75.09	17.10.2025	
20.	7.36 कर मुक्त बॉण्ड 1 बी 2015-16	7.36%	79.35	79.35	17.10.2025	
21.	7 16 टीएफ एसईसी बॉण्ड श्रृंखला 136	7.16%	300.00	300.00	17.07.2025	
22.	कर मुक्त बॉण्ड 8 18 बीपीएस श्रृंखला 1 ए	8.18%	325.07	325.07	16.11.2023	
23.	कर मुक्त बॉण्ड 8 43 बीपीएस श्रृंख्ला 1 बी	8.43%	335.47	335.47	16.11.2023	
24.	8 01 कर मुक्त बॉण्ड श्रृंख्ला 107 ए	8.01%	113.00	113.00	30.08.2023	

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

क्र. सं.	बॉण्ड श्रृंखला	कूपन रेट (प्रतिवर्ष)	बकाया मूलधन राशि (₹ करोड़ में)		मोचन की तारीख	मोचन का ब्योरा
			31.03.2020	31.03.2019		
25-.	6.88% टीआर-2 कर मुक्त बॉण्ड 2012-13	6.88%	52.90	52.90	28.3.2023	परिपक्वता पर मूल्य के बराबर मोचन योग्य
26.	7.38% टीआर-2 कर मुक्त बॉण्ड 2012-13	7.38%	43.25	43.77	28.03.2023	
27.	7.19% 10 वर्षीय कर मुक्त बॉण्ड 2012-13 टीआर-1 श्रृंखला-1	7.19%	197.09	193.40	04.01.2023	
28.	7.69% 10 वर्षीय कर मुक्त बॉण्ड 2012-13 टीआर-1 श्रृंखला-1	7.69%	145.66	149.35	04.01.2023	
29.	कर मुक्त बॉण्ड श्रृंखला 95 ए	7.22%	30.00	30.00	29.11.2022	
30.	कर मुक्त बॉण्ड श्रृंखला 94 ए	7.21%	255.00	255.00	22.11.2022	
31.	8.20% कर मुक्त बॉण्ड सार्वजनिक निर्गम 2011-12	8.20%	2,752.55	2,752.55	01.02.2022	
32.	8.09% कर मुक्त बॉण्ड श्रृंखला 80- ए	8.09%	334.31	334.31	25.11.2021	
33.	7.51% कर मुक्त बॉण्ड श्रृंखला 79- ए	7.51%	205.23	205.23	15.10.221	
	कुल		**12,275.11**	**12,275.11**		

17.5 बकाया 54 ईसी पूंजीगत अभिलाभ कर छूट बॉण्डों का ब्योरा निम्नानुसार है:

क्र. सं.	बॉण्ड श्रृंखला	कूपन रेट (प्रतिवर्ष)	बकाया मूलधन राशि (₹ करोड़ में)		मोचन की तारीख	मोचन का ब्योरा
			31.03.2020	31.03.2019		
1.	श्रृंखला III (वित्तीय वर्ष 2019-20)	5.75%	1,134.44	-		वर्ष 2024-25 के दौरान समतुल्य मूल्य पर मोचन योग्य
2.	श्रृंखला II (वित्तीय वर्ष 2018-19)	5.75%	491.95	491.95		वर्ष 2023-24 के दौरान समतुल्य मूल्य पर मोचन योग्य
3.	श्रृंखला I (वित्तीय वर्ष 2017-18)	5.25%	292.15	292.15		वर्ष 2020-21 के दौरान समतुल्य मूल्य पर मोचन योग्य
	कुल		**1,918.54**	**784.10**		

17.6 बकाया कर योग्य बॉण्डों का विवरण इस प्रकार है:

क्र. सं.	बॉण्ड श्रृंखला	कूपन रेट (प्रतिवर्ष)	बकाया मूलधन राशि (₹ करोड़ में)		मोचन की तारीख	मोचन का ब्योरा
			31.03.2020	31.03.2019		
1.	श्रृंखला 190	8.25%	4,016.00	-	06.09.2034	परिपक्वता पर समतुल्य मूल्य पर मोचन योग्य
2.	श्रृंखला 189	8.15%	4,035.00	-	08.08.2034	
3.	श्रृंखला 186	8.79%	2,578.90	-	30.04.2034	
4.	श्रृंखला 180	8.75%	2,654.00	2,654.00	22.02.2034	
5.	श्रृंखला 179-बी	8.64%	528.40	528.40	19.11.2033	
6.	श्रृंखला 71	9.05%	192.70	192.70	15.12.2030	
7.	श्रृंखला 66-सी	8.85%	633.00	633.00	15.06.2030	
8.	श्रृंखला 197	7.41%	5,000.00	-	15.05.2030	
9.	श्रृंखला 195	7.86%	1,100.00	-	12.04.2030	
10.	श्रृंखला 196	7.41%	2,500.00	-	25.02.2030	
11.	श्रृंखला 193	7.93%	4,710.50	-	31.12.2029	

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

क्र. सं.	बॉण्ड श्रृंखला	कूपन रेट (प्रतिवर्ष)	बकाया मूलधन राशि (₹ करोड़ में)		मोचन की तारीख	मोचन का ब्योरा
			31.03.2020	31.03.2019		
12.	श्रृंखला 118 ऑप्शन बी iii	9.39%	460.00	460.00	27.08.2029	
13.	श्रृंखला 187 बी	8.85%	1,982.10	-	27.05.2029	
14.	श्रृंखला 179 ए	8.67%	1,007.40	1,007.40	19.11.2028	
15.	श्रृंखला 178	8.95%	3.000.00	3,000.00	10.10.2028	
16.	श्रृंखला 177	7.85%	3,855.00	3,855.00	03.04.2028	
17.	श्रृंखला 103	8.94%	2,807.00	2,807.00	25.03.2028	
18.	श्रृंखला 102 ए (III)	8.90%	403.00	403.00	18.03.2028	
19.	श्रृंखला 101 बी	9.00%	1,370.00	1,370.00	11.03.2028	
20.	श्रृंखला 172	7.74%	850.00	850.00	29.01.2028	
21.	श्रृंखला 171	7.62%	5,000.00	5,000.00	15.12.2027	
22.	श्रृंखला 170 बी	7.65%	2,001.00	2,001.00	22.11.2027	
23.	श्रृंखला 169 बी	7.30%	1,500.00	1,500.00	07.08.2027	
24.	श्रृंखला 168 बी	7.44%	1,540.00	1,540.00	12.06.2027	
25.	श्रृंखला 155	7.23%	2,635.00	2,635.00	05.01.2027	
26.	श्रृंखला 152	7.55%	4,000.00	4,000.00	25.09.2026	
27.	श्रृंखला 151 बी	7.56%	210.00	210.00	16.09.2026	
28.	श्रृंखला 77 बी	9.45%	2,568.00	2,568.00	01.01.2026	
29.	श्रृंखला 150 बी	7.63%	1,675.00	1,675.00	14.08.2026	
30.	श्रृंखला 76 बी	9.46%	1,105.00	1,105.00	01.08.2026	
31.	श्रृंखला 147	8.03%	1,000.00	1,000.00	02.05.2026	
32.	श्रृंखला 71	9.05%	192.70	192.70	15.12.2025	परिपक्वता पर समतुल्य मूल्य पर मोचन योग्य
33.	श्रृंखला 141 बी	8.40%	1,000.00	1,000.00	18.09.2025	
34.	श्रृंखला 166 बी	8.75%	1,532.00	1,532.00	15.06.2025	
35.	श्रृंखला 65 iii	8.70%	1,337.50	1,337.50	14.05.2025	
36.	श्रृंखला 130 सी	8.39%	925.00	925.00	19.04.2025	
37.	श्रृंखला 64	8.95%	492.00	492.00	30.03.2025	
38.	श्रृंखला 131 सी	8.41%	5,000.00	5,000.00	27.03.2025	
39.	श्रृंखला 63 iii	8.90%	184.00	184.00	15.03.2025	
40.	श्रृंखला 128	8.20%	1,600,00	1,600,00	10.03.2025	
41.	श्रृंखला 62 बी	8.80%	1,172.60	1,172.62	15.01.2025	
42.	श्रृंखला 126	8.65%	5,000.00	5,000.00	04.01.2025	
43.	श्रृंखला 125	8.65%	2,826.00	2,826.00	28.12.2024	
44.	श्रृंखला 61	8.50%	351.00	351.00	15.12.2024	
45.	श्रृंखला 124 सी	8.48%	1,000.00	1,000.00	09.12.2024	
46.	श्रृंखला 192	7.42%	3,000.00	3,000.00	19.11.2024	
47.	श्रृंखला 120 ऑप्शन ए	8.98%	961.00	961.00	08.10.2024	
48.	श्रृंखला ऑप्शन 120 बी	8.98%	950.00	950.00	08.10.2024	
49.	श्रृंखला ऑप्शन 118 बी ii	9.39%	460.00	460.00	27.08.2024	
50.	श्रृंखला 117 ऑप्शन बी	9.37%	855.00	855.00	19.08.2024	
51.	श्रृंखला 57 सी	8.60%	866.50	866.50	07.08.2024	
52.	श्रृंखला 188	8.10%	691.10	691.10	04.06.2024	
53.	श्रृंखला 185 डी	9.26%	736.00	736.00	15.04.2023	

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

क्र. सं.	बॉण्ड श्रृंखला	कूपन रेट (प्रतिवर्ष)	बकाया मूलधन राशि (₹ करोड़ में)		मोचन की तारीख	मोचन का ब्योरा
			31.03.2020	31.03.2019		
54.	श्रृंखला 194	7.04%	1,400.00	1,400.00	14.04.2023	
55.	श्रृंखला 102 ए (iii)	8.90%	403,00	403,00	18.03.2023	
56.	श्रृंखला 100 बी	8.84%	1,310.00	1,310.00	04.03.2023	
57.	शून्य कूपन अप्रतिभूत कर योग्य बॉण्ड 2022 -xix श्रृंखला	-	605.94	605.94	30.12.2022	
58.	श्रृंखला 176 बी	7.99%	1,295.00	1,259.00	20.12.2022	
59.	श्रृंखला 170 ए	7.35%	800.00	800.00	22.11.2022	
60.	श्रृंखला 191	7.35%	3,735.00	3,735.00	15.10.2022	
61.	श्रृंखला 92 सी	9.29%	640.00	640.00	21.08.2022	
62.	श्रृंखला 181	8.45%	2,155.00	2,155.00	11.08.2022	
63.	श्रृंखला 169 ए	7.10%	3,395.00	3,395.00	08.08.2022	
64.	श्रृंखला 168 ए	7.28%	1,950.00	1,950.00	12.06.2022	
65.	श्रृंखला 187 ए	8.20%	1,605.00	1,605.00	27.05.2022	
66.	श्रृंखला 88 सी	9.48%	184.70	184.70	15.04.2022	
67.	श्रृंखला 183	8.18%	3,751.20	3,751.20	19.03.2022	
68.	श्रृंखला 154	7.27%	1,101.00	1,101.00	22.12.2021	
69.	श्रृंखला 124 बी	8.55%	1,200.00	1,200.00	09.12.2021	
70.	श्रृंखला 123 सी	8.66%	200.00	200.00	27.11.2021	
71.	श्रृंखला 153	7.40%	1,830.00	1,830.00	30.09.2021	
72.	श्रृंखला 151 ए	7.47%	2,260.00	2,260.00	16.09.2021	
73.	श्रृंखला 150 ए	7.50%	2,660.00	2.660.00	16.08.2021	परिपक्वता पर समतुल्य मूल्य पर मोचन योग्य
74.	श्रृंखला 76 ए	9.36%	2,589.40	2.589.40	01.08.2021	
75.	श्रृंखला 115 iii	9.20%	700.00	700.00	07.07.2021	
76.	श्रृंखला 75 सी	9.61%	2,084.70	2,084.70	29.06.2021	
77.	श्रृंखला 74	9.70%	1,693.20	1.693.20	09.06.2021	
78.	श्रृंखला 28	8.85%	600.00	600.00	31.05.2021	
79.	श्रृंखला 146	8.05%	300.00	300.00	27.04.2021	
80.	श्रृखला 73	9.18%	1,000.00	1,000.00	15.04.2021	
81.	श्रृंखला 175	7.75%	600.00	600.00	15.04.2021	
82.	श्रृंखला 173 बी	7.73%	1,325.00	1,325.00	05.04.2021	
83.	श्रृंखला 173 ए	7.73%	505.00	505.00	12.03.2021	
84.	श्रृंखला 112 सी	9.70%	270.00	270.00	31.01.2021	
85.	श्रृंखला 72 बी	8.99%	1,219.00	1,219.00	15.01.2021	
86.	श्रृंखला 71	9.05%	192.70	192.70	15.12.2020	
87.	श्रृंखला 70	8.78%	1,549.00	1,549.00	15.11.2020	
88.	श्रृंखला 141 ए	8.46%	1,000.00	1,30.00	18.09.2020	
89.	श्रृंखला 163	7.50%	2,435.00	2,435.00	17.09.2020	
90.	श्रृंखला 182	8.20%	3,500.00	3,500.00	14.09.2020	
91.	श्रृंखला 140 बी	8.36%	1,250.00	1,250.00	04.09.2020	
92.	श्रृंखला 138	8.45%	1,000.00	1,000.00	10.08.2020	
93.	श्रृंखला 137	8.53%	2,700.00	2,700.00	24.07.2020	
94.	श्रृंखला 68 बी	8.70%	1,424.00	1,424.00	15.07.2020	

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

क्र. सं.	बॉण्ड श्रृंखला	कूपन रेट (प्रतिवर्ष)	बकाया मूलधन राशि (₹ करोड़ में)		मोचन की तारीख	मोचन का ब्योरा
			31.03.2020	31.03.2019		
95.	श्रृंखला 167	7.30%	1,560.00	1,560.00	30.06.2020	
96.	श्रृंखला 165	7.42%	3,605.00	3,605.00	26.06.2020	
97.	श्रृंखला 66 ए	8.65%	500.00	500.00	15.06.2020	
98.	श्रृंखला 166	7.46%	1,180.00	1,180.00	05.06.2020	
99.	श्रृंखला 149	8.04%	100.00	100.00	30.05.2020	
100.	श्रृंखला 159	7.05%	2,551.00	2,551.00	15.05.2020	
101.	श्रृंखला 65 ii	8.70%	1,337.50	1,337.50	14.05.2020	
102.	श्रृंखला 131 बी	8.38%	1,350.00	1,350.00	27.04.2020	
103.	श्रृंखला 130 बी	8.42%	200.00	200.00	18.04.2020	
104.	श्रृंखला 85 सी	9.30%	79.50	79.50	15.04.2020	
105.	श्रृंखला 157	6.83%	2,000.00	2,000.00	15.04.2020	
106.	श्रृंखला 102 बी	8.87%	-	70.00		
107.	श्रृंखला 91 बी	9.39%	-	2,695.00		
108.	श्रृंखला 64	8.95%	-	492.00		
109.	श्रृंखला 87 डी	9.42%	-	650.80		
110.	श्रृंखला 63 ii	8.90%	-	184.00		
111.	श्रृंखला 100 ए	8.86%	-	54.30		
112.	श्रृंखला 127	8.36%	-	4,440.00		
113.	श्रृंखला 99 बी	8.82%	-	733.00		
114.	श्रृंखला 112 बी	9.70%	-	270.00		
115.	श्रृंखला 176 ए	7.53%	-	1,500.00		
116.	श्रृंखला 62 ए	8.70%	-	845.40		
117.	श्रृंखला 61	8.50%	-	351.00		
118.	श्रृंखला 124 ए	8.52%	-	1,220.00		
119.	श्रृंखला 123 बी	8.65%	-	836.00	वित्तीय वर्ष 2019-20 में पूर्णभूगतान	संबंधित परिपक्वता/कॉल ऑपशन एक्सरसाइज तिथि पर सममूल्य पर मोचित
120.	श्रृंखला 60 बी	एफबीआईअलजी-संरक्षित सम्तुल्य प्राप्ति + 179 बीपीएस (फ्लोटिंग दर)	-	925.00		
121.	श्रृंखला 122	8.76%	-	1,000.00		
122.	श्रृंखला 121 बी	8.96%	-	1,100.00		
123.	श्रृंखला 59 बी	8.80%	-	1,216.60		
124.	श्रृंखला 119 ऑप्शन बी	9.32%	-	1,591.00		
125.	श्रृंखला 118 ऑप्शन बी i	9.39%	-	460.00		
126.	श्रृंखला 57 बी	8.60%	-	866.50		
127.	श्रृंखला 115 ii	9.15%	-	100.00		
128.	श्रृंखला 135 बी	8.50%	-	1,500.00		
129.	श्रृंखला 174	7.80%	-	3,300.00		
130.	श्रृंखला 148	7.95%	-	1,915.00		
131.	श्रृंखला 145	7.85%	-	2,928.00		
	कुल		**1,72,930.24**	**1,67,774.95**		

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

17.7 बकाया विदेशी मुद्रा ऋणों का विवरण इस प्रकार है:

क्र. सं.	बॉण्ड श्रृंखला	कूपन रेट (प्रतिवर्ष)	बकाया मूलधन राशि (₹ करोड़ में) 31.03.2020	31.03.2019	मोचन की तारीख	मोचन का ब्योरा
1.	3.95% यूएसडी बॉण्ड 2030	3.95%	5,653.94	-	23.04.2030	
2.	3.90% यूएसडी बॉण्ड 2029	3.90%	3,392.36	-	16.09.2029	
3.	4.50% यूएसडी बॉण्ड 2029	4.50%	4,523.15	-	18.06.2029	
4.	6.15% यूएसडी बॉण्ड 2028	6.15%	3,769.29	3,457.75	06.12.2028	परिपक्वता पर सममूल्य पर मोचनीय
5.	5.25% यूएसडी बॉण्ड 2028	5.25%	2,261.58	2,074.65	10.08.2028	
6.	3.75% यूएसडी ग्रीन बॉण्ड 2027	3.75%	3,015.44	2,766.20	06.12.2027	
7.	3.25% यूएसडी बॉण्ड 2024	3.25%	2,261.58	-	16.06.2024	
8.	3.75% यूएसडी बॉण्ड 2024	3.75%	3,015.44	-	18.06.2024	
	कुल		**27,892.78**	**8,298.60**		

17.8 बकाया कमर्शियल पेपर का ब्योरा इस प्रकार है:

क्र. सं.	बॉण्ड श्रृंखला	कूपन रेट (प्रतिवर्ष)	बकाया मूलधन राशि (₹ करोड़ में) 31.03.2020	31.03.2019	मोचन की तारीख	मोचन का ब्योरा
1.	सीपी-108	7.85%	-	3,000.00	वित्तीय वर्ष 2019-20 में पुनः भुगतान	संबंधित परिपक्वता तिथियों पर, सममूल्य पर मोचनीय
2.	सीपी-109	7.39%	-	1,500.00		
3.	सीपी-106	7.15%	-	3,000.00		
4.	सीपी-105	7.44%	-	2,500,00		
	घटाएं: अपरिशोधित वित्तीय प्रभार		-	(284.08)		
	कुल		**-**	**9,715.92**		

17.9 निम्नलिखित बॉण्ड श्रृंखला वर्तमान और भविष्य के प्राप्यों पर प्रथम पारी-पासू प्रभार द्वारा संरक्षित है (उन प्राप्यों को छोड़कर जिन्हें गुंडी, चेन्नई स्थल अचल परिसंपत्ति पर प्रथम पारी-पासू प्रभार के साथ वर्ष 2010-11 के दौरान इंफ्रा बॉण्ड श्रृंखला के लिए अलग से प्रभारित किया गया है)।

(क) 7.51% कर मुक्त बॉण्ड श्रृंखला 79-ए

(ख) 7.75% कर मुक्त बॉण्ड श्रृंखला 79-बी

(ग) 8.09% कर मुक्त बॉण्ड श्रृंखला 80-ए

(घ) 8.16% कर मुक्त बॉण्ड श्रृंखला 80-बी

(ङ) 7.21% कर मुक्त बॉण्ड श्रृंखला 94-ए

(च) 7.38% कर मुक्त बॉण्ड श्रृंखला 94-बी

(छ) 7.22% कर मुक्त बॉण्ड श्रृंखला 95-ए

(ज) 7.38% कर मुक्त बॉण्ड श्रृंखला 95-बी

(झ) 8.43% इंफ्रा बॉण्ड प्राइवेट प्लेसमेंट श्रृंखला-i

(ञ) 8.43% इंफ्रा बॉण्ड प्राइवेट प्लेसमेंट श्रृंखला-ii

(ट) 8.72% इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड श्रृंखला 86 सी

(ठ) 8.72% इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड श्रृंखला 86 डी

(ड) 8.50% 10 वर्षीय इंफ्रास्ट्रक्चर श्रृंखला बॉण्ड (2011-12) श्रृंखला-i

(ढ) 8.50% 10 वर्षीय इंफ्रास्ट्रक्चर श्रृंखला बॉण्ड (2011-12) श्रृंखला-ii

(ण) 8.75% 15 वर्षीय इंफ्रास्ट्रक्चर श्रृंखला बॉण्ड (2011-12) श्रृंखला-iii

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

(ट) 8.75% 15 वर्षीय इंफ्रास्ट्रक्चर श्रृंखला बॉण्ड (2011-12) श्रृंखला-iv

(त) 8.20% कर मुक्त बॉण्ड (2011-12) ट्रांच ख श्रृंखला-i

(थ) 8.30% कर मुक्त बॉण्ड (2011-12) ट्रांच ख श्रृंखला-ii

(द) 7.19% कर मुक्त बॉण्ड (2012-13) ट्रांच ख श्रृंखला-i

(ध) 7.69% कर मुक्त बॉण्ड (2012-13) ट्रांच ख श्रृंखला-i

(न) 7.36% कर मुक्त बॉण्ड (2012-13) ट्रांच ख श्रृंखला-ii

(प) 7.86% कर मुक्त बॉण्ड (2013-13) ट्रांच ख श्रृंखला-ii

17.10 जंगपुरा, नई दिल्ली में स्थित अचल परिसंपत्ति पर प्रथम प्रभार के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्डों की बॉण्ड श्रृंखला i, ii, iii एवं iv को 31 मार्च, 2020 की स्थिति में अनुसार कंपनी के 1,153.06 करोड़ रुपए के विशिष्ट बही ऋण पर प्रभार द्वारा प्रतिभूत किया गया है।

17.11 54 ईसी पूंजीगत लाभ कर छूट बॉण्डों की बॉण्ड श्रृंखला i, ii तथा iii कर योग्य बॉण्ड श्रृंखला 112-सी और अन्य सभी कर मुक्त बॉण्ड श्रृंखला को कंपनी के कुल बही ऋणों पर प्रथम पारी-पासू द्वारा प्रतिभूत किया जाता है (ऐसे प्राप्य प्रतिफल को छोड़कर जिन पर कंपनी द्वारा पहले विशिष्ट प्रभार का सृजन किया गया है), जो लेन-देन के दस्तावेजों के अंतर्गत/अनुपालन में बॉण्ड धारकों और/या अन्य को कंपनी द्वारा देय/चुकौती योग्य ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, लागत एवं व्यय तथा अन्य धनराशि सहित बॉण्डों के भुगतान/पुनर्भुगतान की सीमा तक सीमित है।

18. ऋण (ऋण प्रतिभूतियों से भिन्न)

कंपनी ने इंड एएस 109 की आवश्यकताओं के अनुसरण परिशोधित लागत पर ऋणों (ऋण प्रतिभूतियों से भिन्न) को वर्गीकृत किया है।

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2020 की स्थिति के अनुसार	31.03.2019 की स्थिति के अनुसार
(क)	सावधि ऋण		
	(i) बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं से		
	- विदेशी मुद्रा ऋण (टिप्पणी 18.1 देखें)	172.38	4,676.17
	- सिंडिकेटिड विदेशी मुद्रा ऋण (टिप्पणी 18.2 देखें)	19,635.63	15,852.09
	- रुपया सावधि ऋण (टिप्पणी 18.4 देखें)	49,598.98	38,703.55
	(ii) अन्य पक्षकारों से		
	- रुपया सावधि ऋण - भारत सरकार (टिप्पणी 18.6 देखें)	7,500.00	7,500.00
(ख)	बैंकों से अन्य ऋण		
	(i) सावधि जमा के विरूद्ध ऋण (टिप्पणी 18.7 देखें)	-	12,737.18
	(ii) कार्यकारी पूंजी मांग ऋण/ ओवरड्राफ्ट/नकदी क्रेडिट/लाइन ऑफ क्रेडिट (टिप्पणी 16.6 देखें)	2,038.36	620.00
(ग)	उपर्युक्त पर प्रोद्भूत परंतु अदेय ब्याज	375.43	402.93
(घ)	उपर्युक्त पर अपरिशोधित लेन-देन लागत	(204.72)	(147.23)
	कुल ऋण (ऋण प्रतिभूतियों से भिन्न)	**79,116.06**	**80,344.69**
	भूगोलवार ऋण		
	(i) भारत में ऋण	59,448.04	59,899.66
	(ii) भारत के बाहर ऋण	19,668.02	20,445.03
	कुल भूगोलवार ऋण	**79,116.06**	**80,344.69**

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

18.1 बकाया अप्रतिभूत विदेशी मुद्रा ऋणों का ब्योरा निम्नानुसार है:

क्र. सं.	विवरण	बकाया मूलधन (₹ करोड़ में) 31.03.2020 की स्थिति के अनुसार	31.03.2019 की स्थिति के अनुसार	मोचन की तारीख	मोचन का ब्योरा
1.	केएफडब्ल्यु - i (भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत)	48.26	48.05	30 दिसंबर, 2035 तक अर्धवार्षिक किश्तें	अर्ध-वार्षिक किस्तों में मोचनीय
2.	एडीबी (भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत)	79.46	82.80	15 अक्तूबर, 2028 तक अर्धवार्षिक किश्तें	
3.	क्रेडिट नेशनल (भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत)	44.66	50.24	30 जून, 2028 तक अर्धवार्षिक किश्तें	
4.	एसबीआई एफसीएनआर(बी) आईसीआईसीआई बैंक एफसीए	-	1,728.88	वित्तीय वर्ष 2019-20 में चुकाया गया	परिपक्वता के अंत में एकबारगी पुनर्भुगतान
5.	आईसीआईसीआई बैंक एफसीएनआर(बी) - iv	-	691.55		
6.	आईसीआईसीआई बैंक एफसीएनआर(बी) - iii	-	691.55		
7.	आईसीआईसीआई बैंक एफसीएनआर(बी) - ii	-	691.55		
8.	आईसीआईसीआई बैंक एफसीएनआर(बी)	-	691.55		
	कुल विदेशी मुद्रा ऋण	**172.38**	**4676.17**		

18.2 बकाया अप्रतिभूत सिंडिकेटिड विदेशी मुद्रा ऋणों का ब्योरा निम्नानुसार है:

क्र. सं.	विवरण	बकाया मूलधन (₹ करोड़ में) 31.03.2020 की स्थिति के अनुसार	31.03.2019 की स्थिति के अनुसार	मोचन की तारीख	मोचन का ब्योरा
1.	एसएलएन 29	1,884.65	-	20.12.2024	कार्यावधि के अंत में एकबारगी पुनर्भुगतान
2.	एसएलएन 27	1,143.01	1,024.32	01.02.2024	
3.	एसएलएन 26	1,884.65	1,728.88	26.09.2023	
4.	एसएलएन 23	1,884.65	1,728.88	22.03.2023	
5.	एसएलएन 22	1,884.65	1,728.88	28.02.2023	
6.	एसएलएन 21	2,261.57	2,074.65	12.12.2022	
7.	एसएलएन 28 यूएसडी	1,884.65	-	28.06.2022	
8.	एसएलएन 28 जेपीवाई	373.97	-	28.06.2022	
9.	एसएलएन 17	3,392.36	3,111.98	3 समान किश्तें (28.09.2020, 26.03.2021 और 24.09.2021)	तीन समान किश्तों में मोचनीय
10.	एसएलएन 18	3,041.47	2,725.65	3 समान किश्तें (06.11.2020, 08.11.2021 और 04.11.2022)	तीन समान किश्तों में मोचनीय
11.	एसएलएन 16	-	1,728.88	वित्तीय वर्ष 2019-20 में चुकाया गया	परिपक्वता के अंत में एकबारगी पुनर्भुगतान
	कुल सिंडिकेटिड विदेशी मुद्रा ऋण	**19,635.63**	**15,852.09**		

18.3 उपर्युक्त नोट नं. 18.1 और 18.2 में 31.03.2020 को अमेरिकी डालर/जापानी येन लिबोर (लंदन अंतर बैंक के अंतर्गत दर) विदेशी मुद्रा में ऋण 60 बीपीएस से 110 बीपीएस के बढ़े हुए दायरे में 6 महीने से अधिक बढ़ा दी गई है।

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

18.4 रुपए में बकाया आवधिक ऋण का विवरण इस प्रकार है:

1. प्रतिभूत रुपया सावधि ऋण

क्र. सं.	विवरण	बकाया मूलधन (₹ करोड़ में) 31.03.2020 की स्थिति के अनुसार	31.03.2019 की स्थिति के अनुसार	मोचन की तारीख	मोचन का ब्योरा
1.	इलाहाबाद बैंक	500.00	-	02.01.2027	कार्यावधि के अंत में एकबारगी पुनर्भुगतान
2.	इलाहाबाद बैंक	1,800.00	-	29.06.2026	29 सितंबर 2023 से शुरू होकर 29 जून 2026 को समाप्त होने वाले प्रत्येक 150 करोड़ रुपए की 12 त्रैमासिक किश्तों में ऋण चुकाना होगा।
3.	ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	225.00	-	30.09.2025	ऋण को 30 सितंबर 22 से शुरू होने वाले 56.25 करोड़ रुपए के 04 वार्षिक किस्तों में चुकाया जाना चाहिए और 30 सितंबर 2025 को समाप्त होगा।
4.	बैंक ऑफ इंडिया	1,000.00	1,000.00	02.03.2025	यह ऋण 02 मार्च 2024 से शुरू होने वाले और 02 मार्च 2025 को समाप्त होने वाली 500 करोड़ रुपए की 2 वार्षिक किस्तों में चुकाया जाना है।
5.	ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	1,500.00	1,500.00	25.02.2025	मूलधन की अदायगी पर 2 वर्ष की अधिस्थगन अवधि है तथा संवितरण की तारीख से 2 वर्ष की अधिस्थगन अवधि की समाप्ति के बाद 375 करोड़ रुपए प्रत्येक की चार वार्षिक किश्तों में ऋण को चुकता करना है, जिसकी शुरूआत 25 फरवरी, 2022 से होगी और यह 25 फरवरी, 2025 को समाप्त होगा।
6.	कॉर्पोरेशन बैंक	500.00	-	30.09.2024	ऋण को 200 करोड़ रुपए प्रत्येक की 5 वार्षिक किश्तों में चुकता करना है जिसकी शुरूआत 30 सितंबर, 2020 से होगी और यह 30 सितंबर, 2024 को समाप्त होगा।
7.	केनरा बैंक	1,000.00	-	29.06.2024	कार्यावधि के अंत में बुलेट पुनर्भुगतान
8.	केनरा बैंक	500.00	-	24.06.2024	
9.	केनरा बैंक	500.00	-	21.06.2024	
10.	कॉर्पोरेशन बैंक	800.00	1,000.00	15.03.2024	ऋण को 200 करोड़ रुपए प्रत्येक की 5 वार्षिक किश्तों में चुकता करना है जिसकी शुरूआत 15 मार्च, 2020 से होगी और यह 15 मार्च, 2024 को समाप्त होगा।
11.	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	750.00	750.00	11.03.2024	अधिस्थगनः 1 संवितरण की तारीख से 2 वर्ष (8 तिमाही)। मूल धन 12 संरचित त्रैमासिक किस्तों में चुकाया जाएगा, अर्थात 9वीं-12वीं तिमाही से प्रत्येक 18.75 करोड़ रुपए की 4 किस्तें, 13वीं-16वीं तिमाही से प्रत्येक की 56.25 करोड़ रुपए की 4 किस्तें और उसके बाद 17वीं-20वीं से प्रत्येक 112.50 करोड़ रुपए की 4 किस्तें त्रिमास।
12.	केनरा बैंक	1,000.00	1,000.00	20.02.2024	कार्यावधि के अंत में बुलेट पुनर्भुगतान
13.	कर्नाटक बैंक	500.00	-	31.07.2022	ऋण को 100 करोड़ रुपए प्रत्येक की 5 वार्षिक किश्तों में चुकता करना है जिसकी शुरूआत 31 जुलाई, 2021 से होगी और यह 31 जुलाई, 2022 को समाप्त होगा।
14.	यूको बैंक	-	200.00	वित्तीय वर्ष 2019-20 में चुकाया गया	परिपक्वता पर सममूल्य पर मोचनीय
	कुल प्रतिभूत रुपया सावधि ऋण	**10,575.00**	**5,450.00**		

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

2. अप्रतिभूत रुपया सावधि ऋण

क्र. सं.	विवरण	बकाया मूलधन (₹ करोड़ में) 31.03.2020 की स्थिति के अनुसार	31.03.2019 की स्थिति के अनुसार	मोचन की तारीख	मोचन का ब्योरा
1.	केनरा बैंक	500.00	-	23.03.2026	
2.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	2,500.00	-	23.03.2025	
3.	ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	1,000.00	-	20.03.2025	कार्यावधि के अंत में एकबारगी पुनर्भुगतान
4.	आंध्रा बैंक	800.00	-	15.01.2025	
5.	भारतीय स्टेट बैंक	3,000.00	-	19.12.2024	
6.	बैंक ऑफ बड़ौदा	2,000.00	-	15.04.2024	ऋण 5 वार्षिक किश्तों में चुकाया जाना है, जिसमें प्रत्येक 100 करोड़ की 2 किस्त और उसके बाद 15 अप्रैल 2020 से शुरू होने वाली 600 करोड़ रुपये की 3 किस्त 15 अप्रैल 2024 को समाप्त होगी।
7.	सिंडीकेट बैंक	1,750.00	-	20.03.2024	कार्यावधि के अंत में एकबारगी पुनर्भुगतान
8.	बैंक ऑफ इंडिया	2,000.00	2,000.00	21.01.2024	
9.	केनरा बैंक	500.00	500.00	15.01.2024	
10.	केनरा बैंक	500.00	500.00	28.12.2023	
11.	यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	995.00	1,000.00	24.12.2023	
12.	एचडीएफसी बैंक लिमिटेड	750.00	750.00	05.10.2023	
13.	भारतीय स्टेट बैंक	5,999.98	6,000.00	27.09.2023	
14.	यूको बैंक	500.00	-	31.03.2023	
15.	इंडियन ओवरसीज बैंक	400.00	-	31.03.2023	
16.	इंडियन ओवरसीज बैंक	400.00	-	31.03.2023	
17.	इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड	1,429.00	-	31.03.2022	
18.	इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड	800.00	800.00	14.09.2021	
19.	यूको बैंक	1,000.00	1,000.00	23.08.2021	
20.	इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड	271.00	-	25.03.2021	
21.	बैंक ऑफ बड़ौदा	700.00	700.00	04.03.2021	
22.	एचडीएफसी बैंक लिमिटेड	750.00	750.00	30.09.2020	
23.	केनरा बैंक	1,500.00	1,500.00	13.09.2020	
24.	बैंक ऑफ इंडिया	1,000.00	1,000.00	06.08.2020	
25.	आंध्रा बैंक	1,979.00	1,979.00	29.06.2020	
26.	विजया बैंक	2,000.00	2,000.00	19.06.2020	
27.	पंजाब नेशनल बैंक	2,000.00	2,000.00	05.06.2020	
28.	पंजाब नेशनल बैंक	2,000.00	2,000.00	24.05.2020	
29.	इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड	-	775.00		
30.	इलाहाबाद बैंक	-	2,000.00	वित्तीय वर्ष 2019-20 में चुकाया गया	संबंधित परिपक्वता के अंत में एकबारगी पुनर्भुगतान
31.	बैंक ऑफ बड़ौदा	-	2,000.00		
32.	बैंक ऑफ बड़ौदा	-	999.55		
33.	भारतीय स्टेट बैंक	-	3,000.00		
	कुल अप्रतिभूत रुपया सावधि ऋण	**39,023.98**	**33,253.55**		
	कुल रुपया सावधि ऋण (अप्रतिभूत और प्रतिभूत)	**49,598.98**	**38,703.55**		

18.5 उपर्युक्त नोट 18.4 में 31.03.2020 को ऋण संबंधित बैंकों के बैंचमार्क दर से 0 से 5 बीपीएस अधिक बढ़ा दिया गया है।

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

18.6 अप्रतिभूत रुपया सावधि ऋण - भारत सरकार बकाया का ब्योरा:

क्र. सं.	बॉण्ड श्रृंखला	बकाया मूलधन (₹ करोड़ में)		मोचन की तारीख	मोचन का ब्योरा
		31.03.2020 की स्थिति के अनुसार	31.03.2019 की स्थिति के अनुसार		
1.	नेशनल स्मॉल सेविंग फंड स्कीम (एनएसएसएफ) कुपन रेट - 8.11प्रतिशत प्रति वार्षिक	7,500.00	7,500.00	27.12.2028	परिपक्वता के अंत में एकबारगी पुनर्भुगतान

18.7 बकाया सावधि जमा के विरुद्ध ऋण का ब्योरा इस प्रकार है:

क्र. सं.	बॉण्ड श्रृंखला	बकाया मूलधन (₹ करोड़ में)		मोचन की तारीख	मोचन का ब्योरा
		31.03.2020 को	31.03.2019 को		
1.	तमिलनाड मर्कन्टाइल बैंक	-	382.00	वित्तीय वर्ष 2019-20 में चुकाया गया	संबंधित परिपक्वता के अंत में एकबारगी पुनर्भुगतान
2.	पंजाब नेशनल बैंक	-	1,525.44		
3.	साउथ इंडियन बैंक	-	317.92		
4.	ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	-	1,805.00		
5.	इंडियन बैंक	-	1,995.00		
6.	विजया बैंक	-	1,890.00		
7.	पंजाब नेशनल बैंक	-	344.13		
8.	पंजाब नेशनल बैंक	-	26.43		
9.	पंजाब नेशनल बैंक	-	1,291.94		
10.	केनरा बैंक	-	1,704.13		
11.	यूको बैंक	-	500.00		
12.	एचडीएफसी बैंक लिमिटेड	-	955.19		
	सावधि जमा के विरूद्ध कुल ऋण	**-**	**12,737.18**		

18.8 बकाया अप्रतिभूत डब्लूसीडीएल/ ओडी/ सीसी/ लाइन ऑफ क्रेडिट का ब्योरा इस प्रकार है:

क्र. सं.	बॉण्ड श्रृंखला	बकाया मूलधन (₹ करोड़ में)		मोचन की तारीख	मोचन का ब्योरा
		31.03.2020 को	31.03.2019 को		
1.	भारतीय स्टेट बैंक (डब्ल्यूसीएल)	1,200.00	-	15.04.2020	परिपक्वता के अंत में एकबारगी पुनर्भुगतान
2.	पंजाब नेशनल बैंक (डब्ल्यूसीडीएल)	600.00	-	15.04.2020	
3.	पंजाब नेशनल बैंक (ओडी)	238.36	-	चालू सुविधा	चालू सुविधा
4.	बैंक ऑफ इंडिया	-	250.00	वित्तीय वर्ष 2019-20 में चुकाया गया	संबंधित परिपक्वता के अंत में एकबारगी पुनर्भुगतान
5.	पंजाब नेशनल बैंक	-	370.00		
	कुलडब्ल्यूसीडीएल/ओडी/सीसी/लाइनऑफक्रेडिट	**2,038.36**	**620.00**		

18.9 उपर्युक्त नोट 18.8 में ऋण 6.70 प्रतिशत से 7.45 प्रतिशत वार्षिक के दायरे में बढ़ा दी गई है।

18.10 निदेशकों द्वारा एक भी ऋण की गारंटी नहीं दी गई है।

18.11 उपर्युक्त अवधि के दौरान ऋण और ब्याज के पुनर्भुगतान में कोई चूक नहीं हुई है।

18.12 प्रतिभूत रुपया सावधि ऋणों के विरुद्ध प्रतिभूति के रूप में रक्षित प्राप्य राशि के वहन मूल्य के लिए टिप्पणी 10 देखें। प्रतिभूत रुपया सावधि ऋणों को कंपनी के प्राप्य प्रतिफल पर ऋणकर्ता बैंक के पक्ष में प्रथम पारी-पासू द्वारा प्रतिभूत किया जाता है जो इस प्रतिभूति दस्तावेज के अंतर्गत/अनुपालन में ऋणदाता बैंक और/या अन्यों को कंपनी द्वारा देय/चुकौती योग्य ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, लागत एवं व्यय तथा सभी अन्य धनराशियों सहित सावधि ऋण के भुगतान/पुनर्भुगतान तक सीमित है, ऐसे प्राप्य प्रतिफल को छोड़कर जिन्हें कैटलिस्ट ट्रस्टीशिप लिमिटेड (पूर्व में इसका नाम जीडीए ट्रस्टीशिप लिमिटेड था) के पक्ष में पहले प्रभारित किया जा चुका है।

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

19. सबॉर्डिनेटिड देयताएं

कंपनी ने परिशोधित लागत पर सबॉर्डिनेटिड देयताओं को इंड एएस 109 की आवश्यकताओं के रूप में वर्गीकृत किया है।

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2020 को	31.03.2019 को
	सबॉर्डिनेटिड देयताएं		
(i)	सबॉर्डिनेटिड बॉण्ड (टिप्पणी संख्या 19.1 देखें)	9,211.50	9,211.50
(ii)	उपर्युक्त पर प्रोद्भूत परंतु अदेय ब्याज	103.04	102.30
(iii)	उपर्युक्त पर अपरिशोधित लेनदेन लागत	(3.59)	(4.10)
	कुल सबॉर्डिनेटिड देयताएं	**9,310.95**	**9,309.70**
	भूगोलवार सबॉर्डिनेटिड देयताएं		
(i)	भारत में सबॉर्डिनेटिड बॉण्ड	9,310.95	9,309.70
(ii)	भारत के बाहर सबॉर्डिनेटिड बॉण्ड	-	-
	कुल भूगोलवार सबॉर्डिनेटिड देयताएं	**9,310.95**	**9,309.70**

19.1 सबॉर्डिनेटिड बॉण्डों का ब्योरा इस प्रकार है:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2020 को	31.03.2019 को
1.	सबॉर्डिनेटिड टियर II ऋण बॉण्ड	2,000.00	2,000.00
2.	सबॉर्डिनेटिड टियर II ऋण बॉण्ड	1,000.00	1,000.00
3.	सबॉर्डिनेटिड टियर II ऋण बॉण्ड	800.00	800.00
4.	सबॉर्डिनेटिड टियर II ऋण बॉण्ड	2,411.50	2,411.50
5.	सबॉर्डिनेटिड टियर II ऋण बॉण्ड	1,000.00	1,000.00
6.	सबॉर्डिनेटिड टियर II ऋण बॉण्ड	2,000.00	2,000.00
	कुल	**9,211.50**	**9,211.50**

20. अन्य वित्तीय देयताएं:

कंपनी ने परिशोधित लागत पर अन्य वित्तीय देयताओं को इंड एएस 109 की आवश्यकताओं के रूप में वर्गीकृत किया है।

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2020 को	31.03.2019 को
(i)	भारत सरकार चुकता बॉण्डों के लिए देय (टिप्पणी 20.1 देखें)	5,038.72	5,038.21
(ii)	सहायक कंपनियों एवं सहयोगी कंपनियों से प्राप्त अग्रिम*	168.42	189.11
(iii)	अदत्त लाभांश (टिप्पणी 20.2 देखें)	3.48	3.16
(iv)	अदत्त बॉण्ड तथा उन पर प्रोद्भूत ब्याज (टिप्पणी 20.2 देखें)।		
	- अदावी बॉण्ड	0.53	1.15
	- बॉण्डों पर अदावी ब्याज	15.16	13.95
(v)	अन्य		
	- बॉण्डों पर प्रतिदेय आवेदन शुल्क तथा उन पर प्रोद्भूत ब्याज	0.83	0.77
	- ब्याज सब्सिडी निधि (टिप्पणी 20.3 देखें)	17.31	15.96
	- लीज देयता (टिप्पणी 38 देखें)	8.81	-
	- अन्य देनदारियां	121.90	65.53
	कुल अन्य वित्तीय देयताएं	**5,375.16**	**5,327.84**

* नकदी में देय

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

20.1 भारत सरकार के चुकता किए गए बॉण्डों का ब्योरा (अप्रतिभूत कर योग्य बॉण्ड):

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2020 को	31.03.2019 को
(i)	पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला 164 भारत सरकार के पूर्णतः चुकता बॉण्ड	2,000.00	2,000.00
(ii)	पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला 160 भारत सरकार के पूर्णतः चुकता बॉण्ड	1,465.00	1,465.00
(iii)	पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला 158 भारत सरकार के पूर्णतः चुकता बॉण्ड	1,335.00	1,335.00
(iv)	पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला 156 भारत सरकार के पूर्णतः चुकता बॉण्ड	200.00	200.00
(v)	उपर्युक्त पर प्रोद्भूत ब्याज	38.72	38.21
	भारत सरकार के चुकता किए गए कुल बॉण्ड (अप्रतिभूत कर योग्य बॉण्ड)	**5,038.72**	**5,038.21**

20.2 अदत्त लाभांशों, अदावी बॉण्डों तथा उन पर ब्याज में ऐसी राशियां शामिल हैं जिनका लिखतों के धारकों/ निवेशकों द्वारा दावा नहीं किया गया है या विधिक औपचारिकताओं आदि के लंबित होने के कारण रोकी गई हैं। उपर्युक्त में से निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि को देय राशि निधि में स्थानांतरित की गई है।

20.3 त्वरित उत्पादन एवं आपूर्ति कार्यक्रम (एजी एंड एसपी) के अंतर्गत ब्याज सब्सिडी निधि:

(i) कंपनी ने वास्तविक चुकता अवधि, अधिस्थगन अवधि तथा चुकता करने की अवधि को ध्यान में रखे बगैर भारत सरकार के दिनांक 23 सितंबर, 1997 के अर्धशासकीय पत्र संख्या 32024/17/97. पीएफसी तथा दिनांक 07 मार्च, 2003 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 32024/23/2001-पीएफसी के अनुसरण में सांकेतिक ब्याज दरों पर परिकलित निवल वर्तमान मूल्य पर भारत सरकार से सब्सिडी का दावा किया। प्राप्त तथा ऋणकर्ता को हस्तांतरित की जाने वाली ब्याज सब्सिडी की राशि को ब्याज सब्सिडी निधि लेखा के रूप में प्रतिधारित किया जाता है। दावा के समय और वास्तविक संवितरण के समय विचारित सांकेतिक दर तथा अवधि के बीच अंतर के प्रभाव का सुनिश्चय संबंधित योजनाओं की समाप्ति बाद ही किया जा सकता है।

हालांकि, प्रत्येक परियोजना के लिए किए गए अनुमानों के आधार पर (कुछ धारणाओं के आधार पर जो प्रत्येक ऋण/परियोजना की प्रक्षेपित अवधि में समान बनी रहेंगी), कंपनी ने अनुमान लगाया कि एजी और एसपी योजनाओं के अंतर्गत IX और X योजनाओं दोनों के लिए 31.03.2020 (क्रमशः 31.03.2019 शून्य और क्रमशः 16.04 करोड़ रुपए) के लिए कोई अतिरिक्त अतिरिक्त राशि नहीं है।

(ii) विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त सब्सिडी की राशि को दर्शाने वाली देयता के रूप में प्रदर्शित ब्याज सब्सिडी निधि शीर्ष के अंतर्गत शेष में निम्नलिखित शामिल हैं:

विवरण		31.03.2020 को समाप्त वर्ष	31.03.2019 को समाप्त वर्ष
प्रारंभिक शेष		15.96	112.51
जोड़ें :	अवधि के दौरान प्राप्त	-	-
:	अवधि के दौरान जमा किया गया ब्याज	1.35	3.45
:	परियोजना के समय पर चालू न होने के कारण ऋणकर्ता द्वारा रिफंड	-	-
घटाएं :	विद्युत मंत्रालय को लौटाई गई		
(क)	9वीं एवं 10वीं योजना के विरुद्ध अनुमानित निवल अतिरिक्त राशि	-	100
(ख)	परियोजना के समय पर चालू न होने के कारण देय	-	-
अंतिम शेष		**17.31**	**15.96**

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान ऋणकर्ताओं को हस्तांतरित की गई ब्याज सब्सिडी ₹1.13 करोड़ है (पिछले वर्ष ₹1.95 करोड़)

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

21. प्रावधान:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2020 को समाप्त वर्ष	31.03.2019 को समाप्त वर्ष
(i)	कार्मिक हितलाभों के लिए		
	– उपदान	2.76	0.75
	– छुट्टी नकदीकरण	35.11	27.31
	– कार्मिकों का आर्थिक पुनर्वास	2.89	1.69
	– बोनस/प्रोत्साहन के लिए प्रावधान	28.18	33.74
	– स्टॉफ कल्याण व्यय के लिए प्रावधान	14.88	13.80
(ii)	क्षतिग्रस्तता हानि छूट-चुकौती आश्वासन पत्र (टिप्पणी 21.1 और 21.2 देखें)	180.47	186.71
	कुल प्रावधान	**264.29**	**246.00**

21.1 चुकौती आश्वासन पत्र पर क्षतिग्रस्तता का मूवमेंट

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 को समाप्त वर्ष	31.03.2019 को समाप्त वर्ष
प्रारंभिक शेष	186.71	195.39
जोड़ें: वर्ष के दौरान सृजन	0.49	6.07
घटाएं: वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तन	(6.73)	(14.75)
अंतिम शेष	**180.47**	**186.71**

21.2 ₹870.49 करोड़ (31.03.2019 के अनुसार 1,019.06 करोड़ रुपए) के लिए चुकौती आश्वासन पत्र ऋणकर्ताओं के प्रति प्रतिबद्धता की प्रकृति में है, इसलिए उसी पर हानि भत्ता को इंड एएस 107 की आवश्यकताओं के अनुसार प्रावधानों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

22. अन्य गैर वित्तीय देयताएं

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2020 को समाप्त वर्ष	31.03.2019 को समाप्त वर्ष
(i)	अपरिशोधित शुल्क-अवितरित ऋण परिसंपत्तियां	105.76	96.36
(ii)	देय सांविधिक राशि	3.31	4.49
	कुल अन्य गैर वित्तीय देयताएं	**109.07**	**100.85**

23. इक्विटी शेयर पूंजी

क्र. सं.	विवरण	31.03.2020 को समाप्त वर्ष		31.03.2019 को समाप्त वर्ष	
		संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
(क)	**अधिकृत पूंजी**				
	इक्विटी शेयर पूंजी (प्रति शेयर ₹10 का सममूल्य)	11,00,00,00,000	11,000.00	11,00,00,00,000	11,000.00
	अधिमानी शेयर पूंजी (प्रति शेयर ₹10 का सममूल्य)	20,00,00,000	200.00	20,00,00,000	200.00
(ख)	**जारी, अभिदत्त एवं पूर्णतः प्रदत्त पूंजी**				
	इक्विटी शेयर पूंजी (प्रति शेयर ₹10 का सममूल्य)	2,64,00,81,408	2,640.08	2,64,00,81,408	2,640.08
(ग)	**इक्विटी शेयर पूंजी का मिलान**				
	बकाया प्रारंभिक इक्विटी शेयर	2,64,00,81,408	2,640.08	2,64,00,81,408	2,640.08
	वर्ष के दौरान परिवर्तन	–	–	–	–
	अंतिम इक्विटी शेयर पूंजी	**2,64,00,81,408**	**2,640.08**	**2,64,00,81,408**	**2,640.08**

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

23.1 इक्विटी शेयरों से संबद्ध अधिकार, अधिमानी और प्रतिबंध

कंपनी ने प्रति शेयर ₹10 के सममूल्य वाले इक्विटी शेयर जारी किए हैं। इक्विटी शेयरों के धारक समय-समय पर घोषित लाभांश प्राप्त करने के हकदार हैं और वे शेयर धारकों की बैठक में अपने शेयरधारण के अनुपात के अनुसार वोट देने के हकदार हैं।

23.2 कंपनी में 5% से अधिक शेयर रखने वाले प्रत्येक शेयर धारक द्वारा धारित शेयर

क्र. सं.	विवरण	31.03.2020 को समाप्त वर्ष		31.03.2019 को समाप्त वर्ष	
		संख्या	%	संख्या	%
(i)	भारत के राष्ट्रपति	1,47,82,91,778	55.99%	1,55,88,89,417	59.05%
(ii)	एचडीएफसी ट्रस्टी	24,41,49,623	9.25%	19,88,98,595	7.53%
(iii)	भारतीय जीवन बीमा निगम	15,51,78,214	5.88%	15,63,20,146	5.92%
(iv)	यूएसबी प्रिंसीपल कैपिटल एशिया लिमिटेड	8,66,24,000	3.28%	14,22,38,384	5.39%

23.3 अवधि एवं राशि सहित शेयर की बिक्री या विनिवेश के लिए विकल्प और संविदा/प्रतिबद्धता के अंतर्गत निर्गम के लिए आरक्षित शेयर: शून्य

23.4 पिछले 5 वर्षों की अवधि के दौरान, कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान 1:1 के अनुपात में 132,00,40,704 बोनस शेयर जारी किए हैं तथा किसी शेयर का पुनः क्रय नहीं किया है।

23.5 सुदूर ऐसी तारीख से आरंभ करते अवरोही क्रम में परिवर्तन की शीघ्रातिशीघ्र तारीख के साथ जारी किए गए इक्विटी शेयरों में परिवर्तनीय किसी प्रतिभूति की अवधियां: शून्य

23.6 अदत्त मांग राशि (निदेशकों एवं अधिकारियों द्वारा अदत्त मांग राशि के सकल मूल्य को दर्शाते हुए): शून्य

23.7 जब्त शेयर (मूलतः अदत्त राशि): शून्य

23.8 पूंजी का प्रबंधन: टिप्पणी 34.1 देखें

23.9 वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान भारत सरकार ने फॉलो-ऑन फंड ऑफर के सिलसिले में कंपनी में धारित 7,63,13,829 और 42,83,810 इक्विटी शेयर क्रमशः भारत 22 ईटीएफ और सीपीएसई ईटीएफ की परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी (एएमसी) में अंतरित किया है।

24. अन्य इक्विटी*

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2020 को समाप्त वर्ष	31.03.2019 को समाप्त वर्ष
(i)	डिबेंचर रिडेम्प्शन रिजर्व (टिप्पणी संख्या 24.1 (i))	-	2,014.25
(ii)	प्रतिभूति प्रीमियम (टिप्पणी संख्या 24.1 (ii))	2,776.54	2,776.54
(iii)	विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद परिवर्तन अंतर लेखा (टिप्पणी संख्या 24.1 (iii))	(1,441.18)	(769.72)
(iv)	भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 & IC(1) के अंतर्गत सृजित विशेष रिजर्व (टिप्पणी संख्या 24.1 (iv))	2,544.96	1,413.94
(v)	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1) (viia) (सी) के अंतर्गत अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए रिजर्व (टिप्पणी संख्या 24.1 (v))	2,514.17	3,740.21
(vi)	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 1996-97 तक सृजित विशेष रिजर्व (टिप्पणी संख्या 24.1 (vi))	599.85	599.85
(vii)	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1) (viii) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 1997-98 से सृजित एवं अनुरक्षित विशेष रिजर्व (टिप्पणी संख्या 24.1 (vi))	18,848.40	17,498.27
(viii)	ब्याज विभेदक रिजर्व - केएफडब्ल्यू ऋण (टिप्पणी संख्या 24.1 (vii))	61.40	60.00
(ix)	सामान्य रिजर्व (टिप्पणी संख्या 24.1 (viii))	10,983.81	7,438.68
(x)	प्रतिधारित अर्जन (टिप्पणी संख्या 24.1 (ix))	6,042.40	6,202.53
(xi)	अन्य व्यापक आय के माध्यम से इक्विटी लिखतों के लिए रिजर्व टिप्पणी संख्या 24.1 (x))	(313.64)	(276.49)
(xii)	अन्य व्यापक आय के माध्यम से नकदी प्रवाह हेज में हेजिंग लिखतों पर अभिलाभ एवं हानि के प्रभावी अंश के लिए रिजर्व (टिप्पणी सख्या 24.1- (xi))	(92.66)	(50.15)
	कुल	**42,524.05**	**40,647.91**

* अवधि के दौरान मूवमेंट के लिए इक्विटी में परिवर्तनों का एकल (स्टैंडअलोन) विवरण देखें।

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

24.1 रिजर्व की प्रकृति एवं प्रयोजन

(i) डिबेंचर रिडेम्शन रिजर्व (डीआरआर)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 71 (4) के प्रावधानों के अनुसार, और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी किए गए, कंपनियों (शेयर पूंजी और डिबेंचर) नियम, 2014 द्वारा और अधिक स्पष्ट किए गए। कंपनी ने सार्वजनिक निर्गम के माध्यम से जारी डिबेंचर के मूल्य का 25% तक डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व (डीआरआर) बनाया। इस तरह की डिबेंचर की परिपक्वता अवधि के दौरान, वर्तमान सेबी (ऋण प्रतिभूति के इश्यू और लिस्टिंग) के अनुसार, और निजी तौर पर डिबेंचर के मामले में डीआरआर की आवश्यकता नहीं है। हालाँकि, कंपनी (शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर) नियम, 2014 के संदर्भ में कंपनी (शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर) संशोधन नियम, 2019 के साथ, कंपनी को डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व (डीआरआर) बनाने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह के संशोधन के बाद, वर्ष के दौरान डीआरआर का पूरा संतुलन जनरल रिजर्व में स्थानांतरित कर दिया गया है।

(ii) प्रतिभूति प्रीमियम

प्रतिभूति प्रीमियम शेयरों के निर्गम पर हुए व्यय की शेयर पूंजी के निर्गम पर प्राप्त प्रीमियम की राशि का प्रतिनिधित्व करता है। कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार इस राशि का उपयोग किया जाता है।

(iii) विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद परिवर्तन अंतर लेखा

विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद परिवर्तन अंतर लेखा दीर्घावधि के विदेशी मुद्रा ऋणों (31 मार्च, 2018 को मौजूद) पर अपरिशोधित विदेशी मुद्रापरिवर्तन अभिलाभ/हानि का प्रतिनिधित्व करता है जिसे संबंधित ऋणों की अवधि में परिशोधित किया जाता है।

(iv) भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आई सी (1) के अंतर्गत सृजित विशेष रिजर्व

यह लाभ एवं हानि लेखा में किए गए खुलासे के अनुसार वर्ष के लिए कर पश्चात तथा किसी लाभांश की घोषणा के पूर्व निवल लाभ के 20% की दर से प्रतिधारित अर्जन से अंतरण का प्रतिनिधित्व करता है। भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट किए जाने वाले उद्देश्य को छोड़कर, आरक्षित निधि से कोई विनियोग करने की अनुमति नहीं है। इसके अलावा, इस तरह के आहरण की तारीख से 21 दिनों के भीतर आरबीआई को सूचित किया जाना चाहिए।

(v) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viia) (सी) के अंतर्गत अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए रिजर्व

यह आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1)(viia)(सी) के अंतर्गत आयकर कटौती प्राप्त करने के लिए सृजित किया गया है। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1)(viia)(सी) के अनुसार, कंपनी अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए किए गए किसी प्रावधान/आरक्षित निधि के संबंध में कटौती का लाभ उठाने के लिए पात्र है, जो कुल आय का पांच प्रतिशत से अधिक न हो।

(vi) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत सृजित विशेष रिजर्व

कंपनी को कर लाभ प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए इसको अनुरक्षित किया जाता है। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अनुसार, कंपनी दीर्घावधि के वित्त गतिविधि से प्राप्त लाभ में से कटौती के लिए पात्र है, जो 20% से अधिक नहीं न हो, बशर्ते कि ऐसी राशि को विशेष आरक्षित खाते में स्थानांतरित और रखरखाव किया जाता है।

(vii) ब्याज विभेद आरक्षित निधि - केएफडब्ल्यू ऋण

यह रिजर्व ऋण करार के अनुसार केएफडब्ल्यू ऋण पर देय ब्याज और प्रदत्त ब्याज के बीच अंतर का प्रतिनिधित्व करता है। केएफडब्ल्यू से विदेशी मुद्रा के ऋण की शर्तों के अनुसरण में ऋण अधिशेष के पुनः कथन पर विनिमय अभिलाभ/हानि को इस रिजर्व से समायोजित किया जाता है। कंपनी को केएफडब्ल्यू ऋण की पूर्ण अदायगी के बाद रिजर्व में असमायोजित अधिशेष का पुनर्भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होती है। केएफडब्ल्यू ऋण की पूर्ण अदायगी के बाद रिजर्व में किसी असमायोजित अधिशेष का प्रयोग केएफडब्ल्यू से परामर्श के बाद कंपनी द्वारा अग्रेतर ऋण प्रदान करने के लिए किया जाएगा।

(viii) सामान्य रिजर्व

सामान्य रिजर्व में कंपनी के मुनाफे से विनियोजित राशि और सांविधिक भंडार से हस्तांतरित राशि भी शामिल है। कंपनी अधिनियम, 1956 के तत्कालीन प्रावधानों के मद्देनजर, कंपनी ने लाभांश की घोषणा से पहले मुनाफे का कुछ प्रतिशत जनरल रिजर्व को हस्तांतरित कर दिया था। हालांकि, कंपनी अधिनियम, 2013 लाभांश की घोषणा से पहले सामान्य रिजर्व को मुनाफे के हस्तांतरण को अनिवार्य नहीं करता है।

(ix) प्रतिधारित अर्जन

यह अन्य रिसर्व और लाभांश वितरण से हस्तांतरण के बाद कंपनी द्वारा अर्जित प्रतिधारित कमाई में प्रत्यक्ष रूप से मान्यता प्राप्त अन्य व्यापक आय के मुनाफे और निर्दिष्ट वस्तुओं का प्रतिनिधित्व करता है।

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

(x) **अन्य व्यापक आय के माध्यम से इक्विटी लिखतों के लिए रिजर्व**

कंपनी ने अन्य व्यापक आय के माध्यम से इक्विटी लिखतों में कुछ निवेश के उचित मूल्य में परिवर्तनों को मान्य करने का चुनाव किया। यह रिजर्व अन्य व्यापक आय के माध्यम से मापे गए इक्विटी लिखतों के पुनर्मूल्यांकन से उत्पन्न संचयी अभिलाभों एवं हानियों का प्रतिनिधित्व करता है। जब परिसंपत्ति को विमान्य किया जाता है, तब रिजर्व में राशि को बाद में प्रतिधारित अर्जन में, न कि लाभ एवं हानि के एकल (स्टैंडअलोन) विवरण में अंतरित किया जाता है। ऐसे निवेशों पर लाभांशों को लाभ या हानि के रूप में मान्य किया जाता हैए जब तक कि लाभांश स्पष्ट रूप से निवेश की आंशिक लागत की वसूली का प्रतिनिधित्व न करे।

(xi) **नकदी प्रवाह हेज़ में हेजिंग लिखतों पर अभिलाभ एवं हानि के प्रभावी अंश के लिए रिजर्व**

नकदी प्रवाह हेज़ रिजर्व नकदी प्रवाह हेज के लिए किए गए बचाव लिखतों के नामित अंश के उचित मूल्य में परिवर्तन पर उत्पन्न अभिलाभों या हानियों के संचयी प्रभावी अंश का प्रतिनिधित्व करता है। बचाव लिखतों जो नकदी प्रवाह हेज़ रिजर्व शीर्ष के अंतर्गत मान्य एवं संचित किए जाते हैं, के नामित अंश के उचित मूल्य में परिवर्तन पर उत्पन्न संचयी अभिलाभ या हानि को केवल उस समय लाभ या हानि में पुनः वर्गीकृत किया जाएगा जब हेज़्ड लेन-देन लाभ या हानि को प्रभावित करेगा या गैर वित्तीय हेज़्ड मद में आधार समायोजन के रूप में शामिल किया जाएगा।

24.2 10 रुपए के अंकित मूल्य के प्रत्येक इक्विटी शेयर पर दिए गए लाभांश का विवरण निम्नानुसार है

विवरण	वित्त वर्ष 2019-20			वित्त वर्ष 2018-19		
	शेयर पूंजी का%	प्रति शेयर हिस्सेदारी (₹)	राशि (₹ करोड़ में)	शेयर पूंजी का%	प्रति शेयर हिस्सेदारी (₹)	राशि (₹ करोड़ में)
अंतरिम लाभांश	95%	9.50	2,508.08	-	-	-
कुल लाभांश	**95%**	**9.50**	**2,508.08**	-	-	-

25. ब्याज आय

क्र. सं.	विवरण	31.03.2020 को समाप्त वर्ष	31.03.2019 को समाप्त वर्ष
(क)	**वित्तीय परिसंपत्तियों पर परिशोधित लागत पर मूल्यांकित**		
(i)	ऋणों पर ब्याज	32,069.35	28,595.06
	घटाएं: ऋणकर्ताओं को समय पर भुगतान के लिए रिबेट	(401.91)	(485.79)
(ii)	बैंकों में जमा राशि पर ब्याज	160.72	201.00
(iii)	अन्य ब्याजगत आय	29.86	34.81
(ख)	**लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय संपत्ति का वर्गीकरण**		
(i)	निवेश पर ब्याज	89.81	87.60
(ii)	अन्य आय	2.59	-
	कुल ब्याजगत आय (क + ख)	**31,950.42**	**28,432.68**

26. शुल्क एवं कमीशन आय

सेवाओं की प्रकृति के आधार पर, ग्राहकों के साथ संविदा से कंपनी का राजस्व:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2020 को समाप्त वर्ष	31.03.2019 को समाप्त वर्ष
(i)	ऋणों पर पुर्वभुगतान प्रीमियम	79.58	107.27
(ii)	ऋणों पर शुल्क आधारित आय	43.38	21.81
(iii)	भारत सरकार की योजनाओं को लागू करने के लिए शुल्क (टिप्पणी 26.1 और 26.2 देखें)	-	19.94
	कुल शुल्क एवं कमीशन आय	**122.96**	**149.02**

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

26.1 पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (आर-एपीडीआरपी):

(i) कंपनी आर-एपीडीआरपी के कार्यान्वयन के लिए प्रचालन एवं संबद्ध सेवा के लिए नोडल एजेंसी है।
पात्र ऋणकर्ताओं को ऋण देने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में आर-एपीडीआरपी के अंतर्गत भारत सरकार से प्राप्त राशि एक व्यवस्था है जिससे कंपनी को कोई लाभ या हानि नहीं होती है। संवितरित परंतु लागू दिशा-निर्देशों के अनुसार अनुदान में परिवर्तित न की गई राशि ऋणकर्ताओं से प्राप्त होने पर भारत सरकार को ब्याज के साथ देय होगी।

आर-एपीडीआरपी योजना के अंतर्गत ऋणकर्ताओं से प्राप्य एवं भारत सरकार को देय राशि 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार ₹18,141.20 करोड़ (31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार ₹16,507.55 करोड) है।

(ii) कंपनी विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार से आर-एपीडीआरपी के कार्यान्वयन के लिए प्रचालन एवं संबद्ध सेवा के लिए आर-एपीडीआरपी योजना के अंतर्गत नोडल एजेंसी शुल्क तथा व्यय की प्रतिपूर्ति प्राप्त करती है। शुल्क तथा व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए संचयी दावा ₹850 करोड़ की ऊपरी सीमा के अधीन है आर-एपीडीआरपी के भाग (क) और (ख) के अंतर्गत संभावित परियोजना परिव्यय का 1.7% है।

कंपनी द्वारा प्राप्त/प्राप्य नोडल एजेंसी शुल्क तथा व्यय की प्रतिपूर्ति की कुल राशि 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार ₹ 357.86 करोड़ (31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार ₹329.82 करोड़) है।

26.2 एकीकृत विद्युत विकास योजना (आईपीडीएस):

कंपनी को विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के समग्र मार्गदर्शन में आईपीडीएस योजना के प्रचालन एवं कार्यान्वयन के लिए भी नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। आईपीडीएस योजना में नोडल एजेंसी की भूमिका का वर्णन है जिसमें अन्य बातों के साथ पात्र विद्युत संस्थाओं को भारत सरकार का अनुदान प्रदान करना शामिल है जिसे आईपीडीएस योजना में वर्णित कुछ शर्तों के अधीन वापस लिया जा सकता है/समय से पहले बंद किया जा सकता है।

31.03.2020 तक पात्र विद्युत संस्थाओं को प्रदान किए गए भारत सरकार के अनुदान की राशि ₹12,702.45 करोड़ (31.03.2019 तक ₹8,083.17 करोड़) है।

कंपनी मॉनीटरिंग समिति द्वारा अनुमोदित कुल परियोजना लागत या अवार्ड लागत, जो भी कम हो, के कुल 0.50% (जो योजना के अनुसार चरणों में प्रोद्भूत होगा) के नोडल एजेंसी शुल्क के लिए पात्र है।

27. उचित मूल्य में परिवर्तन पर निवल अभिलाभ/(हानि)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2020 को समाप्त वर्ष	31.03.2019 को समाप्त वर्ष
(i)	लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर निर्दिष्ट वित्तीय परिसंपत्तियों पर:		
	- डरिवेटिव्स के उचित मूल्य में परिवर्तन	(696.26)	(84.98)
	- निवेश के उचित मूल्य में परिवर्तन	(2.79)	-
	उचित मूल्य में परिवर्तन पर कुल निवल अभिलाभ/(हानि)	**(699.05)**	**(84.98)**
	उचित मूल्य में परिवर्तन:		
(i)	- प्राप्त	145.56	153.85
(ii)	- अप्राप्त	(844.61)	(238.83)
	उचित मूल्य में परिवर्तन पर कुल निवल अभिलाभ/(हानि)	**(699.05)**	**(84.98)**

27.1 इस टिप्पणी में उचित मूल्य के परिवर्तन से प्रोद्भूत ब्याज आय/व्यय के कारण उत्पन्न परिवर्तन से भिन्न हैं।

28. अन्य आय

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2020 को समाप्त वर्ष	31.03.2019 को समाप्त वर्ष
(i)	प्रतिलेखित अतिरिक्त देयताएं	0.18	-
(ii)	विविध आय	7.98	17.58
	कुल अन्य आय	**8.16**	**17.58**

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

29. वित्तीय लागत

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2020 को समाप्त वर्ष	31.03.2019 को समाप्त वर्ष
	परिशोधित लागत पर मूल्यांकित वित्तीय देयताएं		
(i)	**ऋणों पर ब्याज**		
	- सावधि ऋण एवं अन्य	4,429.49	2,668.42
	- लीज देयता पर ब्याज (टिप्पणी 38 देखें)	0.77	-
(ii)	**ऋण प्रतिभूतियों पर ब्याज**		
	- बॉण्ड/डिबेंचर	15,932.23	15,402.97
	- वाणिज्यिक पत्र	433.33	491.85
(iii)	**सबॉर्डिनेटिड देयताओं पर ब्याज**	851.51	364.87
(iv)	**अन्य ब्याज व्यय**		
	- ब्याज सब्सिडी निधि पर ब्याज (टिप्पणी 20.3 (ii) देखें)	1.35	3.46
	- आवेदन शुल्क पर ब्याज-बॉण्ड	0.06	0.08
	- सहायक कंपनियों से प्राप्त अग्रिमों पर ब्याज	5.07	6.18
	- आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत ब्याज	0.17	5.86
(v)	**स्वैप प्रीमियम (निवल)**	199.21	43.91
	कुल वित्तीय लागत	**21,853.19**	**18,987.60**

30. शुल्क एवं कमीशन व्यय

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2020 को समाप्त वर्ष	31.03.2019 को समाप्त वर्ष
(i)	एजेंसी शुल्क	1.33	0.74
(ii)	गारंटी, सूचीबद्धता एवं न्यास शुल्क	1.57	2.72
(iii)	क्रेडिट रेटिंग शुल्क	6.23	5.23
(iv)	अन्य वित्त प्रभार	1.63	1.40
	कुल शुल्क एवं कमीशन व्यय	**10.76**	**10.09**

31. वित्तीय लिखतों पर क्षतिग्रस्तता

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2020 को समाप्त वर्ष	31.03.2019 को समाप्त वर्ष
(क)	**परिशोधित लागत पर मूल्यांकित वित्तीय परिसंपत्तियां**		
(i)	ऋण	(463.58)	(870.60)
(ii)	निवेश (ऋणों के निपटान पर अधिगृहीत)	81.75	-
(iii)	बट्टे खाते में डाले गए - ऋण	1,368.92	-
(iv)	अन्य वित्तीय लिखत	10.11	7.79
(v)	चुकौती आश्वासन पत्र	(6.23)	(8.67)
(ख)	**लागत पर मूल्यांकित वित्तीय परिसंपत्तियों पर**		
(i)	निवेश	0.25	-
	वित्तीय लिखतों पर कुल क्षतिग्रस्तता	**991.22**	**(871.48)**

31.1 वित्तीय परिसंपत्तियों पर क्षतिग्रस्तता के ब्योरे के लिए टिप्पणी 34.2.1 देखें।

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

32. कार्मिक हितलाभ व्यय

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2020 को समाप्त वर्ष	31.03.2019 को समाप्त वर्ष
(i)	वेतन एवं मजदूरी	129.98	133.33
(ii)	भविष्य निधि तथा अन्य निधियों में अंशदान	14.79	12.68
(iii)	कार्मिक कल्याण व्यय	43.81	23.51
(iv)	कार्मिकों के आवासीय आवास के लिए किराया (टिप्पणी 32.2 देखें)	5.24	4.05
	कुल कार्मिक हितलाभ व्यय	**193.82**	**173.57**

32.1 विभिन्न कार्मिक हितलाभों के लिए किए गए प्रावधान के संबंध में इंड एएस 19 'कार्मिक हितलाभों' के अनुसार प्रकटन टिप्पणी 36 में प्रदान किए गए हैं।

32.2 कार्मिकों के आवासीय आवास के लिए किराया परिसरों के लिए पट्टा व्यवस्था पर किराए (वसूली को घटाकर) के कारण है, जो कार्मिकों के आवासीय प्रयोग के लिए जाते हैं और आमतौर पर परस्पर सहमत शर्तों पर इनको नवीकृत एवं निरस्त किया जा सकता है।

33. अन्य व्यय

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2020 को समाप्त वर्ष	31.03.2019 को समाप्त वर्ष
(i)	किराया, कर और ऊर्जा लागत (टिप्पणी 33.1 देखें)	4.99	23.86
(ii)	मरम्मत एवं अनुरक्षण	5.40	4.46
(iii)	संचार लागतें	1.61	2.78
(iv)	मुद्रण और लेखन सामग्री	1.64	1.69
(v)	विज्ञापन एवं प्रचार	13.62	11.85
(vi)	निदेशक शुल्क, भत्ता एवं व्यय	0.17	0.12
(vii)	लेखापरीक्षक शुल्क एवं व्यय (टिप्पणी 33.2 देखें)	1.26	1.14
(viii)	विधिक एवं व्यावसायिक प्रभार	6.73	8.65
(ix)	बीमा	0.18	0.26
(x)	यात्रा एवं वाहन	18.35	15.96
(xi)	संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की विमान्यता पर निवल हानि/(अभिलाभ)	0.96	0.32
(xii)	अन्य व्यय	34.00	37.74
	कुल अन्य व्यय	**88.91**	**108.83**

33.1 किराया, कर एवं ऊर्जा लागत में पट्टे पर लिए गए परिसरों का किराया शामिल है और आमतौर पर परस्पर सहमत शर्तों पर इनको नवीकृत एवं निरस्त किया जा सकता है।

33.2 लेखापरीक्षक शुल्क एवं व्यय निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2020 को समाप्त वर्ष	31.03.2019 को समाप्त वर्ष
	सांविधिक लेखा परीक्षकों को शुल्क का भुगतान		
(i)	लेखापरीक्षा शुल्क	0.46	0.53
(ii)	कराधान मामले	0.12	0.07
(iii)	कंपनी के कानून के मामलों के लिए (सीमित समीक्षा शुल्क शामिल है)	0.30	0.18
(iv)	अन्य सेवाएं	0.33	0.31
(v)	व्यय की प्रतिपूर्ति	-	0.05
(vi)	लेखापरीक्षकों को दी जाने वाली फीस के संबंध में गैर-वसूली योग्य जीएसटी क्रेडिट	0.05	-
	कुल लेखापरीक्षक शुल्क एवं व्यय	**1.26**	**1.14**

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

34. वित्तीय लिखतें

34.1 पूंजी प्रबंधन

कंपनी एक पूंजी आधार का अनुरक्षण करती है जो कंपनी की जोखिम प्रोफाइल, विनियामक एवं कारोबारी आवश्यकताओं का समर्थन करने के लिए मात्रा एवं गुणवत्ता की दृष्टि से पर्याप्त है। कंपनी घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय वित्तीय बाजारों से निधियां प्राप्त करती है जिससे अन्य बातों के साथ निवेशक आधार में विविधता तथा पूंजी की इष्टतम लागत का मार्ग प्रशस्त होता है। अधिक जानकारी के लिए टिप्पणी 17, 18 और 19 तथा इक्विटी में परिवर्तन संबंधी एकल कंपनी विवरण देखें।

जैसा कि आरबीआई के मास्टर निदेशों में निहित है, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी व्यवस्था की दृष्टि से महत्वपूर्ण गैर जमा स्वीकार करने वाली कंपनी और जमा स्वीकार करने वाली कंपनी (रिजर्व बैंक) निदेश 2016 (इसके बाद इसे आरबीआई मास्टर निदेश कहा गया है) के अनुसार, कंपनी को टियर-I और टियर-2 पूंजी से युक्त एक पूंजी अनुपात का अनुवर्तन करना है जो तुलन-पत्र में उसकी सकल जोखिम भारित परिसंपत्तियों तथा तुलन-पत्रक से भिन्न मदों के जोखिम समायोजित मूल्य के 15% से कम नहीं होना चाहिए। इसमें से टियर-II पूंजी 10% से कम नहीं होगी। कंपनी जोखिम भारित परिसंपत्ति अनुपात (सीआरएआर) की तुलना में पूंजी के निर्धारित स्तरों के अनुरक्षण की नियमित रूप से मॉनीटरिंग करती है। इसके अतिरिक्त, पूंजी पुनर्गठन के संबंध में कंपनी अन्य बातों के साथ निवेश एवं सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम), वित्त मंत्रालय, सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा बोनस शेयर के निर्गम, लाभांश वितरण, इक्विटी शेयरों के वापस क्रय आदि के संबंध में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों का पूंजी पुनर्गठन पर जारी किए गए दिशा-निर्देशों से भी मार्गदर्शन प्राप्त करती है।

पूंजी जोखिम समायोजित अनुपात (सीआरएआर) तथा कंपनी के अन्य प्रमुख वित्तीय पैरामीटर इस प्रकार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
सीआरएआर - टीयर-I पूंजी	12.45%	11.73%
सीआरएआर - टीयर-II पूंजी	4.51%	5.36%
कुल सीआरएआर	16.96%	17.09%
निवल मूल्य (₹ करोड़ में)	45,164.13	43,287.99
ऋण इक्विटी अनुपात*	6.72	6.66

*ऋण प्रतिभूतियों, ऋण और सबॉर्डिनेटिड देयताओं के मूलधन बकाया का उपयोग करके गणना की गई।

जुटाए गए सबॉर्डिनेटिड ऋण/स्थाई ऋण का ब्योरा निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
टीयर-II पूंजी के रूप में जुटाए गए सबॉर्डिनेटिड ऋण की राशि	-	5,411.50
स्थाई ऋण लिखतों के निर्गम द्वारा जुटाई गई राशि	-	-

लाभांश वितरण नीति

कंपनी की सुनिश्चित लाभांश वितरण नीति है। लाभांश वितरण नीति अनेक कारकों पर ध्यान देती है जिसमें समय-समय पर यथालागू दिशा-निर्देशों के अधीन सरकारी दिशा-निर्देश, भावी पूंजी व्यय योजनाएं, वित्तीय वर्ष के दौरान अर्जित लाभ, वैकल्पिक स्रोतों से निधियां जुटाने की लागत, नकदी प्रवाह की स्थिति तथा लाभांश पर कर सहित लागू कर शामिल हैं, परंतु इतने तक ही सीमित नहीं है।

निवेश एवं सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम), भारत सरकार द्वारा जारी किए गए वर्तमान दिशा-निर्देशों के अनुसार, कंपनी को कर पश्चात लाभ के 30% या निवल मूल्य के 5%, इनमें जो भी अधिक हो, के न्यूनतम वार्षिक लाभांश का भुगतान करना है, परंतु यह प्रचलित कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत अनुमत अधिकतम लाभांश के अधीन है। यद्यपि, कंपनी इन दिशा-निर्देशों के अनुसार लाभांश घोषित करने का प्रयास करती है, परंतु वह निवल मूल्य, कैपेक्स/व्यवसाय विस्तार की जरूरतें, सहायक/सहयोगी कंपनियों में अतिरिक्त निवेश की आवश्यकता जैसे विभिन्न वित्तीय मापदंडों के विश्लेषण के बाद विद्युत मंत्रालय को कम लाभांश देने का प्रस्ताव कर सकती है। वर्ष के दौरान भुगतान किए गए लाभांश के विवरण के लिए टिप्पणी 24.2 देखें।

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

34.2 वित्तीय जोखिम प्रबंधन

कंपनी को अनेक जोखिमों का खतरा है जो उस परिवेश में अंतर्निहित हैं जिसमें यह प्रचालन करती है। कंपनी विद्युत क्षेत्र को वित्तीय सहायता प्रदान करने के व्यवसाय में है। प्रधान जोखिम जो कंपनी के व्यवसाय मॉडल में अंतर्निहित है तथा वित्तीय लिखतों के प्रयोग से उत्पन्न होते हैं, में क्रेडिट जोखिम, चलनिधि जोखिम तथा बाजार जोखिम (मुद्रा जोखिम एवं ब्याज दर जोखिम) शामिल हैं।

निम्नलिखित सारणी मोटे तौर पर ऐसे जोखिमों के स्रोतों का वर्णन करती है जिनका कंपनी को खतरा है तथा इसमें जोखिमों के प्रबंधन के तरीके तथा वित्तीय विवरणों में संबद्ध प्रभाव का भी उल्लेख है:

टिप्पणी	जोखिम	उत्पन्न एक्सपोजर	मापन	जोखिम प्रबंधन
34.2.1	क्रेडिट जोखिम	ऋण, वित्तीय परिसंपत्तियां, निवेश, नकदी एवं नकदी समतुल्य	काल प्रभाव विश्लेषण	विस्तृत मूल्यांकन प्रक्रिया, क्रेडिट लिमिट तथा सरकारी गारंटी सहित कोलेटरल
34.2.2	चलनिधि जोखिम	ऋण, ऋण प्रतिभूतियां, सबॉर्डिनेटिड देयताएं तथा अन्य वित्तीय देयताएं	नकदी प्रवाह की भविष्यवाणी	प्रतिबद्ध क्रेडिट लाइनों तथा ऋण की सुविधाओं की उपलब्धता
34.2.3	बाजार जोखिम - विदेशी मुद्रा जोखिम	मान्य वित्तीय देयताएं जो भारतीय रुपए, (आईएनआर) में वर्णित नहीं हैं	संवेदनशीलता विश्लेषण	मुद्रा जोखिम से रक्षा के लिए डेरिवेटिव संविदाएं
34.2.4	बाजार जोखिम - ब्याज दर जोखिम	ऋण, ऋण प्रतिभूतियां, सबॉर्डिनेटिड देयताएं, तथा परिवर्तनशील दरों पर ऋण	ब्याज दर अंतर विश्लेषण	ब्याज दर की विविध शर्तों के साथ ऋण व्यवस्थाओं का अनुसरण, डेरिवेटिव संविदा जैसे कि ब्याज दर, स्वैप आदि।
34.2.5	बाजार जोखिम - मूल्य जोखिम	उद्धृत इक्विटी प्रतिभूतियों में निवेश	संवेदनशीलता विश्लेषण	रणनीतिक निवेश पर ध्यान केंद्रित करते हुए पोर्टफोलियो का विविधीकरण।

इन जोखिमों के प्रबंधन के लिए कंपनी में एक तंत्र स्थापित किया है ताकि सुनिश्चित हो कि इन जोखिमों की ध्यान से मॉनीटरिंग की जा सके और दक्षता के साथ प्रबंधन उनका प्रबंधन किया जा सके। आरबीआई अधिसूचना डीएनबीआर (पीडी) सीसी एन/- 099/03- 10- 001/2018-19 के अनुसरण में कंपनी में जोखिम प्रबंधन पद्धतियों में वृद्धि के लिए, निदेशक मंडल ने एक मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ) की नियुक्ति भी की है जो जोखिमों की पहचान, माप और प्रबंधन की प्रक्रिया में शामिल है। जोखिम प्रबंध दृष्टिकोण अर्थात उपर्युक्त में से प्रत्येक जोखिम के मापन एवं प्रबंधन के लिए कंपनी के उद्देश्यों, नीतियों एवं प्रक्रियाओं का वर्णन परवर्ती पैराग्राफ में किया गया है।

34.2.1 क्रेडिट जोखिम

क्रेडिट जोखिम ऐसा जोखिम है जो अपनी संविदात्मक बाध्यताओं पर कोई ऋणकर्ता या प्रतिपक्ष चूक करेगा जिससे कंपनी को वित्तीय नुकसान होगा। कंपनी के लिए क्रेडिट जोखिम उत्पन्न करने वाली वित्तीय परिसंपत्तियों का ब्योरा इस प्रकार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष
कम क्रेडिट जोखिम		
नकदी और नकदी समतुल्य (क)	182.52	310.09
नकदी और नकदी समतुल्य में शामिल से भिन्न बैंक अधिशेष (क)	16.47	13,890.52
ऋण (बकाया मूलधन) (ग)	2,84,211.50	2,75,658.63
निवेश (इक्विटी निवेश को छोड़कर) (क)	978.91	809.84
अन्य वित्तीय परिसंपत्तिया (ख)	5,339.12	5,330.96
साधारण क्रेडिट जोखिम		
ऋण (बकाया मूलधन) (ग)	32,821.38	9,467.99
अधिक क्रेडिट जोखिम		
ऋण (बकाया मूलधन) (ग)	27,871.70	29,540.31
अन्य वित्तीय परिसंपत्तिया (ख)	20.41	10.30

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

(क) नकदी एवं नकदी समतुल्य पर क्रेडिट जोखिम सीमित है क्योंकि इनको अनुसूचित वाणिज्यिक सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों तथा निजी क्षेत्र के उच्च वर्गीकृत बैंकों में रखा जाता है और म्यूचुअल फंड हाउस, जो कंपनी की नीति में निर्धारित किए गए सूचीबद्ध मानदंडों को पूरा करते हैं। कंपनी ने संबंधित बैंकों/म्यूचुअल फंड हाउस के साथ विभिन्न प्रकार की लिखतों में धन के निवेश के लिए एक्सपोजर सीमा भी निर्धारित की है।

अपने निवेशों के लिए कंपनी ऐसे समकक्षों द्वारा जारी की गई प्रतिभूतियों में निवेश करके क्रेडिट जोखिम के अपने खतरे का प्रबंधन करती है जो उच्च क्रेडिट रेटिंग वाले हैं तथा आवधिक मॉनीटरिंग करते हैं और आवश्यक होने पर अपेक्षित कदम उठाते हैं।

(ख) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों पर क्रेडिट जोखिम का मूल्यांकन कंपनी द्वारा उन पार्टियों की ऋण पात्रता की जानकारी के आधार पर किया जाता है और उनका प्रबंधन ऐसी राशियों की पुनःप्राप्ति पर मॉनीटरिंग के जरिए किया जाता है। कंपनी ने अपनी अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों पर 20.41 करोड़ रुपए की हानि के लिए प्रावधान की अनुमति 31.03.2020 (31.03.2019 को 10.30 करोड़ रुपए) की मांग की है।

(ग) कंपनी मुख्य रूप से अपने ऋण परिचालन के माध्यम से क्रेडिट जोखिम के संपर्क में है। नीचे के पैराग्राफ में यही समझाया गया है।

(ग.1)ऋण प्रचालनों के लिए क्रेडिट जोखिम प्रबंधन

कंपनी ने क्रेडिट जोखिम के प्रबंधन के लिए प्रमुख नीतियां एवं प्रक्रियाएं स्थापित की हैं जिसमें क्रेडिट नीतियां तैयार करना, क्रेडिट जोखिम एक्सपोजर के लिए कंपनी की मांग का मार्गदर्शन करना, क्रेडिट जोखिम की समीक्षा एवं वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन करना तथा निष्पादन एवं पोर्टफोलियो के प्रबंधन की मॉनीटरिंग करना शामिल है। कंपनी की सभी प्रक्रियाएं एवं प्रणालियां आईएसओ 9001:2015 प्रमाणित हैं।

क्रेडिट जोखिम प्रबंधन में दो प्रमुख क्षेत्र अर्थात परियोजना मूल्यांकन एवं परियोजना मॉनीटरिंग शामिल हैं। कंपनी द्वारा अनुमोदित क्रेडिट नीति के अनुसरण में कंपनी ऋणकर्ता का चयन करती है, जो अन्य बातों के साथ ऋणकर्ता/परियोजना के वर्गीकरण के लिए विचार किए जाने वाले कारकों को परिभाषित करती है। कंपनी की ग्राहक चयन प्रक्रिया परियोजना को प्रमोट करने वाली संस्था की लाभप्रदता सहित परियोजना की लाभप्रदता का मूल्यांकन करती है। ब्याज दर तथा अधिकतम अनुमत एक्सपोजर अन्य बातों के साथ कंपनी द्वारा प्रदान किए गए आंतरिक रेटिंग पर आधारित है।

(i) परियोजना मूल्यांकन

किसी परियोजना को वित्तपोषित करने से पूर्व क्रेडिट जोखिम का मूल्यांकन करने के लिए कंपनी सुव्यवस्थित, संस्थानिक परियोजना मूल्यांकन प्रक्रिया का अनुसरण करती है।

(क) निजी क्षेत्र की विद्युत परियोजनाओं के लिए मूल्यांकन

निजी क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए दो चरणीय मूल्यांकन प्रक्रिया अपनाई जाती है। शुरू में विस्तृत मूल्यांकन के लिए चुनने हेतु परियोजना की प्रथम दृष्टया तत्परता का निर्धारण करने के लिए प्रारंभिक मूल्यांकन किया जाता है। प्रारंभिक मूल्यांकन के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा चुनी गई परियोजनाओं के लिए विस्तृत मूल्यांकन किया जाता है।

परियोजना की लाभप्रदता के मूल्यांकन के साथ कंपनी इक्विटी का योगदान करने तथा परियोजना को पूर्ण करने के लिए उसके प्रमोटर के सामर्थ्य का भी मूल्यांकन करती है। कंपनी उत्पादन परियोजनाओं के लिए एकीकृत वर्गीकरण विधि का अनुसरण करती है जहां परियोजना एवं संस्था वर्गीकरण को वेटेज प्रदान किए जाते हैं। परियोजना के आईआर के आधार पर, नियम और शर्तें (सुरक्षा पैकेज और ब्याज दर सहित) निर्धारित किए जाते हैं।

(ख) राज्य क्षेत्र की विद्युत परियोजनाओं के लिए मूल्यांकन

राज्य क्षेत्र की विद्युत परियोजनाओं को विस्तृत मूल्यांकन के लिए यह निर्धारित करने के लिए चुना जाता है कि क्या यह अन्य विषयों के साथ-साथ तकनीकी - आर्थिक दृष्टि से स्वस्थ तथा राज्य की एकीकृत विद्युत विकास एवं विस्तार योजनाओं से संगत है।

कंपनी प्रचालनात्मक एवं वित्तीय निष्पादन को शामिल करते हुए विशिष्ट पैरामीटरों के विरूद्ध यूटिलिटी के कार्य-निष्पादन के मूल्यांकन के आधार पर राज्य विद्युत उत्पादन एवं पारेषण यूटिलिटी को विभिन्न जोखिम रेटिंग ग्रेड में वर्गीकृत करती है। ट्रांसमिशन यूटिलिटीज के संबंध में, कंपनी अपनी नीति के अनुसार अपनी सहायक कंपनी के वर्गीकरण को अपनाती है। एकीकृत यूटिलिटी सहित राज्य विद्युत वितरण संस्था के संबंध में कंपनी की वर्गीकरण नीति कंपनी की रेटिंग संरचना के अंतर्गत रेटिंग/ग्रेडिंग के साथ ऐसी रेटिंग/ग्रेडिंग को संरेखित करके विद्युत मंत्रालय की एकीकृत रेटिंग अपनाने का प्रावधान करती है।

क्रेडिट एक्सपोजर लिमिट, प्रतिभूति की आवश्यकताओं तथा राज्य क्षेत्र के ऋणकर्ता को प्रदान किए गए ऋणों के मूल्य के निर्धारण के लिए इन श्रेणियों/वर्गीकरणों का प्रयोग किया जाता है। कंपनी ने एकल ऋणकर्ता के लिए एक्सपोजर तथा राज्य के भीतर एक्सपोजर की मॉनीटरिंग के लिए भी तंत्र स्थापित किया है।

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

विस्तृत परियोजना मूल्यांकन में विभिन्न पहलुओं जैसे कि परियोजना इनपुट, सांविधिक एवं गैर-सांविधिक स्वीकृतियों, संविदाओं, परियोजना लिंकेज, वित्तीय मॉडल/प्रक्षेपण, प्रतिफलों की गणना, संवेदनशीलता विश्लेषण आदि को शामिल करते हुए तकनीकी एवं वित्तीय मूल्यांकन शामिल होता है।

उपर्युक्त विस्तृत विश्लेषण के बाद, परियोजना एवं संस्था की समग्र लाभप्रदता का मूल्यांकन किया जाता है और पूर्व प्रतिबद्धता, पूर्व संवितरण आदि के रूप में विभिन्न शर्तें.निर्धारित की जाती हैं ताकि निधियों (ऋण एवं इक्विटी दोनों), सभी भौतिक इनपुट, सभी संविदाओं की उपयुक्तता, परियोजना से संबंधित करारों/संविदाओं/सांविधिक एवं गैर सांविधिक स्वीकृतियों में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन आदि का सुनिश्चय हो सके और सामान्य तौर पर परियोजना की ऋण ग्राह्यता एवं ऋण के समय से चुकौती के लिए ऋणकर्ता के रूप में कंपनी के ब्याज का संरक्षण सुनिश्चित हो सके। कंपनी के पास ऋण के आकार के अनुसार क्रेडिट सुविधाओं के अनुमोदन और नवीकरण के लिए एक प्राधिकरण/प्रतिनिधिमंडल संरचना है।

(ii) प्रतिभूति एवं प्रसंविदाएं

कंपनी परियोजना के निर्माण तथा सीओडी (वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख) पश्चात अवधि के दौरान विभिन्न प्रकार के जोखिमों के उपशमन के लिए प्रतिभूति उपायों/प्रसंविदाओं का पैकेज निर्धारित करती है। जोखिम के दायरे को ध्यान में रखते हुए, कंपनी निम्नलिखित उपायों का कोई संयोजन अपनाती है।

(क) प्राथमिक प्रतिभूति - परियोजना परिसंपत्तियों पर प्रभार

(ख) कोलेटरल प्रतिभूति - कॉर्पोरेट गारंटी, राज्य सरकार की गारंटी, प्रमोटरों की व्यक्तिगत

गारंटी, प्रमोटरों के शेयर गिरवी रखा जाना, समूह/अन्य कंपनियों की संपत्ति/राजस्व पर प्रभार

(ग) भुगतान सुरक्षा तंत्र - एस्क्रो कवर प्राप्त करके या न्यास एवं प्रतिधारण करार (टीआरए) तंत्र

(घ) अन्य प्रसंविदा - सभी परियोजना सविदों, दस्तावेज, कंपनी के पक्ष में बीमा पॉलिसी, अग्रिम इक्विटी आवश्यकता, ऋण सेवा रिज़र्व खाता (डीएसआरए), ऋण इक्विटी अनुपात, शेयरधारकों के समझौते, वित्तीय परिसमापन आदि।

(iii) परियोजना मॉनीटरिंग

कंपनी के पास एक व्यापक परियोजना मॉनिटरिंग प्रणाली है जो परियोजना निर्माण और कार्यान्वयन की स्थिति की निगरानी और उसकी खोज-खबर लेती है; जोखिमों की पहचान करती है जहां समय एवं लागत आधिक्य तथा संवितरण में परिणामी गिरावट को न्यूनतम करने के लिए दखल देने की आवश्यकता होती है।

राज्य क्षेत्र की की परियोजनाओं के लिए प्रगति निगरानी रिपोर्टों, स्थल के दौरों, ऋणकर्ताओं के साथ चर्चा, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) की वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना/रिपोर्टों आदि के माध्यम से समय-समय पर ऋणकर्ताओं से प्राप्त परियोजनाओं के बारे में प्रगति के ब्योरों के आधार पर मॉनीटरिंग की जाती है।

निजी क्षेत्र के लिए जहां कंपनी प्रमुख वित्तीय संस्था है, कंपनी ऋणदाता के इंजीनियर (एलई) और ऋणदाता के वित्तीय सलाहकार (एलएफए) तैनात करती है, जो स्वतंत्र एजेंसियां हैं, जो विभिन्न ऋणदाताओं तथा कंसोर्टियम के सदस्यों की ओर से काम करती हैं। ऋणदाता का इंजीनियर स्थल का आवधिक दौरा करता है और ऋणकर्ता के साथ चर्चा तथा संगत दस्तावेजों के निरीक्षण/समीक्षा के बाद परियोजना की प्रगति पर रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। ऋणदाता का वित्तीय सलाहकार आवधिक आधार पर परियोजना में निधियों के उपयोग तथा निधि प्रवाह का विवरण प्रस्तुत करता है। जिन मामलों में कंपनी प्रमुख वित्तीय संस्था नहीं है, एलई और एलएफए की सेवाओं से संबंधित कार्यों का समन्वय प्रमुख ऋणदाता के साथ किया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त, कुछ परियोजनाओं की समेकित आवधिक प्रगति रिपोर्ट तैयार की जाती है जिसमें महत्वपूर्ण प्रेक्षण/मुद्दे शामिल होते हैं जैसे कि सरोकार के क्षेत्र, विलंब के कारण, परियोजना को प्रभावित करने वाले मुद्दे, कार्यान्वयन आदि तथा नियमित आधार पर कंपनी द्वारा समीक्षा की जाती है।

कंपनी विलंब और/या साझेदारों की चूक तथा उनकी वसूलनीयता की लगातार मॉनीटरिंग करती है। ऋणकर्ता के लेखा में चूक होने पर कंपनी चूक को दुरुस्त करने के लिए आवश्यक कदम शुरू करती है जिसमें आरबीआई को विशेष वर्णित लेखा (एसएमए) की रिपोर्टिंग, बड़े क्रेडिट पर सूचना के केंद्रीय रिपॉजिटरी को रिपोर्टिंग (सीआरआईएलसी), सभी अतिदेय की वसूली द्वारा लेखा को नियमित करना, देयों की वसूली के लिए गारंटियों/प्रतिभूतियों का उपयोग करना, ऋण करार के अनुसार ऋण को इक्विटी में परिवर्तित करना, ऋण लेखा का पुनर्गठन, ऋणकर्ता के साथ समाधान योजना तैयार करना, स्वामित्व में परिवर्तन, कॉर्पोरेट इनसॉल्वेंसी रिजॉल्यूशन प्रोसेस (सीआईआरपी), अन्य संस्थाओं/निवेशकों को एक्सपोजर की बिक्री, अन्य रिकवरी मैकेनिज्म जैसे डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल (डीआरटी) के समक्ष कानूनी कार्रवाई के लिए मामला संदर्भित करना, एसएआरएफएइएसआई, राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी) (आइबीसी-2016) आदि के समक्ष कानूनी कार्रवाई के लिए मामलों का संदर्भित करना तथा नियामक/कानूनी ढांचे के अंतर्गत निर्दिष्ट अन्य कदम शामिल हैं, परंतु इतने तक ही सीमित नहीं है।

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

(ग.2) क्रेडिट जोखिम मापन - क्षतिग्रस्तता निर्धारण

(i) ***ऋणों के चरण***

कंपनी वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए अपेक्षित ऋण हानि (ईसीएल) मॉडल का उपयोग करके हानियों के लिए प्रावधान की अनुमति का आकलन करती है जो लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वर्गीकृत नहीं किए जाते हैं। आईएनडी - एएस109 प्रारंभिक पहचान के बाद से क्रेडिट जोखिम में परिवर्तन के आधार पर हानि के मूल्यांकन के लिए एक तीन चरणीय मॉडल की रूपरेखा तैयार करता है। विभिन्न चरणों में अपने ऋणकर्ताओं के वर्गीकरण के लिए, कंपनी निम्नलिखित आधारों का उपयोग करती है

- एक वित्तीय लिखत जो प्रारंभिक मान्यता पर क्रेडिट नहीं है, को 'स्टेज I' में वर्गीकृत किया गया है।
- यदि ऋण जोखिम (एसआईआरसी) में महत्वपूर्ण वृद्धि की पहचान हो जाती है, तो वित्तीय लिखत को 'स्टेज II' में स्थानांतरित कर दिया जाता है।

वित्तीय साधन के शेष काल पर होने वाले चूक के जोखिम में परिवर्तन पर विचार करके प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि में क्रेडिट की पहचान के बाद से क्रेडिट जोखिम में काफी वृद्धि हुई है या नहीं, इसका आकलन किया गया है। इंड एस109 के अनुसार, कंपनी ने रिब्यूटेबल आकलन लागू किया है जो क्रेडिट रिस्क में महत्वपूर्ण वृद्धि का निर्धारण करने के लिए एक पैरामीटर के रूप में 30 से अधिक दिनों के अतीत को मानता है। इसके अतिरिक्त, कंपनी क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि का संकेत देते हुए किसी भी अन्य अवलोकन योग्य इनपुट पर भी विचार करती है।

- यदि वित्तीय लिखत ऋण हानि ग्रस्त हुआ है, तो वित्तीय साधन को 'स्टेज III' श्रेणी में ले जाया जाता है।

(ii) ***डिफ़ॉल्ट***

इंड एस 109 के अनुसार, कंपनी किसी वित्तीय लिखत को डिफॉल्ट रूप में परिभाषित करने के लिए रिबूट्टेबल परिकल्पना अपनाती है, अर्थात ऋण खाते पर संविदात्मक भुगतानों का बकाया 90 दिनों से अधिक पुराना हो। खराब क्रेडिट वित्तीय परिसंपत्तियों को डिफॉल्ट की परिभाषा के साथ संरेखित किया गया है।

(iii) ***अनुमानित क्रेडिट हानि (ईसीएल) का आकलन***

प्रारंभिक पहचान के बाद से क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि होने या न होने के आधार पर ही ईसीएल या तो 12 महीने के लिए या फिर लाइफ टाइम के लिए माना जाता है। ईसीएल डिफॉल्ट की संभावना (पीडी), लॉस गिवन डिफॉल्ट (एलजीडी) और एक्सपोजर एट डिफॉल्ट (ईएडी) का गुणनफल होता है। कंपनी ने स्वतंत्र एजेंसी आईसीआरए एनेलेटिक्स लिमिटेड को इस वित्त वर्ष में ईसीएल का आईएनडी एएस 109 के अनुरूप आकलन करने के लिए नियुक्त किया है। ईसीएल जानने की प्रक्रिया संक्षेप में नीचे दी जा रही है:

(i) ***डिफॉल्ट की संभावना (पीडी)***

दी गई अवधि में डिफॉल्ट की संभावनाओं की संख्या का अनुभव ही पीडी है। यह एक समय में अनुमानित हो सकती है। आने वाले 12 महीनों में ऋण का भुगतान हो पाने (डिफॉल्ट होने) की संभावना का हिसाब लगाया जाता है और इसी प्रकार लाइफ टाइम डिफॉल्ट पीडी अर्थात ऋण की बकाया अवधि में (कितनी बार) उसका भुगतान न होने की संभावना पता लगाई जाती है।

- चरण-I के लेखा के लिए, 12 महीने की पीडी इस्तेमाल होती है।
- चरण-II के लिए क्रेडिट जोखिम लेखों में खासी बढोत्तरी होने के कारण लाइफ टाइम पीडी इस्तेमाल की जाती है।
- चरण-III के लिए क्रेडिट क्षतिग्रस्त खातों के लिए 100 प्रतिशत पीडी ली जाती है।

12 महीने वाली पीडी के लिए: ईसीएल के आकलन के लिए बाह्य रेटिंग ग्रेड (आईसीआरए के रेटिंग ट्रंजिशन मैट्रिक्स के भाग के रूप में प्रकाशित) से जुडे पीडी इस्तेमाल किए जाते हैं। सरकारी क्षेत्र के ऋणकर्ताओं के मामले में इन्हें कंपनी की इंटरनल रेटिंग के आधार पर निकाला जाता है। परंतु, निजी क्षेत्र के ऋणकर्ताओं के मामले में विभिन्न क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा प्रकाशित नवीनतम बाह्य रेटिंग्स के आधार पर ईसीएल निकाला जाता है। निजी क्षेत्र के द्वारा ऋणकर्ताओं के मामले में बाह्य रेटिंग उपलब्ध न होने के कारण 12 महीने की पीडी एजेंसी द्वारा विकसित प्रॉक्सी जोखिम स्कॉरिंग मॉडल के जरिये निकाली गई है। इस मॉडल में गीयरिंग (ऋण/इक्विटी), प्रयुक्त पूंजी पर होने वाली आय, ब्याज अनुपात, ऋण और ईबी आईटीडीए अनुपात जैसे वित्तीय अनुपात और प्लांट लोड फैक्टर, एलएएफ और एसीएस एआरआर अंतराल जैसे गुणात्मक मानदंडों का प्रयोग किया जाता है।

लाइफटाइम (जीवन प्रर्यन्त) पीडी के लिए: रेटिंग ग्रेड् की लाइफ टाइम पी डी जाने के लिए मार्केव चेन मॉडल प्रयुक्त किया जाता है।

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

(ii) ***निश्चित चूक हानि (एलजीडी)***

एलजीडी ऋण अदा न होने की स्थिति में कंपनी को हो सकने वाले नुकसान का फैक्टर, यानी लॉस फैक्टर है।

सरकारी क्षेत्र के ऋणकर्ताओं के मामले में एलजीडी का मूल्यांकन संबंधित राज्य की जीडीपी और राजकोषीय घाटे को देखते हुए जोखिम श्रेणी के आधार पर किया जाता है।

निजी क्षेत्र के ऋणकर्ताओं के मामले में एलजीडी का मूल्यांकन प्रति इकाई परियोजना लागत, प्रतिशत संपूर्णता, उत्पादन परियोजनाओं के मामले में परियोजना क्षमता के आधार पर और प्रेषण एंव वितरण परियोजनओं के मामले परिसंपत्तियों के लिए लेखा मूल्य के आधार किया जाता है। उसके बाद सीईआरसी द्वारा प्रकाशित परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन पर आधारित स्ट्रैस फैक्टर और अवमूल्यन परिसंपत्तियों का मूल्य आंका जाता है। फिर अन्य प्रकार की परियोजनाओं के मामले में चरण वार औसत एलजीडी लागू किया गया था।

चरण III के ऋणकर्ताओं के लिए चालू परियाजनाओं के डिस्काउंटेड संभावित नकदी प्रवाह विश्लेषण के आधार पर और दिवालिया होने वाली परियोजनाओं के मामले में परिसंपत्ति मूल्यांकन के आधार पर एलडीजी का आकलन किया गया है।

(iii) ***चूक पर एक्सपोजर (ईएडी)***

यह बकाया एक्सपोजर है और इसी के आधार पर ईसीएल निकाला जाता है। ईएडी में ऋण के संबंध में बकाया मूलधन और प्राप्त ब्याज शामिल रहता है।

(iv) ***ईसीएल के मापन में प्रयुक्त प्रमुख धारणाएं:***

- कंपनी आधार तारीख के रूप में शुरुआती मान्यता की तारीख पर विचार करती है, जिससे क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि का निर्धारण किया जाता है।
- चूंकि कंपनी को अपने किसी भी ऋणकर्ताओं को संस्वीकृत की गई वह ऋण राशि रद्द करने का अधिकार है जो ऋणकर्ता ने निकाली नहीं है इसलिए ईएडी को ही रिपोर्टिंग तारीख का बकाया शेष माना जाता है।

(v) जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि और ईसीएल की गणना दोनों का आकलन आगे की जानकारी को शामिल करता है। इसके अतिरिक्त, क्रेडिट रेटिंग मॉडल विभिन्न वित्तीय अनुपातों और परियोजना के पूरा होने के विस्तार को ध्यान में रखकर, ऋणकर्ता को सौंपी जाने वाली क्रेडिट रेटिंग के निर्धारण में अग्रेषित जानकारी पर भी विचार करते हैं। जैसे, बेस केस परिदृश्य कंपनी के लिए ईसीएल की गणना के लिए सबसे उपयुक्त आधार को दर्शाता है।

(ग.3) क्रेडिट जोखिम विश्लेषण

(i) ***क्रेडिट जोखिम एक्सपोजर***

तुलन-पत्र में माने गए ऋणों के मामले में क्रेडिट जोखिम का एकल एक्सपोजर उनकी रखाव राशि के बराबर होता है। ऋणों के कारण उत्पन्न होने वाले क्रेडिट जोखिम के कारण कंपनी को हानि पहुंचा सकने वाले 'ऋण' टिप्पणी 10 में देखें।

जारी की गई वित्तीय गारंटियों के लिए यदि गारंटी मांगी जाती है तो कंपनी को जो अधिकतम भुगतान करना होगा वह क्रेडिट जोखिम के कारण हो सकने वाली अधिकतम हानि से ज्यादा नहीं होगी। अपरिवर्तनीय ऋण प्रतिबद्धताओं के मामले में अधिकतम क्रेडिट जोखिम एक्सपोजर प्रतिबद्ध सुविधाओं की कुल राशि जितना होगा। गारंटियों और बकाया वितरण प्रतिबद्धताओं के एक्सपोजर के लिए टिप्पणी 42 देखें।

(ii) ***क्रेडिट जोखिम का संकेंद्रण***

ऋण संकेंद्रण जोखिम किसी एकल एक्सपोजर या एक्सपोजर के समूह से संबद्ध जोखिम है जिसमें कंपनी के प्रमुख संचालनों को चुनौती देने के लिए पर्याप्त क्षति उत्पन्न करने की क्षमता होती है जो संबद्ध कंपनी अथवा कंपनी समूह के स्वामित्व, सैक्टर, क्षेत्र, आदि के आधार पर हो सकती है।

नीचे दी जा रही तालिका में समान जोखिम परिरिस्थितियों के आधार पर सकल ऋण पोर्टफोलियो के जोखिम संकेद्रण का विश्लेषण दिया जा रहा है:

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 को		31.03.2019 को	
	बकाया मूलधन	क्षतिग्रस्तता हानी छूट*	बकाया मूलधन	क्षतिग्रस्तता हानी छूट*
स्वामित्व द्वारा संकेंद्रण				
सरकारी क्षेत्र को दिए ऋण अर्थात (राज्य और/अथवा केंद्र सरकार के नियंत्रण वाली संस्थाएं)	2,87,513.78	256.89	2,61,054.99	255.53
निजी क्षेत्र को दिए ऋण	57,390.80	15,707.14	53,611.94	16,112.22
कुल	**3,44,904.58**	**15,964.03**	**3,14,666.93**	**16,367.75**

*₹180.47 करोड एल सी के आधार पर दी गई क्षतिग्रस्तता छूट भी शामिल है (जो 31-3-2019 को ₹186.71 करोड थी) ।

कंपनी का मानना है कि सरकारी क्षेत्र को दिए ऋणों में निजी क्षेत्र को दिए ऋणों की अपेक्षा ज्यादा जोखिम होता है। क्योंकि मुख्य रूप से सरकारी क्षेत्र में ऋण चुकता न करने या कंपनी के घाटे में जाने की आंशका कम होती है और कई ऋणों पर तो सरकार की गारंटी रहती है। ऐसी परियोजनाओं में सरकार के मौजूद रहने से भी बकाया वसूली न होने का जोखिम कम रहता है।

इसके अतिरिक्त, कंपनी देशभर में भौगोलिक संरचनाओं वाले इलाकों में विद्युत उत्पादन (नवीकरणीय और गैर-नवीकरणीय), पारेषण और वितरण से जुडी परियोजनाओं के लिए ही ऋण देती है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 को		31.03.2019 को	
	बकाया मूलधन	क्षतिग्रस्तता हानी छूट*	बकाया मूलधन	क्षतिग्रस्तता हानी छूट*
क्षेत्र द्वारा संकेंद्रण				
उत्पादन	1,48,651.44	13,288.17	1,86,698.64	14,514.44
नवीकरणीय	19,210.17	453.98	15,384.60	452.41
पारेषण	46,255.36	1,023.20	23,601.50	920.10
वितरण	50,075.05	63.95	47,641.61	3.27
अन्य	80,712.56	1,134.73	41,340.58	477.53
कुल	**3,44,904.58**	**15,964.03**	**3,14,666.93**	**16,367.75**

*₹180.47 करोड (जो 31-3-2019 तक ₹186.71 करोड) के चुकौती आश्वासन पत्र पर क्षतिग्रस्तता हानि छूट शामिल है।

विभिन्न परियोजनाओं और ऋणकर्ताओं के प्रति कंपनी के एक्सपोजर पर लागू होने वाले क्रेडिट संकेंद्रण मानकों के अनुरूप लगातार मॉनीटर किया जाता है।

(iii) ऋणों और एक्सपोजरों के संकेंद्रण संबंधी विवरण:

(क) अग्रिम राशियों का संकेंद्रण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 को	31.03.2019 को
20 सबसे बडे ऋणकर्ताओं को दी गई कुल अग्रिम राशियां (मूलधन बकाया) (करोड रुपए में)	2,06,588.74	1,88,278.21
20 सबसे बडे ऋणकर्ताओं को दी गई अग्रिम राशियों का कंपनी द्वारा दिए गये कुल ऋणों में प्रतिशत	59.90%	59.83%

(ख) एक्सपोजरों का संकेंद्रण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 को	31.03.2019 को
20 सबसे बडे ऋणकर्ताओं का कुल एक्सपोजर (करोड रुपए)	2,86,228.18	2,61,087.34
20 सबसे बडे ऋणकर्ताओं को दी गई अग्रिम राशियों का कंपनी द्वारा दिए गए कुल ऋणों का प्रतिशत	54.90%	53.87%

(ग) चरण III के लेखों का संकेंद्रण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 को	31.03.2019 को
चरण III वाले चार प्रमुख लेखों का बकाया मूलधन	13,883.24	13,847.63

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

(iv) चरण वार बकाया मूलधन और क्षतिग्रस्त हानि छूट का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 को			31.03.2019 को		
	बकाया मूलधन	क्षतिग्रस्तता हानी छूट*	%	बकाया मूलधन	क्षतिग्रस्तता हानी छूट*	%
चरण I	2,84,211.50	441.67	0.15	2,75,658.63	863.03	0.31
चरण II	32,821.38	773,90	2.36	9,467.99	303.07	3.20
चरण III	27,871.70	14,748.46	52.92	29,540.31	15,201.65	51.46
कुल	**3,44,904.58**	**15,964.03**	**4.63**	**3,14,666.93**	**16,367.75**	**5.20**

*₹180.47 करोड के चुकौती आश्वासन पत्र पर क्षतिग्रस्तता हानी छूट शामिल है (31.03.2019 को ₹186.71 करोड)

(v) नीचे दी जा रही तालिकाओं में रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभ और अंत के बीच ऋणों और संबद्ध क्षतिग्रस्त हानि छूट में हुए बदलावों का विवरण दिया गया है।

वित्तीय वर्ष 2019-20	चरण I		चरण II		चरण III		कुल	
	मूलधन	क्षतिग्रस्तता हानि छूट*	मूलधन	क्षतिग्रस्तता हानि छूट*	मूलधन	क्षतिग्रस्तता हानि छूट*	मूलधन	क्षतिग्रस्तता हानि छूट*
प्रारंभिक शेष	2,75,658.63	863.03	9,467.99	303.07	29,540.31	15,201.65	3,14,666.93	16,367.75
चरण I में हस्तांतरित	6,252.50	471.5	5,324.44	0.51	928.06	470.99	-	-
चरण II में हस्तांतरित	29,742.96	55.06	29,742.96	55.06	-	-	-	-
चरण III में हस्तांतरित	-	-	924.31	301.68	924.31	301.68	-	-
वर्ष के दौरान मूलधन/ईसील में निवल परिवर्तन	5,369.59	173.63	1,280.50	717.73	46.4	567.78	4,135.47	1,111.88
उत्पन्न की गई नई वित्तीय परिसंपत्तियां	41,482.62	81.98	1,691.92	0.34	75	30.8	43,249.54	113.11
विमान्य वित्तीय परिसंपत्तियां (अदा किए ऋण)	14,112.42	275.39	552.24	0.12	836.2	7.33	15,500.87	282.84
इस अवधि के दौरान विमान्य की गई वित्तीय परिसंपत्तियां (राइट ऑफ)	636.64	410.93	-	-	732.28	674.55	1,368.92	1,085.48
इस अवधि के दौरान विमान्य की गई वित्तीय परिसंपत्तियां (प्राप्त निवेश)*	59.82	59.82	-	-	217.74	200.57	277.57	260.4
अंतिम शेष	**2,84,211.50**	**441.67**	**32,821.37**	**773.9**	**27,871.70**	**14,748.46**	**3,44,904.58**	**15,964.03**

वित्तीय वर्ष 2018-19	चरण I		चरण II		चरण III		कुल	
	मूलधन	क्षतिग्रस्तता हानि छूट*	मूलधन	क्षतिग्रस्तता हानि छूट*	मूलधन	क्षतिग्रस्तता हानि छूट*	मूलधन	क्षतिग्रस्तता हानि छूट*
प्रारंभिक शेष	2,34,050.9.3	2,104.71	18,098.96	670.29	26,866.80	14,436.02	2,79,016.69	17.247.02
चरण I में अंतरित	9,173.53	915.44	8,356.63	275.4	816.9	640.04	-	-
चरण II में अंतरित	7,528.26	10.84	7,528.26	10.84	-	-	-	-
चरण III में अंतरित	-	-	3,956.35	249.17	3,956.35	249.17	-	-
वर्ष के दौरान मूलधन/ईसीएल में परिवर्तन	9,110.28	2,194.85	991.23	291.85	448.08	1,168.28	7,670.96	734.72
उत्पन्न की गई नई वित्तीय परिसंपत्तियां	42,541.15	66.69	190	0.06	-	-	42,731.16	66.75
अमान्य घोषित वित्तीय परिसंपत्तियां	11,689.00	54.11	3,045.02	145.4	17.86	11.79	14,751.88	211.3
अंतिम शेष	**2,75,658.63**	**863.04**	**9,467.99**	**303.07**	**29,540.31**	**15,201.65**	**3,14,666.93**	**16,367.75**

*चुकौती आश्वासन पत्र पर क्षतिग्रस्तता हानि छूट सहित

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

(vi) चरण III लेखाओं का मूवमेंट

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2020 की स्थिति के अनुसार	31.03.2019 की स्थिति के अनुसार
(i)	सकल ऋणों के अनुपात में निवल चरण III (%)	3.80	4.56
(ii)	निवल ऋणों के अनुपात में निवल चरण III (%)	3.97	4.79
		वित्तीय वर्ष 2019-20	वित्तीय वर्ष 2018-19
(iii)	चरण III (सकल) का मूवमेंट		
	(क) प्रारंभिक शेष	29,540.31	26,866.80
	(ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	1,045.69	3,793.33
	(ग) वर्ष के दौरान कटौती	2,714.30	1,119.82
	(घ) अंतिम शेष	27,871.70	29,540.31
(iv)	निवल चरण III का मूवमेंट		
	(क) प्रारंभिक शेष	14,338.65	12,430.78
	(ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	88.50	1,969.78
	(ग) वर्ष के दौरान कटौती	1,303.91	14,338.65
	(घ) अंतिम शेष	13,123.24	14,338.65
(v)	चरण III के ऋणों के लिए क्षतिग्रस्तता छूट का मूवमेंट		
	(क) प्रारंभिक शेष	15,201.66	14,436.02
	(ख) वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	957.21	1,823.55
	(ग) आधिक्य प्रावधानों को समाप्त करना/आगे ले जाना	1,410.39	1,057.92
	(घ) अंतिम शेष	14,748.46	15,201.65

(vii) सकल ऋणों से सकल चरण III का प्रतिशत - क्षेत्रवार

विवरण	31.03.2020 को	31.03.2019 को
विद्युत क्षेत्र	8.08 %	9.39 %

ग.4 अधिकृत कारोबार में से बिक्री के बारे में नीति

सामान्य कारोबार के दौरान कंपनी वित्तीय परिसंपत्तियों की बिक्री नहीं करती है।

हालांकि, कंपनी की यह स्वीकृत नीति है कि वह दबाव वाली परिसंपत्तियों के समाधान हेतु पुनर्गठन, स्वामित्व परिवर्तन, सहमति अथवा अन्य तरीके अपना सकती है। ऐसे में इंड एएस 109 के अंतर्गत परिसंपत्तियों को अमान्य आंक लिया जाता है।

ग.5 90 दिन से भी ज्यादा समय से बकाया ऐसे लेखों की घोषणा जिन्हें क्रेडिट इंपेयर्ड नहीं माना गया है।

एक ऋणकर्ता जिसकी ओर 1,116.65 करोड़ रुपए का ऋण बकाया था उसने माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय से 22-01-2020 को अंतःकालीन अंतरिम आदेश प्राप्त कर लिया ताकि उन पर कोई जोर डालने वाली कार्रवाई न की जाएं। 31.03.2020 तक, कंपनी ने इस ऋण लेखा के संबंध में पर्याप्त क्षतिग्रस्तता हानि छूट धारित की थी और इसे चरण-II में वर्गीकृत किया गया। इसके अतिरिक्त, 31-03-2020 को समाप्त हुई छमाही के दौरान ब्याज आय मान्य नहीं की गई।

ग.6 भारतीय रिजर्व बैंक के एनबीएफसी द्वारा इंड एएस क्रियान्वयन संबंधी दिनांक 13-03-2020 के परिपत्र के अनुसार नीचे बताए एनपीए अनुपातों के आकलन के लिए क्रेडिट क्षतिग्रस्त ऋणों (चरण-III) और आईआरएसीपी मानकों के अंतर्गत एनपीए की श्रेणी मे रखे जाने वाले ऋणों को आधार बनाया जाता है।

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

विवरण	31.03.2020 को
सकल ऋणों से सकल एनपीए का अनुपात	8.39%
निवल ऋणों से निकले एनपीए का अनुपात	4.30%

ग.7 इंड एएस 109 के अनुसार मूल्यहास छूट एवं आरबीआई के आय मान्यता परिसंपति वर्गीकरण एवं प्रावधान मानकों के अनुसार अपेक्षित प्रावधान का विवरण

भारतीय रिज़र्व बैंक के मानकों के अंतर्गत परिसंपत्तियों का वर्गीकरण	इंड एस 109 के अंतर्गत परिसंपत्तियों का वर्गीकरण	इंड एएस के अंतर्गत सकल वहन राशि	इंड एएस 109 के अंतर्गत हानि छूट (प्रावधान)	निवल वहन राशि	आईआरएसीपी मानकों के अंतर्गत आवश्यक प्रावधान	ईंड एएस 109 प्रावधानों और आईआरएसीपी मानकों में अंतर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)	(7)=(4)-(6)
निष्पादनीय परिसंपत्तियां	चरण-I	2,87,255.52	441.06	2,86,814.45	1,322,84	(881.78)
	चरण-II	33,713.58	773.89	32,939,69	238.46	535.43
मानक	चरण-III	5,203.08	2,137.83	3,065,25	1,822.31	315.52
उप-योग		**3,26172.17**	**3,352.78**	**3,22,819.39**	**3,383.61**	**(30.83)**
गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां (एनपीए)	चरण-I	755.11	0.08	755.03	73.78	(73.70)
उप-मानक	चरण-II	6.00	0.01	5.99	0.59	(0.58)
	चरण-III	923.18	520.69	402.49	275.41	245.29
उप-योग के लिए उप मानक		**1,684.30**	**520.78**	**1,163.52**	**349.78**	**171.01**
संदिग्ध-1 वर्ष तक	चरण-I	7.60	0.02	7.57	1.48	(1.46)
1-3 वर्ष तक	चरण-II	313.73	0.01	313.72	91.81	(91.80)
संदिग्ध-1 वर्ष तक	चरण-III	3,755.54	1,274.46	2,481.08	828.34	446.11
1 से 3 वर्ष तक	चरण-III	11,702.63	5,995,02	5,707.62	5,919.65	75.37
3 वर्ष से अधिक	चरण-III	5,018.92	3,399.22	1,619.70	3,578.09	(178.87)
संदिग्ध के लिए उप-योग		**20,798.42**	**10,668.73**	**10,129.69**	**10,419.37**	**249.36**
हानि	चरण-III	1,241.27	1,241.27		1,241.27	
एनपीए के लिए उप-योग		**23,723.99**	**12,430.78**	**11,293.21**	**12,010.41**	**420.37**
अन्य मदें (जिनके एक्सपोजर से आकस्मिक देयताओं का हिस्सा बनाता है) जैसे कि गारंटियां, ऋण प्रतिबद्धता, आदि जो इंड एएस 109 के अंतर्गत कवर नहीं होती	चरण-I	-	0.49	(0.49)		0.49
	चरण-II	-	-	-	-	-
	चरण-III	-	179.98	(179.98)	-	179.98
उप-जोड़			**180.47**	**(180.47)**		**(180.47)**
जोड़	**चरण-I**	**2,88,331.96**	**441.67**	**2,87,890.29**	**1,489.91**	**(1,048,24)**
	चरण-II	**33,719.58**	**773.90**	**32,945.68**	**239.05**	**534.85**
	चरण-III	**27,844.62**	**14,748.46**	**13,096.16**	**13,665.06**	**1,083.40**
	कुल	**3,49,896.16**	**15,964.03**	**3,33,932.13**	**15,394.02**	**570.01**

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

34.2.2 चलनिधि जोखिम

चलनिधि जोखिम वह होता है जब कंपनी के पास अपने दायित्व और देनदारियां पूरी करने के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन नहीं होते। ऐसी जोखिम वित्तीय गतिविधियों में नकदी प्रवाह के अपेक्षित समय में गड़बड़ी से उत्पन्न होती है और अनेक कंपनी विशिष्ट तथा बाजार की गतिविधियों के कारण प्रभावित होती है।

चलनिधि जोखिम का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करने के कंपनी की प्रतिष्ठा पर किसी आंच के बगैर या अस्वीकार्य हानियों को वहन किए बगैर देयताओं के परिपक्व होने पर उनको कवर करने हेतु पर्याप्त नकदी प्रवाह बनाए रखने के प्रयास जारी रखती है और वित्तपोषण की विभिन्न लिखतों के माध्यम से संसाधन जुटाकर विविध निधि आधार अनुरक्षित करने का भी प्रयास करती है। निम्नलिखित कारकों को ध्यान में रखकर कंपनी की चलनिधि की पर्याप्तता का निर्धारण किया जाता है:

- चलनिधि की वर्तमान स्थिति;
- वित्तपोषण की अनुमानित भावी आवश्यकताएं;
- अर्जन की वर्तमान और भावी क्षमता; और
- निधियों के उपलब्ध स्रोत

कंपनी अपनी दैनिक नकदी आवश्कता का पूरा ध्यान रखती है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कंपनी के पास जरूरत के वक्त अपनी देयताएं पूरी करने के वास्ते समुचित नकदी (चलनिधि) की व्यवस्था है। दीर्घावधि नकदी का इंतजाम कंपनी दीर्घावधि फंड स्थिति और बाजार के कारकों को ध्यान में रखकर करती है। यह व्यवस्था निदेशक मंडल द्वारा स्वीकृत फ्रेमवर्क के अुनरूप की जाती है। कंपनी ने अपनी देनदारियां चुकाने में की कभी कोई कोताही नहीं की है।

साथ ही, चलनिधि स्थिति की समग्र मॉनीटर के लिए कंपनी में निदेशक (वित्त) की अध्यक्षता में परिसंपत्ति-देयता समिति (एएलसीओ) है जो अपनी वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं की परिपक्वता या नकदी प्रवाह के बीच विसंगति का विश्लेषण करके तरलता जोखिम का आकलन करती रहती है। इन द्वारा चलता है जिनके अंतर्गत कोषों के संचयी आधिक्य या अभाव का हिसाब परिपक्वता चरण के अनुसार बकाया वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं को वितरण करके लगाया जाता है।

(i) नीचे दी जा रही तालिका में वित्तीय देयताओं की मदों के परिपक्वता स्वरूप (पैटर्न) का बिना छूट वाले अनुबंधित मूलधन की बकाया परिपक्वता के आधार पर विश्लेषण किया गया है:

विवरण	30/31 दिन तक	1 माह से 2 माह तक	2 माह से ज्यादा और 3 माह तक	3 माह से ज्यादा और 6 माह तक	6 माह से ज्यादा और 1 वर्ष तक	1 वर्ष से ज्यादा और 3 वर्ष तक	3 वर्ष से ज्यादा और 5 वर्ष तक	5 वर्ष से ज्यादा	कुल
31.3.2020 की स्थिति के अनुसार									
घरेलू ऋण	8.046.86.	5,988.50	10,845.500	17,351.67	5,305.25	57,474.09	60,813.03	90,071,03	**2,55,895.42**
विदेशी मुद्रा ऋण	5.40	-	6.09	1,130.79	2,156.10	11,493.88	10,231.67	22,676.86	**47.700.79**
31.3.2020 की स्थिति के अनुसार									
घरेलू ऋण	21,785.18	4,915.00	7,495.20	10,292,05	19,088.10	76,608.05	32,730.60	87,160.38	**2,60,074.56**
विदेशी मुद्रा ऋण	696.50	-	2,080.35	-	3,468.40	4,971.67	9,235.95	8,373.99	**28,826.87**

उपरोक्त तालिका में पुट एंड कॉल विकल्प वाले बॉण्ड निकटम एक्सरसाइज तारीख के अनुसार दर्शाए गए हैं। इसके अतिरिक्त, कमर्शियल पेपर्स और जीरो कूपन बॉण्ड भी परिपक्वता मूल्य सहित दिखाए गए हैं।

(ii) नीचे दी जा रही तालिका में डेरिवेटिव वित्तीय देयताओं का परिपक्वता स्वरूप का विश्लेषण दिया जा रहा है:

विवरण	1 वर्ष तक	1-5 वर्ष	5 वर्ष से अधिक	कुल
31.3.2020 की स्थिति के अनुसार				
फॉर्वर्ड	20.23	-	-	20.23
ऑप्शन/स्वैप	36.17	543.42		579.59
कुल				**599.82**
31.3.2019 की स्थिति के अनुसार				
फॉर्वर्ड	86.75	148.70		235.45
ऑप्शन/स्वैप	1.89	268.25		270.14
कुल				**505.59**

उपर्युक्त तालिका में कंपनी द्वारा समकक्ष बैंकों से प्राप्त एमटीएम पर आधारित डेरिवेटिव वित्तीय देयताओं के लिए कंपनी के चलनिधि विश्लेषण का विवरण दिया गया है। परिपक्वता बकेट संबद्ध डेरिवेटिव लिखतों के बकाया परिपक्वता पर आधारित हैं।

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

(iii) कंपनी बैंकों से कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, लाइन ऑफ क्रेडिटस और कार्यपूंजी मांग ऋण ले सकती है ताकि नकदी की अनपेक्षित मांग पूरी हो सके। कंपनी को उच्चतम क्रेडिट रेटिंग एएए प्राप्त है जिससे इसे थोडे समय में ही घरेलू बाजार से फंड जुटाने की सुविधा मिली हुई है। कंपनी नीचे दी जा रही इस्तेमाल ने की गई ऋण सुविधाओं का भी उपयोग कर सकती है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 की स्थिति के अनुसार	31.03.2019 की स्थिति के अनुसार
सीसी/ओडी/एलओसी/डब्ल्यू सीएल सीमा	5,270.00	6,950.00

34.2.3 बाजार जोखिम-विदेशी मुद्रा जोखिम

विदेशी मुद्रा जोखिम ऐसा जोखिम है जहां विदेशी मुद्रा विनिमय दर में परिवर्तन के कारण व्यावहारिक मुद्रा से भिन्न मुद्रा में वर्णित वित्तीय लिखत के उचित मूल्य या भावी नकदी प्रवाह में उतार-चढ़ाव होगा।

(i) मुख्य रूप से विदेशी मुद्रा में वर्णित ऋणों पर कंपनी को विदेशी मुद्रा जोखिम का खतरा है। कंपनी के विदेशी मुद्रा में वर्णित ऋणों की वहन राशि निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 की स्थिति के अनुसार		31.3.2019 को	
	संबंधित मुद्रा में करोड़	₹ करोड़ में	संबंधित मुद्रा में करोड़	₹ करोड़ में
यूएसडी ऋण	517.05	43,049.43	361.20	24,978.60
हेज्ड	205.00	15,454.11	240.00	16,597.21
अनहेज्ड	366.05	27,595.32	121.20	8,381.21
यूरो ऋण	1.12	92.91	1.27	98.30
हेज्ड				
अनहेज्ड	1.12	92.91	1.27	98.30
जेपीवाई ऋण*	**6,544.80**	**4,558.45**	**6,007.88**	**3,749.97**
हेज्ड	1,456.68	1,014.57	967.03	603.60
अनहेज्ड	5,088.12	3,543.88	5,040.85	3,146.37
कुल		**47,700.79**		**28,826.87**

*31.3.2020 को ₹ 964.94 करोड के आंशिक रूप से सुरक्षित जेपीवाई ऋण शामिल हैं जो यूएसडी/आईएनआर के एक्सपोजर से आगे कवर किए गए हैं (31.3.2019 को ₹ 587.82 करोड)

विदेशी मुद्रा मदें वर्ष की समाप्ति पर निम्नानुसार उस समय की विनिमय दरों के आधार पर परिवर्तन की गई है।

विनियम दरें	31.03.2020 की स्थिति के अनुसार	31.03.2019 की स्थिति के अन
यूएसडी/आईएनआर	75.3859	69.1550
यूरो/आईएनआर	83.0496	77.6725
जेपीवाई/आईएनआर	0.6965	0.6242

(ii) विदेशी मुद्रा जोखिम मॉनीटरिंग और प्रबंधन

कंपनी ने विदेशी मुद्रा वाले ऋणों से जुडे जाखिम के प्रबंधन और संरक्षण के लिए बोर्ड द्वारा स्वीकृत जोखिम प्रबंधन नीति (सीआरएम) लागू की है जो ऐसे जोखिम के आकलन के लिए व्यवस्था निर्धारित करती है।

कंपनी विनियम दर जोखिम से बचाव के लिए मात्र मूलधन स्वैप, विकल्पों और फार्वर्ड संविदाओं जैसे विभिन्न डेरिवेटिव लेनदेन करती है। सीआरएम नीति के अनुसार जोखिम की जानकारी देने और उनके प्रबंधन के लिए प्रणाली बनाई गई है जिसके अंतर्गत कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) विदेशी मुद्रा विनिमय दर पर मॉनीटरिंग रखती है। ये डेरिवेटिव लेन-देन जोखिम से बचाव की दृष्टि से किए जाते हैं, कारोबार या सट्टेबाजी के लिए नही। समिति मुद्रा जोखिम का अनुमान लगाने और उस पर मॉनीटरिंग रखने के लिए उपयुक्त प्रणालियां और नियंत्रण तय करती है ताकि निदेशक मंडल की जानकारी में इन्हें लाया जा सके बैंकों की एक्सपोजर सीमा, इत्यादि की लगातार निगरानी की जाती है जो करंसी जोखिम प्रबंधन का ही हिस्सा है।

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

(iii) विदेशी मुद्रा संवेदनशीलता विश्लेषण

नीचे दी जा रही तालिका में बकाया विदेशी मुद्रा ऋणों के असुरक्षित पोर्टफोलियों पर विदेशी मुद्रा विनिमय दर में 5% लाभ/हानि का प्रभाव दर्शाया गया है:

(₹ करोड़ में)

विदेशी मुद्रा देयताएं	31.03.2020 की स्थिति के अनुसार		31.03.2019 की स्थिति के अनुसार	
	कमी	बढत	कमी	बढत
	विदेशी मुद्रा विनिमय दर में बदलाव के कारण			
यूएसडी	1,379.77	(1,379.77)	419.07	(419.07)
यूरो	4.65	(4.65)	4.92	(4.92)
जेपीवाई	177.19	(177.19)	157.32	(157.32)
कुल	**1,561.61**	**(1,561.61)**	**581.31**	**(581.31)**

34.2.4 बाजार जोखिम-ब्याज दर जोखिम

ब्याज दर जोखिम ऐसा जोखिम है जहां ब्याज दरों में परिवर्तन के कारण किसी वित्तीय लिखत के भावी नकदी प्रवाह में उतार-चढ़ाव होगा। ब्याज दरों में परिवर्तन की दिशा तथा परिसंपत्तियों या देयताओं के तेजी से पुनः मूल्य निर्धारण के आधार पर प्रभाव लाभप्रद या प्रतिकूल हो सकता है।

(i) प्रतिफल को अभीष्ट करते हुए बाजार जोखिम एक्सपोजर को नियंत्रित करने के उद्देश्य से ब्याज दर जोखिम का प्रबंधन किया जाता है।

परिसंपत्ति देयता समिति (एएलसीओ) दर संवेदी परिसंपत्तियों और दर संवेदी देयताओं के बीच की विसंगति का विश्लेषण करके ब्याज दर जोखिम का पता लगाती है। अंतराल विश्लेषण के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित ब्याज दर संवेदनशीलता विवरण का प्रयोग किया जाता है जिसमें दर संवेदी परिसंपत्तियों एवं दर संवेदी देयताओं के बीच अंतर मापा जाता है जो परिपक्वता तारीख या पूनर्मूल्यांकन तारीख (जो भी पहले हो) के आधार पर वितरित की जाती है।

इसके अतिरिक्त, ब्याज दर जोखिम प्रबंधन के लिए कंपनी बाजार स्थिति, ऋण लेने पर लागत, आय विस्तार, प्रतियोगी दरों आदि के आधार पर समय समय पर ब्याज दरों की समीक्षा करती है। कंपनी परिसंपत्ति मिक्स को ब्याज दर और, क्रेडिट नीतियों द्वारा संभालती है जिसमें री-सैट अवधि, पुनर्भुगतान अवधि, प्री-प्रेमेंट प्रमियम इत्यादि पहलु कवर हो जाते हैं। देयताओं का पगंधन लागत, बाजार क्षमता, समय बाजार स्थिति, एएलएम अंतराल स्थिति जैसे कारकों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है।

(ii) ब्याज दर संवेदनशीलता विश्लेषण

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार जोखिम पर अर्जन (ईएआर) ब्याज जोखिम प्रबंधन के लिए एक महत्वपूर्ण फोकल बिंदु है। ब्याजदर संवेदनशीलता विश्लेषण के लिए ब्याज दरों के मूवमेंट के प्रभाव को अंतराल विवरण से प्राप्त जोखिम पर अर्जन पर मापा गया है। एक वर्ष की अवधि में ब्याज दर 25 आधार अंकों के उतार-चढाव के आधार पर यह प्रभाव माना जाता है जबकि यह भी मान लिया जाता है कि तुलन-पत्र में कोई कोई बदलाव नही होगा। विश्लेषण से पता चलता है कि यदि दरों में 25 बेसिस पॉइंट का उतार-चढाव होने से जोखिम वाली आय में ₹ 73.08 करोड की वृद्धि-कटौती हो जाएगी (31.03.2019 को यह वृद्धि-कटौती ₹ 70.00 करोड थी)। विश्लेषण में यह मान लिया जाता है कि दर संवेदी परिसंपत्तियों और दर संवेदी देयताओं का पुनर्मूल्यांकन एक ही समय पर किया जाता है। फिर, विश्लेषण में पहले किए गए पूनर्मूल्यांकन को ही शामिल किया जाता है।

टिप्पणी: 25 बेसिस पॉइंट की वृद्धि-कटौती ब्याज दरों में तर्कसंगत प्रबंधकों के आकलन में ब्याज दरों में उचित संभावित परिवर्तन को दर्शाती है।

34.2.5 बाजार जोखिम - मूल्य जोखिम

(i) कंपनी को सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों और उद्यम की पूंजीगत निधि की यूनिटों में निवेशों से उत्पन्न होने वाले मूल्य जोखिमों का खतरा बना रहता है। इनसे कंपनी को हो सकने वाले खतरों के लिए नोट 11 'निवेश' का संदर्भ लें। कंपनी के इक्विटी निवेशों को व्यापारिक उद्देश्यों के बजाय कार्यनीतिक उद्देश्यों के लिए रखा जाता है।

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

(ii) संवेदनशीलता विश्लेषण

समूह और उद्यम की पूंजीगत निधि की यूनिटों के अलावा, कंपनी के इक्विटी निवेशों के संबंध में संबंधित मूल्यों पर 5% कमी या वृद्धि के लिए लाभ एवं हानि तथा ओसीआई पर प्रभाव नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है

(₹ करोड़ में)

विवरण	दिनांक 31.03.2020 तक की स्थिति के अनुसार		दिनांक 31.03.2019 तक की स्थिति के अनुसार	
	वृद्धि	(कमी)	वृद्धि	(कमी)
लाभ एवं हानि पर प्रभाव	1.59	(1.59)	-	-
ओसीआई पर प्रभाव	35.80	(35.80)	51.47	(51.47)

34.3 हेज लेखांकन

जब तक कि हेज लेखांकन संबंध के अंतर्गत निर्दिष्ट न हो, डेरिवेटिव का मापन एफवीटीपीएल पर किया जाता है। कंपनी ने नकदी प्रवाह हेज के अंतर्गत कुछ डेरिवेटिव संविदाएं (मूलधन केवल स्वैप तथा ब्याज दर स्वैप) निर्दिष्ट की है।

(i) हेज प्रभावकारिता

महत्वपूर्ण शर्त समाधान विधि (जहां हेजिंग लिखत एवं हेज मद की प्रधान शर्तें समान होती हैं) द्वारा कंपनी सुनिश्चित करती है कि हेज अत्यधिक प्रभावी हों, अर्थात् हेज अनुपात लगभग 100% हो तथा रिपोर्टिंग की प्रत्येक तारीख को इसका पुनः मूल्यांकन किया जाता है।

(ii) नकदी प्रवाह हेज के रूप में निर्दिष्ट हेजिंग लिखत के ब्योरे

क्र. सं.	विवरण	अभिहित (नोमिनल) राशि (₹ करोड़ में)	परिसंपत्तियां (₹ करोड़ में)	वहन राशि		भारित औसत दर/ नियत कीमत
				देयताएं (₹ करोड़ में)	परिपक्वता की तारीख	
1.	पीओएस	1,884.65	120.04	-	26.09.2023	4.12%
2.	पीओएस	1,884.65	141.60	-	28.06.2022	4.53%
3.	पीओएस	2,261.58	166.47	-	13.09.2024	4.43%
4.	आईआरएस	1,884.65	-	183.34	26.09.2023	3.15%
5.	आईआरएस	1,884.65	-	50.23	28.06.2022	1.76%

(iii) हेजिंग लिखत की अभिहित (नोमिनल) राशि के समय की प्रोफाइल

(₹ करोड़ में)

विवरण (डेरिवेटिव सहित)	दिनांक 31.03.2020 तक की स्थिति के अनुसार	दिनांक 31.03.2019 तक की स्थिति के अनुसार
पीओएस		
1 वर्ष तक	-	-
1 - 5 वर्ष	6,030.88	1,884.65
5 वर्ष से अधिक	-	-
उप-योग (क)	**6,030.88**	**1,884.65**
आईआरएस		
1 वर्ष तक	-	-
1 - 5 वर्ष	3,769.30	1,884.65
5 वर्ष से अधिक	-	-
उप-योग (ख)	**3,769.30**	**1,884.65**
कुल (क + ख)	**9,800.18**	**3,769.30**

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

(iv) नकदी प्रवाह हेज रिज़र्व का समाधान

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	वित्त वर्ष 2019-20		वित्त वर्ष 2018-19	
		पीओएस	आईआरएस	पीओएस	आईआरएस
(i)	प्रारंभ में नकदी प्रवाह हेज रिज़र्व	(12.33)	(64.75)	-	-
(ii)	पी एंड एल में मान्य हेज प्रभावकारिता	-	-	-	-
(iii)	ओसीआई में मान्य हेज अभिलाभ/हानियां	552.41	(175.13)	(98.97)	(64.73)
(iv)	ओसीआई से पी एंड एल में पुनःवर्गीकृत राशि	430.10[क]	(6.08)[ख]	(86.63)[क]	0.02[ख]
(v)	हेजिंग लिखत पर अभिलाभ/(हानि) का प्रभावी भाग (iii-iv)	122.31	(169.05)	(12.33)	(64.75)
(vi)	अंत में नकदी प्रवाह हेज रिज़र्व (i+v)	109.98	(233.80)	(12.33)	(64.75)
(vii)	अंत में नकदी प्रवाह हेज रिज़र्व (कर का निवल)	(92.66)		(50.15)	

(क) प्रमुख मद निवल परिवर्तन/लेन-देन विनिमय अभिलाभ/हानि' का भाग है और

(ख) एकल लाभ एवं हानि विवरण में प्रमुख मद वित्त लागत का भाग है।

34.4 उचित मूल्य का मापन

कंपनी की कुछ वित्तीय परिसंपत्तियों एवं वित्तीय देयताओं को रिपोर्टिंग की प्रत्येक अवधि के अंत में उचित मूल्य पर मापा जाता है। निम्नलिखित सारणी यह सूचना प्रदान करती है कि कैसे इन वित्तीय परिसंपत्तियों एवं वित्तीय देयताओं के उचित मूल्य निर्धारित किए जाते हैं (विशेष रूप से प्रयुक्त मूल्यांकन तकनीक एवं इनपुट)।

क्र. सं.	वित्तीय परिसंपत्ति/वित्तीय देयता - आवर्ती उचित मूल्य	निम्नलिखित तारीख को उचित मूल्य		उचित मूल्य का अनुक्रम (नोट 5.1 का संदर्भ लें)	मूल्यांकन की तकनीक (तकनीकें) और प्रमुख इनपुट
		31.03.2020	31.03.2019		
1.	सूचीबद्ध इक्विटी लिखत	741.59	1,023.23	स्तर 1	पीटीसी इंडिया लिमिटेड, एनएचपीसी लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड और रतन इंडिया पावर लिमिटेड के शेयरों में कंपनी का निवेश उनके संबंधित उद्धृत बाजार मूल्य पर मापा जाता है।
2.	असूचीबद्ध इक्विटी लिखत	0.00	0.00	स्तर 3	पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड - मूल्य की गणना निवेशी कंपनी के वित्तीय विवरणों के आधार पर शून्य के रूप में की गई है।
3.	वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय संचयी मोचनीय वरीयता वाले शेयर	100.58	0.00	स्तर 3	रतन इंडिया पावर लिमिटेड - करार की शर्तों के अनुसार उचित मूल्य की गणना बट्टागत भावी नकदी प्रवाह के आधार पर की जाती है।
4.	केएसके के 'स्मॉल इज ब्यूटीफुल' कोष की यूनिटें	6.12	6.18	स्तर 2	एसआईबी कोष द्वारा निर्दिष्ट निवल परिसंपत्ति मूल्य (एनएवी)।
5.	आंध्रा बैंक के बाण्डों में निवेश	810.05	809.84	स्तर 3	कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2015-16 में आंध्रा बैंक के टियर-1 बॉण्डों में निवेश किया। ये बॉण्ड एनएसई में सूचीबद्ध हैं। तथापि, इन बॉण्डों में किसी ट्रेडिंग के अभाव में स्तर-1 के अनुसार उचित मूल्य अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता है। छोटे किस्म के बॉण्डों के लिए बाजार ब्याज दर के अभाव में कंपनी ने वर्तमान बाजार दर के रूप में कूपन दर पर विचार किया है और तदनुसार बट्टा नकदी प्रवाह विधि का प्रयोग करके उचित मूल्य की गणना की गई है। डिस्काउंट रेट में किसी वृद्धि से उचित मूल्य में कटौती होगी और डिस्काउंट रेट में किसी कमी से उचित मूल्य में वृद्धि होगी।
6.	डेरिवेटिव वित्तीय लिखत			स्तर 2	इन संविदाओं का उचित मूल्य समकक्ष पक्षों वाले बैंकों से प्राप्त किया जाता है, जो मूल्यांकन विधि का प्रयोग करके इसका निर्धारण करते हैं जिनमें ऐसे इनपुट का प्रयोग किया जाता है जो संविदाओं के लिए पालनीय होते हैं, जैसे कि ब्याज दर एवं प्राप्ति वक्र (कर्व), अंतर्निहित अस्थिरताएं आदि।
	परिसंपत्तियां	1,863.42	567.98		
	देयताएं	599.82	505.59		

(i) इस अवधि में स्तर-1 और स्तर-2 के बीच कोई अंतरण नहीं हुआ।

(ii) स्तर-3 के इनपुट के माध्यम से निर्धारित उचित मूल्य वाले वित्तीय लिखतों का समाधान:

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

निम्नलिखित सारणियां उचित मूल्य पर मापी गई स्तर-3 की वित्तीय परिसंपत्तियों एवं देयताओं की प्रारंभिक एवं अंतिम राशियों का समाधान दर्शाती हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	असूचीबद्ध इक्विटी निवेश	आंध्रा बैंक के बाण्डों में निवेश	वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय संचयी मोचनीय वरीयता वाले असूचीबद्ध शेयरों में निवेश
वित्तीय वर्ष 2019-20			
प्रारंभिक शेष	**0.00**	**809.84**	**-**
निवल ब्याज आय	-	87.81	-
वर्ष के दौरान किया गया निवेश	-	94.73	
व्यवस्थापन	-*	(87.60)	-
उचित मूल्य अभिलाभ/(हानि)	-	5.85	
अंतिम शेष	**0.00**	**810.05**	**100.58**
अवधि के अंत में धारित शेष पर अप्राप्त अभिलाभ/(हानियां)	-	10.05	5.85
वित्तीय वर्ष 2018-19			
प्रारंभिक शेष	**0.00**	**809.84**	**-**
निवल ब्याज आय	-	87.60	-
व्यवस्थापन	-	(87.60)	-
अंतिम शेष	**0.00**	**809.84**	**-**
अवधि के अंत में धारित शेष पर अप्राप्त अभिलाभ/(हानियां)	(254.51)	9.84	-

*नोट 11.8 (ख), (ग) का संदर्भ लें

(iii) परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों/वित्तीय देयताओं का उचित मूल्य:

निम्नलिखित वित्तीय परिसंपत्तियों एवं देयताओं का उचित मूल्य बट्टागत नकदी प्रवाह विश्लेषण पर आधारित सामान्यतः स्वीकृत मूल्य निर्धारण मॉडल के अनुसरण में निर्धारित किया गया है जिसमें सबसे महत्वपूर्ण इनपुट डिस्काउंट रेट है जो ऐसे मामलों को छोड़कर जहां उद्धृत बाजार मूल्य उपलब्ध हैं, समकक्ष पक्षों के क्रेडिट जोखिम को दर्शाता है। इन उचित मूल्यों की गणना केवल प्रकटन उद्देश्यों के लिए की जाती है।

(₹ करोड़ में)

परिसंपत्ति/देयता	उचित मूल्य अनुक्रम	दिनांक 31.03.2020 तक की स्थिति के अनुसार		दिनांक 31.03.2019 तक की स्थिति के अनुसार	
		परिशोधित लागत	उचित मूल्य	परिशोधित लागत	उचित मूल्य
ऋण	3	3,34,112.60	3,33,405.61	3,03,210.36	3,03,718
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	2	5,339.12	5,343.52	5,330.96	5,336
ऋण प्रतिभूतियां[क]	1/2	2,21,847.67	2,24,795.43	2,05,584.49	2,01,965
ऋण प्रतिभूतियों से भिन्न ऋण[ख]	2	79,116.06	85,042.31	80,344.69	80,850.69
अधीनस्थ देयताएं	2	9,310.95	10,138.66	9,309.70	9,407

(क) स्तर 1 के उचित मूल्य अनुक्रम के सूचीबद्ध लिखत शामिल हैं।
विदेशी मुद्रा नोटों (जीएमटीएन निर्गमन) को रियूटर्स के अनुसार अंतिम कीमतों के आधार पर उचित मूल्य पर मूल्यांकित किया जा रहा है।

(ख) 'लिबोर' से संबद्ध विदेशी मुद्रा ऋण और सममूल्य पर मूल्यांकित बहुपक्षीय एजेंसी ऋण शामिल हैं।

उपरोक्त तालिका में दर्शाई गई परिसंपत्तियां और देयताओं को छोड़कर, अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों एवं वित्तीय देयताओं के उचित मूल्य के तार्किक स्तर के निकटतम मूल्य के लिए उनकी वहन राशि पर विचार किया जाता है।

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

35. संबंधित पक्षकारों का प्रकटन

35.1 संबंधित पक्षकार

सहायक कंपनियां:			
1.	पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड (पीएफसीसीएल)	2.	पावर इक्विटी कैपिटल एडवाइजर्स (प्राइवेट) लिमिटेड (पीईसीएपी) (नोट 11.3 का संदर्भ लें)
3.	आरईसी लिमिटेड (आरईसीएल) (रुरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड)	4.	आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड (आरईसीएल के माध्यम से)
5.	आरईसी विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (आरईसीएल के माध्यम से)		
संयुक्त उद्यम:			
1.	एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसिज लिमिटेड (ईईएसएल)	2.	क्रेटन एनर्जी लिमिटेड (ईईएसएल के माध्यम से)
3.	ईईएसएल एनर्जीप्रो एसेट्स लिमिटेड (ईईएसएल के माध्यम से)	4.	एडिना एक्विजिशन लिमिटेड (ईईएसएल के माध्यम से)
5.	एनेस्को एनर्जी सर्विसिज (साउथ) लिमिटेड (ईईएसएल के माध्यम से)	6.	एडिना लिमिटेड (ईईएसएल के माध्यम से)
7.	ईपीएएल होल्डिंग्स लिमिटेड (ईईएसएल के माध्यम से)	8.	एडिना ऑस्ट्रेलिया पीटीवाई लिमिटेड (ईईएसएल के माध्यम से)
9.	एडिना पावर सर्विसिज लिमिटेड (ईईएसएल के माध्यम से)	10.	स्टैनबेक लिमिटेड (ईईएसएल के माध्यम से)
11.	एडिना यूके लिमिटेड (ईईएसएल के माध्यम से)	12.	एडिना पावर लिमिटेड (ईईएसएल के माध्यम से)
13.	आर्मौरा होल्डिंग्स लिमिटेड (ईईएसएल के माध्यम से)	14.	एडिना मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड (ईईएसएल के माध्यम से)
15.	ईपीएसएल ट्रिजेंरेशन प्राइवेट लिमिटेड (ईईएसएल के माध्यम से)		
सहयोगी कंपनी:			
1.	बिहार मेगा पावर लिमिटेड	2.	साखीगोपाल इंटीग्रेटिड पावर कंपनी लिमिटेड
3.	उड़ीसा इंटीग्रेटिड पावर लिमिटेड	4.	घोगरपल्ली इंटीग्रेटिड पावर कंपनी लिमिटेड
5.	झारखंड इंफ्रापावर लिमिटेड	6.	ओडिशा इंफ्रापावर लिमिटेड
7.	कोस्टल तमिलनाडु पावर लिमिटेड	8.	देवघर मेगा पावर लिमिटेड
9.	बिहार इंफ्रापावर लिमिटेड	10.	चेय्यूर इंफ्रा लिमिटेड
11.	देवघर इंफ्रा लिमिटेड	12.	तातिया आंध्रा मेगा पावर लिमिटेड
13.	छत्तीसगढ़ सरगुजा पावर लिमिटेड	14.	कोस्टल महाराष्ट्र मेगा पावर लिमिटेड
15.	कोस्टल कर्नाटक पावर लिमिटेड		
पीएफसीसीएल के माध्यम से			
16.	वापी II नॉर्थ लखीमपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड	17.	करूर ट्रांसमिशन लिमिटेड (20.11.2019 को सम्मिलित)
18.	शोंगटोंग कर्चम - वांगटू ट्रांसमिशन लिमिटेड (कंपनी रजिस्ट्रार के रिकॉर्ड से कंपनी का नाम हटा देने की प्रक्रिया के अंतर्गत)	19.	बिजावर-विदर्भ ट्रांसमिशन लिमिटेड (नेशनल कमेटी ऑन ट्रांसमिशन (एनसीटी) ने स्कीम/आईटीपी को बंद करने/डी-नोटिफिकेशन के लिए पहले ही सिफारिश कर दी है, हालांकि, विद्युत मंत्रालय से औपचारिक राजपत्रित अधिसूचना प्रतीक्षित है)
20.	कोप्पल-नरेंद्र ट्रांसमिशन लिमिटेड (18.11.2019 को सम्मिलित)	21.	टांडा ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (कंपनी रजिस्ट्रार के रिकॉर्ड से कंपनी का नाम हटा देने की प्रक्रिया के अंतर्गत)
22.	भुज-II ट्रांसमिशन लिमिटेड (16.10.2019 को हस्तांतरित)	23.	फतेहगढ़-II ट्रांसको लिमिटेड (14.10.2019 को हस्तांतरित)
24.	बीकानेर-खेतड़ी ट्रांसमिशन लिमिटेड (19.09.2019 को हस्तांतरित)	25.	लाकडिया-वडोदरा ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट लिमिटेड (26.11.2019 को हस्तांतरित)
26.	मेरठ सिम्भावली ट्रांसमिशन लिमिटेड (17.06.2019 को निगमित; 19.12.2019 को हस्तांतरित)	27.	दुमका ट्रांसमिशन लिमिटेड
28.	डिनचेंग ट्रांसमिशन लिमिटेड	29.	कोडरमा ट्रांसमिशन लिमिटेड
30.	चांदील ट्रांसमिशन लिमिटेड	31.	मंदार ट्रांसमिशन लिमिटेड
32.	खेतड़ी ट्रांसको लिमिटेड (29.08.2019 को हस्तांतरित)	33.	भिंड-गुना ट्रांसमिशन लिमिटेड (11.09.2019 को हस्तांतरित)
34.	रामपुर संभल ट्रांसको लिमिटेड (02.05.2019 को निगमित किया गया और 12.12.2019 को हस्तांतरित)	35.	जम खंबालिया ट्रांसको लिमिटेड (13.11.2019 को हस्तांतरित)
36.	उडुपी कासरगोड ट्रांसमिशन लिमिटेड (12.09.2019 को हस्तांतरित)	37.	अजमेर फागी ट्रांसको लिमिटेड (03.10.2019 को हस्तांतरित)
38.	डब्ल्यूआरएसएस XXI (ए) ट्रांसको लिमिटेड (14.10.2019 को हस्तांतरित)	39.	लाकडिया बनासकांठा ट्रांसको लिमिटेड (13.11.2019 को हस्तांतरित)

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

कंपनी के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी):		पदनाम
1.	श्री राजीव शर्मा (31.05.2020 को सेवानिवृत्त)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
2.	श्री रविन्द्र सिंह ढिल्लों (12.06.2019 से 31.05.2020 तक निदेशक (परियोजना)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (01.06.2020 से)
3.	श्री एन. बी. गुप्ता	निदेशक (वित्त)
4.	श्री चिन्मय गंगोपाध्याय (30.04.2019 को सेवानिवृत्त)	निदेशक (परियोजना)
5.	श्री पी.के. सिंह	निदेशक (वाणिज्यिक)
6.	श्री अरुण कुमार वर्मा (27.08.2019 तक)	सरकारी नामिती निदेशक
7.	श्री मृत्युंजय कुमार नारायण (28.08.2019 से)	सरकारी नामिती निदेशक
8.	श्री सीताराम पारीक (05.02.2020 तक)	अंशकालिक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक
9.	श्रीमती गौरी चौधरी	अंशकालिक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक
10.	श्री राम चंद्र मिश्रा (11.07.2019 से)	अंशकालिक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक
11.	श्री मनोहर बलवानी	कंपनी सचिव

कंपनी के नियंत्रणाधीन न्यास/कोष

1. पीएफसी कर्मचारी भविष्य निधि
2. पीएफसी कर्मचारी उपदान (ग्रेच्युटी) निधि
3. पीएफसी परिभाषित अंशदान पेंशन योजना 2007
4. पीएफसी अधिवर्षिता चिकित्सा निधि

अन्य

पीटीसी इंडिया लिमिटेड

35.2 संबंधित पक्षकारों के साथ लेन-देन निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान	वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान
सहायक कंपनियां:		
सहायक कंपनियों को अग्रिम (ब्याज सहित)	0.78	-
सहायक कंपनियों से प्राप्त अग्रिम (ब्याज सहित)	-	5.50
सहायक कंपनियों को अग्रिम (ब्याज सहित) का चुकौती	1.00	-
सहायक कंपनियों से प्राप्त लाभांश-पीएफसीसीएल	75.00	106.65
-आरईसीएल	1,143.44	-
कार्मिक हितलाभों का आबंटन	0.95	1.11
अन्य	0.02	-
संयुक्त उद्यम		
ईईएसएल में इक्विटी निवेश	-	99.00
ईईएसएल से प्राप्त लाभांश	2.37	4.01
अन्य	0.74	0.24
सहयोगी कंपनी		
सहयोगी कंपनियों को अग्रिम	-	3.71
सहयोगी कंपनियों से अग्रिम (ब्याज सहित) की वसूली	14.92	-
सहयोगी कंपनियों को दिए गए अग्रिम पर ब्याज आय	20.51	26.68
सहयोगी कंपनियों से प्राप्त अग्रिम	8.65	30.62
सहयोगी कंपनियों से अग्रिमों पर ब्याज व्यय	5.07	6.14
कंपनी के नियंत्रणाधीन न्यास/कोष		
वर्ष के दौरान किया गया अंशदान	7.71	8.03

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान	वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान
प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक		
(i) अल्पावधि कार्मिक हितलाभ	3.90	5.30
(ii) नियोजन पश्चात् हितलाभ	0.44	0.46
(iii) अन्य दीर्घावधि हितलाभ	0.33	0.24
उप-योग (i+ii+iii)	**4.67**	**6.00**
ऋणों और अग्रिमों का चुकौती/वसूली	0.10	0.18
निदेशकों की बैठक का शुल्क	0.16	0.12
पीटीसी इंडिया लिमिटेड		
प्राप्त लाभांश	4.80	-
अन्य	0.02	0.04

35.3 संबंधित पक्षकारों के साथ बकाया राशि निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	दिनांक 31.03.2020 तक की स्थिति के अनुसार	दिनांक 31.03.2019 तक की स्थिति के अनुसार
ऋणों और अग्रिमों (ब्याज सहित) के संबंध में वसूलीयोग्य राशि		
सहयोगी कंपनियां	154.28	196.22
प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक	0.51	0.52
संयुक्त उद्यम	-	0.23
सहायक कंपनियां	0.78	-
ऋणों और अग्रिमों (ब्याज सहित) के संबंध में देय राशि		
सहायक कंपनियां	-	0.99
सहयोगी कंपनियां	168.43	188.12
ऋण प्रतिभूतियां		
प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक	0.42	0.13
कंपनी के नियंत्रणाधीन न्यास/कोष	3.70	4.30

35.4 समान सरकार के नियंत्रणाधीन संस्थाओं (सरकार से संबंधित संस्थाओं) के संबंध में प्रकटन

कंपनी केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (सीपीएसयू) है। वर्ष के दौरान, समान सरकार के नियंत्रण/संयुक्त नियंत्रण के अधीन संबंधित पक्षकारों के साथ महत्वपूर्ण लेन-देन इस प्रकार है, किंतु यह इस तक ही सीमित नहीं है:

भारतीय रेल बिजली कंपनी लिमिटेड	दामोदर वैली कॉर्पोरेशन
टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
नेयवेली यूपी पावर लिमिटेड	बिहार ग्रिड कंपनी लिमिटेड
मेजा ऊर्जा निगम प्राइवेट लिमिटेड	कोल इंडिया लिमिटेड
रायचूर पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	एनएचपीसी लिमिटेड
एनटीपीसी लिमिटेड	अरावली पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
एनएलसी तमिलनाडु पावर लिमिटेड	नॉर्थ ईस्ट ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड
नेशनल हाई पावर टेस्ट लैबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड	नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

समान सरकार के नियंत्रणाधीन संस्थाओं के साथ महत्वपूर्ण लेन-देन

लेन-देन का प्रकार	वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान	वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान
प्राप्त लाभांश	62.67	42.94
ऋणों का संवितरण	3,333.33	4,427.79
प्राप्त ब्याज	4,459.12	4,282.35
प्राप्त मूल राशि की चुकौती	5,554.11	3,754.07

सरकार से संबंधित संस्थाओं के साथ उपर्युक्त लेन-देन में ऐसे लेन-देन शामिल हैं जो व्यक्तिगत रूप से एवं सामूहिक रूप से महत्वपूर्ण हैं। कंपनी ने अन्य सीपीएसयू के साथ अन्य लेन-देन जैसे कि टेलीफोन व्यय, हवाई यात्रा तथा डिपॉजिट आदि भी किया है। ये व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से महत्वहीन हैं और इसलिए इनका प्रकटन नहीं किया गया है। सभी लेन-देन बाजार की शर्तों पर किए जाते हैं।

35.5 संबंधित पक्षकारों के साथ लेन-देन की निबंधन एवं शर्तें

i) संबंधित पक्षकारों के साथ लेन-देन ऐसी शर्तों से समतुल्य शर्तों पर किया जाता है जो निकटस्थ लेन-देन में प्रचलित होती हैं।

ii) प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों को पारिश्रमिक तथा स्टाफ ऋण कंपनी के सेवा नियमों के अनुरूप हैं।

iii) प्रारंभिक व्यय को वहन करने के लिए कंपनी अपनी सहयोगी कंपनियों को अग्रिम देती है जिनको एसपीवी के रूप में निगमित किया गया है। कंपनी की नीति के अनुसार सावधि ऋणों पर लागू दर से ऐसे अग्रिमों पर ब्याज दर लगाई जाती है।

iv) न्यासों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों को भुगतान किया गया ब्याज और/अथवा लाभांश उनके द्वारा कंपनी की ऋण प्रतिभूतियों और/अथवा इक्विटी शेयरों में किए गए निवेश के परिणामस्वरूप किया गया है तथा ऐसी प्रतिभूतियों पर संदत्त ब्याज और/अथवा लाभांश सभी धारकों को समान रूप से प्रयोज्य है।

v) वर्ष के अंत में सहायक एवं सहयोगी कंपनियों के बकाया शेष अप्रतिभूत हैं।

36. कार्मिक हितलाभ

36.1 परिभाषित अंशदान योजनाएं

(क) पेंशन

कंपनी कार्मिकों के प्रति अपने पेंशन दायित्व के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना के कॉर्पोरेट सेक्टर मॉडल के अंतर्गत कार्मिकों के टियर I एनपीएस खाते (पेंशन खाते) में पूर्व-निर्धारित दरों पर नियत अंशदान का भुगतान करती है।

(ख) भविष्य निधि

कंपनी एक अलग न्यास को निर्धारित दरों पर भविष्य निधि के लिए नियत अंशदान का भुगतान करती है, जो अनुमत प्रतिभूतियों में निधियों का निवेश करता है। न्यास को भारत सरकार द्वारा निर्धारित दर से सदस्यों को प्रतिफल की न्यूनतम दर अभिनिश्चित करना होता है। तथापि, प्रतिफल की निर्धारित दर के अनुसार सदस्यों को ब्याज के भुगतान के लिए किसी घाटे को कंपनी द्वारा क्षतिपूर्ति करने की आवश्यकता होती है। कंपनी का यह अनुमान है कि निकट भविष्य में इस संबंध में कोई देयता उत्पन्न नहीं होगी और इसलिए कोई अग्रेतर प्रावधान करना आवश्यक नहीं समझा गया है।

वर्ष के लिए ₹ 12.90 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 10.82 करोड़) की राशि को परिभाषित अंशदान योजनाओं में कंपनी के अंशदान के लिए लाभ एवं हानि के एकल (स्टैंडअलोन) विवरण में व्यय के रूप में मान्य किया गया है।

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

36.2 परिभाषित हितलाभ योजनाएं:

(क) उपदान

कंपनी की एक स्पष्ट उपदान योजना है जिसका प्रबंधन एक अलग न्यास करता है। यथा संशोधित उपदान भुगतान अधिनियम, 1972 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, प्रत्येक कार्मिक जिसने 5 वर्ष या अधिक अवधि तक लगातार सेवा की है, अधिवर्षिता, त्यागपत्र, सेवा समाप्ति, दिव्यांगता या मृत्यु पर अधिकतम ₹ 0.20 करोड़ के अधीन सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 15 दिन के वेतन पर उपदान के लिए हकदार है। इसके लिए देयता को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर मान्य किया जाता है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	दिनांक 31.03.2020 तक की स्थिति के अनुसार	दिनांक 31.03.2019 तक की स्थिति के अनुसार
(क) परिभाषित हितलाभ बाध्यता का वर्तमान मूल्य	28.43	26.50
(ख) योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	25.67	25.75
(ग) निवल परिभाषित हितलाभ (परिसंपत्तियां)/देयता (क-ख)	2.76	0.75

निवल परिभाषित हितलाभ (परिसंपत्तियां)/देयता में संचलन

(₹ करोड़ में)

	विवरण	परिभाषित हितलाभ बाध्यता का वर्तमान मूल्य		योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य		निवल परिभाषित हितलाभ (परिसंपत्तियां)/देयता	
		समाप्त वर्ष के लिए		समाप्त वर्ष के लिए		समाप्त वर्ष के लिए	
		31.03.2020	31.03.2019	31.03.2020	31.03.2019	31.03.2020	31.03.2019
I.	**प्रारंभिक शेष**	**26.50**	**25.57**	**25.75**	**24.07**	**0.75**	**1.50**
	लाभ और हानि में शामिल						
	वर्तमान सेवा लागत	1.78	1.82	-	-	1.78	1.82
	विगत सेवा लागत	-	-	-	-	-	-
	ब्याज लागत/आय	2.07	2.03	2.01	1.89	0.06	0.14
II.	**लाभ या हानि में मान्य कुल राशि**	**3.85**	**3.85**	**2.01**	**1.89**	**1.84**	**1.96**
	ओसीआई में शामिल						
	हानि/(अभिलाभ) का पुनर्मापन						
	वित्तीय पूर्वानुमानों में परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक हानि /(अभिलाभ)	2.34	0.06	-	-	2.34	0.06
	अनुभव समायोजन से उत्पन्न बीमांकिक हानि/(अभिलाभ)	(1.44)	0.19	-	-	(1.44)	0.19
	जनांकिक पूर्वानुमानों में अंतर से उत्पन्न बीमांकिक हानि /(अभिलाभ)	-	(1.26)	-	-	-	(1.26)
	ब्याज आय को छोड़कर योजनागत परिसंपत्तियों पर प्रतिफल	-	-	(0.03)	0.20	0.03	(0.20)
III.	**ओसीआई में मान्य कुल राशि**	**0.90**	**(1.01)**	**(0.03)**	**0.20**	**0.93**	**(1.21)**
IV.	प्रतिभागियों द्वारा अंशदान	-	-	-	-	-	-
V.	नियोक्ता द्वारा अंशदान	-	-	0.76	1.50	(0.76)	(1.50)
VI.	प्रदत्त हितलाभ	(2.82)	(1.91)	(2.82)	(1.91)	-	-
VII.	**अंतिम शेष (I+II+III+IV+V+VI)**	**28.43**	**26.50**	**25.67**	**25.75**	**2.76**	**0.75**

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

(ख) सेवानिवृत्ति पश्चात् चिकित्सा योजना (पीआरएमएस)

अधिवर्षिता प्राप्त करने वाले कार्मिकों तथा दिवंगत कार्मिकों एवं उनके परिवार के आश्रित सदस्यों को चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए कंपनी की एक सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा योजना (पीआरएमएस) है। पीआरएमएस के लिए देयता को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर मान्य किया जाता है।

इस योजना का प्रबंधन एक अलग न्यास द्वारा किया जाता है। न्यास को सेवानिवृत्ति कार्मिकों द्वारा किए गए चिकित्सा व्यय को वहन करने के लिए पर्याप्त कॉरपस सुनिश्चित करना होता है। तथापि, किसी कमी की क्षतिपूर्ति कंपनी द्वारी की जाती है। कंपनी का यह अनुमान है कि निकट भविष्य में इस संबंध में कोई देयता उत्पन्न नहीं होगी और इसलिए किसी अग्रेतर प्रावधान पर विचार करना आवश्यक नहीं समझा गया है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	दिनांक 31.03.2020 तक की स्थिति के अनुसार	दिनांक 31.03.2019 तक की स्थिति के अनुसार
(क) परिभाषित हितलाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	42.00	35.14
(ख) योजनागत परिसम्पत्तियों का उचित मूल्य	37.07	28.51
(ग) निवल परिभाषित हितलाभ (परिसम्पत्तियां)/देयता (क-ख)	4.93	6.63

निवल परिभाषित हितलाभ (परिसंपत्तियां)/देयता में मूवमेंट

(₹ करोड़ में)

	विवरण	परिभाषित हितलाभ बाध्यता का वर्तमान मूल्य		योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य		निवल परिभाषित हितलाभ (परिसंपत्तियां)/देयता	
		समाप्त वर्ष के लिए		समाप्त वर्ष के लिए		समाप्त वर्ष के लिए	
		31.03.2020	31.03.2019	31.03.2020	31.03.2019	31.03.2020	31.03.2019
I.	**प्रारंभिक शेष**	**35.14**	**27.81**	**28.51**	**22.20**	**6.63**	**5.61**
	लाभ और हानि में शामिल						
	वर्तमान सेवा लागत	1.78	1.34	-	-	1.78	1.34
	विगत सेवा लागत	-	-	-	-	-	-
	ब्याज लागत/आय	2.75	2.19	2.22	1.75	0.53	0.44
II.	**लाभ या हानि में मान्य कुल राशि**	**4.53**	**3.53**	**2.22**	**1.75**	**2.31**	**1.78**
	ओसीआई में शामिल						
	हानि/(अभिलाभ) का पुनर्मापन						
	वित्तीय पूर्वानुमानों में परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक हानि/(अभिलाभ)	2.35	0.47	-	-	2.35	0.47
	अनुभव समायोजन से उत्पन्न बीमांकिक हानि/(अभिलाभ)	1.79	4.39	-	-	1.79	4.39
	जनांकिक पूर्वानुमानों में अंतर से उत्पन्न बीमांकिक हानि/(अभिलाभ)	-	0.44	-	-	-	0.44
	ब्याज आय को छोड़कर योजनागत परिसंपत्तियों पर प्रतिफल	-	-	0.92	0.09	(0.92)	(0.09)
III.	**ओसीआई में मान्य कुल राशि**	**4.14**	**5.30**	**0.92**	**0.09**	**3.22**	**5.21**
IV.	प्रतिभागियों द्वारा अंशदान	-	-	0.03	0.04	(0.03)	(0.04)
V.	नियोक्ता द्वारा अंशदान	-	-	6.95	6.53	(6.95)	(6.53)
VI.	प्रदत्त हितलाभ	(1.81)	(1.50)	(1.56)	(2.10)	(0.25)	0.60
VII.	**अंतिम शेष (I+II+III+IV+V+VI)**	**42.00**	**35.14**	**37.07**	**28.51**	**4.93**	**6.63**

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

(ग) आर्थिक पुनर्वास योजना (ईआरएस)

किसी कार्मिक की स्थायी दिव्यांगता/मृत्यु के मामले में मौद्रिक लाभ प्रदान करने के लिए कंपनी की एक आर्थिक पुनर्वास योजना (ईआरएस) है। यह योजना गैर-वित्तपोषित है तथा बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर देयता का निर्धारण किया जाता है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	दिनांक 31.03.2020 तक की स्थिति के अनुसार	दिनांक 31.03.2019 तक की स्थिति के अनुसार
परिभाषित हितलाभ बाध्यता का वर्तमान मूल्य	2.89	1.69

परिभाषित हितलाभ बाध्यता में मूवमेंट

(₹ करोड़ में)

	समाप्त वर्ष के लिए परिभाषित हितलाभ बाध्यता का वर्तमान मूल्य	
विवरण	**31.03.2020**	**31.03.2019**
I. प्रारंभिक शेष	**1.69**	**1.67**
लाभ और हानि में शामिल		
वर्तमान सेवा लागत	0.31	0.34
पूर्व सेवा लागत	-	-
ब्याज लागत/आय	0.14	0.14
II. लाभ या हानि में मान्य कुल राशि	**0.45**	**0.48**
ओसीआई में शामिल		
वित्तीय पूर्वानुमानों में परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक हानि/(अभिलाभ)	0.21	-
अनुभव समायोजन से उत्पन्न बीमांकिक हानि/(अभिलाभ)	0.74	(0.38)
जनांकिक पूर्वानुमानों में अंतर से उत्पन्न बीमांकिक हानि/(अभिलाभ)	-	-
ब्याज आय को छोड़कर योजनागत परिसंपत्तियों पर प्रतिफल	-	-
III. ओसीआई में मान्य कुल राशि	**0.95**	**(0.38)**
IV. प्रतिभागियों द्वारा अंशदान	-	-
V. नियोक्ता द्वारा अंशदान	-	-
VI. प्रदत्त हितलाभ	(0.20)	(0.08)
VII. अंतिम शेष (I+II+III+IV+V+VI)	**2.89**	**1.69**

(घ) जोखिम एक्सपोजर

अपनी परिभाषित हितलाभ योजनाओं के माध्यम से कंपनी को अनेक जोखिमों का खतरा बना रहता है जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण जोखिमों का ब्योरा नीचे दिया गया है:

(i) निवेश जोखिम

अधिकांश योजनागत परिसंपत्ति निवेश सरकारी प्रतिभूतियों, उच्च ग्रेड की अन्य नियत आय प्रतिभूतियों तथा म्युचुअल कोष में है। इन परिसंपत्तियों का उचित मूल्य ब्याज दरों में परिवर्तन तथा अन्य बाजार एवं स्थूल आर्थिक कारकों के कारण अस्थिरता के अधीन है।

(ii) डिस्काउंट रेट में परिवर्तन

डिस्काउंट रेट का प्रयोग करके परिभाषित हितलाभ की योजनागत देयताओं के वर्तमान मूल्य की गणना की जाती है,जो समीक्षाधीन अवधि के अंत में बाजार लब्धियों के संदर्भ में निर्धारित किया जाता है। डिस्काउंट रेट में कटौती (वृद्धि) से योजनागत देयताओं के वर्तमान मूल्यों में वृद्धि (कटौती) होगी, हालांकि यह योजनागत निवेशों के मूल्य में वृद्धि से आंशिक रूप से प्रतितुलित (ऑफसेट) होगा।

(iii) मृत्युदर जोखिम

योजना के प्रतिभागियों के नियोजन के दौरान तथा उनके नियोजन के पश्चात भी मृत्यु के सर्वोत्तम अनुमान के संदर्भ में परिभाषित हितलाभ योजनाओं की देयता के वर्तमान मूल्य की गणना की जाती है। योजना के प्रतिभागियों के जीवन प्रत्याशा में वृद्धि से योजना की देयता में वृद्धि होगी।

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

(iv) वेतन वृद्धि जोखिम

योजना के प्रतिभागियों के भावी वेतन के संदर्भ में परिभाषित हितलाभ योजना की देयता के वर्तमान मूल्य की गणना की जाती है। इस प्रकार, योजना के प्रतिभागियों के वेतन में वृद्धि से योजना की देयता में वृद्धि होगी।

(ङ) योजनागत परिसंपत्तियां

प्रत्येक श्रेणी के लिए योजनागत परिसंपत्तियों का मूल्य निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	दिनांक 31.03.2020 तक की स्थिति के अनुसार	दिनांक 31.03.2019 तक की स्थिति के अनुसार
नकदी एवं नकदी समतुल्य	1.46	0.41
राज्य/केंद्रीय सरकार की ऋण प्रतिभूतियां	31.33	28.67
कॉर्पोरेट बॉण्ड/डिबेंचर्स	27.71	22.61
अन्य	0.80	1.40
कुल	**61.30**	**53.09**

दिनांक 31.03.2020 तक की स्थिति के अनुसार, ₹0.50 करोड़ (दिनांक 31.03.2019 तक की स्थिति के अनुसार ₹0.60 करोड़) की राशि को कंपनी के स्वामित्व वाले वित्तीय लिखत (कॉर्पोरेट बॉण्ड) के संबंध में योजनागत परिसंपत्तियों के मूल्य में शामिल किया गया है।

योजनागत परिसंपत्तियों पर वास्तविक प्रतिफल ₹5.13 करोड़ (विगत वर्ष में ₹3.86 करोड़) है।

(च) महत्वपूर्ण बीमांकिक पूर्वानुमान

योजनागत परिसंपत्तियों और परिभाषित हितलाभ बाध्यता का वर्तमान मूल्य का विगत बीमांकिक मूल्यांकन ट्रांसवैल्यु कंसल्टेंट द्वारा दिनांक 31.03.2020 को किया गया था। परिभाषित हितलाभ बाध्यता का वर्तमान मूल्य और उससे संबंधित वर्तमान सेवा लागत का निर्धारण प्रक्षेपित यूनिट क्रेडिट विधि का प्रयोग करके किया गया था। बीमांकिक मूल्यांकन के लिए प्रयुक्त मूल पूर्वानुमान निम्नानुसार हैं:

विवरण	उपदान (ग्रेच्युटी)		पीआरएमएस		ईआरएस	
	दिनांक 31.03.2020 तक की स्थिति के अनुसार	दिनांक 31.03.2019 तक की स्थिति के अनुसार	दिनांक 31.03.2020 तक की स्थिति के अनुसार	दिनांक 31.03.2019 तक की स्थिति के अनुसार	दिनांक 31.03.2020 तक की स्थिति के अनुसार	दिनांक 31.03.2019 तक की स्थिति के अनुसार
योजनागत परिसंपत्तियों, यदि वित्तपोषित की गई हो, के संबंध में छूट दर और अनुमानित प्रतिफल	6.7%	7.81%	6.76%	7.81%	6.76%	7.81%
वेतन वृद्धि दर/चिकित्सा/मुद्रास्फीति दर	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%
मृत्यु दर	आईएएलएम (2012-14) के अनुसार अंतिम	आईएएलएम (2012-14) के अनुसार अंतिम	आईएएलएम (2012-14) के अनुसार अंतिम	आईएएलएम (2012-14) के अनुसार अंतिम	आईएएलएम (2012-14) के अनुसार अंतिम	आईएएलएम (2012-14) के अनुसार अंतिम
आहरण दर	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

(छ) संवेदनशीलता विश्लेषण

सूचना की तारीख को संगत बीमांकिक पूर्वानुमानों में से एक, अन्य पूर्वानुमानों को स्थिर रखने पर, में संगत रूप से संभाव्य परिवर्तनों से परिभाषित हितलाभ बाध्यता निम्नलिखित राशियों द्वारा प्रभावित होंगी:

(₹ करोड़ में)

विवरण	दिनांक 31.03.2020 तक की स्थिति के अनुसार		दिनांक 31.03.2019 तक की स्थिति के अनुसार	
	वृद्धि	कमी	वृद्धि	कमी
छूट दर (0.50% संचलन)				
उपदान (ग्रेच्युटी)	(1.13)	1.22	(0.99)	1.05
पीआरएमएस	(3.19)	3.59	(2.67)	3.00
ईआरएस	(0.1)	0.12	(0.06)	0.07
वेतन वृद्धि/चिकित्सा मुद्रास्फीति दर (0.50% संचलन)				
उपदान (ग्रेच्युटी)	0.31	(0.29)	0.25	(0.20)
पीआरएमएस	3.43	(3.15)	2.87	(2.64)
ईआरएस	0.11	(0.09)	0.06	(0.05)
चिकित्सा लागत (10% संचलन)				
पीआरएमएस	4.59	(3.83)	3.51	(3.51)

ऊपर उल्लिखित संवेदनशीलता विश्लेषण परिभाषित हितलाभ बाध्यता में वास्तविक परिवर्तन का प्रतिनिधित्व नहीं भी कर सकता है क्योंकि इसकी संभावना नहीं है कि पूर्वानुमानों में परिवर्तन एक-दूसरे से अलग-अलग हो क्योंकि कुछ पूर्वानुमान सह-संबद्ध हो सकते हैं।

कंपनी इस बात की सक्रियता से मॉनीटरिंग करती है कि कैसे निवेशों की अवधि तथा अपेक्षित लब्धि कार्मिक हितलाभ बाध्यताओं से उत्पन्न अपेक्षित नकदी बहिर्प्रवाहों से मेल खा रही है। निवेशों में इतनी विविधता है कि किसी एकल निवेश में विफलता से परिसंपत्तियों के समग्र स्तर पर महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं होगा। अपने जोखिमों का प्रबंधन करने के लिए कंपनी द्वारा पिछली अवधियों में प्रयुक्त प्रक्रिया से कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

(ज) भावी वर्षों में परिभाषित हितलाभ योजनाओं का अपेक्षित परिपक्वता विश्लेषण

(₹ करोड़ में)

विवरण	उपदान		पीआरएमएस		ईआरएस	
	31.03.2020	31.03.2019	31.03.2020	31.03.2019	31.03.2020	31.03.2019
1 वर्ष तक	1.68	1.45	1.85	1.48	0.31	0.19
1-5 वर्ष तक	7.76	9.96	12.45	10.16	1.27	0.82
5 वर्ष से अधिक	49.85	48.01	54.92	41.39	3.14	2.59
कुल	**59.29**	**59.42**	**69.22**	**53.03**	**4.72**	**3.60**

उपरोक्त तालिका को अपेक्षित नकदी प्रवाह के आधार पर तैयार किया गया है।

(झ) नियोजन पश्चात् हितलाभ योजना में अपेक्षित अंशदान

(₹ करोड़ में)

विवरण	उपदान		पीआरएमएस	
	वित्तीय वर्ष 2019-20	वित्तीय वर्ष 2018-19	वित्तीय वर्ष 2019-20	वित्तीय वर्ष 2018-19
अपेक्षित अंशदान	4.60	2.52	7.09	8.42

(ञ) समीक्षाधीन अवधि के अंत तक परिभाषित हितलाभ योजना बाध्यता की भारित औसत अवधि 16.02 वर्ष है (दिनांक 31.03.2019 तक की स्थिति के अनुसार 16.98 वर्ष)।

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

36.3 अन्य दीर्घावधि कार्मिक हितलाभ

(क) छुट्टी

कंपनी कार्मिकों के खाते में अर्जित छुट्टी हितलाभ तथा अर्ध-वेतन छुट्टी हितलाभ प्रदान करती है, जो क्रमशः 15 दिन और 10 दिन की दर से छमाही आधार पर प्रोद्भूत होती है। सेवा के दौरान किसी भी समय अधिकतम 300 दिनों की अर्जित छुट्टी संचित की जा सकती है। अर्ध-वेतन छुट्टी के संचय की कोई सीमा नहीं है। 10 वर्ष की सेवा के बाद अलग होने पर या अधिवर्षिता पर अर्जित छुट्टी तथा अर्ध-वेतन छुट्टी का एक साथ अधिकतम 300 दिनों के अधीन नकदीकरण किया जा सकता है। तथापि, सेवा से अलग होने पर अर्जित छुट्टी के नकदीकरण के लिए सेवा के वर्षों की संख्या के संबंध में कोई प्रतिबंध नहीं है। वर्ष के लिए ₹11.73 करोड़ के बीमांकिक मूल्यांकन पर आधारित प्रावधान (पिछले वर्ष ₹10.14 करोड़) वर्ष के अंत में किया गया है तथा लाभ एवं हानि के एकल (स्टैंडअलोन) विवरण में डेबिट किया गया है।

(ख) अन्य कार्मिक हितलाभ

वर्ष के लिए ₹3.53 करोड़ के व्यवस्थापन भत्ता एवं दीर्घ सेवा के लिए प्रावधान (पिछले वर्ष ₹2.07 करोड़) बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया गया है तथा लाभ एवं हानि के एकल (स्टैंडअलोन) विवरण में डेबिट किया गया है।

36.4 प्रतिनियुक्ति/सेकंडमेंट आधार पर कंपनी की पूर्णतः स्वामित्वाधीन सहायक कंपनियों में काम करने वाले कार्मिकों के संबंध में कार्मिक हितलाभों (अर्थात् उपदान, पीआरएमएस, सेवांत लाभ, छुट्टी नकदीकरण तथा अन्य कार्मिक हितलाभ) को कार्मिक लागत के नियत प्रतिशत के आधार पर आबंटित किया जा रहा है।

37. 'आयकर' से संबंधित प्रकटन

37.1 लाभ और हानि के स्टैंडअलोन विवरण में मान्य आयकर व्यय:

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2019-20	वित्तीय वर्ष 2018-19
निम्नलिखित के संबंध में मौजूदा कर व्यय		
चालू वर्ष	1,406.73	2,346.50
विगत वर्षों का समायोजन	17.75	1.22
(क) कुल मौजूदा कर व्यय	**1,424.48**	**2,347.72**
आस्थगित कर व्यय		
अस्थायी अंतरों की उत्पत्ति और विपर्यय	**(20.29)**	**515.15**
कर दरों में परिवर्तन या नए करों के अधिरोपण से संबंधित	**1,133.21**	
(ख) कुल आस्थगित कर व्यय	**1,112.92**	**515.15**
(ग) कुल आय कर व्यय (क + ख)	**2,537.40**	**2,862.87**

37.2 अन्य व्यापक आय में मान्य आयकर व्यय:

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2019-20	वित्तीय वर्ष 2018-19
आस्थगित कर व्यय		
(क) ऐसी मदें जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		
परिभाषित हितलाभ योजनाओं का पुनर्मापन	(0.08)	(1.69)
(ख) ऐसी मदें जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा		
नकदी प्रवाह हेज में हेजिंग लिखत के संबंध में लाभों और हानियों का प्रभावी भाग	(4.23)	(26.93)
(ग) कुल आस्थगित कर व्यय (क + ख)	**(4.31)**	**(28.62)**

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

37.3 कर व्यय और लेखांकन लाभ का समाधान

लागू कर दर के साथ गुणित कर व्यय (आय) और लेखांकन लाभ के गुणनफल के बीच समाधान

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2019-20	वित्तीय वर्ष 2018-19
कर पूर्व लाभ	8,192.54	9,815.79
कंपनी की लागू कर दर	25.168%	34.944%
कंपनी की लागू कर दर का प्रयोग करके कर	**2,061.90**	**3,430.03**
निम्नलिखित का कर प्रभाव:		
गैर-कटौती योग्य कर व्यय	96.52	39.90
कर से छूट प्राप्त आय	(324.55)	(58.37)
धारा 36(1) (viii) के अंतर्गत कटौती	(339.80)	(551.39)
अन्य	(107.63)	1.48
विगत वर्ष की कर देयता	17.75	1.22
कर दर में परिवर्तन*	1,133.21	-
लाभ और हानि के स्टैंडअलोन विवरण में कुल कर व्यय	**2,537.40**	**2,862.87**

* चालू वित्तीय वर्ष में लागू कर दर 34.944% से कम होकर 25.168% हो गई है क्योंकि कंपनी ने कराधान कानून (संशोधन) अध्यादेश, 2019 द्वारा यथाप्रस्तुत आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115बीएए के अंतर्गत अनुमेय विकल्प का प्रयोग किया है।

37.4 अग्रेनीत कटौती योग्य अस्थायी अंतर/अप्रयुक्त कर हानियां/अप्रयुक्त कर क्रेडिट

(₹ करोड़ में)

विवरण	दिनांक 31.03.2020 तक की स्थिति के अनुसार (करोड़ में)	समाप्ति की तारीख	दिनांक 31.03.2019 तक की स्थिति के अनुसार (करोड़ में)	समाप्ति की तारीख
ऐसे कटौती योग्य अस्थायी अंतर/अप्रयुक्त कर हानियां/अप्रयुक्त कर क्रेडिट जिनके लिए स्टैंडअलोन तुलन-पत्र में कोई आस्थगित कर परिसंपत्ति मान्य नहीं की गई है।	1.25	31.03.2024	1.25	31.03.2024
	2.54	31.03.2025	2.54	31.03.2025

37.5 आस्थिगत कर शेष में मूवमेंट

वित्तीय वर्ष 2019-20

(₹ करोड़ में)

विवरण	दिनांक 01.04.2019 को निवल शेष	लाभ या हानि में मान्य	ओसीआई में मान्य	अन्य	दिनांक 31.03.2020 को निवल शेष
(क) आस्थगित कर परिसंपत्तियां (+)					
(i) आयकर अधिनियम के अंतर्गत भुगतान आधार पर कटौती योग्य व्ययों को लिए प्रावधान	26.77	(6.43)	0.08	-	20.42
(ii) ऋणकर्ताओं को ऋण पर अपरिशोधित आय	64.03	(12.04)	-	-	51.99
(iii) वित्तीय लिखतों पर आरबीडीडी से अधिक क्षतिग्रस्तता हानि	4,416.17	(1,025.98)	-	-	3,390.19
(iv) मूल्यहास एवं परिशोधन	0.98	0.51	-	-	1.49
(v) डेरिवेटिव का उचित मूल्य (निवल)	31.56	(24.91)	4.23	-	10.88
(vi) अन्य	-	20.60	-	-	20.60
(ख) आस्थगित कर देयताएं (-)					
(i) पट्टा आय	(66.64)	18.65	-	-	(47.99)
(ii) अपरिशोधित विनिमय हानि (निवल)	(271.19)	(93.88)	-	-	(365.07)
(iii) ऋण देयताओं पर अपरिशोधित व्यय	(98.65)	18.61	-	-	(80.04)
(iv) अन्य	(42.30)	(8.05)	-	-	(50.35)
निवल आस्थगित कर देयताएं (-) /परिसंपत्तियां (+)	**4,060.73**	**(1,112.92)**	**4.31**	**-**	**2,952.12**

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

वित्तीय वर्ष 2018-19

(₹ करोड़ में)

विवरण	दिनांक 01.04.2018 को निवल शेष	लाभ या हानि में मान्य	ओसीआई में मान्य	अन्य	दिनांक 31.03.2019 को निवल शेष
(क) आस्थगित कर परिसंपत्तियां (+)					
(i) आयकर अधिनियम के अंतर्गत भुगतान आधार पर कटौती योग्य व्ययों को लिए प्रावधान	15.35	9.73	1.69	-	26.77
(ii) ऋणकर्ताओं को ऋण पर अपरिशोधित आय	64.28	(0.25)	-	-	64.03
(iii) वित्तीय लिखतों पर आरबीडीडी से अधिक क्षतिग्रस्तता हानि	4,843.90	(427.73)	-	-	4,416.17
(iv) मूल्यह्रास एवं परिशोधन	0.49	0.49	-	-	0.98
(v) डेरिवेटिव का उचित मूल्य (निवल)	1.64	2.99	26.93	-	31.56
(ख) आस्थगित कर देयताएं (-)					
(i) पट्टा आय	(66.64)	-	-	-	(66.64)
(ii) अपरिशोधित विनिमय हानि (निवल)	(135.61)	(135.58)	-	-	(271.19)
(iii) ऋण देयताओं पर अपरिशोधित व्यय	(102.17)	3.52	-	-	(98.65)
(iv) अन्य	(73.98)	31.68	-	-	(42.30)
निवल आस्थगित कर देयताएं (-) /परिसम्पत्तियां (+)	**4,547.26**	**(515.15)**	**28.62**	**-**	**4,060.73**

38. पट्टे

कंपनी ने कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) द्वारा कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) द्वितीय संशोधन नियम, 2019 दिनांक 30.03.2019 के माध्यम से यथाअधिसूचित इंड एएस 116 - 'लीजेज' को दिनांक 01.04.2019 से आशोधित पूर्वव्यापी दृष्टिकोण का प्रयोग करते हुए अपनाया है। कंपनी ने कार्यालय परिसर के रूप में उपयोग की गई कंपनी की पट्टे पर धारित भूमि के संबंध में ₹36.20 करोड़ के 'राइट ऑफ यूज एसेट' और ₹8.81 करोड़ की 'लीज लायबिलिटी' को मान्यता दी है। पट्टे पर धारित भूमि पर पूर्वसंदत्त भाड़ा, जिसे पहले अन्य गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था, को 'राइट-ऑफ-यूज एसेट्' में पुनःवर्गीकृत किया गया है। दिनांक 31.03.2020 को समाप्त वर्ष के दौरान, निवल लाभ और ईपीएस पर इसे अपनाए जाने का कोई उल्लेखनीय प्रभाव नहीं पड़ा है। दिनांक 31.03.2019 तक की स्थिति के अनुसार और इसे समाप्त वर्ष के तुलनात्मक ब्योरे का पुनः उल्लेख नहीं किया गया है।

इंड एएस 116 के परिणामस्वरूप प्रचालन कार्यकलापों से नकदी अंतःप्रवाह में और लीज भुगतान के कारण वित्तीय कार्यकलापों से नकदी बहिर्प्रवाह में वृद्धि हुई।

38.1 वर्ष के दौरान पट्टा (लीज) देयताओं के संचलन को नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है:

विवरण	31.03.2020 तक की स्थिति के अनुसार
प्रारंभिक शेष	-
वर्ष के दौरान परिवर्धन	8.81
अवधि के दौरान प्रोद्भूत वित्त लागत	0.77
पट्टा (लीज) देयताओं का भुगतान	(0.77)
अंतिम शेष	**8.81**

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

38.2 बट्टारहित (अनडिस्काउंटिड) आधार पर पट्टा (लीज) देयताओं की संविदात्मक परिपक्वताओं के संबंध में ब्योरे नीचे दी गई तालिका में दिए गए हैं।

विवरण	31.03.2020 तक की स्थिति के अनुसार
1 वर्ष तक	0.77
1 - 5 वर्ष	3.09
5 वर्ष से अधिक	57.83

39. लाभांश आय

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2019-20	वित्तीय वर्ष 2018-19
एफवीटीओसीआई पर निर्दिष्ट इक्विटी निवेशों पर लाभांश		
- वर्ष के अंत में धारित निवेश	66.81	47.42
- वर्ष के दौरान विमान्य किए गए निवेश	0.66	0.56
उप-योग	**67.47**	**47.98**
लागत पर इक्विटी निवेश पर लाभांश (सहायक कंपनियां, संयुक्त उद्यम)	1,220.81	110.66
म्युचुअल फंड पर लाभांश	1.24	8.39
कुल	**1,289.52**	**167.03**

40. निवल परिवर्तन/लेन-देन विनियम हानि (+)/अभिलाभ (-)

(₹ करोड़ में)

निम्नलिखित के कारण निवल परिवर्तन/ लेन-देन विनियम हानि (+)/अभिलाभ (-)	वित्तीय वर्ष 2019-20	वित्तीय वर्ष 2018-19
- दिनांक 01.04.2018 को अथवा इसके बाद मान्य दीर्घावधि विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद (एलटीएफसीएमआई) का परिवर्तन (नोट 5.14 का संदर्भ लें)	1,950.69	(42.85)
- दिनांक 31.03.2018 तक मान्य एलटीएफसीएमआई पर सृजित विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद परिवर्तन अंतर लेखा का परिशोधन	682.73	563.10
कुल	**2,633.42**	**520.25**

41. निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)

41.1 वर्ष के दौरान सीएसआर गतिविधियों पर कंपनी द्वारा खर्च किए जाने वाली अपेक्षित सकल राशि के ब्योरे:

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2019-20	वित्तीय वर्ष 2018-19
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 (5) के अनुसार सीएसआर गतिविधियों पर खर्च किए जाने वाली अपेक्षित राशि	135.86	148.15
जोड़े: पिछले वर्ष से अग्रेनीत राशि	178.88	131.23
खर्च किए जाने वाली अपेक्षित सकल राशि	**314.74**	**279.38**
घटाएं: वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि	97.15	100.50
अप्रयुक्त राशि	**217.59**	**178.88**

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

41.2 वर्ष के दौरान सीएसआर गतिविधियों पर खर्च की गई राशि:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	वित्त वर्ष 2019-20			वित्त वर्ष 2018-19		
		प्रदत्त या समाधान	अभी भुगतान किया जाना है	कुल	प्रदत्त या समाधान	अभी भुगतान किया जाना है	कुल
(i)	किसी परिसंपत्ति का निर्माण/अधिग्रहण	-	-	-	-	-	-
(ii)	उपरोक्त (i) के अलावा अन्य प्रयोजनार्थ						
(iiक)	स्वच्छता/अपशिष्ट प्रबंधन/पेयजल	11.88	-	11.88	8.18	-	8.18
(iiख)	शिक्षा/व्यावसायिक कौशल विकास	23.20	-	23.20	16.94	-	16.94
(iiग)	पर्यावरणीय संधारणीयता (सोलर एप्लीकेशन/ वनीकरण/ऊर्जा दक्ष एलईडी लाइटिंग)	21.49	-	21.49	17.89	-	17.89
(iiघ)	खेल	-	-	-	-	-	-
(iiङ)	अन्य	36.55	-	36.55	52.20	-	52.20
(iiच)	प्रशिक्षण, प्रभाव मूल्यांकन आदि सहित प्रशासनिक उपरिव्यय जो सीएसआर पर खर्च करने के लिए अपेक्षित कुल राशि के 5% तक सीमित है।	4.03	-	4.03	5.29	-	5.29
कुल		**97.15**	**-**	**97.15**	**100.50**	**-**	**100.50**

42. आकस्मिक देयताएं एवं प्रतिबद्धताएं

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2020 तक की स्थिति के अनुसार	31.03.2019 तक की स्थिति के अनुसार
आकस्मिक देयताएं			
(i)	गारंटियां[क]	81.02	117.39
(ii)	कंपनी के विरुद्ध दावे जिनको ऋण के रूप में नहीं माना गया	-	-
(iii)	संस्वीकृत ऋणों के विरुद्ध चुकौती आश्वासन पत्र के रूप में ऋणकर्ताओं को संवितरण की बकाया प्रतिबद्धताएं	870.49	1,019.06
(iv)[ख]	- पिछले वर्षों के संबंध में आयकर विभाग द्वारा की गई अतिरिक्त मांगें जिनका विरोध किया जा रहा है।	88.14	62.23
	- इसके अतिरिक्त, आयकर विभाग ने अपीलीय प्राधिकरणों द्वारा कंपनी को प्रदान की गई राहत के विरुद्ध अपील की है। इसका भी विरोध किया जा रहा है।	302.10	203.00
(v)	- पिछले वर्षों के संबंध में सेवा कर विभाग द्वारा की गई सेवा कर मांग या कारण बताओ नोटिस जिनका विरोध किया जा रहा है।	20.56	1.04
	- इसके अतिरिक्त, सेवा कर विभाग ने आयुक्त (सीईएंडएसटी) के आदेश के विरुद्ध सीईएसटीएटी में अपील की है, जिन्होंने सेवा कर की मांग छोड दी थी। इसका भी विरोध किया जा रहा है।	46.31	21.53
प्रतिबद्धताएं			
(i)	ऐसी संविदाओं की अनुमानित राशि जो पूंजी खाते पर निष्पादित की जानी है तथा जिनके लिए प्रावधान नहीं किया गया है	430.40	430.40
(ii)	अमूर्त परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के लिए संविदात्मक प्रतिबद्धताएं	-	-
(iii)	अन्य प्रतिबद्धताएं - सीएसआर की खर्च न की गई राशि	217.59	178.88
कुल		**2,056.61**	**2,033.53**

(क) ऋणकर्ता कंपनी के पक्ष में कंपनी द्वारा प्रदान की गई डिफॉल्ट भुगतान गारंटी। गारंटी के विरुद्ध प्रदत्त/देय राशि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति योग्य है।

(ख) वर्ष के दौरान, कंपनी ने आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत पिछले कुछ वर्षों के संबंध में लंबित मुकदमों के संबंध में विवाद से विश्वास योजना का चयन किया है। कंपनी ने विवाद से विश्वास योजना के अंतर्गत आयकर विभाग की अपीलों के निपटान के उद्देश्य से आयकर विभाग द्वारा दायर की गई अपीलों के संबंध में विवादित कर के लिए अग्रिम के रूप में मार्च, 2020 में ₹116.90 करोड़ की अतिरिक्त राशि का भुगतान किया है।

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

43. कंपनी पर किसी सूक्ष्म एवं लघु उद्यम का ऐसा कोई देय नहीं है, जो 31 मार्च, 2020 तक की स्थिति के अनुसार 45 दिन से अधिक बकाया है (31 मार्च, 2019 तक की स्थिति के अनुसार शून्य)। इसका निर्धारण उस सीमा तक किया गया है जिस सीमा तक ऐसे पक्षकारों की स्थिति को कंपनी के पास उपलब्ध सूचना के आधार पर अभिचिह्नित किया जा सकता है।

44. इंड एएस 33 प्रति शेयर अर्जन के अनुसार प्रकटन

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2019-20	वित्तीय वर्ष 2018-19
अंश (न्यूमरेटर) के रूप में प्रयुक्त अवधि के लिए लाभ (मूल एवं तनुकृत) (करोड़ में):		
- चालू प्रचालनों से	5,655.14	6,952.92
- बंद प्रचालनों से	-	-
- चालू और बंद प्रचालनों से	5,655.14	6,952.92
डिनोमीनेटर के रूप प्रयुक्त इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या (मूल एवं तनुकृत)	2,64,00,81,408	2,64,00,81,408
प्रति इक्विटी शेयर अर्जन (मूल एवं तनुकृत), अंकित मूल्य ₹10 प्रत्येक (₹):		
- चालू प्रचालनों से	21.42	26.34
- बंद प्रचालनों से	-	-
- चालू और बंद प्रचालनों से	21.42	26.34

45. (क) जम्मू एवं कश्मीर राज्य के पुनर्गठन के पश्चात् प्रलेखन की स्थिति

जम्मू एवं कश्मीर राज्य के दो केंद्र शासित प्रदेशों - जम्मू एवं कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश एवं लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश - में विभाजन के पश्चात्, पूर्ववर्ती जम्मू एवं कश्मीर राज्य से संबंधित मौजूदा इकाईयों को दिनांक 23.10.19 के विच्छिन्न (अनबंडलिंग) आदेश के जरिए पुनर्गठित किया गया है। नए पुनर्गठित विभागों के साथ करारों के परिशिष्ट को अभी निष्पादित किया जाना बाकी है। इन दस्तावेजों के निष्पादन में देरी के परिणामस्वरूप, मौजूदा ऋणों का प्रबंधन/चुकौती वर्तमान ऋण करार के अनुसार की जा रही है।

(ख) आंध्र प्रदेश राज्य के पुनर्गठन के पश्चात् प्रलेखन की स्थिति

पूर्ववर्ती आंध्र प्रदेश राज्य के पुनर्गठन के पश्चात् दिनांक 02.06.2014 को तेलंगाना राज्य का गठन किया गया है। तथापि, औपचारिक राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से संबंधित विद्युत संस्था को परिसंपत्तियों एवं देयताओं का अंतरण किया जाना अभी बाकी है।

विद्युत संस्था में परिसंपत्तियों एवं देयताओं के अंतरण का विधिवत रूप से उल्लेख करते हुए सरकार द्वारा राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से अंतिम अंतरण योजना के अधिसूचित हो जाने पर नई/नाम परिवर्तित विद्युत संस्था के साथ सभी बकाया ऋणों के संबंध में प्रलेखन की औपचारिकताओं को पूरा करने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। तब तक, ब्याज/मूलधन के भुगतान के लिए मांग को विद्युत संस्था के अनुसार अलग-अलग निर्धारित किया जा रहा है और विद्युत संस्था द्वारा तेलंगाना एवं आंध्र प्रदेश में संबंधित अंश का भुगतान किया जा रहा है।

46. एक्सपोजर

46.1 आरबीआई के दिनांक 12 फरवरी, 2010 के परिपत्र सीसी संख्या 168 में निहित अनुदेशों के अनुसरण में आरबीआई ने कंपनी को अवसंरचना वित्त कंपनी (आईएफसी) के रूप में वर्गीकृत किया है। आईएफसी के रूप में, निजी क्षेत्र में ऋण देने के लिए कुल अनुमत एक्सपोजर एकल ऋणकर्ता के मामले में स्वामित्व वाली निधियों का 25% और ऋणकर्ताओं के एकल समूह के मामले में 40% है तथा ऋण देने एवं निवेश करने के लिए एक साथ एक्सपोजर स्वामित्व वाली परिसंपत्तियों के क्रमशः 30% और 50% तक हो सकता है।

केंद्र सरकार/राज्य सरकार की संस्थाओं के संबंध में आरबीआई ने कंपनी को दिनांक 31 मार्च, 2022 तक क्रेडिट/निवेश मानदंडों के अपने संकेंद्रण की प्रयोज्यता से छूट प्रदान की है। कंपनी इन संस्थाओं के लिए विद्युत मंत्रालय द्वारा अनुमोदित क्रेडिट संकेंद्रण मानदंडों का अनुसरण करना जारी रखेगी।

46.2 कंपनी द्वारा पार की गई एकल ऋणकर्ता सीमा (एसजीएल)/समूह ऋणकर्ता सीमा (जीबीएल) का ब्योरा:

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2019-20 और वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान एकल ऋणकर्ता समूह ऋणकर्ता के विरुद्ध अपनी विवेकपूर्ण जोखिम सीमा को पार नहीं किया है।

46.3 भू-सम्पदा (रीयल एस्टेट) क्षेत्र में कंपनी का कोई कारोबार नहीं है।

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

46.4 पूंजी बाजार में एक्सपोजर:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	दिनांक 31.03.2020 तक की स्थिति के अनुसार	दिनांक 31.03.2019 तक की स्थिति के अनुसार
(i)	इक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बॉण्डों, परिवर्तनीय डिबेंचरों तथा इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंड की यूनिटों में प्रत्यक्ष निवेश, जिसके कॉरपस का निवेश अनन्य रूप से कॉर्पोरेट ऋण (पूर्णतः परिवर्तनीय अधिमानी शेयरों में निवेश सहित) में निवेश न किया गया हो;	15,657.40	15,770.18
(ii)	शेयरों (आईपीओ/ईएसओपी सहित), परिवर्तनीय बॉण्डों तथा इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंड्स की यूनिटों में निवेश के लिए व्यक्तियों को शेयरों/बॉण्डों/डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों के विरुद्ध या स्पष्ट आधार पर अग्रिम;	-	-
(iii)	किसी अन्य प्रयोजन के लिए अग्रिम जहां शेयरों या परिवर्तनीय बॉण्डों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंड की यूनिटों को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में लिया जाता है;	-	-
(iv)	पूंजी बाजार से संबंधित कुल जोखिम शेयरों या परिवर्तनीय बॉण्डों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंड की यूनिटों की कोलेटरल प्रतिभूति द्वारा प्रतिभूत सीमा तक किसी अन्य प्रयोजन के लिए अग्रिम अर्थात जहां प्राथमिक प्रतिभूति शेयरों/परिवर्तनीय बॉण्डों/परिवर्तनीय डिबेंचरों/इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंड की यूनिटों से भिन्न है, को अग्रिमों में पूर्णतः शामिल नहीं किया जाता है (ऐसे ऋणों को छोड़कर जहां प्रतिभूति का सृजन प्रक्रियाधीन है);	-	-
(v)	शेयर दलालों को दिए गए प्रतिभूत एवं अप्रतिभूत अग्रिम तथा शेयर दलालों एवं बाजार निर्माताओं की ओर से जारी की गई गारंटियां;	-	-
(vi)	कंपनियों को मंजूर किए गए ऋण जो शेयरों/बॉण्डों/डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों की सुरक्षा पर मंजूर किए गए हों अथवा जो संसाधन जुटाने की प्रत्याशा में नई कंपनियों की इक्विटी में प्रोमोटर का योगदान पूरा करने के लिए स्पष्ट आधार पर दिए गए हों;	2,628.55	2,629.16
(vii)	प्रत्याशित इक्विटी प्रवाह/निर्गम के विरुद्ध कंपनियों को दिए गए ब्रिज लोन;	-	-
(viii)	उद्यम पूंजी निधि (पंजीकृत एवं गैर पंजीकृत दोनों) से संबंधित सभी एक्सपोजर	6.12	6.18
पूंजी बाजार से संबंधित कुल एक्सपोजर		**18,292.07**	**18,405.52**

46.5 मूल कंपनी के उत्पादों के वित्तपोषण का ब्योरा:

कंपनी की कोई मूल कंपनी नहीं है।

47. परिसंपत्ति देयता प्रबंधन – परिसपत्तियों एवं देयताओं की मदों का परिपक्वता पैटर्न:

निम्नलिखित तालिका में, परिपक्वता की तारीख को ध्यान में रखे बगैर 5 वर्षों के बकेट में चरण-III की परिसंपत्तियों से संबंधित क्षतिग्रस्तता हानि छूट को घटाकर मूल नकदी प्रवाहों पर विचार किया गया है। इसके अतिरिक्त, प्रयोग की शीघ्रातिशीघ्र तारीख को ध्यान में रखते हुए मंदी एवं तेजी विकल्प (पुट एंड कॉल ऑप्शन) वाले बॉण्डों को दर्शाया गया है। इसके अतिरिक्त, कमर्शियल पेपर्स एवं जीरो कूपन बॉण्डों को परिपक्वता मूल्य पर दर्शाया गया है।

(₹ करोड़ में)

दिनांक 31.03.2020 तक की स्थिति के अनुसार बकेट	जमा/निवेश	अग्रिम	घरेलू ऋण	विदेशी मुद्रा मदें	
				परिसंपत्तियां	देयताएं
30/31 दिनों तक	0.00	1,529.70	8,046.86	0.00	5.40
1 माह से अधिक और 2 माह तक	1,519.90	492.70	5,988.50	0.00	0.00
2 माह से अधिक और 3 माह तक	0.00	416.63	10,845.00	0.00	6.09
3 माह से अधिक और 6 माह तक	0.00	3,511.49	17,351.67	0.00	1,130.79
6 माह से अधिक और 1 वर्ष तक	0.00	18,837.19	5,305.25	0.00	2,156.10
1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक	0.00	59,187.06	57,474.09	0.00	11,493.88
3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक	0.00	56,046.51	60,813.03	0.00	10,231.67
5 वर्ष से अधिक	14,953.42	1,90,314.82	90,071.03	0.00	22,676.86
कुल	**16,473.32**	**3,30,336.11**	**2,55,895.42**	**0.00**	**47,700.79**

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

दिनांक 31.03.2019 तक की स्थिति के अनुसार बकेट	जमा/निवेश	अग्रिम	घरेलू ऋण	विदेशी मुद्रा मदें	
				परिसंपत्तियां	देयताएं
30/31 दिनों तक	14,133.64	4,955.46	21,785.18	-	696.50
1 माह से अधिक और 2 माह तक	1,833.07	1,928.13	4,915.00	-	-
2 माह से अधिक और 3 माह तक	-	1,264.76	7,495.20	-	2,080.35
3 माह से अधिक और 6 माह तक	-	9,225.21	10,292.05	-	-
6 माह से अधिक और 1 वर्ष तक	-	16,559.51	19,088.10	-	3,468.40
1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक	-	50,663.28	76,608.05	-	4,971.67
3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक	-	49,879.10	32,730.60	-	9,235.95
5 वर्ष से अधिक	-	1,65,146.63	87,160.38	23.84	8,373.99
कुल	**15,966.71**	**2,99,622.08**	**2,60,074.56**	**23.84**	**28,826.87**

48. वर्ष के दौरान, आरबीआई और अन्य नियामकों द्वारा लगाए गए जुर्माने का ब्योरा:

एनएसई और बीएसई ने अपने दिनांक 03.02.2020 के पत्र द्वारा निदेशक मंडल (बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स) की संरचना के संबंध में गैर अनुपालन के लिए कंपनी पर जुर्माना लगाया है। एनएसई और बीएसई को अपने जवाब में कंपनी ने बताया है कि केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम होने के कारण तथा कंपनी के संस्था के अंतर्नियम के अनुच्छेद 86 के अनुसरण में विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति द्वारा कंपनी के निदेशक मंडल में निदेशकों की नियुक्ति की जाती है। सेबी (सूचीबद्धता बाध्यता तथा प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के अनुपालन के लिए कंपनी के निदेशक मंडल में शेष स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की प्रक्रिया को गति देने के लिए कंपनी ने विद्युत मंत्रालय के साथ मामले को उठाया है। पिछले वर्ष भी एनएसई और बीएसई ने इसी कारण के लिए कंपनी पर जुर्माना लगाया था।

49. क्रेडिट रेटिंग

49.1 दिनांक 31.03.2020 तक की स्थिति के अनुसार क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा प्रदान की गई रेटिंग और वर्ष के दौरान रेटिंग का माइग्रेशन:

क्र. सं.	रेटिंग एजेंसी	दीर्घावधि रेटिंग	अल्पावधि रेटिंग
1.	क्रिसिल	क्रिसिल एएए	क्रिसिल ए1+
2.	इकरा	इकरा एएए	इकरा ए1+
3.	केयर	केयर एएए	केयर ए1+

वर्ष के दौरान कोई रेटिंग माइग्रेशन नहीं हुआ है।

49.2 दिनांक 31.03.2020 तक की स्थिति के अनुसार, कंपनी को दी गई दीर्घावधि विदेशी मुद्रा जारीकर्ता रेटिंग

क्र. सं.	रेटिंग एजेंसी	रेटिंग
1.	फिच रेटिंग्स	बीबीबी-
2.	स्टैण्डर्ड एंड पुअर (एस एंड पी)	बीबीबी-
3.	मूडीज	बीएए3

50. लाभ और हानि के एकल (स्टैंडअलोन) विवरण में डेबिट किए गए प्रावधान, आकस्मिकताएं और क्षतिग्रस्तता हानि छूट

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	वित्त वर्ष 2019-20	वित्त वर्ष 2018-19
1.	ऋणों, निवेशों और चुकौती आश्वासन पत्र पर क्षतिग्रस्तता हानि छूट	980.86*	(879.27)
2.	अन्य प्राप्य राशियों पर क्षतिग्रस्तता हानि छूट	10.11	7.79
3.	निवेशों पर क्षतिग्रस्तता हानि छूट	0.25	-
4.	आयकर के लिए किया गया प्रावधान	1,424.48	2,347.72

* बट्टा खाते में डाले गए ₹ 1,368.92 करोड़ के ऋण सहित

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

51. वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए ग्राहकों की शिकायतें

31.03.2020 को समाप्त वर्ष के दौरान कंपनी को अपने ऋणकर्ताओं से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। (पिछले वर्ष भी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई थी)

52. विनियामकों से प्राप्त पंजीकरणों का ब्योरा:

क्र. सं.	विनियामक	विवरण	पंजीकरण का ब्योरा
1.	कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय	कॉर्पोरेट पहचान संख्या	L65910DL1986GOI024862
2.	भारतीय रिज़र्व बैंक	पंजीकरण संख्या	B- 14.00004
3.	लीगल एंटिटी आइडेंटिफ़ाइयर इंडिया लिमिटेड	एलईआई संख्या	3358003Q6D9LIJJZ1614

53. (क) कंपनी इंड एएस - 110 के अनुसरण में समेकित वित्तीय विवरण तैयार कर रही है।

(ख) विदेशों में संयुक्त उद्यमों/सहायक कंपनियों के रूप में कंपनी की कोई परिसंपत्ति नहीं है।

(ग) कंपनी द्वारा प्रायोजित ऐसी कोई ऑफ-बैलेंस शीट एसपीवी नहीं है, जिसे लेखांकन मानदंडों के अनुसार समेकित किया जाना अपेक्षित है।

54. रिज़र्व से ड्रॉ डाउन

इक्विटी में परिवर्तन के एकल (स्टैंडअलोन) विवरण में संदर्भ दिया जा सकता है।

55. कंपनी पर लागू आरबीआई के दिनांक 01.09.2016 के प्रधान दिशानिर्देश (मास्टर डायरेक्शन) के अनुलग्नक IV में यथानिर्दिष्ट समय-समय पर अद्यतन सूचना/विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	दिनांक 31.03.2020 की स्थिति के अनुसार राशि		दिनांक 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार राशि	
देयता पक्ष	बकाया	अतिदेय	बकाया	अतिदेय
(1) कंपनी द्वारा प्राप्त किए गए ऋण एवं अग्रिम जिसमें उन पर प्रोद्भूत किंतु भुगतान न किया गया ब्याज शामिल है:				
(क) बॉण्ड: प्रतिभूत	15,157.24	0.00	14,498.53	0.00
अप्रतिभूत	2,16,267.03	0.00	1,90,814.82	0.00
(ख) (i) रूपया सावधि ऋण	57,409.63	0.00	46,542.21	0.00
(ii) विदेशी मुद्रा ऋण	19,872.75	0.00	20,592.26	0.00
(ग) कमर्शियल पेपर	-	0.00	9,715.92	0.00
(घ) अल्पावधिक ऋण	2,038.40	0.00	13,357.45	0.00

क्र. सं.	परिसंपत्ति पक्ष	दिनांक 31.03.2020 की स्थिति के अनुसार बकाया राशि	दिनांक 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार बकाया राशि
(2)	**प्राप्य बिलों सहित ऋणों और अग्रिमों का ब्योरा (नीचे (3) में शामिल मदों को छोड़कर) (प्रावधानों को घटाकर):**		
	(क)प्रतिभूत	2,12,693.81	1,98,393.65
	(ख)अप्रतिभूत	1,32,235.76	1,16,323.18
	(ग) घटाएं: क्षतिग्रस्तता हानि छूट	(15,658.97)	(16,057.16)
	(घ) ऋण और अग्रिम (प्रावधानों को घटाकर)	3,29,270.60	2,98,659.67
(3)	**पट्टा परिसंपत्तियों और किराए पर लिए गए स्टॉक तथा एएफसी गतिविधियों के लिए गिनी जाने वाली परिसंपत्तियों का ब्योरा (प्रावधानों को घटाकर):**		
	(i) विविध ऋणकर्ताओं के अंतर्गत पट्टा किराया सहित पट्टा परिसंपत्तियां:		
	(क) वित्तीय पट्टा	99.18	99.89

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

क्र. सं.	परिसंपत्ति पक्ष	दिनांक 31.03.2020 की स्थिति के अनुसार बकाया राशि	दिनांक 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार बकाया राशि
(4)	**निवेशों का ब्योरा (प्रावधानों को घटाकर)**		
	वर्तमान निवेश		
	1. उद्धृत		
	(i) शेयर		
	(क) इक्विटी	663.35	935.09
	2. अनुद्धृत		
	(i) शेयर		
	(क) इक्विटी	-	
	दीर्घावधि निवेश		
	1. उद्धृत		
	(i) शेयर		
	(क) इक्विटी	14,578.74	14,588.64
	(ii) डिबेंचर्स एवं बॉण्ड	810.05	809.84
	2. अनुद्धृत		
	(i) शेयर		
	(क) इक्विटी	246.20	246.45
	(ख) अधिमान	168.86	-
	(ii) एसआईबी निधि की इकाईयां	6.12	6.18

(5) उपर्युक्त (2) एवं (3) में यथावित्तपोषित परिसंपत्तियों का ऋणकर्ता समूहवार वर्गीकरण: (प्रयोज्य प्रावधान मानदंडों के अनुसार)

श्रेणी	प्रावधानों को घटाकर राशि (दिनांक 31.03.2020 तक की स्थिति के अनुसार)			प्रावधानों को घटाकर राशि (दिनांक 31.03.2019 तक की स्थिति के अनुसार)		
	प्रतिभूत	अप्रतिभूत	कुल	प्रतिभूत	अप्रतिभूत	कुल
1. संबंधित पक्षकार						
(क) सहायक कंपनियां एवं सहयोगी कंपनियां	-	155.05	**155.05**	-	196.22	**196.22**
(ख) समान समूह में कंपनियां	-	-	**-**	-	-	**-**
(ग) अन्य संबंधित पक्षकार	0.51	-	**0.51**	0.52	-	**0.52**
2. संबंधित पक्षकारों के अलावा	2,12,792.48	1,32,080.71	**3,44,873.19**	1,98,493.02	1,16,126.96	**3,14,619.98**
कुल	**2,12,792.99**	**1,32,235.76**	**3,45,028.75**	**1,98,493.54**	**1,16,323.18**	**3,14,816.72**

(6) शेयरों और प्रतिभूतियों (उद्धृत एवं अनुदधृत दोनों) में सभी निवेशों (मौजूदा और दीर्घावधि) का निवेशक समूहवार वर्गीकरण

श्रेणी	दिनांक 31.03.2020 की स्थिति के अनुसार		दिनांक 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार	
	ब्रेक-अप मूल्य $	बही मूल्य (प्रावधानों को घटाकर)	ब्रेक-अप मूल्य $	बही मूल्य (प्रावधानों को घटाकर)
1. संबंधित पक्षकार				
(क) सहायक कंपनियां	18,685.88	14,500.45	18,145.15	14,500.70
(ख) समान समूह में कंपनियां	289.35	246.25	295.99	246.25
2. संबंधित पक्षकारों के अलावा	1,726.62	1,726.62	1,839.25	1,839.25
कुल	**20,701.85**	**16,473.32**	**20,280.39**	**16,586.20**

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

(7) अन्य जानकारी

विवरण		राशि (दिनांक 31.03.2020 की स्थिति के अनुसार)	राशि (दिनांक 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार)
(i)	चरण III सकल परिसंपत्तियां:		
	(क) संबंधित पक्षकारों को छोड़कर	27,871.70	29,540.31
(ii)	चरण III निवल परिसंपत्तियां:		
	(क) संबंधित पक्षकारों को छोड़कर	13,123.24	14,519.30
(iii)	ऋणमुक्ति में अधिग्रहीत परिसंपत्तियां (निवेश का सकल मूल्य)	200.60	-

$ ऋणात्मक बाजार मूल्य के मामले में, मूल्य शून्य माना जाता है।

56. चलनिधि जोखिम प्रबंधन संबंधी आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुपालन के संबंध में प्रकटन

56.1 महत्वपूर्ण काउंटरपार्टी के आधार पर वित्तपोषण संकेंद्रण (ऋण)

विवरण	महत्वपूर्ण काउंटरपार्टियों की संख्या*	राशि (₹ करोड़ में)	कुल देयताओं का प्रतिशत
दिनांक 31.03.2020 की स्थिति के अनुसार	8	81,440.48	25.72%
दिनांक 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार	8	67,042.85	22.24%

* कुल देयताओं के 1% से अधिक के लिए महत्वपूर्ण काउंटरपार्टियों/महत्वपूर्ण लिखत/उत्पाद को समग्र रूप से लेखांकन में एक एकल काउंटरपार्टी या संबद्ध अथवा संबंधित काउंटरपार्टियों के समूह के रूप में परिभाषित किया जाता है।

56.2 10 शीर्ष ऋण (राशि ₹ करोड़ में और कुल ऋणों का %)

क्र. सं.	विवरण*	दिनांक 31.03.2020 की स्थिति के अनुसार		दिनांक 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार	
		राशि (₹ करोड़ में)	कुल ऋण का %	राशि (₹ करोड़ में)	कुल ऋण का %
1.	भारतीय स्टेट बैंक से आरटीएल	8,999.98	2.97%	8,999.98	3.12%
2.	नेशनल स्माल सेविंग्स स्कीम फंड (एनएसएसएफ) से आरटीएल	7,500.00	2.47%	7,500.00	2.60%
3.	कैनरा बैंक से आरटीएल	6,000.00	1.98%	-	-
4.	3 95 यूएसडी बॉण्ड 2030	5,674.87	1.87%	-	-
5.	7 41 कर योग्य बॉण्ड श्रंखला 197	5,000.00	1.65%	-	-
6.	7 62 कर योग्य बॉण्ड श्रंखला 171	5,000.00	1.65%	5,000.00	1.73%
7.	8 41 कर योग्य बॉण्ड श्रंखला 131 सी	5,000.00	1.65%	5,000.00	1.73%
8.	8 65 कर योग्य बॉण्ड श्रंखला 126	5,000.00	1.65%	5,000.00	1.73%
9.	7 93 कर योग्य बॉण्ड श्रंखला 193	4,710.50	1.55%	-	-
10.	4 50 यूएसडी बॉण्ड 2029	4,539.90	1.50%	-	-

* बॉण्ड निर्गमन/बैंकों से सावधि ऋणों के परिमाण के आधार पर

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

56.3 महत्वपूर्ण लिखत/उत्पाद पर आधारित वित्तपोषण संकेंद्रण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	महत्वपूर्ण लिखित/उत्पाद	दिनांक 31.03.2020 तक की स्थिति के अनुसार		दिनांक 31.03.2019 तक की स्थिति के अनुसार	
		राशि (₹ करोड़ में)	कुल देयताएं का %	राशि (₹ करोड़ में)	कुल देयताएं का %
1.	**ऋण प्रतिभूतियां**				
	- इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड	278.63	0.09%	278.63	0.09%
	- कर मुक्त बॉण्ड	12,275.11	3.88%	12,275.11	4.07%
	- 54ईसी पूंजीगत अभिलाभ कर छूट बॉण्ड	1,918.54	0.61%	784.10	0.26%
	- करयोग्य बॉण्ड	1,72,930.24	54.62%	1,67,774.95	55.66%
	- विदेशी मुद्रा नोट	27,892.78	8.81%	8,298.60	2.75%
	- कमर्शियल पेपर	-	0.00 %	9,715.92	3.22%
	उप योग (1)	**2,15,295.30**	**68.00%**	**1,99,127.31**	**66.06%**
2.	**ऋण (ऋण प्रतिभूतियों के अलावा)**				
	- विदेशी मुद्रा ऋण	172.38	0.05%	4,676.17	1.55%
	- सिंडीकेटिड विदेशी मुद्रा ऋण	19,635.63	6.20%	15,852.09	5.26%
	- रूपया सावधि ऋण	49,598.98	15.66%	38,703.55	12.84%
	- रूपया सावधि ऋण - भारत सरकार	7,500.00	2.37%	7,500.00	2.49%
	- सावधि जमाओं के सापेक्ष ऋण	-	0.00%	12,737.18	4.23%
	- कार्यशील पूंजी मांग ऋण/ओवरड्राफ्ट/नकद क्रेडिट/लाइन ऑफ क्रेडिट	2,038.36	0.64%	620.00	0.21%
	उप योग (2)	**78,945.35**	**24.93%**	**80,088.99**	**26.57%**
3.	**सबॉर्डिनेटिड देयताएं**	9,211.50	2.91%	9,211.50	3.06%
	उप योग (3)	**9,211.50**	**2.91%**	**9,211.50**	**3.06%**
	कुल (1+2+3)	**3,03,452.15**	**95.84%**	**2,88,427.80**	**95.68%**

56.4 स्टॉक अनुपात

क्र. सं.	विवरण	कुल सार्वजनिक निधियों का %	कुल देयताओं का %	कुल परिसंपत्तियों का %
दिनांक 31.03.2020 तक की स्थिति के अनुसार				
1.	गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर्स (1 वर्ष से कम की मूल परिपक्वता)	-	-	-
2.	कमर्शियल पेपर	-	-	-
3.	अन्य अल्पावधि देयताएं	0.67	0.64	0.56
दिनांक 31.03.2019 तक की स्थिति के अनुसार				
1.	गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर्स (1 वर्ष से कम की मूल परिपक्वता)	-	-	-
2.	कमर्शियल पेपर	3.37	3.22	2.82
3.	अन्य अल्पावधि देयताएं	4.63	4.43	3.87

57. कंपनी पर कोविड-19 का प्रभाव

कोरोनावायरस (कोविड-19) महामारी का विश्व भर और भारत में प्रकोप वित्तीय बाजारों में बहुत अधिक अवरोध उत्पन्न कर रहा है। भारत सरकार द्वारा वायरस के प्रसार को रोकने के लिए घोषित लॉकडाउन के परिणामस्वरूप आर्थिक गतिविधियां बहुत अधिक धीमी हुई है। तब से सरकार और विभिन्न नियामकों ने वायरस के प्रसार को रोकने और आर्थिक विसंगतियों के प्रभावों को कम करने के लिए कई तरह के उपाय किए हैं। हालांकि, प्रबंधन का मानना है कि कंपनी के व्यवसाय और वित्तीय स्थिति पर इस प्रकोप का प्रभाव महत्वपूर्ण नहीं होगा।

अपनी सुदृढ़ आईटी अवसंरचना और डिजिटल संचार प्रौद्योगिकी के साथ, कंपनी ने अपने कार्मिकों को वर्क फ्रॉम होम के लिए प्रोत्साहित किया। इसने अपने कार्यबल को व्यापार निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए दूरस्थ प्रौद्योगिकी के माध्यम से सुरक्षित रूप से काम करने में सक्षम बनाया। कंपनी ने लॉकडाउन के पहले सप्ताह के दौरान 31 मार्च तक विद्युत क्षेत्र की परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए लगभग ₹ 11,000 करोड़ का संवितरण किया, जो महामारी से सुरक्षित कार्यस्थल बनाने के प्रयास का पर्याय है।

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

इस अवधि के दौरान ऋण सर्विसिंग के बोझ को कम करने के लिए, आरबीआई ने कुछ दिशानिर्देश अधिसूचित किए। दिनांक 27 मार्च, 2020 और 17 अप्रैल, 2020 के कोविड-19 विनियामक पैकेज के संबंध में आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार, पीएफसी ने पात्र ऋणकर्ताओं को दिनांक 1 मार्च, 2020 और 31 मई, 2020 के बीच आने वाली किश्तों के भुगतान पर अधिस्थगन (मोरेटोरियम) की पेशकश की है। आरबीआई ने दिनांक 23.05.2020 के परिपत्र के माध्यम से अधिस्थगन (मोरेटोरियम) की अवधि को 3 महीने अर्थात् 31 अगस्त, 2020 तक बढ़ा दिया है।

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने अपने कोविड-19 पैकेज की घोषणा के एक भाग के रूप में, पीएफसी और उसकी सहायक कंपनी आरईसी लिमिटेड के माध्यम से सीपीएसई जेनकोस/ट्रांसको, आईपीपी और आरई उत्पादकों की बकाया राशि के निपटान के लिए राज्य सरकार के गारंटीकृत ऋण के रूप में राज्य डिस्कॉम को ₹90,000 करोड़ की चलनिधि अंतःक्षेपण की भी घोषणा की है।

कंपनी अपनी वित्तपोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए भलीभांति तैयार है। वर्तमान में, कंपनी के पास विभिन्न बैंकों के अनाहरित लाइन ऑफ क्रेडिट की पर्याप्त संख्या है। पीएफसी की उच्च ऋण योग्यता ऋणदाताओं के साथ अच्छी तरह से स्थापित संबंध को ध्यान में रखते हुए, यह घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से धन जुटा सकती है।

इस प्रकार, यह मानने का कोई कारण नहीं है कि कंपनी के चालू प्रतिष्ठान के आकलन सहित इसके प्रचालन को बनाए रखने के लिए मौजूदा संकट का कंपनी की क्षमता पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा । हालांकि, कंपनी भविष्य की आर्थिक परिस्थितियों और उसके व्यवसाय पर प्रभाव के कारण होने वाले किसी भी भौतिक परिवर्तन की सूक्ष्म निगरानी करना जारी रखेगी।

इसके अतिरिक्त, सीएसआर पहल के अंतर्गत, कंपनी ने अप्रैल 2020 माह में कोविड-19 से लड़ने के लिए पीएम केयर्स फंड में ₹200 करोड़ का अंशदान दिया। इसके अलावा, कंपनी के कार्मिकों ने भी इस फंड के लिए अपने एक दिन के वेतन का अंशदान दिया है। कंपनी द्वारा इसके सामाजिक उत्तरदायित्व के भाग के रूप में जिला प्रशासन को वित्तीय सहायता, फ्रंटलाइन कार्मिकों को सहायता और जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन करना जैसे कई अन्य अखिल भारतीय पहल भी की गई हैं।

58. आरबीआई के दिनांक 17.04.2020 के परिपत्र डीओआर संख्या बीपी.बीसी.63/21.04.048/2019-20 के अनुसरण में आरबीआई के कोविड-19 विनियामक पैकेज के संबंध में मोरेटोरियम और परिसंपत्ति वर्गीकरण के संबंध में प्रकटन

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	राशि
1.	एसएमए/अतिदेय श्रेणियों, जिनमें अधिस्थगन को एसएमए 1 के लिए विस्तारित किया गया था, में राशि	594.72
2.	राशि जिसमें परिसंपत्ति वर्गीकरण हितलाभों को विस्तारित किया गया है	शून्य
3.	वित्त वर्ष 2020 की चौथी तिमाही के दौरान किए गए प्रावधान	शून्य
4.	स्लिपेज और बचत प्रावधानों के सापेक्ष संबंधित लेखांकन अवधियों के दौरान समायोजित प्रावधान	शून्य

59. बड़ी संस्थाओं द्वारा ऋण प्रतिभूतियों के निर्गमन के जरिए निधियां जुटाने के संबंध में सेबी के दिनांक 26.11.2018 के परिपत्र सेबी/एचओ/डीडीएचएस/सीआईआर/पी2018/144 के अनुसरण में प्रकटन वृद्धिशील ऋणों के ब्योरे:

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2019-20
वित्तीय वर्ष में लिए गए वृद्धिशील ऋण (क)	59,542.04
ऋण प्रतिभूतियों के निर्गमन के माध्यम से लिए जाने वाले अनिवार्य ऋण (ख) = (क का 25%)	14,885.51
वित्तीय वर्ष में ऋण प्रतिभूतियों के माध्यम से लिए गए वास्तविक ऋण	36,353.60
ऋण प्रतिभूतियों, यदि कोई हो, के माध्यम से अनिवार्य ऋण में कमी (घ) = (ख)-(ग)	शून्य
कमी के कारण	लागू नहीं

60. इंड एएस 108-''ऑपरेटिंग सेगमेंट'' की अपेक्षा के अनुसार व्यवसाय/भौगोलिक सेगमेंट की रिपोर्टिंग के संदर्भ में कंपनी के प्रचालनों में केवल एक व्यवसाय सेगमेंट-विद्युत क्षेत्र की संस्थाओं को ऋण शामिल है। सभी गतिविधियां मुख्य व्यवसाय के अनुसार की जाती है। अतः इंड एएस 108 के अनुसार सूचित करने योग्य कोई सेगमेंट नहीं है।

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

61. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों में संशोधन

कंपनी ने दिनांक 01.04.2019 से संशोधित पूर्वव्यापी दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा यथाअधिसूचित इंड एएस 116 लीजेज' को अपनाया है।

इसके अलावा, इंड एएस 109 की अपेक्षाओं के अनुसार कंपनी के व्यवसाय मॉडल संबंधी नीतियों और आकस्मिक परिसम्पत्तियों को नोट 5 - महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों में शामिल किया गया है। लेखांकन नीतियों में किए गए ऐसे संशोधनों का कोई वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ा है।

62. परिसंपत्ति और देयताओं के अंतर्गत प्रत्येक प्रमुख मद के लिए 12 माह में और उससे अधिक में वसूले/समाधान किए जाने के लिए अपेक्षित राशियां

(₹ करोड़ में)

विवरण		दिनांक 31.03.2020 तक की स्थिति के अनुसार		दिनांक 31.03.2019 तक की स्थिति के अनुसार	
		12 माह में	12 माह से अधिक	12 माह में	12 माह से अधिक
	परिसंपत्तियां				
1.	**वित्तीय परिसंपत्तियां**				
(क)	नकदी एवं नकदी समतुल्य	182.52	-	310.09	-
(ख)	नकदी एवं नकदी समतुल्य में शामिल की गई राशि को छोड़कर बैंक में शेष राशि	16.47	-	13,890.52	-
(ग)	डेरिवेटिव वित्तीय लिखत	63.94	1,799.48	105.38	462.60
(घ)	ऋण	57,818.46	2,76,294.14	45,971.12	2,57,239.24
(ङ)	निवेश	663.35	15,809.97	935.14	15,651.06
(च)	अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	103.88	5,235.24	87.03	5,243.93
	कुल वित्तीय परिसंपत्तियां (1)	**58,848.62**	**2,99,138.83**	**61,299.28**	**2,78,596.83**
2.	**गैर-वित्तीय परिसंपत्तियां**				
(क)	मौजूदा कर परिसंपत्तियां (निवल)	133.19	518.12	-	498.42
(ख)	आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)	-	2,952.12	-	4,060.73
(ग)	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	-	31.35	-	27.74
(घ)	अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां	-	0.41	-	0.59
(ङ)	राइट ऑफ यूज एसेट		35.75	-	-
(च)	अन्य गैर-वित्तीय परिसंपत्तियां	84.75	44.12	180.22	61.87
	कुल गैर-वित्तीय परिसंपत्तियां (2)	**217.94**	**3,581.87**	**180.22**	**4,649.35**
	कुल परिसंपत्तियां (1+2)	**59,066.56**	**3,02,720.70**	**61,479.50**	**2,83,246.18**
	देयताएं				
1.	**वित्तीय देयताएं**				
(क)	डेरिवेटिव वित्तीय लिखत	56.40	543.42	88.64	416.95
(ख)	ऋण प्रतिभूतियां	37,152.92	1,84,694.75	44,608.95	1,60,975.54
(ग)	ऋण (ऋण प्रतिभूतियों के अलावा)	17,902.17	61,213.89	28,998.61	51,346.08
(घ)	सबॉर्डिनेटिड देयताएं	103.04	9,207.91	102.30	9,207.40
(ङ)	अन्य वित्तीय देयताएं	316.07	5,059.09	274.44	5,053.40
	कुल वित्तीय देयताएं (1)	**55,530.60**	**2,60,719.06**	**74,072.94**	**2,26,999.37**
2.	**गैर-वित्तीय देयताएं**				
(क)	मौजूदा कर देयताएं (निवल)	0.11	-	-	0.53
(ख)	प्रावधान	219.38	44.91	196.87	67.13
(ग)	अन्य गैर-वित्तीय देयताएं	2.93	106.14	4.49	96.36
	कुल गैर-वित्तीय देयताएं (2)	**222.42**	**151.05**	**201.36**	**164.02**
	कुल देयताएं (1+2)	**55,753.02**	**2,60,870.11**	**74,274.30**	**2,27,163.39**

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

63. विगत वर्ष के आंकड़ों को तुलनात्मक रूप देने के लिए, आवश्यकतानुसार, पुनः समूहबद्ध/पुनः वर्गीकृत किया गया है।

64. आंकड़ों को दो दशमलव के साथ निकटतम करोड़ रुपए में पूर्णांकित किया गया है।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

हस्ता/-
मनोहर बलवानी
कंपनी सचिव

हस्ता/-
एन. बी. गुप्ता
निदेशक (वित्त)
डीआईएन: 00530741

हस्ता/-
आर. एस. ढिल्लों
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 00278074

हमारी संलग्न समदिनांकित रिपोर्ट के संदर्भ में हस्ताक्षरित

कृते गांधी मिनोचा एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या: 000458N

हस्ता/-
सीए मनोज भारद्वाज
भागीदार
सदस्यता संख्या: 098606

कृते दास गुप्ता एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या: 000112N

हस्ता/-
सीए अशोक कुमार जैन
भागीदार
सदस्यता संख्या: 090563

तारीख: नई दिल्ली
दिनांक: 24 जून, 2020

स्वतंत्र लेखापरीक्षक रिपोर्ट

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सदस्यों के लिए

समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

राय

हमने पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (इसके बाद इसमें ''धारक कंपनी'' कहा गया है) तथा इसकी सहायक कंपनियों (धारक कंपनी एवं इसकी सहायक कंपनियों को एक साथ ''समूह'' कहा गया है), इसकी सहयोगी कंपनियों तथा संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं के संलग्न समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार समेकित तुलन-पत्र, लाभ एवं हानि (अन्य व्यापक आय सहित) का समेकित विवरण, इक्विटी में परिवर्तनों का समेकित विवरण, उस समय समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकदी प्रवाह विवरण तथा लेखांकन की महत्वपूर्ण नीतियों का सारांश सहित समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां (इसके बाद इसमें ''समेकित इंड एएस वित्तीय विवरण'' कहा गया है) शामिल हैं।

हमारी राय में तथा हमारी सर्वोत्तम सूचना के अनुसरण में और हमें प्रदान किए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार और पृथक इंड एस वित्तीय विवरणों और सहायक कंपनियों, सहयोगी कंपनियों एवं संयुक्त नियंत्रणाधीन संस्थाओं की अन्य वित्तीय जानकारियों पर अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर विचार के आधार पर, उपर्युक्त समेकित इंड एस वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 (इसके बाद यहां ''अधिनियम'' कहा गया है) द्वारा अपेक्षित सूचना अपेक्षित ढंग से प्रदान करते हैं और भारत में लेखांकन के सामान्यतया स्वीकृत सिद्धांतों के अनुरूप 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार समूह, इसके सहयोगियों और संयुक्त नियंत्रणाधीन संस्थाओं के कार्यों के समेकित स्थिति, समेकित लाभ (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी में समेकित परिवर्तनों तथा उस समय समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकदी प्रभावों का सही एवं उचित विवरण प्रदान करते हैं।

राय के लिए आधार

हमने समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों के संबंध में अपनी लेखापरीक्षा, अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखांकन संबंधी मानकों (एसए) के अनुसार की है। उन मानकों के अंतर्गत हमारी जिम्मेदारियों का वर्णन हमारी रिपोर्ट के समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक की जिम्मेदारियों में भी किया गया है। हम अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षा के लिए संगत नैतिक अपेक्षाओं के साथ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी की गई आचार संहिता के अनुसरण में समूह से स्वतंत्र हैं और हमने इन अपेक्षाओं एवं आचार संहिता के अनुसरण में अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों का निर्वहन किया है। हमारा यह विश्वास है कि हमने जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किया है वह समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों पर हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त एवं उपयुक्त है।

मामले का महत्व

हम समूह पर कोविड-19 महामारी के प्रभाव के संबंध में समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 68 पर ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। प्रबंधन की यह राय है कि यह मानने का कोई कारण नहीं है कि समूह के सुनाम प्रतिष्ठान के रूप में कार्य करना जारी रखने की क्षमता पर महामारी का कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ेगा। हालांकि, भावी अवधि में महामारी को देखते हुए प्रभाव का अभिनिश्चय नहीं किया जा सकता और भावी वर्षों में क्षतिग्रस्तता छूट को प्रभावित कर सकती है।

इस मामले के संबंध में हमारी राय में कोई संशोधन नहीं किया गया है।

लेखापरीक्षा के प्रमुख मामले

लेखापरीक्षा के प्रमुख मामले ऐसे मामले हैं जो हमारे व्यावसायिक निर्णय में वर्तमान अवधि के समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे। समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में इन मामलों पर समग्र रूप से तथा उन पर अपनी राय बनाने में ध्यान दिया गया है और हम इन मामलों पर अलग से राय प्रदान नहीं करते हैं। हमने हमारी रिपोर्ट में नीचे उल्लिखित मामलों को लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण मामलों के रूप में सूचित करने के लिए निर्धारित किया है:

क्र. सं.	लेखापरीक्षा के प्रमुख मामले	लेखापरीक्षक का प्रत्युत्तर
1.	**वित्तीय लिखतों की क्रेडिट क्षतिग्रस्तता - ऋण परिसंपत्तियां** धारक कंपनी बोर्ड द्वारा अनुमोदित एक पद्धति का अनुसरण करती है जिसमें क्रेडिट जोखिम और क्षतिग्रस्तता के साक्ष्य के स्तर के आधार पर परिसंपत्तियों को विभिन्न चरणों में वर्गीकृत करते हुए मानदंड/रूपरेखा के संबंध में जो कुछ दिशा-निर्देशों और प्रक्रियाओं के आधार पर क्षतिग्रस्तता के लिए छूट का आकलन एक बाह्य एजेंसी द्वारा किया जाता है। क्षतिग्रस्तता हानि के मापन में चूक की संभाव्यता (पीडी), हानि करने वाली चूक (एलजीडी) और चूक से जोखिम (ईएडी) का आकलन करने के लिए सांख्यिकीय मॉडल का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। ये मॉडल क्षतिग्रस्तता हानि के मापन के लिए मुख्य चालक हैं। प्रबंधन द्वारा क्षतिग्रस्तता छूट के आकलन के लिए बुनियुादी मुख्य संकेतकों का सतत आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र जिनमें हमने प्रबंधन के निर्णयों का वृहद स्तर अभिनिर्धारित किया है वे निम्नानुसार हैं: - क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि (एसआईसीआर) - कंपनी ने इंड एएस में परिभाषित संकेतक के आधार पर एसआईसीआर का वर्गीकरण किया है, चूक की संभाव्यताओं (पीडी), निश्चित चूक हानि (एलजीडी) का आकलन और व्यक्तिगत रूप से आंका गया चरण 3 वहन मूल्य - ऋणकर्ताओं को ऋणों और अग्रिमों का वहन मूल्य सारवान रूप से मिथ्या हो सकता है यदि व्यक्तिगत क्षतिग्रस्तता का अनुमान भावी नकदी प्रवाह और परिसंपत्ति मूल्यांकन के आधार पर उपयुक्त रूप से न लगाया हो। इन मामलों का प्रभाव यह है कि अपने जोखिम मूल्यांकन के अंग के रूप में हमने निर्धारित किया कि ईसीएल के मूल्य में अनुमान संबंधी उच्च स्तर की अनिश्चितता है। कुल परिसंपत्तियों के % के रूप में, एकल (स्टैंडअलोन) इंड एएस वित्तीय विवरणों में ऋण परिसंपत्तियों की राशि के महत्व को दृष्टिगत रखते हुए, हमारी लेखापरीक्षा में उन पर ऋण परिसंपत्तियों की क्षतिग्रस्तता को लेखापरीक्षा के प्रमुख मामले के रूप में माना गया है।	**हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में निम्नलिखित शामिल है:** • कंपनी ने ऋण परिसंपत्तियों के वहन मूल्य के आकलन के लिए स्वतंत्र विशेषज्ञ की सेवाएं ली हैं। हमने क्षतिग्रस्तता छूट के संबंध में कंपनी के आंतरिक दिशानिर्देशों और प्रक्रियाओं के साथ-साथ स्वतंत्र विशेषज्ञों के साथ साझा किए गए डाटा की संपूर्णता और परिशुद्धता सहित विविध विनियामक अद्यतन के साथ मानदंडों/ढांचे का सत्यापन किया है। • वसूलियों का सत्यापन मानक लेखापरीक्षा की प्रक्रियाओं को अपनाते हुए किया गया है। ऋण बकाया की पुष्टि की जाती है और ऋणकर्ताओं की गुणवत्ता का मूल्यांकन और परीक्षण मुख्य नियंत्रण मानदंडों के साथ किया गया है। • हमने ईसीएल मूल्यांकनों के अंतर्निहित पूर्वानुमानों और व्यापक कार्यप्रणाली की समीक्षा की है और अपने इनपुट साझा किए हैं। • तृतीय पक्षकार द्वारा किए गए क्षतिग्रस्तता छूट संबंधी अध्ययन में घटकों और गणनाओं की जांच की गई, प्रबंधन के साथ चर्चा की गई और हमें उन पर विश्वास है। हमने मान्य किए गए क्रेडिट क्षतिग्रस्तता प्रभार और प्रावधानों तथा स्वीकार्य और संतोषजनक संबंधित प्रकटनों पर विचार किया है।
2.	**डेरिवेटिव वित्तीय लिखतों का उचित मूल्यांकन** धारक कंपनी ने कंपनी के बोर्ड द्वारा अनुमोदित मुद्रा जोखिम प्रबंधन नीति के अनुसरण में इसके मुद्रा और ब्याज दर जोखिम को कम करने के लिए आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसरण में डेरिवेटिव संविदाएं की हैं। डेरिवेटिव संविदाओं को या तो एफवीटीपीएल पर या नकदी प्रवाह हेज (हेज लेखांकन) के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। एफवीटीपीएल पर वर्गीकृत डेरिवेटिव पर मार्क टू मार्केट अभिलाभ/हानि को लाभ और हानि में मान्य किया गया है तथा हेज लेखांकन के अंतर्गत वर्गीकृत डेरिवेटिव पर मार्क टू मार्केट अभिलाभ/हानि को अन्य व्यापक आय में मान्य किया गया है। हमने सारवान एक्सपोजर तथा इस तथ्य के कारण लेखापरीक्षा के प्रमुख मामले के रूप में डेरिवेटिव वित्तीय लिखतों के मूल्यांकन तथा हेज लेखांकन पर विचार किया है कि बैंकों को संविदा देकर इन आवश्यकताओं पूर्वानुमानों/आकलनों के अनुचित प्रयोग से आय विवरण पर सारवान प्रभाव पड़ सकता है।	**हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में निम्नलिखित शामिल हैं:** प्रबंधन की अवधारणा पर चर्चा करना और उन्हें समझना तथा कंपनी की जोखिम प्रबंधन संबंधी नीति का अध्ययन करना। इंड एएस 109 के अनुसार डेरिवेटिव के उचित मूल्य का सत्यापन। डेरिवेटिव लिखत के वर्गीकरण पर प्रमुख आंतरिक नियंत्रणों का मूल्यांकन करना। कंपनी समकक्ष बैंकों से डेरिवेटिव का उचित मूल्य प्राप्त करती है। हमारी प्रक्रिया में दिनांक 31.03.2020 तक की स्थिति के अनुसार विभिन्न वित्तीय डेरिवेटिव संविदाओं के संबंध में बकाया के ब्यौरों और उन पर उचित मूल्य का मूल्यांकन करना शामिल है। इसके अतिरिक्त, हमने लाभ और हानि लेखाओं में और नकदी प्रवाह हेज के अंतर्गत डेरिवेटिव संविदाओं के मामले मे अन्य व्यापक आय खाते में डेरिवेटिव संविदाओं के मार्क टू मार्केट आधार पर अभिलाभ या हानि के लेखांकन का सत्यापन किया है। हमने समकक्ष बैंकों से प्राप्त किए गए उचित मूल्य पर डेरिवेटिव संविदाओं के मापन में सारवान रूप से कोई मिथ्या तथ्य नहीं पाया है।
3.	**कोविड-19 के प्रकोप के परिप्रेक्ष्य में पूरी की गई वैकल्पिक लेखापरीक्षा प्रक्रिया** कोविड-19 महामारी के प्रकोप के परिणामस्वरूप दिनांक 25 मार्च, 2020 से आरंभ हुई अवधि के दौरान भारत सरकार/स्थानीय प्रशासन द्वारा लगाए गए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन तथा यात्रा प्रतिबंधों के कारण लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं प्रत्यक्ष रूप से कंपनी परिसर में संचालित नहीं की जा सकीं। सांविधिक लेखापरीक्षा का संचालन वैकल्पिक लेखापरीक्षा प्रक्रिया के रूप में अपेक्षित दस्तावेजों/सूचनाओं को इलेक्ट्रानिक माध्यम से उपलब्ध कराने के लिए की गई व्यवस्थाओं के जरिए किया गया। हमने ऐसी वैकल्पिक लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को लेखापरीक्षा के प्रमुख मामले के रूप में अभिनिर्धारित किया है।	वैकल्पिक लेखापरीक्षा प्रक्रिया के भाग के रूप में, कंपनी ने ई-मेल और कंपनी के रिमोट सिक्योर नेटवर्क के माध्यम से हमें निम्नलिखित जानकारी/विलेखों/दस्तावेज/स्पष्टीकरण उपलब्ध कराए: (क) ई-मेल या कंपनी के रिमोट सिक्योर नेटवर्क के माध्यम से आवश्यक अभिलेखों/दस्तावेजों करारों, प्रमाणपत्रों और अन्य संबंधित अभिलेखों की स्कैन की गई प्रतियां उपलब्ध कराई गईं; और (ख) वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पूछताछ, फोन, ई-मेल और इसी प्रकार के अन्य संचार माध्यमों पर बातचीत और चर्चा। प्रबंधन द्वारा यह भी उल्लिखित किया गया कि हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध कराया गए आंकड़े और जानकारी सही, संपूर्ण, विश्वसनीय है और इसे किसी हस्तलिखित संशोधनों के बिना सीधे कंपनी की लेखांकन प्रणाली से सृजित किया गया है, फाइलों और अभिलेखों से निकाला गया है ताकि इसकी सत्यनिष्ठा, अधिप्रमाणिकता, पठनीयता और संपूर्णता को बनाए रखा जाए। इसके अतिरिक्त, विभिन्न आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्टों/निरीक्षण रिपोर्टों पर हमारी समीक्षा के आधार पर, हमारी जानकारी में ऐसा कोई तथ्य नहीं आया है कि जिससे हमें यह मानना पड़े कि ऐसी वैकल्पिक लेखापरीक्षा प्रक्रिया पर्याप्त नहीं होगी।

समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों के अलावा अन्य जानकारी और उस पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

धारक कंपनी का निदेशक मंडल अन्य जानकारी तैयार करने के लिए जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में बोर्ड की रिपोर्ट में शामिल की गई जानकारी सहित बोर्ड की रिपोर्ट के अनुलग्नक, प्रबंधन की चर्चा और विश्लेषण, व्यावसायिक जवाबदेही रिपोर्ट और निगमित शासन पर रिपोर्ट शामिल होती है, किंतु इसमें समेकित इंड एएस वित्तीय विवरण और उन पर हमारे लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट शामिल नहीं है। उपरोक्त संदर्भित जानकारी हमें इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तारीख के बाद उपलब्ध कराई जानी अपेक्षित है।

समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों पर हमारी राय में अन्य जानकारी को शामिल नहीं किया जाता है और हम इस पर किसी प्रकार का कोई निष्कर्षात्मक आश्वासन व्यक्त नहीं करते हैं।

समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों के हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी यह है कि उपरोक्त अभिनिर्धारित अन्य जानकारी हमें उपलब्ध हो जाने पर उसे पढ़ा जाए और उसे पढ़ते समय यह विचार किया जाए कि क्या अन्य जानकारी समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों सारवान रूप से असंगत है अथवा लेखापरीक्षा या अन्यथा में प्राप्त हमारा ज्ञान सारवान रूप से मिथ्या प्रतीत होता है। यदि, हम हमारे द्वारा निष्पादित किए गए कार्य के आधार पर, इस निष्कर्ष पर आते हैं कि इस अन्य जानकारी की विषय-वस्तु मिथ्या है, तो हमारे द्वारा उस तथ्य की रिपोर्ट किया जाना आवश्यक है।

जब हम अन्य जानकारी को पढ़ते हैं और यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इसमें कोई विषय-वस्तु मिथ्या है, तो हमारे द्वारा इस मामले को उन अधिकारियों, जिन्हें इसके शासन का दायित्व सौंपा गया है, को संसूचित किया जाना तथा परिस्थितियों और लागू कानूनों एवं विनियमों के अनुसार अपेक्षित होने पर उचित कार्रवाई किया जाना आवश्यक है।

प्रबंधन और समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों के शासन का दायित्व संभालने वाले अधिकारियों की जिम्मेदारियां

कंपनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') की आवश्यकताओं के अनुसार धारक कंपनी का निदेशक मंडल यथा संशोधित कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली, 2015 (इंड एएस) के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 में वर्णित लेखांकन मानकों सहित भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन मानकों के अनुसरण में इन समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए उत्तरदायी है, जो इसकी सहयोगी कंपनियों एवं संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं सहित समूह की समेकित वित्तीय स्थिति, समेकित वित्तीय निष्पादन और समेकित नकदी प्रवाह की सही और निष्पक्ष तस्वीर प्रस्तुत करता है। समूह में शामिल कंपनियों और इसकी सहयोगी कंपनियों एवं संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं का संबंधित निदेशक मंडल अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार समूह की परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं का निवारण करने एवं पता लगाने के लिए समुचित लेखांकन रिकॉर्ड रखने के लिए जिम्मेदार हैं। इन जिम्मेदारियों में समुचित लेखांकन नीतियों का चयन करना और उन्हें लागू करना, युक्तिसंगत एवं विवेकपूर्ण निर्णय करना और अनुमान लगाना तथा ऐसी आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली का डिजाइन तैयार करना, उसे लागू करना और बनाए रखना भी शामिल है, जिसका इस्तेमाल उपरोक्त अनुसार धारक कंपनी के निदेशकों द्वारा, समेकित इंड एएस विवरण तैयार करने में लेखा रिकॉर्डों की परिशुद्धता एवं पूर्णता सुनिश्चित करने तथा ऐसे वित्तीय ब्यौरे तैयार करने के लिए उन्हें कारगर ढंग से परिचालित करने में किया जा सके, जो धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण होने वाली किसी वृहद मिथ्या वर्णन से मुक्त और स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करते हों।

समेकित इंड एएस वित्तीय विवरण तैयार करने में, समूह में शामिल कंपनियों तथा इसकी सहयोगी कंपनियों एवं संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्था के संबंधित निदेशक मंडल सुनाम प्रतिष्ठान के रूप में जारी रखने, यथा लागू प्रकटन करने, सुनाम प्रतिष्ठान और लेखांकन के चालू प्रतिष्ठान आधार का प्रयोग करने से संबंधित मामलों के लिए समूह तथा इसकी सहयोगी कंपनियों एवं संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्था के सामर्थ्य का मूल्यांकन करने के लिए जिम्मेदार है, जब तक कि प्रबंधन अन्यथा समूह को बंद करने या प्रचालनों को बंद करने का इरादा नहीं रखता है या ऐसा करने के अलावा कोई वास्तविक विकल्प नहीं है।

समूह में शामिल कंपनियों तथा इसकी सहयोगी कंपनियों एवं संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्था का संबंधित निदेशक मंडल समूह तथा इसकी सहयोगी कंपनियों एवं संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्था की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया के पर्यवेक्षण के लिए जिम्मेदार है।

समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के संबंध में लेखापरीक्षक की जिम्मेदारियां

हमारा उद्देश्य इस बारे में तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या कुल मिलाकर समेकित इंड एएस वित्तीय विवरण, क्या धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण, सारवान मिथ्या वर्णन से मुक्त हैं और लेखापरीक्षक की ऐसी रिपोर्ट जारी करना है जिसमें हमारी राय शामिल है। तर्कसंगत आश्वासन, उच्च स्तर का आश्वासन है, परंतु यह इस बात की गारंटी नहीं है कि एसए के अनुसरण में संचालित लेखापरीक्षा हमेशा किसी सारवान मिथ्या वर्णन, जब भी यह मौजूदा होगा, का पता लगाएगी। मिथ्या वर्णन धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकता है तथा तब सारवान माना जाता है जब व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से उनसे तर्कसंगत रूप से इन समेकित विवरणों के आधार पर प्रयोक्ता द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की संभावना हो सकती है।

एसए के अनुसरण में लेखापरीक्षा के भाग के रूप में हम पूरी लेखापरीक्षा के दौरान व्यावसायिक निर्णय का प्रयोग करते हैं और व्यावसायिक संशयवाद का पालन करते हैं। हम:

- समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों के सारवान मिथ्या वर्णन के जोखिमों की पहचान करते हैं एवं इस बात का मूल्यांकन करते हैं कि क्या धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण डिजाइन तथा लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं इन जोखिमों के लिए जिम्मेदार हैं और लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करते हैं जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त एवं उपयुक्त है। धोखाधड़ी से उत्पन्न किसी सारवान मिथ्या वर्णन का पता न लगाने का जोखिम त्रुटि से उत्पन्न जोखिम से बड़ा है क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, इरादतन भूल, गलत प्रस्तुति या आंतरिक नियंत्रण का उल्लंघन शामिल हो सकता है।

- परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्तता लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं तैयार करने के उद्देश्य से लेखापरीक्षा से संगत आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करते हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(3)(i) के अंतर्गत हम इस बारे में अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या समूह, इसकी सहयोगी कंपनियों और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय प्रणाली मौजूद है और ऐसे नियंत्रणों को कारगर ढंग से प्रचालित किया जा रहा है।

- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता तथा प्रबंधन द्वारा व्यक्त किए गए लेखांकन के अनुमानों एवं संबद्ध प्रकटीकरण की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करते हैं।

- लेखांकन के सुनाम प्रतिष्ठान आधार के प्रबंधन के प्रयोग की उपयुक्तता तथा प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं कि क्या घटनाओं या परिस्थितियों से संबंधित कोई सारवान अनिश्चितता मौजूद है जिससे सुनाम प्रतिष्ठान के रूप में जारी रखने के लिए समूह तथा इसकी सहयोगी कंपनियों एवं संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं के सामर्थ्य पर सारवान संदेह उत्पन्न हो सकता है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई सारवान अनिश्चितता मौजूद है, तो समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों में संबद्ध प्रकटीकरण पर हमें अपनी लेखापरीक्षक रिपोर्ट में ध्यान आकृष्ट करना होता है अथवा यदि

ऐसा प्रकटीकरण पर्याप्त नहीं होता है, तो हमें अपनी राय में संशोधन करना होता है। हमारे निष्कर्ष हमारी लेखापरीक्षक रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। तथापि, भावी घटनाओं या परिस्थितियों के कारण समूह तथा इसकी सहयोगी कंपनियों एवं संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्था का सुनाम प्रतिष्ठान के रूप में काम करना बंद हो सकता है।

- प्रकटीकरण सहित समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना एवं विषय वस्तु का मूल्यांकन करते हैं और यह भी मूल्यांकन करते हैं कि क्या समेकित इंड एएस वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेन-देन एवं घटनाओं को ऐसे ढंग से दर्शाते हैं जिससे उचित प्रस्तुति प्राप्त होती है।
- समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए समूह तथा इसकी सहयोगी कंपनियों एवं संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्था के अंदर संस्थाओं या व्यावसायिक गतिविधियों की वित्तीय सूचना के संबंध में पर्याप्त एवं उपयुक्त लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करते हैं। हम समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों में शामिल ऐसी संस्थाओं के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के मार्गदर्शन, पर्यवेक्षण एवं निष्पादन के लिए जिम्मेदार हैं जिनके हम स्वतंत्र लेखापरीक्षक हैं। समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों में शामिल अन्य संस्थाओं के लिए, जिनकी लेखापरीक्षा अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा की गई है, ऐसे अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा की गई लेखापरीक्षाओं के मार्ग-दर्शन, पर्यवेक्षण एवं निष्पादन के लिए वे जिम्मेदार बने रहेंगे। हम केवल लेखापरीक्षा पर अपनी राय के लिए जिम्मेदार बने रहेंगे।

हम धारक कंपनी के शासन की जिम्मेदारी संभालने वाले अधिकारियों के साथ अन्य बातों के अलावा लेखापरीक्षा के नियोजित कार्य क्षेत्र एवं समय तथा आंतरिक नियंत्रण में कोई महत्वपूर्ण कमी जिसकी हम अपने लेखापरीक्षा के दौरान पहचान करते हैं, सहित लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण निष्कर्षों के संबंध में संप्रेषित करते हैं।

हम शासन की जिम्मेदारी संभालने वाले अधिकारियों को यह विवरण भी प्रदान करते हैं कि हमने स्वतंत्रता और उनके साथ सभी संबंधों एवं अन्य मामलों और जहां लागू है, संबंधित सुरक्षोपायों के बारे में संसूचित करने के संबंध में नैतिकता की संगत आवश्यकताओं का पालन किया है, जिनके बारे में तर्कसंगत रूप से विचार किया जा सकता है कि उनका हमारी स्वतंत्रता से सरोकार है।

शासन की जिम्मेदारी संभालने वाले अधिकारियों के साथ संप्रेषित मामलों से हम ऐसे मामलों का निर्धारण करते हैं जो वर्तमान अवधि के समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे और इसलिए लेखापरीक्षा के प्रमुख मामले हैं। हम अपनी लेखापरीक्षक रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं, जब तक कि कानून या विनियम मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण पर रोक न लगाए या जब अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में हम निर्धारण करते हैं कि हमारी रिपोर्ट में कोई मामला संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के प्रतिकूल परिणामों से तर्कसंगत रूप से ऐसे सम्प्रेषण के जनहित में लाभों पर महत्वपूर्ण साबित होने की उम्मीद होगी।

अन्य मामले

1. हमने एक सहायक कंपनी के इंड एएस वित्तीय विवरणों/वित्तीय सूचना की लेखापरीक्षा नहीं की है, जिसकी इंड एएस वित्तीय सूचना/वित्तीय विवरणों में 31 मार्च, 2020 को ₹3,47,030.08 करोड़ की कुल परिसंपत्तियां, ₹30,007.05 करोड़ का कुल राजस्व और उक्त तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए ₹1,335.72 करोड़ का निवल नकदी प्रवाह दर्शाया गया है, जिस पर समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों में विचार किया गया है। समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों में दो सहयोगी कंपनियों जिनके इंड एएस वित्तीय विवरणों/वित्तीय सूचना की हमारे द्वारा लेखापरीक्षा नहीं की गई है, के संबंध में समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों में 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए शून्य का निवल लाभ का समूह का शेयर भी शामिल है। इन इंड एस वित्तीय विवरणों/वित्तीय सूचना की लेखापरीक्षा अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा की गई है, जिनकी रिपोर्ट प्रबंधन ने हमें सौंपी है और समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों के बारे में हमारी राय, जहां तक इन सहायक कंपनियों और सहयोगी कंपनियों के संदर्भ में राशियों और प्रकटीकरणों से संबंधित है, तथा अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (3) और (11) के अंतर्गत उक्त सहायक कंपनियों और सहयोगी कंपनियों के संबंध में हमारी रिपोर्ट जहां तक यह उक्त सहायक कंपनियों से संबंधित है, पूरी तरह अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों पर आधारित है।

2. हमने दो सहायक कंपनियों के इंड एएस वित्तीय विवरणों/वित्तीय सूचना की लेखापरीक्षा नहीं की है, जिनके इंड एस वित्तीय सूचना/वित्तीय विवरणों में 31 मार्च, 2020 को ₹92.07 करोड़ की कुल परिसंपत्तियां, ₹118.07 करोड़ का कुल राजस्व और उक्त तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए (₹29.57) करोड़ का निवल नकदी प्रवाह दर्शाया गया है, जिस पर समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों में विचार किया गया है। समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों में एक संयुक्त नियंत्रणाधीन संस्था और 13 सहयोगी कंपनियों, जिनके इंड एएस वित्तीय विवरणों/वित्तीय सूचना की हमारे द्वारा लेखापरीक्षा नहीं की गई है, के संबंध में समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों में 31 मार्च, 2020 को समाप्त तिमाही और वर्ष के लिए ₹3.45 करोड़ और ₹21.43 करोड़ का निवल लाभ का समूह का शेयर भी शामिल है।

3. इन इंड एस वित्तीय विवरणों/वित्तीय सूचना की लेखापरीक्षा हमारे द्वारा नहीं की गई है, जिनकी रिपोर्ट प्रबंधन ने हमें सौंपी है तथा अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (3) और (11) के अंतर्गत हमारी रिपोर्ट जहां तक यह उक्त सहायक कंपनियों, सहयोगी कंपनियों और संयुक्त नियंत्रणाधीन कंपनियों से संबंधित है, पूरी तरह से ऐसे लेखापरीक्षित न किए गए इंड एएस वित्तीय विवरणों/वित्तीय सूचनाओं पर आधारित है। हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर, ये इंड एएस वित्तीय विवरण/वित्तीय सूचनाएं समूह के संबंध में सारवान नहीं हैं।

4. समूह ने धारक कंपनी और इसकी सहायक कंपनियों द्वारा नियुक्त की गई स्वतंत्र विशेषज्ञ एजेंसियों द्वारा उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों के आधार पर इंड एएस 109 के अंतर्गत यथाअपेक्षित ऋण परिसंपत्तियों और संवितरित न किए गए स्वीकृति पत्रों के संबंध में अनुमानित क्रेडिट हानि को मान्य किया है। चूंकि गणना के लिए प्रयुक्त मानदंडों के लिए कतिपय तकनीकी और व्यावसायिक विशेषज्ञता अपेक्षित है, हम और सहायक कंपनियों को लेखापरीक्षक ने उक्त स्वतंत्र विशेषज्ञ एजेंसियों द्वारा उपलब्ध कराई गई अपेक्षित क्रेडिट हानि गणना पर विश्वास किया है।

5. 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के एकल (स्टैंडअलोन) इंड एएस वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा कंपनी के तत्कालीन संयुक्त लेखापरीक्षकों द्वारा की गई थी जिनमें से एक पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा संस्था है और इन एंड एएस वित्तीय विवरणों पर दिनांक 29 मई, 2019 को एक असंशोधित राय व्यक्त की है।

समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों के बारे में हमारी राय और अन्य कानूनी एवं नियामक अपेक्षाओं के बारे में नीचे दी गई हमारी रिपोर्ट उपर्युक्त मामलों के संदर्भ में, जहां तक विशेषज्ञ एजेंसी द्वारा किए गए कार्य, अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों तथा प्रबंधन द्वारा प्रमाणित किए गए वित्तीय विवरणों/वित्तीय सूचना पर हमारी निर्भरता का प्रश्न है, संशोधित नहीं है।

अन्य विधिक और नियामक अपेक्षाओं के बारे में रिपोर्ट

1. जैसा कि अधिनियम की धारा 143(3) द्वारा अपेक्षित है, हम लागू सीमा तक रिपोर्ट करते हैं कि:

(क) हमने ऐसी समस्त जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं, जो हमारे पूर्ण ज्ञान और विश्वास के अनुसार उक्त समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिए अनिवार्य थे।

(ख) हमारी राय में, इन बहियों की हमारी लेखापरीक्षा और अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा दी गई रिपोर्टों से प्रतीत होता है कि कंपनी ने उक्त समेकित इंड एएस वित्तीय विवरण तैयार करने के संबंध में कानूनी रूप से अपेक्षित समुचित लेखा बहियों का अनुरक्षण किया गया है।

(ग) इस रिपोर्ट में वर्णित समेकित तुलन-पत्र, समेकित लाभ एवं हानि विवरण, इक्विटी में परिवर्तन का समेकित विवरण और समेकित नकदी प्रवाह विवरण, समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों को तैयार करने के प्रयोजनार्थ रखी गई संगत लेखा बहियों के अनुरूप हैं।

(घ) हमारी राय में, उपर्युक्त समेकित इंड एएस वित्तीय विवरण कंपनी (लेखा नियम), 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 में निर्दिष्ट लेखांकन मानकों का पालन करते हैं।

(ङ) कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 463(ङ) दिनांक 05.06.2015 के अनुसार, अधिनियम की धारा 164 की उप-धारा 2 के प्रावधान समूह एवं इसकी सहयोगी कंपनियों तथा संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्था पर लागू नहीं हैं क्योंकि ये सरकारी कंपनियां हैं।

(च) समूह की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता तथा ऐसे नियंत्रणों के प्रचालन की कारगरता के संबंध में **अनुलग्नक-क** में हमारी अलग रिपोर्ट देखें।

(छ) कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियमावली, 2014 के नियम 11 के अनुसरण में लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संदर्भ में, हमारी राय में और हमारी पूर्ण जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार:

(i) समेकित इंड एएस वित्तीय विवरण समूह, इसकी सहयोगी कंपनियों तथा संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्था की समेकित वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव का प्रकटीकरण करते हैं - समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 49 देखें;

(ii) डेरिवेटिव संविदाओं सहित दीर्घावधि की संविदाओं पर समूह, इसकी सहयोगी कंपनियों तथा संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्था की कोई सारवान पूर्वाभासी क्षति नहीं थी;

(iii) नियंत्रक कंपनी तथा इसकी सहयोगी कंपनियों, सहायक कंपनियों एवं भारत में निगमित संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि में अंतरित करने के लिए अपेक्षित राशि के अंतरण में कोई विलंब नहीं हुआ है।

कृते **गांधी मिनोचा एंड कंपनी** चार्टर्ड एकाउंटेंट्स फर्म पंजीकरण संख्या: 000458N	कृते **दास गुप्ता एंड एसोसिएट** चार्टर्ड एकाउंटेंट्स फर्म पंजीकरण संख्या: 000112N
हस्ता/- **(सीए मनोज भारद्वाज)** भागीदार सदस्यता संख्या: 098606 यूडीआईएन: 20098606AAAABW4034	**हस्ता/-** **(सीए अशोक कुमार जैन)** भागीदार सदस्यता संख्या: 090563 यूडीआईएन: 20090563AAAAAN2328

दिनांक: 24.06.2020
स्थान: नई दिल्ली

समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर स्वतंत्र लेखापरीक्षक रिपोर्ट का अनुलग्नक-क

(31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों पर पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सदस्यों के लिए हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के 'अन्य विधिक एवं विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' शीर्षक के अंतर्गत पैरा 1(च) देखें)

कंपनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड के (i) के अंतर्गत समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के बारे में रिपोर्ट

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (इसमें इसके बाद धारक कंपनी कहा गया है) के समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों की अपनी लेखापरीक्षा के संयोग में, हमने उक्त तारीख को धारक कंपनी, इसकी सहायक कंपनियों, इसकी सहयोगी कंपनियों और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्था जो भारत में निगमित कंपनियां हैं, के समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के संबंध में प्रबंधन की जिम्मेदारी

धारक कंपनी, इसकी सहायक कंपनियों, इसकी सहयोगी कंपनियों और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्था का संबंधित निदेशक मंडल, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के बारे में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ('आईसीएआईफ') द्वारा जारी की गई मार्गदर्शी टिप्पणी के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए धारक कंपनी, इसकी सहायक कंपनियों, इसकी सहयोगी कंपनियों और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्था, जो भारत में निगमित कंपनियां हैं, द्वारा स्थापित किए गए वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की स्थापना करने और उसे बनाए रखने के प्रति जिम्मेदार है। इन जिम्मेदारियों में वित्तीय विवरणों के संदर्भ में ऐसे समुचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को तैयार करना, उनका कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है, जो इसके व्यवसाय का सुचारु और सक्षम संचालन सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से लागू किए। इनमें संबद्ध कंपनियों की नीतियों का अनुसरण, उसकी परिसंपत्तियों का संरक्षण, धोखाधडी और त्रुटियों की रोकथाम और अनुवेदन, लेखांकन के रिकॉर्डों की परिशुद्धता और पूर्णता तथा कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत अपेक्षित विश्वसनीय वित्तीय सूचना समय पर तैयार करना भी शामिल है।

लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर धारक कंपनी, इसकी सहायक कंपनियों, इसकी सहयोगी कंपनियों और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्था के समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर राय व्यक्त करने की है। इन वित्तीय विवरणों पर हमने अपनी लेखापरीक्षा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के बारे में जारी और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप-धारा 10 के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के लिए प्रयोज्य सीमा तक निर्धारित समझे गए, 'मार्गदर्शी टिप्पणी' (मार्गदर्शी टिप्पणी) और लेखांकन मानकों के अनुसार की है। इन मानकों एवं मार्गदर्शन टिप्पणियों के अंतर्गत यह अपेक्षित है कि हम नैतिकता की आवश्यकताओं का पालन करें तथा लेखापरीक्षा की योजना इस तरह बनाएं और इस तरह लेखापरीक्षा करें जिससे इस बात का युक्तिसंगत आश्वासन मिले कि क्या वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय विवरण स्थापित एवं अनुरक्षित हैं और क्या ऐसे नियंत्रण सभी सारवान मामलों में प्रभावी ढंग से काम कर रहे हैं।

हमारी लेखापरीक्षा में समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली और उनकी प्रचालनात्मक कारगरता के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रिया का निष्पादन करना शामिल है। आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की हमारी लेखापरीक्षा में समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, जोखिम, कि कोई सारवान कमजोरी मौजूद है, का आकलन करना और आकलित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण की डिजाइन एवं प्रचालन कारगरता का परीक्षण एवं मूल्यांकन करना शामिल था। चुनी गई प्रक्रियाएं धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण वित्तीय विवरणों की महत्वपूर्ण गलत बयान के जोखिमों का मूल्यांकन सहित लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं।

हमारा यह विश्वास है कि हमें लेखापरीक्षा संबंधी जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और अन्य लेखापरीक्षकों को नीचे अन्य मामले संबंधी पैराग्राफ में वर्णित उनकी रिपोर्टों के संदर्भ में जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, वे समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर हमारी लेखापरीक्षा संबंधी राय को आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित हैं।

समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अर्थ

इंड एएस वित्तीय विवरणों के संदर्भ में किसी कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली एक ऐसी प्रक्रिया है, जो वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के बारे में युक्तिसंगत आश्वासन प्रदान करने और आमतौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसरण में बाहरी प्रयोजनों के लिए वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए डिजाइन की जाती है। वित्तीय विवरणों के संदर्भ में किसी कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो (1) ऐसे रिकॉर्ड रखने से सबंधित हों, जो कंपनी की परिसंपत्तियों के लेन-देन और उनकी स्थिति को युक्तिसंगत, सही सही और निष्पक्ष रूप से दर्शाती हों; (2) इस आशय का युक्तिसंगत आश्वासन प्रदान करती हों कि उनके लेन-देन का रिकॉर्ड आमतौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी की अनुमति की अपेक्षा के अनुसार रखा गया है और यह कि कंपनी की प्राप्तियां और व्यय कंपनी के प्रबंधन तथा निदेशकों के प्राधिकारों के अनुसार किए जा रहे हैं; और (3) कंपनी की परिसंपत्तियों के ऐसे अनधिकृत अर्जन, इस्तेमाल या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के बारे में उपयुक्त आश्वासन प्रदान किया जा सके, जिनका वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने वाला हो।

समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाएं

नियंत्रणों की अभिसंधि या प्रबंधन द्वारा अनुचित उल्लंघन होने की आशंका सहित समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं की वजह से त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण सारवान मिथ्या वर्णन हो सकता है और उनका पता नहीं चल सकता है। इसके अतिरिक्त, भावी अवधियों से संबंधित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी मूल्यांकन के निष्कर्ष इस जोखिम के अधीन होते हैं कि स्थितियों में परिवर्तन के कारण इंड एएस वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो सकते हैं अथवा यह कि नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन का स्तर खराब हो सकता है।

राय

हमारी राय में, धारक कंपनी, इसकी सहायक कंपनियों, इसकी सहयोगी कंपनियों तथा संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्था, जो भारत में निगमित कंपनियां है, में सभी सारवान दृष्टि से इंड एएस वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण

प्रणाली है तथा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा पर जारी किए गए मार्गदर्शी नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों को ध्यान में रखते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग के मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार इंड एएस वित्तीय विवरणों के संदर्भ में ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे।

अन्य मामले

अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा 3(i) के अंतर्गत एक सहायक कंपनी एवं दो एसोसिएट कंपनियों पर लागू समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों के संदर्भ के साथ आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर हमारी उक्त रिपोर्ट भारत में निगमित ऐसी कंपनियों के लेखापरीक्षकों की समरूपी रिपोर्टों पर आधारित है और दो सहायक कंपनी, 13 एसोसिएट्स एवं एक संयुक्त नियंत्रित एंटिटी के संबंध में, ऐसी संस्था की आईएफसी रिपोर्ट के अभाव में हम नियंत्रक कंपनी के प्रबंधन द्वारा प्रदान किए गए स्पष्टीकरण पर निर्भर रहे हैं। हमारी राय में, समूह और इसकी सहयोगी कंपनियों एवं इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्था के समेकित इंड एएस वित्तीय विवरण के लिए इसको सारवान नहीं समझा गया है।

कृते **गांधी मिनोचा एंड कंपनी**
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या: 000458N

हस्ता/-
(सीए मनोज भारद्वाज)
भागीदार
सदस्यता संख्या: 098606
यूडीआईएन: 20098606AAAABW4034

कृते **दास गुप्ता एंड एसोसिएट**
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या: 000112N

हस्ता/-
(सीए अशोक कुमार जैन)
भागीदार
सदस्यता संख्या: 090563
यूडीआईएन: 20090563AAAAAN2328

दिनांक: 24.06.2020
स्थान: नई दिल्ली

समेकित वित्तीय विवरणों पर नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 129 (4) के साथ पठित धारा 143 (6) (ख) के अंतर्गत

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग रूपरेखा के अनुसरण में 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड का समेकित वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 129 (4) के साथ पठित धारा 139 (5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक अधिनियम की धारा 143 (10) के अंतर्गत निर्धारित लेखापरीक्षा मानकों के अनुसरण में स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 129 (4) के साथ पठित धारा 143 के अंतर्गत वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार हैं। उल्लेख किया गया है कि उन्होंने अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट दिनांक 24 जून, 2020 के माध्यम से ऐसा किया है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से मैंने अधिनियम की धारा 129 (4) के साथ पठित धारा 143 (6) (क) के अंतर्गत 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की पूरक लेखापरीक्षा की है। हमने उक्त तारीख को समाप्त वर्ष के लिए पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड और आरईसी लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की पूरक लेखापरीक्षा की परंतु अनुलग्नक-1 में सूचीबद्ध सहायक कंपनियों, सहयोगी कंपनियों एवं संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं की पूरक लेखापरीक्षा नहीं की। यह पूरक लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षक के कार्यकारी कागजात तक पहुंच के बगैर स्वतंत्र रूप से की गई है तथा प्राथमिक रूप से सांविधिक लेखापरीक्षक एवं कंपनी के कार्मिकों से पूछताछ और कुछ लेखांकन रिकॉर्डों की वरणात्मक जांच तक सीमित है।

मेरी पूरक लेखापरीक्षा के आधार पर, मेरी जानकारी में ऐसा कुछ महत्वपूर्ण निकलकर नहीं आया है जिससे अधिनियम की धारा 143 (6) (ख) के अंतर्गत सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी की जा सके या उसमें कुछ जोड़ा जा सके।

कृते एवं भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से

हस्ता/-
(डी. के. सेकर)
लेखापरीक्षा महानिदेशक (ऊर्जा),
नई दिल्ली

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 13 अगस्त, 2020

अनुलग्नक – I

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ऐसी सहायक कंपनियों, सहयोगी कंपनियों एवं संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं की सूची जिनके वित्तीय विवरणों की भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा नहीं की गई

(क) सहायक कंपनियां:

1. पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड
2. पावर इक्विटी कैपिटल एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड

(ख) संयुक्त उद्यम

3. एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसिज लिमिटेड

(ग) सहयोगी कंपनियां

4. कोस्टल महाराष्ट्र मेगा पावर लिमिटेड
5. ओड़िसा इंटीग्रेटिड पावर लिमिटेड
6. कोस्टल कर्नाटक पावर लिमिटेड
7. कोस्टल तमिलनाडु पावर लिमिटेड
8. छत्तीसगढ़ सरगुजा पावर लिमिटेड
9. सखीगोपाल इंटीग्रेटिड पावर कंपनी लिमिटेड
10. घोगरपल्ली इंटीग्रेटिड पावर कंपनी लिमिटेड
11. तातिया आंध्रा मेगा पावर लिमिटेड
12. देवघर मेगा पावर लिमिटेड
13. चेय्यूर इंफ्रा लिमिटेड
14. ओडिशा इंफ्रापावर लिमिटेड
15. देवघर इंफ्रा लिमिटेड
16. बिहार इंफ्रापावर लिमिटेड
17. बिहार मेगा पावर लिमिटेड
18. झारखंड इंफ्रापावर लिमिटेड

समेकित तुलन-पत्र

31 मार्च, 2020 तक की स्थिति के अनुसार

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	टिप्पणी संख्या	दिनांक 31.03.2020 तक की स्थिति के अनुसार	दिनांक 31.03.2019 तक की स्थिति के अनुसार
	परिसंपत्तियां			
1.	**वित्तीय परिसंपत्तियां**			
	(क) नकदी और नकदी समतुल्य	8	1,905.21	726.64
	(ख) नकदी और नकदी समतुल्य को छोड़कर अन्य बैंक शेष	9	2,282.96	15,650.40
	(ग) डेरिवेटिव वित्तीय लिखत	10	5,182.27	2,370.56
	(घ) व्यापार की प्राप्य राशियां	11	137.31	172.13
	(ङ) ऋण	12	6,46,196.11	5,73,661.28
	(च) निवेश (इक्विटी पद्धति का उपयोग करते हुए किए गए निवेश को छोड़कर)	13A	3,853.72	4,122.38
	(छ) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	14	27,462.12	23,712.97
	कुल वित्तीय परिसंपत्तियां (1)		**6,87,019.70**	**6,20,416.36**
2.	**गैर-वित्तीय परिसंपत्तियां**			
	(क) मौजूदा कर परिसंपत्तियां (निवल)	15	1,138.33	800.94
	(ख) आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)	44	5,005.31	6,369.74
	(ग) निवेश संपत्ति	16	0.01	0.01
	(घ) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	17	186.79	186.45
	(ङ) प्रगति पर पूंजी कार्य	17	287.62	196.94
	(च) विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां	17	0.77	1.59
	(छ) अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां	17	9.23	9.18
	(ज) राइट ऑफ यूज परिसंपत्तियां	18	42.07	-
	(झ) अन्य गैर-वित्तीय परिसंपत्तियां	19	263.94	393.50
	(ञ) इक्विटी पद्धति का उपयोग करते हुए किए गए निवेश	13B	549.90	481.35
	कुल गैर-वित्तीय परिसंपत्तियां (2)		**7,483.97**	**8,439.70**
3.	**बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत परिसंपत्तियां**	20	16.98	12.66
	कुल परिसंपत्तियां (1+2+3)		**6,94,520.65**	**6,28,868.72**
	देयताएं और इक्विटी			
	देयताएं			
1.	**वित्तीय देयताएं**			
	(क) डेरिवेटिव वित्तीय लिखत	10	1,925.55	664.99
	(ख) देय व्यापार	21		
	(i) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम को देय कुल बकाया		0.15	2.65
	(ii) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के अलावा क्रेडिटर्स को देय कुल बकाया		53.07	72.26
	(ग) ऋण प्रतिभूतियां	22	4,41,765.90	3,98,352.00
	(घ) ऋण (ऋण प्रतिभूतियों के अलावा)	23	1,40,666.72	1,27,007.23
	(ङ) सबॉर्डिनेटिड देयताएं	24	14,130.60	14,128.46
	(च) अन्य वित्तीय देयताएं	25	29,177.04	24,574.28
	कुल वित्तीय देयताएं (1)		**6,27,719.03**	**5,64,801.87**
2.	**गैर-वित्तीय देयताएं**			
	((क) मौजूदा कर देयताएं (निवल)	15	67.40	5.74
	(ख) प्रावधान	26	374.32	366.81
	(ग) अन्य गैर-वित्तीय देयताएं	27	193.85	209.95
	कुल गैर-वित्तीय देयताएं (2)		**635.57**	**582.50**
3.	**बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत परिसंपत्तियों से प्रत्यक्ष रूप से संबद्ध देयताएं**	20	0.68	0.08
	कुल देयताएं (1+2+3)		**6,28,355.28**	**5,65,384.45**

समेकित तुलन-पत्र

31 मार्च, 2020 तक की स्थिति के अनुसार

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	टिप्पणी संख्या	दिनांक 31.03.2020 तक की स्थिति के अनुसार	दिनांक 31.03.2019 तक की स्थिति के अनुसार
4.	**इक्विटी**			
	(क) इक्विटी शेयर पूंजी	28	2,640.08	2,640.08
	(ख) अन्य इक्विटी	29	46,759.72	44,481.17
	कंपनी के स्वामियों को आरोप्य इक्विटी (क+ख)		**49,399.80**	**47,121.25**
	(ग) गैर-नियंत्रक ब्याज	30	16,765.57	16,363.02
	कुल इक्विटी (4)		**66,165.37**	**63,484.27**
	कुल देयताएं एवं इक्विटी (1+2+3+4)		**6,94,520.65**	**6,28,868.72**

इसमें संलग्न टिप्पणियां समेकित वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

हस्ता/-
(मनोहर बलवानी)
कंपनी सचिव

हस्ता/-
(एन. बी. गुप्ता)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन: 00530741

हस्ता/-
(आर. एस. ढिल्लों)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 00278074

हमारी संलग्न समसंख्यक तारीख की रिपोर्ट के संदर्भ में हस्ताक्षरित

कृते गांधी मिनोचा एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या: 000458N

हस्ता/-
(सीए मनोज भारद्वाज)
भागीदार
सदस्यता संख्या: 098606

कृते दास गुप्ता एंड एसोसिएट
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या: 000112N

हस्ता/-
(सीए अशोक कुमार जैन)
भागीदार
सदस्यता संख्या: 090563

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 24.06.2020

समेकित लाभ और हानि विवरण

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	टिप्पणी संख्या	दिनांक 31.03.2020 को समाप्त वर्ष	दिनांक 31.03.2019 को समाप्त वर्ष
	प्रचालनों से राजस्व			
	(i) ब्याजगत आय	31	61,628.35	53,427.41
	(ii) लाभांश आय	46	105.65	76.63
	(iii) शुल्क और कमीशन आय	32	161.91	374.11
	(iv) अन्य प्रचालन आय	34	293.53	227.50
I.	**प्रचालनों से कुल राजस्व**		**62,189.44**	**54,105.65**
II.	अन्य आय	35	85.92	51.18
III.	**कुल आय (I+II)**		**62,275.36**	**54,156.83**
	व्यय			
	(i) वित्तीय लागतें	36	40,844.65	34,626.80
	(ii) निवल परिवर्तन/लेन-देन हानि/(अभिलाभ)	47	4,991.32	1,041.44
	(iii) शुल्क और कमीशन व्यय	37	36.20	44.47
	(iv) उचित मूल्य में परिवर्तन पर निवल हानि/(अभिलाभ)	33	(673.20)	263.54
	(v) वित्तीय लिखतों पर क्षतिग्रस्तता	38	1,910.83	(625.73)
	(vi) प्रदान की गई सेवाओं की लागत		85.18	85.15
	(vii) कार्मिक हितलाभ व्यय	39	399.72	362.66
	(viii) मूल्यहास और परिशोधन	17/18	24.43	15.49
	(ix) निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व संबंधी व्यय	48	356.44	206.32
	(x) अन्य व्यय	40	228.55	318.91
IV.	**कुल व्यय**		**48,204.12**	**36,339.05**
V.	**आपवादिक मदों/कर पूर्व लाभ/(हानि) (III-IV)**		**14,071.24**	**17,817.78**
VI.	आपवादिक मदें		-	-
VII.	संयुक्त उद्यमों और सहयोगी कंपनियों में लाभ/(हानि) का शेयर		21.43	44.25
VIII.	**कर पूर्व लाभ/(हानि) (V-VI+VII)**		**14,092.67**	**17,862.03**
	कर व्यय:			
	(1) मौजूदा कर:	44		
	- मौजूदा वर्ष		3,004.98	4,182.75
	- पूर्व वर्ष		83.02	(12.75)
	(2) आस्थगित कर		1,527.42	1,051.76
IX.	**कुल कर व्यय**		**4,615.42**	**5,221.76**
X.	**सतत प्रचालनों से वर्ष के लिए लाभ/(हानि) (VIII-IX)**		**9,477.25**	**12,640.27**
XI.	बंद किए गए प्रचालनों से लाभ/(हानि) (कर पश्चात्)		-	-
XII.	**वर्ष के लिए लाभ/(हानि) (सतत और बंद किए गए प्रचालनों से) (X+XI)**		**9,477.25**	**12,640.27**
XIII.	**अन्य व्यापक आय**			
	(क) (i) मदें जिनको लाभ या हानि के रूप में पुनःवर्गीकृत नहीं किया जाएगा			
	- परिभाषित हितलाभ योजनाओं का पुनर्मापन		(7.96)	(23.00)
	- इक्विटी लिखतों के उचित मूल्य पर निवल अभिलाभ/(हानि)		(416.31)	(202.25)
	- इक्विटी विधि का प्रयोग करते हुए संयुक्त उद्यम में अन्य व्यापक आय/(हानि) का शेयर		(0.30)	(0.13)
	(ii) ऐसी मदें जिन्हें लाभ या हानि के रूप में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा, के संबंध में आयकर			
	- परिभाषित हितलाभ योजनाओं का पुनर्मापन		0.80	8.46
	- इक्विटी लिखत के उचित मूल्य पर निवल अभिलाभ/(हानि)		**12.39**	**(0.68)**
	- इक्विटी विधि का प्रयोग करते हुए संयुक्त उद्यम में अन्य व्यापक आय/(हानि) का शेयर		0.05	-
	उप-योग (क)		**(411.33)**	**(217.60)**

समेकित लाभ और हानि विवरण

दिनांक 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	टिप्पणी संख्या	दिनांक 31.03.2020 को समाप्त वर्ष	दिनांक 31.03.2019 को समाप्त वर्ष
	(ख) (i) मदें जिनको लाभ या हानि के रूप में पुनःवर्गीकृत किया जाएगा			
	- नकदी प्रवाह हेज में हेजिंग लिखितों के संबंध में अभिलाभ और (हानि) का प्रभावी भाग		(348.86)	(77.08)
	- हेजिंग रिजर्व की लागत		(273.61)	-
	- इक्विटी विधि का प्रयोग करते हुए संयुक्त उद्यम में अन्य व्यापक आय/(हानि) का शेयर		(3.94)	-
	(ii) ऐसी मदें जिन्हें लाभ या हानि के रूप में पुनः वर्गीकृत किया जाएगा, के संबंध में आयकर			
	- नकदी प्रवाह हेज में हेजिंग लिखितों के संबंध में अभिलाभ और (हानि) का प्रभावी भाग		80.27	26.93
	- हेजिंग रिजर्व की लागत		68.86	-
	- इक्विटी विधि का प्रयोग करते हुए संयुक्त उद्यम में अन्य व्यापक आय/(हानि) का शेयर		-	-
	उप योग (ख)		**(477.28)**	**(50.15)**
	अन्य व्यापक आय (क + ख)		**(888.61)**	**(267.75)**
XIV.	**वर्ष के लिए कुल व्यापक आय (XII+XIII)**		**8,588.64**	**12,372.52**
	वर्ष के लिए निम्नलिखित को आरोप्य लाभ:			
	- कंपनी का स्वामी		7,122.13	9,920.86
	- गैर-नियंत्रण ब्याज		2,355.12	2,719.41
			9,477.25	**12,640.27**
	वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय			
	- कंपनी का स्वामी		(626.28)	(239.05)
	- गैर-नियंत्रण ब्याज		(262.33)	(28.70)
			(888.61)	**(267.75)**
	वर्ष के लिए कुल अन्य व्यापक आय			
	- कंपनी का स्वामी		6,495.85	9,681.81
	- गैर-नियंत्रण ब्याज		2,092.79	2,690.71
			8,588.64	**12,372.52**
XV.	**अर्जन प्रति इक्विटी शेयर बुनियादी और तनुकृत (अंकित मूल्य ₹10/- प्रत्येक):**	51		
	(1) सतत प्रचालनों के लिए (₹ में)		26.98	37.58
	(2) बंद किए जा चुके प्रचालनों के लिए (₹ में)		-	-
	(3) सतत और बंद किए जा चुके प्रचालनों के लिए (₹ में)		26.98	37.58

इसमें संलग्न टिप्पणियां समेकित वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

हस्ता/-
(मनोहर बलवानी)
कंपनी सचिव

हस्ता/-
(एन. बी. गुप्ता)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन: 00530741

हस्ता/-
(आर. एस. ढिल्लों)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 00278074

हमारी संलग्न समसंख्यक तारीख की रिपोर्ट के संदर्भ में हस्ताक्षरित

कृते गांधी मिनोचा एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या: 000458N

हस्ता/-
(सीए मनोज भारद्वाज)
भागीदार
सदस्यता संख्या: 098606

कृते दास गुप्ता एंड एसोसिएट
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या: 000112N

हस्ता/-
(सीए अशोक कुमार जैन)
भागीदार
सदस्यता संख्या: 090563

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 24.06.2020

इक्विटी में परिवर्तन का समेकित विवरण

दिनांक 31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए

(क) इक्विटी शेयर पूंजी

(₹ करोड़ में)

विवरण	प्रारंभिक शेष	अवधि के दौरान परिवर्तन	अंतिम शेष
वित्तीय वर्ष 2018-19	2,640.08	-	2,640.08
वित्तीय वर्ष 2019-20	2,640.08	-	2,640.08

(ख) अन्य इक्विटी

(₹ करोड़ में)

विवरण	आरक्षित निधि (रिजर्व) और अधिशेष													अन्य व्यापक आय						
	पूंजी रिजर्व - सामान्य नियंत्रण	पूंजी रिजर्व - संयुक्त उद्यम में शेयरधारिता में परिवर्तन	भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईसी (1) के अंतर्गत सृजित विशेष रिजर्व	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1) (viiक) (ग) के अंतर्गत अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए रिजर्व	वित्तीय वर्ष 1996-97 तक आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1) (viii) के अंतर्गत सृजित विशेष रिजर्व	वित्तीय वर्ष 1997-98 से आयकर अधिनियम की धारा36(1) (viii) के अंतर्गत सृजित और अनुरक्षित विशेष रिजर्व	डिबेंचर मोचन रिजर्व	प्रतिभूति प्रीमियम	विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद परिवर्तन अंतर लेखा	ब्याज विभेदीय रिजर्व - केएफडब्ल्यू ऋण	सामान्य रिजर्व	क्षतिग्रस्तता रिजर्व	प्रतिधारित अर्जन	अन्य व्यापक आय के माध्यम से इक्विटी लिखत	नकदी प्रवाह हेज में हेजिंग लिखत पर अभिलाभ/(हानि) का प्रभावी भाग	हेजिंग रिजर्व की लागत	इक्विटी विधि के उपयोग के माध्यम से संयुक्त उद्यम और सहयोगी कंपनियों की अन्य व्यापक आय का शेयर	मूल कंपनी के स्वामियों को आरोप्य	गैर-नियंत्रक ब्याज	कुल
दिनांक 31.03.2018 तक की स्थिति के अनुसार शेष	**(13,461.00)**	**-**	**23.36**	**4,840.09**	**599.85**	**23,190.91**	**2,317.16**	**3,953.74**	**(401.83)**	**57.90**	**9,191.77**	**-**	**6,887.10**	**(6.82)**	**-**	**-**	**2.22**	**37,194.45**	**15,435.22**	**52,629.67**
वर्ष के लिए लाभ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,920.86	-	-	-	-	9,920.86	2,719.41	12,640.27
परिभाषित हितलाभ योजनाओं का पुनर्मापन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(8.57)	-	-	-	-	(8.57)	(5.97)	(14.54)
अन्य व्यापक आय/(व्यय)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0.11)	(180.22)	(50.14)	-	-	(230.47)	(22.73)	(253.20)
कुल व्यापक आय	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**9,912.18**	**(180.22)**	**(50.14)**	**-**	**-**	**9,681.82**	**2,690.71**	**12,372.53**
लाभांश	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,325.29)	-	-	-	-	(1,325.29)	(1,192.61)	(2,517.90)
लाभांश वितरण कर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(299.35)	-	-	-	-	(299.35)	(248.91)	(548.26)
प्रतिधारित अर्जन में/से अंतरण	-	-	1,997.46	497.44	-	2,274.58	393.21	-	-	-	1,000.00	-	(6,148.13)	(14.56)	-	-	-	(0.00)	-	(0.00)
वर्ष के दौरान जोड़े गए/(घटाए गए) (निवल)	-	-	-	-	-	-	(2.30)	-	(770.46)	2.10	-	-	0.20	-	-	-	-	(770.46)	(321.39)	(1,091.85)
ओसीआई पर मूल्यांकित इक्विटी लिखत की बिक्री पर अभिलाभ/हानि का पुन:वर्गीकरण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.85	(2.85)	-	-	-	-	-	-
दिनांक 31.03.2019 तक की स्थिति के अनुसार शेष	**(13,461.00)**	**-**	**2,020.82**	**5,337.53**	**599.85**	**25,465.49**	**2,708.07**	**3,953.74**	**(1,172.29)**	**60.00**	**10,191.77**	**-**	**9,029.56**	**(204.45)**	**(50.14)**	**-**	**2.22**	**44,481.17**	**16,363.02**	**60,844.18**
वर्ष के लिए लाभ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,122.13	-	-	-	-	7,122.13	2,355.12	9,477.25
परिभाषित हितलाभ योजनाओं का पुनर्मापन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(6.14)	-	-	-	-	(6.14)	(1.02)	(7.16)
अन्य व्यापक आय/(व्यय)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0.20)	(348.59)	(161.51)	(107.77)	(2.07)	(620.14)	(261.31)	(881.45)
अन्य समायोजन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(22.86)	-	-	-	-	(22.86)	-	(22.86)
कुल व्यापक आय	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7,092.94**	**(348.59)**	**(161.51)**	**(107.77)**	**(2.07)**	**6,472.99**	**2,092.79**	**8,565.78**

इक्विटी में परिवर्तन का समेकित विवरण
दिनांक 31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ करोड़ में)

विवरण	आरक्षित निधि (रिजर्व) और अधिशेष													अन्य व्यापक आय						
	पूंजी रिजर्व - सामान्य नियंत्रण	पूंजी रिजर्व - संयुक्त उद्यम में शेयरधारिता में परिवर्तन	भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईसी (1) के अंतर्गत सृजित विशेष रिजर्व	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1) (viiक) (ग) के अंतर्गत अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए रिजर्व	वित्तीय वर्ष 1996-97 तक आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1) (viii) के अंतर्गत सृजित विशेष रिजर्व	वित्तीय वर्ष 1997-98 से आयकर अधिनियम की धारा36(1) (viii) के अंतर्गत सृजित और अनुरक्षित विशेष रिजर्व	डिबेंचर मोचन रिजर्व	प्रतिभूति प्रीमियम	विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद परिवर्तन अंतर लेखा	ब्याज विभेदीय रिजर्व - केएफडब्ल्यू ऋण	सामान्य रिजर्व	क्षतिग्रस्तता रिजर्व	प्रतिधारित अर्जन	अन्य व्यापक आय के माध्यम से इक्विटी लिखत	नकदी प्रवाह हेज में हेजिंग लिखत पर अभिलाभ/(हानि) का प्रभावी भाग	हेजिंग रिजर्व की लागत	इक्विटी विधि के उपयोग के माध्यम से संयुक्त उद्यम और सहयोगी कंपनियों की अन्य व्यापक आय का शेयर	मूल कंपनी के स्वामियों को आरोप्य	गैर-नियंत्रक ब्याज	कुल
लाभांश	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2,508.08)	-	-	-	-	(2,508.08)	(1,028.97)	(3,537.05)
लाभांश वितरण कर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(514.99)	-	-	-	-	(514.99)	(211.28)	(726.27)
प्रतिधारित अर्जन में/से अंतरण	-	-	1,645.79	481.94	-	2,151.40	25.87	-	-	-	-	417.55	(4,722.54)	-	-	-	-	-	-	
सामान्य रिजर्व से/में अंतरण	-	-	-	-	-	-	(2,733.94)	-	-	-	2,733.94	-	-	-	-	-	-			
बट्टे खाते में डाले गए अशोध्य ऋणों के सापेक्ष रिजर्व का उपयोग	-	-	-	(1,730.03)	-	-	-	-	-	-	1,730.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान जोड़े गए/(घटाए गए) (निवल)	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,173.89)	1.40	0.03	-	(1.37)	-	-	-	-	(1,173.83)	(452.23)	(1,626.06)
ईईएसएल में शेयर में वृद्धि पर अभिलाभ	-	2.47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.47	2.23	4.70
ओसीआई पर मूल्यांकित इक्विटी लिखत की बिक्री पर अभिलाभ/हानि का पुन:वर्गीकरण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(295.33)	295.33	-	-	-	-	-	-
दिनांक 31.03.2020 तक की स्थिति के अनुसार शेष	**(13,461.00)**	**2.47**	**3,666.61**	**4,089.44**	**599.85**	**27,616.89**	**0.00**	**3,953.74**	**(2,346.18)**	**61.40**	**14,655.76**	**417.55**	**8,080.18**	**(257.72)**	**(211.65)**	**(107.77)**	**0.15**	**46,759.73**	**16,765.57**	**63,525.30**

इसमें संलग्न टिप्पणियां समेकित वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

हस्ता/-
(मनोहर बलवानी)
कंपनी सचिव

हस्ता/-
(एन. बी. गुप्ता)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन: 00530741

हस्ता/-
(आर. एस. ढिल्लों)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 00278074

हमारी संलग्न समसंख्यक तारीख की रिपोर्ट के संदर्भ में हस्ताक्षरित

कृते गांधी मिनोचा एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या: 000458N

कृते दास गुप्ता एंड एसोसिएट
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या: 000112N

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 24.06.2020

हस्ता/-
(सीए मनोज भारद्वाज)
भागीदार
सदस्यता संख्या: 098606

हस्ता/-
(सीए अशोक कुमार जैन)
भागीदार
सदस्यता संख्या: 090563

समेकित नकदी प्रवाह विवरण

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	दिनांक 31.03.2020 को समाप्त वर्ष		दिनांक 31.03.2019 को समाप्त वर्ष	
I.	**प्रचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह:-**				
	कर पूर्व लाभ	**14,092.67**		**17,862.03**	
	निम्नलिखित के लिए समायोजन:				
	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की विमान्यता पर हानि (निवल)	2.66		1.23	
	निवेशों की बिक्री पर हानि/(अभिलाभ)	(3.16)		-	
	मूल्यहास और परिशोधन	24.43		15.49	
	शून्य कूपन बॉण्ड और कमर्शियल पेपर्स पर ब्याज व्यय	898.53		363.04	
	अप्राप्त विदेशी मुद्रा परिवर्तन हानि/(अभिलाभ)	5,250.80		1,077.58	
	उचित मूल्य में निवल परिवर्तन	(657.73)		266.54	
	ऋणों पर प्रभावी ब्याज दर का प्रभाव	59.05		(9.14)	
	वित्तीय लिखतों पर क्षतिग्रस्तता	1,910.83		(625.73)	
	निवेशों और अन्य पर ब्याज से आय	(437.36)		(505.59)	
	ब्याज सब्सिडी निधि पर ब्याज	1.35		3.46	
	आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत ब्याज के लिए प्रावधान	0.20		9.56	
	प्रतिलेखित अतिरिक्त देयताएं	(0.48)		(1.68)	
	सेवानिवृत्ति हितलाभ आदि के लिए प्रावधान	44.44		56.09	
	लाभांश आय	(105.65)		(76.63)	
	ऋण/ऋण प्रतिभूतियों/गौण देयताओं पर प्रभावी ब्याज दर	(125.75)		(788.63)	
	आयकर रिफंड पर ब्याज	(0.66)		(8.29)	
	पट्टा (लीज) देयताओं पर ब्याज व्यय	0.77		-	
	अन्य देयताओं पर ब्याज व्यय	0.21		-	
	इक्विटी विधि के उपयोग से संयुक्त उद्यम के लाभ/हानि का शेयर	(21.43)		(44.25)	
	कार्यशील पूंजी में परिवर्तन से पूर्व प्रचालन लाभ:	**20,933.72**		**17,595.09**	
	वृद्धि/कमी:				
	ऋण (निवल)	(73,762.52)		(78,082.12)	
	अन्य वित्तीय और गैर-वित्तीय परिसंपत्तियां	8,730.00		(27,652.25)	
	डेरिवेटिव	(912.65)		(1,611.07)	
	अन्य वित्तीय और गैर-वित्तीय देयताएं और प्रावधान	5,631.70		14,044.08	
	कर पूर्व प्रचालन से नकदी प्रवाह	**(39,379.75)**		**(75,706.27)**	
	अदा किया गया आयकर	(3,385.85)		(4,626.89)	
	आयकर रिफंड	75.70		81.34	
	प्रचालन गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह		**(42,689.90)**		**(80,251.82)**
II.	**निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह:**				
	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के निस्तारण से आमदनी	1.02		0.28	
	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की खरीद (सीडब्ल्यूआईपी और पूंजी अग्रिम सहित)	(130.52)		(99.46)	
	सहायक कंपनियों में निवेश	-		(14,500.00)	
	निवेश पर ब्याज आय	487.04		411.15	
	निवेश पर लाभांश	105.65		76.63	
	अन्य निवेशों से वृद्धि/कमी	6.62		648.39	
	निवेशी गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह		**469.81**		**(13,463.02)**
III.	**वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह:**				
	बॉण्ड जुटाना (प्रीमियम सहित) (मोचनों को घटाकर)	27,537.63		(4,737.02)	
	दीर्घावधि ऋण जुटाना (चुकौतियों को घटाकर)	16,045.23		60,028.55	
	विदेशी मुद्रा ऋण जुटाना (चुकौतियों को घटाकर)	27,911.51		13,353.18	
	सबॉर्डिनेटिड देयताएं जुटाना (मोचनों को घटाकर)	0.00		7,562.70	
	वाणिज्यिक पत्र जुटाना (चुकौतियों को घटाकर)	(15,270.30)		7,113.04	
	कार्यकारी पूंजी मांग ऋण/ओडी/सीसी/लाइन ऑफ क्रेडिट जुटाना (चुकौतियों का निवल)	(8,563.96)		13,357.17	
	अदावित बॉण्ड (निवल)	0.59		(2.78)	
	अदावित लाभांश (निवल)	0.32		0.53	
	पट्टा (लीज) देयता का भुगतान	(1.41)		-	

समेकित नकदी प्रवाह विवरण

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	दिनांक 31.03.2020 को समाप्त वर्ष		दिनांक 31.03.2019 को समाप्त वर्ष	
	अंतरिम लाभांश का भुगतान	(3,534.68)		(2,511.50)	
	कॉर्पोरेट लाभांश कर का भुगतान	(726.27)		(547.44)	
	वित्तपोषण गतिविधियों से निवल नकदी अंतर्वाह		**43,398.66**		**93,616.44**
	नकदी एवं नकदी समतुल्य में निवल वृद्धि/कमी		**1,178.57**		**(98.40)**
	जोड़ें: वित्तीय वर्ष के शुरू में नकदी एवं नकदी समतुल्य		726.64		825.04
	वित्तीय वर्ष के अंत में नकदी एवं नकदी समतुल्य		**1,905.21**		**726.64**
	वित्तीय वर्ष के अंत में नकदी एवं नकदी समतुल्य का ब्यौरा:				
	i) बैंकों में शेष (नकदी एवं नकदी समतुल्य की प्रकृति का)				
	चालू खातों में	1,380.56		369.41	
	सावधि जमा खातों में	524.59	1,905.15	357.22	726.63
	ii) डाक व्यय एवं पेशगी सहित चेक, ड्राफ्ट इन हैंड		0.06		0.01
	वर्ष के अंत में कुल नकदी एवं नकदी समतुल्य		**1,905.21**		**726.64**

उपरोक्त नकदी प्रवाह विवरण को इंड एएस 7 ''नकदी प्रवाह विवरण'' में यथाउल्लिखित अप्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत तैयार किया गया है।

वित्तीयपोषण से उत्पन्न गतिविधियों देयताओं का समाधान

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	बॉण्ड/डिबेंचर*	सावधि ऋण**	विदेशी मुद्रा ऋण	कमर्शियल पेपर	डब्ल्यूसीडीएल आदि	गौण ऋण	कुल
	01.04.2018 को प्रारंभिक शेष	**3,52,792.99**	**10,924.98**	**48,066.67**	**10,174.74**	**-**	**6,300.00**	**4,28,259.40**
	वर्ष के दौरान नकदी प्रवाह	(4,737.02)	60,028.55	13,353.18	7,113.04	13,357.17	7,562.70	96,677.63
	निम्नलिखित के कारण गैर-नकदी परिवर्तन:							
	समायोजन	139.01	-	-	403.14	-	-	542.14
	विनिमय दरों में उतार-चढ़ाव	-	-	2,164.52	-	-	-	2,164.52
	31.03.2019 को अंत शेष	**3,48,194.98**	**70,953.53**	**63,584.37**	**17,690.92**	**13,357.17**	**13,862.70**	**5,27,643.69**
	वर्ष के दौरान नकदी प्रवाह	27,537.63	16,045.23	27,911.51	(15,270.30)	(8,563.96)	0.00	47,660.11
	निम्नलिखित के कारण गैर-नकदी परिवर्तन:							
	समायोजन	150.71	-	-	504.39	-	-	655.10
	विनिमय दरों में उतार-चढ़ाव	-	(0.00)	7,556.60	-	-	-	7,556.60
	31.03.2020 को अंत शेष	**3,75,883.33**	**86,998.76**	**99,052.48**	**2,925.01**	**4,793.21**	**13,862.70**	**5,83,515.50**

* विदेशी मुद्रा नोट नकदी प्रवाह विवरण में विदेशी मुद्रा ऋणों का भाग हैं।

** विदेशी मुद्रा ऋण और सिंडिकेटिड विदेशी मुद्रा ऋण नकदी प्रवाह विवरण में विदेशी मुद्रा ऋण का भाग हैं।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

हस्ता/-
(मनोहर बलवानी)
कंपनी सचिव

हस्ता/-
(एन. बी. गुप्ता)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन: 00530741

हस्ता/-
(आर. एस. ढिल्लों)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 00278074

हमारी संलग्न समसंख्यक तारीख की रिपोर्ट के संदर्भ में हस्ताक्षरित

कृते गांधी मिनोचा एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या: 000458N

हस्ता/-
(सीए मनोज भारद्वाज)
भागीदार
सदस्यता संख्या: 098606

कृते दास गुप्ता एंड एसोसिएट
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या: 000112N

हस्ता/-
(सीए अशोक कुमार जैन)
भागीदार
सदस्यता संख्या: 090563

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 24.06.2020

समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

1. समूह (ग्रुप) के बारे में सूचना

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (''पीएफसी'' या ''कंपनी'') का निगमन वर्ष 1986 में हुआ। कंपनी का निवास स्थान भारत में है और यह शेयरों द्वारा लिमिटेड कंपनी है, इसका पंजीकृत कार्यालय 'ऊर्जानिधि', 1, बाराखंबा लेन, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली - 110 001 में स्थित है।

यह कंपनी सरकारी कंपनी है जो विद्युत क्षेत्र को वित्तीय सहायता प्रदान करती है तथा प्रणालीगत दृष्टि से एक महत्वपूर्ण जमा राशि स्वीकार न करने वाली गैर बैंकिंग वित्त कंपनी (एनबीएफसी) है जो अवसंरचना वित्त कंपनी (आईएफसी) के रूप में भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) में पंजीकृत है।

कंपनी के इक्विटी शेयर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) और बीएसई लिमिटेड में सूचीबद्ध हैं।

इन समेकित वित्तीय विवरणों में पीएफसी एवं टिप्पणी 5 में सूचीबद्ध इसकी सहायक कंपनियों (सामूहिक रूप से समूह कहा गया है), इसकी सहयोगी कंपनियों के वित्तीय विवरण तथा इसके संयुक्त उद्यमों में समूह के हित शामिल हैं। समूह मुख्य रूप से विद्युत क्षेत्र को वित्तीय सहायता प्रदान करने का कार्य करता है। हमारे व्यवसाय में विद्युत क्षेत्र को परामर्शी सेवाएं तथा भारत सरकार के अधिदेश के अनुसार अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजना (यूएमपीपी) और स्वतंत्र पारेषण परियोजनाओं (आईटीपी) के विकास में सुगमता प्रदान करना शामिल है।

2. अनुपालन का विवरण

ये समेकित वित्तीय विवरण कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली, 2015 (यथासंशोधित) के अंतर्गत अधिसूचित इंड एएस, कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों तथा अन्य लागू विनियामक मानदंडों/दिशानिर्देशों का अनुपालन करते हैं।

3. ये समेकित वित्तीय विवरण 24.06.2020 को निदेशक मंडल (बीओडी) द्वारा जारी करने के लिए अनुमोदित किए गए हैं।

4. जारी किए गए मानक/संशोधन जो अभी तक प्रभावी नहीं हुए हैं

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) नए मानक अथवा मौजूदा मानकों में संशोधन अधिसूचित करता हैं। दिनांक 31.03.2020 तक की स्थिति के अनुसार, ऐसी कोई अधिसूचना नहीं है जो दिनांक 01.04.2020 से लागू हुई होती।

5. समेकित वित्तीय विवरण कंपनी, इसकी सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यम संस्था और सहयोगी कंपनियों के लेखाओं के समेकन को निम्नानुसार दर्शाते हैं:

क्र. सं.	कंपनी का नाम		निगमन का देश/व्यवसाय का मुख्य स्थान	निम्नलिखित तारीख को स्वामित्व अधिकार का अनुपात		दिनांक 31.03.2020 के अनुसार लेखापरीक्षा की स्थिति
				31.03.2020	31.03.2019	
	सहायक कंपनियां:					
1.	आरईसी लिमिटेड* (आरईसीएल)		भारत	52.63%	52.63%	अंकेक्षित
2.	पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड (पीएफसीसीएल)*		भारत	100%	100%	अनंकेक्षित
3.	पावर इक्विटी कैपिटल एडवाइजर्स (प्राइवेट) लिमिटेड		भारत	100%	100%	(नोट 5.1 का संदर्भ लें)
	संयुक्त उद्यम:					
1.	एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसिज लिमिटेड (ईईएसएल) - (नोट 74 का संदर्भ लें)	पीएफसी का शेयर	भारत	24.97%	36.36%	अनंकेक्षित
		आरईसीएल के माध्यम से		22.18%	21.70%	
		समूह का शेयर		47.15%	58.06%	
	सहयोगी कंपनियां					
1.	कोस्टल महाराष्ट्र मेगा पावर लिमिटेड		भारत	100%	100%	अनंकेक्षित
2.	उड़ीसा इंटीग्रेटिड पावर लिमिटेड		भारत	100%	100%	अनंकेक्षित
3.	कोस्टल कर्नाटक पावर लिमिटेड		भारत	100%	100%	अनंकेक्षित
4.	कोस्टल तमिलनाडु पावर लिमिटेड		भारत	100%	100%	अनंकेक्षित
5.	छत्तीसगढ़ सरगुजा पावर लिमिटेड		भारत	100%	100%	अनंकेक्षित
6.	साखीगोपाल इंटीग्रेटिड पावर कंपनी लिमिटेड		भारत	100%	100%	अनंकेक्षित
7.	घोगरपल्ली इंटीग्रेटिड पावर कंपनी लिमिटेड		भारत	100%	100%	अनंकेक्षित
8.	तातिया आंध्रा मेगा पावर लिमिटेड		भारत	100%	100%	अनंकेक्षित
9.	देवघर मेगा पावर लिमिटेड		भारत	100%	100%	अनंकेक्षित
10.	चेय्यूर इंफ्रा लिमिटेड		भारत	100%	100%	अनंकेक्षित
11.	ओडिशा इंफ्रापावर लिमिटेड		भारत	100%	100%	अंकेक्षित
12.	देवघर इंफ्रा लिमिटेड		भारत	100%	100%	अनंकेक्षित
13.	बिहार इंफ्रापावर लिमिटेड		भारत	100%	100%	अंकेक्षित
14.	बिहार मेगा पावर लिमिटेड		भारत	100%	100%	अनंकेक्षित
15.	झारखंड इंफ्रापावर लिमिटेड		भारत	100%	100%	अनंकेक्षित

* इन सहायक कंपनियों के समेकित वित्तीय विवरणों का उपयोग पीएफसी के साथ समेकन के लिए किया गया है।

समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

5.1 विद्युत मंत्रालय (एमओपी), भारत सरकार के अनुमोदन के अनुसरण में, पीएफसी ने अपने पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी पावर कैपिटल एडवाइजर्स प्राइवेट (पीईसीएपी) लिमिटेड के नाम को कंपनी रजिस्ट्रार के अभिलेखों से हटाने के लिए आवेदन किया था। कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) द्वारा इस संबंध में आवश्यक अधिसूचना जारी किया जाना अभी शेष है।

5.2 आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड (आरईसीटीपीसीएल) और आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (आरईसीपीडीसीएल), जो आरईसी लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्वाधीन सहायक कंपनियां हैं, के निदेशक मंडलों ने आरईसीपीडीसीएल (हस्तांतरित कंपनी) में आरईसीटीपीसीएल (हस्तांतरणकर्ता कंपनी) के संयोजन की स्कीम को अनुमोदित कर दिया है, जिसे आरईसी के निदेशक मंडल द्वारा भी अपेक्षित अनुमोदन के अध्यधीन अनुमोदित कर दिया गया है।

6. समूह की महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रयुक्त समूह की महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां निम्नानुसार हैं:

6.1 तैयारी और मापन का आधार

ये समेकित वित्तीय विवरण लेखांकन की प्रोद्भवन प्रणाली का प्रयोग करके सतत सरोकार आधार पर तैयार किए गए हैं। परिसंपत्तियों एवं देयताओं का मापन प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में ऐतिहासिक लागत पर या परिशोधित लागत पर या उचित मूल्य पर किया गया है।

उचित मूल्य वह मूल्य होता है जो मापन की तारीख को बाजार के प्रतिभागियों के बीच किसी क्रमबद्ध लेन-देन में किसी संपत्ति की बिक्री पर प्राप्त होगा या किसी देयता के अंतरण पर भुगतान किया जाएगा, इस बात पर ध्यान दिए बगैर कि वह मूल्य मूल्यांकन की दूसरी तकनीक का प्रयोग करके सीधे पालनीय या अनुमानित है।

उचित मूल्य के मापों को इंड एएस की आवश्यकता के अनुसार लेवल 1, 2 या 3 में वर्गीकृत किया गया है, जिसका वर्णन नीचे किया गया है:

- लेवल 1 के इनपुट समान परिसंपत्तियों या देयताओं जिनका मूल्यांकन संस्था मापन की तारीख को कर सकती है, के लिए सक्रिय बाजारों में उद्धृत मूल्य (गैर समायोजित) हैं;
- लेवल 2 के इनपुट लेवल 1 में शामिल उद्धृत मूल्यों से भिन्न हैं जो सीधे या परोक्ष रूप से परिसंपत्ति या देयता के लिए पालनीय हैं; और
- लेवल 3 के इनपुट परिसंपत्ति या देयता के लिए अलक्ष्य इनपुट हैं।

6.2 समेकन का आधार

समेकित वित्तीय विवरणों में कंपनी तथा इसकी सहायक कंपनियों (सामूहिक रूप से 'समूह' कहा गया है) के वित्तीय विवरणों को शामिल किया गया है। समूह ने संयुक्त उद्यमों और सहयोगी कंपनियों में निवेश किया है जिनको इन समेकित वित्तीय विवरणों में इक्विटी विधि का प्रयोग करके हिसाब में किया जाता है।

समेकन के प्रयोजनार्थ सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों तथा सहयोगी कंपनियों के वित्तीय विवरण कंपनी की समान रिपोर्टिंग तारीख तक के अनुसार तैयार किए गए हैं।

i) सहायक कंपनियां:

सहायक कंपनी ऐसी एंटीटी होती है जिसके ऊपर कंपनी का नियंत्रण होता है। कंपनी किसी एंटीटी को तब नियंत्रित करती है जब संस्था के साथ कंपनी की भागीदारी से उसके पास परिवर्तनीय प्रतिफल का अधिकार होता है और संस्था की संगत गतिविधियों का निदेशन करने के लिए अपनी शक्ति के माध्यम से उन प्रतिफलों को प्रभावित करने का सामर्थ्य होता है। सहायक कंपनियां उस तारीख से पूर्णतः समेकित हैं जब कंपनी नियंत्रण प्राप्त करती है (सामान्य नियंत्रण के अधीन व्यवसाय संयोजन को छोड़कर)।

कंपनी परिसंपत्तियों, देयताओं, इक्विटी, आय एवं व्यय की समान मदों को एकसाथ जोड़कर पंक्ति दर पंक्ति आधार पर अपनी सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरणों को संयोजित करती है। प्रत्येक सहायक कंपनी में कंपनी के निवेश की वहन राशि तथा प्रत्येक सहायक कंपनी में कंपनी की इक्विटी के अंश का उन्मूलन किया जाता है। कंपनी एवं सहायक कंपनियों के बीच अंतर-कंपनी लेन-देन, शेषों, अप्राप्त अभिलाभों का उन्मूलन किया जाता है। अप्राप्त क्षतियों का भी उन्मूलन किया जाता है, जब तक कि लेन-देन अंतरित परिसंपत्ति के क्षतिग्रस्तता का साक्ष्य प्रदान नहीं करता है।

गैर-नियंत्रक ब्याज (एनसीआई) सहायक कंपनियों में आय, अन्य व्यापक आय तथा निवल परिसंपत्तियों के ऐसे अनुपात को दर्शाते हैं जिनको कंपनी के शेयरधारकों पर आरोपित नहीं किया जा सकता है। गैर-नियंत्रक ब्याजों को शुरू में अधिग्रहिती की अभिज्ञेय निवल परिसंपत्तियां की स्वीकृत राशियों के आनुपातिक शेयर पर मापा जाता है। अधिग्रहण के बाद, गैर-नियंत्रक ब्याजों की वहन राशि आरंभिक स्वीकृति पर ब्याज की राशि तथा इक्विटी में परवर्ती परिवर्तनों के गैर-नियंत्रक ब्याजों का शेयर है।

समेकित वित्तीय विवरण समान परिस्थितियों में समान लेन-देन तथा अन्य घटनाओं के लिए लगातार एक समान लेखांकन नीतियों का प्रयोग करके तैयार किए जाते हैं और यथासंभव उसी ढंग से प्रस्तुत किए जाते हैं जिस तरह कंपनी के एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरण प्रस्तुत किए जाते हैं, केवल उसे छोड़कर जिसका अन्यथा उल्लेख किया जाता है। जहां आवश्यक समझा गया है, सहायक कंपनियों की लेखांकन नीतियों को समूह की लेखांकन नीतियों के अनुरूप बनाने के लिए उनके वित्तीय विवरणों में समायोजन किए जाते हैं।

समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

यदि कंपनी किसी सहायक कंपनी पर नियंत्रण खो देती है, तो यह सहायक कंपनी की परिसंपत्तियां एवं देयताओं तथा किसी संबद्ध एनसीआई तथा इक्विटी के अन्य घटकों को विमान्य कर देती है। पिछली सहायक कंपनी में किसी प्रतिधारित अधिकार को नियंत्रण खोने की तारीख को उचित मूल्य पर मापा जाता है। किसी परिणामी अभिलाभ या हानि को लाभ एवं हानि विवरण में मान्य किया जाता है।

ii) संयुक्त उद्यम एवं सहयोगी कंपनी:

संयुक्त उद्यम एक संयुक्त व्यवस्था है जिसके माध्यम से पक्षकारों, जिनका व्यवस्था पर संयुक्त नियंत्रण है, को व्यवस्था की निवल परिसंपत्तियों पर अधिकार होता है। संयुक्त नियंत्रण किसी व्यवस्था के नियंत्रण की संविदात्मक रूप से सहमत हिस्सेदारी है, जो तभी मौजूद होती है जब संगत गतिविधियों के बारे में निर्णय के लिए नियंत्रण में हिस्सा रखने वाले पक्षकारों की सर्वसम्मत सहमति की आवश्यकता होती है।

सहयोगी कंपनी ऐसी संस्था होती है जिसके ऊपर कंपनी का महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। महत्वपूर्ण प्रभाव निवेशिती के वित्तीय एवं प्रचालन संबंधी नीतिगत निर्णयों में भागीदारी करने की शक्ति है परंतु यह इन नीतियों पर नियंत्रण या संयुक्त नियंत्रण नहीं है।

संयुक्त उद्यम या सहयोगी कंपनियों के परिणामों और परिसम्पत्तियों एवं देयताओं को इन समेकित वित्तीय विवरणों में लेखांकन की इक्विटी विधि का प्रयोग करके समाविष्ट किया जाता है, केवल उसे छोड़कर जब निवेश या उसके किसी भाग को बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जिसमें यह बिक्री की लागत को घटाकर उनकी उठाव राशि एवं उचित मूल्य के कम स्तर पर मापा जाता है। इक्विटी विधि के अंतर्गत, किसी संयुक्त उद्यम या सहयोगी कंपनी में निवेश को शुरू में लागत पर समेकित तुलन-पत्र में मान्य किया जाता है और इसके बाद संयुक्त उद्यम या सहयोगी के लाभ या हानि तथा अन्य व्यापक आय में समूह के शेयर को मान्य करने के लिए समायोजित किया जाता है। किसी संयुक्त उद्यम या सहयोगी कंपनी से प्राप्त वितरण से निवेश की उठाव राशि घट जाती है।

संयुक्त उद्यम पर संयुक्त नियंत्रण या सहयोगी कंपनी पर महत्वपूर्ण प्रभाव खोने पर, कंपनी किसी प्रतिधारित अधिकार को उसके उचित मूल्य पर मापती है और मान्य करती है। संयुक्त नियंत्रण या महत्वपूर्ण प्रभाव खोने पर संयुक्त उद्यम या सहयोगी कंपनी की उठाव राशि और प्रतिधारित अधिकार के उचित मूल्य एवं निपटान से आय को लाभ एवं हानि विवरण में मान्य किया जाता है।

6.3 नकदी एवं नकदी समतुल्य

नकदी में पास में नकदी और मांग जमा शामिल है। समूह सभी अल्पावधि शेषों (जिनकी मूल परिपक्वता अवधि अधिग्रहण की तारीख से तीन माह या कम है), उच्च तरल निवेश जो रोकड़ की ज्ञात राशियों में शीघ्रता से परिवर्तित किए जा सकते हैं, और जो मूल्य में परिवर्तनों के नगण्य जोखिम के अधीन हैं, को नकदी समतुल्य समझता है।

6.4 डेरिवेटिव वित्तीय लिखत

6.4.1 ब्याज दर तथा विदेशी विनिमय दर के जोखिमों पर अपने एक्सपोजर के प्रबंधन के लिए समूह कई प्रकार के डेरिवेटिव वित्तीय लिखत जैसे कि मूलधन केवल स्वैप, ब्याज दर स्वैप, ऑप्शन तथा वायदा संविदाएं करता है।

6.4.2 समूह नकदी प्रवाह हेजिंग या उचित मूल्य हेजिंग के रूप में हेजिंग संबंध के अंतर्गत कुछ डेरिवेटिव संविदाएं निर्दिष्ट करता है।

नकदी प्रवाह हेज

डेरिवेटिव के उचित मूल्य में परिवर्तनों के प्रभावी अंश जो नकदी प्रवाह हेजिंग के रूप में निर्दिष्ट किए जाते हैं और अर्हक हैं, को अन्य व्यापक आय में मान्य किया जाता है। निष्प्रभावी अंश से संबंधित अभिलाभ या हानि को तत्काल लाभ और हानि के समेकित विवरण में मान्य किया जाता है। अन्य व्यापक आय में मान्य राशियां (जो प्रभावी अंश हैं) ऐसी अवधियों में लाभ और हानि के समेकित विवरण में पुनः वर्गीकृत की जाती हैं जब हेज्ड मद लाभ या हानि को प्रभावित करती है।

उचित मूल्य हेज

डेरिवेटिव के निर्दिष्ट अंश के उचित मूल्य में परिवर्तन जो उचित मूल्य हेजिंग के रूप में अर्हक होते हैं, को हेज की गई मद जो हेज किए गए जोखिम पर आरोप्य होती है, के उचित मूल्य में किसी परिवर्तन के साथ तत्काल लाभ और हानि के समेकित विवरण में मान्य किया जाता है। हेज लिखत के निर्दिष्ट अंश के मूल्य में परिवर्तन तथा हेज किए गए जोखिम पर आरोप्य हेज की गई मद में परिवर्तन हेज की गई मद से संबंधित लाइन मद में लाभ एवं हानि के समेकित विवरण में मान्य किए जाते हैं।

जब हेज की गई लिखत की अवधि समाप्त हो जाती है या कालातीत हो जाती है या प्रयुक्त हो जाती है या जब यह हेज लेखांकन के लिए अर्हक नहीं होती है, तो हेज लेखांकन बंद हो जाता है।

6.4.3 हेज संबंध के अंतर्गत निर्दिष्ट डेरिवेटिव लिखतों को छोड़कर, डेरिवेटिव लिखतों को शुरू में तारीख जब डेरिवेटिव लिखत के करार किए जाते हैं, को उचित मूल्य पर मान्य किया जाता है और इसके बाद रिपोर्टिंग की प्रत्येक अवधि के अंत में उनके उचित मूल्य पर पुनः मापा जाता है। परिणामी अभिलाभ या हानि को लाभ एवं हानि के समेकित विवरण में मान्य किया जाता है।

समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

6.5 वित्तीय लिखत

वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं को तब मान्य किया जाता है, जब समूह वित्तीय लिखतों के संविदात्मक प्रावधानों का पक्षकार बन जाता है।

शुरूआती मान्यता पर वित्तीय परिसंपत्तियों एवं वित्तीय देयताओं को उचित मूल्य प्लस/माइनस लेन-देन लागत पर मान्य किया जाता है जो वित्तीय परिसंपत्तियों एवं वित्तीय देयताओं के अधिग्रहण या निर्गम पर आरोप्य है। ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियों एवं देयताओं के मामले में जो लाभ एवं हानि के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीपीएल) पर मान्य की जाती हैं, उसकी लेन-देन लागत लाभ एवं हानि के समेकित विवरण में मान्य की जाती है।

6.5.1 वित्तीय परिसंपत्तियां

वित्तीय परिसंपत्तियों की सभी नियमित बिक्री या क्रय को निपटान की तारीख के आधार पर मान्य एवं विमान्य किया जाता है। वित्तीय परिसंपत्तियों का नियमित क्रय या बिक्री ऐसी बिक्री या क्रय है जिसके लिए बाजार स्थल में विनियम या अभिसमय द्वारा स्थापित समय सीमा के अंदर परिसंपत्तियों की सुपुर्दगी करने की आवश्यकता होती है।

शुरूआती मान्यता के बाद, वित्तीय परिसंपत्तियों के वर्गीकरण के आधार पर परिशोधित लागत या उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियों को बाद में पूर्णतः मापा जाता है।

(i) वित्तीय परिसंपत्तियों (इक्विटी लिखतों से भिन्न) का वर्गीकरण एवं मापन

(क) परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियां

निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने वाली वित्तीय परिसंपत्तियों को बाद में प्रभावी ब्याज दर विधि (ईआईआर) का प्रयोग करके परिशोधित लागत पर मापा जाता है:

- परिसंपत्ति किसी व्यवसाय मॉडल के अंतर्गत धारित की जाती है जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करने के लिए परिसंपत्तियों का धारण करना है; और
- परिसंपत्ति की संविदात्मक शर्तें निर्धारित तारीख को नकदी प्रवाहों को जन्म देती हैं जो बकाया मूलधन पर मूलधन एवं ब्याज के अनन्य भुगतान (एसपीपीआई) हैं।

प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) विधि

प्रभावी ब्याज दर विधि वित्तीय परिसंपत्ति की परिशोधित लागत की गणना करने तथा अपेक्षित जीवनकाल में ब्याज आय आबंटित करने की विधि है। ईआईआर विधि का प्रयोग करते समय समूह सामान्यतया किसी शुल्क, प्राप्त या संदत्त प्वाइंट, लेन-देन लागत तथा अन्य प्रीमियम या डिस्काउंट जो किसी वित्तीय लिखत की प्रभावी ब्याज दर का अभिन्न अंग है, परिशोधित करता है।

एफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत वित्तीय परिसंपत्तियों को छोड़कर वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए प्रभावी ब्याज दर आधार पर लाभ एवं हानि के समेकित विवरण में आय को मान्य किया जाता है।

वित्तीय परिसंपत्ति की शुरूआती मान्यता पर ईआइआर का निर्धारण किया जाता है। इसके बाद संबंधित संविदा की शर्तों के अनुसरण में प्रत्येक रीसेट पर ईआइआर को अपडेट किया जाता है।

जब वित्तीय परिसंपत्तियों की शर्तों पर फिर से वार्ता की जाती है, तो बाजार चालित ब्याज दर मूवमेंट से भिन्न, संशोधन से पूर्व यथा परिकलित पिछले ईआईआर का प्रयोग करके मापे गए किसी अभिलाभ/हानि को लाभ एवं हानि के समेकित विवरण में उस अवधि में मान्य किया जाता है जिसके दौरान पुनः वार्ता होती है।

(ख) अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीओसीआई) पर वित्तीय परिसंपत्तियां

यदि निम्नलिखित दोनों शर्तें पूरी होती हैं, तो एफवीटीओसीआई पर वित्तीय परिसंपत्ति का मापन किया जाता है:

- व्यवसाय मॉडल का उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह के संग्रहण तथा वित्तीय परिसंपत्तियों की बिक्री दोनों द्वारा प्राप्त किया जाता है; और
- परिसंपत्ति की संविदात्मक शर्तें निर्धारित तारीखों को नकदी प्रवाहों को जन्म देती हैं जो बकाया मूलधन पर मूलधन एवं ब्याज के अनन्य भुगतान (एसपीपीआई) हैं।

उचित मूल्य में सभी परिवर्तनों को अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में मान्य किया जाता है और रिजर्व में संचित किया जाता है।

(ग) लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीपीएल) पर वित्तीय परिसंपत्तियां

किसी वित्तीय परिसंपत्ति को एफवीटीपीएल पर मापा जाता है, जब तक कि उसे लाभ एवं हानि के समेकित विवरण में मान्य उचित मूल्य में सभी परिवर्तनों के साथ परिशोधित लागत या एफवीटीओसीआई पर मापा न गया हो।

समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

व्यवसाय मॉडल

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रबंधन के लिए व्यवसाय मॉडल का आकलन किसी वित्तीय परिसंपत्ति के वर्गीकरण का आधार होता है। समूह (ग्रुप) एक ऐसे स्तर पर व्यवसाय मॉडल का निर्धारण करता है जो यह दर्शाता है कि नकदी प्रवाह के सृजन के किसी विशिष्ट व्यावसायिक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रबंधन एक साथ किस प्रकार किया जाता है। समूह के व्यवसाय मॉडल का आकलन लिखत-दर-लिखत आधार के बजाय समूहन के उच्चतर स्तर पर किया जाता है।

समूह का मुख्य व्यवसाय विद्युत क्षेत्र मूल्य श्रृंखला को ऋण प्रदान करना है और इन ऋणों को ऋण काल में संविदात्मक नकदी प्रवाह प्राप्त करने के लिए प्रबंधित किया जाता है। इसके अलावा, समूह द्वारा संविदात्मक नकदी प्रवाह के संग्रहण के लिए अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां भी धारित की जा सकती है।

(ii) इक्विटी लिखतों का वर्गीकरण और मापन

सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों एवं सहयोगी कंपनियों में इक्विटी निवेश से भिन्न सभी इक्विटी निवेश उचित मूल्य पर मापे जाते हैं। ट्रेडिंग के लिए धारित किए गए इक्विटी लिखतों को एफवीटीपीएल पर वर्गीकृत किया जाता है। सभी अन्य इक्विटी लिखतों के लिए समूह शुरूआती मान्यता पर उसे एफवीटीओसीआई या एफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत करने के लिए अप्रतिसंहार्य चुनाव करता है। समूह लिखत दर लिखत आधार पर ऐसा चुनाव करता है।

एफवीटीओसीआई के रूप में वर्गीकृत इक्विटी निवेश को शुरू में उचित मूल्य प्लस लेन-देन लागत पर मापा जाता है। उसके बाद उसे उचित मूल्य पर मापा जाता है और उचित मूल्य में सभी परिवर्तनों को समेकित अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में मान्य किया जाता है और समेकित आरक्षित निधि में संचित किया जाता है। निवेश की बिक्री पर भी ओसीआई से लाभ एवं हानि के समेकित विवरण में राशियों की कोई पुनःचक्रण नहीं होता है। तथापि, समूह इक्विटी के अंदर उसका हस्तांतरण करता है।

एफवीटीपीएल श्रेणी में शामिल इक्विटी लिखतों को लाभ एवं हानि के समेकित विवरण में मान्य सभी परिवर्तनों के साथ उचित मूल्य पर मापा जाता है।

(iii) वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षतिग्रस्तता

(क) शुरूआती मान्यता के बाद, समूह इंड एएस 109 'वित्तीय लिखत' के अंतर्गत आवश्यकता के अनुसार परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियां पर अपेक्षित क्रेडिट हानि (ईसीएल) को मान्य करता है। ऋण परिसम्पत्तियों से भिन्न ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियां पर ईसीएल को आजीवन अपेक्षित क्षतियों के बराबर राशि पर मापा जाता है। समूह ''वित्तीय लिखतों पर क्षतिग्रस्तता'' के रूप में लाभ एवं हानि विवरण में ईसीएल प्रभार या प्रत्यावर्तन (जहां निवल राशि विशिष्ट अवधि के लिए ऋणात्मक शेष है) दर्शाता है।

ईसीएल की मान्यता एवं मापन के लिए क्षतिग्रस्तता की आवश्यकताओं को एफवीटीओसीआई पर ऋण परिसंपत्ति पर समान रूप से प्रयुक्त किया जाता है, सिवाय इसके कि ईसीएल को अन्य व्यापक आय में मान्य किया जाता है और तुलन-पत्र में उठाव राशि से कटौती नहीं की जाती है।

(ख) चुकौती आश्वासन पत्र (एलओसी) के अंतर्गत ऋण परिसंपत्तियों एवं प्रतिबद्धताओं की क्षतिग्रस्तताः

समूह आजीवन ईसीएल के समान राशि पर ऋण परिसंपत्तियों पर ईसीएल का मापन करता है, यदि क्रेडिट क्षतिग्रस्तता होती है या शुरूआती मान्यता के बाद क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि (एसआईसीआर) हुई है। यदि शुरूआती मान्यता की तुलना में कोई एसआईसीआर नहीं होता है, तो समूह 12 माह के ईसीएल के बराबर राशि पर ईसीएल मापता है। इस बात का मूल्यांकन करते समय कि शुरूआती मान्यता के बाद कोई एसआईसीआर है, समूह तर्कसंगत एवं समर्थनीय सूचना पर विचार करता है जो अनुचित लागत या प्रयास के बगैर उपलब्ध होती है। यदि समूह पिछली अवधि में आजीवन ईसीएल के रूप में हानि छूट का मापन करता है परंतु परवर्ती अवधि में निर्धारित करता है कि क्रेडिट की गुणवत्ता में सुधार के कारण शुरूआती मान्यता के बाद कोई एसआईसीआर नहीं है, तो समूह पुनः 12 माह के ईसीएल के आधार पर हानि छूट का पुनःमापन करता है।

ईसीएल क्रेडिट क्षतिग्रस्त ऋण परिसंपत्तियों के लिए व्यक्तिगत आधार पर मापा जाता है तथा अन्य ऋण परिसंपत्तियों पर यह सामान्यतया सजातीय समूहों का प्रयोग करके सामूहिक आधार पर मापा जाता है।

समूह ऋण परिसंपत्तियों की तरह समान आधार पर एलओसी के अंतर्गत प्रतिबद्धताओं पर क्षतिग्रस्तता का मापन करता है।

(ग) परिणामी हानियों एवं प्रत्यावर्तनों (रिवर्सल) को लाभ एवं हानि विवरण में मान्य किया जाता है।

(घ) आरईसी लिमिटेड वित्तीय परिसंपत्तियों को केवल उस समय आंशिक रूप से या पूर्णतः बट्टे खाते में डालती है जब कंपनी वसूली के लिए प्रयास करना छोड़ देती है।

समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

(iv) वित्तीय परिसंपत्तियों की विमान्यता

समूह किसी वित्तीय परिसंपत्ति को तब विमान्य करता है जब संपत्ति से नकदी प्रवाह के संविदात्मक अधिकार समाप्त हो जाते हैं या जब यह किसी दूसरे पक्षकार को वित्तीय परिसंपत्ति तथा परिसंपत्ति के स्वामित्व के सारवान रूप से सभी जोखिमों एवं इनामों को अंतरित कर देता है।

किसी वित्तीय परिसंपत्ति की पूर्णतः विमान्यता पर, परिसंपत्ति की वहन राशि एवं प्राप्त और प्राप्य प्रतिफल की रकम तथा संचयी अभिलाभ या हानि जिसे समेकित अन्य व्यापक आय में मान्य किया गया था और समेकित इक्विटी में संचित किया गया था, के बीच अंतर को लाभ एवं हानि के समेकित विवरण में मान्य किया जाता है यदि ऐसे अभिलाभ या हानि को उस वित्तीय परिसंपत्ति के निपटान पर लाभ एवं हानि के समेकित विवरण में अन्यथा मान्य किया गया है।

6.5.2 वित्तीय देयताएं

(i) डेरिवेटिव तथा वित्तीय गारंटी संविदाओं से भिन्न सभी वित्तीय देयताओं को बाद में प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) विधि का प्रयोग करके परिशोधित लागत पर मापा जाता है।

वित्तीय देयता की शुरूआती मान्यता पर ईआईआर का निर्धारण किया जाता है। इसके बाद संबंधित संविदा की शर्तों के अनुसरण में रीसेट की संबंधित तारीख को परिवर्तनशील ब्याज दर वाली वित्तीय देयताओं के लिए ईआईआर को अपडेट किया जाता है।

(ii) वित्तीय गारंटी

समूह द्वारा जारी की गई वित्तीय गारंटी को शुरू में उचित मूल्य पर मापा जाता है और यदि एफवीटीपीएल पर निर्दिष्ट नहीं है, तो बाद में निम्नलिखित के उच्चतर स्तर पर मापा जाता है:

- गारंटी के फलस्वरूप उत्पन्न किसी वित्तीय बाध्यता के निपटान के लिए अपेक्षित व्यय का सर्वोत्तम अनुमान; और
- उपयुक्त होने पर लाभ एवं हानि के समेकित विवरण में मान्य आय की संचयी राशि को घटाकर शुरू में मान्य की गई राशि।

(iii) वित्तीय देयताओं की विमान्यता

समूह वित्तीय देयताओं को तब और केवल तभी विमान्य करता है जब समूह की बाध्यताएं उन्मुक्त, रद्द या समाप्त हो जाती हैं। विमान्य वित्तीय देयता की उठाव राशि और संदत्त एवं संदेय प्रतिफल के बीच अंतर को लाभ और हानि के समेकित विवरण में मान्य किया जाता है।

6.5.3 वित्तीय लिखतों का प्रतितुलन (ऑफसेटिंग)

वित्तीय परिसंपत्तियों एवं वित्तीय देयताओं का प्रतितुलन (ऑफसेट) किया जाता है और निवल राशि तुलन-पत्र में सूचित की जाती है यदि मान्य राशियों के प्रतितुलन (ऑफसेट) के लिए वर्तमान में कोई प्रवर्तनीय कानूनी अधिकार होता है तथा परिसंपत्तियों की एक साथ वसूली तथा देयताओं के निपटान के लिए निवल आधार पर निपटान का उद्देश्य होता है।

6.6 निवेश संपत्ति

निवेश संपत्तियां ऐसी परिसंपत्तियां होती हैं जिन्होंने भावी प्रयोग को अनिश्चित किया है। निवेश संपत्तियों को शुरू में लेन-देन लागत सहित लागत पर मापा जाता है। शुरूआती मान्यता के बाद, निवेश संपत्तियों को संचित मूल्यह्रास घटाकर लागत पर व्यक्त किया जाता है। लागत में क्रय मूल्य, ऋण की लागत शामिल हैं यदि पूंजीकरण के मानदंड पूरे होते हैं और आशयित प्रयोग के लिए कार्यसाधक स्थिति में परिसंपत्तियों को लाने की लागत पर सीधे आरोपित करने योग्य हैं। क्रय मूल्य तैयार करने में किसी ट्रेड डिस्काउंट एवं रिबेट की कटौती की जाती है।

उत्तरवर्ती लागतों को उपयुक्तता के अनुसार केवल तभी परिसंपत्ति की वहन राशि में शामिल किया जाता है या अलग परिसंपत्ति के रूप में मान्य किया जाता है जब इस बात की संभावना होती है कि मद से संबद्ध भावी आर्थिक लाभ एक साल के बाद समूह को प्रवाहित होंगे। सभी अन्य मरम्मत एवं अनुरक्षण लागत को व्यय के अनुसार लाभ और हानि के समेकित विवरण में मान्य किया जाता है।

उत्तरवर्ती मापन (मूल्यह्रास तथा उपयोगी जीवनकाल)

समूह के पास निवेश संपत्ति के रूप में केवल भूमि है, जिस पर मूल्यह्रास नहीं होता है।

विमान्यता

निवेश संपत्ति को निपटान पर या उस समय पर विमान्य किया जाता है जब निवेश संपत्ति को प्रयोग से स्थायी रूप से हटा दिया जाता है और निपटान से किसी भावी आर्थिक लाभ की उम्मीद नहीं होती है। संपत्ति की विमान्यता से उत्पन्न किसी अभिलाभ या हानि (निपटान की निवल आय तथा परिसंपत्ति की उठाव राशि के बीच अंतर के रूप में परिकलित) को लाभ और हानि के समेकित विवरण में उस अवधि में शामिल किया जाता है जिसमें संपत्ति को विमान्य किया जाता है।

समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

6.7 संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण (पीपीई) तथा मूल्यहास

(i) शुरू में पीपीई की मदों को लागत पर मान्य किया जाता है। इसके बाद फ्रीहोल्ड भूमि जिसके लिए मूल्यहास नहीं किया जाता है, को छोड़कर, संचित मूल्यहास एवं संचित क्षतिग्रस्तता हानि को घटाकर लागत पर मापन किया जाता है। सक्रिय प्रयोग से निवृत्त तथा निपटान के लिए धारित पीपीई की मद को उसके बही मूल्य या निवल वसूली योग्य मूल्य के निचले स्तर पर व्यक्त किया जाता है।

(ii) पट्टे पर धारित (लीजहोल्ड) परिसरों के सुधार पर खर्च की राशि को लागत में मान्य किया जाता है तथा इसे पीपीई के अंतर्गत ''लीजहोल्ड सुधार'' के रूप में दर्शाया जाता है।

(iii) प्रयोग में रखी गई परिसंपत्तियों के मामले में, अंतिम निपटान के वर्ष में आवश्यक समायोजन के अधीन अनुमोदित बिलों या संविदाओं के अनुसार किए गए कार्य के अनुमानित मूल्य जहां अंतिम बिल अभी तक प्राप्त/अनुमोदित नहीं हुआ है, के आधार पर पूंजीकरण किया जाता है।

(iv) पीपीई की किसी मद के प्रतिस्थापित पार्ट की लागत को मद की वहन राशि में मान्य किया जाता है यदि ऐसी संभावना होती है कि पार्ट में शामिल भावी आर्थिक लाभ समूह को प्रवाहित होंगे तथा उसकी लागत का मापन विश्वसनीय ढंग से किया जा सकता है। प्रतिस्थापित पार्ट की उठाव राशि विमान्य की जाती है। पीपीई की अनुरक्षण या सर्विसिंग लागत को व्यय के अनुसार लाभ और हानि के समेकित विवरण में मान्य किया जाता है।

(v) निर्माणाधीन पीपीई को लागत पर अग्रेनीत किया जाता है तथा कोई मान्य क्षतिग्रस्तता हानि घटाई जाती है। पीपीई की ऐसी मदों को संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की उपयुक्त श्रेणियों में तब वर्गीकृत किया जाता है जब वे पूर्ण और आशयित प्रयोग के लिए तैयार हो जाती हैं। अन्य परिसंपत्तियों की तरह इन परिसंपत्तियों का मूल्यहास तब शुरू होता है जब परिसंपत्तियां अपने आशयित प्रयोग के लिए तैयार हो जाती हैं।

(vi) निम्नलिखित को छोड़कर, अनुमानित उपयोगी जीवनकाल में ह्रासित मूल्य विधि* के अनुसार उनके अवशिष्ट मूल्य* को घटाकर परिसंपत्ति की लागत को बट्टे खाते में डालने के लिए मूल्यहास मान्य किया जाता है जो कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-II में निर्धारित जीवनकाल के समान हैः

पीपीई की प्रकृति	पीपीई के उपयोग की अवधि
सेल फोन(1)	2 वर्ष
लीजहोल्ड सुधार (2)	पट्टा अवधि या उनके उपयोग करने की अवधि, जो भी कम हो (पीएफसीसीएल के मामले में)

अवशिष्ट मूल्य को पीपीई की मूल लागत का 5% के बराबर आंका जाता है।

* आरईसी लिमिटेड द्वारा सीधी रेखा विधि का प्रयोग करके मूल्यहास प्रदान किया जाता है।

(1) समूह द्वारा उपयोगी जीवनकाल 2 वर्ष माना गया है।

(2) पट्टे पर धारित (लीजहोल्ड) सुधारों को सीधी रेखा आधार पर परिशोधित किया जाता है।

(vii) वर्ष के दौरान पीपीई में वृद्धि/कटौती पर मूल्यहास को उस माह से/तक यथा अनुपात आधार पर प्रभारित किया जाता है जिसमें प्रयोग के लिए परिसंपत्ति उपलब्ध है/निपटान की गई है।

(viii) निपटान पर या परिसंपत्ति का प्रयोग जारी रखने से भविष्य में कोई आर्थिक लाभ प्राप्त होने की उम्मीद न होने पर पीपीई की किसी मद को विमान्य किया जाता है। पीपीई की किसी मद की विमान्यता पर उत्पन्न किसी अभिलाभ या हानि का निर्धारण बिक्री की निवल आय तथा परिसंपत्ति की उठाव राशि के बीच अंतर के रूप में किया जाता है और उसे लाभ और हानि विवरण में मान्य किया जाता है।

(ix) क्रय के वर्ष में ₹5,000/- तक की लागत वाले पीपीई की प्रत्येक मद का पूर्णतः मूल्यहास किया जाता है।

(x) रिपोर्टिंग की तारीख को निर्माणाधीन पीपीई की लागत का खुलासा 'पूंजी प्रगति पर कार्य' के रूप में किया जाता है। लागत में क्रय मूल्य, ऋण की लागत शामिल हैं यदि पूंजीकरण के मानदंड पूरे होते हैं और आशयित प्रयोग के लिए कार्यसाधक स्थिति में परिसंपत्तियों को लाने की लागत पर सीधे आरोपित करने योग्य हैं। क्रय मूल्य तैयार करने में किसी ट्रेड डिस्काउंट एवं रिबेट की कटौती की जाती है। पीपीई के अधिग्रहण/निर्माण के लिए प्रदत्त अग्रिम, जो तुलन-पत्र की तारीख को बकाया है, को 'पूंजी अग्रिम' के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है।

6.8 अमूर्त परिसंपत्तियां एवं परिशोधन

(i) निश्चित उपयोगी जीवनकाल वाली अमूर्त परिसंपत्तियों जिनकी अलग से खरीद की जाती है, को लागत पर मान्य किया जाता है। लागत में परिसंपत्ति के आशयित प्रयोग के लिए उसे तैयार करने के लिए किसी प्रकार के सीधे आरोप्य आवश्यक आनुषंगिक व्यय शामिल होते हैं। परवर्ती मापन लागत पर किया जाता है जिसमें से संचित परिशोधन एवं संचित क्षतिग्रस्तता हानि, यदि कोई हो, घटाई जाती है। परिशोधन को उनके अनुमानित उपयोगी जीवनकाल में सीधी रेखा आधार पर मान्य किया जाता है।

(ii) किए गए व्यय जो अमूर्त परिसंपत्तियों के अंतर्गत पूंजीकरण के लिए पात्र हैं, को उनके आशयित प्रयोग के लिए तैयार रहने तक विकास के अधीन अमूर्त परिसंपत्ति के रूप में अग्रनीत किया जाता है।

(iii) निश्चित मियाद वाली अमूर्त परिसंपत्तियों की उपयोगिता अवधि समूह द्वारा 5 वर्ष के रूप में निर्धारित किया गया है। पीएफसीसीएल के मामले में, अनुमानित मियाद 36 माह है।

समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

(iv) निपटान पर या जब प्रयोग अथवा निपटान से किसी भावी आर्थिक लाभ की उम्मीद नहीं होती है तब अमूर्त परिसंपत्तियों को विमान्य किया जाता है। किसी अमूर्त परिसंपत्ति की विमान्यता से उत्पन्न किसी अभिलाभ या हानि का निर्धारण निपटान की निवल आय तथा परिसंपत्ति की उठाव राशि के बीच अंतर के रूप में किया जाता है और उसे लाभ और हानि के समेकित विवरण में मान्य किया जाता है।

(v) किए गए व्यय जो अमूर्त परिसंपत्तियों के अंतर्गत पूंजीकरण के लिए पात्र हैं, को उनके आशयित प्रयोग के लिए तैयार रहने तक विकास के अधीन अमूर्त परिसंपत्ति के रूप में अग्रनीत किया जाता है।

6.9 बिक्री के लिए धारित परिसंपत्तियां/निपटान समूह

परिसंपत्तियों को बिक्री के लिए धारित के रूप में तब वर्गीकृत किया जाता है जब उनकी उठाव राशि प्रधान रूप से बिक्री लेन-देन के माध्यम से, न कि सतत प्रयोग से वसूल होगी और बिक्री की काफी संभावना होती है। आस्थगित कर जैसी परिसंपत्तियों, कार्मिक हितलाभ से उत्पन्न परिसंपत्तियों, वित्तीय परिसंपत्तियों तथा बीमा संविदाओं के अंतर्गत संविदात्मक अधिकारों को छोड़कर, जिनको इस आवश्यकता से विशेष रूप से छूट प्रदान की गई है, उनको बिक्री की लागत को घटाकर उनकी उठाव राशि या उचित मूल्य के कमतर स्तर पर मापा जाता है।

गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास या परिशोधन नहीं किया जाता है, जब वे बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत होती हैं। बिक्री के लिए धारित गैर वर्तमान परिसंपत्तियों को तुलन-पत्र में अन्य परिसंपत्तियों से अलग प्रस्तुत किया जाता है।

जहां समूह किसी बिक्री योजना के लिए प्रतिबद्ध होता है जिसमें किसी सहायक कंपनी का नियंत्रण खोना शामिल है, तो यह निवेश को बिक्री के लिए धारित के रूप में संस्था (अर्थात एंटीटी की सभी परिसंपत्तियां एवं देयताएं) में वर्गीकृत करता है।

6.10 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां

(i) प्रावधानों को तब मान्य किया जाता है जब किसी पिछली घटना के फलस्वरूप समूह की कोई वर्तमान विधिक या निर्माणकारी बाध्यता होती है, यदि यह संभवना हो कि समूह से बाध्यता का निपटान करने की अपेक्षा होगी और बाध्यता की राशि का विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है।

(ii) प्रावधान के रूप में स्वीकृत राशि बाध्यता से जुड़े जोखिमों और अनिश्चितताओं को ध्यान में रखते हुए रिपोर्टिंग अवधि के अंत में मौजूदा बाध्यता के निपटान के लिए अपेक्षित प्रतिफल का सर्वोत्तम अनुमान होती है।

(iii) जब कुछ या सभी आर्थिक हितलाभों का निपटान करने की आवश्यकता होती है, तो तीसरे पक्ष से प्रावधान प्राप्त होने की उम्मीद होती है, प्राप्य प्रावधान को परिसंपत्ति के रूप में मान्य किया जाता है यदि आभासिक रूप में निश्चित होता है कि प्रतिपूर्ति प्राप्त होगी तथा प्राप्य प्रावधान की राशि को विश्वसनीय ढंग से मापा जा सकता है।

(iv) जहां यह संभावना नहीं होती है कि आर्थिक हितलाभों का बहिर्प्रवाह अपेक्षित होगा अथवा विश्वसनीय ढंग से राशि का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, लेखाओं पर टिप्पणियों में आकस्मिक देयता के रूप में बाध्यता का खुलासा किया जाता है, जब तक कि आर्थिक हितलाभों के बहिर्प्रवाह की संभावना कम न हो।

(v) आकस्मिक परिसंपत्तियों को वित्तीय विवरणों में मान्य नहीं किया जाता है। तथापि, जब आर्थिक हितलाभों के अंतर्वाह की संभावना होती है तो आकस्मिक परिसंपत्तियों का वित्तीय विवरणों में प्रकटन किया जाता है।

6.11 आय एवं व्यय की मान्यता

(i) बाद में परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों पर ब्याजगत आय को प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) विधि का प्रयोग करके मान्य किया जाता है। प्रभावी ब्याज दर (ईआइआर) ऐसी दर है जो शुरूआती मान्यता पर उस परिसंपत्ति की निवल वहन राशि के अनुसार वित्तीय परिसंपत्ति के अपेक्षित जीवनकाल में अनुमानित भावी नकदी प्राप्तियों को सटीक रूप में डिस्काउंट करती है।

(ii) जब तक कि अन्यथा निर्दिष्ट न किया जाए, आरईसीएल के ऋणकर्ताओं से वसूली को (i) आरईसेल की लागतों और व्ययों; (ii) ब्याज कर, यदि कोई हो, सहित विलंबित और दंडस्वरूप ब्याज; (iii) ब्याज कर, यदि कोई हो, सहित अतिदेय ब्याज; और (iv) मूलधन की चुकौती के क्रम में समायोजित किया जाता है; क्रेडिट क्षतिग्रस्त ऋणों और प्रत्याह्वान ऋणों, जिनमें मूलधन की राशि को ब्याज कर, यदि कोई हो, सहित अन्य लागतों, व्ययों, विलंबित और दंडस्वरूप ब्याज और अतिदेय ब्याज की संपूर्ण वसूली के बाद ही समायोजित किया जाता है, को छोड़कर मूलधान की राशि को सबसे पहले समायोजित किया जाता है। एकबारगी भुगतान (ओटीएस)/इंसोल्वेंसी एवं बैंकरप्सी कोड कार्यवाहियों के अंतर्गत वसूली को सबसे पहले मूलधन बकाया और शेष वसूली में समायोजित किया जाता है उसके पश्चात् ब्याज और अन्य प्रभारों, यदि कोई हो, में समायोजित किया जाता है।

(iii) इसके बाद वित्तीय परिसंपत्तियों पर लाभ एवं हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापे गए ब्याज को संबंधित संविदा की शर्तों के अनुसरण में प्रोद्भवन आधार पर मान्य किया जाता है और ब्याज आय के अंतर्गत पृथक प्रकटन किया जाता है।

(iv) ऋणकर्ताओं द्वारा ब्याज के समय से भुगतान के लिए छूट (रिबेट) को समय से संपूर्ण देय ब्याज राशि की प्राप्ति पर संबंधित संविदा की शर्तों के अनुसरण में मान्य किया जाता है और समतुल्य ब्याज आय के सापेक्ष डाला जाता है।

समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

(v) समूह, कब और कितना राजस्व मान्य किया गया है, राजस्वों की प्रकृति, राशि, समय और अनिश्चितता क्या हैं आदि के निर्धारण के लिए इंड एएस 115 के अंतर्गत निर्दिष्ट सिद्धांतों का उपयोग करता है। इनके अनुसरण में राजस्व को एक पांच-चरणीय पद्धति के माध्यम से मान्य किया जाता है:

(क) ग्राहकों के साथ संविदा (संविदाओं) की पहचान करना;

(ख) संविदा में पृथक निष्पादन बाध्यताओं की पहचान करना;

(ग) लेन-देन की कीमत का निर्धारण करना;

(घ) निष्पादन बाध्यताओं में लेन-देन की कीमत का आबंटन करना; और

(ङ) निष्पादन बाध्यता का समाधान हो जाने पर राजस्व को मान्य करना।

राजस्व का मापन प्राप्त या प्राप्य प्रतिफल, छूटों का निवल और अन्य अप्रत्यक्ष करों के उचित मूल्य पर किया जाता है।

लागतोपरि संविदाओं में - राजस्व को संविदा के अनुसार व्ययों के साथ-साथ अनुपातिक मार्जिन की पात्र संविदात्मक मदों सहित के माध्यम से मान्य किया जाता है।

नियत कीमत संविदाओं में - राजस्व को संविदा के पूरा होने के चरणों के आधार पर मान्य किया जाता है। समूह ने आकलन किया है कि पूरा होने के चरण का निर्धारण निष्पादन बाध्यता के पूरा होने के लिए अनुमानित कुल समय से रिपोर्टिंग अवधि के अंत में कालातीत समय के अनुपात के रूप में किया जाता है, जो इंड एएस 115 के अंतर्गत इन निष्पादन बाध्यताओं के संपूर्ण समाधान के लिए प्रगति का उपयुक्त मापन है।

निष्पादन बाध्यताओं के पूरा होने के लिए राजस्वों, लागतों या प्रगति की सीमा के अनुमानों को परिस्थितियों में परिवर्तन होने के मामले में संशोधित किया जाता है। राजस्वों या लागतों के अनुमानों में कोई परिणामी वृद्धि या कमी को उस परिस्थिति की अवधि में लाभ या हानि में दर्शाया जाता है जिसके प्रबंधन को ज्ञात होने पर संशोधन आवश्यक बन गया।

(vi) विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के निदेशों के अनुसार शुरू की गई स्वतंत्र पारेषण परियोजनाओं (आईटीपी) तथा अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाओं (यूएमपीपी) के विकास के सिलसिले में परामर्शी सेवाओं से राजस्व को पूर्ण संविदा विधि के आधार पर मान्य किया जाता है अर्थात जब परियोजना के लिए सृजित आईटीपी/यूएमपीपी सफल बोलीदाता को हस्तांतरित कर दिया जाता है जिसका साक्ष्य शेयर क्रय करार होता है। इन परियोजनाओं के विकास पर खर्च की गई राशि जो सीधी लागत के रूप में वसूल नहीं की जाती है, प्रबंधन द्वारा निर्णीत सहमत प्रभार दर पर बिलिंग के माध्यम से वसूल की जाती है।

(vii) स्वतंत्र पारेषण परियोजनाओं (आईटीपी) तथा अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाओं (यूएमपीपी) के अर्हता के लिए अनुरोध (आरएफक्यू) दस्तावेजों से बिक्री आय को उस समय लेखांकित किया जाता है जब यह प्राप्त होती है।

(viii) विद्युत तथा कोयला फ्लेक्सिबिलिटी योजना की अल्प/मध्यम अवधि बोली से आय को उस समय मान्य किया जाता है जब सफल बोलीदाता को कार्यादेश पत्र (एलओए) जारी किया जाता है।

(ix) निवेश से लाभांश आय को लाभ एवं हानि के समेकित विवरण में उस समय मान्य किया जाता है जब लाभांश प्राप्त करने के लिए समूह का अधिकार स्थापित हो जाता है, जो उद्धृत प्रतिभूतियों के मामले में पूर्व लाभांश तारीख है।

(x) इसके बाद लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापे गए वित्तीय परिसंपत्तियों पर लाभांश को पृथक रूप से 'लाभांश आय' शीर्ष में मान्य किया जाता है।

(xi) बाद में परिशोधित लागत पर मापे गए ऋणों पर ब्याज व्यय को प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) विधि का प्रयोग करके मान्य किया जाता है।

(xii) अन्य आय एवं व्यय को संबंधित संविदा की शर्तों के अनुसरण में प्रोद्भवन आधार पर लेखांकित किया जाता है।

(xiii) ₹1,00,000/- तक के पूर्वदत्त व्यय को शुरूआती मान्यता पर व्यय के रूप में मान्य किया जाता है।

6.12 शेयरों के निर्गम पर व्यय

शेयरों के निर्गम पर व्यय को प्रतिभूति प्रीमियम खाते में प्रभारित किया जाता है।

समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

6.13 ऋण लागतें

ऋण की लागतों में ब्याज तथा अन्य लागतें शामिल होती हैं जिन्हें समूह निधियां ऋण लेने के सिलसिले में व्यय करता है। ऋण की लागतें जो अर्हक परिसंपत्ति के अधिग्रहण और/या निर्माण पर तब तक सीधे आरोप्य हैं जब तक कि ऐसी अर्हक परिसंपत्ति आशयित प्रयोग या बिक्री के लिए तैयार नहीं होती है, को पूंजीकृत किया जाता है। अर्हक परिसंपत्ति ऐसी परिसंपत्ति होती है जो आशयित प्रयोग के लिए तैयार होने में अनिवार्य रूप से पर्याप्त समय लेती है।

ऋण की सभी अन्य लागतों को प्रभावी ब्याज दर विधि के अनुसार प्रोद्भवन आधार पर लाभ एवं हानि के समेकित विवरण में प्रभारित किया जाता है।

6.14 कार्मिक हितलाभ

(i) परिभाषित अंशदान योजना

भविष्य निधि एवं पेंशन के लिए रिपोर्टिंग अवधि के दौरान समूह के प्रदत्त/देय अंशदान को लाभ एवं हानि के समेकित विवरण में उस समय मान्य किया जाता है जब कार्मिक ऐसी सेवा प्रदान कर चुके होते हैं जिसके आधार पर वे अंशदान के लिए हकदार बनते हैं।

(ii) परिभाषित हितलाभ योजना

कार्मिकों को उपदान तथा सेवानिवृत्ति पश्चात लाभों जैसे कि सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ, आर्थिक पुनर्वास हितलाभ तथा स्थापन भत्ता के लिए समूह की बाध्यता का निर्धारण प्रत्येक वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में किए जा रहे बीमांकक मूल्यांकन के साथ प्रक्षेपित यूनिट क्रेडिट विधि का प्रयोग करके किया जाता है। उपदान तथा अन्य सेवानिवृत्ति पश्चात परिभाषित हितलाभ योजनाओं के पुनः मापन पर बीमांकक अभिलाभ/हानि को अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में मान्य किया जाता है। पिछली सेवा लागत को लाभ एवं हानि के समेकित विवरण में योजना संशोधन की अवधि में मान्य किया जाता है।

(iii) अन्य दीर्घावधि कार्मिक हितलाभ

छुट्टी नकदीकरण, सेवा पुरस्कार योजना के लिए समूह की बाध्यता का निर्धारण प्रत्येक वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में किए जा रहे बीमांकिक मूल्यांकन के साथ प्रक्षेपित यूनिट क्रेडिट विधि का प्रयोग करके किया जाता है। इन बाध्यताओं को लाभ एवं हानि के समेकित विवरण में मान्य किया जाता है।

(iv) अल्पावधि कार्मिक हितलाभ

अल्पावधि कार्मिक हितलाभों जैसे कि वेतन एवं मजदूरी को लाभ एवं हानि के समेकित विवरण में उस सेवा के बदले में भुगतान किए जाने के लिए अपेक्षित लाभों की गैर बट्टाकृत राशि पर उस अवधि में मान्य किया जाता है जिसमें संबंधित सेवा प्रदान की जाती है।

(v) कार्मिकों को रियायती दर पर ऋण

कार्मिकों को रियायती दर पर प्रदान किए गए ऋणों को शुरू में उचित मूल्य पर मान्य किया जाता है और इसके बाद परिशोधित लागत पर मापा जाता है। ऐसे ऋणों के आरंभिक उचित मूल्य तथा लेन-देन मूल्य में अंतर को ऋण के निर्गम पर आस्थगित कार्मिक लागत के रूप में मान्य किया जाता है, जिसे ऋण की अपेक्षित शेष अवधि में सीधी रेखा के आधार पर परिशोधित किया जाता है। ऋण की अपेक्षित शेष अवधि में परिवर्तन के मामले में परिवर्तन की तारीख को अपरिशोधित आस्थगित कार्मिक लागत को संभावित आधार पर ऋण की अद्यतन अपेक्षित शेष अवधि में परिशोधित किया जाता है।

6.15 आयकर

आयकर व्यय में वर्तमान एवं आस्थगित कर शामिल होते हैं। इसे लाभ एवं हानि के समेकित विवरण में मान्य किया जाता है, सिवाय उस स्थिति के जब यह ऐसी मद से संबंधित होता है जो ओसीआई में या सीधे इक्विटी में मान्य की जाती है तथा ऐसे मामले में कर को भी ओसीआई में या सीधे इक्विटी में मान्य किया जाता है।

(i) वर्तमान कर

वर्तमान कर लागू की गई या सारवान रूप से लागू की गई तथा रिपोर्टिंग तारीख को यथालागू कर दरों और पिछले वर्षों के संबंध में देय कर में किसी समायोजन का प्रयोग करके वर्ष के लिए कराधेय आय पर देय अपेक्षित कर है।

वर्तमान कर परिसंपत्तियों एवं देयताओं का उस समय प्रतितुलन (ऑफसेट) किया जाता है जब मान्य राशि के प्रतितुलन के लिए कानूनी तौर पर प्रवर्तनीय कोई अधिकार होता है और निवल आधार पर परिसंपत्ति एवं देयता का निपटान करने का इरादा होता है।

(ii) आस्थगित कर

समेकित वित्तीय विवरणों में आस्थगित कर को परिसंपत्तियों एवं देयताओं की वहन राशियों तथा कर योग्य आय की गणना में प्रयुक्त समतुल्य कर आधारों के बीच अस्थाई अंतरों पर मान्य किया जाता है। परिसंपत्तियों/देयताओं की वहन राशि की वसूली या निपटान की अपेक्षित विधि के आधार पर रिपोर्टिंग तारीख तक अधिनियमित या सारवान रूप से अधिनियमित कानूनों के आधार पर कर दरों पर आस्थगित कर मापा जाता है। आस्थगित

कर परिसंपत्तियों एवं देयताओं का उस समय प्रतितुलन किया जाता है जब देयताओं के विरुद्ध वर्तमान कर परिसंपत्तियों को अलग करने के लिए कानूनी तौर पर प्रवर्तनीय अधिकार होता है तथा वे समान कर प्राधिकारी द्वारा लगाए गए आयकरों से संबंधित होती हैं।

आस्थगित कर देयता को सभी कर योग्य अस्थाई अंतरों के लिए मान्य किया जाता है। आस्थगित कर परिसंपत्ति को सभी कटौती योग्य अस्थाई अंतरों के लिए उस सीमा तक मान्य किया जाता है जहां तक इस बात की संभावना होती है कि कर योग्य लाभ उपलब्ध होंगे जिनके विरुद्ध उन कटौती योग्य अस्थाई अंतरों का प्रयोग किया जा सकता है। प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख को आस्थगित परिसंपत्तियों की समीक्षा की जाती है तथा उस सीमा तक घटाया जाता है जहां तक अब ऐसी संभावना नहीं रहती है कि संबंधित कर लाभ वसूल किए जाएंगे।

(iii) लाभांश के वितरण से उत्पन्न अतिरिक्त आयकर को उसी समय मान्य किया जाता है जब लाभांश का भुगतान करने की देयता को मान्य किया जाता है।

6.16 पट्टा

पट्टा संविदाओं को मान्य करने, मापने और प्रस्तुतीकरण के लिए, समूह इंड एएस 116 'लीजेज' के सिद्धांतों को लागू करता है।

पट्टाधारी के रूप में समूह

संविदा की शुरूआत में समूह यह आकलन करता है कि क्या संविदा पट्टा है या इसमें पट्टा शामिल है। यदि संविदा में प्रतिफल के बदले में किसी समयावधि के लिए किसी अभिनिर्धारित परिसंपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार दिया गया है तो संविदा पट्टा होती है, या उसमें पट्टा शामिल होता है। यह आकलन करने के लिए कि क्या संविदा में किसी अभिनिर्धारित परिसंपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार दिया गया है, समूह यह आकलन करता है कि क्या (क) समूह को पट्टे की अवधि में परिसंपत्ति के उपयोग से सारवान रूप से सभी आर्थिक हितलाभ प्राप्त हैं, और (ख) समूह को अभिनिर्धारित परिसंपत्ति के उपयोग को निर्देशित करने का अधिकार है।

पट्टे की संविदा की शुरुआत में समूह, बारह माह से कम अवधि वाले पट्टों (अल्पावधि) और कम-मूल्य वाली परिसंपत्तियों, जिन्हें पट्टे की अवधि में एक ऋजु-रेखीय आधार पर प्रचालन व्यय के रूप में मान्यता दी गई है, के सिवाय लागत पर एक राइट-ऑफ-यूज (आरओयू) परिसंपत्ति और एक समान पट्टा देयता का अभिनिर्धारण है।

पट्टे की कुछ व्यवस्थाओं में पट्टे की अवधि समाप्त होने से पहले पट्टे का विस्तार या समाप्त करने के विकल्प शामिल होते हैं। आरओयू परिसंपत्तियों और पट्टा देयताओं में ये विकल्प तब शामिल होते हैं जब यह सम्यक रूप से निश्चित होता है कि उनका उपयोग किया जाएगा।

राइट-ऑफ-यूज (आरओयू) परिसंपत्तियों को शुरू में लागत पर मान्यता प्राप्त होती है, जिसमें पट्टे की देय राशि की प्रारंभिक राशि शामिल होती है जो पट्टे की शुरूआत की तारीख या उससे पहले किए गए किसी भी पट्टा भुगतान के लिए, उसमें कोई प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागत को जोड़कर और प्राप्त किए गए किसी कम पट्टा प्रोत्साहन को घटाकर, समायोजित की जाती है। इन्हें बाद में किसी भी संचित मूल्यहास और संचित क्षतिग्रस्तता हानि को घटाकर लागत पर मापा जाता है। राइट-ऑफ़-यूज़ परिसंपत्तियों को पट्टा अवधि या राइट-ऑफ़-यूज़ परिसंपत्ति के उपयोग की अवधि के आरंभ से ऋजु-रेखा विधि का उपयोग करके अवनत किया जाता है।

पट्टा देयता को शुरू में भविष्य के पट्टे के भुगतान के वर्तमान मूल्य पर परिशोधित लागत पर मापा जाता है। पट्टे के भुगतान को पट्टे में निहित ब्याज दर का उपयोग करके या यदि आसानी से निर्धारित नहीं किया जाता है, तो पट्टों के अधिवास के देश में समूह की वृद्धिशील ऋण दरों का उपयोग करते हुए, छूट दी जाती है।

यदि समूह अपने आकलन में परिवर्तन करता है कि क्या यह विस्तार या समापन विकल्प का प्रयोग करेगा, तो पट्टा देयताओं को संबंधित राइट-ऑफ-यूज (आरओयू) परिसंपत्ति के संगत समायोजन के साथ पुनः मापा जाता है।

पट्टा देयताएं और आरओयू परिसंपत्ति को अलग से तुलन पत्र (बैलेंस शीट) में प्रस्तुत किया जाता है। पट्टा देयताओं पर ब्याज व्यय, लाभ और हानि के समेकित विवरण में वित्त लागत के घटक के रूप में राइट-ऑफ-यूज परिसंपत्ति पर मूल्यहास से अलग से प्रस्तुत किया जाता है। पट्टे के भुगतान को वित्तपोषण गतिविधियों में उपयोग किए जाने वाले नकदी प्रवाह के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

पट्टादाता के रूप में समूह

ऐसे पट्टे, जिनके लिए समूह पट्टादाता है, को वित्त या प्रचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ऐसी संविदा जिनमें पट्टे के सभी जोखिम और एवार्ड पट्टाधारी को हस्तांतरित किए जाते हैं, उन्हें वित्त पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अन्य सभी पट्टे प्रचालन पट्टों के रूप में वर्गीकृत किए जाते हैं। प्रचालन पट्टों के लिए, किराए की आय को प्रासंगिक पट्टे की अवधि में एक ऋजु-रेखीय आधार पर मान्यता दी जाती है।

वित्त पट्टे के तहत पट्टाधारी की ओर से देय राशि को पट्टे में समूह के निवल निवेश के बराबर राशि पर प्राप्य के रूप में मान्य किया जाता है। पट्टे पर वित्त आय को लेखांकन अवधि के लिए आवंटित किया जाता है ताकि रिपोर्टिंग की तारीख को पट्टे के संबंध में समूह के निवल निवेश बकाया पर प्रतिफल की नियत आवधिक दर को दर्शाया जा सके।

समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

6.17 विदेशी मुद्रा लेन-देन एवं परिवर्तन

समूह की कार्यात्मक मुद्रा भारतीय रुपया है। विदेशी मुद्रा के लेन-देन को लेन-देन की तारीख को विनिमय दरों का प्रयोग करके कार्यात्मक मुद्रा में परिवर्तित किया जाता है।

प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में, विदेशी मुद्रा में वर्णित मौद्रिक मदों को रिपोर्टिंग अवधि की अंतिम तारीख को प्रचलित विनिमय दर का प्रयोग करके रूपांतरित किया जाता है। मौद्रिक मदों पर विनिमय दर में अंतरों को लाभ एवं हानि विवरण में उस अवधि में मान्य किया जाता है जिसमें वे उत्पन्न होते हैं। तथापि, 1 अप्रैल, 2018 से पूर्व वित्तीय विवरणों में मान्य दीर्घावधि मौद्रिक मदों के लिए विनिमय दर में ऐसे अंतरों को ''विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद परिवर्तन अंतर लेखा'' में संचित किया जाता है और ऐसी दीर्घावधि मौद्रिक मद की शेष अवधि में परिशोधित किया जाता है।

6.18 सामान्य नियंत्रण के अधीन व्यवसायों का संयोजन

सामान्य नियंत्रण के अधीन संस्थाओं या व्यवसायों वाला व्यवसाय संयोजन ऐसा व्यवसाय संयोजन है जिसमें संयोजन की सभी संस्थाओं या व्यवसाय अंततः उसी पक्षकार या पक्षकारों द्वारा व्यवसाय संयोजन के पहले और बाद में भी नियंत्रित होते हैं तथा यह नियंत्रण अस्थायी नहीं होता है।

ब्याज की पूलिंग विधि का प्रयोग करके सामान्य नियंत्रण के अधीन संस्थाओं या व्यवसायों वाले व्यवसाय संयोजनों को निम्नानुसार लेखांकित किया जाता है:

- संयोजक संस्थाओं की परिसंपत्तियों एवं देयताओं को उनकी वहन राशियों पर दर्शाया जाता है।
- उचित मूल्यों को दर्शाने या नई परिसंपत्तियों अथवा देयताओं को मान्य करने के लिए कोई समायोजन नहीं किया जाता है। केवल लेखांकन की महत्वपूर्ण नीतियों में सामंजस्य स्थापित करने के लए समायोजन किए जाते हैं।
- पिछली अवधियों के संबंध में समेकित वित्तीय विवरणों में वित्तीय सूचना को ऐसे पुनः वर्णित किया गया है जैसे कि व्यवसाय संयोजन वित्तीय विवरणों में पूर्वगामी अवधि आरंभ होने से पहले हुआ है, संयोजन की वास्तविक तारीख जो भी हो।

अंतरक के समेकित वित्तीय विवरणों में उल्लिखित अवधारित अर्जन के शेष को अंतरिती के समेकित वित्तीय विवरणों में उल्लिखित तद्रूपी शेष के साथ जोड़ा गया है। रिजर्व की पहचान को कायम रखा जाता है तथा अंतरक के रिजर्व अंतरिती के रिजर्व बन जाते हैं।

जारी की गई शेयर पूंजी के रूप में दर्ज राशि प्लस नकदी या अन्य परिसंपत्तियों के रूप में किसी अतिरिक्त विवेचन और अंतरक की शेयर पूंजी की राशि के बीच अंतर, यदि कोई हो, को पूंजी रिजर्व में अंतरित किया जाता है तथा अन्य पूंजी रिजर्व से अलग प्रस्तुत किया जाता है।

6.19 पिछली अवधि की सारवान त्रुटियां

पिछली अवधि की सारवान त्रुटियों को प्रस्तुत पिछली अवधियों जिसमें त्रुटि हुई है, के लिए तुलनात्मक राशियों का पुनः वर्णन करके उत्तरभावी प्रभाव से ठीक किया जाता है। यदि त्रुटि प्रस्तुत शीघ्रातिशीघ्र अवधि से पहले हुई है तो प्रस्तुत शीघ्रातिशीघ्र अवधि के लिए प्रारंभिक शेषों का पुनः वर्णन किया जाता है।

6.20 लाभांश

अंतिम लाभांशों को शेयरधारकों द्वारा अनुमोदन की तारीख को देयता के रूप में दर्ज किया जाता है तथा अंतरिम लाभांशों को समूह के निदेशक मंडल द्वारा घोषणा की तारीख को देयता के रूप में दर्ज किया जाता है।

6.21 प्रति शेयर अर्जन

समूह के इक्विटी शेयर धारकों पर आरोप्य निवल लाभ या हानि में वित्तीय वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से भाग देकर प्रति शेयर बुनियादी अर्जन की गणना की जाती है।

प्रति शेयर तनुकृत अर्जन की गणना करने के लिए इक्विटी शेयर धारकों पर आरोप्य अवधि के लिए निवल लाभ या हानि तथा अवधि के दौरान बकाया शेयरों के भारित औसत को सभी तनुकरण योग्य संभावित इक्विटी शेयरों के प्रभाव के लिए समायोजित किया जाता है।

7. अनुमानों तथा प्रबंधन के निर्णयों का उपयोग

समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने में प्रबंधन से आकस्मिक देयताओं सहित परिसंपत्तियों एवं देयताओं की वहन राशि के बारे में निर्णय लेने, अनुमान व्यक्त करने तथा धारणाएं अपनाने की आवश्यकता होती है, जो अन्य स्रोतों से आसानी से स्पष्ट नहीं होती हैं। अनुमान तथा अंतर्निहित धारणाएं ऐतिहासिक अनुभव तथा संगत कारकों पर आधारित होती हैं और सतत आधार पर इनकी समीक्षा की जाती है। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं।

लेखांकन के अनुमानों में परिवर्तन, यदि कोई हो, को उस अवधि में मान्य किया जाता है जिसमें अनुमान संशोधित किया जाता है यदि संशोधन केवल उस अवधि को प्रभावित करता है अथवा संशोधन की अवधि तथा भावी अवधियों में मान्य किया जाता है यदि वर्तमान एवं भावी दोनों अवधियों को प्रभावित करता है।

समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

7.1 प्रबंधन के महत्वपूर्ण निर्णय

समेकित वित्तीय विवरणों की समझ बढ़ाने के उद्देश्य से, लेखांकन की नीतियों, जिनका समेकित वित्तीय विवरणों में मान्य राशियों पर सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव होता है, का प्रयोग करने में अनुमानों में शामिल निर्णयों (नोट 7.2) को छोड़कर महत्वपूर्ण निर्णयों के महत्वपूर्ण क्षेत्रों के बारे में जानकारी इस प्रकार है:

(i) विशेष आरक्षित निधि पर आस्थगित कर देयता

कंपनी तथा इसकी सहायक कंपनी आरईसीएल ने अपने - अपने निदेशक मंडल से यह संकल्प प्राप्त किया है कि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत सृजित एवं अनुरक्षित विशेष रिजर्व से आहरण करने का कोई इरादा नहीं है और इसका रिवर्स करना संभव नहीं है। तदनुसार, उक्त रिजर्व पर किसी आस्थगित कर देयता का सृजन नहीं किया गया है।

(ii) क्रेडिट क्षतिगस्त ऋणों पर आय की गैर-मान्यता

विवेकपूर्ण उपाय के रूप में, क्रेडिट क्षतिग्रस्त ऋणों पर आय को दबावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान पर उनके प्राप्त होने और प्रोद्भवन के आधार पर या उस समय मान्य किया जाता है जब अपेक्षित वसूली बकाया ऋण राशि से अधिक होती है।

(iii) निवेशों का वर्गीकरण

सहायक कंपनी या संयुक्त उद्यम (जेवी) या सहयोगी कंपनियों में निवेश के रूप में कंपनी में किसी निवेश के वर्गीकरण के लिए प्रत्येक मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर नियंत्रण के स्तर का मूल्यांकन करने के लिए निर्णय की आवश्यकता होती है।

(क) एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसिज लिमिटेड (ईईएसएल) को एनटीपीसी लिमिटेड, पावरग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, आरईसीएल और पीएफसी के संयुक्त उद्यम (जेवी) के रूप में 2009 में निगमित किया गया।

ईईएसएल के जेवी करार के अनुसरण में, संयुक्त उद्यम के सभी भागीदारों के सीमा के बगैर लाभांश, मतदान के अधिकारों आदि सहित समान अधिकार एवं विशेषाधिकार हैं जो कुछ आरक्षित मदों पर उनके स्वीकारात्मक मताधिकार के माध्यम से सारवान प्रतिभागी अधिकार प्रदान करते हैं। अतः ईईएसएल पर जेवी के सभी भागीदारों का संयुक्त नियंत्रण है। उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में, ईईएसएल को इक्विटी विधि के अनुसार समेकित किया गया है।

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान की विशेषज्ञ परामर्शी समिति को समेकन के विधि पर उनकी राय प्रदान करने के लिए संदर्भित किया गया था और उन्होंने भी ईईएसएल के साथ समेकन के लिए इक्विटी विधि के पक्ष में राय व्यक्त की।

दिनांक 31.03.2020 तक की स्थिति के अनुसार, पीएफसी, आरईसीएल के साथ-साथ ईईएसएल की इक्विटी शेयर पूंजी में 47.15% शेयर (24.97% प्रत्यक्ष रूप से और 22.18% आरईसीएल के माध्यम से) धारित करती है। तथापि, कंपनी और आईईसीएल की ईईसीएल में 58.06% शेयरधारिता है।

(ख) अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाओं (यूएमपीपी), आरईसीएल की पारेषण परियोजनाओं (एसपीवी) तथा पीएफसीसीएल की स्वतंत्र पारेषण परियोजनाओं का प्रबंधन भारत सरकार के अधिदेश के अनुसार हो रहा है और उनकी संगत गतिविधियों का एकपक्षीय रूप में निदेशन करने के लिए समूह के पास व्यावहारिक सामर्थ्य नहीं है। इसलिए उनकी 100% प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी का धारक होने के बावजूद समूह संबंधित यूएमपीपी, आईटीपी और एसपीवी में अपने निवेशों को सहयोगी कंपनियों में निवेश करने पर विचार करता है जिनके पास उल्लेखनीय प्रभाव है।

(iv) वित्तीय परिसम्पत्तियों की क्षतिग्रस्तता हानि छूट के लिए संकेतकों का मूल्यांकन

परिसंपत्तियों की क्षतिग्रस्तता हानि छूट की गणना के लिए संकेतकों की प्रयोज्यता के मूल्यांकन के लिए कई बाह्य और आंतरिक कारकों के मूल्यांकन की आवश्यकता होती है, जिसके परिणामस्वरूप परिसंपत्तियों की वसूली योग्य राशि में कमी आ सकती है।

ऋणकर्ता की बाहरी रेटिंग/नवीनतम वित्तीय जानकारी, प्लांट लोड फैक्टर जैसे नवीनतम प्रचालन आंकड़े, क्षमता उपयोग कारक, एसीसी-एआरआर गैप आदि जैसी उपलब्ध जानकारी के आधार पर वित्तीय परिसंपत्तियों के क्रेडिट जोखिम (एसआईसीआर) में डिफ़ॉल्ट और महत्वपूर्ण वृद्धि के अभिनिर्धारण करने में भी निर्णय लिया जाता है। इसके अलावा परिसंपत्ति की क्षतिग्रस्तता का आकलन करने के लिए संबंधित राज्य के प्रदर्शन पर भी विचार किया गया है।

समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

(v) सहायक कंपनियों, शाखाओं के अवितरित लाभों/हानियों, सहयोगी कंपनियों एवं संयुक्त उद्यमों में निवेशों के संबंध में आस्थगित कर देयता/आस्थगित कर परिसंपत्तियां

सहायक कंपनियों, शाखाओं के अवितरित लाभों/हानियों, सहयोगी कंपनियों एवं संयुक्त उद्यमों में निवेशों के संबंध में समूह के निवेश के संबंध में आस्थगित कर देयता/आस्थगित कर परिसंपत्ति के लेखांकन में निर्णय की आवश्यकता होती है। सहायक कंपनियों के अवितरित लाभों/हानियों, सहयोगी कंपनियों एवं संयुक्त उद्यमों में निवेशों के संबंध में कंपनी अस्थाई अंतरों के रिवर्सल के समय को नियंत्रित करने में समर्थ है तथा पूर्वाभासी भविष्य में अस्थाई अंतरों को रिवर्स नहीं जाएगा। तदनुसार, समूह सहायक कंपनियों में निवेश तथा संयुक्त उद्यमों में अधिकारों से संबद्ध सभी कर योग्य, अस्थाई अंतरों के लिए आस्थगित कर देयता को मान्य नहीं करता है।

7.2 पूर्वानुमान और अनिश्चितता के अनुमान लगाने के मुख्य स्रोत

परिसंपत्तियों, देयताओं, आय और व्ययों की मान्यता और मापन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने वाले अनुमानों और पूर्वानुमानों के बारे में जानकारी निम्नानुसार है:

(i) परिभाषित हितलाभ बाध्यता (डीबीओ)

डीबीओ के बारे में समूहों का अनुमान अनेक अंतर्निहित मान्यताओं जैसे कि मुद्रास्फीति की मानक दरें, नश्वरता, छूट (डिस्काउंट) दर तथा भावी वेतन वृद्धि के पूर्वानुमान पर आधारित होता है। इन मान्यताओं में विचलन से डीबीओ की राशि तथा वार्षिक परिभाषित हितलाभ व्यय महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित हो सकता है, जैसा कि नोट 43 में विवरण दिया गया है।

(ii) वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षतिग्रस्तता जांच (अपेक्षित क्रेडिट क्षति)

परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्ति के लिए क्षतिग्रस्तता हानि छूट के मापन के लिए सांख्यिकीय मॉडलों, भावी आर्थिक स्थितियों के बारे में महत्वपूर्ण धारणाओं तथा क्रेडिट व्यवहार (उदाहरण के लिए, ऋणकर्ताओं द्वारा चूक किए जाने की संभावना तथा परिणामी क्षतियां) के प्रयोग की आवश्यकता होती है।

क्रेडिट क्षतिग्रस्त ऋणों से वसूल किए जाने के लिए अपेक्षित नकदी प्रवाह के अनुमान में समूह ऋणकर्ता की वित्तीय स्थिति, परियोजना की वर्तमान स्थिति, प्रतिभूतियों/संपार्श्विक से निवल वसूली योग्य मूल्य आदि का आकलन किया जाता है। तथापि, ये अनुमान विभिन्न पूर्वानुमानों पर आधारित होते हैं, इसलिए वास्तविक परिणाम भिन्न हो सकते हैं। अतिरिक्त ब्यौरों के लिए नोट 41.2.1 का संदर्भ लें।

(iii) उचित मूल्य का मापन

वित्तीय रिपोर्टिंग के प्रयोजनार्थ वित्तीय लिखतों के उचित मूल्य का अनुमान लगाने की आवश्यकता होती है। समूह उचित मूल्य के मापन के लिए मूल्यांकन की उपयुक्त तकनीकों का प्रयोग करता है। किसी परिसंपत्ति या देयता के उचित मूल्य का अनुमान लगाते समय समूह उद्धृत मूल्यों तथा बाजार द्वारा पालन करने योग्य आंकड़ों का उस हद तक प्रयोग करता है जिस हद तक ये उपलब्ध होते हैं। इसके उपलब्ध न होने की स्थिति में, परिसंपत्तियों/देयताओं के उचित मूल्य की गणना के लिए ऐसे इनपुट का प्रयोग किया जाता है, जिनका पालन नहीं किया जा सकता। विभिन्न परिसंपत्तियों एवं देयताओं के उचित मूल्य के निर्धारण में प्रयुक्त मूल्यांकन तकनीकों एवं इनपुट के बारे में सूचना का प्रकटन नीचे टिप्पणी 41.4 में किया गया है।

(iv) आयकर

कर की अनिश्चित स्थितियों के लिए भुगतान करने/वसूल करने के लिए अपेक्षित राशि सहित आयकर के लिए प्रावधान के निर्धारण में और आस्थगित कर परिसंपत्तियों का मूल्यांकन करने के लिए अपेक्षित भावी लाभप्रदता के संबंध में भी शामिल होते हैं। ब्योरों के लिए नोट 44 देखें।

(v) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई) और अमूर्त परिसंपत्तियों का उपयोगी जीवनकाल

समूह परिसंपत्तियों की अपेक्षित उपयोगिता की अवधि के आधार पर प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में मूल्यह्रास/परिशोधन के योग्य परिसंपत्तियों के उपयोगिता अवधि के बारे में अपने अनुमान की समीक्षा करता है। इन अनुमानों में अनिश्चितताएं तकनीकी एवं आर्थिक अप्रचलन से संबंधित होती हैं जिससे परिसंपत्तियों की उपयोगिता परिवर्तित हो सकती है। पीपीई और अमूर्त परिसंपत्तियों के उठाव मूल्य के संबंध में ब्यौरों के लिए नोट 17 देखें।

(vi) वित्तीय विवरणों पर कोविड-19 का प्रभाव

वर्तमान में, समूह के समेकित वित्तीय विवरणों पर कोविड-19 का कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ा है। हालाँकि, भविष्य में कोविड-19 महामारी समूह के वित्तीय विवरणों को किस हद तक प्रभावित करेगा, यह भावी घटनाक्रमों पर निर्भर करेगा, जो महामारी की गंभीरता से संबंधित किसी भी नई जानकारी और इसके प्रसार को रोकने और इसके प्रभाव को कम करने के लिए किसी कार्रवाई सहित अत्यधिक अनिश्चित हैं।

समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

8. नकदी और नकदी समतुल्य

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	दिनांक 31.03.2020 तक की स्थिति के अनुसार	दिनांक 31.03.2019 तक की स्थिति के अनुसार
(i)	बैंकों में शेष (नकदी एवं नकदी समतुल्य की प्रकृति का)		
	- चालू खातों में	1,380.56	369.41
	- सावधि जमा खातों में	524.59	357.22
(ii)	डाक व्यय और अग्रदाय सहित हाथ में नकदी, चेक, ड्राफ्ट	0.06	0.01
	कुल नकदी एवं नकदी समतुल्य	**1,905.21**	**726.64**

9. नकदी और नकदी समतुल्य में शामिल से भिन्न बैंक शेष

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	दिनांक 31.03.2020 तक की स्थिति के अनुसार	दिनांक 31.03.2019 तक की स्थिति के अनुसार
(i)	निम्नलिखित के लिए बैंकों में उद्दिष्ट शेष और सावधि जमा:		
	- सावधि जमा	-	13,877.63
	- अदत्त लाभांश (नोट 9.2 का संदर्भ लें)	8.23	7.31
	- अदत्त - बॉण्ड/बॉण्डों पर ब्याज आदि (नोट 9.2 का संदर्भ लें)	12.99	9.73
	- आगे के संवितरण के लिए सरकारी निधियां	1,850.70	990.46
(ii)	न्यायालय के अनुपालन में जमा	0.53	2.47
(iii)	प्रतिभूतियों का आबंटन लंबित रहने के कारण उपयोग करने के लिए अनुपलब्ध बैंक शेष	400.19	722.04
(iv)	बैंकों में सावधि जमा - 3 माह से अधिक किंतु 12 माह से कम का	9.04	26.80
(v)	अन्य सावधि जमा	1.28	13.96
	नकदी और नकदी समतुल्य में शामिल से भिन्न कुल बैंक शेष	**2,282.96**	**15,650.40**

9.1 ऊपर दर्शाई गई रिपोर्टिंग अवधियों के अंत में 'नकदी और नकदी समतुल्य में शामिल को छोड़कर बैंक शेष' के संबंध में कोई प्रत्यावर्तन प्रतिबंध नहीं हैं।

9.2 निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में जमा करने के लिए कोई राशि देय नहीं है।

10. डेरिवेटिव वित्तीय लिखत

कंपनी तथा इसकी सहायक कंपनी आरईसी लिमिटेड ने मुद्रा तथा ब्याज दर जोखिम के लिए डेरिवेटिव संविदा की है। डेरिवेटिव में ऐसे हेज शामिल हैं जो लेखांकन की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं या ऐसे हेज़ हैं जो आर्थिक हेज़ हैं। डेरिवेटिव लेन-देन में देयताओं के हेज़ के लिए वायदा, ब्याज दर स्वैप, क्रॉस करेंसी स्वैप, करेंसी, क्रॉस करेंसी ऑप्शन आदि शामिल हैं। ये डेरिवेटिव लेन-देन हेज़ के प्रयोजनार्थ किए जाते हैं, न कि व्यापार या सट्टा के लिए।

समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

डेरिवेटिव के संबंध में जोखिम प्रबंधन प्रकटन के लिए नोट 41.2.3 का संदर्भ लें।

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	दिनांक 31.03.2020 तक की स्थिति के अनुसार			दिनांक 31.03.2019 तक की स्थिति के अनुसार		
		अनुमानित राशि	उचित मूल्य की परिस्पत्तियां	उचित मूल्य की देयताएं	अनुमानित राशि	उचित मूल्य की परिस्पत्तियां	उचित मूल्य की देयताएं
	भाग- I						
(i)	**मुद्रा डेरिवेटिव:**						
	- स्पॉट और फॉरवर्ड	5,937.27	210.49	20.23	15,808.90	295.95	345.72
	- मुद्रा स्वैप	15,156.06	1,833.15	-	5,701.69	419.05	0.41
	- विकल्प	28,389.78	2,716.58	-	20,912.19	1,301.36	18.57
	कुल मुद्रा डेरिवेटिव:	**49,483.11**	**4,760.22**	**20.23**	**42,422.78**	**2,016.36**	**364.70**
(ii)	**ब्याज दर डेरिवेटिव**						
	- वायदा दर करार और ब्याज दर स्वैप	46,573.66	422.05	1,165.65	39,864.98	354.20	300.29
	कुल ब्याज दर डेरिवेटिव	**46,573.66**	**422.05**	**1,165.65**	**39,864.98**	**354.20**	**300.29**
(iii)	**अन्य डेरिवेटिव**						
	- रिवर्स क्रॉस मुद्रा स्वैप	4,347.00	-	739.67	-	-	-
	कुल अन्य डेरिवेटिव	**4,347.00**	**-**	**739.67**	**-**	**-**	**-**
	कुल डेरिवेटिव वित्तीय लिखत (i)+(ii)+(iii)	**1,00,403.77**	**5,182.27**	**1,925.55**	**82,287.76**	**2,370.56**	**664.99**
	भाग - II						
	उपर्युक्त (भाग- I) में शामिल निम्नानुसार हेजिंग एवं जोखिम प्रबंधन के प्रयोजनार्थ धारित डेरिवेटिव है:						
(i)	**नकदी प्रवाह हेजिंग (निर्दिष्ट):**						
	- मुद्रा डेरिवेटिव	27,902.90	2,189.79	303.14	1,728.88	-	100.03
	- ब्याज दर डेरिवेटिव	13,267.92	5.24	368.02	1,728.88	-	64.84
	कुल नकदी प्रवाह हेजिंग (अभिहित)	**41,170.82**	**2,195.03**	**671.16**	**3,457.76**	**-**	**164.87**
(ii)	गैर-निर्दिष्ट डेरिवेटिव	59,232.95	2,987.24	1,254.39	78,830.00	2,370.56	500.12
	कुल गैर-अभिहित डेरिवेटिव	**59,232.95**	**2,987.24**	**1,254.39**	**78,830.00**	**2,370.56**	**500.12**
	कुल डेरिवेटिव वित्तीय लिखत (i)+(ii)	**1,00,403.77**	**5,182.27**	**1,925.55**	**82,287.76**	**2,370.56**	**664.99**

10.1 फॉरवर्ड दर करार/ब्याज दर स्वैप का ब्योरा:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	दिनांक 31.03.2020 तक की स्थिति के अनुसार	दिनांक 31.03.2019 तक की स्थिति के अनुसार
(i)	स्वैप करारों का आनुमानिक मूलधन	46,573.66	39,864.98
(ii)	वे हानियां जो वहन की जाएगी यदि समकक्ष पक्ष करारों के अंतर्गत अपनी दायित्वों को पूरा करने में असफल रही हों।	422.05	354.20
(iii)	स्वैप करने पर एनबीएफसी द्वारा अपेक्षित कोलेटरल	-	-
(iv)	स्वैप से उत्पन्न क्रेडिट जोखिम का संकेद्रण	-	-
(v)	स्वैप बही का उचित मूल्य (काउंटरपार्टी बैंकों से प्राप्त)	(743.60)	53.90

समूह ने आरबीआई के दिशा-निर्देशों के अनुसरण में केवल श्रेणी-ख के अधिकृत बैंक डीलर के साथ स्वैप करार किया है।

समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

10.2 समूह 31 मार्च, 2020 को एक्सचेंज में एक्सचेंज में व्यापारित किसी डेरिवेटिव का धारक नहीं है (31 मार्च, 2019 को शून्य)।

10.3 डेरिवेटिव में जोखिम एक्सपोजर पर गुणात्मक प्रकटन:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	दिनांक 31.03.2020 तक की स्थिति के अनुसार			दिनांक 31.03.2019 तक की स्थिति के अनुसार		
		मुद्रा डेरिवेटिव	ब्याज दर डेरिवेटिव[1]	अन्य डेरिवेटिव (रिवर्स क्रॉस करंसी स्वैप)[3]	मुद्रा डेरिवेटिव	ब्याज दर डेरिवेटिव [1]	अन्य डेरिवेटिव (रिवर्स क्रॉस करंसी स्वैप) [3]
(i)	डेरिवेटिव (अनुमानित मूलधन राशि)						
	हेजिंग के लिए	49,483.11	46,573.66	4,347.00	42,422.78	39,864.98	-
(ii)	बाजार स्थितियों पर चिह्नित (एमटीएम)						
	(क) परिसंपत्तियां (+एमटीएम)	4,760.22	422.05	-	2,016.36	354.20	-
	(ख) देयता (-एमटीएम)	20.23	1,165.65	739.67	364.70	300.29	-
(iii)	अनहेज्ड एक्सपोजर[2]	50,534.31	6,522.56	-	22,017.13	5,907.41	-

(1) ब्याज दर डेरिवेटिव में रुपए की देयताओं के संबंध में डेरिवेटिव और लागत कटौती की कार्यनीति के रूप में धारित डेरिवेटिव शामिल हैं।

(2) इसमें क्रॉस करंसी एक्सपोजर के संबंध में एक ही करेंसी पेयर के कतिपय हेज शामिल हैं।

(3) इसमें लागत कटौती की कार्यनीति के रूप में रिजर्व क्रॉस करंसी शामिल है।

10.4 विदेशी मुद्रा जोखिम प्रबंधन और ब्याज दर जोखिम प्रबंधन के लिए क्रमशः नोट 41.2.3 और 41.2.4 का संदर्भ ले तथा हेज लेखांकन से संबंधित प्रकटन के लिए नोट 41.3 का संदर्भ लें।

11. व्यापार की प्राप्य राशियां

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	दिनांक 31.03.2020 तक की स्थिति के अनुसार	दिनांक 31.03.2019 तक की स्थिति के अनुसार
(i)	**व्यापार की प्राप्य राशियां**		
	- अच्छे माने गए - अप्रतिभूत (सकल)	114.51	182.96
	घटाएं: क्षतिग्रस्तता हानि छूट	(13.66)	(12.51)
	- जिससे क्रेडिट जोखिम (सकल) में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	52.01	3.37
	घटाएं: क्षतिग्रस्तता हानि छूट	(15.55)	(1.69)
	- क्रेडिट क्षतिग्रस्तता (सकल)	40.04	28.16
	घटाएं: क्षतिग्रस्त क्रेडिट पर क्षतिग्रस्तता हानि छूट	(40.04)	(28.16)
	व्यापार की कुल प्राप्य राशियां	**137.31**	**172.13**

11.1 व्यापार की प्राप्य राशियों पर क्षतिग्रस्तता हानि छूट के ब्योरों के लिए नोट 41.2.1.13 का संदर्भ लें।

समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

12. ऋण

कंपनी और इसकी सहायक कंपनी आरईसी लिमिटेड ने लीजिंग, जिसे इंड एएस 116 के अनुसरण में मापा जाता है, को छोड़कर सभी ऋणों को इंड एएस 109 की अपेक्षाओं के अनुसरण में परिशोधित लागत पर वर्गीकृत किया है।

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	दिनांक 31.03.2020 तक की स्थिति के अनुसार	दिनांक 31.03.2019 तक की स्थिति के अनुसार
(क)	**ऋणकर्ताओं को ऋण**		
	(i) रूपया सावधि ऋण (आरटीएल)	6,52,971.18	5,78,485.27
	(ii) विदेशी मुद्रा ऋण	240.99	240.99
	(iii) क्रेता लाइन ऑफ क्रेडिट	2,031.28	1,759.67
	(iv) कार्यशील पूंजी ऋण	11,417.96	14,770.27
	(v) पट्टा (कृपया नोट 12.2 देखें)	223.77	223.77
	(vi) इन्वॉक किए गए डिफॉल्ट भुगतान गारंटी के लिए प्राप्य	444.09	396.64
	(vii) प्रोद्भूत किंतु ऋण पर अदेय ब्याज	5,327.77	4,971.81
	(viii) प्रोद्भूत और ऋण पर देय ब्याज	1,499.41	627.13
	(ix) ऋणों पर अपरिशोधित शुल्क	(180.74)	(135.30)
	ऋणकर्ताओं को सकल ऋण*	**6,73,975.71**	**6,01,340.25**
	घटाएं: क्षतिग्रस्तता हानि छूट	(27,779.60)	(27,678.97)
	ऋणकर्ताओं को निवल ऋण	**6,46,196.11**	**5,73,661.28**
(ख)	**प्रतिभूति-वार वर्गीकरण**		
	(i) मूर्त परिसंपत्तियों द्वारा प्रतिभूत	4,62,325.24	4,08,335.85
	(ii) अमूर्त परिसंपत्तियों द्वारा प्रतिभूत	-	-
	(iii) बैंक/सरकारी गारंटियों द्वारा कवर किया गया	1,32,352.12	1,12,226.15
	(iv) अप्रतिभूत	79,298.35	80,778.25
	सकल प्रतिभूति-वार वर्गीकरण	**6,73,975.71**	**6,01,340.25**
	घटाएं: क्षतिग्रस्तता हानि छूट	(27,779.60)	(27,678.97)
	निवल प्रतिभूति-वार वर्गीकरण	**6,46,196.11**	**5,73,661.28**
(ग)	**I. भारत में ऋण**		
	(i) सार्वजनिक क्षेत्र	5,78,351.25	5,13,929.13
	(ii) निजी क्षेत्र	95,624.46	87,411.12
	भारत में सकल ऋण	**6,73,975.71**	**6,01,340.25**
	घटाएं: क्षतिग्रस्तता हानि छूट	(27,779.60)	(27,678.97)
	भारत में निवल ऋण	**6,46,196.11**	**5,73,661.28**
(ग)	**II. भारत के बाहर ऋण**	-	-
	घटाएं: क्षतिग्रस्तता हानि छूट	-	-
	भारत के बाहर निवल ऋण	**-**	**-**
	भारत में और भारत के बाहर निवल ऋण	**6,46,196.11**	**5,73,661.28**

*प्रतिभूति के रूप में जमानत पर रखे गए ऋण के ब्यौरों के लिए नोट 22.8 से 22.16 और 23.12 का संदर्भ लें।

12.1 ऋणकर्ताओं से शेष की पुष्टि

वर्ष के दौरान, पीएफसी ने 31 मार्च, 2020 को ऋणकर्ताओं के पास शेष की पुष्टि के लिए ऋणकर्ताओं को पत्र भेजा है, केवल उसे छोड़कर जहां ऋण वापस लिए गए हैं या न्यायालय/एनसीएलटी में लंबित हैं। उक्त शेष के 98.78% की पुष्टि प्राप्त हो गई है। ₹4,191.19 करोड़ की शेष ऋण परिसंपत्तियों, जिसके लिए शेष की पुष्टि प्राप्त नहीं हुई है, में से 22.75% ऋण मूर्त प्रतिभूतियों द्वारा, 49.26% सरकारी गारंटी/सरकार को ऋण द्वारा प्रतिभूत हैं तथा 27.99% अप्रतिभूत ऋण हैं।

समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

सहायक कंपनी, आरईसीएल के संबंध में 31 मार्च, 2020 को कुल ऋण परिसंपत्तियों में से 88% के लिए ऋणकर्ताओं से ऋण शेष की पुष्टि प्राप्त हुई है। ₹37,240.72 करोड़ की शेष 12% ऋण परिसंपत्तियों, जिसके लिए शेष की पुष्टि प्राप्त नहीं हुई है, में से 67% ऋणों को परिसंपत्तियों के हाइपोथिकेशन द्वारा, 21% को सरकारी गारंटी/सरकार को ऋण के रूप में प्रतिभूत किया गया है तथा 12% अप्रतिभूत ऋण हैं।

12.2 पीएफसी के संबंध में पट्टा परिसंपत्तियों से संबंधित ब्योरे:

पट्टा परिसंपत्तियों में सकल निवेश तथा तुलन-पत्र की तारीख को प्राप्य न्यूनतम मूल्य का वर्तमान मूल्य तथा अनर्जित वित्तीय आय का मूल्य नीचे सारणी में दिया गया है:

(₹ करोड़ में)

विवरण[(क)]	दिनांक 31.03.2020 तक की स्थिति के अनुसार	दिनांक 31.03.2019 तक की स्थिति के अनुसार
(i) कुल वसूली योग्य भावी न्यूनतम पट्टा भुगतान (सकल निवेश)[(ख)]	280.04	305.75
(ii) वसूली योग्य पट्टा भुगतानों का वर्तमान मूल्य (निवल निवेश)	223.77	223.77
कुल अनर्जित वित्तीय आय (i)-(ii)	**56.27**	**81.98**
भविष्य में वसूली गए कुल न्यूनतम पट्टा भुगतानों की परिपक्वता प्रोफाइल (सकल निवेश):-		
0-1 वर्ष	25.70	25.70
1-2 वर्ष	25.70	25.70
2-3 वर्ष	25.70	25.70
3-4 वर्ष	25.70	25.70
4-5 वर्ष	25.70	25.70
5 वर्ष से अधिक	151.54	177.25
कुल सकल निवेश	**280.04**	**305.75**

(क) विंड टर्बाइन जेनरेटर के वित्तपोषण के लिए वित्त पट्टा

(ख) 01 जनवरी, 2012 से शुरू करके 25 वर्ष की अवधि के अंदर पट्टा किराया वसूल किया जाना है जिसमें 18 वर्ष प्राथमिक (प्राइमरी) अवधि के रूप में और अधिकतम 7 वर्ष सेकंडरी अवधि के रूप में शामिल हैं।

12.3 प्रतिभूतिकरण से संबंधित प्रकटन

(i) समूह ने वर्ष के दौरान कोई प्रतिभूतिकरण लेन-देन नहीं किया है तथा 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार प्रतिभूतिकरण की मद में कोई एक्सपोजर नहीं है (31 मार्च, 2019 को शून्य)।

(ii) समूह ने 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के दौरान एक ऋणकर्ता के मामले में ऋण के एसाइनमेंट को शामिल करते हुए एकबारगी भुगतान (ओटीएस) स्कीम का उपयोग किया है। (पिछले वर्ष शून्य)।

(iii) समूह ने 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के दौरान कोई असाइनमेंट लेन-देन नहीं किया है (पिछले वर्ष शून्य)।

(iv) समूह ने 31 मार्च, 2020 (पिछले वर्ष शून्य) को समाप्त वर्ष के दौरान न तो कोई गैर-निष्पादक वित्तीय परिसंपत्ति खरीदी है और न ही अन्य एनबीएफसी को कोई गैर-निष्पादक वित्तीय परिसंपत्ति बेची है।

12.4 पीएफसी के तीन ऋणकर्ताओं के मामले में संकल्प योजनाओं के कार्यान्वयन के अनुसरण में, वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान ₹1,374.28 करोड़ के संगत क्षतिग्रस्तता हानि छूट के रिवर्सल के साथ 1,202.67 करोड़ की राशि को बट्टे खाते में डाला है। समाधान के अंतर्गत प्राप्त लिखतों के ब्यौरों के लिए नोट 13 का संदर्भ लें।

12.5 इंसोल्वेंसी एवं बैंकरप्सी कोड (आईबीसी) कार्यवाहियों/एकबारगी भुगतान (ओटीएस) के अंतर्गत समाधान के संदर्भ में, आरईसीएल ने ₹378.41 करोड़ (पिछले वर्ष शून्य) की राशि को बट्टे खाते में डाला है। चालू वर्ष के लिए बट्टा खाते के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

(i) लैंको तीस्ता हाइड्रो पावर लिमिटेड के संबंध में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी), हैदराबाद शाखा द्वारा दिनांक 26 जुलाई, 2019 को पारित संकल्प योजना के अनुमोदन के अनुसरण में, आरईसीएल ने ₹112.67 करोड़ की राशि के ऋण (₹124.12 करोड़ की वसूलियों को घटाकर) और आदेश के अनुसार इक्विटी शेयरों के विलोपन के परिणामस्वरूप ₹102 करोड़ के इक्विटी निवेश (₹10 प्रत्येक के 10.20 इक्विटी शेयर) को बट्टे खाते में डाला है।

समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

(ii) रतन इंडिया पावर लिमिटेड के संबंध में दिनांक 23 दिसंबर, 2019 को निष्पादित एकबारगी भुगतान व्यवस्था के अनुसरण में, आरईसीएल ने ₹478.09 करोड़ की वसूलियों (₹405.90 करोड़ नकद, ₹17.59 करोड़ इक्विटी शेयर, ₹22.18 करोड़ के मोचनीय वरीयता वाले शेयर और ₹32.42 करोड़ के वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय संचयी मोचनीय वरीयता वाले शेयर) के समायोजन के पश्चात् ₹265.74 करोड़ की राशि को बट्टे खाते में डाला है। समाधान के अंतर्गत प्राप्त लिखतों को 'निवेश' शीर्ष (नोट 13) के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है।

12.6 क्रेडिट जोखिम एक्सपोजर और समूह द्वारा प्रबंधन के ब्यौरों के लिए नोट 41.2.1 का संदर्भ लें।

13.(क) निवेश (इक्विटी विधि के उपयोग के लिए किए जाने वाले निवेशों को छोड़कर)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	दिनांक 31.03.2020 तक की स्थिति के अनुसार				
		परिशोधित लागत (1)	अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर निर्दिष्ट (2)	लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर (3)	उप-योग (4)=(2)+(3)	कुल (1) + (4)
(क)	**निवेश**					
	सरकारी प्रतिभूतियां					
	एमपी सरकार के पावर बॉण्ड-II [₹47.16 करोड़ का 1 बॉण्ड]	-				-
(i)	**ऋण प्रतिभूतियां**					
	आंध्रा बैंक के 10.95% स्थाई बॉण्ड [₹10,00,000 प्रत्येक के 8,000 बॉण्ड]			810.05	810.05	**810.05**
	इंडियन बैंक के 11.15% स्थाई बॉण्ड [₹10,00,000 प्रत्येक के 5,000 बॉण्ड]			500.31	500.31	**500.31**
	बैंक ऑफ बड़ौदा के 11.25% स्थाई बॉण्ड 10,00,000 प्रत्येक के 5,000 बॉण्ड]			500.00	500.00	**500.00**
	सिंडीकेट बैंक के 11.25% स्थाई बॉण्ड [₹10,00,000 प्रत्येक के 5,000 बॉण्ड]			500.31	500.31	**500.31**
	आवास एवं शहरी विकास निगम (हुडको) के 7.39% कर मुक्त 15 वर्षीय प्रतिभूत मोचनीय गैर-परिवर्तनीय बॉण्ड [₹1,000 प्रत्येक के 86,798 बॉण्ड]	8.81				**8.81**
	नेशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, (एनएचएआई) के 7.35% कर मुक्त 15 वर्षीय प्रतिभूत मोचनीय गैर-परिवर्तनीय बॉण्ड 1,000 प्रत्येक के 42,855 बॉण्ड	4.60				**4.60**
	नेशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, (एनएचएआई) के 7.39% कर मुक्त 15 वर्षीय प्रतिभूत मोचनीय गैर-परिवर्तनीय बॉण्ड [₹1,000 प्रत्येक के 35,463 बॉण्ड]	3.67				**3.67**
	भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी (इरेडा) के 7.49% कर मुक्त 15 वर्षीय प्रतिभूत मोचनीय गैर-परिवर्तनीय बॉण्ड [₹1,000 प्रत्येक के 61,308 बॉण्ड]	6.22				**6.22**
	इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन (आईआरएफसी) के 7.35% कर मुक्त 15 वर्षीय प्रतिभूत मोचनीय गैर-परिवर्तनीय बॉण्ड [₹1,000 प्रत्येक के 22,338 बॉण्ड]	2.31				**2.31**
	राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के 7.35% कर मुक्त 15 वर्षीय प्रतिभूत मोचनीय गैर-परिवर्तनीय बॉण्ड [₹1,000 प्रत्येक के 14,028 बॉण्ड]	1.40				**1.40**
	आवास एवं शहरी विकास निगम (हुडको) के 8.76% कर मुक्त 20 वर्षीय प्रतिभूत मोचनीय बॉण्ड [₹1,000 प्रत्येक के 50,000 बॉण्ड]	5.09				**5.09**

समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	दिनांक 31.03.2020 तक की स्थिति के अनुसार				
		परिशोधित लागत (1)	अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर निर्दिष्ट (2)	लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर (3)	उप-योग (4)=(2)+(3)	कुल (1) + (4)
(ii)	**इक्विटी लिखत:**					
	पीटीसी इंडिया लिमिटेड [₹10 प्रत्येक के 1,20,00,000 इक्विटी शेयर]			46.50	46.50	**46.50**
	कोल इंडिया लिमिटेड [₹10 प्रत्येक के 1,39,64,530 इक्विटी शेयर]			195.57	195.57	**195.57**
	एनएचपीसी लिमिटेड (नोट 13.5 का संदर्भ लें) [₹10 प्रत्येक के 40,97,75,446 इक्विटी शेयर]			817.50	817.50	**817.50**
	पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड [₹10 प्रत्येक के 32,20,000 इक्विटी शेयर]			-	-	**-**
	जीएमआर छत्तीसगढ़ एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड (नोट 13.5 का संदर्भ लें)			-	-	**-**
	श्री महेश्वर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड (नोट 13.5 का संदर्भ लें)			-	-	**-**
	रतन इंडिया पावर लिमिटेड (नोट 13.3(क) का संदर्भ लें) [₹10 प्रत्येक के 32,76,95,820 इक्विटी शेयर]			44.24	44.24	**44.24**
	- आवास और शहरी विकास निगम लिमिटेड [₹10 प्रत्येक के 3,47,429 इक्विटी शेयर]			0.69	0.69	**0.69**
	इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड (नोट 13.5 का संदर्भ लें) [₹1 प्रत्येक के 1,22,71,211 इक्विटी शेयर]			157.01	157.01	**157.01**
	यूनिवर्सल कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड [₹10 प्रत्येक के 1,60,00,000 इक्विटी शेयर]					**-**
	लैंको तीस्ता हाइड्रो पावर प्राइवेट लिमिटेड (नोट 13.5 का संदर्भ लें)				-	**-**
(iii)	**अधिमानी शेयर**					
	रायपुर एनर्जेन लिमिटेड (नोट 13.3(I) का संदर्भ लें) [₹100 प्रत्येक के मोचनीय वरीयता वाले 59,82,371 शेयर]	9.29				**9.29**
	- रत्नागिरी गैस एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड (नोट 13.4 का संदर्भ लें) [₹10 प्रत्येक के संचयी मोचनीय अधिमानी शेयर 15,24,88,000 शेयर]	-				**-**
	- रतन इंडिया पावर लिमिटेड (नोट 13.3(क) का संदर्भ लें) [₹10 प्रत्येक के मोचनीय वरीयता वाले 10,16,70,764 शेयर]	81.92				**81.92**
	- रतन इंडिया पावर लिमिटेड (नोट 13.3(क) का संदर्भ लें) [₹10 प्रत्येक के वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय संचयी मोचनीय वरीयता वाले 15,32,97,013 शेयर]			145.99	145.99	**145.99**
(iv)	**अन्य**					
	"स्माल इज ब्यूटीफुल" फंड की यूनिटें [₹10 प्रत्येक के 1,23,04,400 इक्विटी शेयर		12.24		12.24	**12.24**
	कुल निवेश (इक्विटी विधि के उपयोग के लिए किए जाने वाले निवेशों को छोड़कर)	**123.31**	**1,229.51**	**2,500.90**	**3,730.41**	**3,853.72**
(ख)	**भौगोलिक स्थिति-वार निवेश**					
(i)	भारत के बाहर निवेश	-	-	-	-	**-**
(ii)	भारत में निवेश	123.31	1,229.51	2,500.90	3,730.41	**3,853.72**
	सकल भौगोलिक स्थिति-वार निवेश	**123.31**	**1,229.51**	**2,500.90**	**3,730.41**	**3,853.72**
	घटाएं: क्षतिग्रस्तता हानि छूट			-	-	**-**
	निवल भौगोलिक स्थिति-वार निवेश	**123.31**	**1,229.51**	**2,500.90**	**3,730.41**	**3,853.72**

समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	दिनांक 31.03.019 तक की स्थिति के अनुसार				
		परिशोधित लागत (1)	अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर निर्दिष्ट (2)	लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर (3)	उप-योग (4)=(2)+(3)	कुल (1)+(4)+(5)
(क)	**निवेश**					
	सरकारी प्रतिभूतियां					
	एमपी सरकार के पावर बॉण्ड [₹47.16 करोड़ का 1 बॉण्ड]	47.16	-	-	-	**47.16**
(i)	**ऋण प्रतिभूतियां**					
	आंध्रा बैंक के 10.95% स्थाई बॉण्ड [₹10,00,000 प्रत्येक के 8,000 बॉण्ड]	-	-	809.84	809.84	**809.84**
	इंडियन बैंक के 11.15% स्थाई बॉण्ड [₹10,00,000 प्रत्येक के 5,000 बॉण्ड]	-	-	500.31	500.31	**500.31**
	विजया बैंक के 11.25% स्थाई बॉण्ड [₹10,00,000 प्रत्येक के 5,000 बॉण्ड]	-	-	556.25	556.25	**556.25**
	सिंडीकेट बैंक के 11.25% स्थाई बॉण्ड [₹10,00,000 प्रत्येक के 5,000 बॉण्ड]	-	-	500.31	500.31	**500.31**
	आवास एवं शहरी विकास निगम (हुडको) के 7.39% कर मुक्त 15 वर्षीय प्रतिभूत मोचनीय गैर-परिवर्तनीय बॉण्ड [₹1,000 प्रत्येक के 86,798 बॉण्ड]	8.81	-	-	-	**8.81**
	नेशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, (एनएचएआई) के 7.35% कर मुक्त 15 वर्षीय प्रतिभूत मोचनीय गैर-परिवर्तनीय बॉण्ड [₹1,000 प्रत्येक के 42,855 बॉण्ड]	4.60	-	-	-	**4.60**
	नेशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, (एनएचएआई) के 7.39% कर मुक्त 15 वर्षीय प्रतिभूत मोचनीय गैर-परिवर्तनीय बॉण्ड [₹1,000 प्रत्येक के 35,463 बॉण्ड]	3.68	-	-	-	**3.68**
	भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी (इरेडा) के 7.49% कर मुक्त 15 वर्षीय प्रतिभूत मोचनीय गैर-परिवर्तनीय बॉण्ड [₹1,000 प्रत्येक के 61,308 बॉण्ड]	6.22	-	-	-	**6.22**
	इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन (आईआरएफसी) के 7.35% कर मुक्त 15 वर्षीय प्रतिभूत मोचनीय गैर-परिवर्तनीय बॉण्ड [₹1,000 प्रत्येक के 22,338 बॉण्ड]	2.31	-	-	-	**2.31**
	राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के 7.35% कर मुक्त 15 वर्षीय प्रतिभूत मोचनीय गैर-परिवर्तनीय बॉण्ड [₹1,000 प्रत्येक के 14,028 बॉण्ड]	1.40	-	-	-	**1.40**
	आवास एवं शहरी विकास निगम (हुडको) के 8.76% कर मुक्त 20 वर्षीय प्रतिभूत मोचनीय बॉण्ड [₹1,000 प्रत्येक के 50,000 बॉण्ड]	5.09	-	-	-	**5.09**
(ii)	**इक्विटी लिखत:**					
	पीटीसी इंडिया लिमिटेड [₹10 प्रत्येक के 1,20,00,000 इक्विटी शेयर]	-	88.14	-	88.14	**88.14**
	कोल इंडिया लिमिटेड [₹10 प्रत्येक के 1,39,64,530 इक्विटी शेयर]	-	331.24	-	331.24	**331.24**
	एनएचपीसी लिमिटेड [₹10 प्रत्येक के 41,97,75,446 इक्विटी शेयर]	-	1,036.85	-	1,036.85	**1,036.85**
	पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड [₹10 प्रत्येक के 32,20,000 इक्विटी शेयर]	-	-	-	-	**-**
	जीएमआर छत्तीसगढ़ एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड [₹10 प्रत्येक के 27,50,00,000 इक्विटी शेयर]	-	-	-	-	**-**

समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	दिनांक 31.03.019 तक की स्थिति के अनुसार परिशोधित लागत (1)	अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर निर्दिष्ट (2)	लाभ या हानि के माध्मय से उचित मूल्य पर (3)	उप-योग (4)=(2)+(3)	कुल (1)+(4)+(5)
	श्री महेश्वर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड [₹10 प्रत्येक के 13,18,46,779 इक्विटी शेयर]	-	-	-	-	**-**
	आवास एवं शहरी विकास निगम लिमिटेड [₹10 प्रत्येक के 3,47,429 इक्विटी शेयर]	-	1.56	-	1.56	**1.56**
	इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड [₹10 प्रत्येक के 1,25,00,000 इक्विटी शेयर]	-	206.25	-	206.25	**206.25**
	यूनिवर्सल कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड [₹10 प्रत्येक के 1,60,00,000 इक्विटी शेयर]	-	-	-	-	**-**
	लैंको तीस्ता हाइड्रो पावर प्राइवेट लिमिटेड [₹10 प्रत्येक के 10,20,00,000 इक्विटी शेयर]	-	-	-	-	**-**
(iii)	**अन्य**					
	"स्माल इज ब्यूटीफुल" फंड की यूनिटें [₹10 प्रत्येक के 1,23,04,400 इक्विटी शेयर]	-	12.36	-	12.36	**12.36**
	कुल निवेश (इक्विटी विधि के उपयोग के लिए किए जाने वाले निवेशों को छोड़कर)	**79.27**	**1,676.40**	**2,366.71**	**4,043.11**	**4,122.38**
(ख)	**भौगोलिक स्थिति-वार निवेश**					
(i)	भारत के बाहर निवेश	-	-	-	-	**-**
(ii)	भारत में निवेश	79.27	1,676.40	2,366.71	4,043.11	**4,122.38**
	सकल भौगोलिक स्थिति-वार निवेश	**79.27**	**1,676.40**	**2,366.71**	**4,043.11**	**4,122.38**
	घटाएं: क्षतिग्रस्तता हानि छूट	-	-	-	-	**-**
	निवल भौगोलिक स्थिति-वार निवेश	**79.27**	**1,676.40**	**2,366.71**	**4,043.11**	**4,122.38**

13.(ख) इक्विटी विधि का उपयोग करने के लिए किए गए निवेश

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	दिनांक 31.03.2020 तक की स्थिति के अनुसार	दिनांक 31.03.2019 तक की स्थिति के अनुसार
(i)	**संयुक्त उद्यम**		
	- एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसिज लिमिटेड (नोट 74 का संदर्भ लें)	549.40	480.65
	10 प्रत्येक के 46,36,00,000 इक्विटी शेयर; विगत वर्ष [₹10 प्रत्येक के 39,20,00,000 इक्विटी शेयर]		
(ii)	**सहयोगी कंपनी (नोट 13.1 का संदर्भ लें)**		
	- अल्ट्रामेगा विद्युत परियोजनाएं/स्वतंत्र पारेषण परियोजनाएं	0.50	0.70
	10 प्रत्येक के 7,60,000 इक्विटी शेयर; पिछले वर्ष [₹10 प्रत्येक के 7,60,000 इक्विटी शेयर]		
	उप-योग	**549.90**	**481.35**
	घटाएं: क्षतिग्रस्तता हानि छूट	-	-
	इक्विटी विधि का उपयोग करने के लिए किए गए निवेश	**549.90**	**481.35**

समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

13.1 इक्विटी विधि का प्रयोग करने के लिए सहयोगी कंपनियों में किए गए निवेश का वहन मूल्य:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	निवेशित कंपनी का नाम	दिनांक 31.03.2020 तक की स्थिति के अनुसार	दिनांक 31.03.2019 तक की स्थिति के अनुसार
(i)	छत्तीसगढ़ सर्गुजा पावर लिमिटेड	-	0.05
(ii)	कोस्टल कर्नाटक पावर लिमिटेड	-	0.05
(iii)	कोस्टल महाराष्ट्र मेगा पावर लिमिटेड	-	0.05
(iv)	उड़ीसा इंटीग्रेटेड पावर लिमिटेड	-	-
(v)	कोस्टल तमिलनाडु पावर लिमिटेड	0.08	0.05
(vi)	सखीगोपाल इंटीग्रेटेड पावर लिमिटेड	0.05	0.05
(vii)	घोगरपल्ली इंटीग्रेटेड पावर कंपनी लिमिटेड	0.05	0.05
(viii)	तातीया आंध्रा मेगा पावर लिमिटेड	-	0.05
(ix)	देवघर मेगा पावर लिमिटेड	0.04	0.05
(x)	चेय्यूर इंफ्रा लिमिटेड	0.05	0.05
(xi)	ओडिशा इंफ्रापावर लिमिटेड	0.04	0.05
(xii)	देवघर इंफ्रा लिमिटेड	0.05	0.05
(xiii)	बिहार इंफ्रापावर लिमिटेड	0.05	0.05
(xiv)	बिहार मेगा पावर लिमिटेड	0.05	0.05
(xv)	झारखंड इंफ्रापावर लिमिटेड	0.04	0.05
	कुल वहन मूल्य	**0.50**	**0.70**

सहयोगी कंपनियां, पीएफसीसीएल जो पारेषण योजनाओं के लिए बोली प्रक्रिया का समन्वयक है, द्वारा निगमित स्वतंत्र पारेषण परियोजनाओं (आईटीपी) के संबंध में बोली प्रक्रिया की समाप्ति पर सफल बोलीदाताओं को सौंपने के उद्देश्य से यूएमपीपी के विकास के लिए भारत सरकार के अधिदेश से एसपीवी के रूप में निगमित कंपनियां (यूएमपीपी) हैं।

13.2 भारत सरकार ने चार अल्ट्रामेगा पावर परियोजनाओं अर्थात् तातीया आंध्रा मेगा पावर लिमिटेड, कोस्टल कर्नाटक पावर लिमिटेड, कोस्टल महाराष्ट्र मेगा पावर लिमिटेड और छत्तीसगढ़ सर्गुजा पावर लिमिटेड को बंद करने/प्रचालन बंद करने की संसूचना दी है।

13.3 वर्ष के दौरान, संकल्प योजनाओं के कार्यान्वयन के बाद, समूह से निम्नलिखित निवेश प्राप्त किए हैं:

(क) रतन इंडिया पावर लिमिटेड (आरआईपीएल) के संबंध में, समूह को आरआईपीएल के 32,76,95,820 इक्विटी शेयर, 10,16,70,764 मोचनीय अधिमानी शेयर और 15,32,97,013 वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय संचयी मोचनीय अधिमानी शेयर आबंटित किए गए हैं।

(ख) रायपुर एनर्जेन लिमिटेड (पूर्व में जीएमआर छत्तीसगढ़ एनर्जी लिमिटेड के नाम से जाना जाने वाला) के ₹100 प्रत्येक के 59,82,371 मोचनीय अधिमानी शेयर (आरपीएस)। आरपीएस 0.01% प्रति वर्ष की दर से लाभांश देते हैं।

13.4 वि-विलयन स्कीम के कार्यान्वयन के बाद, पीएफसी ने रत्नागिरी गैस एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड के ₹10 प्रत्येक के 15,24,88,000, 0.01% संचयी मोचनीय अधिमानी शेयर (सीआरपीएस) प्राप्त किए हैं। (दिनांक 31.03.2020 तक की स्थिति के अनुसार मूल्य ₹1)।

समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

13.5 प्रारंभिक मान्यता के दौरान, समूह की कंपनियों ने एफवीटीओसीआई पर कुछ इक्विटी लिखतों को नामित करने के अप्रतिसंहार्य विकल्प का चुनाव किया है। समूह का मुख्य प्रचालन विद्युत क्षेत्र को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस प्रकार, इन लिखतों की कीमत में उतार-चढ़ाव से लाभ और हानि विवरण का बचाव करने उद्देश्य से, संबंधित कंपनियों का प्रबंधन यह मानता है कि इन्हें एफवीटीपीएल में वर्गीकृत करने के बजाय एफवीटीओसीआई में वर्गीकरण एक और अधिक सारवान प्रस्तुतीकरण प्रदान करता है।

वर्ष के दौरान विमान्य किए गए एफवीटीओसीआई लिखतों का ब्यौरा:

(₹ करोड़ में)

निवेशों का विवरण	विमान्य किए गए शेयरों की संख्या	विमान्य करने की तारीख को उचित मूल्य	विमान्य करने पर संचयी अभिलाभ/(हानि)
वित्त वर्ष 2019-20			
एनएचपीसी लिमिटेड[1]	1,00,00,000	26.33	4.55
जीएमआर छत्तीसगढ़ एनर्जी लिमिटेड[2]	27,50,00,000	-	(254.51)
श्री माहेश्वर हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एसएमएचपीसीएल)[3]	13,18,46,779	-	-
इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड[4]	2,28,789	4.23	4.21
लैंको तीस्ता हाइड्रो पावर लिमिटेड[5]	10,20,00,000	-	(102)
वित्तीय वर्ष 2018-19			
पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	3,89,349	7.67	5.63
एनएचपीसी लिमिटेड[1]	2,47,78,470	68.41	14.35

(1) ये इक्विटी शेयर वर्ष के दौरान श्रृंखलाओं में बेचे गए। विमान्यता की संबंधित तारीख को मूल्य के आधार पर उचित मूल्य एवं अभिलाभ की गणना की गई है तथा समग्र आधार पर प्रस्तुत किया गया है।

(2) वर्ष के दौरान पीएफसी द्वारा धारित जीएमआर छत्तीसगढ़ एनर्जी लिमिटेड के 27,50,00,000 इक्विटी शेयरों को संकल्प योजना के कार्यान्वयन संबंधी पैकेज के भाग के रूप में स्वामित्व के हस्तांतरण के माध्यम से एक नए प्रमोटर को अंतरित किया गया था।

(3) वर्ष के दौरान एसएमएचपीसीएल (ऋणकर्ता कंपनी) के साथ हस्ताक्षरित किए गए एमओयू के अनुसरण में,, वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान आंशिक गौण ऋण के परिवर्तन पर पीएफसी द्वारा प्राप्त किए गए 6,61,00,000 इक्विटी शेयरों को निरस्त कर दिया गया। इसके परिणामस्वरूप, पीएफसी ने 1 के समान निवल उठाव मूल्य पर गौण ऋण को रिस्टोर कर दिया। इसके अलावा, एसएमएचपीसीएल में एंटेग्रा लिमिटेड के गिरवी शेयरों की तलबी के कारण पीएफसी द्वारा धारित 6,57,46,779 इक्विटी शेयरों को वर्ष के दौरान एंटेग्रा लिमिटेड को सौंप दिया गया।

(4) इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड के बॉय बैक ऑफर के अंतर्गत, आरईसीएल ने दिनांक 10.04.2019 को शेयरों की बिक्री कर दी। शेयरों को मौजूदा बाजार मूल्य से अधिक कीमत पर वापिसी बिक्री किए जाने के लिए ऑफर किया गया था और आरईसीएल ने कम कीमतों पर खुले बाजार में शेयरों को बेचने की बजाय इस पद्धति के माध्यम से बड़ी संख्या में इक्विटी शेयरों को बेचने के लिए इसे एक अवसर माना।

(5) लैंको तीस्ता हाइड्रो पावर लिमिटेड के संबंध में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी), हैदराबाद शाखा द्वारा दिनांक 26 जुलाई, 2019 को पारित संकल्प योजना के अनुमोदन के अनुसरण में, आरईसीएल ने आदेश के अनुसार इक्विटी शेयरों के विलोपन के परिणामस्वरूप अपने इक्विटी निवेश को बट्टे खाते में डाल दिया है।

इन निवेशों के विमान्य होने के बाद, समूह ने अवधि के दौरान इन शेयरों पर संचयी अभिलाभ/(हानि) को इक्विटी (ओसीआई माध्यम से इक्विटी लिखतों के लिए रिजर्व से प्रतिधारित अर्जन) के भीतर हस्तांतरित कर दिया है। अधिक विवरण के लिए इक्विटी में परिवर्तन का समेकित विवरण का संदर्भ लें।

13.6 निवेशों के उचित मूल्यांकन के ब्यौरों के लिए नोट 41.4 का संदर्भ लें।

समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

14. अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां

समूह ने अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियों को परिशोधित लागत पर इंड एएस 109 की अपेक्षाओं के अनुसरण में वर्गीकृत किया है।

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	दिनांक 31.03.2020 तक की स्थिति के अनुसार	दिनांक 31.03.2019 तक की स्थिति के अनुसार
(i)	भारत सरकार द्वारा पूर्णतः चुकता किए गए बॉण्डों के लिए वसूली योग्य राशि	26,970.02	23,169.32
(ii)	सहयोगी कंपनियों को अग्रिम*	154.27	196.22
(iii)	कार्मिकों को अग्रिम	0.90	1.09
(iv)	कार्मिकों को ऋण	129.58	78.87
(v)	अन्य	258.99	307.92
	घटाएं: अन्य पर क्षतिग्रस्तता हानि छूट (नोट 14.2 का संदर्भ लें)	(51.64)	(40.45)
	कुल अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	**27,462.12**	**23,712.97**

* नकदी के रूप में वसूली योग्य

14.1 केएमपी (यों) को ऋण और अग्रिम का ब्योरा:

(₹ करोड़ में)

विवरण	दिनांक 31.03.2020 तक की स्थिति के अनुसार	दिनांक 31.03.2019 तक की स्थिति के अनुसार
केएमपी (यों) को ऋण और अग्रिम के ब्यौरा (प्रोद्भूत ब्याज सहित)	0.84	0.98

14.2 अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों पर क्षतिग्रस्तता का मूवमेंट

(₹ करोड़ में)

विवरण	वि व 2019-20	वि व 2018-19
प्रारंभिक शेष	40.45	17.53
वर्ष के दौरान संचलन	11.19	22.92
अंतिम शेष	**51.64**	**40.45**

15. मौजूदा कर परिसंपत्तियां/देयताएं (निवल)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	दिनांक 31.03.2020 तक की स्थिति के अनुसार	दिनांक 31.03.2019 तक की स्थिति के अनुसार
(i)	अग्रिम आयकर और टीडीएस	747.84	643.73
(ii)	विवाद के अधीन आयकर मांग पर जमा किया गया कर	390.49	157.21
	कुल मौजूदा कर परिसंपत्तियां (निवल)	**1,138.33**	**800.94**
(i)	विवाद के अधीन आयकर मांग के लिए प्रावधान	67.40	5.74
	कुल मौजूदा कर देयताएं (निवल)	**67.40**	**5.74**

समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

16. निवेश संपत्ति*

(₹ करोड़ में)

विवरण	प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान जोड़े गए	वर्ष के दौरान बिक्री/समायोजन	अंतिम शेष
वि.व 2018-19	0.01	-	-	0.01
वि.व 2019-20	0.01	-	-	0.01

*पीएफसी की सहायक कंपनी आरईसी लिमिटेड से संबंधित

16.1 पीएफसी की सहायक कंपनी आरईसी लिमिटेड ने अनिश्चित वायदे के लिए धारित भूमि को निवेश संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया है और वह इससे कोई किराया आय का अर्जन नहीं कर रही है।

16.2 निवेश संपत्ति का उचित मूल्य:

(₹ करोड़ में)

विवरण	दिनांक 31.03.2020 तक की स्थिति के अनुसार	दिनांक 31.03.2019 तक की स्थिति के अनुसार
वहन मूल्य	0.01	0.01
उचित मूल्य	0.61	0.61

16.3 कंपनी कम से कम वार्षिक आधार पर अपनी निवेश संपत्तियों का स्वतंत्र मूल्यांकन प्राप्त करती है। उचित मूल्य का सर्वोत्तम साक्ष्य समान संपत्तियों के लिए सक्रिय बाजार में वर्तमान मूल्य है। जहां ऐसी सूचना उपलब्ध नहीं हैं, अनेक स्रोतों से सूचना पर विचार किया जाता है जिसमें शामिल हैं:

- सक्रिय बाजारों में भिन्न प्रकृति की समान संपत्तियों के वर्तमान मूल्य या कम सक्रिय बाजारों में समान संपत्तियों के वर्तमान मूल्य जिसे उन अंतरों को दर्शाने के लिए समायोजित किया जाता है।
- क्षेत्राधिकार जिसमें निवेश संपत्ति स्थित है, में वर्तमान सर्किल रेट।

निवेश संपत्ति का उचित मूल्य स्वतंत्र मूल्यांकक द्वारा निर्धारित किया गया है तथा प्रयुक्त मुख्य इनपुट समान संपत्तियों के सर्किल रेट और वर्तमान मूल्य हैं। निवेश संपत्ति के लिए परिणामी उचित मूल्य के सभी अनुमान चरण 3 में शामिल किए गए हैं।

समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

17. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, प्रगतिशील पूंजीगत कार्य (सीडब्ल्यूआईपी), विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां और अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण									प्रगतिशील पूंजीगत कार्य	विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां	अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां
	फ्री-होल्ड भूमि	पट्टे पर धारित भूमि*	भवन	ईडीपी उपकरण	कार्यालय उपकरण	फर्नीचर एवं फिक्सचर	वाहन	लीजहोल्ड सुधार	कुल	अचल संपत्ति	कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर
सकल वहन राशि												
01.04.2018 को प्रारंभिक शेष	**86.30**	**1.59**	**56.66**	**36.78**	**34.77**	**19.73**	**0.60**	**4.02**	**240.45**	**127.23**	**1.46**	**22.25**
अभिवृद्धियां/समायोजन	27.47	-	-	7.39	7.16	3.92	-	0.12	46.06	54.57	0.13	4.88
कटौतियां/समायोजन	-	-	-	3.98	3.67	0.36	0.11	-	8.12	(15.14)	-	(0.04)
31.03.2019 को अंतिम शेष	**113.77**	**1.59**	**56.66**	**40.19**	**38.26**	**23.29**	**0.49**	**4.14**	**278.39**	**196.94**	**1.59**	**27.17**
अभिवृद्धियां/समायोजन	-	-	-	6.25	8.92	6.45	0.02	-	21.64	74.89	-	4.38
पूंजीकृत ऋण लागत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.62	-	-
कटौतियां/समायोजन	-	1.59	-	4.32	4.11	2.02	(0.01)	-	12.03	(8.17)	0.82	7.22
31.03.2020 को अंतिम शेष	**113.77**	**-**	**56.66**	**42.12**	**43.07**	**27.72**	**0.52**	**4.14**	**288.00**	**287.62**	**0.77**	**24.33**
संचित मूल्यहास/परिशोधन												
01.04.2018 को प्रारंभिक शेष	**-**	**0.29**	**19.23**	**28.29**	**22.55**	**13.52**	**0.42**	**0.91**	**85.21**	**-**	**-**	**16.06**
अवधि के लिए	-	0.02	1.15	4.88	5.22	1.55	0.04	0.80	13.66	-	-	1.83
बेची गई/बहियों से बट्टे खाते में डाली गई परिसंपत्तियों पर रिवर्सल	-	-	-	3.75	2.91	0.19	0.08	-	6.93	-	-	(0.10)
31.03.2019 को अंतिम शेष	**-**	**0.31**	**20.38**	**29.42**	**24.86**	**14.88**	**0.38**	**1.71**	**91.94**	**-**	**-**	**17.99**
अवधि के लिए	-	-	1.12	5.63	6.48	2.28	0.03	0.80	16.34	-	-	4.32
बेची गई/बहियों से बट्टे खाते में डाली गई परिसंपत्तियों पर रिवर्सल	-	0.31	-	3.71	2.51	0.54	-	-	7.07	-	-	7.21
31.03.2020 को अंतिम शेष	**-**	**-**	**21.50**	**31.34**	**28.83**	**16.62**	**0.41**	**2.51**	**101.21**	**-**	**-**	**15.10**
निवल वहन राशि												
31.03.2019 तक की स्थिति के अनुसार	**113.77**	**1.28**	**36.28**	**10.77**	**13.40**	**8.41**	**0.11**	**2.43**	**186.45**	**196.94**	**1.59**	**9.18**
31.03.2020 तक की स्थिति के अनुसार	**113.77**	**-**	**35.16**	**10.78**	**14.24**	**11.10**	**0.11**	**1.63**	**186.79**	**287.62**	**0.77**	**9.23**

समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

17.1 कंपनी प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर संपत्ति, संयंत्र और उपकरण तथा अमूर्त परिसंपत्तियों का अनुमानित उपयोगी जीवनकाल, अवशिष्ट मूल्यों और मूल्यहास विधि की समीक्षा करती है और अनुमानों में परिवर्तन, यदि कोई हो, को उत्तरव्यापी प्रभाव से हिसाब में लिया जाता है। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण तथा अमूर्त परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवनकाल के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

(₹ करोड़ में)

श्रेणी	भवन	ईडीपी उपकरण: सर्वर और नेटवर्क	ईडीपी उपकरण: अंतिम प्रयोक्ता डिवाइसेज अर्थात् डेस्कटॉप, लैपटॉप आदि	कार्यालय उपकरण	सेल फोन	फर्नीचर एवं फिक्सचर	वाहन	अमूर्त परिसंपत्तियां
उपयोगी जीवन काल (वर्षों में)	60	6	3	5	2	10	8	5
मूल्य लागत के प्रतिशत के रूप में अवशिष्ट मूल्य	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	-

17.2 सेल फोन, जिसके मामले में कंपनी ने उपयोगी जीवनकाल को दो वर्ष के रूप में निर्धारित किया है, को छोड़कर संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई) का अनुमानित उपयोगी जीवनकाल कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची खख में निर्धारित अवधि के अनुरूप है।

अनुमानित उपयोगी जीवनकाल में लिखित मूल्य विधि के अनुसार उनके अवशिष्ट मूल्यों को घटाकर संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की लागत को बट्टे खाते में डालने के लिए पीपीई पर मूल्यहास को मान्य किया जाता है। अमूर्त परिसंपत्तियों को उनके उपयोगी जीवनकाल पर स्ट्रेट लाइन विधि का उपयोग करते हुए परिशोधित किया जाता है।

17.3 पीएफसी एवं इसकी सहायक कंपनी आरईसी लिमिटेड के प्रबंधन की राय में, इंड एएस 36 के अनुसरण में कंपनी की संपत्ति, संयंत्र और उपकरण तथा अमूर्त परिसंपत्तियों की कोई क्षतिग्रस्तता नहीं है। तदनुसार, इंड एएस 36 'परिसंपत्तियों की क्षतिग्रस्तता' के अंतर्गत अपेक्षा के अनुसार क्षतिग्रस्तता हानि के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।.

17.4 प्रतिभूति के रूप में गिरवी रखी गई संपत्तियों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

कंपनी के मामले में, प्रतिभूति के रूप में गिरवी रखी गई संपत्तियों के ब्यौरों के लिए नोट 22.8 और 22.9 का संदर्भ लें। पीएफसी की सहायक कंपनी आरईसी लिमिटेड के मामले में, प्रतिभूति के रूप में गिरवी रखी गई संपत्तियों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 तक की स्थिति के अनुसार	31.03.2019 तक की स्थिति के अनुसार
सकल वहन मूल्य	3.45	3.45
निवल वहन मूल्य	2.41	2.46

17.5 पीएफसी की सहायक कंपनी आरईसी लिमिटेड के मामले में, दिनांक 31 मार्च, 2020 तक की स्थिति के अनुसार, कंपनी अधिग्रहित की गई कतिपय अचल परिसंपत्तियों के संबंध में हस्तांतर विलेख के पंजीकरण संबंधी औपचारिकताएं निष्पादित की जानी शेष हैं। ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 तक की स्थिति के अनुसार		31.03.2019 तक की स्थिति के अनुसार	
	भूमि	भवन	भूमि	भवन
सकल वहन मूल्य	68.31	4.59	68.31	4.59
निवल वहन मूल्य	68.31	2.14	68.31	2.20

17.6 यद्यपि पीएफसी की सहायक कंपनी आरईसी लिमिटेड ने अर्हक परिसंपत्ति के निर्माण के लिए कोई विशिष्ट ऋण नहीं दिया है, कंपनी ने इंड एएस 23 'ऋण लागत' के अनुसरण में ऋण की औसत दर पर सामान्य ऋण के कारण ऋण की कुछ लागतों को पूंजीकृत किया है। लागू लेखांकन दिशानिर्देशों के अनुसरण में, कंपनी ने उस अवधि, जिसमें कोविड-19 संबंधी व्यवधानों के कारण निर्माण कार्य को स्थगित किया गया, के लिए ऋण लागतों को पूंजीकृत नहीं किया है।

समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

18. राइट-ऑफ-यूज परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2020 तक की स्थिति के अनुसार	31.03.2019 तक की स्थिति के अनुसार
(i)	**लीजहोल्ड भूमि का प्रारंभिक शेष**	-	-
(ii)	अभिवृद्धियां (नोट 45 का संदर्भ लें)	45.84	-
(iii)	घटाएं: संचित मूल्यहास*	3.77	-
	लीजहोल्ड भूमि का अंतिम शेष	**42.07**	**-**

* इंड एएस 116 द्वारा यथाअपेक्षित, लाभ और हानि के समेकित विवरण में राइट-ऑफ-यूज परिसंपत्तियां पर मूल्यहास व्यय को मूल्यहास और परिशोधन व्यय के अंतर्गत शामिल किया जाता है।

19. अन्य गैर-वित्तीय परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2020 की स्थिति के अनुसार	31.03.2019 की स्थिति के अनुसार
(i)	पूर्वदत्त व्यय	3.40	36.95
(ii)	आस्थगित कार्मिक लागतें	62.13	54.30
(iii)	पूंजीगत अग्रिम	93.75	79.09
(iv)	अन्य परिसंपत्तियां	104.66	223.16
	अन्य गैर-वित्तीय परिसंपत्तियां	**263.94**	**393.50**

20. बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत परिसंपत्तियां*

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2020 तक की स्थिति के अनुसार	31.03.2019 तक की स्थिति के अनुसार
(क)	**बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत परिसंपत्तियां**		
(i)	सहयोगी कंपनियों में निवेश (नोट 20.1 का संदर्भ लें)	0.23	0.54
(ii)	सहयोगी कंपनियों को ऋण (नोट 20.2 का संदर्भ लें)	16.75	12.12
	कुल (क)	**16.98**	**12.66**
(ख)	**बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत परिसंपत्तियों के साथ प्रत्यक्ष रूप से संबद्ध देयताएं**		
(i)	सहयोगी कंपनियों को देय (नोट 20.3 का संदर्भ लें)	0.68	0.08
	कुल (ख)	**0.68**	**0.08**
	निपटान समूह - निवल परिसंपत्तियां(क - ख)	**16.30**	**12.58**

* पीएफसी की सहायक कंपनियों, आरईसी लिमिटेड और पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड से संबंधित

समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

20.1 सहयोगी कंपनियों में निवेश

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2020 तक की स्थिति के अनुसार	31.03.2019 तक की स्थिति के अनुसार
	सहयोगी कंपनियों की इक्विटी लिखतों में निवेश (₹10/- प्रत्येक के पूर्ण संदत्त इक्विटी शेयर)		
(i)	डिनचेंग ट्रांसमिशन लिमिटेड*	-	-
(ii)	अजमेर फागी ट्रांसको लिमिटेड	-	0.05
(iii)	भिंडगुना ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	0.05
(iv)	चांडिल ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.05	0.05
(v)	दुमका ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.05	0.05
(vi)	जम खम्बालिया ट्रांसको लिमिटेड	-	0.05
(vii)	खेतड़ी ट्रांसको लिमिटेड	-	0.05
(viii)	कोडरमा ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.05	0.05
(ix)	लाकडिया बनासकांठा ट्रांसको लिमिटेड	-	0.05
(x)	मंदार ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.05	0.05
(xi)	उडुपी कासरगोड ट्रांस लिमिटेड	-	0.05
(xii)	वापी II नार्थ लखीमपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.01	0.01
(xiii)	कोप्पल नरेंद्र ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.01	-
(xiv)	करूर ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.01	-
(xv)	भुज-II ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	0.01
(xvi)	फतेहगढ़ - II ट्रांसको लिमिटेड	-	0.01
(xvii)	बीकानेर खेतड़ी ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	0.01
	कुल	**0.23**	**0.54**

* विद्युत मंत्रालय के दिनांक 25 मार्च, 2019 के पत्र के अंतर्गत डिनचेंग ट्रांसमिशन लिमिटेड को वि-अधिसूचित किया गया था और इसके बाद निवेश को बट्टे खाते में डाला गया। वर्ष के दौरान कोरपोरेट कार्य मंत्रालय से कंपनी का नाम हटाने के लिए विद्युत मंत्रालय की अनुमति प्राप्त की गई है।

20.2 सहयोगी कंपनियों को ऋण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2020 तक की स्थिति के अनुसार	31.03.2019 तक की स्थिति के अनुसार
(i)	चांडिल ट्रांसमिशन लिमिटेड	2.49	1.99
(ii)	दुमका ट्रांसमिशन लिमिटेड	2.18	1.94
(iii)	मंदार ट्रांसमिशन लिमिटेड	2.43	1.71
(iv)	कोडरमा ट्रांसमिशन लिमिटेड	2.23	1.76
(v)	अजमेर फागी ट्रांसको लिमिटेड	-	0.18
(vi)	भिंडगुना ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	0.88
(vii)	उडुपी कासरगोड ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	0.25
(viii)	डब्ल्यूआरएसएस ददख (ए) ट्रांसको लिमिटेड	-	0.35
(ix)	वापी II नार्थ लखीमपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड	3.71	1.81
(x)	कोप्पल नरेंद्र ट्रांसमिशन लिमिटेड	1.69	-
(xi)	करूर ट्रांसमिशन लिमिटेड	2.02	-
(xii)	भुज-II ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	0.32
(xiii)	फतेहगढ़ - II ट्रांसको लिमिटेड	-	0.31
(xiv)	बीकानेर खेतड़ी ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	0.30
(xv)	लाकडिया - वडोदरा ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट लिमिटेड	-	0.32
	कुल	**16.75**	**12.12**

समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

20.3 बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत परिसंपत्तियों के साथ प्रत्यक्ष रूप से संबद्ध देयताएं

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2020 तक की स्थिति के अनुसार	31.03.2019 तक की स्थिति के अनुसार
(i)	बीदर कर्नाटक लाइन*	0.10	-
(ii)	गडग कर्नाटक पार्ट ए लाइन*	0.10	-
(iii)	सोलर एनर्जी राजस्थान पार्ट ए लाइन*	0.11	-
(iv)	सोलर एनर्जी राजस्थान पार्ट बी लाइन*	0.06	-
(v)	सोलर एनर्जी पार्ट सी लाइन*	0.16	-
(vi)	राजगढ़ मध्य प्रदेश लाइन*	0.15	-
(vii)	ओसमानाबाद महाराष्ट्र लाइन*	-	-
(viii)	खेतड़ी ट्रांसको लिमिटेड	-	0.04
(ix)	लाकडिया बनासकांठा ट्रांसको लिमिटेड.	-	0.04
	कुल	**0.68**	**0.08**

* ये एसपीवी निगमन की प्रक्रिया में हैं। तथापि, चूंकि आरएफपी मार्च, 2020 तक जारी की गई थी इसलिए आबंटन नीति के अनुसार, व्यय को आबंटित किया गया है।

20.4 पीएफसी की सहायक कंपनी, आरईसी लिमिटेड और पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड के संबंध में, इनके प्रबंधन ने इन संस्थाओं को विद्युत मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार बिक्री के उद्देश्य से निगमित किया था। ऐसी कोई संभावना नहीं है कि प्रबंधन को इन संस्थाओं से इन्हें बेचने के अलावा अन्य कोई लाभ होगा, अतः इन सभी निवेशों (संबंधित परिसंपत्तियों और देयताओं के साथ-साथ) को 'बिक्री के लिए धारित' के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

21. व्यापार की देय राशियां

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2020 तक की स्थिति के अनुसार	31.03.2019 तक की स्थिति के अनुसार
	व्यापार की देय राशियां		
(i)	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम का कुल बकाया देय	0.15	2.65
(ii)	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम को छोड़कर क्रेडिटरों का कुल बकाया देय	53.07	72.26
	व्यापार की कुल देय राशियां	**53.22**	**74.91**

22. ऋण प्रतिभूतियां

कंपनी और इसकी सहायक कंपनी आरईसी लिमिटेड ने ऋण प्रतिभूतियों को इंड एएस 109 की अपेक्षाओं के अनुसरण में परिशोधित लागत पर वर्गीकृत किया है।

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2020 तक की स्थिति के अनुसार	31.03.2019 तक की स्थिति के अनुसार
(i)	बॉण्ड/डिबेंचर		
	- इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड (नोट 22.1 देखें)	295.09	370.06
	- कर मुक्त बॉण्ड (नोट 22.2 देखें)	24,878.08	24,853.08
	- 54 ईसी पूंजीगत लाभ कर छूट बॉण्ड (नोट 22.3 का संदर्भ लें)	23,894.68	23,941.98
	- करयोग्य बॉण्ड (नोट 22.4 का संदर्भ लें)	3,26,415.29	2,98,307.82
	- विदेशी मुद्रा नोट (नोट 22.5 का संदर्भ लें)	50,508.56	21,095.29
(ii)	कमर्शियल पेपर (नोट 22.6 का संदर्भ लें)	2,925.00	17,690.92
(iii)	प्रोद्भूत ब्याज किंतु उपर्युक्त पर देय नहीं	13,687.09	12,648.16
(iv)	उपर्युक्त पर अपरिशोधित लेन-देन लागत	(1,238.08)	(1,277.35)
(v)	बॉण्ड एप्लीकेशन मनी (नोट 22.7 का संदर्भ लें)	400.19	722.04
	कुल ऋण प्रतिभूतियां	**4,41,765.90**	**3,98,352.00**

समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2020 तक की स्थिति के अनुसार	31.03.2019 तक की स्थिति के अनुसार
	भौगोलिक स्थितिवार ऋण प्रतिभूतियां		
(i)	भारत में ऋण प्रतिभूतियां	3,91,726.07	3,77,818.26
(ii)	भारत से बाहर ऋण प्रतिभूतियां	50,039.83	20,533.74
	भौगोलिक स्थितिवार कुल ऋण प्रतिभूतियां	**4,41,765.90**	**3,98,352.00**

22.1 बकाया इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्डों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र. सं.	बॉण्ड श्रृंखला	कूपन की दर (प्रतिवर्ष)	निम्नलिखित तारीख तक की स्थिति के अनुसार बकाया मूलधन राशि (₹ करोड़ में)		मोचन की तारीख	मोचन का विवरण
			31.03.2020	31.03.2019		
	पीएफसी के मामले में					
1.	इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड 86 डी श्रृंखला	8.72%	2.40	2.40	30.03.2027	आबंटन की तारीख से 15 वर्षों में पड़ने वाली तारीख पर सममूल्य पर मोचनीय
2.	इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड 86 सी श्रृंखला	8.72%	0.87	0.87	30.03.2027	आबंटन की तारीख से 15 वर्षों में पड़ने वाली तारीख को वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के साथ सममूल्य पर मोचनीय
3.	इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड (2011-12) - श्रृंखला III	8.75%	2.86	2.86	21.11.2026	आबंटन की तारीख से 15 वर्षों में पड़ने वाली तारीख पर सममूल्य पर मोचनीय
4.	इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड (2011-12) - श्रृंखला IV	8.75%	7.77	7.77	21.11.2026	आबंटन की तारीख से 15 वर्षों में पड़ने वाली तारीख को वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के साथ सममूल्य पर मोचनीय
5.	इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड (2010-11) - श्रृंखला III	8.50%	5.27	5.27	31.03.2026	आबंटन की तारीख से 15 वर्षों में पड़ने वाली तारीख पर सममूल्य पर मोचनीय
6.	इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड (2010-11) - श्रृंखला IV	8.50%	19.33	19.33	31.03.2026	आबंटन की तारीख से 15 वर्षों में पड़ने वाली तारीख को वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के साथ सममूल्य पर मोचनीय
7.	इंफ्रा बॉण्ड प्राइवेट प्लेसमेंट श्रृंखला I	8.43%	7.39	7.39	30.03.2022	आबंटन की तारीख से 10 वर्षों में पड़ने वाली तारीख पर सममूल्य पर मोचनीय
8.	इंफ्रा बॉण्ड प्राइवेट प्लेसमेंट श्रृंखला II	8.43%	15.47	15.47	30.03.2022	आबंटन की तारीख से 10 वर्षों में पड़ने वाली तारीख को वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के साथ सममूल्य को मोचनीय
9.	इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड (2011-12) - श्रृंखला I	8.50%	21.85	21.85	21.11.2021	आबंटन की तारीख से 10 वर्षों में पड़ने वाली तारीख पर सममूल्य पर मोचनीय
10.	इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड (2011-12) - श्रृंखला II	8.50%	36.34	36.34	21.11.2021	आबंटन की तारीख से 10 वर्षों में पड़ने वाली तारीख को वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के साथ सममूल्य को मोचनीय
11.	इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड (2010-11) - श्रृंखला I	8.30%	49.96	49.96	31.03.2021	आबंटन की तारीख से 10 वर्षों में पड़ने वाली तारीख पर सममूल्य को मोचनीय
12.	इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड (2010-11) - श्रृंखला II	8.30%	109.12	109.12	31.03.2021	आबंटन की तारीख से 10 वर्षों में पड़ने वाली तारीख को वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के साथ सममूल्य को मोचनीय
	उप-योग (क)		**278.63**	**278.63**		

समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

क्र. सं.	बॉण्ड श्रृंखला	कूपन की दर (प्रतिवर्ष)	निम्नलिखित तारीख तक की स्थिति के अनुसार बकाया मूलधन राशि (₹ करोड़ में)		मोचन की तारीख	मोचन का विवरण
			31.03.2020	31.03.2019		
पीएफसी की सहायक कंपनी आरईसी लिमिटेड के मामले में						
1.	श्रृंखला-II (2011-12) संचयी	9.15%	2.83	2.83	15.02.2027	आबंटन की तारीख से 15 वर्षों में पड़ने वाली तारीख को मोचनीय
2.	श्रृंखला-II (2011-12) वार्षिक	9.15%	1.13	1.13	15.02.2027	
3.	श्रृंखला-II (2011-12) संचयी	8.95%	5.73	5.73	15.02.2022	आबंटन की तारीख से 10 वर्षों में पड़ने वाली तारीख को मोचनीय
4.	श्रृंखला-II (2011-12) वार्षिक	8.95%	1.38	1.38	15.02.2022	
5.	श्रृंखला-I (2010-11)	8.10%	1.61	1.61	31.03.2021	आबंटन की तारीख से 10 वर्षों में पड़ने वाली तारीख को मोचनीय
6.	श्रृंखला-I (2010-11)	8.20%	3.78	3.79	31.03.2021	
7.	श्रृंखला-I (2010-11)	8.00%	-	16.92	वित्तीय वर्ष में 2019-20 पुनर्भुगतान	5/6/7/8/9 वर्ष के बाद बॉण्ड धारकों द्वारा बाईबैक के विकल्प के साथ आबंटन की तारीख से 10 वर्षों में पड़ने वाली तारीख को मोचनीय
8.	श्रृंखला-I (2010-11)	8.20%	-	58.04		
	उप-योग (ख)		**16.46**	**91.43**		
	कुल योग (क + ख)		**295.09**	**370.06**		

22.2 बकाया करमुक्त बॉण्डों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

क्र. सं.	बॉण्ड श्रृंखला	कूपन दर (प्रतिवर्ष)	निम्नलिखित तारीख तक की स्थिति के अनुसार बकाया मूलधन राशि (₹ करोड़ में)		मोचन की तारीख	मोचन का विवरण
			31.03.2020	31.03.2019		
पीएफसी के मामले में						
1.	7 35 कर मुक्त बॉण्ड 3 ए 2015 16	7.35%	213.57	213.57	17.10.2035	
2.	7 60 कर मुक्त बॉण्ड 3 बी 2015 16	7.60%	155.48	155.48	17.10.2035	
3.	कर मुक्त बॉण्ड 8 67 बीपीएस श्रृंखला 3ए	8.67%	1,067.38	1,067.38	16.11.2033	
4.	कर मुक्त बॉण्ड 8 92 बीपीएस श्रृंखला 3बी	8.92%	861.96	861.96	16.11.2033	
5.	7 27 कर मुक्त बॉण्ड 2 ए 2015 16	7.27%	131.33	131.33	17.10.2030	
6.	7 52 कर मुक्त बॉण्ड 2 बी 2015 16	7.52%	45.18	45.18	17.10.2030	परिपक्वता पर सममूल्य पर मोचनीय
7.	कर मुक्त बॉण्ड 8 54 बीपीएस श्रृंखला 2ए	8.54%	932.70	932.70	16.11.2028	
8.	कर मुक्त बॉण्ड 8 79 बीपीएस श्रृंखला 2बी	8.79%	353.32	353.32	16.11.2028	
9.	8 46 कर मुक्त बॉण्ड श्रृंखला 107 बी	8.46%	1,011.10	1,011.10	30.08.2028	
10.	7.04% टीआर -2 कर मुक्त बॉण्ड 12-13	7.04%	10.25	8.89	28.03.2028	

समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

क्र. सं.	बॉण्ड श्रृंखला	कूपन दर (प्रतिवर्ष)	निम्नलिखित तारीख तक की स्थिति के अनुसार बकाया मूलधन राशि (₹ करोड़ में)		मोचन की तारीख	मोचन का विवरण
			31.03.2020	31.03.2019		
11.	7.54% टीआर 2 कर मुक्त बॉण्ड 12-13	7.54%	58.96	60.32	28.03.2028	
12.	7.36% 15 वर्षीय कर मुक्त बॉण्ड 2012-13 टीआर -ख श्रृंखला-2	7.36%	162.72	159.81	04.01.2028	
13.	7.86% 15 वर्षीय कर मुक्त बॉण्ड 2012-13 टीआर -ख श्रृंखला-2	7.86%	194.28	197.19	04.01.2028	
14.	कर मुक्त बॉण्ड श्रृंखला 95बी	7.38%	100.00	100.00	29.11.2027	
15.	कर मुक्त बॉण्ड श्रृंखला 94बी	7.38%	25.00	25.00	22.11.2027	
16.	8.30% कर मुक्त बॉण्ड का सार्वजनिक निर्गम वित्तीय वर्ष 11-12	8.30%	1,280.58	1,280.58	01.02.2027	
17.	8.16% कर मुक्त बॉण्ड श्रृंखला 80-बी	8.16%	209.34	209.34	25.11.2026	
18.	7.75% कर मुक्त बॉण्ड श्रृंखला 79-बी	7.75%	217.99	217.99	15.10.2026	
19.	7 11 कर मुक्त बॉण्ड 1ए 2015-16	7.11%	75.09	75.09	17.10.2025	
20.	7.36 कर मुक्त बॉण्ड 1बी 2015-16	7.36%	79.35	79.35	17.10.2025	
21.	7 16 कर मुक्त प्रतिभूत बॉण्ड श्रृंखला 136	7.16%	300.00	300.00	17.07.2025	
22.	कर मुक्त बॉण्ड 8 18 बीपीएस श्रृंखला 1ए	8.18%	325.07	325.07	16.11.2023	परिपक्वता पर सममूल्य पर मोचनीय
23.	कर मुक्त बॉण्ड 8 43 बीपीएस श्रृंखला खबी	8.43%	335.47	335.47	16.11.2023	
24.	8 01 कर मुक्त बॉण्ड श्रृंखला 107 ए	8.01%	113.00	113.00	30.08.2023	
25.	6.88% टीआर -2 कर मुक्त बॉण्ड 12-13	6.88%	52.90	52.38	28.03.2023	
26.	7.38% टीआर -2 कर मुक्त बॉण्ड 12-13	7.38%	43.25	43.77	28.03.2023	
27.	7.19% 10 वर्षीय कर मुक्त बॉण्ड 12-13 टीआर -ख श्रृंखला 1	7.19%	197.09	193.40	04.01.2023	
28.	7.69% 10 वर्षीय कर मुक्त बॉण्ड 2012-13 टीआर -ख श्रृंखला-1	7.69%	145.66	149.35	04.01.2023	
29.	कर मुक्त बॉण्ड श्रृंखला 95 ए	7.22%	30.00	30.00	29.11.2022	
30.	कर मुक्त बॉण्ड श्रृंखला 94 ए	7.21%	255.00	255.00	22.11.2022	
31.	8.20% कर मुक्त बॉण्ड का सार्वजनिक निर्गम वित्तीय वर्ष 11-12	8.20%	2,752.55	2,752.55	01.02.2022	
32.	8.09% कर मुक्त बॉण्ड श्रृंखला 80-ए	8.09%	334.31	334.31	25.11.2021	
33.	7.51% कर मुक्त बॉण्ड श्रृंखला 79-ए	7.51%	205.23	205.23	15.10.2021	
	उप-योग (क)		**12,275.11**	**12,275.11**		

समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

क्र. सं.	बॉण्ड श्रृंखला	कूपन दर (प्रतिवर्ष)	निम्नलिखित तारीख तक की स्थिति के अनुसार बकाया मूलधन राशि (₹ करोड़ में) 31.03.2020	31.03.2019	मोचन का विवरण
	पीएफसी की सहायक कंपनी आरईसी लिमिटेड के मामले में				
1.	श्रृंखला 2015-16 ट्रांच-1	6.89% से 7.43%	696.56	696.56	सममूल्य पर मोचनीय। वार्षिक रूप से देय 6.89% से 7.43% की भिन्न-भिन्न ब्याज दरों पर ₹105.93 करोड़ की राशि के बॉण्ड 05.11.2025 को मोचनीय, ₹172.90 करोड़ की राशि के बॉण्ड 05.11.2030 को मोचनीय और ₹417.73 करोड़ की राशि के बॉण्ड 05.11.2035 को मोचनीय
2.	श्रृंखला 2015-16 श्रृंखला 5ए	7.17%	300.00	300.00	23.07.2025 को 7.17% पर सममूल्य पर मोचनीय
3.	श्रृंखला 2013-14 ट्रांच-2	8.19% से 8.88%	1,057.40	1,057.40	सममूल्य पर मोचनीय। वार्षिक रूप से देय 8.19% से 8.88% की भिन्न-भिन्न ब्याज दरों पर ₹419.32 करोड़ की राशि के बॉण्ड 22.03.2024 को मोचनीय, ₹528.42 करोड़ की राशि के बॉण्ड 23.03.2029 को मोचनीय और ₹109.66 करोड़ की राशि के बॉण्ड 24.03.2024 को मोचनीय।
4.	श्रृंखला 2013-14 ट्रांच-1	8.01% से 8.71%	3,410.60	3,410.60	सममूल्य पर मोचनीय। वार्षिक रूप से देय 8.01% से 8.71% की भिन्न-भिन्न ब्याज दरों पर ₹575.06 करोड़ की राशि के बॉण्ड 25.09.2023 को मोचनीय, ₹2,780.26 करोड़ की राशि के बॉण्ड 25.09.2028 को मोचनीय और ₹55.28 करोड़ की राशि के बॉण्ड 26.09.2033 को मोचनीय।
5.	श्रृंखला 2013-14 श्रृंखला 4ए एवं 4बी	8.18% से 8.54%	150.00	150.00	सममूल्य पर मोचनीय। वार्षिक रूप से देय 8.18% से 8.54% की भिन्न-भिन्न ब्याज दरों पर ₹105.00 करोड़ की राशि के बॉण्ड 11.10.2023 को मोचनीय, और ₹45.00 करोड़ की राशि के बॉण्ड 11.10.2028 को मोचनीय।
6.	श्रृंखला 2013-14 श्रृंखला 3ए एवं 3बी	8.01% से 8.46%	1,350.00	1,350.00	सममूल्य पर मोचनीय। वार्षिक रूप से देय 8.01% से 8.46% की भिन्न-भिन्न ब्याज दरों पर ₹209.00 करोड़ की राशि के बॉण्ड 29.08.2023 को मोचनीय, और ₹1,141.00 करोड़ की राशि के बॉण्ड 29.08.2028 को मोचनीय।
7.	श्रृंखला 2012-13 ट्रांच-2	6.88% से 7.54%	131.06	131.06	सममूल्य पर मोचनीय। वार्षिक रूप से देय 6.88% से 7.54% की भिन्न-भिन्न ब्याज दरों पर ₹81.35 करोड़ की राशि के बॉण्ड 27.03.2023 को मोचनीय, और ₹49.71 करोड़ की राशि के बॉण्ड 27.03.2028 को मोचनीय।
8.	श्रृंखला 2012-13 ट्रांच-1	7.22% से 7.88%	2,007.35	1,982.35	सममूल्य पर मोचनीय। वार्षिक रूप से देय 7.22% से 7.88% की भिन्न-भिन्न ब्याज दरों पर ₹1,165.31 करोड़ की राशि के बॉण्ड 19.12.2022 को मोचनीय, और ₹842.04 करोड़ की राशि के बॉण्ड 20.12.2027 को मोचनीय।
9.	श्रृंखला 2012-13 श्रृंखला 2ए एवं 2बी	7.21% से 7.38%	500.00	500.00	सममूल्य पर मोचनीय। वार्षिक रूप से देय 7.21% से 7.38% की भिन्न-भिन्न ब्याज दरों पर ₹255.00 करोड़ की राशि के बॉण्ड 21.11.2022 को मोचनीय, और ₹245.00 करोड़ की राशि के बॉण्ड 22.11.2027 को मोचनीय।
10.	श्रृंखला 2011-12	7.93% से 8.32%	3,000.00	3,000.00	सममूल्य पर मोचनीय। वार्षिक रूप से देय 7.93% से 8.32% की भिन्न-भिन्न ब्याज दरों पर ₹839.67 करोड़ की राशि के बॉण्ड 28.03.2022 को मोचनीय, और ₹2,160.33 करोड़ की राशि के बॉण्ड 29.03.2027 को मोचनीय।
	उप-योग (ख)	**12,602.97**	**12,577.97**		
	कुल योग (क + ख)	**24,878.08**	**24,853.08**		

समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

22.3 बकाया 54 ईसी पूंजीगत अभिलाभ कर छूट बॉण्डों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र. सं.	बॉण्ड श्रृंखला	कूपन की दर (प्रतिवर्ष)	निम्नलिखित तारीख तक की स्थिति के अनुसार बकाया मूलधन राशि (₹ करोड़ में)		मोचन का विवरण
			31.03.2020	31.03.2019	
पीएफसी के मामले में					
1.	श्रृंखला III (वित्तीय वर्ष 2019-20)	5.75%	1,134.44	-	वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान सममूल्य पर मोचनीय
2.	श्रृंखला II (वित्तीय वर्ष 2018-19)	5.75%	491.95	491.95	वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान सममूल्य पर मोचनीय
3.	श्रृंखला I (वित्तीय वर्ष 2017-18)	5.25%	292.15	292.15	वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान सममूल्य पर मोचनीय
	उप-योग (क)		**1,918.54**	**784.10**	
पीएफसी की सहायक कंपनी आरईसी लिमिटेड के मामले में					
1.	श्रृंखला XIII (वित्तीय वर्ष 2019-20)	5.75%	5,759.14	-	वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान सममूल्य पर मोचनीय
2.	श्रृंखला XII (वित्तीय वर्ष 2018-19)	5.75%	6,651.77	5,929.73	वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान सममूल्य पर मोचनीय
3.	श्रृंखला XI (वित्तीय वर्ष 2017-18)	5.25%	9,565.23	9,565.23	वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान सममूल्य पर मोचनीय
4.	श्रृंखला X (वित्तीय वर्ष 2016-17)	5.25%	-	7,662.92	वित्तीय वर्ष 2019-20 में चुकौती
	उप-योग (ख)		**21,976.14**	**23,157.88**	
	कुल योग (क + ख)		**23,894.68**	**23,941.98**	

22.4 बकाया करयोग्य बॉण्डों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र. सं.	बॉण्ड श्रृंखला	कूपन दर (प्रतिवर्ष)	निम्नलिखित तारीख तक की स्थिति के अनुसार बकाया मूलधन राशि (₹ करोड़ में)		मोचन की तारीख	मोचन का विवरण
			31.03.2020	31.03.2019		
पीएफसी के मामले में						
1.	श्रृंखला 190	8.25%	4,016.00	-	06.09.2034	परिपक्वता पर सममूल्य पर मोचनीय
2.	श्रृंखला 189	8.15%	4,035.00	-	08.08.2034	
3.	श्रृंखला 186	8.79%	2,578.90	-	30.04.2034	
4.	श्रृंखला 180	8.75%	2,654.00	2,654.00	22.02.2034	
5.	श्रृंखला 179-बी	8.64%	528.40	528.40	19.11.2033	
6.	श्रृंखला 71	9.05%	192.70	192.70	15.12.2030	
7.	श्रृंखला 66-सी	8.85%	633.00	633.00	15.06.2030	
8.	श्रृंखला 197	7.41%	5,000.00	-	15.05.2030	
9.	श्रृंखला 195	7.86%	1,100.00	-	12.04.2030	
10.	श्रृंखला 196	7.41%	2,500.00	-	25.02.2030	
11.	श्रृंखला193	7.93%	4,710.50	-	31.12.2029	
12.	श्रृंखला 118 विकल्प बी III	9.39%	460.00	460.00	27.08.2029	
13.	श्रृंखला 187 बी	8.85%	1,982.10	-	27.05.2029	
14.	श्रृंखला 179-ए	8.67%	1,007.40	1,007.40	19.11.2028	
15.	श्रृंखला 178	8.95%	3,000.00	3,000.00	10.10.2028	
16.	श्रृंखला 177	7.85%	3,855.00	3,855.00	03.04.2028	

समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

क्र. सं.	बॉण्ड श्रृंखला	कूपन दर (प्रतिवर्ष)	निम्नलिखित तारीख तक की स्थिति के अनुसार बकाया मूलधन राशि (₹ करोड़ में)		मोचन की तारीख	मोचन का विवरण
			31.03.2020	31.03.2019		
17.	श्रृंखला 103	8.94%	2,807.00	2,807.00	25.03.2028	परिपक्वता पर सममूल्य पर मोचनीय
18.	श्रृंखला 102 ए (III)	8.90%	403.00	403.00	18.03.2028	
19.	श्रृंखला 101 बी	9.00%	1,370.00	1,370.00	11.03.2028	
20.	श्रृंखला 172	7.74%	850.00	850.00	29.01.2028	
21.	श्रृंखला 171	7.62%	5,000.00	5,000.00	15.12.2027	
22.	श्रृंखला 170-बी	7.65%	2,001.00	2,001.00	22.11.2027	
23.	श्रृंखला 169-बी	7.30%	1,500.00	1,500.00	07.08.2027	
24.	श्रृंखला 168-बी	7.44%	1,540.00	1,540.00	12.06.2027	
25.	श्रृंखला 155	7.23%	2,635.00	2,635.00	05.01.2027	
26.	श्रृंखला 152	7.55%	4,000.00	4,000.00	25.09.2026	
27.	श्रृंखला 151-बी	7.56%	210.00	210.00	16.09.2026	
28.	श्रृंखला - 77-बी	9.45%	2,568.00	2,568.00	01.09.2026	
29.	श्रृंखला 150-बी	7.63%	1,675.00	1,675.00	14.08.2026	
30.	श्रृंखला - 76-बी	9.46%	1,105.00	1,105.00	01.08.2026	
31.	श्रृंखला 147	8.03%	1,000.00	1,000.00	02.05.2026	
32.	श्रृंखला 71	9.05%	192.70	192.70	15.12.2025	
33.	श्रृंखला 141-बी	8.40%	1,000.00	1,000.00	18.09.2025	
34.	श्रृंखला 66-बी	8.75%	1,532.00	1,532.00	15.06.2025	
35.	श्रृंखला 63-III	8.70%	1,337.50	1,337.50	14.05.2025	
36.	श्रृंखला 130-सी	8.39%	925.00	925.00	19.04.2025	
37.	श्रृंखला 64	8.95%	492.00	492.00	30.03.2025	
38.	श्रृंखला 131-सी	8.41%	5,000.00	5,000.00	27.03.2025	
39.	श्रृंखला 63-III	8.90%	184.00	184.00	15.03.2025	
40.	श्रृंखला 128	8.20%	1,600.00	1,600.00	10.03.2025	
41.	श्रृंखला 62-बी	8.80%	1,172.60	1,172.60	15.01.2025	
42.	श्रृंखला 126	8.65%	5,000.00	5,000.00	04.01.2025	
43.	श्रृंखला 125	8.65%	2,826.00	2,826.00	28.12.2024	
44.	श्रृंखला 61	8.50%	351.00	351.00	15.12.2024	
45.	श्रृंखला 124 सी	8.48%	1,000.00	1,000.00	09.12.2024	
46.	श्रृंखला 192	7.42%	3,000.00	-	19.11.2024	
47.	श्रृंखला 120 विकल्प ए	8.98%	961.00	961.00	08.10.2024	
48.	श्रृंखला विकल्प 120 बी	8.98%	950.00	950.00	08.10.2024	
49.	श्रृंखला 118 विकल्प बी II	9.39%	460.00	460.00	27.08.2024	
50.	श्रृंखला 117 विकल्प बी	9.37%	855.00	855.00	19.08.2024	
51.	श्रृंखला 57-सी	8.60%	866.50	866.50	07.08.2024	
52.	श्रृंखला 188	8.10%	691.10	-	04.06.2024	
53.	श्रृंखला 85 डी	9.26%	736.00	736.00	15.04.2023	
54.	श्रृंखला 194	7.04%	1,400.00	-	14.04.2023	
55.	श्रृंखला 102 ए (II)	8.90%	403.00	403.00	18.03.2023	
56.	श्रृंखला 100 बी	8.84%	1,310.00	1,310.00	04.03.2023	
57.	जीरो कूपन अप्रतिभूत कर योग्य बॉण्ड 2022-XIX श्रृंखला	-	605.94	560.45	30.12.2022	

समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

क्र. सं.	बॉण्ड श्रृंखला	कूपन दर (प्रतिवर्ष)	निम्नलिखित तारीख तक की स्थिति के अनुसार बकाया मूलधन राशि (₹ करोड़ में)		मोचन की तारीख	मोचन का विवरण
			31.03.2020	31.03.2019		
58.	श्रृंखला 176-बी	7.99%	1,295.00	1,295.00	20.12.2022	
59.	श्रृंखला 170-ए	7.35%	800.00	800.00	22.11.2022	
60.	श्रृंखला 191	7.35%	3,735.00	-	15.10.2022	
61.	श्रृंखला 92 सी	9.29%	640.00	640.00	21.08.2022	
62.	श्रृंखला 181	8.45%	2,155.00	2,155.00	11.08.2022	
63.	श्रृंखला 169-ए	7.10%	3,395.00	3,395.00	08.08.2022	
64.	श्रृंखला 168-ए	7.28%	1,950.00	1,950.00	12.06.2022	
65.	श्रृंखला 187 ए	8.20%	1,605.00	-	27.05.2022	
66.	श्रृंखला 88 सी	9.48%	184.70	184.70	15.04.2022	
67.	श्रृंखला 183	8.18%	3,751.20	3,751.20	19.03.2022	
68.	श्रृंखला 154	7.27%	1,101.00	1,101.00	22.12.2021	
69.	श्रृंखला 124 बी	8.55%	1,200.00	1,200.00	09.12.2021	
70.	श्रृंखला 123 सी	8.66%	200.00	200.00	27.11.2021	
71.	श्रृंखला 153	7.40%	1,830.00	1,830.00	30.09.2021	
72.	श्रृंखला 151-ए	7.47%	2,260.00	2,260.00	16.09.2021	
73.	श्रृंखला 150-ए	7.50%	2,660.00	2,660.00	16.08.2021	
74.	श्रृंखला - 76-ए	9.36%	2,589.40	2,589.40	01.08.2021	
75.	श्रृंखला 115 III	9.20%	700.00	700.00	07.07.2021	
76.	श्रृंखला 75-सी	9.61%	2,084.70	2,084.70	29.06.2021	
77.	श्रृंखला 74	9.70%	1,693.20	1,693.20	09.06.2021	
78.	श्रृंखला 28	8.85%	600.00	600.00	31.05.2021	परिपक्वता पर सममूल्य पर मोचनीय
79.	श्रृंखला 146	8.05%	300.00	300.00	27.04.2021	
80.	श्रृंखला 73	9.18%	1,000.00	1,000.00	15.04.2021	
81.	श्रृंखला 175	7.75%	600.00	600.00	15.04.2021	
82.	श्रृंखला 173-बी	7.73%	1,325.00	1,325.00	05.04.2021	
83.	श्रृंखला 173-ए	7.73%	505.00	505.00	12.03.2021	
84.	श्रृंखला 112-सी	9.70%	270.00	270.00	31.01.2021	
85.	श्रृंखला 72-बी	8.99%	1,219.00	1,219.00	15.01.2021	
86.	श्रृंखला 71	9.05%	192.70	192.70	15.12.2020	
87.	श्रृंखला 70	8.78%	1,549.00	1,549.00	15.11.2020	
88.	श्रृंखला 141-ए	8.46%	1,000.00	1,000.00	18.09.2020	
89.	श्रृंखला 163	7.50%	2,435.00	2,435.00	17.09.2020	
90.	श्रृंखला 182	8.20%	3,500.00	3,500.00	14.09.2020	
91.	श्रृंखला 140-बी	8.36%	1,250.00	1,250.00	04.09.2020	
92.	श्रृंखला 138	8.45%	1,000.00	1,000.00	10.08.2020	
93.	श्रृंखला 137	8.53%	2,700.00	2,700.00	24.07.2020	
94.	श्रृंखला 68-बी	8.70%	1,424.00	1,424.00	15.07.2020	
95.	श्रृंखला 167	7.30%	1,560.00	1,560.00	30.06.2020	
96.	श्रृंखला 165	7.42%	3,605.00	3,605.00	26.06.2020	
97.	श्रृंखला 66-ए	8.65%	500.00	500.00	15.06.2020	
98.	श्रृंखला 166	7.46%	1,180.00	1,180.00	05.06.2020	
99.	श्रृंखला 149	8.04%	100.00	100.00	30.05.2020	

समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

क्र. सं.	बॉण्ड श्रृंखला	कूपन दर (प्रतिवर्ष)	निम्नलिखित तारीख तक की स्थिति के अनुसार बकाया मूलधन राशि (₹ करोड़ में)		मोचन की तारीख	मोचन का विवरण
			31.03.2020	31.03.2019		
100.	श्रृंखला 159	7.05%	2,551.00	2,551.00	15.05.2020	परिपक्वता पर सममूल्य पर मोचनीय
101.	श्रृंखला 65-II	8.70%	1,337.50	1,337.50	14.05.2020	
102.	श्रृंखला 131-बी	8.38%	1,350.00	1,350.00	27.04.2020	
103.	श्रृंखला 130-बी	8.42%	200.00	200.00	18.04.2020	
104.	श्रृंखला 85 सी	9.30%	79.50	79.50	15.04.2020	
105.	श्रृंखला 157	6.83%	2,000.00	2,000.00	15.04.2020	
106.	श्रृंखला 102 बी	8.87%	-	70.00	वित्तीय वर्ष 2019-20 में चुकौती	संबंधित परिपक्वता/कॉल विकल्प का प्रयोग करने की तारीख को सममूल्य पर मोचनीय
107.	श्रृंखला 91 बी	9.39%	-	2,695.20		
108.	श्रृंखला 64	8.95%	-	492.00		
109.	श्रृंखला 87 डी	9.42%	-	650.80		
110.	श्रृंखला 63-II	8.90%	-	184.00		
111.	श्रृंखला 100 ए	8.86%	-	54.30		
112.	श्रृंखला 127	8.36%	-	4,440.00		
113.	श्रृंखला 99 बी	8.82%	-	733.00		
114.	श्रृंखला 112-बी	9.70%	-	270.00		
115.	श्रृंखला 176-ए	7.53%	-	1,500.00		
116.	श्रृंखला 62-ए	8.70%	-	845.40		
117.	श्रृंखला 61	8.50%	-	351.00		
118.	श्रृंखला 124 ए	8.52%	-	1,220.00		
119.	श्रृंखला 123 बी	8.65%	-	836.00		
120.	श्रृंखला 60-बी	एफबीआईएल जी-प्रतिभूत प्रति आय+179 बीपीएस (फ्लोटिंग रेट)	-	925.00		
121.	श्रृंखला 122	8.76%	-	1,000.00	वित्तीय वर्ष 2019-20 में चुकौती	संबंधित परिपक्वता/कॉल विकल्प का प्रयोग करने की तारीख को सममूल्य पर मोचनीय
122.	श्रृंखला 121 बी	8.96%	-	1,100.00		
123.	श्रृंखला 59-बी	8.80%	-	1,216.60		
124.	श्रृंखला 119 विकल्प बी	9.32%	-	1,591.00		
125.	श्रृंखला 118 विकल्प बी I	9.39%	-	460.00		
126.	श्रृंखला 57-बी	8.60%	-	866.50		
127.	श्रृंखला 115 II	9.15%	-	100.00		
128.	श्रृंखला 135-बी	8.50%	-	1,500.00		
129.	श्रृंखला 174	7.80%	-	3,300.00		
130.	श्रृंखला 148	7.95%	-	1,915.00		
131.	श्रृंखला 145	7.85%	-	2,928.00		
	उप-योग (क)		**1,72,930.24**	**1,67,774.95**		

समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

क्र. सं.	बॉण्ड श्रृंखला	कूपन दर (प्रतिवर्ष)	निम्नलिखित तारीख तक की स्थिति के अनुसार बकाया मूलधन राशि (₹ करोड़ में)		मोचन की तारीख	मोचन का विवरण
			31.03.2020	31.03.2019		
	पीएफसी की सहायक कंपनी आरईसी लिमिटेड के मामले में					
1.	श्रृंखला 183	8.29%	3,028.00	-	16.09.2034	
2.	श्रृंखला 182	8.18%	5,063.00	-	22.08.2034	
3.	श्रृंखला 189	7.92%	3,054.90	-	31.03.2030	
4.	श्रृंखला 188	7.89%	1,100.00	-	31.03.2030	
5.	श्रृंखला 192	7.50%	2,382.00	-	28.02.2030	
6.	श्रृंखला 184 ए	8.25%	290.20	-	26.09.2029	
7.	श्रृंखला 180 बी	8.30%	2,070.90	-	25.06.2029	
8.	श्रृंखला 178	8.80%	1,097.00	-	14.05.2029	
9.	श्रृंखला 176	8.85%	1,600.70	-	16.04.2029	
10.	श्रृंखला 169	8.37%	2,554.00	2,554.00	07.12.2028	
11.	श्रृंखला 168	8.56%	2,552.40	2,552.40	29.11.2028	
12.	श्रृंखला 163	8.63%	2,500.00	2,500.00	25.08.2028	
13.	श्रृंखला 162	8.55%	2,500.00	2,500.00	09.08.2028	
14.	श्रृंखला 156	7.70%	3,533.00	3,533.00	10.12.2027	
15.	श्रृंखला 147	7.95%	2,745.00	2,745.00	12.03.2027	
16.	श्रृंखला 142	7.54%	3,000.00	3,000.00	30.12.2026	
17.	श्रृंखला 140	7.52%	2,100.00	2,100.00	07.11.2026	
18.	श्रृंखला 136	8.11%	2,585.00	2,585.00	07.10.2025	
19.	श्रृंखला 95-II	8.75%	1,800.00	1,800.00	14.07.2025	
20.	श्रृंखला 94	8.75%	1,250.00	1,250.00	09.06.2025	परिपक्वता पर सममूल्य पर मोचनीय
21.	श्रृंखला 133	8.30%	2,396.00	2,396.00	10.04.2025	
22.	श्रृंखला 190ए	6.88%	2,500.00	-	20.03.2025	
23.	श्रृंखला 131	8.35%	2,285.00	2,285.00	21.02.2025	
24.	श्रृंखला 130	8.27%	2,325.00	2,325.00	06.02.2025	
25.	श्रृंखला 129	8.23%	1,925.00	1,925.00	23.01.2025	
26.	श्रृंखला 128	8.57%	2,250.00	2,250.00	21.12.2024	
27.	श्रृंखला 186 बी	7.40%	1,500.00	-	26.11.2024	
28.	श्रृंखला 191 बी	6.99%	1,100.00	-	30.09.2024	
29.	श्रृंखला 123 III बी	9.34%	1,955.00	1,955.00	23.08.2024	
30.	श्रृंखला 180 ए	8.10%	1,018.00	-	25.06.2024	
31.	श्रृंखला 184 बी एसटीआरपी-डी	7.55%	298.00	-	26.09.2023	
32.	श्रृंखला 191 ए	6.80%	1,100.00	-	30.06.2023	
33.	श्रृंखला 114	8.82%	4,300.00	4,300.00	12.04.2023	
34.	श्रृंखला 188 ए	7.12%	1,400.00	-	31.03.2023	
35.	श्रृंखला 159	7.99%	950.00	950.00	23.02.2023	
36.	श्रृंखला 187	7.24%	2,090.00	-	31.12.2022	
37.	श्रृंखला 185	7.09%	2,759.00	-	13.12.2022	
38.	श्रृंखला 155	7.45%	1,912.00	1,912.00	30.11.2022	
39.	श्रृंखला 111-II	9.02%	2,211.20	2,211.20	19.11.2022	
40.	श्रृंखला 152	7.09%	1,225.00	1,225.00	17.10.2022	

समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

क्र. सं.	बॉण्ड श्रृंखला	कूपन दर (प्रतिवर्ष)	निम्नलिखित तारीख तक की स्थिति के अनुसार बकाया मूलधन राशि (₹ करोड़ में)		मोचन की तारीख	मोचन का विवरण
			31.03.2020	31.03.2019		
41.	श्रृंखला 184 बी एसटीआरपी -सी	7.55%	300.00	-	26.09.2022	
42.	श्रृंखला 150	7.03%	2,670.00	2,670.00	07.09.2022	
43.	श्रृंखला 186 ए	6.90%	2,500.00	-	30.06.2022	
44.	श्रृंखला 107	9.35%	2,378.20	2,378.20	15.06.2022	
45.	श्रृंखला 179	8.15%	1,000.00	-	10.06.2022	
46.	श्रृंखला 167	8.45%	2,571.80	2,571.80	22.03.2022	
47.	श्रृंखला 173	8.35%	2,500.00	2,500.00	11.03.2022	
48.	श्रृंखला 132	8.27%	700.00	700.00	09.03.2022	
49.	श्रृंखला 145	7.46%	625.00	625.00	28.02.2022	
50.	श्रृंखला 165	8.83%	2,171.00	2,171.00	21.01.2022	
51.	श्रृंखला 193	6.99%	1,115.00	-	31.12.2021	
52.	श्रृंखला 190 बी	6.32%	2,489.40	-	31.12.2021	
53.	श्रृंखला 177	8.50%	1,245.00	-	20.12.2021	
54.	श्रृंखला 141	7.14%	1,020.00	1,020.00	09.12.2021	
55.	श्रृंखला 127	8.44%	1,550.00	1,550.00	04.12.2021	
56.	श्रृंखला 105	9.75%	3,922.20	3,922.20	11.11.2021	
57.	श्रृंखला 139	7.24%	2,500.00	2,500.00	21.10.2021	
58.	श्रृंखला 184 बी एसटीआरपी -बी	7.55%	300.00	-	26.09.2021	
59.	श्रृंखला 101-III	9.48%	3,171.80	3,171.80	10.08.2021	
60.	श्रृंखला 123 I	9.40%	1,515.00	1,515.00	17.07.2021	परिपक्वता पर सममूल्य पर मोचनीय
61.	श्रृंखला 100	9.63%	1,500.00	1,500.00	15.07.2021	
62.	श्रृंखला 174	8.15%	2,720.00	2,720.00	18.06.2021	
63.	श्रृंखला 161-बी	7.73%	800.00	800.00	15.06.2021	
64.	श्रृंखला 154	7.18%	600.00	600.00	21.05.2021	
65.	श्रृंखला 157	7.60%	1,055.00	1,055.00	17.04.2021	
66.	श्रृंखला 158	7.70%	2,465.00	2,465.00	15.03.2021	
67.	श्रृंखला 98	9.18%	3,000.00	3,000.00	15.03.2021	
68.	जेडसीबी श्रृंखला II	-	250.29	230.11	03.02.2021	
69.	श्रृंखला 153	6.99%	2,850.00	2,850.00	31.12.2020	
70.	जेडसीबी श्रृंखला I	-	1,114.56	1,029.46	15.12.2020	
71.	श्रृंखला 97	8.80%	2,120.50	2,120.50	30.11.2020	
72.	श्रृंखला 96	8.80%	1,150.00	1,150.00	26.10.2020	
73.	श्रृंखला 184 बी एसटीआरपी -ए	7.55%	300.00	-	26.09.2020	
74.	श्रृंखला 149	6.87%	2,485.00	2,485.00	24.09.2020	
75.	श्रृंखला 135	8.36%	2,750.00	2,750.00	22.09.2020	
76.	श्रृंखला 144	7.13%	835.00	835.00	21.09.2020	
77.	श्रृंखला 172	8.57%	1,790.00	1,790.00	20.08.2020	
78.	श्रृंखला 134	8.37%	2,675.00	2,675.00	14.08.2020	
79.	श्रृंखला 143	6.83%	1,275.00	1,275.00	29.06.2020	
80.	श्रृंखला 148	7.42%	1,200.00	1,200.00	17.06.2020	

समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

क्र. सं.	बॉण्ड श्रृंखला	कूपन दर (प्रतिवर्ष)	निम्नलिखित तारीख तक की स्थिति के अनुसार बकाया मूलधन राशि (₹ करोड़ में)		मोचन की तारीख	मोचन का विवरण
			31.03.2020	31.03.2019		
81.	श्रृंखला 161-ए	7.59%	-	3,000.00	वित्तीय वर्ष 2019-20 में चुकौती	संबंधित परिपक्वता/कॉल विकल्प का प्रयोग करने की तारीख को सममूल्य पर मोचनीय
82.	श्रृंखला 113	8.87%	-	1,542.00		
83.	श्रृंखला 111-I	9.02%	-	452.80		
84.	श्रृंखला 126	8.56%	-	1,700.00		
85.	श्रृंखला 125	9.04%	-	3,000.00		
86.	श्रृंखला 160	7.77%	-	1,450.00		
87.	श्रृंखला 108-II	9.39%	-	960.00		
88.	श्रृंखला 95-I	8.70%	-	200.00		
89.	श्रृंखला 92 II	8.65%	-	945.30		
90.	श्रृंखला 91 II	8.80%	-	995.90		
91.	श्रृंखला 90 सी II	8.80%	-	1,040.00		
92.	श्रृंखला 90 बी II	8.72%	-	868.20		
93.	श्रृंखला 90	8.80%	-	2,000.00		
94.	श्रृंखला 122	9.02%	-	1,700.00		
	उप-योग (ख)		**1,53,485.05**	**1,30,532.87**		
	कुल योग (क + ख)		**3,26,415.29**	**2,98,307.82**		

22.5 बकाया विदेशी मुद्रा नोट्स का ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र. सं.	बॉण्ड श्रृंखला	कूपन दर (प्रतिवर्ष)	निम्नलिखित तारीख तक की स्थिति के अनुसार बकाया मूलधन राशि (₹ करोड़ में)		मोचन की तारीख	मोचन का विवरण
			31.03.2020	31.03.2019		
	पीएफसी के मामले में					
1.	3.95% यूएसडी बॉण्ड 2030	3.95%	5,653.94	-	23.04.2030	परिपक्वता पर सममूल्य पर मोचनीय
2.	3.90% यूएसडी बॉण्ड 2029	3.90%	3,392.36	-	16.09.2029	
3.	4.50% यूएसडी बॉण्ड 2029	4.50%	4,523.15	-	18.06.2029	
4.	6.15% यूएसडी बॉण्ड 2028	6.15%	3,769.29	3,457.75	06.12.2028	
5.	5.25% यूएसडी बॉण्ड 2028	5.25%	2,261.58	2,074.65	10.08.2028	
6.	3.75% यूएसडी ग्रीन बॉण्ड 2027	3.75%	3,015.44	2,766.20	06.12.2027	
7.	3.25% यूएसडी बॉण्ड 2024	3.25%	2,261.58	-	16.09.2024	
8.	3.75% यूएसडी बॉण्ड 2024	3.75%	3,015.44	-	18.06.2024	
	उप-योग (क)		**27,892.78**	**8,298.60**		
	पीएफसी की सहायक कंपनी आरईसी लिमिटेड के मामले में					
1.	4.625% यूएस 300 मिलियन बॉण्ड	4.625%	2,261.58	2,075.14	22.03.2028	परिपक्वता पर सममूल्य पर मोचनीय
2.	3.875% यूएस 450 मिलियन ग्रीन बॉण्ड	3.875%	3,392.37	3,112.71	07.07.2027	
3.	3.50% यूएस 500 मिलियन बॉण्ड	3.500%	3,769.30	-	12.12.2024	

समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

क्र. सं.	बॉण्ड श्रृंखला	कूपन दर (प्रतिवर्ष)	निम्नलिखित तारीख तक की स्थिति के अनुसार बकाया मूलधन राशि (₹ करोड़ में)		मोचन की तारीख	मोचन का विवरण
			31.03.2020	31.03.2019		
4.	3.375% यूएस 650 मिलियन बॉण्ड	3.375%	4,900.08	-	25.07.2024	परिपक्वता पर सममूल्य पर मोचनीय
5.	4.625% यूएस 700 मिलियन बॉण्ड	4.625%	5,277.01	4,841.99	13.11.2023	
6.	3.068% यूएस 400 मिलियन बॉण्ड	3.068%	3,015.44	2,766.85	18.12.2020	
	उप-योग (ख)		**22,615.78**	**12,796.69**		
	कुल योग (क + ख)		**50,508.56**	**21,095.29**		

22.6 बकाया कमर्शियल पेपर्स का ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र. सं.	बॉण्ड श्रृंखला	कूपन की दर (प्रतिवर्ष)	निम्नलिखित तारीख तक की स्थिति के अनुसार बकाया मूलधन राशि (₹ करोड़ में)		मोचन की तारीख	मोचन का विवरण
			31.03.2020	31.03.2019		
पीएफसी के मामले में						
1.	सीपी - 108	7.85%	-	3,000.00	वित्तीय वर्ष 2019-20 में चुकौती	संबंधित परिपक्वता तिथि को सममूल्य पर मोचनीय
2.	सीपी - 109	7.39%	-	1,500.00		
3.	सीपी - 106	7.15%	-	3,000.00		
4.	सीपी - 105	7.44%	-	2,500.00		
	घटाएं: अपरिशोधित वित्तीय प्रभार		-	(284.08)		
	उप-योग (क)		**-**	**9,715.92**		
पीएफसी की सहायक कंपनी आरईसी लिमिटेड के मामले में						
1.	63वीं श्रृंखला	7.90%	675.00	-	19.06.2020	परिपक्वता पर सममूल्य पर मोचनीय
2.	64वीं श्रृंखला	5.48%	2,250.00	-	15.06.2020	
3.	57वीं श्रृंखला	8.04%	-	2,750.00	वित्तीय वर्ष 2019-20 में चुकौती	संबंधित परिपक्वता तिथि को सममूल्य पर मोचनीय
4.	58वीं श्रृंखला	7.60%	-	1,875.00		
5.	59वीं श्रृंखला	7.72%	-	2,350.00		
6.	60वीं श्रृंखला	7.90%	-	1,000.00		
	उप-योग (ख)		**2,925.00**	**7,975.00**		
	कुल योग (क + ख)		**2,925.00**	**17,690.92**		

22.7 बकाया बॉण्ड एप्लीकेशन मनी का ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र. सं.	बॉण्ड श्रृंखला	कूपन की दर (प्रतिवर्ष)	निम्नलिखित तारीख तक की स्थिति के अनुसार बकाया मूलधन राशि (₹ करोड़ में)		मोचन की तारीख	मोचन का विवरण
			31.03.2020	31.03.2019		
पीएफसी की सहायक कंपनी आरईसी लिमिटेड के मामले में						
1.	54 ईसी पूंजीगत अभिलाभ कर छूट बॉण्ड	5.75%	400.19	722.04	आबंटन की मानी गई तारीख से 5 वर्ष की अवधि के बाद सममूल्य पर मोचनीय।	
	कुल		**400.19**	**722.04**		

समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

पीएफसी के मामले में, प्रतिभूति के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

22.8 गिंडी, चेन्नई में स्थित अचल परिसंपत्ति पर प्रथम समरूप प्रभार के साथ निम्नलिखित बॉण्ड श्रृंखला वर्तमान एवं भावी प्राप्य प्रतिफल (ऐसे प्राप्य प्रतिफल को छोड़कर जो विशेष रूप से वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान जारी किए गए इंफ्रा बॉण्ड के लिए प्रभारित किए गए हैं) के प्रथम समरूप प्रभार द्वारा प्रतिभूत किया जाता है ।

(क) 7.51% कर मुक्त बॉण्ड श्रृंखला 79-ए

(ख) 7.75% कर मुक्त बॉण्ड श्रृंखला 79-बी

(ग) 8.09% कर मुक्त बॉण्ड श्रृंखला 80-ए

(घ) 8.16% कर मुक्त बॉण्ड श्रृंखला 80-बी

(ङ) 7.21% कर मुक्त बॉण्ड श्रृंखला 94-ए

(च) 7.38% कर मुक्त बॉण्ड श्रृंखला 94-बी

(छ) 7.22% कर मुक्त बॉण्ड श्रृंखला 95-ए

(ज) 7.38% कर मुक्त बॉण्ड श्रृंखला 95-बी

(झ) 8.43% इंफ्रा बॉण्ड प्राइवेट प्लेसमेंट श्रृंखला I

(ञ) 8.43% इंफ्रा बॉण्ड प्राइवेट प्लेसमेंट श्रृंखला II

(ट) 8.72% इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड श्रृंखला 86सी

(ठ) 8.72% इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड श्रृंखला 86डी

(ड) 8.50% 10 वर्षीय इंफ्रास्ट्रक्चर श्रृंखला बॉण्ड (2011-12) श्रृंखला-I

(ढ) 8.50% 10 वर्षीय इंफ्रास्ट्रक्चर श्रृंखला बॉण्ड (2011-12) श्रृंखला-II

(ण) 8.75% 15 वर्षीय इंफ्रास्ट्रक्चर श्रृंखला बॉण्ड (2011-12) श्रृंखला-III

(त) 8.75% 15 वर्षीय इंफ्रास्ट्रक्चर श्रृंखला बॉण्ड (2011-12) श्रृंखला-IV

(थ) 8.20% कर मुक्त बॉण्ड (2011-12) ट्रांच-ख श्रृंखला-I

(द) 8.30% कर मुक्त बॉण्ड (2011-12) ट्रांच-ख श्रृंखला-II

(ध) 7.19% कर मुक्त बॉण्ड (2012-13) ट्रांच-ख श्रृंखला-I

(न) 7.69% कर मुक्त बॉण्ड (2012-13) ट्रांच-ख श्रृंखला-I

(प) 7.36% कर मुक्त बॉण्ड (2012-13) ट्रांच-ख श्रृंखला-II

(फ) 7.86% कर मुक्त बॉण्ड (2012-13) ट्रांच-ख श्रृंखला-II

22.9 जंगपुरा, नई दिल्ली में स्थित अचल परिसंपत्ति पर प्रथम प्रभार के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्डों (2010-11) की श्रृंखला I, II, III और IV को 31.03.2020 की स्थिति में अनुसार कंपनी के ₹1,153.06 करोड़ के विशिष्ट बही ऋण पर प्रभार द्वारा प्रतिभूत किया गया है।

22.10 54 ईसी पूंजीगत अभिलाभ कर छूट बॉण्डों की बॉण्ड श्रृंखला I, II और III, कर योग्य बॉण्ड श्रृंखला 112-सी और सभी अन्य कर मुक्त बॉण्ड श्रृंखला को कंपनी के कुल प्राप्य/बही ऋणों (ऐसे प्राप्य प्रतिफल को छोड़कर जिन पर कंपनी द्वारा पहले विशिष्ट प्रभार का सृजन किया गया है) पर प्रथम समरूप प्रभार द्वारा प्रतिभूत किया जाता है, जो लेन-देन के दस्तावेजों के अंतर्गत/अनुपालन में बॉण्ड धारकों और/या अन्य को कंपनी द्वारा देय/प्रतिदेय योग्य ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, लागत एवं व्यय तथा अन्य धनराशि सहित बॉण्डों के भुगतान/पुनर्भुगतान की सीमा तक सीमित है।

समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

पीएफसी की सहायक कंपनी आरईसी लिमिटेड के मामले में, प्रतिभूति के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

22.11 कंपनी द्वारा जारी किए गए तथा तुलन-पत्र तैयार करने की तारीख की स्थिति के अनुसार बकाया सभी प्रतिभूत बॉण्डों के लिए कुछ अचल परिसंपत्तियों पर मोर्टगेज और/या कंपनी की प्राप्य राशियों पर प्रभार के रूप में 100% सुरक्षा कवर अनुरक्षित किया गया है।

22.12 संस्थानिक बॉण्डों की बॉण्ड श्रृंखला 123-I और 123-IIIबी को आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसिज़ लिमिटेड के पक्ष में निर्गमकर्ता की निर्दिष्ट अचल संपत्ति तथा बही ऋणों पर प्रथम समरूप प्रभार द्वारा प्रतिभूत किया गया है जिनको अन्य ऋणदाताओं/ट्रस्टी पर प्रभारित किया गया है तथा हर समय बकाया बॉण्डों के सकल अंकित मूल्य की राशि तथा उस पर देय ब्याज की राशि पर एकबारगी न्यूनतम सुरक्षा कवर के साथ बॉण्ड ट्रस्ट विलेख के अनुसरण में निर्गमकर्ता और ट्रस्टी के बीच सहमति हो सकती है।

22.13 वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान जारी किए गए कर मुक्त बॉण्डों को विस्ट्रा आईटीसीएल इंडिया लिमिटेड (पूर्व में इसका नाम आईएल एंड एफएस ट्रस्ट कंपनी लिमिटेड था) के पक्ष में एमएसईडीसीएल की ₹4,998.66 करोड़ की प्राप्य राशि को मोर्टगेज रखकर तथा शॉप नंबर 12, ग्राउंड फ्लोर ब्लॉक नंबर 35, चर्च रोड, माइलापोर, चेन्नई में परिसरों पर प्रथम समरूप प्रभार द्वारा प्रतिभूत किया गया है।

22.14 वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान जारी किए कर मुक्त बॉण्डों को एसबीआई कैप ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के पक्ष में कंपनी के बही ऋणों (ऐसे ऋणों से भिन्न जो ऋणदाताओं/अन्य ट्रस्टी को अनन्य रूप से प्रभारित/उद्दिष्ट किए गए हैं) पर प्रथम समरूप प्रभार द्वारा प्रतिभूत किया गया है।

22.15 वित्तीय वर्ष 2012-13 और 2015-16 के दौरान जारी किए गए 54 ईसी पूंजी अभिलाभ कर छूट बॉण्डों तथा कर मुक्त बॉण्डों की बॉण्ड श्रृंखला XI, XII और XIII को एसबीआई कैप ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के पक्ष में (क) ग्राम सुभनपुरा, जिला वडोदरा में स्थित उप प्लाट नंबर 8, टीपीएस नंबर 2, एफपी नंबर 584 पी में परिसरों की मोर्टगेज और (ख) प्राप्त राशियों (ऐसी राशियों से भिन्न जो ऋणदाताओं/अन्य ट्रस्टी को अनन्य रूप से प्रभारित/उद्दिष्ट किए गए हैं) के हाइपोथिकेशन पर प्रथम समरूप प्रभार द्वारा प्रतिभूत किया गया है।

22.16 प्राप्य राशियों और प्रतिभूति के रूप में गिरवी रखी गई संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के वहन मूल्य के लिए नोट 12 और 17 का संदर्भ लें।

23. ऋण (ऋण प्रतिभूतियों को छोड़कर)

कंपनी एवं इसकी सहायक कंपनी आरईसी लिमिटेड ने वित्तीय पट्टा बाध्यता, जिसे इंड एएस 116 के अनुसरण में मापा जाता है, को छोड़कर परिशोधित लागत पर ऋणों (ऋण प्रतिभूतियों को छोड़कर) को इंड एएस 109 की आवश्यकताओं के अनुसरण में वर्गीकृत किया है।

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2020 की स्थिति के अनुसार	31.03.2019 की स्थिति के अनुसार
(क)	सावधि ऋण		
	(i) बैंकों और वित्तीय संस्थानों से		
	- विदेशी मुद्रा ऋण (नोट 23.1 का संदर्भ लें)	8,924.03	9,701.51
	- सिंडीकेटिड विदेशी मुद्रा ऋण (नोट 23.2 का संदर्भ लें)	39,619.89	32,787.57
	- रूपया सावधि ऋण (नोट 23.4 का संदर्भ लें)	69,498.76	58,453.55
	(ii) अन्य पक्षकारों से		
	- रूपया सावधि ऋण - भारत सरकार (नोट 23.6 का संदर्भ लें)	17,500.00	12,500.00
(ख)	अन्य ऋण		
	(i) सावधि जमाओं के सापेक्ष ऋण (नोट 23.7 का संदर्भ लें)	-	12,737.18
	(ii) कार्यशील पूंजी मांग ऋण/कैश क्रेडिट/लाइन ऑफ क्रेडिट (नोट 23.8 का संदर्भ ले)	4,793.22	620.00
	(iii) वित्त पट्टा बाध्यता	2.12	0.11
(ग)	प्रोद्भूत ब्याज किंतु उपरोक्त पर देय नहीं	767.95	610.03
(घ)	उपर्युक्त पर अपरिशोधित लेन-देन की लागत	(439.25)	(402.72)
	कुल ऋण (ऋण प्रतिभूतियो को छोड़कर)	**1,40,666.72**	**1,27,007.23**
(ङ)	**भौगोलिक स्थिति-वार ऋण**		
	(i) भारत में ऋण	99,419.41	89,111.58
	(ii) भारत से बाहर ऋण	41,247.31	37,895.49
	कुल भौगोलिक स्थिति-वार ऋण	**1,40,666.72**	**1,27,007.07**

समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

23.1 बकाया अप्रतिभूत विदेशी मुद्रा ऋणों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र. सं.	विवरण	निम्नलिखित तारीख तक की स्थिति के अनुसार बकाया मूलधन राशि (₹ करोड़ में)		मोचन की तारीख	मोचन का विवरण
		31.03.2020	31.03.2019		
पीएफसी के मामले में					
1.	केएफडब्ल्यू ख (भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत)	48.26	48.05	30.12.2035 तक अर्धवार्षिक किश्तें	अर्धवार्षिक किश्तों में मोचनीय
2.	एडीबी (भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत)	79.46	82.80	15.10.2028 तक अर्धवार्षिक किश्तें	
3.	क्रेडिट नेशनल (भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत)	44.66	50.24	30.06.2028 तक अर्धवार्षिक किश्तें	
4.	एसबीआई एफसीएनआर (बी)	-	1,728.88	वित्तीय वर्ष 2019-20 में चुकौती	संबंधित परिपक्वता तारीख को सममूल्य पर मोचनीय
5.	आईसीआईसीआई बैंक एफसीएनआर (बी) - IV	-	691.55		
6.	आईसीआईसीआई बैंक एफसीएनआर (बी) - III	-	691.55		
7.	आईसीआईसीआई बैंक एफसीएनआर (बी) - II	-	691.55		
8.	आईसीआईसीआई बैंक एफसीएनआर (बी)	-	691.55		
	उप-योग (क)	**172.38**	**4,676.17**		
पीएफसी की सहायक कंपनी आरईसी लिमिटेड के मामले में					
1.	जेआईसीए ऋण	99.46	131.40	0.75% जेआईसीए-ख ऋण 20.03.2021 तक अर्धवार्षिक किश्तों में प्रतिदेय है, अगली किश्त 20.09.2020 को देय है तथा 0.65% जेआईसीए-II ऋण 20.03.2023 तक अर्धवार्षिक किश्तों में प्रतिदेय है, अगली किश्त 20.09.2020 को देय है	
2.	2.89 केएफडब्ल्यू-II ऋण	64.60	120.87	30.12.2020 तक ए3.88 मिलियन की अर्धवार्षिक किश्तों में प्रतिदेय है, अगली किश्त 30.06.2020 को देय है	
3.	1.86 केएफडब्ल्यू-III ऋण	393.41	449.87	30.03.2024 तक ए5.26 मिलियन की अर्धवार्षिक किश्तों में प्रतिदेय है, अगली किश्त 30.06.2020 को देय है	
4.	6 मिलियन यूएसडी लिबोर + 0.13% केएफडब्ल्यू-IV ऋण	1,220.98	-	15.11.2030 तक ए12.00 मिलियन की अर्धवार्षिक किश्तों में प्रतिदेय है, पहली किश्त 15.11.2021 को देय है	
5.	यूएस 135 मिलियन	1,017.71	933.81	60 मिलियन दिनांक 04.09.2021 को प्रतिदेय है तथा 75 मिलियन दिनांक 22.10.2021 को प्रतिदेय है।	
6.	यूएस100 मिलियन	753.86	-	25 मिलियन दिनांक 30.09.2020 को प्रतिदेय है तथा 75 मिलियन 22.01.2021 को प्रतिदेय है।	
7.	यूएस140 मिलियन	1,055.40		13.01.2021	परिपक्वता पर सममूल्य पर मोचनीय
8.	यूएस100 मिलियन	753.86		21.12.2020	
9.	यूएस100 मिलियन	753.86		03.12.2020	
10.	यूएस200 मिलियन	1,507.72		21.09.2020	
11.	यूएस150 मिलियन	1,130.79		दिनांक 20.05.2020 और 25.06.2020 को दो समान किश्तों में प्रतिदेय	
12.	यूएस140 मिलियन	-	1,037.57	वित्तीय वर्ष 2019-20 में चुकौती	परिपक्वता की तारीख को सममूल्य पर मोचनीय
13.	यूएस100 मिलियन	-	691.71		
14.	यूएस100 मिलियन	-	691.71		
15.	यूएस150 मिलियन	-	968.40		
	उप-योग (ख)	**8,751.65**	**5,025.34**		
	कुल (क + ख)	**8,924.03**	**9,701.51**		

समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

23.2 बकाया अप्रतिभूत सिंडीकेटिड विदेशी मुद्रा ऋणों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र. सं.	विवरण	निम्नलिखित तारीख तक की स्थिति के अनुसार बकाया मूलधन राशि (₹ करोड़ में)		मोचन की तारीख	मोचन का विवरण
		31.03.2020	31.03.2019		
पीएफसी के मामले में					
1.	एसएलएन 29	1,884.65	-	20.12.2024	परिपक्वता के अंतिम में एकबारगी पुनर्भुगतान
2.	एसएलएन 27	1,143.01	1,024.32	01.02.2024	
3.	एसएलएन 26	1,884.65	1,728.88	26.09.2023	
4.	एसएलएन 23	1,884.65	1,728.88	22.03.2023	
5.	एसएलएन 22	1,884.65	1,728.88	28.02.2023	
6.	एसएलएन 21	2,261.57	2,074.65	12.12.2022	
7.	एसएलएन 28 यूएसडी	1,884.65	-	28.06.2022	
8.	एसएलएन 28 जेपीवाई	373.97	-	28.06.2022	
9.	एसएलएन 17	3,392.36	3,111.98	3 समान किश्तें (28.09.2020, 26.03.2021 और 24.09.2021)	तीन समान किश्तों में मोचनीय
10.	एसएलएन 18	3,041.47	2,725.65	3 समान किश्तें (06.11.2020, 08.11.2021 और 04.11.2022)	तीन समान किश्तों में मोचनीय
11.	एसएलएन 16	-	1,728.88	वित्तीय वर्ष 2019-20 में चुकौती	परिपक्वता की तारीख को सममूल्य पर मोचनीय
	उप-योग (क)	**19,635.63**	**15,852.09**		
पीएफसी की सहायक कंपनी आरईसी लिमिटेड के मामले में,					
1.	यूएस 75 मिलियन	565.39	-	30.03.2025	परिपक्वता के अंतिम में एकबारगी पुनर्भुगतान
2.	यूएस 72.07 मिलियन	380.80	-	30.03.2025	
3.	यूएस 100 मिलियन	753.86	-	01.07.2024	
4.	यूएस 150 मिलियन	1,130.79	518.78	29.03.2024	
5.	यूएस 250 मिलियन	1,884.65	1,729.28	27.03.2024	
6.	आ 10,327.12 मिलियन	719.28	645.65	31.08.2023	
7.	यूएस 250 मिलियन	1,884.65	1,729.28	08.08.2023	
8.	यूएस 150 मिलियन	1,130.79	-	12.09.2022	
9.	यूएस 200 मिलियन	1,507.72	1,383.43	28.07.2022	
10.	यूएस 230 मिलियन	1,733.88	1,590.94	19.01.2022	
11.	यूएस 100 मिलियन	753.86	691.71	05.10.2021	
12.	यूएस 240 मिलियन	1,809.26	1,660.11	26.03.2021	
13.	यूएस 160 मिलियन	1,206.17	1,106.74	26.03.2021	
14.	यूएस 300 मिलियन	2,261.58	2,075.14	29.07.2020	
15.	यूएस 300 मिलियन	2,261.58	2,075.14	01.12.2020	
16.	यूएस 250 मिलियन	-	1,331.55	वित्तीय वर्ष 2019-20 में चुकौती	परिपक्वता की तारीख को सममूल्य पर मोचनीय
17.	यूएस 57.50 मिलियन	-	397.73		
	उप-योग (ख)	**19,984.26**	**16,935.48**		
	कुल योग (क + ख)	**39,619.89**	**32,787.57**		

समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

23.3 उपर्युक्त नोट संख्या 23.1 और 23.2 में दिनांक 31.03.2020 तक की स्थिति के अनुसार विदेशी मुद्रा ऋणों को 6 माह के दौरान यूएसडी/जेपीवाई लिबोर (लंदर इंटर बैंक की पेशकश दर) 60 बीपीएस से 150 बीपीएस की सीमा में भिन्न-भिन्न ब्याज दरों पर जुटाया गया है।

23.4 बकाया रूपया सावधि ऋण के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

(i) प्रतिभूत रूपया सावधि ऋण

क्र. सं.	विवरण	निम्नलिखित तारीख तक की स्थिति के अनुसार बकाया मूलधन राशि (₹ करोड़ में)		मोचन की तारीख	मोचन का विवरण
		31.03.2020	31.03.2019		
1.	इलाहाबाद बैंक	500.00	-	02.01.2027	परिपक्वता के अंतिम में एकबारगी पुनर्भुगतान
2.	इलाहाबाद बैंक	1,800.00	-	29.06.2026	ऋण को 29 सितंबर, 2023 से आरम्भ होकर 29 जून, 2026 को समाप्त होने वाली ₹150 करोड़ की 12 तिमाही किश्तों में चुकाया जाना है।
3.	ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	225.00	-	30.09.2025	ऋण को 30 सितंबर, 2022 से आरम्भ होकर 30 सितंबर, 2025 को समाप्त होने वाली ₹56.25 करोड़ की 04 वार्षिक किश्तों में चुकाया जाना है।
4.	बैंक ऑफ इंडिया	1,000.00	1,000.00	02.03.2025	ऋण को 02 मार्च, 2024 से आरम्भ होकर 02 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाली ₹500 करोड़ की 02 वार्षिक किश्तों में चुकाया जाना है।
5.	ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	1,500.00	1,500.00	25.02.2025	इस ऋण के लिए मूलधन के पुनर्भुगतान पर 2 वर्ष की अधिस्थगन (मोरेटोरियम) अवधि है तथा संवितरण की तारीख से 02 वर्ष की स्थगन (मोरेटोरियम) अवधि के पूरा होने के पश्चात्, ऋण को 25 फरवरी, 2022 से आरम्भ होकर 25 फरवरी, 2025 को समाप्त होने वाली ₹375 करोड़ की 04 वार्षिक किश्तों में चुकाया जाना है।
6.	कॉर्पोरेशन बैंक	500.00	-	30.09.2024	ऋण को 30 सितंबर, 2020 से आरम्भ होकर 30 सितंबर, 2024 को समाप्त होने वाली ₹100 करोड़ की 05 वार्षिक किश्तों में चुकाया जाना है।
7.	केनरा बैंक	1,000.00	-	29.06.2024	
8.	केनरा बैंक	500.00	-	24.06.2024	परिपक्वता के अंतिम में एकबारगी पुनर्भुगतान
9.	केनरा बैंक	500.00	-	21.06.2024	
10.	कॉर्पोरेशन बैंक	800.00	1,000.00	15.03.2024	ऋण को 15 मार्च, 2020 से आरम्भ होकर 15 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाली ₹200 करोड़ की 05 वार्षिक किश्तों में चुकाया जाना है।
11.	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	750.00	750.00	11.03.2024	अधिस्थगन (मोरेटोरियम): पहले संवितरण की तारीख से 2 वर्ष (8 तिमाही)। मूलधन को 9वीं-12वीं तिमाही तक ₹18.75 करोड़ की 4 किश्तों, 13वीं-16वीं तिमाही तक ₹56.25 करोड़ की 4 किश्तें और इसके बाद 17वीं-20वीं तिमाही तक 112.50 करोड़ की चार किश्तों के रूप में कुल 12 संरचित तिमाही किश्तों में चुकाया जाना है।
12.	केनरा बैंक	1,000.00	1,000.00	20.02.2024	परिपक्वता के अंतिम में एकबारगी पुनर्भुगतान
13.	कर्नाटक बैंक	500.00	-	31.07.2022	ऋण को 31 जुलाई, 2021 से आरम्भ होकर 31 जुलाई, 2020 को समाप्त होने वाली ₹100 करोड़ की 5 तिमाही किश्तों में चुकाया जाना है।
14.	यूको बैंक	-	200.00	वित्त वर्ष 2019-20 में चुकौती	परिपक्वता की तारीख को सममूल्य पर मोचनीय
	कुल प्रतिभूत रूपया सावधि ऋम	**10,575.00**	**5,450.00**		

समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

(ii) अप्रतिभूत रूपया सावधि ऋण

क्र. सं.	विवरण	निम्नलिखित तारीख तक की स्थिति के अनुसार बकाया मूलधन राशि (₹ करोड़ में)		मोचन की तारीख	मोचन का विवरण
		31.03.2020	31.03.2019		
पीएफसी के मामले में					
1.	केनरा बैंक	500.00	-	23.03.2026	
2.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	2,500.00	-	23.03.2025	
3.	ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	1,000.00	-	20.03.2025	परिपक्वता के अंतिम में एकबारगी पुनर्भुगतान
4.	आंध्रा बैंक	800.00	-	15.01.2025	
5.	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	3,000.00	-	19.12.2024	
6.	बैंक ऑफ बड़ौदा	2,000.00	-	15.04.2024	ऋण को 15 अप्रैल, 2020 से आरम्भ होकर 15 अप्रैल, 2024 को समाप्त होने वाली ₹100 करोड़ की 02 वार्षिक किश्तों तथा इसके बाद ₹600 करोड़ प्रत्येक की 3 किश्तों में चुकाया जाना है।
7.	सिंडीकेट बैंक	1,750.00	-	20.03.2024	
8.	बैंक ऑफ इंडिया	2,000.00	2,000.00	21.01.2024	
9.	केनरा बैंक	500.00	500.00	15.01.2024	
10.	केनरा बैंक	500.00	500.00	28.12.2023	
11.	यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	995.00	1,000.00	24.12.2023	
12.	एचडीएफसी बैंक लिमिटेड	750.00	750.00	05.10.2023	
13.	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	5,999.98	6,000.00	27.09.2023	परिपक्वता के अंतिम में एकबारगी पुनर्भुगतान
14.	यूको बैंक	500.00	-	31.03.2023	
15.	इंडियन ओवरसीज बैंक	400.00	-	31.03.2023	
16.	इंडियन ओवरसीज बैंक	400.00	-	31.03.2023	
17.	इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड	1,429.00	-	31.03.2022	
18.	इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड	800.00	800.00	14.09.2021	
19.	यूको बैंक	1,000.00	1,000.00	23.08.2021	परिपक्वता के अंतिम में एकबारगी पुनर्भुगतान
20.	इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड	271.00	-	25.03.2021	
21.	बैंक ऑफ बड़ौदा	700.00	700.00	04.03.2021	
22.	एचडीएफसी बैंक लिमिटेड	750.00	750.00	30.09.2020	
23.	केनरा बैंक	1,500.00	1,500.00	13.09.2020	
24.	बैंक ऑफ इंडिया	1,000.00	1,000.00	06.08.2020	
25.	आंध्रा बैंक	1,979.00	1,979.00	29.06.2020	
26.	विजया बैंक	2,000.00	2,000.00	19.06.2020	
27.	पंजाब नेशनल बैंक	2,000.00	2,000.00	05.06.2020	
28.	पंजाब नेशनल बैंक	2,000.00	2,000.00	24.05.2020	
29.	इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड	-	775.00		
30.	इलाहाबाद बैंक	-	2,000.00	वित्तीय वर्ष 2019-20 में चुकौती	संबंधित परिपक्वता तारीखों को सममूल्य पर मोचनीय
31.	बैंक ऑफ बड़ौदा	-	2,000.00		
32.	बैंक ऑफ बड़ौदा	-	999.55		
33.	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	-	3,000.00		
	उप-योग (क)	**39,023.98**	**33,253.55**		

समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

क्र. सं.	विवरण	निम्नलिखित तारीख तक की स्थिति के अनुसार बकाया मूलधन राशि (₹ करोड़ में) 31.03.2020	31.03.2019	मोचन की तारीख	मोचन का विवरण
	पीएफसी की सहायक कंपनी आरईसी लिमिटेड के मामले में				
1.	बैंक ऑफ बड़ौदा	2,500.00	-	दिनांक 12.12.2020 को 416.75 करोड़, दिनांक 12.12.2021 को ₹1041.75 करोड़ और दिनांक 12.12.2022 को ₹1041.50 करोड़ प्रतिदेय है।	
2.	कॉर्पोरेशन बैंक	699.99	1,000.00	ऋण 6 वार्षिक किश्तों में प्रतिदेय है, जिसकी पहली किश्त 06.09.2021 को देय है।	
3.	एचडीएफसी बैंक लिमिटेड	2,000.00	2,000.00	दिनांक 29.04.2020 को ₹500 करोड़ प्रतिदेय दिनांक 29.09.2023 को ₹300 करोड़ प्रतिदेय दिनांक 11.10.2023 को ₹350 करोड़ प्रतिदेय दिनांक 06.11.2023 को ₹350 करोड़ प्रतिदेय दिनांक 15.01.2024 को ₹500 करोड़ प्रतिदेय	
4.	पंजाब नेशनल बैंक	1,999.99	3,500.00	₹2,000 करोड़ 3 वार्षिक किश्तों में प्रतिदेय है और पहली किश्त 14.09.2021 को देय है।	
5.	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	7,299.92	7,300.00	₹5,000 करोड़ 3 वार्षिक किश्तों में प्रतिदेय है तथा पहली किश्त दिनांक 15.10.2021 को देय है। ₹2,300 करोड़ 5 वार्षिक किश्तों में प्रतिदेय है तथा पहली किश्त 05.09.2020 को देय है।	
6.	ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	399.88	750.00	ऋण को 8 अर्धवार्षिक किश्तों में चुकाया जाना है जिसकी पहली किश्त 30.03.2022 को देय है।	
7.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	1,500.00	500.00	ऋण को 6 अर्धवार्षिक किश्तों में चुकाया जाना है जिसकी पहली किश्त 24.06.2022 को देय है।	
8.	सिंडीकेट बैंक	2,500.00	-	₹500 करोड़ 4 वार्षिक किश्तों में प्रतिदेय है तथा पहली किश्त दिनांक 28.08.2021 को देय है। ₹2,000 करोड़ 4 वार्षिक किश्तों में प्रतिदेय है तथा पहली किश्त 28.02.2022 को देय है।	
9.	इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड	1,000.00	1,000.00	दिनांक 04.06.2022 को प्रतिदेय है।	
10.	यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	-	1,000.00		
11.	बैंक ऑफ इंडिया	-	2,000.00	वित्तीय वर्ष 2019-20 में पुनर्भुगतान	संबंधित परिपक्वता तिथि को सममूल्य पर मोचनीय
12.	केनरा बैंक	-	500.00		
13.	लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया	-	200.00		
	उप-योग (ख)	**19,899.78**	**19,750.00**		
	कुल रूपया सावधि ऋण (अप्रतिभूत)	**58,923.76**	**53,003.55**		
	कुल रूपया सावधि ऋण (प्रतिभूत और अप्रतिभूत)	**69,498.76**	**58,453.55**		

23.5 उपरोक्त नोट 23.4 में दिनांक 31.03.2020 तक की स्थिति के अनुसार ऋण संबंधित बैंकों के बैंचमार्क दर के साथ-साथ 0 से 5 बीपीएस की सीमा के बीच जुटाए गए हैं।

समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

23.6 बकाया अप्रतिभूत रूपया सावधि ऋण - भारत सरकार के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

क्र. सं.	विवरण	निम्नलिखित तारीख तक की स्थिति के अनुसार बकाया मूलधन राशि (₹ करोड़ में)		मोचन की तारीख	मोचन का विवरण
		31.03.2020	31.03.2019		
	पीएफसी के मामले में				
1.	नेशनल स्मॉल सेविंग्स फंड स्कीम (एनएसएसएफ) (कूपन दर - 8.11% प्रतिवर्ष)	7,500.00	7,500.00	27.12.2028	परिपक्वता के अंतिम में एकबारगी पुनर्भुगतान
	पीएफसी की सहायक कंपनी आरईसी लिमिटेड के मामले में				
1.	नेशनल स्मॉल सेविंग्स फंड स्कीम (एनएसएसएफ) (कूपन दर - 8.29% प्रतिवर्ष)	5,000.00	-	04.10.2029	परिपक्वता के अंतिम में एकबारगी पुनर्भुगतान
2.	नेशनल स्मॉल सेविंग्स फंड स्कीम (एनएसएसएफ) (कूपन दर - 8.16% प्रतिवर्ष)	5,000.00	5,000.00	13.12.2028	
	कुल अप्रतिभूत रूपया सावधि ऋण - भारत सरकार	**17,500.00**	**12,500.00**		

23.7 बकाया सावधि जमाओं के सापेक्ष ऋणों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र. सं.	विवरण	निम्नलिखित तारीख तक की स्थिति के अनुसार बकाया मूलधन राशि (₹ करोड़ में)		मोचन की तारीख	मोचन का विवरण
		31.03.2020	31.03.2019		
	पीएफसी के मामले में				
1.	तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक	-	382.00	वित्तीय वर्ष 2019-20 में पुनर्भुगतान	संबंधित परिपक्वता तिथि को सममूल्य पर मोचनीय
2.	पंजाब नेशनल बैंक	-	1,525.44		
3.	साउथ इंडियन बैंक	-	317.92		
4.	ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	-	1,805.00		
5.	इंडियन बैंक	-	1,995.00		
6.	विजया बैंक	-	1,890.00		
7.	पंजाब नेशनल बैंक	-	344.13		
8.	पंजाब नेशनल बैंक	-	26.43		
9.	पंजाब नेशनल बैंक	-	1,291.94		
10.	केनरा बैंक	-	1,704.13		
11.	यूको बैंक	-	500.00		
12.	एचडीएफसी बैंक लिमिटेड	-	955.19		
	कुल सावधि जमाओं के सापेक्ष ऋण	**-**	**12,737.18**		

समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

23.8 बकाया अप्रतिभूत डब्ल्यूसीडीएल/ओडी/सीसी/लाइन ऑफ क्रेडिट का ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र. सं.	विवरण	निम्नलिखित तारीख तक की स्थिति के अनुसार बकाया मूलधन राशि (₹ करोड़ में)		मोचन की तारीख	मोचन का विवरण
		31.03.2020	31.03.2019		
पीएफसी के मामले में					
1.	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (डब्ल्यूसीएल)	1,200.00	-	15.04.2020	परिपक्वता के अंतिम में एकबारगी चुकौती
2.	पंजाब नेशनल बैंक (डब्ल्यूसीडीएल)	600.00	-	15.04.2020	
3.	पंजाब नेशनल बैंक (ओडी)	238.36	-	निरंतर सुविधा	निरंतर सुविधा
4.	बैंक ऑफ इंडिया	-	250.00	वित्तीय वर्ष 2019-20 में पुनर्भुगतान	संबंधित परिपक्वता तारीख को सममूल्य पर मोचनीय
5.	पंजाब नेशनल बैंक	-	370.00		
पीएफसी की सहायक कंपनी आरईसी लिमिटेड के मामले में					
1.	अल्पकालिक ऋण/बैंकों से मांग पर प्रतिदेय ऋण	2,754.86	-	निरंतर सुविधा	निरंतर सुविधा
	कुल डब्ल्यूसीडीएल/ओडी/सीसी/लाइन ऑफ क्रेडिट	**4,793.22**	**620.00**		

23.9 उपर्युक्त नोट 23.8 में पीएफसी के ऋणों को 6.70% से 7.45% दर प्रति वर्ष की सीमा में जुटाया गया है।

23.10 किसी भी ऋण को निदेशकों द्वारा गारंटीकृत नहीं किया गया है।

23.11 प्रस्तुत की गई उपरोक्त अवधियों के दौरान ऋणों और ब्याज के पुनर्भुगतान में कोई चूक नहीं की गई है।

23.12 प्रतिभूत रूपया सावधि ऋणों के सापेक्ष प्रतिभूति के रूप में गिरवी प्राप्य राशि के वहन मूल्य के लिए नोट संख्या 12 देखें। प्रतिभूत रुपया सावधि ऋणों को कंपनी के प्राप्य प्रतिफल पर ऋणदाता बैंक के पक्ष में प्रथम समरूप प्रभार द्वारा प्रतिभूत किया जाता है जो इस प्रतिभूति दस्तावेज के अंतर्गत/अनुपालन में ऋणदाता बैंक और/या अन्यों को कंपनी द्वारा देय/प्रतिदेय ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, लागत एवं व्यय तथा सभी अन्य धनराशियों सहित सावधि ऋण के भुगतान/पुनर्भुगतान तक सीमित है, ऐसे प्राप्य प्रतिफल को छोड़कर जिन्हें कैटलिस्ट ट्रस्टीशिप लिमिटेड (पूर्व में इसका नाम जीडीए ट्रस्टीशिप लिमिटेड था) के पक्ष में पहले प्रभारित किया जा चुका है।

24. सबॉर्डिनेटिड देयताएं

कंपनी एवं इसकी सहायक कंपनी आरईसी लिमिटेड ने इंड एएस 109 की आवश्यकताओं के अनुसरण में परिशोधित लागत पर सबॉर्डिनेटिड देयताओं को वर्गीकृत किया है।

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2020 तक की स्थिति के अनुसार	31.03.2019 तक की स्थिति के अनुसार
सबॉर्डिनेटिड देयताएं			
(i)	सबॉर्डिनेटिड बॉण्ड (नोट 24.1 का संदर्भ लें)	13,862.70	13,862.70
(ii)	प्रोद्भूत ब्याज किंतु उपर्युक्त पर देय नहीं	273.61	272.26
(iii)	उपर्युक्त पर अपरिशोधित लेन-देन की लागत	(5.71)	(6.50)
	कुल सबॉर्डिनेटिड देयताएं	**14,130.60**	**14,128.46**
भौगोलिक स्थिति वार सबॉर्डिनेटिड देयताएं			
(i)	भारत में सबॉर्डिनेटिड बॉण्ड	14,130.60	14,128.46
(ii)	भारत के बाहर सबॉर्डिनेटिड बॉण्ड	-	-
	कुल भौगोलिक स्थिति वार सबॉर्डिनेटिड देयताएं	**14,130.60**	**14,128.46**

समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

24.1 सबॉर्डिनेटिड बॉण्डों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	बॉण्ड श्रृंखला	31.03.2020 तक की स्थिति के अनुसार	31.03.2019 तक की स्थिति के अनुसार
1.	सबॉर्डिनेटिड टियर II ऋण बॉण्ड	2,000.00	2,000.00
2.	सबॉर्डिनेटिड टियर II ऋण बॉण्ड	1,000.00	1,000.00
3.	सबॉर्डिनेटिड टियर II ऋण बॉण्ड	800.00	800.00
4.	सबॉर्डिनेटिड टियर II ऋण बॉण्ड	2,411.50	2,411.50
5.	सबॉर्डिनेटिड टियर II ऋण बॉण्ड	1,000.00	1,000.00
6.	सबॉर्डिनेटिड टियर II ऋण बॉण्ड	2,000.00	2,000.00
7.	सबॉर्डिनेटिड टियर II ऋण बॉण्ड	2,151.20	2,151.20
8.	सबॉर्डिनेटिड टियर II ऋण बॉण्ड	2,500.00	2,500.00
	कुल	**13,862.70**	**13,862.70**

25. अन्य वित्तीय देयताएं

समूह ने इंड एएस 109 की आवश्यकताओं के अनुसरण में परिशोधित लागत पर अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों को वर्गीकृत किया है।

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2020 तक की स्थिति के अनुसार	31.03.2019 तक की स्थिति के अनुसार
(i)	भारत सरकार द्वारा चुकता किए गए बॉण्डों के लिए देय (नोट 25.1 का संदर्भ लें)	26,831.04	23,034.27
(ii)	सहयोगी कंपनियों से प्राप्त अग्रिम*	168.42	188.11
(iii)	लाभांश (नोट 25.2 का संदर्भ लें)	8.23	7.31
(iv)	अदत्त - बॉण्ड और उन पर प्रोद्भूत ब्याज (नोट 25.2 का संदर्भ लें)		
	- अदावित बॉण्ड	39.66	40.67
	- बॉण्डों पर अदावित ब्याज	33.13	29.86
(v)	अन्य		
	- बॉण्डों और उन पर प्रोद्भूत ब्याज पर प्रतिदेय एप्लीकेशन मनी	0.83	0.82
	- सब्सिडी/अनुदान के रूप में संवितरण के लिए ब्याज सब्सिडी निधि और भारत सरकार की अन्य निधियां	1,796.94	872.99
	- वित्त पोषित कार्मिक हितलाभों के लिए देय	0.38	31.78
	- पट्टा देयता (नोट 45 का संदर्भ लें)	11.85	-
	- अन्य देयताएं	286.56	368.47
	कुल अन्य वित्तीय देयताएं	**29,177.04**	**24,574.28**

* नकदी के रूप में देय

समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

25.1 भारत सरकार द्वारा चुकाए गए बॉण्डों (अप्रतिभूत कर योग्य बॉण्डों) का ब्यौरा:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	बॉण्ड श्रृंखला	31.03.2020 तक की स्थिति के अनुसार	31.03.2019 तक की स्थिति के अनुसार
1.	भारत सरकार-XI श्रृंखला	1,750.00	-
2.	भारत सरकार-X श्रृंखला	532.30	-
3.	भारत सरकार-IX श्रृंखला	1,500.00	-
4.	भारत सरकार-VIII श्रृंखला	4,000.00	4,000.00
5.	भारत सरकार-VII श्रृंखला	1,200.00	1,200.00
6.	भारत सरकार-VI श्रृंखला	2,027.00	2,027.00
7.	भारत सरकार-V श्रृंखला	3,600.00	3,600.00
8.	भारत सरकार-IV श्रृंखला	3,000.00	3,000.00
9.	भारत सरकार-III श्रृंखला	753.00	753.00
10.	भारत सरकार-II श्रृंखला	1,410.00	1,410.00
11.	भारत सरकार-I श्रृंखला	1,837.00	1,837.00
12.	पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला 156-भारत सरकार के पूर्णतः चुकता बॉण्ड	200.00	200.00
13.	पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला 158-भारत सरकार के पूर्णतः चुकता बॉण्ड	1,335.00	1,335.00
14.	पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला 160-भारत सरकार के पूर्णतः चुकता बॉण्ड	1,465.00	1,465.00
15.	पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला 164-भारत सरकार के पूर्णतः चुकता बॉण्ड	2,000.00	2,000.00
16.	उपरोक्त पर प्रोद्भूत ब्याज	221.74	207.27
	भारत सरकार के चुकता किए गए कुल बॉण्ड (अप्रतिभूत कर योग्य बॉण्ड)	**26,831.04**	**23,034.27**

25.2 अदावित लाभांशों, अदावाकृत बॉण्डों तथा उन पर ब्याज में ऐसी राशियां शामिल हैं जिनका लिखतों के धारकों/निवेशकों द्वारा दावा नहीं किया गया है या विधिक औपचारिकताओं आदि के लंबित होने के कारण रोकी गई हैं। उपर्युक्त में से निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि में अंतरण के लिए पात्र राशि अंतरित की गई है।

25.3 त्वरित उत्पादन एवं आपूर्ति कार्यक्रम (एजी एंड एसपी) के अंतर्गत ब्याज सब्सिडी निधि:

पीएफसी और आरईसीएल ने भुगतान की वास्तविक अनुसूची, अधिअस्थगन अवधि तथा पुनर्भुगतान की अवधि पर ध्यान दिए बगैर भारत सरकार के दिनांक 23 सितंबर, 1997 के अर्धशासकीय पत्र संख्या 32024/17/97-पीएफसी और दिनांक 07 मार्च, 2003 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 32024/23/2001-पीएफसी के अनुसरण में सांकेतिक ब्याज दरों पर परिकलित निवल वर्तमान मूल्य पर भारत सरकार से सब्सिडी का दावा किया। प्राप्त की गई तथा ऋणकर्ता को हस्तांतरित की जाने वाली ब्याज सब्सिडी की राशि को ब्याज सब्सिडी निधि लेखा के रूप में प्रतिधारित किया जाता है। दावा के समय और वास्तविक संवितरण के समय विचारित सांकेतिक दर तथा अवधि के बीच अंतर के प्रभाव का सुनिश्चय संबंधित योजनाओं की समाप्ति बाद ही किया जा सकता है।

(क) पीएफसी के संबंध में

(i) प्रत्येक परियोजना के लिए किए गए अनुमानों के आधार पर (कुछ धारणाओं के आधार पर जो प्रत्येक ऋण/परियोजना की प्रक्षेपित अवधि में समान बनी रहेंगी), कंपनी ने 31 मार्च, 2020 तक की स्थिति के अनुसार एजी एंड एसपी योजनाओं के अंतर्गत 9वीं और 10वीं योजना, दोनों के लिए क्रमशः शून्य (31 मार्च, 2019 को क्रमशः शून्य तथा 16.04 करोड़) निवल आधिक्य राशि का अनुमान लगाया है।

समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

(ii) विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त सब्सिडी की राशि को दर्शाने वाली अन्य वित्तीय देयता के रूप में प्रदर्शित ब्याज सब्सिडी निधि शीर्ष के अंतर्गत शेष में निम्नलिखित शामिल हैं:-

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 को समाप्त वर्ष	31.03.2019 को समाप्त वष
प्रारंभिक शेष	15.96	112.51
जोड़े : अवधि के दौरान प्राप्त राशि	-	-
: अवधि के दौरान क्रेडिट किया गया ब्याज	1.35	3.45
: परियोजना की समय पर कमीशनिंग न हो पाने के कारण ऋणकर्ता द्वारा रिफंड	-	-
घटाएं: विद्युत मंत्रालय को किया गया रिफंड:-	-	-
(क) 9वीं और 10वीं योजना के सापेक्ष अनुमानित निवल आधिक्य राशि	-	100.00
(ख) समय पर परियोजना की कमीशनिंग न हो पाने के कारण	-	-
अंतिम शेष	**17.31**	**15.96**

वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान ऋणकर्ताओं को दी गई ब्याज सब्सिडी की राशि 1.13 करोड़ (पिछले वर्ष में 1.95 करोड़) है।

(ख) सहायक कंपनी, आरईसीएल के संबंध में

31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार ₹0.69 करोड़ (31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार ₹0.63 करोड़) की राशि ब्याज सब्सिडी निधि की शेष राशि को दर्शाती है, जो त्वरित उत्पादन एवं आपूर्ति कार्यक्रम (एजी एंड एसपी) के अंतर्गत भविष्य में ऋणकर्ताओं की ब्याज देयता के सापेक्ष उन्हें हस्तातंरित की जानी है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 को समाप्त वर्ष	31.03.2019 को समाप्त वर्ष
ब्याज सब्सिडी निधि का प्रारंभिक शेष	0.63	0.53
जोड़ें: वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज	0.06	0.11
घटाएं: ऋणकर्ताओं को दी गई ब्याज सब्सिडी	-	0.01
ब्याज सब्सिडी निधि का अंतिम शेष	**0.69**	**0.63**

25.4 सहायक कंपनी, आरईसीएल के संबंध में

भारत सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) और प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) के कार्यान्वयन के लिए आरईसी लिमिटेड को नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त किया है। योजना के अंतर्गत विभिन्न एजेंसियों को संवितरित करने के लिए प्राप्त निधियों को अलग बैंक खाते में रखा जाता है। योजना के लिए वितरित न की गई निधियों (तत्कालीन आरजीजीवीवाई योजना के अंतिमर्गत प्राप्त निधियों सहित) तथा उन पर अर्जित ब्याज को 'अन्य वित्तीय देयताएं' शीर्ष के अंतर्गत 'असंवितरित सब्सिडी/अनुदान' के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है।

सब्सिडी/अनुदान पर ब्याज में मूवमेंट का वर्णन नीचे किया गया है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 को समाप्त वर्ष	31.03.2019 को समाप्त वर्ष
प्रारंभिक शेष	42.57	24.41
जोड़ें: वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज	50.10	93.70
घटाएं: वर्ष के दौरान सरकार को रिफंड की गई राशि	60.71	75.53
घटाएं: एजी एंड एसपी अनुदान के लिए अर्जित ब्याज में से संवितरित की गई राशि	-	0.01
अंतिम शेष	**31.96**	**42.57**

25.5 डीडीयूजीजेवाई योजना के अंतर्गत भारत सरकार की वित्तपोषण की आवश्यकता को पूरा करने के लिए वर्ष के दौरान सहायक कंपनी आरईसीएल ने निजी नियोजन आधार पर समूल्य पर 10 लाख के डिबेंचर की प्रकृति में अप्रतिभूत, मोचनीय, अपरिवर्तनीय, कर योग्य बॉण्डों के माध्यम से ₹3,782.20 करोड़ (पिछले वर्ष ₹13,827 करोड़) की सकल राशि जुटाई है। वित्त मंत्रालय के दिनांक 09.09.2019 के पत्र के अनुसार, विद्युत मंत्रालय की मांग में उपयुक्त बजट प्रावधान करके भारत सरकार द्वारा उपर्युक्त बॉण्डों के मूलधन एवं ब्याज का पुनर्भुगतान किया जाएगा। तदनुसार, ब्याज के साथ ऐसे बॉण्डों की राशि को भी आरईसीएल को भारत सरकार से प्राप्य के रूप में दर्शाया गया है।

समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

26. प्रावधान

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2020 तक की स्थिति के अनुसार	31.03.2019 तक की स्थिति के अनुसार
(i)	कार्मिक हितलाभों के लिए (नोट 43 का संदर्भ लें)		
	- उपदान (ग्रेच्युटी)	2.76	0.75
	- छुट्टी का नकदीकरण	73.20	60.78
	- कार्मिकों का आर्थिक पुनर्वास	7.14	5.38
	- बोनस/प्रोत्साहन के लिए प्रावधान	84.00	83.25
	- कार्मिक कल्याण व्ययों के लिए प्रावधान	18.37	16.83
	- प्रस्तावित वेतन संशोधन	-	13.11
(ii)	क्षतिग्रस्तता हानि छूट - चुकौती आश्वासन पत्र (नोट 26.1 और 26.2 का संदर्भ लें)	188.85	186.71
	कुल प्रावधान	**374.32**	**366.81**

26.1 चुकौती आश्वासन पत्र पर क्षतिग्रस्तता का मूवमेंट

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2019-20	वित्तीय वर्ष 2018-19
प्रारंभिक शेष	186.71	195.55
वर्ष के दौरान सृजन	8.87	6.07
वर्ष के दौरान रिवर्सल	(6.73)	(14.91)
अंतिम शेष	**188.85**	**186.71**

26.2 चुकौती आश्वासन पत्र ऋणकर्ता के लिए प्रतिबद्धता के रूप में है, इसलिए इंड एएस 107 की अपेक्षाओं के अनुसरण में इस पर क्षतिग्रस्तता छूट को प्रावधान के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

27. अन्य गैर वित्तीय देयताएं

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2020 तक की स्थिति के अनुसार	31.03.2019 तक की स्थिति के अनुसार
(i)	अपरिशोधित शुल्क - असंवितरित ऋण परिसंपत्तियां	151.91	122.12
(ii)	फुटकर देयताएं (ब्याज पूंजीकरण)	6.57	21.99
(iii)	देय सांविधिक राशियां	31.23	49.64
(iv)	सरकारी स्कीमों के लिए सरकार से प्राप्त अग्रिम	4.14	16.20
	कुल अन्य गैर-वित्तीय देयताएं	**193.85**	**209.95**

समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

28. इक्विटी शेयर पूंजी

क्र. सं.	विवरण	31.03.2020 तक की स्थिति के अनुसार		31.03.2019 तक की स्थिति के अनुसार	
		संख्या	राशि (करोड़ में)	संख्या	राशि (करोड़ में)
(क)	**अधिकृत पूंजी**				
	इक्विटी शेयर पूंजी (प्रति शेयर 10 का सममूल्य)	1,10,00,00,00,000	11,000.00	1,10,00,00,00,000	11,000.00
	अधिमानी शेयर पूंजी (प्रति शेयर 10 का सममूल्य)	2,00,00,00,000	200.00	2,00,00,00,000	200.00
(ख)	**निर्गत, अभिदत्त और पूर्णतः प्रदत्त पूंजी**				
	इक्विटी शेयर पूंजी (प्रति शेयर 10 का सममूल्य)	2,64,00,81,408	2,640.08	2,64,00,81,408	2,640.08
(ग)	**इक्विटी शेयर पूंजी का समाधान**				
	प्रारम्भिक बकाया इक्विटी शेयर	2,64,00,81,408	2,640.08	2,64,00,81,408	2,640.08
	अवधि के दौरान परिवर्तन	-	-	-	0.00
	अंतिम इक्विटी शेयर पूंजी	2,64,00,81,408	2,640.08	2,64,00,81,408	2,640.08

28.1 इक्विटी शेयरों से संबद्ध अधिकार, अधिमान और प्रतिबंध

कंपनी ने प्रति शेयर ₹10 के सममूल्य वाले इक्विटी शेयर जारी किए हैं। इक्विटी शेयरों के धारक समय-समय पर घोषित लाभांश प्राप्त करने के हकदार हैं और वे शेयरधारकों की बैठक में अपने शेयरधारण के अनुपात के अनुसार वोट देने के हकदार हैं।

28.2 कंपनी में 5% से अधिक शेयर धारित करने वाले प्रत्येक शेयरधारक द्वारा धारित शेयर

क्र. सं.	विवरण	31.03.2020 तक की स्थिति के अनुसार		31.03.2019 तक की स्थिति के अनुसार	
		शेयरों की संख्या	इक्विटी शेयर पूंजी का %	शेयरों की संख्या	इक्विटी शेयर पूंजी का %
(i)	भारत के राष्ट्रपति	1,47,82,91,778	55.99	1,55,88,89,417	59.05
(ii)	एचडीएफसी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड	24,41,49,623	9.25	19,88,98,595	7.53
(iii)	लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया	15,51,78,214	5.88	15,63,20,146	5.92
(iv)	यूबीएस प्रिंसिपल कैपिटल एशिया लिमिटेड	8,66,24,000	3.28	14,22,38,384	5.39

28.3 अवधि एवं राशि सहित शेयर की बिक्री या विनिवेश के लिए विकल्प और संविदा/प्रतिबद्धता के अंतर्गत निर्गम के लिए आरक्षित शेयर: शून्य

28.4 पिछले 5 वर्षों की अवधि के दौरान, कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान 1:1 के अनुपात में बोनस शेयर जारी किए हैं तथा किसी शेयर का पुनः क्रय नहीं किया है।

28.5 सुदूर ऐसी तारीख से आरंभ करते अवरोही क्रम में परिवर्तन की शीघ्रातिशीघ्र तारीख के साथ जारी किए गए इक्विटी शेयरों में परिवर्तनीय किसी प्रतिभूति की अवधियां: शून्य

28.6 अदत्त मांग राशि (निदेशकों एवं अधिकारियों द्वारा अदत्त मांग राशि के सकल मूल्य को दर्शाते हुए): शून्य

28.7 जब्त शेयर (मूलतः प्रदत्त राशि): शून्य

28.8 पूंजी का प्रबंधन: (नोट 41.1 देखें)

28.9 वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान भारत सरकार ने नए निधि प्रस्ताव के सिलसिले में कंपनी में धारित 7,63,13,829 और 42,83,810 इक्विटी शेयर क्रमशः सीपीएसई ईटीएफ और भारत 22 ईटीएफ की परिसंपत्ति प्रबंध कंपनी (एएमसी) में अंतिमरित किए हैं।

समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

29. अन्य इक्विटी*

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	दिनांक 31.03.2020 तक की स्थिति के अनुसार	दिनांक 31.03.2019 तक की स्थिति के अनुसार
(i)	पूंजीगत रिज़र्व - सामान्य नियंत्रण (नोट 29.1(i) का संदर्भ लें)	(13,461.00)	(13,461.00)
(ii)	पूंजीगत रिज़र्व - संयुक्त उद्यम में शेयरधारिता में परिवर्तन	2.47	-
(iii)	डिबेंचर मोचन रिज़र्व (नोट 29.1(ii) का संदर्भ लें)	0.00	2,708.07
(iv)	प्रतिभूति प्रीमियम (नोट 29.1(iii) का संदर्भ लें)	3,953.74	3,953.74
(v)	विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद परिवर्तन अंतर लेखा (नोट 29.1(iv) का संदर्भ लें)	(2,346.18)	(1,172.29)
(vi)	भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईसी(1) के अंतर्गत सृजित विशेष रिज़र्व (नोट 29.1(v) का संदर्भ लें)	3,666.61	2,020.82
(vii)	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viiक)(ग) के अंतर्गत अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए रिज़र्व	4,089.44	5,337.53
(viii)	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के तहत वित्तीय वर्ष 1996-97 तक सृजित विशेष रिज़र्व	599.85	599.85
(ix)	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 1997-98 से सृजित और अनुरक्षित विशेष रिज़र्व (नोट 29.1(vii) का संदर्भ लें)	27,616.89	25,465.49
(x)	ब्याज विभेदक रिज़र्व - केएफडब्ल्यू ऋण (नोट 29.1(viii) का संदर्भ लें)	61.40	60.00
(xi)	सामान्य रिज़र्व (नोट 29.1(ix) का संदर्भ लें)	14,655.76	10,191.77
(xii)	क्षतिग्रस्तता रिज़र्व (नोट 29.1(x) का संदर्भ लें)	417.55	-
(xiii)	प्रतिधारित अर्जन (नोट 29.1(xi) का संदर्भ लें)	8,080.18	9,029.56
(xiv)	अन्य व्यापक आय के माध्यम से इक्विटी लिखतों के लिए रिज़र्व (नोट 29.1(xii) का संदर्भ लें)	(257.72)	(204.45)
(xv)	अन्य व्यापक आय के माध्यम से किसी नकदी प्रवाह हेज में हेजिंग लिखतों पर अभिलाभ और हानि के प्रभावी भाग के लिए रिज़र्व (नोट 29.1(xiii) का संदर्भ लें)	(211.65)	(50.14)
(xvi)	हेजिंग की लागत रिज़र्व (नोट 29.1w का संदर्भ लें)	(107.77)	-
(xvii)	संयुक्त उद्यम और सहयोगी कंपनियों में अन्य व्यापक आय का शेयर	0.15	2.22
	कुल अन्य इक्विटी	**46,759.72**	**44,481.17**

* अवधि के दौरान मूवमेंट के लिए इक्विटी में परिवर्तन का समेकित विवरण का संदर्भ लें।

29.1 रिज़र्व की प्रकृति और प्रयोजन

(i) आरईसी लिमिटेड के अधिग्रहण के फलस्वरूप, ₹1039.50 करोड़ की आरईसी लिमिटेड की इक्विटी शेयर पूंजी में हमारे शेयर तथा भुगतान किए गए ₹14,500.50 करोड़ के प्रतिफल (₹0.50 करोड़ का मौजूदा निवेश सहित) के बीच अंतर को 01 अप्रैल, 2017 तक की स्थिति के अनुसार पूंजी रिज़र्व-सामान्य नियंत्रण के रूप में मान्य किया गया है।

(ii) डिबेंचर मोचन रिज़र्व (डीआरआर)

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी किए गए कंपनी अधिनियम 2013 जिसे कंपनी (शेयर पूंजी एवं डिबेंचर) नियमावली 2014 द्वारा और स्पष्ट किया गया है, की धारा 71 (4) के प्रावधानों के अनुसरण में, कंपनी ऐसे डिबेंचर की परिपक्वता अवधि के दौरान वर्तमान सेबी (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम एवं सूचीबद्धता) विनियम, 2008 के अनुसार सार्वजनिक निर्गम के माध्यम से जारी किए गए डिबेंचरों के मूल्य के 25% तक डिबेंचर मोचन रिज़र्व (डीडीआर) का सृजन करती है और निजी तौर पर नियोजित डिबेंचर के मामले में किसी डीडीआर की आवश्यकता नहीं होती है। डीडीआर में क्रेडिट की गई राशि का उपयोग डिबेंचरों के मोचन के अतिरिक्त नहीं किया जा सकता है। तथापि, कंपनी (शेयर पूंजी और डिबेंचर) संशोधन नियमावली, 2019 के साथ पठित कंपनी (शेयर पूंजी और डिबेंचर) नियमावली, 2014 के संदर्भ में, समूह को डिबेंचर मोचन रिज़र्व (डीआरआर) के सृजन की आवश्यकता नहीं है। इस संशोधन के अनुसरण में, वर्ष के दौरान डीआरआर के सम्पूर्ण शेष को सामान्य रिज़र्व में अंतरित कर दिया गया है।

(iii) प्रतिभूति प्रीमियम

प्रतिभूति प्रीमियम शेयरों के निर्गम पर हुए व्यय की शेयर पूंजी के निर्गम पर प्राप्त प्रीमियम की राशि दर्शाता है। कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार इस राशि का उपयोग किया जाता है।

समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

(iv) विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद परिवर्तन अंतर लेखा

यह दीर्घ अवधि के विदेशी मुद्रा ऋणों (31 मार्च, 2018 को मौजूद) पर अपरिशोधित विदेशी मुद्रा परिवर्तन अभिलाभ/हानि का प्रतिनिधित्व करता है जिसे संबंधित ऋणों की अवधि में परिशोधित किया जाता है।

(v) भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईसी (1) के अंतर्गत सृजित विशेष रिजर्व

यह लाभ एवं हानि लेखा में किए गए प्रकटन के अनुसार वर्ष के लिए कर पश्चात तथा किसी लाभांश की घोषणा के पूर्व निवल लाभ के 20% की दर से प्रतिधारित अर्जन से अंतरण दर्शाता है। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट किए गए को छोड़कर रिजर्व निधि से किसी प्रकार के समायोजन की अनुमति नहीं है तथा इसके अलावा, इससे किए गए किसी भी समायोजन के बारे में निकासी की तारीख से 21 दिनों की अवधि के भीतर भारतीय रिज़र्व बैंक को संप्रेषित किया जाना भी आवश्यक है।

(vi) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viiक)(ग) के अंतर्गत अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए रिजर्व

यह रिजर्व आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viiक)(ग) के अंतिमर्गत आयकर कटौती प्राप्त करने के लिए सृजित किया गया है। इस प्रकार अनुरक्षित किए गए रिजर्व का उपयोग मुख्य रूप से वास्तविक अशोध्य ऋणों या उनके भाग को समायोजित करने के लिए किया जाएगा। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viiक) (ग) के अनुसार, कंपनी और इसकी सहायक कंपनी आरईसी लिमिटेड अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए किए गए किसी प्रावधान/रिजर्व के संबंध में कटौती का लाभ उठाने के हकदार हैं, किंतु आयकर अधिनियम के अनुसार इसकी सीमा कुल आय के पांच प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

(vii) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत सृजित विशेष रिजर्व

यह रिजर्व पीएफसी और इसकी सहायक कंपनी, आरईसी लिमिटेड को कर लाभ उठाने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से अनुरक्षित किया जाता है। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अनुसार, कंपनी और इसकी सहायक कंपनी, आरईसी लिमिटेड दीर्घावधि वित्त गतिविधियों से प्राप्त लाभ के अधिकतम 20% तक से अनधिक की कटौती की हकदार हैं, परंतु ऐसी राशि विशेष रिजर्व खाते में अंतरित और अनुरक्षित की गई हो।

(viii) ब्याज विभेद रिजर्व - केएफडब्ल्यू ऋण

यह रिजर्व ऋण करार के अनुसार केएफडब्ल्यू ऋण पर देय ब्याज और प्रदत्त ब्याज के बीच अंतर का प्रतिनिधित्व करता है। केएफडब्ल्यू से विदेशी मुद्रा के ऋण की शर्तों के अनुसरण में ऋण शेष के पुनः कथन पर विनिमय अभिलाभ/हानि को इस रिजर्व से समायोजित किया जाता है। कंपनी को केएफडब्ल्यू ऋण की पूर्ण अदायगी के बाद रिजर्व में असमायोजित अधिशेष का पुनर्भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होती है। केएफडब्ल्यू ऋण की पूर्ण अदायगी के बाद रिजर्व में किसी असमायोजित शेष का प्रयोग केएफडब्ल्यू से परामर्श के बाद कंपनी द्वारा अग्रेतर ऋण प्रदान करने के लिए किया जाएगा।

(ix) सामान्य रिजर्व

सामान्य रिजर्व में कंपनी के लाभों से समायोजित राशि शामिल होती है तथा इसमें सांविधिक रिजर्वों से अंतरित राशि भी शामिल होती है। कंपनी अधिनियम, 1956 के पूर्ववर्ती प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में, कंपनी और इसकी सहायक कंपनी, आरईसी लिमिटेड ने लाभांश की घोषणा से पूर्व सामान्य रिजर्व में लाभों का कुछ प्रतिशत अंतरित किया था। तथापि, कंपनी अधिनियम, 2013 में लाभांश की घोषणा से पहले सामान्य रिजर्व में लाभों के अंतरण को अनिवार्य नहीं किया गया है।

(x) क्षतिग्रस्तता रिजर्व

भारतीय रिज़र्व बैंक ने एनबीएफसी द्वारा 'भारतीय लेखांकन मानकों के कार्यान्वयन' के संबंध में 13 मार्च, 2020 को अधिसूचना संख्या डीओआर (एनबीएफसी).सीसी.पीडी.संख्या109/22.10.106/2019-20 जारी की। उक्त परिपत्र के संदर्भ में, यदि इंड एएस 109 के अंतर्गत क्षतिग्रस्तता छूट, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए आय मान्यता, परिसम्पत्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण मानदंडों (मानक परिसम्पत्ति के प्रावधानीकरण सहित) के अंतर्गत अपेक्षित प्रावधानीकरण से कम है, तो समूह द्वारा इस अंतर को उनके कर पश्चात निवल लाभ से क्षतिग्रस्तता रिजर्व में अंतरित करते हुए समायोजित किया जाना अपेक्षित है।

(xi) प्रतिधारित अर्जन

प्रतिधारित अर्जन लाभांश वितरण एवं अन्य रिजर्व में एवं रिजर्व से अंतरण के पश्चात् समूह द्वारा अर्जित प्रतिधारित अर्जन में सीधे मान्य किए गए लाभों तथा अन्य व्यापक आय की मदों का प्रतिनिधित्व करता है।

(xii) अन्य व्यापक आय के माध्यम से इक्विटी लिखतों के लिए रिजर्व

समूह ने अन्य व्यापक आय के माध्यम से इक्विटी लिखतों में कुछ निवेश के उचित मूल्य में परिवर्तनों को मान्य करने का चुनाव किया। यह रिजर्व अन्य व्यापक आय के माध्यम से मापे गए इक्विटी लिखतों के पुनर्मूल्यांकन से उत्पन्न संचयी अभिलाभों एवं हानियों का प्रतिनिधित्व करता है। जब परिसंपत्ति को विमान्य किया जाता है, तब रिजर्व में राशि को बाद में प्रतिधारित अर्जन में, न कि लाभ एवं हानि के समेकित विवरण में अंतरित किया जाता है। ऐसे निवेशों पर लाभांशों को लाभ या हानि के रूप में मान्य किया जाता है, जब तक कि लाभांश स्पष्ट रूप से निवेश की आंशिक लागत की वसूली का प्रतिनिधित्व न करे।

समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

(xiii) अन्य व्यापक आय के माध्यम से किसी नकदी प्रवाह हेज में हेजिंग लिखतों पर अभिलाभ और हानि के प्रभावी भाग के लिए रिजर्व

यह रिजर्व नकदी प्रवाह हेजिंग के लिए किए गए बचाव लिखतों के निर्दिष्ट अंश के उचित मूल्य में परिवर्तन पर उत्पन्न अभिलाभों या हानियों के संचयी प्रभावी अंश का प्रतिनिधित्व करता है। बचाव लिखतों जो नकदी प्रवाह हेजिंग रिजर्व शीर्ष के अंतर्गत मान्य एवं संचित किए जाते हैं, के निर्दिष्ट अंश के उचित मूल्य में परिवर्तन पर उत्पन्न संचयी अभिलाभ या हानि को केवल उस समय लाभ या हानि में पुनः वर्गीकृत किया जाएगा जब हेज्ड लेन-देन लाभ या हानि को प्रभावित करेगा या गैर वित्तीय हेज्ड मद में आधार समायोजन के रूप में शामिल किया जाएगा।

(xiv) हेजिंग रिजर्व की लागत

पीएफसी की सहायक कंपनी आरईसी लिमिटेड, विदेशी मुद्रा विकल्प संविदाओं के अंतर्भूत मूल्य को 'नकदी प्रवाह हेज' संबंधों में हेजिंग लिखतों के रूप में निर्दिष्ट करती है। किसी विकल्प के समय मूल्य के उचित मूल्य में परिवर्तन को अन्य व्यापक आय में मान्य किया जाता है तथा युक्तिसंगत आधार पर लाभ और हानि के विवरण में परिशोधित किया जाता है।

29.2 पीएफसी द्वारा ₹10 प्रत्येक के अंकित मूल्य के इक्विटी शेयरों पर प्रदत्त लाभांश के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

विवरण	वित्तीय वर्ष 2019-20			वित्तीय वर्ष 2018-19		
	शेयर पूंजी का %	प्रति इक्विटी शेयर (₹)	राशि (करोड़ में)	शेयर पूंजी का %	प्रति इक्विटी शेयर (₹)	राशि (करोड़ में)
अंतरिम लाभांश	95%	9.50	2,508.08	-	-	-
कुल लाभांश	**95%**	**9.50**	**2,508.08**	**-**	**-**	**-**

30. गैर-नियंत्रक ब्याज

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	दिनांक 31.03.2020 तक की स्थिति के अनुसार	दिनांक 31.03.2019 तक की स्थिति के अनुसार
अवधि की शुरूआत में शेष		**16,363.02**	**15,435.22**
(i)	वर्ष के लिए निवल लाभ का शेयर	2,355.12	2,719.41
(ii)	परिभाषित हितलाभ योजनाओं का पुनर्मापन	(1.02)	(5.97)
(iii)	अन्य व्यापक आय/(व्यय) का शेयर	(261.31)	(22.73)
कुल व्यापक आय का शेयर		**2,092.79**	**2,690.71**
(i)	गैर-नियंत्रक हित के लिए प्रदत्त लाभांश	(1,028.97)	(1,192.61)
(ii)	गैर-नियंत्रक हित के लिए प्रदत्त लाभांश वितरण कर	(211.28)	(248.91)
(iii)	अन्य	(450.00)	(321.39)
अवधि के अंत में शेष		**16,765.57**	**16,363.02**

31. ब्याज आय

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	दिनांक 31.03.2020 तक की स्थिति के अनुसार	दिनांक 31.03.2019 तक की स्थिति के अनुसार
(क)	**परिशोधित लागत पर मापी गए वित्तीय परिसंपत्तियों पर**		
(i)	ऋणों पर ब्याज	61,491.76	53,329.07
	घटाएं: ऋणकर्ताओं को समय पर भुगतान के लिए छूट	(401.99)	(491.90)
(ii)	बैंकों में जमाओं पर ब्याज	231.22	263.52
(iii)	अन्य ब्याज आय	45.21	70.87
(ख)	**लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वर्गीकृत वित्तीय परिसंपत्तियों पर**		
(i)	निवेश पर ब्याज	259.56	255.85
(ii)	अन्य आय	2.59	-
ब्याज से कुल आय (क + ख)		**61,628.35**	**53,427.41**

समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

32. शुल्क और कमीशन आय

सेवाओं की प्रकृति के आधार पर, ग्राहकों के साथ संविदाओं से समूह का राजस्व निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	दिनांक 31.03.2020 तक की स्थिति के अनुसार	दिनांक 31.03.2019 तक की स्थिति के अनुसार
(i)	ऋणों पर पूर्व-भुगतान प्रीमियम	92.34	246.56
(ii)	ऋणों पर शुल्क आधारित आय	50.05	24.59
(iii)	भारत सरकार की योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए शुल्क	19.52	102.96
	शुल्क और कमीशन से कुल आय	**161.91**	**374.11**

33. उचित मूल्य में परिवर्तन पर निवल अभिलाभ (-)/हानि (+)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	दिनांक 31.03.2020 तक की स्थिति के अनुसार	दिनांक 31.03.2019 तक की स्थिति के अनुसार
(i)	लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य की वित्तीय लिखतों पर:		
	- डेरिवेटिव के उचित मूल्य में परिवर्तन	(648.54)	(266.54)
	- निवेशों के उचित मूल्य में परिवर्तन	(9.19)	-
	- म्युचुअल फंडों में अधिशेष फंडों को अल्पावधिक निवेश के उचित मूल्य में परिवर्तन	(15.47)	3.00
	उचित मूल्य में परिवर्तन पर कुल निवल लाभ (-)/हानि (+)	**(673.20)**	**(263.54)**
उचित मूल्य में परिवर्तन:			
(i)	प्राप्त	205.63	(772.90)
(ii)	अप्राप्त	(878.83)	509.36
उचित मूल्य में परिवर्तन पर कुल निवल लाभ (-)/हानि (+)		**(673.20)**	**(263.54)**

33.1 इस नोट में दिए गए उचित मूल्य में परिवर्तन प्रोद्भूत ब्याज आय/व्यय के कारण उचित मूल्यों में हुए परिवर्तनों से भिन्न हैं।

34. अन्य प्रचालन से आय

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	दिनांक 31.03.2020 तक की स्थिति के अनुसार	दिनांक 31.03.2019 तक की स्थिति के अनुसार
(i)	सेवाओं की बिक्री (नोट 6.11 का संदर्भ लें)	293.37	225.67
(ii)	अन्य	0.16	1.83
	अन्य प्रचालन से कुल आय	**293.53**	**227.50**

समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

35. अन्य आय

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	दिनांक 31.03.2020 तक की स्थिति के अनुसार	दिनांक 31.03.2019 तक की स्थिति के अनुसार
(i)	प्रतिलेखित आधिक्य देयताएं	0.48	12.05
(ii)	विविध आय	85.44	39.13
	कुल अन्य आय	**85.92**	**51.18**

36. वित्तीय लागतें

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	दिनांक 31.03.2020 तक की स्थिति के अनुसार	दिनांक 31.03.2019 तक की स्थिति के अनुसार
	परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय देयताओं पर		
(i)	**ऋणों पर ब्याज**		
	- सावधि ऋण और अन्य	7,841.35	4,298.75
	- पट्टा देयताओं पर ब्याज (नोट 45 का संदर्भ लें)	1.22	-
(ii)	**ऋण प्रतिभूतियों पर ब्याज**		
	- बॉण्ड/डिबेंचर	30,554.38	28,810.47
	- कमर्शियल पेपर	896.99	894.69
(iii)	**सबॉर्डिनेट देयताओं पर ब्याज**	1,246.87	568.12
(iv)	**अन्य ब्याज व्यय**		
	- ब्याज सब्सिडी निधि पर ब्याज (नोट 25.3 क(ii) का संदर्भ लें)	1.35	3.46
	- एप्लीकेशन मनी - बॉण्ड पर ब्याज	0.06	0.08
	- सहायक कंपनियों से प्राप्त अग्रिमों पर ब्याज	5.07	6.18
	- आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत ब्याज	0.38	5.86
	- अन्य	4.73	6.65
	घटाएं: पूंजीकृत वित्तीय लागत	(15.79)	(11.37)
(v)	**- स्वैप प्रीमियम (निवल)**	308.04	43.91
	कुल वित्तीय लागतें	**40,844.65**	**34,626.80**

37. शुल्क और कमीशन व्यय

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	दिनांक 31.03.2020 तक की स्थिति के अनुसार	दिनांक 31.03.2019 तक की स्थिति के अनुसार
(i)	एजेंसी शुल्क	2.99	1.52
(ii)	गारंटी, सूचीबद्धता और ट्रस्टीशिप शुल्क	16.37	15.45
(iii)	क्रेडिट रेटिंग शुल्क	9.28	8.08
(iv)	अन्य वित्तीय प्रभार	7.56	19.42
	शुल्क और कमीशन संबंधी कुल व्यय	**36.20**	**44.47**

समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

38. वित्तीय लिखतों पर क्षतिग्रस्तता

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	दिनांक 31.03.2020 तक की स्थिति के अनुसार	दिनांक 31.03.2019 तक की स्थिति के अनुसार
(क)	**परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों पर**		
(i)	ऋण	421.33	(648.28)
(ii)	निवेश (ऋणों के निपटान पर अधिग्रहित)	81.75	-
(iii)	बट्टे खाते में डाले गए - ऋण	1,368.92	-
(iv)	अन्य वित्तीय लिखत	45.07	31.21
(v)	चुकौती आश्वासन पत्र	(6.24)	(8.67)
(ख)	**लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों पर**		
(i)	निवेश	-	0.01
	वित्तीय लिखतों पर कुल क्षतिग्रस्तता	**1,910.83**	**(625.73)**

38.1 वित्तीय परिसंपत्तियों पर क्षतिग्रस्तता के ब्योरों के लिए नोट 41.2.1 का संदर्भ लें।

39. कार्मिक हितलाभ संबंधी व्यय

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	दिनांक 31.03.2020 तक की स्थिति के अनुसार	दिनांक 31.03.2019 तक की स्थिति के अनुसार
(i)	वेतन और मेहनताना	285.99	273.58
(ii)	भविष्य निधि और अन्य निधियों में अंशदान	36.65	31.87
(iii)	स्टाफ कल्याण संबंधी व्यय	70.26	52.47
(iv)	कार्मिकों के आवासीय व्यवस्था के लिए किराया (नोट 39.2 का संदर्भ लें)	6.82	4.74
	कार्मिक हितलाभ संबंधी कुल व्यय	**399.72**	**362.66**

39.1 कार्मिकों के विभिन्न हितलाभों के लिए किए गए प्रावधान के संबंध में इंड एएस 19 'कार्मिक हितलाभ' के अनुसार प्रकटन नोट 43 में दिए गए हैं।

39.2 कार्मिकों की आवासीय व्यवस्था के लिए किराया ऐसे परिसरों के लिए पट्टा व्यवस्था पर किराए (वसूलियों को घटाकर) के लिए हैं जो कार्मिकों के आवासीय उपयोग हेतु लिए जाते हैं तथा जो परस्पर सहमत निबंधनों पर नवीकरणीय और निरस्त करने योग्य हैं।

समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

40. अन्य व्यय

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	दिनांक 31.03.2020 तक की स्थिति के अनुसार	दिनांक 31.03.2019 तक की स्थिति के अनुसार
(i)	किराया, कर और ऊर्जा लागत (नोट 40.1 का संदर्भ लें)	20.90	45.68
(ii)	मरम्मत और अनुरक्षण	18.34	12.87
(iii)	संचार लागतें	5.14	5.60
(iv)	मुद्रण और लेखन सामग्री	4.65	5.85
(v)	विज्ञापन और प्रचार	20.06	95.56
(vi)	निदेशकों का शुल्क, भत्ते और व्यय	0.36	0.36
(vii)	लेखापरीक्षकों का शुल्क और व्यय (नोट 40.2 का संदर्भ लें)	2.92	2.84
(viii)	विधिक और पेशेवर प्रभार	19.32	29.27
(ix)	बीमा	0.31	0.31
(x)	यात्रा और वाहन	35.45	34.11
(xi)	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की विमान्यता पर निवल हानि/(अभिलाभ)	2.65	1.22
(xii)	अन्य व्यय	98.45	85.24
	कुल अन्य व्यय	**228.55**	**318.91**

40.1 किराया, कर और ऊर्जा लागत में कार्यालय उपयोग के लिए पट्टे पर लिए गए परिसरों के लिए किराया शामिल है तथा इन परिसरों को परस्पर सहमत निबंधनों पर नवीकृत और निरस्त किए जा सकता है।

40.2 लेखापरीक्षकों का शुल्क और व्यय निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	दिनांक 31.03.2020 को समाप्त वर्ष	दिनांक 31.03.2019 को समाप्त वर्ष
	सांविधिक लेखापरीक्षकों को प्रदत्त शुल्क:		
(i)	लेखापरीक्षक के रूप में	0.99	1.06
(ii)	कराधान मामलों के लिए*	0.26	0.38
(iii)	कंपनी कानून संबंधी मामलों के लिए (सीमित पुनरीक्षा शुल्क शामिल है)	0.65	0.45
(iv)	अन्य सेवाओं के लिए	0.79	0.77
(v)	व्ययों की प्रतिपूर्ति के लिए	0.04	0.08
(vi)	लेखापरीक्षकों को भुगतान किए गए शुल्क के संबंध में गैर-वसूलीयोग्य कर क्रेडिट	0.19	0.10
	कुल	**2.92**	**2.84**

* पीएफसी की सहायक कंपनी आरईसी लिमिटेड के मामले में, पूर्ववर्ती वर्षों से संबंधित कराधान मामलों के लिए शून्य (पिछला वर्ष ₹0.09 करोड़) शुल्क शामिल है।

41. वित्तीय लिखत

41.1 पूंजी प्रबंधन

समूह एक पूंजी आधार का अनुरक्षण करता है जो ग्रुप की जोखिम प्रोफाइल, विनियामक एवं कारोबारी आवश्यकताओं का समर्थन करने के लिए मात्रा एवं गुणवत्ता की दृष्टि से पर्याप्त है। समूह घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय वित्तीय बाजारों से निधियां प्राप्त करता है, जिससे अन्य बातों के साथ निवेशक आधार में विविधता तथा पूंजी की इष्टतम लागत का मार्ग प्रशस्त होता है। निधियों के स्रोत के संबंध में ब्यौरों के लिए टिप्पणी 23, 24 और 25 तथा इक्विटी के संबंध में इक्विटी में परिवर्तन का समेकित विवरण देखें।

जैसा कि आरबीआई के मास्टर निदेशों में निहित है - गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी - व्यवस्था की दृष्टि से महत्वपूर्ण गैर-जमा स्वीकार करने वाली कंपनी और जमा स्वीकार करने वाली कंपनी (रिजर्व बैंक) निदेश 2016 (इसके बाद इसे ङ्गआरबीआई मास्टर निदेशफ़्र कहा गया है) के अनुसार, कंपनी को टियर-I और टियर-II पूंजी से युक्त एक पूंजी अनुपात का अनुवर्तन करना है जो तुलन-पत्र में उसकी सकल जोखिम भारित परिसंपत्तियों तथा तुलन-पत्र से भिन्न मदों के जोखिम समायोजित मूल्य के 15% से कम नहीं होना चाहिए। इसमें से टियर-I पूंजी 10% से कम नहीं होगी। कंपनी तथा इसकी सहायक

समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

कंपनी आरईसी लिमिटेड नोन-डिपोजिट सिस्टमेटेकली इम्पोर्टेंट (एनडीएसआई) कंपनियों के रूप में आरबीआई में पंजीकृत हैं। दोनों कंपनियां जोखिम भारित परिसंपत्ति अनुपात (सीआरएआर) की तुलना में पूंजी के निर्धारित स्तरों के अनुरक्षण की नियमित रूप से मॉनीटरिंग करती हैं। इसके अतिरिक्त, पूंजी पुनर्गठन के संबंध में कंपनी तथा इसकी सहायक कंपनी आरईसी लिमिटेड अन्य बातों के साथ निवेश एवं लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम), वित्तीय मंत्रालय, सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा बोनस शेयर के निर्गम, लाभांश वितरण, इक्विटी शेयरों के बायबैक आदि के संबंध में 'केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों का पूंजी पुनर्गठन' पर जारी किए गए दिशा-निर्देशों से भी मार्ग-दर्शन प्राप्त करती हैं।

पूंजी जोखिम समायोजित अनुपात (सीआरएआर) निम्नानुसार है:

विवरण	दिनांक 31.03.2020 तक की स्थिति के अनुसार		दिनांक 31.03.2019 तक की स्थिति के अनुसार	
	पीएफसी	आरईसीएल	पीएफसी	आरईसीएल
सीआरएआर - टियर I पूंजी	12.45%	13.17%	11.73%	14.44%
सीआरएआर - टियर II पूंजी	4.51%	2.89%	5.36%	3.33%
कुल सीआरएआर	**16.96%**	**16.06%**	**17.09%**	**17.77%**

जुटाए गए सबॉर्डिनेट ऋण/चिरस्थायी ऋण के ब्यौरे निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2019-20	वित्तीय वर्ष 2018-19
टियर-II पूंजी के रूप में जुटाए गए सबॉर्डिनेट ऋण की राशि	-	7,562.70
चिरस्थायी ऋण लिखतों के निर्गम के माध्यम से जुटाई गई राशि	-	-

लाभांश वितरण नीति

समूह की कंपनियों की सुनिश्चित लाभांश वितरण नीति है। लाभांश वितरण नीति अनेक कारकों पर ध्यान देती है, जिसमें समय-समय पर यथालागू दिशा-निर्देशों के अध्यधीन सरकारी दिशा-निर्देश, भावी पूंजी व्यय योजनाएं, वित्तीय वर्ष के दौरान अर्जित लाभ, वैकल्पिक स्रोतों से निधियां जुटाने की लागत, नकदी प्रवाह की स्थिति तथा लाभांश पर कर सहित लागू कर शामिल हैं, परंतु इतने तक ही सीमित नहीं है।

निवेश एवं लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम), भारत सरकार द्वारा जारी किए गए वर्तमान दिशा-निर्देशों के अनुसार, कंपनी को मौजूदा विधिक प्रावधानों के अंतर्गत अनुमेय अधिकतम लाभांश के अध्यधीन, कर पश्चात लाभ के 30% या निवल मूल्य के 5%, जो भी अधिक हो, के न्यूनतम वार्षिक लाभांश का भुगतान करना है। यद्यपि, संबंधित कंपनियां इन दिशानिर्देशों के अनुसार लाभांश की घोषणा करने का प्रयास करती हैं, फिर भी निवल मूल्य, कैपेक्स/व्यवसाय विस्तार की आवश्यकताओं, संबंधित कंपनी की सहायक कंपनियों/कंपनी की सहयोगी कंपनियों में अतिरिक्त निवेश आदि जैसे विभिन्न वित्तीय मानदंडों के विश्लेषण के पश्चात् कम लाभांश प्रस्तावित कर सकती है। वर्ष के दौरान, प्रदत्त लाभांश के ब्यौरों के लिए नोट 29.2 का संदर्भ लें।

41.2 वित्तीय जोखिम प्रबंधन

ग्रुप को अनेक जोखिमों का खतरा है जो उस परिवेश में अंतर्निहित हैं जिसमें यह प्रचालन करता है। ग्रुप मुख्य रूप से विद्युत क्षेत्र को वित्तीय सहायता प्रदान करने के व्यवसाय में है। प्रधान जोखिम जो समूह के व्यवसाय मॉडल में अंतर्निहित है तथा वित्तीय लिखतों के प्रयोग से उत्पन्न होते हैं, में क्रेडिट जोखिम, चलनिधि जोखिम तथा बाजार जोखिम (मुद्रा जोखिम, ब्याज दर जोखिम और मूल्य जोखिम) शामिल हैं।

निम्नलिखित सारणी मोटे तौर पर ऐसे जोखिमों के स्रोतों का वर्णन करती है जिनका ग्रुप को खतरा है तथा इसमें जोखिमों के प्रबंधन के तरीके तथा वित्तीय विवरणों में संबद्ध प्रभाव का भी उल्लेख है:

क्र. सं.	जोखिम	निम्न से उत्पन्न एक्सपोजर	माप	जोखिम प्रबंधन
41.2.1	क्रेडिट जोखिम	ऋण, वित्तीय परिसंपत्तियां, निवेश, व्यापार की प्राप्य राशि, नकदी तथा नकदी समतुल्य	काल प्रभाव विश्लेषण	विस्तृत मूल्यांकन प्रक्रिया, क्रेडिट लिमिट, परिसंपत्ति आधार का विविधीकरण तथा सरकारी गारंटी सहित कोलेटरल
41.2.2	चलनिधि जोखिम	ऋण, प्रतिभूतियां, सबॉर्डिनेट देयताएं तथा अन्य वित्तीय देयताएं	नकदी प्रवाह के पूर्वानुमान	प्रतिबद्ध क्रेडिट लाइनों तथा ऋण की सुविधाओं की उपलब्धता
41.2.3	बाजार जोखिम - विदेशी मुद्रा जोखिम	मान्य वित्तीय देयताएं जो भारतीय रुपए (आईएनआर) में वर्णित नहीं हैं	संवेदनशीलता विश्लेषण, नकदी प्रवाह के पुर्वानुमान	मुद्रा जोखिम की हेजिंग के लिए डेरिवेटिव संविदाएं
41.2.4	बाजार जोखिम -ब्याज दर जोखिम	ऋण, ऋण प्रतिभूतियां, गौण देयताएं तथा परिवर्तनशील दरों पर ऋण	ब्याज दर अंतर विश्लेषण, संवेदनशीलता विश्लेषण	ब्याज दर की विविध शर्तों के साथ ऋण व्यवस्थाओं का अनुसरण, डेरिवेटिव संविदा जैसे कि ब्याज दर स्वैप आदि।
41.2.5	बाजार जोखिम - मूल्य जोखिम	उद्धृत इक्विटी प्रतिभूतियों में निवेश	संवेदनशीलता विश्लेषण	कार्यनीतिक निवेशों पर फोकस के साथ पोर्टफोलियो का विविधीकरण

समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

इन जोखिमों के प्रबंधन के लिए समूह की कंपनियों में एक तंत्र स्थापित किया है ताकि सुनिश्चित हो कि इन जोखिमों की ध्यान से मॉनीटरिंग की जाती है और दक्षता के साथ प्रबंधन किया जाता है। आरबीआई की अधिसूचना डीएनबीआर (पीडी) सीसी.एनओ/.099/03.10.001/2018-19 के अनुसरण में, संबंधित कंपनी में जोखिम प्रबंधन व्यवहारों में वृद्धि करने के लिए, पीएफसी और इसकी सहायक कंपनी आरईसी लिमिटेड के निदेशक मंडलों ने एक मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ) भी नियुक्त किया है जो जोखिमों की पहचान करने, मापने और उन्हें कम करने की प्रक्रिया में शामिल है। जोखिम प्रबंधन दृष्टिकोण अर्थात् उपर्युक्त में से प्रत्येक जोखिम के मापन एवं प्रबंधन के लिए ग्रुप के उद्देश्यों, नीतियों एवं प्रक्रियाओं का वर्णन अनुवर्ती उपखंडों में किया गया है।

41.2.1 क्रेडिट जोखिम

क्रेडिट जोखिम ऐसा जोखिम है जो किसी वित्तीय लिखत की काउंटरपार्टी इसकी बाध्यता के निष्पादन में विफल होकर समूह को वित्तीय हानि करेगी। समूह को क्रेडिट जोखिम का खतरा उत्पन्न करने वाली वित्तीय परिसंपत्तियों के ब्योरे निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	दिनांक 31.03.2020 तक की स्थिति के अनुसार	दिनांक 31.03.2019 तक की स्थिति के अनुसार
कम क्रेडिट जोखिम		
नकदी और नकदी समतुल्य ए[क]	1,905.21	726.64
नकदी और नकदी समतुल्य में शामिल किए गए से भिन्न बैंक शेष[क]	2,282.96	15,650.40
ऋण (बकाया मूलधन)[ग]	5,82,949.37	5,32,107.25
व्यापार की प्राप्य राशियां[ख]	114.51	182.96
निवेश (इक्विटी लिखतों को छोड़कर)[क]	2,579.97	2,445.98
अन्य वित्तीय देयताएं[ख]	27,462.14	23,712.97
साधारण क्रेडिट जोखिम		
ऋण (बकाया मूलधन)[ग]	35,252.65	13,880.61
व्यापार की प्राप्य राशिया[ख]	52.01	3.37
अधिक क्रेडिट जोखिम		
ऋण (बकाया मूलधन)[ग]	49,127.25	49,888.75
अन्य वित्तीय देयताएं[ख]	51.64	40.45
व्यापार की प्राप्य राशिया[ख]	40.04	28.16

[क] नकदी और नकदी समतुल्य और अन्य बैंक शेषों पर क्रेडिट जोखिम सीमित है क्योंकि ये अनुसूचित वाणिज्यिक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, उच्च रेटिंग वाले निजी क्षेत्र के बैंकों और देश भर के विविध जमा आधार वाले म्युचुअल फंड हाउसेज में जमा है।

इसके निवेशों के लिए, क्रेडिट जोखिम के एक्सपोजर को उच्च क्रेडिट रेटिंग वाली काउंटरपार्टियों द्वारा निर्गत प्रतिभूतियों में निधियों को जमा करने, इन निवेशों की आवधिक निगरानी और आवश्यकता पड़ने पर जरूरी कार्रवाई करने के जरिए प्रबंधित किया जाता है।

[ख] व्यापार की प्राप्य राशियों और अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों पर क्रेडिट जोखिम को ऋणकर्ताओं की क्रेडिट योग्यता के आकलन द्वारा कम किया जाता है और इन राशियों की प्रतिलब्धि की मॉनीटरिंग के जरिए प्रबंधित किया जाता है। समूह व्यापार की इन प्राप्य राशियों और अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों पर अपेक्षित क्षतिग्रस्तता हानि छूट को वहन करता है।

[ग] समूह को मुख्यतः अपने ऋण देने के प्रचालनों के माध्यम से क्रेडिट जोखिम का खतरा है। इसका विवरण नीचे दिए गए उपखंडों (नोट 41.2.1.1 - नोट 41.2.1.12) में दिया गया है।

41.2.1.1 ऋण प्रचालनों के लिए क्रेडिट जोखिम प्रबंधन दृष्टिकोण

(क) पीएफसी के संबंध में

पीएफसी ने क्रेडिट जोखिम के प्रबंधन के लिए प्रमुख नीतियां एवं प्रक्रियाएं स्थापित की हैं, जिसमें क्रेडिट नीतियां तैयार करना, क्रेडिट जोखिम एक्सपोजर के लिए पीएफसी की अभिलाषा का मार्ग-दर्शन करना, क्रेडिट जोखिम की समीक्षा एवं वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन करना तथा निष्पादन एवं पोर्टफोलियो के प्रबंधन की मॉनीटरिंग करना शामिल है। कंपनी की सभी प्रक्रियाएं एवं प्रणालियां आईएसओ 9001:2015 प्रमाणित हैं।

क्रेडिट जोखिम प्रबंधन में दो प्रमुख क्षेत्र अर्थात परियोजना मूल्यांकन एवं परियोजना मॉनीटरिंग शामिल हैं। कंपनी द्वारा अनुमोदित क्रेडिट नीति के अनुसरण में कंपनी ऋणकर्ताओं का चयन करती है, जो अन्य बातों के साथ ऋणकर्ता/परियोजना के वर्गीकरण के लिए विचार किए जाने वाले कारकों को परिभाषित करती है। पीएफसी के ग्राहक चयन प्रक्रिया परियोजना को प्रमोट करने वाली संस्था की लाभप्रदता सहित परियोजना की लाभप्रदता का मूल्यांकन करती है। ब्याज दर तथा अधिकतम अनुमत एक्सपोजर अन्य बातों के साथ पीएफसी द्वारा प्रदान किए गए आंतरिक वर्गीकरण पर आधारित है।

(i) **परियोजना मूल्यांकन**

किसी परियोजना को वित्तीयपोषित करने से पूर्व क्रेडिट जोखिम का मूल्यांकन करने के लिए पीएफसी सुव्यवस्थित, संस्थानिक परियोजना मूल्यांकन प्रक्रिया का अनुसरण करती है।

समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

(क) निजी क्षेत्र की विद्युत परियोजनाओं के लिए मूल्यांकन

निजी क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए दो-चरण मूल्यांकन प्रक्रिया अपनाई जाती है। शुरू में विस्तृत मूल्यांकन के लिए चुनने हेतु परियोजना की प्रथम दृष्टया तत्परता का निर्धारण करने के लिए प्रारंभिक मूल्यांकन किया जाता है। प्रारंभिक मूल्यांकन के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा चुनी गई परियोजनाओं के लिए विस्तृत मूल्यांकन किया जाता है।

परियोजना की लाभप्रदता के मूल्यांकन के साथ पीएफसी इक्विटी का योगदान करने तथा परियोजना को पूर्ण करने के लिए उसके प्रमोटर (प्रमोटरों) के सामर्थ्य का भी मूल्यांकन करती है। पीएफसी एकीकृत रेटिंग विधि का अनुसरण करती है, जिसमें परियोजना ग्रेडिंग और प्रमोटर ग्रेडिंग के स्कोरों के भारित औसत का उपयोग करते हुए एकीकृत रेटिंग (आईआर) की गणना की जाती है। परियोजना की एकीकृत रेटिंग (आईआर) के आधार पर निबंधन और शर्तें (प्रतिभूति पैकेज और ब्याज दर सहित) निर्दिष्ट किए जाते हैं।

(ख) राज्य क्षेत्र की विद्युत परियोजनाओं के लिए मूल्यांकन

राज्य क्षेत्र की विद्युत परियोजनाओं को विस्तृत मूल्यांकन के लिए यह निर्धारित करने के लिए चुना जाता है कि क्या यह तकनीकी - आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ तथा राज्य की एकीकृत विद्युत विकास एवं विस्तार योजनाओं के अनुकूल है।

पीएफसी प्रचालनात्मक एवं वित्तीय कार्य-निष्पादन को शामिल करते हुए विशिष्ट पैरामीटरों के विरूद्ध विद्युत संस्था के कार्य-निष्पादन के मूल्यांकन के आधार पर राज्य विद्युत उत्पादन एवं पारेषण संस्था को विभिन्न जोखिम रेटिंग ग्रेड में वर्गीकृत करती है। पारेषण संस्थाओं के संबंध में, पीएफसी इसकी नीति के अनुसार इसकी सहायक कंपनी आरईसीएल का वर्गीकरण अपनाती है। एकीकृत विद्युत संस्था सहित राज्य विद्युत वितरण संस्था के संबंध में पीएफसी की वर्गीकरण नीति पीएफसी की रेटिंग संरचना के अंतर्गत रेटिंग/ग्रेडिंग के साथ ऐसी रेटिंग/ग्रेडिंग को संरेखित करके विद्युत मंत्रालय की एकीकृत रेटिंग अपनाने का प्रावधान करती है।

क्रेडिट एक्सपोजर सीमा, प्रतिभूति की आवश्यकताओं तथा राज्य क्षेत्र के ऋणकर्ताओं को प्रदान किए गए ऋणों के मूल्य के निर्धारण के लिए इन श्रेणियों/वर्गीकरणों का प्रयोग किया जाता है। पीएफसी ने एकल ऋणकर्त्ता के लिए एक्सपोजर तथा राज्य के अंदर एक्सपोजर की मॉनीटरिंग के लिए भी तंत्र स्थापित किया है।

विस्तृत परियोजना मूल्यांकन में विभिन्न पहलुओं जैसे कि परियोजना इनपुट, सांविधिक एवं गैर-सांविधिक स्वीकृतियों, संविदाओं, परियोजना लिंकेज, वित्तीय मॉडल/प्रक्षेपण, प्रतिफलों की गणना, संवेदनशीलता विश्लेषण आदि को शामिल करते हुए तकनीकी एवं वित्तीय मूल्यांकन शामिल होता है।

उपर्युक्त विस्तृत विश्लेषण के बाद, परियोजना एवं संस्था की समग्र लाभप्रदता का मूल्यांकन किया जाता है और पूर्व प्रतिबद्धता, पूर्व संवितरण आदि के रूप में विभिन्न शर्तें निर्धारित की जाती हैं ताकि निधियों (ऋण एवं इक्विटी दोनों), सभी भौतिक इनपुट, सभी संविदाओं की उपयुक्तता, परियोजना से संबंधित करारों/संविदाओं/सांविधिक एवं गैर-सांविधिक स्वीकृतियों में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके और सामान्य तौर पर परियोजना की ऋण ग्राह्यता एवं ऋण के समय से चुकौती के लिए ऋणकर्ता के रूप में कंपनी के ब्याज के संरक्षण का सुनिश्चय हो सके। पीएफसी की ऋण के परिमाण के आनुपातिक क्रेडिट सुविधाओं के अनुमोदन और नवीकरण के लिए एक अधिकृत/प्रतिनिधान संरचना है।

(ii) प्रतिभूति एवं प्रसंविदाएं

पीएफसी परियोजना के निर्माण तथा सीओडी (वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख) पश्चात अवधि के दौरान विभिन्न प्रकार के जोखिमों के उपशमन के लिए प्रतिभूति उपायों/प्रसंविदाओं का पैकेज निर्धारित करती है। परियोजना की जोखिम प्रवृत्ति और मूल्यांकन के आधार पर, पीएफसी निम्नलिखित उपायों के संयोजन को अपनाती है:

(क) प्राथमिक प्रतिभूति - परियोजना परिसंपत्तियों पर प्रभार

(ख) संपार्श्विक प्रतिभूति - कॉर्पोरेट गारंटी, राज्य सरकार की गारंटियां, प्रमोटरों की निजी गारंटियां, प्रमोटरों के शेयरों को जमानत पर रखना, समूह/अन्य कंपनियों की परिसंपत्तियों/राजस्वों पर प्रभार

(ग) भुगतान प्रतिभूति तंत्र - एस्क्रो खाता/साख पत्र, ट्रस्ट एंड रिटेंशन खाता (टीआरए)

(घ) अन्य प्रसंविदाएं - कंपनी के पक्ष में सभी परियोजना संविदाओं, दस्तावेजों, बीमा पॉलिसियों का समनुदेशन, अग्रिम इक्विटी अपेक्षाएं, ऋण चुकौती रिजर्व खाता (डीएसआरए), ऋण इक्विटी अनुपात, शेयरधारकों के करार, वित्तीय समापन आदि।

(iii) परियोजना की मॉनीटरिंग

पीएफसी में एक व्यापक परियोजना मॉनीटरिंग तंत्र है जो परियोजना कार्यान्वयन की मॉनीटरिंग करता है और खोज-खबर लेता है तथा जोखिमों की पहचान करता है जहां समय एवं लागत आधिक्य तथा संवितरण में परिणामी स्लिपेज को न्यूनतम करने के लिए दखल देने की आवश्यकता होती है।

राज्य क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए प्रगति मॉनीटरिंग रिपोर्टों, स्थल के दौरों, ऋणकर्ताओं के साथ चर्चा, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) की वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना/रिपोर्टों आदि के माध्यम से समय-समय पर ऋणकर्त्ताओं से प्राप्त परियोजनाओं के बारे में प्रगति के ब्योरों के आधार पर मॉनीटरिंग की जाती है।

समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

निजी क्षेत्र के लिए जहां कंपनी प्रमुख वित्तीय संस्था है, कंपनी ऋणदाता के इंजीनियर (एलई) और ऋणदाता के वित्तीय सलाहकार (एलएफए), तैनात करती है, जो स्वतंत्र एजेंसियां हैं, जो विभिन्न ऋणदाता तथा कंसोर्शियम के सदस्यों की ओर से काम करती हैं। ऋणकर्ता का इंजीनियर स्थल का आवधिक दौरा करता है और ऋणदाता के साथ चर्चा तथा संगत दस्तावेजों के निरीक्षण/समीक्षा के बाद परियोजना की प्रगति पर रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। ऋणदाता का वित्तीय सलाहकार आवधिक आधार पर परियोजना में निधियों के उपयोग तथा निधि प्रवाह का विवरण प्रस्तुत करता है। जिन मामलों में कंपनी प्रमुख वित्तीय संस्था नहीं है, एलई और एलएफ, की सेवाओं से संबंधित कार्यों का समन्वय प्रमुख ऋणदाता के साथ किया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त, कुछ परियोजनाओं की समेकित आवधिक प्रगति रिपोर्ट तैयार की जाती है, जिसमें महत्वपूर्ण प्रेक्षण/मुद्दे शामिल होते हैं जैसे कि सरोकार के क्षेत्र, विलंब के कारण, परियोजना को प्रभावित करने वाले मुद्दे, कार्यान्वयन आदि तथा नियमित आधार पर कंपनी द्वारा समीक्षा की जाती है।

पीएफसी ऋणकर्ताओं की देरी और/या चूक तथा उनकी वसूलनीयता की लगातार मॉनीटरिंग करती है। ऋणकर्ता के लेखा में चूक होने पर कंपनी चूक को दुरुस्त करने के लिए आवश्यक कदम शुरू करती है जिसमें आरबीआई को विशेष वर्णित लेखा (एसएमए) की रिपोर्टिंग, बड़े क्रेडिट पर सूचना के केंद्रीय रिपॉजिटरी को रिपोर्टिंग (सीआरआईएलसी), सभी अतिदेय की वसूली द्वारा लेखा को नियमित करना, देयों की वसूली के लिए गारंटियों/प्रतिभूतियों का उपयोग करना, ऋण करार के अनुसार ऋण को इक्विटी में परिवर्तित करना, ऋण लेखा का पुनर्गठन, ऋणकर्ता के साथ समाधान योजना तैयार करना, स्वामित्व में परिवर्तन, कॉर्पोरेट इनसोल्वेंसी तंत्र जैसे मामले को कानूनी कार्रवाई के लिए ऋण वसूली अधिकरण (डीआरटी), एसएआरएफएईएसआई, राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी) (आईबीसी - 2016) आदि के समक्ष संदर्भित करना तथा आरबीआई रूपरेखा के अंतर्गत निर्दिष्ट अन्य कदम शामिल हैं, परंतु इतने तक ही सीमित नहीं है।

(ख) सहायक कंपनी, आरईसीएल के संबंध म

क्रेडिट जोखिम का प्रबंधन विभिन्न स्तरों, जिनमें मूल्यांकन, संवितरण तथा संवितरण पश्चात् मॉनीटरिंग चरण शामिल हैं, पर किया जाता है। आरईसीएल में एकीकृत रेटिंग दिशानिर्देश और व्यापक जोखिम प्रबंधन नीति मौजूद है। इस जोखिम के उपशमन के लिए कंपनी क्रेडिट जोखिम का मूल्यांकन करने हेतु व्यवस्थित संस्थानिक एवं परियोजना मूल्यांकन प्रक्रिया का अनुसरण करती है। इन प्रक्रियाओं में विस्तृत मूल्यांकन प्रणाली, जोखिमों की पहचान तथा उपयुक्त संरचना एवं क्रेडिट जोखिम उपशमन के उपाय शामिल हैं। इसके अतिरिक्त नियमित आधार पर परियोजना के जोखिमों की समीक्षा की जाती है तथा परियोजना जोखिम वर्गीकरण रूपरेखा के अनुसार जोखिम के विभिन्न पैरामीटरों तथा परियोजना के एक्सपोजर के आधार पर अधिक/साधारण/कम के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। क्रेडिट जोखिम प्रबंधन की प्रक्रिया निम्नानुसार है:

(i) आरईसीएल की ''एकीकृत रेटिंग दिशा-निर्देश'' तथा ''व्यापक जोखिम प्रबंध नीति'' है जिसमें क्रेडिट मूल्यांकन, जोखिम की ग्रेडिंग, कोलेटरल की आवश्यकता रिपोर्टिंग, निधियों के अंतिम उपयोग की मॉनीटरिंग आदि शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, विधिक जोखिम के प्रभावी प्रलेखन एवं उपशमन के सुनिश्चय के लिए स्वतंत्र ऋणदाता के लीगल काउंसल नियुक्त किए जाते हैं।

(ii) निजी क्षेत्र की सभी मौजूदा परियोजनाओं के लिए, जहां आरईसी प्रमुख वित्तीय संस्था है, आरईसीएल ऋणदाता स्वतंत्र इंजीनियर (एलआईई), ऋणदाता के वित्तीय सलाहकार (एलएफए) और ऋणदाता के बीमा सलाहकार (एलआईए) तैनात करती है, जो स्वतंत्र एजेंसियां हैं, जो विभिन्न ऋणदाताओं तथा कंसोर्शियम के सदस्यों की ओर से काम करती हैं। ऋणदाता का इंजीनियर स्थल का आवधिक दौरा करता है और ऋणकर्ता के साथ चर्चा तथा संगत दस्तावेजों के निरीक्षण/समीक्षा के बाद परियोजना की प्रगति पर रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। ऋणदाता का वित्तीय सलाहकार आवधिक आधार पर परियोजना में निधियों के उपयोग तथा निधि प्रवाह का विवरण प्रस्तुत करता है। जिन मामलों में कंपनी प्रमुख वित्तीय संस्था नहीं है, एलआईई और एलएफए, की सेवाओं से संबंधित कार्यों का समन्वय प्रमुख ऋणदाता के साथ किया जा रहा है।

आरईसीएल, वित्तीयपोषित की जा रही नई परियोजनाओं के लिए एक पृथक परियोजना प्रबंधन एजेंसी (पीएमए) नियुक्त करने का प्रयास भी करती है, जो एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय के लिए ऋणदाता के स्वतंत्र इंजीनियर (एलआईई)/परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता (पीएमसी), ऋणदाता के वित्तीय सलाहकार तथा ऋणदाता के बीमा सलाहकार का संपूर्ण कार्य करती है। पीएमए को परियोजना की प्रगति की निगरानी, ईपीसी/गैर-ईपीसी संविदाओं और बीजकों की समीक्षा, निधियों के उपयोग और परियोजना के लिए बीमा की समीक्षा के लिए परियोजना स्थल पर तैनात किया जाता है। पीएमए मूल उपकरण विनिर्माताओं/आपूर्तिकर्ताओं, संयुक्त निर्माण ठेकेदारों के बिलों का सत्यापन भी करती है और संवितरण के लिए अपनी संस्तुति प्रदान करती है। परियोजना की वास्तविक लागत और सीओडी सहित तकनीकी और वित्तीय मापदंडों की शुद्धता को ध्यान में रखते हुए पीएमए द्वारा आरंभ में सम्यक तत्परता भी बरती जाती है।

आरईसी/ऋणदाता द्वारा दवाबग्रस्त परियोजनाओं के लिए ट्रस्ट एवं रिटेंशन खाता (टीआरए) की प्रभावी निगरानी के लिए मामला दर मामला आधार पर विशिष्ट निगरानी के लिए समवर्ती लेखापरीक्षकों/एजेंसियों/नकदी प्रवाह निगरानी एजेंसियों की नियुक्ति भी की जा रही है।

(iii) क्रेडिट की सुविधाओं के अनुमोदन एवं नवीकरण के लिए आरईसीएल में एक प्राधिकार संरचना है। जांच समिति की सिफारिश के आधार पर सीएमडी/कार्यपालक समिति/ऋण समिति/निदेशक मंडल के स्तर पर व्यवसाय प्रस्ताव के आकार के अनुपात में परिशोधन की सीमाएं स्थापित की गई हैं।

(iv) उपयुक्त ब्याज दर और प्रतिभूति पैकेज प्रभारित करके आरईसीएल ने चूक की जोखिम की मात्रा के अनुसरण में अपने एक्सपोजर को वर्गीकृत करने के लिए जोखिम ग्रेडिंग संरचना का विकास किया है।

समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

(v) जोखिम प्रबंधन समिति तथा बोर्ड को ऋण पोर्टफोलियो की क्रेडिट गुणवत्ता पर नियमित रिपोर्टें प्रदान की जाती हैं, जिसके लिए उपयुक्त सुधारात्मक कदम उठाने की आवश्यकता हो सकती है।

(vi) क्रेडिट जोखिम के प्रबंधन के लिए पूरी कंपनी में विशेषज्ञों के कौशल को बढ़ावा देने के लिए विशेषज्ञ कौशल उपलब्ध कराने के साथ व्यवसाय यूनिटों द्वारा अपनाए जा रहे दिशा-निर्देशों, नीति तथा मौजूदा पद्धतियों की समीक्षा के लिए समय-समय पर बाहरी एजेंसियां नियुक्त की जाती हैं।

(vii) संबंधित व्यवसाय यूनिट द्वारा ऋणकर्ताओं को सुविधाओं की प्रतिबद्धता करने से पूर्व निर्दिष्ट सीमा के विरुद्ध व्यक्तिगत एवं ग्रुप के क्रेडिट एक्सपोजर का मूल्यांकन किया जाता है। अतिरिक्त सुविधाओं की संस्वीकृति भी समान समीक्षा प्रक्रिया के अधीन होती है।

(viii) आरईसीएल ऋणकर्ताओं एवं अन्य समकक्षों के विलंब और/या चूक तथा उनकी वसूलनीयता की लगातार मॉनीटरिंग करती है। ऋणकर्ता के लेखा में चूक होने पर कंपनी चूक को दुरुस्त करने के लिए आवश्यक कदम शुरू करती है, जिसमें आरबीआई को विशेष वर्णित लेखा (एसएमए) की रिपोर्टिंग, बड़े क्रेडिट पर सूचना के केंद्रीय रिपॉजिटरी को रिपोर्टिंग (सीआरआईएलसी) आदि, टीआरए खाते की निगरानी, ऋण करार के अनुसार ऋण को इक्विटी में परिवर्तित करना, ऋण लेखा का पुनर्गठन, ऋणकर्ता के साथ समाधान योजना तैयार करना, स्वामित्व में परिवर्तन, कॉर्पोरेट इंसोल्वेंसी समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी), अन्य एंटिटियों/निवेशकों को एक्सपोजर की बिक्री और देयों की वसूली के लिए गारंटियों/प्रतिभूतियों का उपयोग करने सहित अन्य वसूली तंत्र शामिल हैं परंतु इतने तक ही सीमित नहीं है।

41.2.1.2 क्रेडिट जोखिम मापन - क्षतिग्रस्तता आकलन

इंड एएस 109 शुरूआती मान्यता के बाद क्रेडिट जोखिम में परिवर्तन के आधार पर क्षतिग्रस्तता के मापन के लिए तीन चरण मॉडल रेखांकित करता है। समूह अपने ऋणकर्ताओं के विभिन्न चरणों में वर्गीकरण के लिए निम्नलिखित आधार का उपयोग करता है:

- वित्तीय लिखत जो शुरूआती मान्यता पर क्रेडिट की दृष्टि से क्षतिग्रस्त नहीं है, को 'चरण-I' में वर्गीकृत किया जाता है।
- यदि क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि (एसआईसीआर) की पहचान की जाती है, तो वित्तीय लिखत को 'चरण-II' में हस्तांतरित किया जाता है।
- यदि वित्तीय लिखत क्रेडिट की दृष्टि से क्षतिग्रस्त होता है, तो उसे 'चरण-III' की श्रेणी में हस्तांतरित किया जाता है।

(क) पीएफसी के मामले में

पीएफसी लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वर्गीकृत न की गई वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए अपेक्षित क्रेडिट क्षति (ईसीएल) मॉडल का प्रयोग करके क्षतिग्रस्तता हानि छूट को मान्य करती है।

I. **डिफॉल्ट:** इंड एएस 109 के अनुसरण में, पीएफसी किसी वित्तीय लिखत को डिफॉल्ट के रूप में परिभाषित करने के लिए रिब्यूटेबल पूर्वानुमान पर विचार करता है अर्थात् जब ऋण खाता पर भुगतान इसकी अनुबंधित चुकौती से 90 से अधिक के लिए देय हो जाता है। क्रेडिट क्षतिग्रस्त वित्तीय परिसंपत्तियों को डिफॉल्ट की परिभाषा के साथ सुमेलित किया जाता है।

II. **एसआईसीआर:** वित्तीय लिखत की शेष उपयोगिता अवधि में होने वाली चूक के जोखिम में परिवर्तन पर विचार करते हुए रिपोर्टिंग की प्रत्येक तारीख को इस बात का मूल्यांकन किया जाता है कि क्या आरंभिक मान्यता के बाद क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। इंड एएस 109 के अनुसरण में, पीएफसी रिब्यूटेबल पूर्वानुमान का प्रयोग करता है, जिसमें क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि के निर्धारण के लिए 30 दिनों से अधिक के देय को एक मापदंड माना जाता है। पीएफसी, क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि को दर्शाने वाले किसी अन्य पालनीय इनपुट पर भी विचार करता है।

III. **अपेक्षित क्रेडिट क्षति (ईसीएल) का मापन:**
12 माह या आजीवन आधार पर ईसीएल का मापन किया जाता है जो इस बात पर निर्भर होता है कि क्या शुरूआती मान्यता के बाद क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। ईसीएल चूक की संभाव्यता (पीडी), निश्चित चूक हानि (एलजीडी) और चूक पर एक्सपोजर (ईएडी) का गुणनफल है। इंड एएस 109 के अनुसार ईसीएल के आकलन के लिए वित्तीय वर्ष के दौरान, पीएफसी ने स्वतंत्र एजेंसी का एनालिटिक्स लि. को नियुक्त किया है। ईसीएल की गणना के लिए संक्षिप्त कार्यप्रणाली निम्नानुसार है:-

(i) चूक की संभाव्यता (पीडी)

पीडी किसी निश्चित समय सीमा में चूक की संभावना का अनुमान है। इसका अनुमान किसी समय पर लगाया जाता है। 12 माह के पीडी का मूल्यांकन करने के लिए अगले 12 माह में ऋण में चूक संबंधी संभाव्यता का सुनिश्चय किया जाता है और इसी तरह आजीवन पीडी का मूल्यांकन करने के लिए चूक करने वाले ऋण के शेष अवधि में उसकी संभाव्यता का सुनिश्चय किया जाता है।

चरण-I लेखा के लिए 12 माह के पीडी का प्रयोग किया जाता है।

चरण-II के क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि वाले लेखा के लिए आजीवन पीडी का प्रयोग किया जाता है।

चरण-III के क्षतिग्रस्त क्रेडिट लेखा के लिए 100% पीडी लिया जाता है।

समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

12 माह के पीडी के लिए: ईसीएल के मूल्यांकन के लिए बाह्य रेटिंग ग्रेडों (आईसीआरए की रेटिंग ट्रांसमिशन मैट्रिक्स के भाग के रूप में प्रकाशित) के साथ यथासंबद्ध पीडी का उपयोग किया गया है। राज्य क्षेत्र के ऋणकर्ताओं के मामले में, इसका निर्धारण कंपनी की आंतरिक रेटिंग के साथ मैपिंग के आधार पर किया गया है। जबकि निजी क्षेत्र के ऋणकर्ताओं के मामले में, इसका निर्धारण विभिन्न क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा यथाप्रकाशित नवीनतम बाह्य रेटिंग के साथ मैपिंग के आधार पर किया गया है। निजी क्षेत्र के ऋणकर्ताओं के लिए बाह्य रेटिंग उपलब्ध न होने के मामले में, 12 माह के पीडी की गणना एजेंसी द्वारा विकसित किए गए प्रॉक्सी रिस्क स्कोरिंग मॉडल के माध्यम से की गई है। उक्त मॉडल में गियरिंग (ऋण/इक्विटी), नियोजित पूंजी पर प्रतिफल, ब्याज कवरेज अनुपात, ऋण से ईबीआईटीडीए अनुपात तथा गुणवत्तात्मक मापदंडों से प्लांट लोड फैक्टर, एलएएफ और एसीएस एआरआर गैप जैसे वित्तीय अनुपातों का उपयोग किया जाता है।

आजीवन पीडी के लिए: रेटिंग ग्रेड की आजीवन पीडी की गणना के लिए मारकोव चेन मॉडल का उपयोग किया गया है।

(ii) **निश्चित चूक हानि (एलजीडी)**

एलजीटी हानि का कारक है जिसे कंपनी अनुभव कर सकती है यदि चूक होती है।

राज्य क्षेत्र के ऋणकर्ताओं के मामले में, एलजीडी को राज्य जीडीपी और राजकोषीय घाटे पर विचार करते हुए जोखिम श्रेणी के आधार पर नियत किया गया है।

निजी क्षेत्र के ऋणकर्ताओं के मामले में, एलजीडी को उत्पादन परियोजनाओं के मामले में प्रति यूनिट परियोजना लागत, परियोजना के पूरा किए जाने के कार्य का प्रतिशत, परियोजना की क्षमता जैसे कारकों और पारेषण एवं वितरण परियोजनाओं के मामले में परिसंपत्तियों के बही मूल्य के आधार पर मूल्यांकित किया गया है। इसके पश्चात्, सीईआरसी द्वारा यथाप्रकाशित परिसंपत्तियों की उपयोगिता अवधि के आधार पर स्ट्रेस कारकों और मूल्यहास का प्रयोग करते हुए उक्त मूल्यांकित मूल्य की छूट दी गई है। इसके अलावा, अन्य प्रकार की परियोजनाओं के मामले में चरण-वार औसत एलजीडी का उपयोग किया गया था।

चरण III के ऋणकर्ताओं के लिए, प्रचालनरत परियोजनाओं के लिए बट्टागत अनुमानित नकदी प्रवाह विश्लेषण तथा परिसमापन के अधीन परियोजना के लिए परिसंपत्ति मूल्यांकन के आधार पर एलजीडी का मूल्यांकन किया गया है।

(iii) **चूक पर एक्सपोजर (ईएडी)**

यह बकाया एक्सपोजर है जिस पर ईसीएल की गणना की जाती है। ईएडी में ऋण के संबंध में बकाया मूलधन तथा प्रोद्भूत ब्याज शामिल होता है।

(iv) **ईसीएल के मापन में प्रयुक्त प्रमुख पूर्वानुमान**

- पीएफसी आधार तारीख के रूप में शुरूआती मान्यता की तारीख पर विचार करती है, जिससे क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि का निर्धारण किया जाता है।
- चूंकि पीएफसी को अपने किसी ऋणकर्ता को किसी संस्वीकृत परंतु अनाहरित लिमिट को निरस्त करने का अधिकार है, इसलिए रिपोर्टिंग की तारीख को ईएडी को बकाया अधिशेष के रूप में माना जाता है।

(v) जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि का मूल्यांकन और ईसीएल की गणना, दोनों अग्रदर्शी सूचना में शामिल होते हैं। इसके अलावा, क्रेडिट रेटिंग मॉडलों में भी विभिन्न वित्तीय अनुपातों और परियोजना के पूरा होने के समय में विस्तार को ध्यान में रखते हुए ऋणकर्ताओं को दी जाने वाली क्रेडिट रेटिंग के निर्धारण में अग्रदर्शी जानकारी पर विचार किया जाता है। इसी प्रकार, बुनियादी मामला परिदृश्य पीएफसी के लिए ईसीएल की गणना के लिए सबसे उपयुक्त आधार को दर्शाता है।

(ख) सहायक कंपनी, आरईसीएल के मामले में,

ऋण परिसंपत्तियों पर क्षतिग्रस्तता हानि छूट इंड एएस 109 के अनुसार आरईसीएल के बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसरण में प्रदान की जाती है, जिसमें क्रेडिट गुणवत्ता में सुधार/विकृति के आकलन के लिए प्रमुख वित्तीय और प्रचालनात्मक मापदंडों के आधार पर क्रेडिट जोखिम मापा जाता है। आरईसीएल प्रबंधन का आदर्श उत्पादन (आउटपुट) तक का आच्छादन, यदि कोई हो, का आरईसीएल की लेखापरीक्षा समिति द्वारा विधिवत प्रलेखन किया जाता है और अनुमोदन दिया जाता है। अपेक्षित क्रेडिट हानि (ईसीएल) का मूल्यांकन एक स्वतंत्र एजेंसी, आईसीआरओ एनालिटिक्स लिमिटेड (पूर्ववर्ती आईसीआरए ऑनलाइन लिमिटेड) द्वारा किया जाता है।

I. आरईसीएल में राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और राज्य विद्युत संस्थाओं के लिए ग्रेडिंग की एक आंतरिक प्रणाली मौजूद है। तथापि, वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के लिए, आरईसीएल विद्युत मंत्रालय द्वारा दी गई रेटिंग, जब भी वे अद्यतन की जाती हैं, को अपनाती है। इन रेटिंग्स को रेटिंग ट्रांजिशन मैट्रिक्स के भाग के रूप में विभिन्न क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा प्रकाशित बाह्य रेटिंग ग्रेडों के साथ मैप किया जाता है। निजी ऋणकर्ताओं के लिए, आरईसीएल विभिन्न क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा प्रकाशित रेटिंग या ऐसी रेटिंग उपलब्ध न होने पर प्रॉक्सी रिस्क स्कोरों का उपयोग करती है। प्रॉक्सी रिस्क मॉडल में निम्नलिखित मापदंडों पर विचार किया जाता है:-

समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

- मात्रात्मक कारक
  - ऋण/ईबीआईटीडीए (30% वेटेज)
  - प्रयुक्त पूंजी पर प्रतिफल (15% वेटेज)
  - ब्याजगत कवरेज (25% वेटेज)
  - गियरिंग (ऋण/इक्विटी) (30% वेटेज)
- गुणात्मक कारक
  - पीपीए, पीएलएफ, एसीएस - एआरआर गैप, और एलएएफ जैसे तिमाही वार प्रचालनात्मक मापदंड
  - चूक की वास्तविक तारीख, ऋण पुनर्गठन का ब्योरा
  - परियोजना की स्थिति

II. क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि (एसआईसीआर)

आरईसीएल किसी वित्तीय लिखत पर क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि तब मानती है जब उस वित्तीय लिखत पर भुगतान संविदात्मक भुगतान से 30 दिनों से अधिक के लिए अतिदेय है। तथापि, विगत आंकड़ों के आधार पर, यह देखा गया है कि 30 दिनों से अधिक की अवधि के लिए ऐसी अतिदेय राशि राज्य विद्युत संस्थाओं के लिए क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि का द्योतक नहीं है। इसलिए, आरईसीएल ने यह मानदंड केवल निजी संस्थाओं के लिए उपयोग किया है। तथापि, 60 दिनों से अधिक और 90 दिनों से कम की अवधि के लिए अतिदेय वाले राज्य क्षेत्र के ऋणकर्ताओं के मामले में, ऋणकर्ता के जोखिम के बारे में बेहतर विवरण प्राप्त करने के लिए मॉडल का उपयोग करके गणना की गई बाह्य रेटिंग या रिस्क स्कोर को एक नोच स्तर नीचे कर दिया जाएगा।

III. कम क्रेडिट जोखिम छूट

इंड-एएस यह मानने के लिए एक अभीष्ट सरलीकरण प्रदान करता है कि किसी वित्तीय परिसंपत्ति पर क्रेडिट जोखिम आरंभिक मान्यता के बाद सारवान रूप से नहीं बढ़ा है (और इस प्रकार चरण 1 में बना रहता है) यदि यह माना जाता है कि रिपोर्टिंग की तारीख को वित्तीय परिसंपत्ति का क्रेडिट जोखिम कम है।

क्रेडिट जोखिम को उस समय 'कम' माना जाता है जब वित्तीय लिखत में चूक का कम जोखिम होता है, निकट भविष्य में ऋणकर्ता के पास संविदात्मक नकदी प्रवाह की अपनी बाध्यताओं को पूरा करने के लिए मजबूत क्षमता है और दीर्घावधि में आर्थिक एवं व्यवसाय की स्थितियों में प्रतिकूल परिवर्तन से संविदात्मक नकदी प्रवाह की अपनी बाध्यताओं को पूरा करने में ऋणकर्ता का सामर्थ्य कम हो सकता है परंतु अनिवार्य रूप से नहीं होगा।

आरईसीएल एए से ए की बाहरी क्रेडिट रेटिंग वाली ऋण परिसंपत्तियों को कम क्रेडिट जोखिम वाली परिसंपत्ति मानता है। इसके अतिरिक्त, कंपनी ने सभी राज्य विद्युत संस्था के लिए कम क्रेडिट जोखिम छूट ली है क्योंकि यह मानती है कि मुख्य रूप से राज्य क्षेत्र में चूक/हानि की कम घटना तथा कुछ ऋणों में सरकारी गारंटी की उपलब्धता के कारण निजी क्षेत्र को ऋण देने की तुलना में राज्य क्षेत्र को ऋण देने में क्रेडिट जोखिम कम है। इसके अतिरिक्त, इन परियोजनाओं में सरकारी हित मौजूद होने से देय राशि की वसूली न होने का जोखिम कम होता है।

IV. चूक तथा क्रेडिट क्षतिग्रस्तता परिसंपत्तियों की परिभाषा

आरईसीएल किसी वित्तीय लिखत को चूक के अधीन परिभाषित करती है, जो क्षतिग्रस्तता क्रेडिट की परिभाषा से पूर्णतः संरेखित है, जब ऋण लेखा संविदात्मक भुगतान पर 90 दिन से अधिक या आरईसीएल द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी परिपत्र के अनुसरण में अनुमेय की गई किसी अवधि के लिए अतिदेय होता है।

V. ईसीएल का मापन - इनपुट का स्पष्टीकरण, मान्यताएं तथा अनुमान की तकनीकें

अपेक्षित क्रेडिट क्षति चूक की संभावना (पीडी), चूक पर एक्सपोजर (ईएडी) तथा निश्चित चूक क्षति (एलजीडी) की देन है जिसे निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:

- पीडी अगले 12 माह में या लिखत के शेष काल में अपनी बाध्यता पर ऋणकर्ता के चूक करने की संभावना का प्रतिनिधित्व
- ईएडी बकाया मूलधन, प्रोद्भूत ब्याज और बकाया चुकौती आश्वासन पत्र सहित ऐसी राशियों को प्रदर्शित करती है जिन्हें आरईसीएल चूक के समय प्राप्त करने की उम्मीद करती है।
- एलजीडी चूक होने की स्थिति में आरईसीएल की क्षति की अपेक्षा दर्शाता है। एलजीडी को प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है और यह राशि के उस अनुपात को दर्शाता है जिसकी चूक के मामले में वसूलियों के बाद वास्तव में हानि हुई है।

VI. चूक की संभावना (पीडी) का निर्धारण

आरईसीएल ने और वार्षिक औसत परिवर्तन मैट्रिक्स तैयार करने के लिए आईसीआरए द्वारा प्रकाशित ट्रांजिशन मैट्रिक्स का विश्लेषण किया है। ऋण की अवधि/परिपक्वता प्रोफाइल अर्थात आजीवन पीडी के अनुसार विभिन्न रेटिंग ग्रेडों की चूक की आजीवन संभावना पर पहुंचने के लिए इस वार्षिक परिवर्तन मैट्रिक्स का बहिर्वेशन किया गया।

समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

VII. निश्चित चूक हानि (एलजीडी) गणना मॉडल

विगत रुझान, अनुसंधान तथा उद्योग बेंच मार्किंग के आधार पर आरईसीएल ने एलजीडी मॉडल का निर्माण किया है। एलजीडी मॉडल में जिन कारकों की समीक्षा की गई उनमें प्रति यूनिट परियोजना लागत, पीपीए स्टेटस, एफएसए स्टेटस आदि शामिल हैं। आंतरिक अनुसंधान के आधार पर आरईसीएल ने इन कारकों को निजी क्षेत्र में ताप नवीकरणीय के लिए बैंचमार्क किया है। निजी क्षेत्र की पारेषण और वितरण कंपनियों के मामले में, एलजीडी के निर्धारण के लिए उपयुक्त पूर्वानुमानों का उपयोग करते हुए परिसंपत्तियों के प्राप्य मूल्य का निर्धारण किया गया था। राज्य सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए, आरईसीएल ने राज्य सहायता को शामिल किया है और यह माना है कि जैसा कि विगत में देखा गया है, राज्य विद्युत संस्थाओं की ऋण बाध्यताओं की चुकौती करने के लिए राज्य सरकारें आगे आएंगी।

VIII. चरण III परिसंपत्तियों के मामले में एलजीडी का सरेखण

चरण III परिसंपत्तियां, जहां चरण 3 के ऋण लेखा के लिए आरईसीएल तथा पीएफसी (समूह की कंपनियां) कंसोर्शियम में हैं, आरईसीएल निम्नलिखित आधार पर एलजीडी पर विचार करता है:

(क) ऐसे मामलों में जहां आरईसी या पीएफसी प्रमुख ऋणदाता है, प्रमुख ऋणदाता द्वारा परिकलित एलजीडी प्रतिशत अपनाया जाता है।

(ख) ऐसे मामलों में न तो आरईसी और न ही पीएफसी प्रमुख ऋणदाता है, आरईसी तथा पीएफसी द्वारा तैयार किए गए एलजीडी के उच्चतर प्रतिशत अपनाया जाता है।

IX. ईसीएल के मापन में प्रयुक्त प्रमुख धारणाएं

क) आरईसीएल आधार तारीख के रूप में शुरुआती मान्यता की तारीख पर विचार करती है, जिससे क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि का निर्धारण किया जाता है।

ख) ईएडी बकाया मूलधन, प्रोद्भूत ब्याज और बकाया चुकौती आश्वासन पत्र सहित ऐसी राशियों को प्रदर्शित करती है, जिन्हें आरईसीएल चूक के समय प्राप्त करने की उम्मीद करती है।

X. क्रेडिट जोखिम एक्सपोजर

विभिन्न क्रेडिट रेटिंग वाले ऋणकर्ताओं के संबंध में क्रेडिट जोखिम एक्सपोजर निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

बाह्य रेटिंग की रेंज	दिनांक 31.03.2020 की स्थिति के अनुसार				दिनांक 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार			
	चरण I	चरण II	चरण III	कुल	चरण I	चरण II	चरण III	कुल
एएए	37,832.86	-	-	37,832.86	-	-	-	-
एए	82,131.73	-	-	82,131.73	3,239.02	-	-	3,239.02
ए	71,840.30	-	-	71,840.30	56,158.84	-	-	56,158.84
बीबीबी	28,629.56	-	-	28,629.56	40,834.51	-	-	40,834.51
बीबी	60,555.15	36.22	-	60,591.37	57,967.67	519.32	-	58,486.99
बी	9,876.29	23.37	-	9,899.66	47,683.74	1,030.31	-	48,714.05
सी	2,215.02	29.68	-	2,244.70	46,119.65	2,862.99	-	48,982.64
डी	-	2,342.00	21,255.55	23,597.55	-	-	20,348.44	20,348.44
सरकारी ऋण	6,616.62	-	-	6,616.62	4,445.19	-	-	4,445.19
सकल उठाव राशि	**2,99,697.53**	**2,431.27**	**21,255.55**	**3,23,384.35**	**2,56,448.62**	**4,412.62**	**20,348.44**	**2,81,209.68**
हानि छूट	488.46	963.83	10,552.13	12,004.42	525.26	1,273.72	9,698.95	11,497.93
उठाव राशि	**2,99,209.07**	**1,467.44**	**10,703.42**	**3,11,379.93**	**2,55,923.36**	**3,138.90**	**10,649.49**	**2,69,711.75**

XI. संपार्श्विक और अन्य क्रेडिक परिवर्धन

आरईसीएल क्रेडिट जोखिम के उपशमन के लिए कई प्रकार की नीतियों एवं पद्धतियों का प्रयोग करता है। इनमें से सबसे आम संवितरित निधियों के लिए संपार्श्विक स्वीकार करना है। संपार्श्विक की विशिष्ट श्रेणियों की स्वीकार्यता या क्रेडिट जोखिम उपशमन पर कंपनी की आंतरिक नीतियां हैं। ऋणों एवं अग्रिमों के लिए संपार्श्विक के मुख्य प्रकार निम्नानुसार हैं:

- अचल संपत्तियों का मॉर्टगेज
- चल संपत्ति का हाइपोथिकेशन
- परियोजना संविदा दस्तावेजों का आबंटन
- लिखतों को गिरवी रखना जिसके माध्यम से परियोजना में प्रोमोटर का अंशदान शामिल किया जाता है
- प्रोमोटर की शेयरहोल्डिंग का गिरवी रखना
- प्रोमोटर्स की कॉर्पोरेट एवं निजी गारंटी

समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

41.2.1.3 क्रेडिट जोखिम विश्लेषण

(i) क्रेडिट जोखिम एक्सपोजर

तुलन-पत्र में मान्य ऋणों के लिए क्रेडिट जोखिम का सकल एक्सपोजर उनकी वहन राशि के बराबर होता है। ऋणों से उत्पन्न क्रेडिट जोखिम के संबंध में समूह के एक्सपोजर के लिए टिप्पणी 12 'ऋण' देखें।

जारी की गई वित्तीय गारंटी के लिए क्रेडिट जोखिम का अधिकतम एक्सपोजर ऐसी अधिकतम राशि है, जिसे कंपनी को भुगतान करना होगा यदि अप्रतिसंहार्य ऋण प्रतिबद्धताओं के लिए क्रेडिट जोखिम का अधिकतम एक्सपोजर प्रतिबद्धता की सुविधाओं की पूर्ण राशि है। गारंटी तथा बकाया संवितरण प्रतिबद्धताओं के एक्सपोजर के लिए टिप्पणी 49 देखें।

(ii) क्रेडिट जोखिम संकेद्रण

क्रेडिट संकेद्रण जोखिम का तात्पर्य ऐसे जोखिम से है जो किसी एक कंपनी या कंपनियों के किसी समूह के स्वामित्व, सेक्टर, क्षेत्र आदि के आधार पर इसके बड़े क्रेडिट/निवेश एक्सपोजर से संबद्ध होता है, जो ऋणदाता के मूल प्रचालनों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने की संभावना के साथ आर्थिक या अन्य परिस्थितियों में परिवर्तनों द्वारा समान रूप से प्रभावित होने वाली संविदात्मक बाध्यताओं को पूरा करने के लिए उनकी क्षमता को प्रभावित करेगा।

निम्नलिखित सारणी जोखिम की समान विशेषताओं के आधार पर कंपनी तथा इसकी सहायक कंपनी आरईसीएल के समग्र ऋण पोर्टफोलियो के जोखिम संकेंद्रण के विश्लेषण का वर्णन करती है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 की स्थिति के अनुसार		31.03.2019 की स्थिति के अनुसार	
	बकाया मूलधन	क्षतिग्रस्तता हानि छूट	बकाया मूलधन	क्षतिग्रस्तता हानि छूट*
स्वामित्व द्वारा संकेंद्रण				
राज्य क्षेत्र को ऋम (अर्थात् राज्य और/अथवा केंद्रीय सरकार के नियंत्रणाधीन संस्थाएं)	5,71,332.27	554.49	5,08,774.12	700.96
निजी क्षेत्र को ऋण	95,997.00	27,413.96	87,102.49	27,164.72
कुल	**6,67,329.27**	**27,968.45**	**5,95,876.61**	**27,865.68**

* ₹188.85 करोड़ (दिनांक 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार ₹186.71 करोड़) के चुकौती आश्वासन पत्र पर क्षतिग्रस्तता हानि छूट सहित।

कंपनी यह मानती है कि मुख्य रूप से राज्य क्षेत्र में चूक/हानि की कम घटना तथा कुछ ऋणों में सरकारी गारंटी की उपलब्धता के कारण निजी क्षेत्र को ऋण देने की तुलना में राज्य क्षेत्र को ऋण देने में क्रेडिट जोखिम कम है। इसके अतिरिक्त, इन परियोजनाओं में सरकारी हित मौजूद होने से देय राशि की वसूली न होने का जोखिम कम होता है।

41.2.1.4 ऋणों के संकेंद्रण और एक्सपोजर से संबंधित ब्योरा:

(क) पीएफसी के संबंध में:

(क) अग्रिमों का संकेंद्रण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	दिनांक 31.03.2020 की स्थिति के अनुसार	दिनांक 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार
बीस सबसे पड़े ऋणकर्ताओं को कुल अग्रिम (बकाया मूलधन) (₹ करोड़ में)	2,06,588.74	1,88,278.21
पीएफसी के कुल अग्रिमों की तुलना में बीस सबसे बड़े ऋणकर्ताओं को अग्रिमों का प्रतिशत	59.90%	59.83%

(ख) एक्सपोजर का संकेंद्रण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	दिनांक 31.03.2020 की स्थिति के अनुसार	दिनांक 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार
बीस सबसे बड़े ऋणकर्ताओं/ग्राहकों को कुल एक्सपोजर (₹ करोड़ में)	2,86,228.18	2,61,087.34
ऋणकर्ताओं/ग्राहकों पर पीएफसी के कुल ऋण जोखिम में बीस सबसे बड़े ऋणकर्ताओं/ग्राहकों को ऋण जोखिम का प्रतिशत	54.90%	53.87%

समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

(ग) चरण-III लिखत का संकेंद्रण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 की स्थिति के अनुसार	31.03.2019 की स्थिति के अनुसार
पीएफसी के शीर्ष चार चरण III लिखतों का बकाया मूलधन	13,883.24	13,847.63

(ख) सहायक कंपनी, आरईसीएल के मामले में

(क) अग्रिमों का संकेंद्रण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 की स्थिति के अनुसार	31.03.2019 की स्थिति के अनुसार
बीस सबसे पड़े ऋणकर्ताओं को कुल अग्रिम (₹ करोड़ में)	1,84,741.84	1,58,931.60
आरईसीएल के कुल अग्रिमों की तुलना में बीस सबसे बड़े ऋणकर्ताओं को अग्रिमों का प्रतिशत	57.30%	56.52%

(ख) एक्सपोजर का संकेद्रण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 की स्थिति के अनुसार	31.03.2019 की स्थिति के अनुसार
बीस सबसे बड़े ऋणकर्ताओं/ग्राहकों को कुल एक्सपोजर (₹ करोड़ में)	2,88,397.43	2,54,896.66
ऋणकर्ताओं/ग्राहकों पर आरईसीएल के कुल ऋण जोखिम में बीस सबसे बड़े ऋणकर्ताओं/ग्राहकों को ऋण जोखिम का प्रतिशत	59.46%	59.46%

(ग) चरण III लिखत का संकेंद्रण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 की स्थिति के अनुसार	31.03.2019 की स्थिति के अनुसार
आरईसीएल के शीर्ष चार चरण-III लिखतों का बकाया मूलधन	8,618.52	8,502.74

41.2.1.5 पीएफसी और सहायक कंपनी, आरईसीएल के संबंध में चरणवार एक्सपोजर तथा क्षतिग्रस्त हानि छूट का ब्योरा निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 की स्थिति के अनुसार			31.03.2019 की स्थिति के अनुसार		
	बकाया मूलधन	क्षतिग्रस्तता हानि छूट*	%	बकाया मूलधन	क्षतिग्रस्तता हानि छूट*	%
चरण I	5,82,949.37	930.13	0.16	5,32,107.25	1,388.29	0.26
चरण II	35,252.65	1,737.73	4.93	13,880.61	1,576.79	11.36
चरण III	49,127.25	25,300.59	51.50	49,888.75	24,900.60	49.91
कुल	**6,67,329.27**	**27,968.45**	**4.19**	**5,95,876.61**	**27,865.68**	**4.68**

* 188.85 करोड़ (31.03.2019 की स्थिति के अनुसार ₹186.71 करोड़) के चुकौती आश्वासन पत्र पर क्षतिग्रस्तता हानि छूट सहित।

समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

41.2.1.6 बकाया मूलधन और क्षतिग्रस्तता हानि छूट के चरण-वार संचलन का ब्योरा:

रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत और अंत के बीच पीएफसी और सहायक कंपनी, आरईसीएल के संबंध में ऋणों में परिवर्तन और समरूप क्षतिग्रस्तता हानि छूट का विवरण निम्नलिखित तालिकाओं में दिया गया है:

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष 2019-20	चरण I		चरण II		चरण III		कुल	
	मूलधन	क्षतिग्रस्तता हानि छूट*	मूलधन	क्षतिग्रस्तता हानि छूट*	मूलधन	क्षतिग्रस्तता हानि छूट*	मूलधन	क्षतिग्रस्तता हानि छूट*
प्रारंभिक शेष	**5,32,107.25**	**1,388.28**	**13,880.61**	**1,576.79**	**49,888.75**	**24,900.60**	**5,95,876.61**	**27,865.68**
चरण I में हस्तांतरित	7,809.96	579.38	(6,874.07)	(106.43)	(935.90)	(472.95)	(0.01)	-
चरण II में हस्तांतरित	(29,768.07)	(56.70)	29,835.95	73.67	(67.89)	(16.97)	(0.01)	-
चरण III में हस्तांतरित	(1,476.62)	(12.99)	(1,485.30)	(526.81)	2,961.92	539.80	-	-
वर्ष के दौरान मूलधन/ईसीएल में निवल परिवर्तन	5,369.59	(411.99)	(1,280.50)	703.83	46.38	1,675.87	4,135.47	1,967.71
सृजित की गई नई वित्तीय परिसंपत्तियां	1,17,102.08	224.26	1,739.43	17.00	75.00	30.80	1,18,916.51	272.06
विमान्य वित्तीय परिसंपत्तियां (चुकाए गए ऋण)	(47,498.37)	(309.35)	(563.46)	(0.34)	(1,512.57)	(103.02)	(49,574.40)	(412.71)
अवधि के दौरान विमान्य की गई वित्तीय परिसंपत्तियां (बट्टे खाते में डाली गई)	(636.64)	(410.93)	-	-	(1,110.70)	(1,052.96)	(1,747.34)	(1,463.89)
वर्ष के दौरान विमान्य की गई वित्तीय परिसंपत्तियां (प्राप्त किया गया निवेश)	(59.82)	(59.82)	-	-	(217.74)	(200.57)	(277.56)	(260.39)
अंतिम शेष	**5,82,949.37**	**930.13**	**35,252.65**	**1,737.73**	**49,127.25**	**25,300.59**	**6,67,329.27**	**27,968.45**

* चुकौती आश्वासन पत्र पर क्षतिग्रस्तता हानि छूट सहित

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष 2018-19	चरण I		चरण II		चरण III		कुल	
	मूलधन	क्षतिग्रस्तता हानि छूट*	मूलधन	क्षतिग्रस्तता हानि छूट*	मूलधन	क्षतिग्रस्तता हानि छूट*	मूलधन	क्षतिग्रस्तता हानि छूट*
प्रारंभिक शेष	**4,41,118.81**	**3,231.49**	**33,365.48**	**2,364.59**	**43,995.23**	**22,926.55**	**5,18,479.52**	**28,522.63**
चरण I में हस्तांतरित	19,767.81	937.39	(18,950.91)	(297.35)	(816.90)	(1,007.77)	-	(367.73)
चरण II में हस्तांतरित	(8,077.82)	(15.22)	9,303.60	382.95	(1,225.78)	-	-	367.73
चरण III में हस्तांतरित	(2,763.00)	(625.75)	(5,821.75)	(776.24)	8,584.75	1,401.99	-	-
वर्ष के दौरान मूलधन/ईसीएल में निवल परिवर्तन	9,110.28	(2,211.67)	(991.23)	25.65	(448.08)	1,592.03	7,670.97	(593.99)
सृजित की गई नई वित्तीय परिसंपत्तियां	99,210.53	144.99	253.82	22.60	-	-	99,464.35	167.59
विमान्य वित्तीय परिसंपत्तियां (चुकाए गए ऋण)	(26,259.35)	(72.94)	(3,278.41)	(145.40)	(200.47)	(12.21)	(29,738.23)	(230.55)
अंतिम शेष	**5,32,107.25**	**1,388.28**	**13,880.61**	**1,576.79**	**49,888.75**	**24,900.60**	**5,95,876.61**	**27,865.68**

* चुकौती आश्वासन पत्र पर क्षतिग्रस्तता हानि छूट सहित

समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

41.2.1.7 चरण III लिखतों का मूवमेंट

रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत और अंत के बीच पीएफसी और सहायक कंपनी, आरईसीएल के संबंध में क्रेडिट क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों में परिवर्तन और समरूप क्षतिग्रस्तता हानि छूट का विवरण निम्नलिखित तालिकाओं में दिया गया है:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2020 की स्थिति के अनुसार	31.03.2019 की स्थिति के अनुसार
(i)	सकल ऋण की तुलना में निवल चरण III लिखत (%)	3.57%	4.19%
(ii)	निवल ऋण की तुलना में निवल चरण III लिखत (%)	3.71%	4.38%
(iii)	चरण III का मूवमेंट (सकल)	वित्तीय वर्ष 2019-20	वित्तीइ वर्ष 2018-19
	(क) प्रारंभिक शेष	49,888.75	43,995.23
	(ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	3,083.31	8,421.73
	(ग) वर्ष के दौरान कटौतियां/बट्टा खाते में डाले गए	(3,844.80)	(2,528.21)
	(घ) अंतिम शेष	**49,127.26**	**49,888.75**
(iv)	चरण III का निवल मूवमेंट		
	(क) प्रारंभिक शेष	24,988.15	21,068.68
	(ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	779.90	5,021.61
	(ग) वर्ष के दौरान कटौतियां/बट्टा खाते में डाले गए	(1,941.38)	(1,102.14)
	(घ) अंतिम शेष	**23,826.67**	**24,988.15**
(v)	चरण III पर क्षतिग्रस्तता हानि छूट का मूवमेंट		
	(क) प्रारंभिक शेष	24,900.60	22,926.55
	(ख) वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	2,303.41	3,400.12
	(ग) आधिक्य प्रावधानों को बट्टे खाते में डालना/प्रतिलेखन	(1,903.42)	(1,426.07)
	(घ) अंतिम शेष	**25,300.59**	**24,900.60**

41.2.1.8 पीएफसी और आरईसीएल के संबंध में चरणवार सकल ऋणों की तुलना में सकल चरण-III का प्रतिशत

विवरण	31.03.2020 की स्थिति के अनुसार	31.03.2019 की स्थिति के अनुसार
विद्युत क्षेत्र	7.36%	8.37%

41.2.1.9 परिशोधित लागत व्यवसाय की बिक्री के लिए नीति

पीएफसी और आरईसीएल, व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया में वित्तीय परिसंपत्तियों की बिक्री का सहारा नहीं लेती हैं। तथापि, संबंधित कंपनियों में ऐसी अनुमोदित नीतियां मौजूद हैं जिनके अंतर्गत वे दवाबग्रस्त परिसंपत्तियों के निपटान के लिए या तो पुनर्गठन, स्वामित्व में परिवर्तन, निपटान या अन्यथा के माध्यम से कार्रवाई कर सकती हैं। इसके बाद परिसंपत्तियों को इंड एएस 109 के अनुसार मूल्यांकित किया जाता है।

आरईसीएल ने, निम्नलिखित को छोड़कर, क्रेडिट क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों की बिक्री/खरीद का कोई लेन-देन भी नहीं किया है:

विवरण	वित्तीय वर्ष 2019-20	वित्तीय वर्ष 2018-19
बेचे गए खातों की संख्या	1.00	-
समग्र बकाया (₹ करोड़ में)	236.80	-
प्राप्त किया गया समग्र प्रतिफल (₹ करोड़ में)	124.13	-

41.2.1.10 ऐसे खातों के संबंध में प्रकटन जो 90 दिनों से अधिक की अवधि के लिए अतिदेय हैं किंतु जिन्हें क्रेडिट क्षतिग्रस्त नहीं माना गया है।

(क) पीएफसी के संबंध में

₹1,116.65 करोड़ के बकाया ऋण वाले एक ऋणकर्ता ने दिनांक 22.01.2020 को माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय से इस आशय के लिए एक अंतरिम आदेश प्राप्त किया है कि उसके विरूद्ध कोई बलपूर्वक उपाय न किया जाए। दिनांक 31.03.2020 तक की स्थिति के अनुसार, पीएफसी इस ऋण खाते के संबंध में पर्याप्त क्षतिग्रस्तता हानि छूट रखे हुए हैं और इसे चरण खख में वर्गीकृत किया गया है। इसके अलावा दिनांक 31.03.2020 को समाप्त छमाही के दौरान ऋण को ब्याज आय में मान्य नहीं किया गया है।

समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

(ख) सहायक कंपनी, आरईसीएल के संबंध में

एक ऋणकर्ता ने दिनांक 18 सितंबर, 2015 को माननीय मद्रास उच्च न्यायालय से इस आशय के लिए एक अंतरिम आदेश प्राप्त किया कि उसके लेखों को गैर-निष्पादन परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत न किया जाए। तदनुसार, 90 दिनों से अधिक की अवधि के लिए अतिदेय और परिसंपत्ति के क्रेडिट क्षतिग्रस्त होते हुए भी, ऋणकर्ता पर बकाया ऋण को चरण III परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है। तथापि, आरईसीएल ने परियोजना के वित्तीय और प्रचालनात्मक मापदंडों को ध्यान में रखते हुए 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार अपेक्षित क्रेडिट क्षति (ईसीएल) पद्धति के अनुसार ₹2,342 करोड़ के बकाया ऋण के 41.06% की दर पर ₹961.63 करोड़ (दिनांक 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार - ₹2,302 करोड़ के बकाया ऋण का 40.95% की दर पर ₹942.67 करोड़) का पर्याप्त प्रावधान सृजित किया है।

41.2.1.11. एनबीएफसी द्वारा इंड एएस के कार्यान्वयन संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 13.03.2020 के परिपत्र के अनुसरण में, निम्नलिखित की गणना के लिए एनपीए अनुपात, क्रेडिट क्षतिग्रस्त ऋण (चरण III) और ऋण जो आईआरएसीपी मानदंडों के अनुसार एनपीए के रूप में वर्गीकृत किए जाएंगे, पर विचार किया गया है:

पीएफसी के मामले में

विवरण	31.03.2020 तक की स्थिति के अनुसार
सकल ऋणों की तुलना में सकल एनपीए	8.39%
निवल ऋणों की तुलना में निवल एनपीए	4.30%

41.2.1.12 भारतीय रिज़र्व बैंक के आय मान्यता, परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रोविजनिंग मानदंडों (आईआरएसीपी) के अनुसार अपेक्षित प्रावधान तथा इंड एएस 109 के अनुसार क्षतिग्रस्तता हानि छूट का ब्यौरा

(क) पीएफसी के मामले में

(₹ करोड़ में)

आरबीआई के मानदंडों के अनुसार परिसंपत्ति वर्गीकरण	इंड एएस 109 के अनुसार परिसंपत्ति वर्गीकरण	इंड एएस के अनुसार सकल वहन राशि	इंड एएस 109 के तहत यथाअपेक्षित हानि छूट (प्रावधान)	निवल वहन राशि	आईआरएसीपी मानदंडों के अनुसार अपेक्षित प्रावधान	इंड एएस 109 प्रावधान और आईआरएसीपी मानदंडों के बीच अंतर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)-(4)	(6)	(7) = (4)-(6)
निष्पादनीय परिसंपत्तियां						
मानक	चरण I	2,87,255.52	441.06	2,86,814.45	1,322.84	(881.78)
	चरण II	33,713.58	773.89	32,939.69	238.46	535.43
	चरण III	5,203.08	2,137.83	3,065.25	1,822.31	315.52
उप-योग		**3,26,172.17**	**3,352.78**	**3,22,819.39**	**3,383.61**	**(30.83)**
गैर-निष्पादन परिसंपत्तियां (एनपीए)						
अव मानक	चरण I	755.11	0.08	755.03	73.78	(73.70)
	चरण II	6.00	0.01	5.99	0.59	(0.58)
	चरण III	923.18	520.69	402.49	275.41	245.29
उप-योग		**1,684.30**	**520.78**	**1,163.52**	**349.78**	**171.01**
संदिग्ध - 1 वर्ष तक	चरण I	7.60	0.02	7.57	1.48	(1.46)
1 से 3 वर्ष तक	चरण I	313.73	0.01	313.72	91.81	(91.80)
संदिग्ध - 1 वर्ष तक	**चरण III**	**3,755.54**	**1,274.46**	**2,481.08**	**828.34**	**446.11**
1 से 3 वर्ष तक	चरण III	11,702.63	5,995.02	5,707.62	5,919.65	75.37
3 वर्ष से अधिक	चरण III	5,018.92	3,399.22	1,619.70	3,578.09	(178.87)
संदिग्ध के लिए उप-योग		**20,798.42**	**10,668.73**	**10,129.69**	**10,419.37**	**249.36**

समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ करोड़ में)

आरबीआई के मानदंडों के अनुसार परिसंपत्ति वर्गीकरण	इंड एएस 109 के अनुसार परिसंपत्ति वर्गीकरण	इंड एएस के अनुसार सकल वहन राशि	इंड एएस 109 के तहत यथाअपेक्षित हानि छूट (प्रावधान)	निवल वहन राशि	आईआरएसीपी मानदंडों के अनुसार अपेक्षित प्रावधान	इंड एएस 109 प्रावधान और आईआरएसीपी मानदंडों के बीच अंतर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)-(4)	(6)	(7) = (4)-(6)
हानि	चरण III	1,241.27	1,241.27	-	1,241.27	-
एनपीए के लिए उप-योग		**23,723.99**	**12,430.78**	**11,293.21**	**12,010.41**	**420.37**
अन्य मदें (जिनसे एक्सपोजर आकस्मिक देयताओं का भाग बन जाता है।) जैसे कि गारंटियां, ऋण प्रतिबद्धताएं, आदि जो इंड एएस 109 के विषय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं किंतु मौजूदा आईआरएसीपी मानदंडों के अंतर्गत नहीं आते हैं।	चरण I	-	0.49	(0.49)	-	0.49
	चरण II	-	-	-	-	-
	चरण III	-	179.98	(179.98)	-	179.98
उप-योग		**-**	**180.47**	**(180.47)**	**-**	**180.47**
कुल	**चरण I**	**2,88,331.96**	**441.67**	**2,87,890.29**	**1,489.91**	**(1,048.24)**
	चरण II	**33,719.58**	**773.90**	**32,945.68**	**239.05**	**534.85**
	चरण III	**27,844.62**	**14,748.46**	**13,096.16**	**13,665.06**	**1,083.40**
	कुल योग	**3,49,896.16**	**15,964.03**	**3,33,932.13**	**15,394.02**	**570.01**

(ख) सहायक कंपनी, आरईसीएल के मामले में

(₹ करोड़ में)

आरबीआई के मानदंडों के अनुसार परिसंपत्ति वर्गीकरण	इंड एएस 109 के अनुसार परिसंपत्ति वर्गीकरण	बकाया राशि	इंड एएस के अनुसार सकल वहन राशि	इंड एएस 109 के तहत यथाअपेक्षित हानि छूट (प्रावधान)	निवल वहन राशि	आईआरएसीपी मानदंडों के अनुसार अपेक्षित प्रावधान	इंड एएस 109 प्रावधान और आईआरएसीपी मानदंडों के बीच अंतर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)= (4)-(5)	(7)	(8) = (5)-(7)
निष्पादनीय परिसंपत्तियां							
मानक	चरण I	2,98,737.86	3,00,392.16	480.08	2,99,912.08	1,779.27	(1299.19)
	चरण II	2,431.27	2,431.83	963.83	1,468.00	702.28	261.55
उप-योग		**3,01,169.13**	**3,02,823.99**	**1,443.91**	**3,01,380.08**	**2,481.55**	**(1037.64)**
गैर-निष्पादन परिसंपत्तियां (एनपीए)							
अव मानक	चरण III	2,037.61	2,037.61	468.91	1,568.70	203.76	265.15
उप-योग		**2,037.61**	**2,037.61**	**468.91**	**1,568.70**	**203.76**	**265.15**
संदिग्ध - 1 वर्ष तक	चरण III	3,973.02	3,973.02	1,646.55	2,326.47	1,282.92	363.63
1 से 3 वर्ष तक	चरण III	11,276.57	11,276.57	5,724.26	5,552.31	6,024.78	(300.52)
3 वर्ष से अधिक	चरण III	3,951.13	3,951.13	2,695.19	1,255.94	2,787.48	(92.29)
संदिग्ध के लिए उप-योग		**19,200.72**	**19,200.72**	**10,066.00**	**9,134.72**	**10,095.18**	**(29.18)**
हानि	चरण III	17.22	17.22	17.22	-	17.22	-
एनपीए के लिए उप-योग		**21,255.55**	**21,255.55**	**10,552.13**	**10,703.42**	**10,316.16**	**235.97**
अन्य मदें जैसे कि गारंटियां, ऋण प्रतिबद्धताएं, आदि जो इंड एएस 109 के विषय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं किंतु मौजूदा आईआरएसीपी मानदंडों के अंतर्गत नहीं आते हैं।	चरण 3	959.67	959.67	8.38	951.29	-	8.38
उप-योग		**959.67**	**959.67**	**8.38**	**951.29**	**-**	**8.38**

समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ करोड़ में)

आरबीआई के मानदंडों के अनुसार परिसंपत्ति वर्गीकरण	इंड एएस 109 के अनुसार परिसंपत्ति वर्गीकरण	बकाया राशि	इंड एएस के अनुसार सकल वहन राशि	इंड एएस 109 के तहत यथाअपेक्षित हानि छूट (प्रावधान)	निवल वहन राशि	आईआरएसीपी मानदंडों के अनुसार अपेक्षित प्रावधान	इंड एएस 109 प्रावधान और आईआरएसीपी मानदंडों के बीच अंतर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)= (4)-(5)	(7)	(8) = (5)-(7)
कुल	**चरण I**	**2,99,697.53**	**3,01,351.83**	**488.46**	**3,00,863.37**	**1,779.27**	**(1290.81)**
	चरण II	**2,431.27**	**2,431.83**	**963.83**	**1,468.00**	**702.28**	**261.55**
	चरण III	**21,255.55**	**21,255.55**	**10,552.13**	**10,703.42**	**10,316.16**	**235.97**
	कुल योग	**3,23,384.35**	**3,25,039.21**	**12,004.42**	**3,13,034.79**	**12,797.71**	**(793.29)**

इंड एएस 109 के अंतर्गत क्षतिग्रस्तता छूट और आरबीआई द्वारा जारी आय मान्यता, परिसंपत्ति वर्गीकरण एवं प्रोविजनिंग (आईआरएसीपी) मानदंडों (मानक परिसंपत्ति प्रोविजनिंग सहित) के अंतर्गत अपेक्षित प्रोविजनिंग के बीच अंतर को क्षतिग्रस्तता रिजर्व में समायोजित किया जाता है।

41.2.1.13 व्यापार की प्राप्य राशियों के लिए अपेक्षित क्रेडिट क्षति

(क) सहायक कंपनी, आरईसीएल के मामले में

आरईसीएल, ईसीएल विधि के अंतर्गत सरलीकृत दृष्टिकोण का प्रयोग करते हुए, आरईसीपीडीसीएल, जो कि आरईसीएल की एक सहायक कंपनी है, के व्यापार की प्राप्य राशियों के संबंध में आजीवन क्रेडिट क्षति के लिए प्रावधान करती है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	1 वर्ष से कम	1 वर्ष से 2 वर्ष	2 वर्ष से 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
31 मार्च, 2020 तक की स्थिति के अनुसार					
सकल वहन मूल्य	70.93	42.14	9.86	33.60	156.53
अपेक्षित क्षति दर	14.70%	25.20%	50.00%	100.00%	38.06%
अपेक्षित क्रेडिट क्षति (प्रावधान)	10.43	10.62	4.93	33.60	59.58
वहन राशि (क्षतिग्रस्तता को घटाकर)	60.50	31.52	4.93	-	96.95
31 मार्च, 2019 तक की स्थिति के अनुसार					
सकल वहन मूल्य	94.13	31.52	3.37	23.83	152.85
अपेक्षित क्षति दर	10.36%	8.76%	50.15%	100.00%	24.88%
अपेक्षित क्रेडिट क्षति (प्रावधान)	9.75	2.76	1.69	23.83	38.03
वहन राशि (क्षतिग्रस्तता को घटाकर)	84.38	28.76	1.68	-	114.82

आरईसीपीडीसीएल एक वर्ष से अधिक के लिए व्यापार की बकाया प्राप्य राशियों पर क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि मानती है।

आरईसीडीपीसीएल के मामले में, हानि और अपेक्षित हानियों का कोई विगत मामला नहीं है, अतः आरईसीटीपीसीएल ने चालू वर्ष में कोई सामान्य प्रावधान तैयार नहीं किया है। दिनांक 31 मार्च, 2020 तक की स्थिति के अनुसार क्षतिग्रस्तता प्रावधान, एक ऋणकर्ता जेकेपीडीडी से कुछ परियोजनाओं की वसूलियों से अनुमानित कुछ विलंब के कारण, एक सामान्य दृष्टिकोण की बजाय विशिष्ट परिसंपत्तियों पर सृजित व्यापार की प्राप्य राशियों पर क्षतिग्रस्तता प्रावधान को दर्शाता है। यह देरी मान्यता की तारीख से उत्पन्न नहीं हुई है, किंतु प्रचालनों की प्रक्रिया के दौरान विकसित हुई है। आरईसीटीपीसीएल ने वर्ष के दौरान व्यापार की निम्नलिखित प्राप्य राशियों के सापेक्ष क्षतिग्रस्तता हानि छूट का सृजन किया है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	दिनांक 31 मार्च, 2020 तक की स्थिति के अनुसार		
	व्यापार की सकल प्राप्य राशियां	क्षतिग्रस्तता हानि छूट	व्यापार की निवल प्राप्य राशियां
जेकेपीडीडी - यूडीएवाई	4.98	0.97	4.01
जेकेपीडीडी - पीएमए	4.78	0.92	3.86
जेकेपीडीडी - पीआईए	7.08	1.34	5.74
कुल	**16.84**	**3.23**	**13.61**

दिनांक 29 मई, 2019 तक की स्थिति के अनुसार क्षतिग्रस्तता हानि छूट शून्य है।

समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

दिनांक 31 मार्च, 2020 तक की स्थिति के अनुसार, आरईसीटीपीसीएल के वित्तीय विवरणों में शामिल की गई व्यापार की अन्य प्राप्य राशियां, जिनके लिए अपेक्षित क्रेडिट हानि शून्य है, की राशि ₹3.93 करोड़ (दिनांक 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार ₹22.90 करोड़) है।

(ख) सहायक कंपनी, पीएफसीसीएल के मामले में

पीएफसीसीएल के ग्राहक बेस में मुख्यतः राज्य सरकारों के स्वामित्व वाले राज्य विद्युत बोर्ड और सरकार के स्वामित्व वाले अन्य उद्यमों के शामिल होने के कारण, इसके व्यापार की प्राप्य राशियों के संबंध में क्रेडिट जोखिम का संकेंद्रण सीमित है। प्राप्य राशियों के संग्रहण में पीएफसीसीएल का विगत अनुभव यह है कि क्रेडिट जोखिम कम है।

प्रारंभिक मान्यता के बाद, पीएफसीसीएल, संबंधित पक्षकारों को छोड़कर, वित्तीय परिसंपत्तियों, विशेष रूप से व्यापार की प्राप्य राशियों पर अपेक्षित क्रेडिट क्षति (ईसीएल) को मान्य करती है। ईसीएल को 2 वर्ष से अधिक के लिए अतिदेय व्यापार की प्राप्य राशियों पर 100% और एक वर्ष से अधिक एवं 2 वर्ष से कम के लिए अतिदेय व्यापार की प्राप्य राशियों पर 50% पर मान्य किया जाता है।

व्यापार की प्राप्य राशियों का कालप्रभावन विश्लेषण निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	0 से 1 वर्ष	1 से 2 वर्ष	2 वर्ष से अधिक	कुल
31 मार्च, 2020 तक की स्थिति के अनुसार सकल वहन राशि	25.78	1.58	5.65	33.02
31 मार्च, 2019 तक की स्थिति के अनुसार सकल वहन राशि	29.61	0.06	6.68	36.35

अपेक्षित क्रेडिट क्षति छूट में मूवमेंट

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2020 तक की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2019 तक की स्थिति के अनुसार
वर्ष के प्रारंभ में शेष	6.71	7.22
- क्षतिग्रस्तता छूट रिवर्सल	0.27	1.12
- मान्य की गई क्षतिग्रस्तता हानि	-	0.61
वर्ष के अंत में शेष	**6.44**	**6.71**

41.2.2 चलनिधि जोखिम

चलनिधि जोखिम ऐसा जोखिम है जहां कंपनी के पास अपनी बाध्यताओं के देय होने पर उनको वहन करने के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन नहीं होते हैं। यह जोखिम नकदी प्रवाह जो सभी वित्तीय प्रचालनों में अंतर्निहित होते हैं तथा कंपनी विशिष्ट एवं बाजारव्यापी घटनाओं से प्रभावित हो सकते हैं, के समय में असंतुलन से उत्पन्न होता है।

(क) पीएफसी के मामले में

चलनिधि जोखिम का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करने के लिए पीएफसी की प्रतिष्ठा पर किसी आंच के बगैर या अस्वीकार्य क्षति वहन किए बगैर देयताओं के परिपक्व होने पर उनको कवर करने के लिए पर्याप्त नकदी प्रवाह अनुरक्षित करने के लिए पीएफसी प्रयास करती है और वित्त पोषण के विभिन्न लिखतों के माध्यम से संसाधन जुटाकर विविध निधि आधार अनुरक्षित करने का भी प्रयास करती है। निम्नलिखित कारकों को ध्यान में रखकर पीएफसी की चलनिधि की पर्याप्तता का निर्धारण किया जाता है:

- चलनिधि की वर्तमान स्थिति;
- वित्त-पोषण की अनुमानित भावी आवश्यकताएं;
- अर्जन की वर्तमान एवं भावी क्षमताएं; और
- निधियों के उपलब्ध स्रोत।

पीएफसी यह सुनिश्चित करने के लिए अपनी दैनिक चलनिधि का प्रबंधन करती है कि देय होने पर वित्तीय बाध्यताओं को वहन करने के लिए पीएफसी के पास पर्याप्त चलनिधि हो। दीर्घावधि की चलनिधि का प्रबंधन दीर्घावधि निधि की स्थिति तथा बाजार के कारकों को ध्यान में रखकर किया जाता है। यह बोर्ड द्वारा अनुमोदित रूपरेखा के अनुसार है और उल्लंघन, यदि कोई हो, के बारे में निदेशक मंडल को सूचित करना होता है। पीएफसी ने अपने ऋणों को चुकता करने में कभी चूक नहीं की है।

इसके अतिरिक्त, चलनिधि की समग्र मॉनीटरिंग एवं पर्यवेक्षण के लिए निदेशक (वित्त) की अध्यक्षता में पीएफसी में एक परिसंपत्ति देयता समिति (एएलसीओ) है। एएलसीओ वित्तीय परिसंपत्तियों एवं देयताओं की परिपक्वता या नकदी प्रवाह में असंतुलन का विश्लेषण करके चलनिधि जोखिम की जांच पड़ताल करता है। आरबीआई द्वारा निर्धारित चलनिधि विवरण के रूप में असंतुलन का विश्लेषण किया जाता है, जिसमें संचयी अधिशेष या निधियों की कमी का ब्योरा परिपक्वता सीढ़ी के अनुसरण में बकाया वित्तीय परिसंपत्तियों एवं वित्तीय देयताओं के विरूद्ध नकदी प्रवाहों का वितरण करके तैयार किया जाता है।

समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

(i) निम्नलिखित तालिका गैर बट्टा आधार पर संविदात्मक मूलधन की शेष परिपक्वता के अनुसार वित्तीय देयताओं की मदों के परिपक्वता पैटर्न का विश्लेषण करती है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	30/31 दिनों तक	1 माह से अधिक और 2 माह तक	2 माह से अधिक और 3 माह तक	3 माह से अधिक और 6 माह तक	6 माह से अधिक और 1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	कुल
31.03.2020 तक की स्थिति के अनुसार									
घरेलू ऋण	8,046.86	5,988.50	10,845.00	17,351.67	5,305.25	57,474.09	60,813.03	90,071.03	**2,55,895.43**
विदेशी मुद्रा ऋण	5.40	-	6.09	1,130.79	2,156.10	11,493.88	10,231.67	22,676.86	**47,700.79**
31.03.2019 तक की स्थिति के अनुसार									
घरेलू ऋण	21,785.18	4,915.00	7,495.20	10,292.05	19,088.10	76,608.05	32,730.60	87,160.38	**2,60,074.56**
विदेशी मुद्रा ऋण	696.50	-	2,080.35	-	3,468.40	4,971.67	9,235.95	8,373.99	**28,826.86**

उपरोक्त तालिका में, पुट एंड कॉल विकल्प वाले बॉण्डों को शीघ्रतम उपयोग करने की तारीख पर विचार करते हुए दर्शाया गया है। इसके अतिरिक्त, और जीरो कूपन बॉण्डों को परिपक्वता मूल्य पर दर्शाया गया है।

(ii) निम्नलिखित तालिका में डेरिवेटिव वित्तीय देयताओं की परिपक्वता पद्धति का विश्लेषण दिया गया है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	1 वर्ष तक	1 से 5 वर्ष	5 वर्ष से अधिक	कुल
31.03.2020 तक की स्थिति के अनुसार				
फॉरवर्ड	20.23	-	-	**20.23**
विकल्प/स्वैप	36.17	543.42	-	**579.59**
कुल				**599.82**
31.03.2019 तक की स्थिति के अनुसार				
फॉरवर्ड	86.75	148.70	-	**235.45**
विकल्प/स्वैप	1.89	268.25	-	**270.14**
कुल				**505.59**

उपरोक्त तालिका में, काउंटरपार्टियों से प्राप्त एमटीएम के आधार पर, पीएफसी की डेरिवेटिव वित्तीय देयताओं के लिए चलनिधि विश्लेषण के ब्यौरे दिए गए हैं। परिपक्वता बकेट संबंधित डेरिवेटिव लिखत के शेष टेनर के अनुसार है।

(iii) चलनिधि की अप्रत्याशित आवश्यकता को पूरा करने के लिए पीएफसी बैंकों से नकदी क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, लाइन ऑफ क्रेडिट तथा कार्यशील पूंजी मांग ऋण प्राप्त कर सकती है। इसके अतिरिक्त, कंपनी की घरेलू क्रेडिट रेटिंग सर्वोच्च अर्थात एएए है, जिससे अल्प अवधि के अंदर घरेलू बाजार से निधियां जुटाना संभव होता है।

कंपनी को निम्नलिखत अनाहरित ऋण सुविधाओं तक पहुंच प्राप्त है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 तक की स्थिति के अनुसार	31.03.2019 तक की स्थिति के अनुसार
सीसी/ओडी/एलओसी/डब्ल्यूसीडीएल सीमाएं	5,270.00	6,950.00

(ख) सहायक कंपनी, आरईसीएल के मामले में

आरईसीएल रणनीतियों के मिश्रण के माध्यम से अपने चलनिधि जोखिम का प्रबंधन करता है, जिसमें प्रक्षेपित संवितरण तथा परिपक्व बाध्यताओं के आधार पर भविष्य में संसाधन जुटाना शामिल है। कंपनी ने प्रभावी परिसंपत्ति देयता प्रबंध प्रणाली स्थापित की है तथा एक परिसंपत्ति देयता प्रबंध समिति (एएलसीओ) का गठन भी किया है जो चलनिधि अंतराल विश्लेषण की सहायता से तरलता जोखिम की मॉनीटरिंग करती है।

पूर्वानुमान एवं वास्तविक नकदी प्रवाह की निरंतर मॉनीटरिंग द्वारा आरईसीएल पर्याप्त बैंक शेष, अल्पावधि के निवेशों जो नकदी में तुरंत परिवर्तनीय होते हैं, तथा पर्याप्त ऋण एवं ओवरड्राफ्ट की सुविधाओं को अनुरक्षित करता है।

समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

(i) **भावी बट्टारहित (अनडिस्काउंटिड) नकदी प्रवाहों की परिपक्वता पद्धति**

वित्तीय परिसंपत्तियों एवं देयताओं की मदों (जो मूलधन एवं ब्याज के लिए भावी बट्टारहित (अनडिस्काउंटिड) नकदी प्रवाहों का प्रतिनिधित्व करती हैं) के लिए नकदी प्रवाह निम्नानुसार हैं:

(₹ करोड़ में)

31.03.2020 तक की स्थिति के अनुसार	30/31 दिनों तक	1 माह से अधिक और 2 माह तक	2 माह से अधिक और 3 माह तक	3 माह से अधिक और 6 माह तक	6 माह से अधिक और 1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	कुल
रूपया ऋण									
ऋण प्रतिभूतियां									
– मूलधन	463.40	503.64	5,940.51	12,739.42	19,109.00	57,825.05	36,677.47	58,147.32	**1,91,405.81**
– ब्याज	622.04	937.01	2,166.66	3,488.47	7,032.41	21,092.29	14,197.97	19,934.11	**69,470.96**
अन्य ऋण									
– मूलधन	505.06	600.06	500.06	2,160.05	1,567.16	11,454.33	5,820.02	10,050.02	**32,656.76**
– ब्याज	342.74	130.49	352.45	383.51	1,107.43	3,565.31	2,027.49	3,708.64	**11,618.06**
सबॉर्डिनेटिड देयताएं									
– मूलधन	–	–	–	–	–	–	2,500.00	2,151.20	**4,651.20**
– ब्याज	–	201.50	–	–	192.96	788.93	587.95	772.38	**2,543.72**
विदेशी मुद्रा ऋण									
ऋण प्रतिभूतियां									
– मूलधन	–	–	–	–	3,015.44	–	13,946.39	5,653.95	**22,615.78**
– ब्याज	–	138.14	112.53	200.74	453.70	1,620.81	1,261.85	642.18	**4,429.95**
अन्य ऋण									
– मूलधन	–	565.39	609.10	4,013.52	8,505.00	6,642.72	7,812.60	587.58	**28,735.91**
– ब्याज	45.09	36.08	46.93	223.97	236.64	518.73	201.15	17.93	**1,326.52**
डेरिवेटिव देयताएं:									
ब्याज दर स्वैप	–	–	–	0.00	58.63	190.17	337.26	0.00	**586.06**
अन्य –									
रिवर्स क्रॉस मुद्रा स्वैप	–	–	–	–	–	–	75.15	664.52	739.67

(₹ करोड़ में)

31.03.2019 तक की स्थिति के अनुसार	30/31 दिनों तक	1 माह से अधिक और 2 माह तक	2 माह से अधिक और 3 माह तक	3 माह से अधिक और 6 माह तक	6 माह से अधिक और 1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	कुल
रूपया ऋण									
ऋण प्रतिभूतियां									
– मूलधन	3,256.39	525.21	2,294.33	9,272.90	20,218.27	65,194.54	25,107.93	49,187.62	**1,75,057.19**
– ब्याज	484.75	912.75	1,840.88	2,754.00	6,877.86	19,633.29	11,001.43	13,288.00	**56,792.96**
अन्य ऋण									
– मूलधन	–	350.00	500.00	850.00	200.01	4,257.52	13,405.02	5,187.59	**24,750.14**
– ब्याज	133.77	129.71	355.81	388.00	975.00	3,673.00	2,176.00	2,055.00	**9,886.29**
सबॉर्डिनेटिड देयताएं									
– मूलधन	–	–	–	–	–	–	2,500.00	2,151.20	**4,651.20**
– ब्याज	–	201.50	–	–	189.26	782.00	782.00	945.00	**2,899.76**
विदेशी मुद्रा ऋण									
ऋण प्रतिभूतियां									
– मूलधन	–	–	–	–	–	2,766.85	4,841.99	5,187.85	**12,796.69**
– ब्याज	–	126.06	42.33	108.00	279.00	1,052.00	1,281.00	807.00	**3,695.39**

समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ करोड़ में)

31.03.2019 तक की स्थिति के अनुसार	30/31 दिनों तक	1 माह से अधिक और 2 माह तक	2 माह से अधिक और 3 माह तक	3 माह से अधिक और 6 माह तक	6 माह से अधिक और 1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	कुल
अन्य ऋण									
- मूलधन	-	1,729.28	71.11	1,058.63	2,444.00	10,423.28	6,234.49	-	**21,960.79**
- ब्याज	43.40	54.77	42.07	229.00	290.00	734.00	278.00	-	**1,671.24**
डेरिवेटिव देयताएं:	-	-	-						
ब्याज दर स्वैप	-	-	-	0.59	6.26	10.19	110.01	3.11	**130.16**
मुद्रा स्वैप	-	-	-	-	-	0.41	-	-	**0.41**
वायदा संविदाएं	10.26	-	-	-	-	-	-	-	**10.26**
अन्य -	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
सीगल विकल्प	-	-	-	0.37	18.20	-	-	-	**18.57**

प्रयोग की शीघ्रातिशीघ्र तारीख को ध्यान में रखते हुए पुट एंड कॉल ऑप्शन वाले बॉण्डों को दर्शाया गया है। डेरिवेटिव वित्तीय देयताओं का चलनिधि विश्लेषण डेरिवेटिव संविदाओं के उचित मूल्यों पर आधारित है तथा संबंधित डेरिवेटिव लिखत के शेष टेनर के आधार पर परिपक्वता बकेट तैयार किया गया है।

(ii) वित्तीय देयताओं के लिए अपेक्षित सारवान नकदी प्रवाहों का वित्तपोषण ऋणों से बट्टारहित (अनडिस्काउंटिड) नकदी प्रवाहों (मूलधन एवं ब्याज) के माध्यम से निम्नानुसार किया जाएगा:

(₹ करोड़ में)

विवरण	30/31 दिनों तक	1 माह से अधिक और 2 माह तक	2 माह से अधिक और 3 माह तक	3 माह से अधिक और 6 माह तक	6 माह से अधिक और 1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	कुल
31.03.2020 तक की स्थिति के अनुसार									
- मूलधन	590.00	306.00	3,638.03	7,626.38	15,889.84	63,791.10	55,014.93	1,63,572.36	3,10,428.64
- ब्याज	613.00	250.00	6,103.36	7,819.74	14,756.16	51,025.65	38,311.76	71,028.36	1,89,908.03
31.03.2019 तक की स्थिति के अनुसार									
- मूलधन	1,654.88	1,316.82	3,073.31	7,365.12	13,781.11	55,904.77	50,995.33	1,35,620.42	2,69,711.76
- ब्याज	866.67	684.94	5,324.18	6,853.48	12,557.11	43,097.02	31,940.32	53,720.12	1,55,043.84

अपेक्षित क्रेडिट क्षति को घटाकर, चरण III परिसंपत्तियों से संबंधित मूलधन नकदी प्रवाह पर परिपक्वता की तारीख पर ध्यान दिए बगैर 5 वर्षीय बकेट में विचार किया गया है।

(iii) वित्तपोषण की व्यवस्थाएं

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में कंपनी की ऋण की निम्नलिखित अनाहरित सुविधाओं तक पहुंच:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 तक की स्थिति के अनुसार	31.03.2019 तक की स्थिति के अनुसार
एक वर्ष के भीतर अवधि की समाप्ति (नकदी क्रेडिट एवं अन्य सुविधाएं) - फ्लोटिंग दर	8,780.00	11,440.00
एक वर्ष के बाद अवधि समाप्ति (लोन/ऋण) - फ्लोटिंग दर	497.82	1,577.11

(ग) सहायक कंपनी, पीएफसीसीएल के मामले में

पीएफसीसीएल ने दिनांक 31 मार्च, 2020 और दिनांक 31 मार्च, 2019 का समाप्त वर्षों के दौरान एक धनात्मक नकदी शेष सहित एक सचेत चलनिधि कार्यनीति अनुरक्षित की थी। प्रचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह दैनिक आधार पर वित्तीय देयताओं की चुकौती के लिए निधियां उपलब्ध कराता है।

समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

41.2.3 बाजार जोखिम - विदेशी मुद्रा जोखिम

विदेशी मुद्रा जोखिम ऐसा जोखिम है जहां विदेशी मुद्रा विनिमय दर में परिवर्तन के कारण व्यावहारिक मुद्रा से भिन्न मुद्रा में वर्णित वित्तीय लिखत के उचित मूल्य या भावी नकदी प्रवाह में उतार-चढ़ाव होगा।

41.2.3.1 कंपनी तथा इसकी सहायक, कंपनी आरईसीएल को मुख्य रूप से विदेशी मुद्रा में वर्णित ऋणों पर विदेशी मुद्रा जोखिम का खतरा है। इन कंपनियों के विदेशी मुद्रा में वर्णित ऋणों की वहन राशि निम्नानुसार है:

विवरण	31.03.2020 तक की स्थिति के अनुसार		31.03.2019 तक की स्थिति के अनुसार	
	संबंधित मुद्रा में करोड़	₹ करोड़ में	संबंधित मुद्रा में करोड़	₹ करोड़ में
यूएसडी ऋण	**1,230.25**	**92,743.53**	**844.20**	**58,388.34**
- हेज्ड	612.00	46,136.17	577.00	39,907.94
- अनहेज्ड	618.25	46,607.36	267.20	18,480.40
यूरो ऋण	**6.64**	**550.95**	**8.62**	**669.04**
- हेज्ड	2.97	246.69	4.80	373.00
- अनहेज्ड	3.67	304.26	3.82	296.04
जेपीवाई ऋण	**7,720.32**	**5,377.20**	**7,250.76**	**4,527.02**
- हेज्ड	2,519.05	1,754.51	2,059.05	1,286.33
- अनहेज्ड	5,201.27	3,622.69	5,191.71	3,240.69
एसजीडी ऋण	**7.21**	**380.80**	**-**	**-**
- हेज्ड	7.21	380.80	-	-
- अनहेज्ड	-	-	-	-
कुल	**99,052.48**	**63,584.40**		

41.2.3.2 विदेशी मुद्रा जोखिम निगरानी और प्रबंधन

(क) पीएफसी के मामले में

पीएफसी ने विदेशी मुद्रा के ऋणों से संबद्ध जोखिमों का प्रबंधन एवं बचाव करने के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित मुद्रा जोखिम प्रबंधन (सीआरएम) नीति लागू की है जो संबद्ध जोखिमों के प्रबंधन के लिए संरचना एवं संगठन निर्धारित करती है।

पीएफसी विनिमय दर के जोखिम से संरक्षण के लिए विभिन्न डेरिवेटिव लेन-देन अर्थात मूलधन केवल स्वैप, ऑप्शन और फॉरवर्ड संविदाएं करती है। सीआरएम नीति के अनुसार जोखिमों की रिपोर्टिंग एवं मॉनीटरिंग के लिए प्रणाली लागू की गई है, जिसमें पीएफसी के वरिष्ठ कार्यपालकों से बनी जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) विदेशी मुद्रा विनिमय दर की मॉनीटरिंग करती है। ये डेरिवेटिव लेन-देन हेजिंग के प्रयोजनार्थ किए जाते हैं, न कि व्यापार या सट्टा के लिए। नीति प्रबंधन को सूचित करने के लिए मुद्रा जोखिम की पहचान करने, मापने एवं मॉनीटरिंग करने के लिए उपयुक्त प्रणालियां एवं नियंत्रण विहित करती है। मुद्रा जोखिम प्रबंधन के भाग के रूप में हेजिंग अनुपात, अनहेज़्ड एक्सपोजर, मार्क-टू मार्केट पोजिशन, बैंकों के साथ एक्सपोजर लिमिट आदि जैसे पैरामीटरों की निरंतर निगरानी की जाती है।

पीएफसी के मामले में, वर्ष के अंत में मौजूदा दर पर परिवर्तित की गई विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद निम्नानुसार हैं:

(₹ करोड़ में)

विनिमय दर	31.03.2020 तक की स्थिति के अनुसार	31.03.2019 तक की स्थिति के अनुसार
यूएसडी/आईएनआर	75.3859	69.1550
यूरो/आईएनआर	83.0496	77.6725
जेपीवाई/आईएनआर	0.6965	0.6242

समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

(ख) सहायक कंपनी, आरईसीएल के मामले में

आरईसीएल की बोर्ड द्वारा अनुमोदित एक जोखिम प्रबंधन नीति है जिसका उद्देश्य अन्य बातों के साथ विदेशी मुद्रा के ऋणों से संबद्ध जोखिमों का प्रबंधन करना है। विदेशी मुद्रा जोखिम तथा ब्याज दर जोखिम प्रबंधन के भाग के रूप में हेजिंग अनुपात, अनहेज्ड एक्सपोजर, मार्क-टू-मार्केट पोजिशन, बैंक के साथ एक्सपोजर लिमिट आदि जैसे मापदंडों की निरंतर निगरानी की जाती है। यह नीति मार्गदर्शक मापदंड प्रदान करती है जिसके अंतर्गत कंपनी मुद्रा जोखिम एंव ब्याज जोखिम, जिसका इसे ऋण प्रतिभूतियों सहित विदेशी मुद्रा ऋण के कारण खतरा है, के प्रबंधन के लिए निर्णय ले सकती है। इस नीति का उद्देश्य अपने विदेशी मुद्रा जोखिम तथा ब्याज दर जोखिम के प्रबंधन के लिए कंपनी को एक रूपरेखा प्रदान करना है।

वर्तमान में, सीएमडी की अध्यक्षता में एक परिसंपत्ति देयता जोखिम प्रबंधन समिति (एएलसीओ) काम कर रही है, जिसके सदस्यों में निदेशक (वित्त), निदेशक (तकनीकी) वित्त एवं प्रचालन विभागों से कार्यपालक निदेशक तथा महाप्रबंधक शामिल हैं। एएलसीओ विभिन्न डेरिवेटिव लिखतों के माध्यम से प्रबंधित विनिमय दर एवं ब्याज दर के साथ विदेशी मुद्रा जोखिम की मॉनीटरिंग करता है। कंपनी विभिन्न लिखतों जैसे कि विदेशी मुद्रा वायदा संविदाएं मुद्रा विकल्प, मूलधन केवल स्वैप तथा वायदा दर करार के माध्यम से विनिमय दर को शामिल करने के लिए विभिन्न डेरिवेटिव लेन-देन करती है। ये डेरिवेटिव लेन-देन हेजिंग के प्रयोजनार्थ किए जाते हैं, न कि व्यापार या सट्टा के लिए।

आरईसीएल के मामले में, वर्ष के अंत में मौजूदा दर पर परिवर्तित की गई विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद निम्नानुसार हैं:

(₹ करोड़ में)

विनिमय दर	31.03.2020 तक की स्थिति के अनुसार	31.03.2019 तक की स्थिति के अनुसार
यूएसडी/आईएनआर	75.3859	69.1713
यूरो/आईएनआर	83.0496	77.7024
जेपीवाई/आईएनआर	0.6965	0.6252
एसजीडी/आईएनआर	52.8342	51.1422

41.2.3.3 विदेशी मुद्रा संवेदनशीलता विश्लेषण

निम्नलिखित सारणी कंपनी एवं इसकी सहायक कंपनी आरईसीएल के विदेशी मुद्रा के बकाया ऋणों पर आईएनआर के विरुद्ध विदेशी मुद्रा विनिमय दर में 5% परिवर्तन के लिए कुल इक्विटी पर प्रभाव (+ अभिलाभ/(हानि) दर्शाती है:

(₹ करोड़ में)

विदेशी मुद्रा देयताएं	31.03.2020 तक की स्थिति के अनुसार		31.03.2019 तक की स्थिति के अनुसार	
	कमी	वृद्धि	कमी	वृद्धि
यूएसडी	2,091.12	(2,091.12)	747.57	(747.57)
यूरो	12.56	(12.56)	11.35	(11.35)
जेपीवाई	180.14	(180.14)	160.39	(160.39)
एसजीडी	-	-	-	-
कुल	**2,283.82**	**(2,283.82)**	**919.31**	**(919.31)**

41.2.4 बाजार जोखिम - ब्याज दर जोखिम

ब्याज दर जोखिम ऐसा जोखिम है जहां ब्याज दरों में परिवर्तन के कारण किसी वित्तीय लिखत के भावी नकदी प्रवाह में उतार-चढ़ाव होगा।

(क) पीएफसी के मामले में

(i) प्रतिफल को अभीष्ठ करते हुए बाजार जोखिम एक्सपोजर को नियंत्रित करने के उद्देश्य से ब्याज दर जोखिम का प्रबंधन किया जाता है। ब्याज दरों में परिवर्तन की दिशा तथा परिसंपत्तियों या देयताओं के तेजी से पुनः मूल्य निर्धारण के आधार पर प्रभाव लाभप्रद या प्रतिकूल हो सकता है।

परिसंपत्ति देयता समिति (एएलसीओ) अंतराल विश्लेषण के माध्यम से अर्थात दर संवेदी परिसंपत्तियों तथा दर संवेदी देयताओं के बीच असंतुलन का विश्लेषण करके ब्याज दर जोखिम की जांच-पड़ताल करती है। अंतराल विश्लेषण के लिए आरबीआई द्वारा निर्धारित ब्याज दर संवेदनशीलता विवरण का प्रयोग किया जाता है जिसमें दर संवेदी परिसंपत्तियों एवं दर संवेदी देयताओं के बीच अंतर मापा जाता है जो परिपक्वता की तारीख या पुनः मूल्य निर्धारण की तारीख, जो भी पहले हो, के आधार पर वितरित की जाती हैं।

इसके अतिरिक्त, ब्याज दर जोखिम के प्रबंधन के लिए पीएफसी बाजार में प्रचलित स्थितियों, ऋण की लागत, लब्धि, विस्तार, प्रतियोगी दर आदि के आधार पर आवधिक आधार पर अपने ब्याज दरों की समीक्षा करती है। कंपनी द्वारा अपनी ब्याज दर एवं क्रेडिट नीतियों के माध्यम से परिसंपत्ति मिश्रण का प्रबंधन किया जाता है जिसमें अन्य बातों के साथ रीसेट की अवधियां, पुनर्भुगतान की अवधियां आदि शामिल होती हैं। लागत, बाजार की अपेक्षा; टाइमिंग; बाजार परिदृश्य, एएलएम अंतराल स्थिति आदि जैसे कारकों को ध्यान में रखकर देयताओं का प्रबंधन किया जाता है।

समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

(ii) ब्याज दर संवेदनशीलता विश्लेषण

आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार जोखिम पर अर्जन (ईएआर) ब्याज जोखिम प्रबंधन के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु है। ब्याज दर संवेदनशीलता विश्लेषण के लिए ब्याज दरों के मूवमेंट के प्रभाव को अंतराल विवरण से प्राप्त जोखिम पर अर्जन पर मापा गया है। स्थिर तुलन-पत्र मानते हुए एक वर्ष की अवधि में ब्याज दरों में 25 बेसिस वृद्धि/कमी को ध्यान में रखकर प्रभाव तैयार किया गया है। विश्लेषण दर्शाता है कि यदि दरों में 25 बीपीएस की वृद्धि/कमी होती है, तो ईएआर पर प्रभाव (+/-) ₹73.08 करोड़ (दिनांक 31.03.2019 तक की स्थिति के अनुसार (+/-) ₹70.00 करोड़) होगा।

यह विश्लेषण मानता है कि दर संवेदी परिसंपत्तियों और दर संवेदी देयताओं का एक समय ही पुनः मूल्य निर्धारण किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, विश्लेषण दर संवेदी परिसंपत्तियों एवं दर संवेदी देयताओं की शीघ्रातिशीघ्र/प्रथम पुनः मूल्य निर्धारण तारीख पर विचार करता है।

टिप्पणी: 25 बेसिस प्वाइंट की वृद्धि या कटौती ब्याज दरों में तर्कसंगत रूप से संभव परिवर्तन के बारे में प्रबंधन के मूल्यांकन का प्रतिनिधित्व करती है।

(ख) सहायक कंपनी, आरईसीएल के मामले में

(i) आरईसीएल, ब्याज दरों में उतार-चढ़ाव के जोखिम को कम करने के लिए, विभिन्न डेरीवेटिव संविदाएं जैसे कि ब्याज दर स्वैप संविदाएं और वायदा ब्याज दर संविदाएं करके ब्याज दर जोखिम का प्रबंधन करता है।

निम्नलिखित सारणी 31 मार्च, 2020 तक की स्थिति के अनुसार हेज्ड/अनहेज्ड श्रेणी के अंतर्गत विभाजन के साथ परिवर्तनशील दर वाली देयताओं पर ब्याज दर जोखिम के संबंध में कंपनी के समग्र एक्सपोजर को दर्शाती है:

(विदेशी मुद्रा और ₹ करोड़ में भारतीय रूपए के बराबर)

मुद्रा	31.03.2020 तक की स्थिति के अनुसार			31.03.2019 तक की स्थिति के अनुसार		
	फ्लोटिंग ब्याज दर एक्सपोजर	डेरिवेटिव के माध्यम से हेजिंग	अनहेज्ड एक्सपोजर	फ्लोटिंग ब्याज दर एक्सपोजर	डेरिवेटिव के माध्यम से हेजिंग	अनहेज्ड एक्सपोजर
आईएनआर ऋण	**19,899.78**	**-**	**19,899.78**	**19,550.00**	**-**	**19,550.00**
यूएसडी $	324.19	283.00	41.19	298.00	200.50	97.50
आईएनआर समतुल्य	**24,439.81**	**21,334.21**	**3,105.60**	**20,613.05**	**13,868.85**	**6,744.20**
जेपीवाई ¥	1,032.71	1,032.71	-	1,032.71	1,032.71	-
आईएनआर समतुल्य	**719.28**	**719.28**	**-**	**645.65**	**645.65**	**-**
एसजीडी $	7.20	7.20	-	-	-	-
आईएनआर समतुल्य	**380.83**	**380.83**	**-**	**-**	**-**	**-**
कुल आईएनआर समतुल्य	**45,439.70**	**22,434.32**	**23,005.38**	**40,808.70**	**14,514.50**	**26,294.20**

आरईसीएल के ऋणों पर अर्धनियत दर अर्थात 1/3/10 वर्ष में रिसेट के लिए ऋणकर्ता को विकल्प प्रदान करने के साथ ब्याज की नियत दर प्रभारित की जाती है। कंपनी बाजार में प्रचलित स्थितियों, ऋण की लागत, लब्धि, स्प्रेड, प्रतियोगियों की दरों, संस्वीकृतियों एवं संवितरणों आदि के आधार पर आवधिक आधार पर ऋण की अपनी दरों की समीक्षा करती है। भुगतान पूर्व जोखिमों के प्रबंधन के लिए कंपनी ऋण के पूर्व भुगतान के मामले में ऋणकर्ताओं से पूर्व भुगतान प्रीमियम प्रभारित करती है। ब्याज दर संवेदनशीलता अंतराल विवरण का विश्लेषण करके और नियत एवं परिवर्तनशील ब्याज दरों के मिश्रण के साथ परिसंपत्तियों एवं देयताओं के सृजन का मूल्यांकन करके ब्याज दर जोखिम का प्रबंधन किया जाता है।

आरईसीएल को निम्नलिखित ऋण परिसंपत्तियों पर ब्याज दर जोखिम का खतरा है जो अर्ध नियत दरों पर हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 तक की स्थिति के अनुसार	31.03.2019 तक की स्थिति के अनुसार
रूपया ऋण	3,12,065.92	2,79,021.68

समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

(ii) **संवेदनशीलता विश्लेषण**

निम्नलिखित सारणी अनहेज्ड एक्सपोजर पर कंपनी की परिवर्तनशील दरों वाली परिसंपत्तियों एवं देयताओं पर ब्याज दर में 50 बेसिस प्वाइंट की वृद्धि या ह्रास के लिए पी एंड एल (अभिलाभ/(हानि)) पर प्रभाव को दर्शाती है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 तक की स्थिति के अनुसार		31.03.2019 तक की स्थिति के अनुसार	
	वृद्धि	(कमी)	वृद्धि	(कमी)
परिवर्तनशील दर वाली ऋण देयताएं	(86.08)	86.08	(85.53)	85.53
परिवर्तनशील/अर्ध-नियत दर वाली ऋण परिसंपत्तियां	1,167.63	(1,167.63)	907.60	(907.60)

* अन्य परिवर्तनशील अचल राशि धारक

उपर्युक्त संवेदनशीलता विश्लेषण यह मानते हुए तैयार किया गया है कि रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बकाया राशि पूरे वर्ष के लिए बकाया बनी रहती है। 50 बेसिस प्वाइंट की वृद्धि या कटौती ब्याज दरों में तर्कसंगत रूप से संभव परिवर्तन के बारे में प्रबंधन के मूल्यांकन का प्रतिनिधित्व करती है।

41.2.5 बाजार जोखिम - मूल्य जोखिम

(i) समूह को सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों और उद्यम की पूंजीगत निधि की यूनिटों में निवेशों से उत्पन्न होने वाले मूल्य जोखिमों का खतरा बना रहता है। इनसे समूह को हो सकने वाले खतरों के लिए नोट 13 'निवेश' का संदर्भ लें। समूह के इक्विटी निवेशों को व्यापारिक उद्देश्यों के बजाय कार्यनीतिक उद्देश्यों के लिए रखा जाता है।

(ii) **संवेदनशीलता विश्लेषण**

समूह और उद्यम की पूंजीगत निधि की यूनिटों के अलावा, समूह के इक्विटी निवेशों के संबंध में संबंधित मूल्यों पर 5% कमी या वृद्धि के लिए लाभ एवं हानि तथा ओसीआई पर प्रभाव नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 तक की स्थिति के अनुसार		31.03.2019 तक की स्थिति के अनुसार	
	वृद्धि	(कमी)	वृद्धि	(कमी)
लाभ एवं हानि पर प्रभाव	2.22	(2.22)	-	-
ओसीआई पर प्रभाव	61.48	(61.48)	83.82	(83.82)

41.3 हेज लेखांकन

जब तक कि हेज लेखांकन संबंध के अंतर्गत निर्दिष्ट न हो, डेरिवेटिक का मापन एफवीटीपीएल पर किया जाता है। समूह, विदेशी मुद्रा और ब्याज दर जोखिम से इसे होने वाले खतरे से बचाव के लिए केवल मूलधन स्वैप, विदेशी मुद्रा विकल्प संरचना, वायदा संविदाओं, क्रास करेंसी स्वैप और ब्याज दर स्वैप के संयोजन का उपयोग करता है। विकल्प संविदाओं के लिए, समूह विकल्प के समय मूल्य को छोड़ते हुए विकल्प संविदाओं के वास्तविक मूल्य मात्र को ही हेज्ड मद के रूप में निर्दिष्ट करता है। विकल्प के संरेखित समय मूल्य के उचित मूल्य में परिवर्तन को अन्य व्यापक आय में मान्य किया जाता है और हेजिंग रिजर्व की लागत में संचित किया जाता है। हेजिंग संबंध के प्रारंभ में विकल्पों के समय मूल्य को ऋजरेखीय आधार पर लाभ या हानि में पुनः वर्गीकृत किया जाता है।

(i) **नीचे दी गई तालिका पीएफसी और सहायक कंपनी, आरईसीएल के लिए नकदी प्रवाह हेज रिजर्व में संचलन के ब्यौरे प्रदान करती है:**

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	वित्तीय वर्ष 2019-20	वित्तीय वर्ष 2018-19
1.	शुरू में नकदी प्रवाह हेज रिजर्व (कर का सकल)	(77.08)	-
2.	अन्य व्यापक आय में मान्य किए गए हेजिंग अभिलाभ/हानि	704.39	(163.7)
3.	अन्य व्यापक आय से लाभ और हानि में पुनःवर्गीकृत की गई राशि*	1,053.25	(86.61)
4.	हेजिंग लिखत पर अभिलाभ/(हानि) का प्रभावी भाग (2-3)	(348.86)	(77.09)
5.	अंत में नकदी प्रवाह हेज रिजर्व (1+4)	(425.94)	(77.09)
6.	अंत में नकदी प्रवाह हेज रिजर्व (कर को घटाकर)	(318.74)	(50.15)
	- कंपनी के स्वामी पर आरोप्य	(211.65)	(50.15)
	- गैर-नियंत्रित ब्याजों पर आरोप्य	(107.09)	

* लाभ और हानि के समेकित विवरण में वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए प्रमुख मद इक्विवल परिवर्तन/लेन-देन विनिमय अभिलाभ/हानिफमें ₹1059.36 करोड़ (वित्तीय वर्ष 2018-19 में ₹86.63 करोड़) तथा 'वित्तीय लागत' में ₹6.11 करोड़ (वित्तीय वर्ष 2018-19 में ₹0.02 करोड़) के भाग का सृजन करता है।

समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

(ii) **नीचे दी गई तालिका पीएफसी और सहायक कंपनी, आरईसीएल के लिए हेजिंग रिजर्व की लागत में संचलन के ब्यौरे प्रदान करती है:**

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	वित्तीय वर्ष 2019-20	वित्तीय वर्ष 2018-19
1.	प्रारंभिक शेष	-	-
2.	जोड़े: विदेशी मुद्रा विकल्प संरचनाओं के आस्थगित समय मूल्य में परिवर्तन	(382.41)	-
3.	घटाएं: समय मूल्य का परिशोधन	108.80	-
4.	घटाएं: उपरोक्त से संबंधित आस्थगित कर (निवल)	68.86	-
5.	अंतिम शेष	(204.75)	-
	- कंपनी के स्वामी पर आरोप्य	(107.76)	-
	- गैर-नियंत्रित ब्याजों पर आरोप्य	(56.71)	-

(क) पीएफसी के मामले में

(i) हेज प्रभावकारिता

महत्वपूर्ण शर्त समाधान विधि (जहां हेजिंग लिखत एवं हेज्ड मद की प्रधान शर्तें समान होती हैं) द्वारा पीएफसी सुनिश्चित करती है कि हेज अत्यधिक प्रभावी हों, अर्थात् हेज अनुपात लगभग 100% हो तथा रिपोर्टिंग की प्रत्येक तारीख को इसका पुनः मूल्यांकन किया जाता है।

(ii) नकदी प्रवाह हेज के रूप में निर्दिष्ट हेजिंग लिखत के ब्यौरे:

क्र. सं.	विवरण	अभिहित (नोमिनल) राशि (₹ करोड़ में)	रखाव राशि		परिपक्वता की तारीख	भारित औसत दर/प्रभावित कीमत
			परिसंपत्तियां (₹ करोड़ में)	देयताएं (₹ करोड़ में)		
1.	पीओएस	1,884.65	120.04	-	26.09.2023	4.12%
2.	पीओएस	1,884.65	141.60	-	28.06.2022	4.53%
3.	पीओएस	2,261.58	166.47	-	13.09.2024	4.43%
4.	आईआरएस	1,884.65	-	183.34	26.09.2023	3.15%
5.	आईआरएस	1,884.65	-	50.23	28.06.2022	1.76%

(iii) हेजिंग लिखत की अभिहित (नोमिनल) राशि के समय की प्रोफाइल

(₹ करोड़ में)

विवरण (डेरिवेटिव सहित)	31.03.2020 तक की स्थिति के अनुसार	31.03.2019 तक की स्थिति के अनुसार
पीओएस		
1 वर्ष तक	-	-
1 - 5 वर्ष	6,030.88	1,884.65
5 वर्ष से अधिक	-	-
उप-योग (क)	**6,030.88**	**1,884.65**
आईआरएस		
1 वर्ष तक	-	-
1 - 5 वर्ष	3,769.30	1,884.65
5 वर्ष से अधिक	-	-
उप-योग (ख)	**3,769.30**	**1,884.65**
कुल (क + ख)	**9,800.18**	**3,769.30**

समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

(ख) सहायक कंपनी, आरईसीएल के मामले में

आरईसीएल ने हेजिंग संबंधों के लिए 1:1 का हेजिंग अनुपात स्थापित किया है क्योंकि हेजिंग लिखतों के अंतर्निहित जोखिम और कल्पित राशि, हेज्ड मदों के समरूप होते हैं। हेज अप्रभावकारिता का निर्धारण हेज संबंध के प्रारंभ में और आवधिक प्रत्याशित प्रभावकारिता आकलनों के माध्यम से यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि हेज्ड मद और हेजिंग लिखत के बीच एक आर्थिक संबंध मौजूद है। आरईसीएल, विकल्प संरचनाओं के लिए सममिश्रण (रिग्रेशन) विश्लेषण आधारित डॉलर ऑफसेट विधि का उपयोग करते हुए हेजिंग लिखत और हेज्ड मद के व्यवहार के विश्लेषण के जरिए प्रभावकारिता परीक्षण कार्यनीतियों का लागू करती है।

(i) दिनांक 31.03.2020 तक की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र पर हेज लेखांकन के प्रभाव

(₹ करोड़ में)

हेज का प्रकार और जोखिम	कल्पित राशि (मिलियन में)	हेजिंग लिखतों का रखाव मूल्य		परिपक्वता की तारीख	हेज अनुपात	भारित औसत स्ट्राइक मूल्य/ दर	हेजिंग लिखत के उचित मूल्य में परिवर्तन	हेज प्रभावकारिता की मान्यता के लिए आधार के रूप में उपयोग की गई हेज्ड मद के मूल्य में परिवर्तन
		परिसंपत्ति	देयताएं					
नकदी प्रवाह हेज								
विदेशी विनिमय और ब्याज दर जोखिम								
(i) सीगल संरचना	यूएसडी 141.00	1,494.84	-	मई 2020 - मार्च 2025	1:1	71.88	213.14	(213.14)
	जेपीवाई 1,032.71	167.37	-	अगस्त 2023	1:1	0.62	10.3	(10.3)
कॉल स्प्रेड	यूएसडी 25.00	97.16	-	मार्च 2024	1:1	71.94	81.36	(81.36)
(ii) क्रॉस करेंसी स्वैप	यूएसडी 100.00	-	(297.86)	दिसंबर 2020 - मार्च 2025	1:1	3.67%	(175.35)	175.22
	जेपीवाई 1,032.71	-	(5.28)	अगस्त 2023	1:1	0.42%	(1.29)	1.29
	एसजीडी 7.21	2.32	-	मार्च 2025	1:1	1.18%	2.32	(2.32)
(iii) ब्याज दर स्वैप	यूएसडी 126.00	5.24	(134.45)	जुलाई 2020 - जुलाई 2024	1:1	2.35%	(185.91)	185.91

समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

41.4 उचित मूल्य का मापन

समूह की कुछ वित्तीय परिसंपत्तियों एवं वित्तीय देयताओं को रिपोर्टिंग की प्रत्येक अवधि के अंत में उचित मूल्य पर मापा जाता है। निम्नलिखित सारणी यह सूचना प्रदान करती है कि कैसे इन वित्तीय परिसंपत्तियों एवं वित्तीय देयताओं के उचित मूल्य निर्धारित किए जाते हैं (विशेष रूप से प्रयुक्त मूल्यांकन तकनीक एवं इनपुट)।

क्र. सं.	वित्तीय परिसंपत्ति/वित्तीय देयता – आवर्ती उचित मूल्य	निम्नलिखित तारीख को उचित मूल्य		उचित मूल्य का अनुक्रम (नोट 6.1 का संदर्भ लें)	मूल्यांकन की तकनीक (तकनीकें) और प्रमुख इनपुट
		31.03.2020	31.03.2019		
1.	सूचीबद्ध इक्विटी लिखत	1,261.51	1,664.04	स्तर 1	पीटीसी इंडिया लिमिटेड, एनएचपीसी लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, हुडको, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड आदि के शेयरों में समूह का निवेश उनके संबंधित उद्धृत बाजार मूल्य पर मापा जाता है।
2.	असूचीबद्ध इक्विटी लिखत	0.00	0.00	स्तर 3	पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड – मूल्य की गणना निवेशी कंपनी के वित्तीय विवरणों के आधार पर शून्य के रूप में की गई है। यूनिवर्सल कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड (यूसीएक्स) – आरईसीएल का निवेश शून्य रहा क्योंकि यूसीएक्स को वर्ष 2014 में बंद कर दिया गया था और यह एक चालू कंपनी नहीं रही।
3.	वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय संचयी मोचनीय वरीयता वाले शेयर	145.99	0.00	स्तर 3	रतन इंडिया पावर लिमिटेड – करार की शर्तों के अनुसार उचित मूल्य की गणना बट्टागत भावी नकदी प्रवाह के आधार पर की जाती है।
4.	केएसके के स्मॉल इज ब्यूटीफुल कोष की यूनिटें	12.24	12.36	स्तर 2	एसआईबी कोष द्वारा निर्दिष्ट निवल परिसंपत्ति मूल्य (एनएवी)।
5.	आंध्रा बैंक के बाण्डों में निवेश	2,310.67	2,366.71	स्तर 3	समूह ने बॉण्ड लिखतों में निवेश किया है। ये बॉण्ड एनएसई/बीएसई पर सूचीबद्ध हैं। इन बॉण्डों में ट्रेडिंग की किसी गतिविधि के अभाव में ऐसे हेज के लिए उद्धृत मूल्य का सुनिश्चय करना संभव नहीं है। छोटे किस्म के बॉण्डों के लिए बाजार ब्याज दर के अभाव में समूह ने वर्तमान बाजार दर के रूप में कूपन दर पर विचार किया है और तदनुसार बट्टा नकदी प्रवाह विधि का प्रयोग करके उचित मूल्य की गणना की गई है। डिस्काउंट रेट में किसी वृद्धि से उचित मूल्य में कटौती होगी और डिस्काउंट रेट में किसी कमी से उचित मूल्य में वृद्धि होगी।
6.	डेरिवेटिव वित्तीय लिखत			स्तर 2	इन संविदाओं का उचित मूल्य समकक्ष पक्षों वाले बैंकों से प्राप्त किया जाता है, जो मूल्यांकन विधि का प्रयोग करके इसका निर्धारण करते हैं, जिनमें ऐसे इनपुट का प्रयोग किया जाता है जो संविदाओं के लिए पालनीय होते हैं, जैसे कि ब्याज दर एवं लब्धि वक्र (कर्व), अंतर्निहित अस्थिरताएं आदि।
	परिसंपत्तियां	5,182.27	2,370.56		
	देयताएं	1,925.55	664.99		

समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

41.4.1 इस अवधि में स्तर-1 और स्तर-2 उचित मूल्य अनुक्रम के बीच कोई अंतरण नहीं हुआ।

41.4.2 स्तर-3 के इनपुट के माध्यम से निर्धारित उचित मूल्य वाले वित्तीय लिखतों का समाधान:

निम्नलिखित सारणियां उचित मूल्य पर मापी गई स्तर-3 की वित्तीय परिसंपत्तियों एवं देयताओं की प्रारंभिक एवं अंतिम राशियों का समाधान दर्शाती हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	असूचीबद्ध इक्विटी निवेश	आंध्रा बैंक के बॉण्डों में निवेश	वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय संचयी मोचनीय वरीयता वाले असूचीबद्ध शेयरों में निवेश
वित्तीय वर्ष 2019-20			
प्रारंभिक शेष	**0.00**	**2,366.71**	**-**
निवल ब्याज आय	-	256.06	1.50
वर्ष के दौरान किया गया निवेश	-	-	127.15
व्यवस्थापन	-*	(312.10)	-
उचित मूल्य अभिलाभ/(हानि)		-	17.34
अंतिम शेष	**-**	**2,310.67**	**145.99**
अवधि के अंत में धारित शेष पर अप्राप्त अभिलाभ/(हानियां)	(16.00)	10.67	18.84
वित्तीय वर्ष 2018-19			
प्रारंभिक शेष	-	2,310.46	-
निवल ब्याज आय	-	255.85	-
व्यवस्थापन	-	(199.60)	-
अंतिम शेष	**-**	**2,366.71**	**-**
अवधि के अंत में धारित शेष पर अप्राप्त अभिलाभ/(हानियां)	(372.51)	66.71	-

* नोट 13.5 का संदर्भ लें

41.4.3 परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों/वित्तीय देयताओं का उचित मूल्य

(₹ करोड़ में)

परिसंपत्ति/देयता	उचित मूल्य अनुक्रम	31.03.2020 तक की स्थिति के अनुसार		31.03.2019 तक की स्थिति के अनुसार	
		परिशोधित लागत	उचित मूल्य	परिशोधित लागत	उचित मूल्य
ऋण	3	6,46,196.11	6,44,517.94	5,73,661.28	5,71,316.92
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	2	27,462.14	27,467.65	23,712.97	23,719.68
ऋण प्रतिभूतियां [क]	1/2	4,41,765.90	4,36,863.38	3,98,352.00	3,96,343.92
ऋण प्रतिभूतियों से भिन्न ऋण [ख]	2	1,40,666.72	1,47,033.71	1,27,007.23	1,27,446.14
सबॉर्डिनेटिड देयताएं	2	14,130.60	15,167.54	14,128.46	14,155.14

(क) स्तर 1 के उचित मूल्य अनुक्रम के सूचीबद्ध लिखत शामिल हैं।
विदेशी मुद्रा नोटों (जीएमटीएन निर्गमन) को रियूटर्स के अनुसार अंतिम कीमतों के आधार पर उचित मूल्य पर मूल्यांकित किया जा रहा है।

(ख) 'लिबोर' से संबद्ध विदेशी मुद्रा ऋण और सममूल्य पर मूल्यांकित बहुपक्षीय एजेंसी ऋण शामिल हैं।

(i) उपरोक्त वित्तीय परिसंपत्तियों एवं देयताओं का उचित मूल्य बट्टागत नकदी प्रवाह विश्लेषण पर आधारित सामान्यतः स्वीकृत मूल्य निर्धारण मॉडल के अनुसरण में निर्धारित किया गया है जिसमें सबसे महत्वपूर्ण इनपुट डिस्काउंट रेट है जो ऐसे मामलों को छोड़कर जहां उद्धृत बाजार मूल्य उपलब्ध हैं, समकक्ष पक्षों के क्रेडिट जोखिम को दर्शाता है।

(ii) उपरोक्त तालिका में दर्शाई गई परिसंपत्तियों और देयताओं को छोड़कर, अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों एवं वित्तीय देयताओं के उचित मूल्य के तार्किक स्तर के निकटतम मूल्य के लिए उनकी रखाव राशि पर विचार किया जाता है।

समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

42. संबंधित पक्षकारों का प्रकटन

42.1 संबंधित पक्षकार

सहयोगी कंपनियां

1. बिहार मेगा पावर लिमिटेड
2. साखीगोपाल इंटीग्रेटिड पावर कंपनी लिमिटेड
3. उड़ीसा इंटीग्रेटिड पावर लिमिटेड
4. घोगरपल्ली इंटीग्रेटिड पावर कंपनी लिमिटेड
5. झारखंड इंफ्रापावर लिमिटेड
6. ओडिशा इंफ्रापावर लिमिटेड
7. कोस्टल तमिलनाडु पावर लिमिटेड
8. देवघर मेगा पावर लिमिटेड
9. बिहार इंफ्रापावर लिमिटेड
10. चेय्यूर इंफ्रा लिमिटेड
11. देवघर इंफ्रा लिमिटेड
12. तातिया आंध्रा मेगा पावर लिमिटेड
13. छत्तीसगढ़ सरगुजा पावर लिमिटेड
14. कोस्टल महाराष्ट्र मेगा पावर लिमिटेड
15. कोस्टल कर्नाटक पावर लिमिटेड
16. वापी II उत्तर लखीमपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड – (पीएफसीसीएल के माध्यम से)
17. करूर ट्रांसमिशन लिमिटेड (20.11.2019 को शामिल) – (पीएफसीसीएल के माध्यम से)
18. शोंगटोंग करचम – वांग्टू ट्रांसमिशन लिमिटेड (कंपनी रजिस्ट्रार के रिकॉर्ड से कंपनी का नाम हटा देने की प्रक्रिया के तहत) – (पीएफसीसीएल के माध्यम से)
19. बिजावर-विदर्भ ट्रांसमिशन लिमिटेड (नेशनल कमेटी ऑन ट्रांसमिशन (एनसीटी) ने स्कीम/आईटीपी को बंद करने/डी-नोटिफिकेशन के लिए पहले ही सिफारिश कर दी है, हालांकि, विद्युत मंत्रालय से औपचारिक राजपत्रित अधिसूचना प्रतीक्षित है) – (पीएफसीसीएल के माध्यम से)
20. कोप्पल-नरेंद्र ट्रांसमिशन लिमिटेड (18.11.2019 को निगमित) – (पीएफसीसीएल के माध्यम से)
21. टांडा ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (कंपनी रजिस्ट्रार के रिकॉर्ड से कंपनी का नाम हटा देने की प्रक्रिया के तहत) – (पीएफसीसीएल के माध्यम से)
22. भुज-II ट्रांसमिशन लिमिटेड (16.10.2019 को हस्तांतरित) – (पीएफसीसीएल के माध्यम से)
23. फतेहगढ़- II ट्रांसको लिमिटेड (14.10.2019 को हस्तांतरित) – (पीएफसीसीएल के माध्यम से)
24. बीकानेर-खेतड़ी ट्रांसमिशन लिमिटेड (19.09.2019 को हस्तांतरित) – (पीएफसीसीएल के माध्यम से)
25. लाकडिया-वडोदरा ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट लिमिटेड (26.11.2019 को हस्तांतरित) – (पीएफसीसीएल के माध्यम से)
26. मेरठ सिम्भावली ट्रांसमिशन लिमिटेड (17.06.2019 को निगमित; 19.12.2019 को हस्तांतरित) – (पीएफसीसीएल के माध्यम से)
27. दुमका ट्रांसमिशन लिमिटेड – (आरईसीएल के माध्यम से)
28. डिनचेंग ट्रांसमिशन लिमिटेड – (आरईसीएल के माध्यम से)
29. कोडरमा ट्रांसमिशन लिमिटेड – (आरईसीएल के माध्यम से)
30. चांडिल ट्रांसमिशन लिमिटेड – (आरईसीएल के माध्यम से)
31. मंदार ट्रांसमिशन लिमिटेड – (आरईसीएल के माध्यम से)
32. खेतड़ी ट्रांसको लिमिटेड (29.08.2019 को हस्तांतरित) – (आरईसीएल के माध्यम से)
33. भिंडगुना ट्रांसमिशन लिमिटेड (11.09.2019 को हस्तांतरित) – (आरईसीएल के माध्यम से)
34. रामपुर संभल ट्रांसको लिमिटेड (02.05.2019 को निगमित किया गया और 12.12.2019 को हस्तांतरित) – (आरईसीएल के माध्यम से)
35. जाम खंबालिया ट्रांसको लिमिटेड (13.11.2019 को हस्तांतरित) – (आरईसीएल के माध्यम से)
36. उडुप्पी कासगोड ट्रांसमिशन लिमिटेड (12.09.2019 को हस्तांतरित) – (आरईसीएल के माध्यम से)
37. अजमेर फागी ट्रांसको लिमिटेड (03.10.2019 को हस्तांतरित) – (आरईसीएल के माध्यम से)
38. डब्ल्यूआरएसएस XXI (ए) ट्रांसको लिमिटेड (14.10.2019 को हस्तांतरित) – (आरईसीएल के माध्यम से)
39. लाकडिया बनासकांठा ट्रांसको लिमिटेड (13.11.2019 को हस्तांतरित) – (आरईसीएल के माध्यम से)

संयुक्त उद्यम

1. एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसिज लिमिटेड (ईईएसएल)
2. क्रेटन एनर्जी लिमिटेड (ईईएसएल के माध्यम से)
3. ईईएसएल एनर्जी प्रो एसेट्स लिमिटेड (ईईएसएल के माध्यम से)
4. एडीना एक्विजिशन लिमिटेड (ईईएसएल के माध्यम से)
5. एनेस्को एनर्जी सर्विस (साउथ) लिमिटेड (ईईएसएल के माध्यम से)
6. एडीना लिमिटेड (ईईएसएल के माध्यम से)
7. ईपीएल होल्डिंग्स लिमिटेड (ईईएसएल के माध्यम से)
8. एडीना ऑस्ट्रेलिया पीटीवाई लिमिटेड (ईईएसएल के माध्यम से)
9. एडीना पावर सर्विसिज लिमिटेड (ईईएसएल के माध्यम से)
10. स्टैनबेक लिमिटेड (ईईएसएल के माध्यम से)
11. एडीना यूके लिमिटेड (ईईएसएल के माध्यम से)
12. एडीना पावर लिमिटेड (ईईएसएल के माध्यम से)
13. अरमौरा होल्डिंग्स लिमिटेड (ईईएसएल के माध्यम से)
14. एडीना मैन्यूफैक्चरिंग लिमिटेड (ईईएसएल के माध्यम से)
15. ईपीएसएल ट्राइजेनरेशन प्राइवेट लिमिटेड (ईईएसएल के माध्यम से)

समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

कंपनी के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी):	पदनाम
पीएफसी के संबंध में	
1. श्री राजीव शर्मा (31.05.2020 को सेवानिवृत्त)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
2. श्री रविन्द्र सिंह ढिल्लों (12.06.2019 से 31.05.2020 तक निदेशक (परियोजना)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (01.06.2020 से)
3. श्री एन. बी. गुप्ता	निदेशक (वित्त)
4. श्री पी.के. सिंह	निदेशक (वाणिज्यिक)
5. श्री चिन्मय गंगोपाध्याय (30.04.2019 को सेवानिवृत्त)	निदेशक (परियोजना)
6. श्री अरुण कुमार वर्मा (27.08.2019 तक)	सरकारी नामिती निदेशक
7. श्री मृत्युंजय कुमार नारायण (28.08.2019 से)	सरकारी नामिती निदेशक
8. श्री सीताराम पारीक (05.02.2020 तक)	अंशकालिक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक
9. श्रीमती गौरी चौधरी	अंशकालिक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक
10. श्री राम चंद्र मिश्रा (11.07.2019 से)	अंशकालिक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक
11. श्री मनोहर बलवानी	कंपनी सचिव
सहायक कंपनी, आरईसीएल के संबंध में	
1. श्री अजीत कुमार अग्रवाल (31.05.2020 तक)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा निदेशक (वित्त)
2. श्री संजीव कुमार गुप्ता	निदेशक (तकनीकी)
3. श्री अजय चौधरी (01.06.2020 से)	निदेशक (वित्त)
4. श्री पी.के. सिंह (18.06.2019 से)	पीएफसी नामिती निदेशक (गैर-कार्यपालक निदेशक)
5. श्री मृत्युंजय कुमार नारायण (02.09.2019 से)	सरकारी नामिती निदेशक (गैर-कार्यपालक निदेशक)
6. श्री अरुण कुमार वर्मा (01.09.2019 तक)	सरकारी नामिती निदेशक (गैर-कार्यपालक निदेशक)
7. डॉ भगवत किशनराव (12.03.2020 तक)	अंशकालिक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक
8. श्रीमती आशा स्वरूप (08.02.2020 तक)	अंशकालिक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक
9. श्री अरावमुदन कृष्णा (13.11.2019 तक)	अंशकालिक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक
10. प्रोफेसर टी. टी. राम मोहन (13.11.2019 तक)	अंशकालिक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक
11. श्री जे. एस. अमिताभ	कार्यपालक निदेशक एवं कंपनी सचिव
सहायक कंपनी, पीएफसीसीएल के संबंध में	
1. श्री राजीव शर्मा (31.05.2020 को सेवानिवृत्त)	अध्यक्ष
2. श्री एन. बी. गुप्ता	निदेशक
3. श्री चिन्मय गंगोपाध्याय (30.04.2019 को सेवानिवृत्त)	निदेशक
4. श्री रविन्द्र सिंह ढिल्लों (12.06.2019 से 31.05.2020 तक) (01.06.2020 से अध्यक्ष)	निदेशक
5. श्री पी. के. सिंह	निदेशक
6. श्री योगेश जुनेजा	मुख्य कार्यपालक अधिकारी
7. श्री मनीष कुमार अग्रवाल	कंपनी सचिव
कंपनी के नियंत्रणाधीन न्यास/कोष	
1. पीएफसी कर्मचारी भविष्य निधि	2. पीएफसी कार्मिक ग्रेच्युटी निधि
3. पीएफसी परिभाषित अंशदान पेंशन योजना 2007	4. पीएफसी अधिवर्षिता चिकित्सा निधि
सहायक कंपनी, आरईसीएल के न्यास/कोष/समिति	
1. आरईसी सेवानिवृत्त कार्मिक चिकित्सा न्यास	2. आरईसी कार्मिक अधिवर्षिता न्यास
3. आरईसी ग्रेच्युटी फंड	4. आरईसी लिमिटेड अंशदायी भविष्य निधि न्यास
5. आरईसी फाउंडेशन	
अन्य	
1. पीटीसी इंडिया लिमिटेड	

समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

42.2 संबंधित पक्षकारों के साथ लेन-देन निम्नानुसार है:

समूह के समेकित वित्तीय विवरण को तैयार करने में सहायक कंपनियों के साथ अंतर समूह संबंधित पक्षकार लेन-देन का उन्मूलन किया जाता है। अतः समूह संबंधित पक्षकार की बकाया राशियां प्रकटीकरण नहीं किया गया है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान	वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान
संयुक्त उद्यम		
अन्य	0.74	0.24
सहयोगी कंपनी		
सहयोगी कंपनियों को अग्रिम	3.59	3.71
सहयोगी कंपनियों से अग्रिम (ब्याज सहित) की वसूली	14.92	-
सहयोगी कंपनियों को दिए गए अग्रिम पर ब्याज आय	21.12	26.68
सहयोगी कंपनियों से प्राप्त अग्रिम	8.65	30.62
सहयोगी कंपनियों से अग्रिमों पर ब्याज व्यय	5.07	6.14
सहयोगी कंपनियों के हस्तांतरण पर ब्याज	59.92	4.22
अन्य	5.95	6.09
समूह के नियंत्रणाधीन न्यास/कोष		
वर्ष के दौरान किया गया अंशदान	39.49	107.61
अन्य	9.13	129.6
प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक		
अल्पावधि कार्मिक हितलाभ (i)	6.15	7.74
नियोजन पश्चात् हितलाभ (ii)	0.64	0.67
अन्य दीर्घावधि हितलाभ (iii)	0.33	0.24
उप-योग (i+ii+iii)	**7.12**	**-**
ऋणों और अग्रिमों का पुनर्भुगतान/वसूली	0.11	0.09
निदेशकों की बैठक का शुल्क	0.33	0.36
अन्य	0.03	0.02
पीटीसी इंडिया लिमिटेड		
प्राप्त लाभांश	4.80	-
अन्य	0.02	0.04

42.3 संबंधित पक्षकारों के साथ बकाया राशि निम्नानुसार है:

समूह के समेकित वित्तीय विवरण को तैयार करने में सहायक कंपनियों के साथ अंतर समूह संबंधित पक्षकारों की बकाया राशियों का उन्मूलन किया जाता है। अतः समूह संबंधित पक्षकार लेन-देन में इसका प्रकटीकरण नहीं किया गया है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 तक की स्थिति के अनुसार	31.03.2019 तक की स्थिति के अनुसार
ऋणों और अग्रिमों (ब्याज सहित) के संबंध में वसूली योग्य राशि		
सहयोगी कंपनियां	171.02	209.07
प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक	0.84	0.98
संयुक्त उद्यम	-	0.23
समूह के नियंत्रणाधीन न्यास/कोष	4.21	-
ऋणों और अग्रिमों (ब्याज सहित) के संबंध में देय राशि		
सहयोगी कंपनियां	169.11	188.20
प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक	0.64	1.23
समूह के नियंत्रणाधीन न्यास/कोष	66.08	39.35

समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

42.4 समान सरकार के नियंत्रणाधीन संस्थाओं (सरकार से संबंधित संस्थाओं) के संबंध में प्रकटन

समूह में शामिल कंपनियां, केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (सीपीएसयू) है। वर्ष के दौरान, सरकार से संबंधित संस्थाओं, जिनके साथ समूह ने महत्वपूर्ण लेन-देन किया है, की सूची इस प्रकार है, किंतु यह इस तक ही सीमित नहीं है:

भारतीय रेल बिजली कंपनी लिमिटेड	दामोदर घाटी निगम
टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
नेयवेली यूपी पावर लिमिटेड	बिहार ग्रिड कंपनी लिमिटेड
मेजा ऊर्जा निगम प्राइवेट लिमिटेड	कोल इंडिया लिमिटेड
रायचूर पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	एनएचपीसी लिमिटेड
एनटीपीसी लिमिटेड	अरावली पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
एनएलसी तमिलनाडु पावर लिमिटेड	नॉर्थ ईस्ट ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड
नेशनल हाई पावर टेस्ट लैबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड	नेयवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड
नबीनगर पावर जनरेटिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड
भिलाई इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी लिमिटेड	एनटीपीसी तमिलनाडु एनर्जी कंपनी लिमिटेड
टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड	पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड
एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड	एमएसटीसी लिमिटेड

समान सरकार के नियंत्रणाधीन संस्थाओं के साथ महत्वपूर्ण लेन-देन

(₹ करोड़ में)

लेन-देन का प्रकार	वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान	वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान
ऋणों का संवितरण	4,770.51	8,011.46
प्राप्त ब्याज	6,598.77	6,217.62

सरकार से संबंधित संस्थाओं के साथ उपर्युक्त लेन-देन में ऐसे लेन-देन शामिल हैं जो व्यक्तिगत रूप से एवं सामूहिक रूप से महत्वपूर्ण हैं। समूह ने अन्य सीपीएसयू के साथ अन्य लेन-देन जैसे कि टेलीफोन व्यय, हवाई यात्रा तथा डिपॉजिट आदि भी किया है। ये व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से महत्वहीन हैं और इसलिए इनका प्रकटन नहीं किया गया है। सभी लेन-देन बाजार की शर्तों पर किए जाते हैं।

42.5 संबंधित पक्षकारों के साथ लेन-देन की निबंधन एवं शर्तें

(i) संबंधित पक्षकारों के साथ लेन-देन ऐसी शर्तों से समतुल्य शर्तों पर किया जाता है जो निकटस्थ लेन-देन में प्रचलित होती हैं।

(ii) प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों को पारिश्रमिक तथा स्टाफ ऋण संबंधित कंपनियों के सेवा नियमों के अनुरूप हैं।

(iii) प्रारंभिक व्यय को वहन करने के लिए समूह में शामिल कंपनियां अपनी सहयोगी कंपनियों को अग्रिम देती है जिनको एसपीवी के रूप में निगमित किया गया है। कंपनी की नीति के अनुसार सावधि ऋणों पर लागू दर से ऐसे अग्रिमों पर ब्याज दर लगाई जाती है।

(iv) न्यासों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों को भुगतान किया गया ब्याज और/अथवा लाभांश उनके द्वारा कंपनी की ऋण प्रतिभूतियों और/अथवा इक्विटी शेयरों में किए गए निवेश के परिणामस्वरूप किया गया है तथा ऐसी प्रतिभूतियों पर संदत्त ब्याज और/अथवा लाभांश सभी धारकों को समान रूप से प्रयोज्य है।

(v) वर्ष के अंत में सहायक एवं सहयोगी कंपनियों के बकाया शेष अप्रतिभूत हैं।

43. कार्मिक हितलाभ

43.1 परिभाषित अंशदान योजनाएं

(क) पेंशन

समूह में शामिल कंपनियां कार्मिकों के प्रति अपने पेंशन दायित्व के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना के कॉर्पोरेट सेक्टर मॉडल के तहत कार्मिकों के टियर-I एनपीएस खाते (पेंशन खाते) में पूर्व-निर्धारित दरों पर नियत अंशदान का भुगतान करती हैं।

समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

(ख) भविष्य निधि

समूह में शामिल कंपनियां एक अलग न्यास को निर्धारित दरों पर भविष्य निधि के लिए नियत अंशदान का भुगतान करती हैं, जो अनुमत प्रतिभूतियों में निधियों का निवेश करता है। इन न्यासों को भारत सरकार द्वारा निर्धारित दर से सदस्यों को प्रतिफल की न्यूनतम दर निर्धारित करना होता है। तथापि, प्रतिफल की निर्धारित दर के अनुसार सदस्यों को ब्याज के भुगतान के लिए किसी कमी की क्षतिपूर्ति समूह में शामिल कंपनियों द्वारा की जाती है। समूह में शामिल कंपनियों का यह अनुमान है कि निकट भविष्य में इस संबंध में कोई देयता उत्पन्न नहीं होगी और इसलिए कोई अग्रेतर प्रावधान करना आवश्यक नहीं समझा गया है।

समूह ने ₹28.32 करोड़ (पिछले वर्ष ₹25.69 करोड़) की राशि को परिभाषित अंशदान योजनाओं के लिए लाभ एवं हानि के समेकित विवरण में व्यय के रूप में मान्य किया है।

43.2 परिभाषित हितलाभ योजनाएं:

(क) उपदान

समूह में शामिल कंपनियों की एक परिभाषित उपदान योजना है, जिसका प्रबंधन एक अलग न्यास करता है। यथा संशोधित उपदान भुगतान अधिनियम, 1972 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, प्रत्येक कार्मिक जिसने 5 वर्ष या अधिक अवधि तक लगातार सेवा की है, अधिवर्षिता, त्यागपत्र, सेवा समाप्ति, दिव्यांगता या मृत्यु पर अधिकतम ₹0.20 करोड़ के अधीन सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 15 दिन के वेतन पर उपदान के लिए हकदार है। इसके लिए देयता को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर मान्य किया जाता है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 तक की स्थिति के अनुसार	31.03.2019 तक की स्थिति के अनुसार
(क) परिभाषित हितलाभ बाध्यता का वर्तमान मूल्य	65.25	68.91
(ख) योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	61.14	69.90
(ग) निवल परिभाषित हितलाभ (परिसंपत्ति)/देयता (क-ख)	4.11	(0.99)

निवल परिभाषित हितलाभ (परिसंपत्तियां)/देयता में मूवमेंट

(₹ करोड़ में)

	विवरण	परिभाषित हितलाभ बाध्यता का वर्तमान मूल्य निम्नलिखित तारीख को समाप्त वर्ष के लिए		योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य निम्नलिखित तारीख को समाप्त वर्ष के लिए		निवल परिभाषित हितलाभ (परिसंपत्ति)/देयता निम्नलिखित तारीख को समाप्त वर्ष के लिए	
		31.03.2020	31.03.2019	31.03.2020	31.03.2019	31.03.2020	31.03.2019
I.	**प्रारंभिक शेष**	**68.91**	**78.16**	**69.90**	**72.73**	**(0.99)**	**5.43**
	लाभ और हानि में शामिल						
	वर्तमान सेवा लागत	4.05	4.41	-	-	4.05	4.41
	विगत सेवा लागत	-	-	-	-	-	-
	ब्याज लागत/आय	5.02	6.03	5.41	5.60	(0.39)	0.43
II.	**लाभ या हानि में मान्य कुल राशि**	**9.07**	**10.44**	**5.41**	**5.60**	**3.66**	**4.84**
	ओसीआई में शामिल						
	हानि/(अभिलाभ) का पुनर्मापन	-	-	-	-	-	-
	वित्तीय पूर्वानुमानों में परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक हानि/(अभिलाभ)	4.16	(0.25)	-	-	4.16	(0.25)
	अनुभव समायोजन से उत्पन्न बीमांकिक हानि/(अभिलाभ)	(2.33)	(3.50)	-	-	(2.33)	(3.50)
	जनांकिक पूर्वानुमानों में परिवर्तन का प्रभाव	-	(2.70)	-	-	-	(2.70)
	ब्याज आय को छोड़कर योजनागत परिसंपत्तियों पर प्रतिफल	-	-	(0.44)	0.42	0.44	(0.42)
III.	**ओसीआई में मान्य कुल राशि**	**1.83**	**(6.45)**	**(0.44)**	**0.42**	**2.27**	**(6.87)**
IV.	प्रतिभागियों द्वारा अंशदान	-	-	-	2.84	-	(2.84)
V.	नियोक्ता द्वारा अंशदान	-	-	0.82	1.55	(0.82)	(1.55)
VI.	संदत्त हितलाभ	(14.56)	(13.24)	(14.55)	(13.24)	(0.01)	-
VII.	**अंतिम शेष (I+II+III+IV+V+VI)**	**65.25**	**68.91**	**61.14**	**69.90**	**4.11**	**(0.99)**

समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

(ख) सेवानिवृत्ति पश्चात् चिकित्सा योजना (पीआरएमएस)

अधिवर्षिता प्राप्त करने वाले कार्मिकों तथा दिवंगत कार्मिकों एवं उनके परिवार के आश्रित सदस्यों को चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए समूह में शामिल कंपनियों की सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा योजना (पीआरएमएस) है। पीआरएमएस के लिए देयता को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर मान्य किया जाता है।

इस योजना का प्रबंधन एक अलग न्यास द्वारा किया जाता है। न्यास को सेवानिवृत्त कार्मिकों द्वारा किए गए चिकित्सा व्यय को वहन करने के लिए पर्याप्त कॉरपस सुनिश्चित करना होता है। तथापि, किसी कमी की क्षतिपूर्ति कंपनी द्वारी की जाती है। कंपनी का यह अनुमान है कि निकट भविष्य में इस संबंध में कोई देयता उत्पन्न नहीं होगी और इसलिए किसी अन्य प्रावधान पर विचार करना आवश्यक नहीं समझा गया है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 तक की स्थिति के अनुसार	31.03.2019 तक की स्थिति के अनुसार
(क) परिभाषित हितलाभ बाध्यता का वर्तमान मूल्य	178.42	164.91
(ख) योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	177.71	126.50
(ग) निवल परिभाषित हितलाभ (परिसंपत्तियां)/देयता (क-ख)	0.71	38.41

निवल परिभाषित हितलाभ (परिसंपत्तियां)/देयता में मूवमेंट

(₹ करोड़ में)

विवरण	परिभाषित हितलाभ बाध्यता का वर्तमान मूल्य		योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य		निवल परिभाषित हितलाभ (परिसंपत्ति)/देयता	
	निम्नलिखित तारीख को समाप्त वर्ष के लिए		निम्नलिखित तारीख को समाप्त वर्ष के लिए		निम्नलिखित तारीख को समाप्त वर्ष के लिए	
	31.03.2020	31.03.2019	31.03.2020	31.03.2019	31.03.2020	31.03.2019
I. प्रारंभिक शेष	**164.91**	**133.00**	**126.50**	**22.20**	**38.41**	**110.80**
लाभ और हानि में शामिल						
वर्तमान सेवा लागत	4.58	3.40	-	-	4.58	3.40
विगत सेवा लागत	-	-	-	-	-	-
ब्याज लागत/आय	12.48	10.18	9.77	3.00	2.71	7.18
II. लाभ या हानि में मान्य कुल राशि	**17.06**	**13.58**	**9.77**	**3.00**	**7.29**	**10.58**
ओसीआई में शामिल						
हानि/(अभिलाभ) का पुनर्मापन						
वित्तीय पूर्वानुमानों में परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक हानि/(अभिलाभ)	21.20	(5.87)	-	-	21.20	(5.87)
अनुभव समायोजन से उत्पन्न बीमांकिक हानि/(अभिलाभ)	(13.53)	33.83	-	-	(13.53)	33.83
जनांकिक पूर्वानुमानों में परिवर्तन का प्रभाव	-	1.64	-	-	-	1.64
ब्याज आय को छोड़कर योजनागत परिसंपत्तियों पर प्रतिफल	-	-	4.24	0.09	(4.24)	(0.09)
III. ओसीआई में मान्य कुल राशि	**7.67**	**29.60**	**4.24**	**0.09**	**3.43**	**29.51**
IV. प्रतिभागियों द्वारा अंशदान	-	-	31.81	96.78	(31.81)	(96.78)
V. नियोक्ता द्वारा अंशदान	-	-	6.95	6.53	(6.95)	(6.53)
VI. प्रदत्त हितलाभ	(11.22)	(11.27)	(1.56)	(2.10)	(9.66)	(9.17)
VII. अंतिम शेष (I+II+III+IV+V+VI)	**178.42**	**164.91**	**177.71**	**126.50**	**0.71**	**38.41**

समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

(ग) आर्थिक पुनर्वास योजना (ईआरएस)

किसी कार्मिक की स्थायी दिव्यांगता/मृत्यु के मामले में मौद्रिक लाभ प्रदान करने के लिए समूह में शामिल कंपनियों की आर्थिक पुनर्वास योजना (ईआरएस) है। यह योजना गैर-वित्तपोषित है तथा देयता का बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर निर्धारण किया जाता है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 तक की स्थिति के अनुसार	31.03.2019 तक की स्थिति के अनुसार
परिभाषित हितलाभ बाध्यता का वर्तमान मूल्य	7.14	5.38

परिभाषित हितलाभ दायित्व में मूवमेंट

(₹ करोड़ में)

विवरण	निम्नलिखित तारीख को समाप्त वर्ष के लिए	
	31.03.2020	31.03.2019
I. प्रारंभिक शेष	**5.38**	**5.01**
लाभ और हानि में शामिल		
वर्तमान सेवा लागत	0.47	0.52
विगत सेवा लागत	-	-
ब्याज लागत/आय	0.40	0.39
II. लाभ या हानि में मान्य कुल राशि	**0.87**	**0.91**
ओसीआई में शामिल		
वित्तीय पूर्वानुमानों में परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक हानि/(अभिलाभ)	0.55	(0.02)
अनुभव समायोजन से उत्पन्न बीमांकिक हानि/(अभिलाभ)	1.73	0.37
जनांकिक पूर्वानुमानों में परिवर्तन का प्रभाव	-	-
ब्याज आय को छोड़कर योजनागत परिसंपत्तियों पर प्रतिफल	-	-
III. ओसीआई में मान्य कुल राशि	**2.28**	**0.35**
IV. प्रतिभागियों द्वारा अंशदान	**-**	**-**
V. नियोक्ता द्वारा अंशदान	-	-
VI. प्रदत्त हितलाभ	(1.39)	(0.89)
VII. अंतिम शेष (I+II+III+IV+V+VI)	**7.14**	**5.38**

(घ) जोखिम एक्सपोजर

अपनी परिभाषित हितलाभ योजनाओं के माध्यम से समूह में शामिल कंपनियों को अनेक जोखिमों का खतरा बना रहता है जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण जोखिमों का ब्योरा नीचे दिया गया है:

(i) निवेश जोखिम/परिसंपत्ति अस्थिरता जोखिम

अधिकांश योजनागत परिसंपत्ति निवेश सरकारी प्रतिभूतियों, उच्च ग्रेड की अन्य नियत आय प्रतिभूतियों तथा म्युचुअल कोष में है। इन परिसंपत्तियों का उचित मूल्य ब्याज दरों में परिवर्तन तथा अन्य बाजार एवं स्थूल आर्थिक कारकों के कारण अस्थिरता के अधीन है। इसमें परिसंपत्ति देयता मिलान का जोखिम भी होता है अर्थात् योजनागत परिसंपत्तियों के लिए नकदी प्रवाह योजनागत देयताओं के लिए नकदी प्रवाह से मेल नहीं खाता है।

(ii) डिस्काउंट रेट में परिवर्तन

डिस्काउंट रेट का प्रयोग करके परिभाषित हितलाभ की योजनागत देयताओं के वर्तमान मूल्य की गणना की जाती है, जो समीक्षाधीन अवधि के अंत में बाजार लब्धियों के संदर्भ में निर्धारित किया जाता है। डिस्काउंट रेट में कटौती (वृद्धि) से योजनागत देयताओं के वर्तमान मूल्यों में वृद्धि (कटौती) होगी, हालांकि यह योजनागत निवेशों के मूल्य में वृद्धि से आंशिक रूप से प्रतितुलित (ऑफसेट) होगा।

(iii) मृत्युदर जोखिम/दीर्घायुता जोखिम

योजना के प्रतिभागियों के नियोजन के दौरान तथा उनके नियोजन के पश्चात भी मृत्यु के सर्वोत्तम अनुमान के संदर्भ में परिभाषित हितलाभ योजनाओं की देयता के वर्तमान मूल्य की गणना की जाती है। योजना के प्रतिभागियों के जीवन प्रत्याशा में वृद्धि से योजना की देयता में वृद्धि होगी।

(iv) वेतन वृद्धि जोखिम

योजना के प्रतिभागियों के भावी वेतन के संदर्भ में परिभाषित हितलाभ योजना की देयता के वर्तमान मूल्य की गणना की जाती है। इस प्रकार, योजना के प्रतिभागियों के वेतन में वृद्धि से योजना की देयता में वृद्धि होगी।

समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

(ङ) योजनागत परिसंपत्तियां

प्रत्येक श्रेणी के लिए योजनागत परिसंपत्तियों का मूल्य निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 तक की स्थिति के अनुसार	31.03.2019 तक की स्थिति के अनुसार
नकदी एवं नकदी समतुल्य	5.79	1.67
राज्य/केंद्रीय सरकार की ऋण प्रतिभूतियां	31.33	28.67
कॉर्पोरेट बॉण्ड/डिबेंचर्स	164.95	119.95
अन्य	35.34	44.94
कुल	**237.41**	**195.23**

योजनागत परिसंपत्तियों पर वास्तविक प्रतिफल ₹18.99 करोड़ (विगत वर्ष में ₹9.02 करोड़) है।

(च) महत्वपूर्ण बीमांकिक पूर्वानुमान

पीएफसी और आरईसीएल के लिए योजनागत परिसंपत्तियों और परिभाषित हितलाभ बाध्यता का वर्तमान मूल्य का विगत बीमांकिक मूल्यांकन ट्रांसवैल्यु कंसल्टेंट द्वारा दिनांक 31.03.2020 को किया गया था। परिभाषित हितलाभ बाध्यता का वर्तमान मूल्य और उससे संबंधित मौजूदा सेवा लागत और विगत सेवा लागत का निर्धारण प्रक्षेपित यूनिट क्रेडिट विधि का प्रयोग करके किया गया था ।

बीमांकिक मूल्यांकन के लिए प्रयुक्त मूल पूर्वानुमान निम्नानुसार हैं:

(क) पीएफसी के मामले में

(₹ करोड़ में)

विवरण	उपदान (ग्रेच्युटी)		पीआरएम		ईआर	
	31.03.2020 तक की स्थिति के अनुसार	31.03.2019 तक की स्थिति के अनुसार	31.03.2020 तक की स्थिति के अनुसार	31.03.2019 तक की स्थिति के अनुसार	31.03.2020 तक की स्थिति के अनुसार	31.03.2019 तक की स्थिति के अनुसार
योजनागत परिसंपत्तियों, यदि वित्तपोषित की गई हो, के संबंध में छूट दर और अनुमानित प्रतिफल	6.76%	7.81%	6.76%	7.81%	6.76%	7.81%
वेतन वृद्धि दर/ चिकित्सा/मुद्रास्फीति दर	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%
मृत्यु दर	आईएएलएम (2012-14) के अनुसार अंतिम	आईएएलएम (2012-14) के अनुसार अंतिम	आईएएलएम (2012-14) के अनुसार अंतिम	आईएएलएम (2012-14) के अनुसार अंतिम	आईएएलएम (2012-14) के अनुसार अंतिम	आईएएलएम (2012-14) के अनुसार अंतिम
आहरण दर	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%

(ख) सहायक कंपनी, आरईसीएल के मामले में

(₹ करोड़ में)

विवरण	उपदान (ग्रेच्युटी)		पीआरएमएस		ईआरएस	
	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19
प्रयुक्त विधि			पीयूसीएम			
योजनागत परिसंपत्तियों पर बट्टा दर (डिस्काउंट रेट) और अनुमानित प्रतिफल	6.72%	7.71%	6.72%	7.71%	6.72%	7.71%
भावी वेतन वृद्धि/चिकित्सा मुद्रास्फीति	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%
कार्मिकों का अनुमानित औसत शेष कार्यकाल (वर्षों में)	15.41	13.12	15.41	13.12	15.41	13.12

समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

(छ) संवेदनशीलता विश्लेषण

सूचना की तारीख को संगत बीमांकिक पूर्वानुमानों में से एक, अन्य पूर्वानुमानों को स्थिर रखने पर, में संगत रूप से संभाव्य परिवर्तनों से पीएफसी और आरईसीएल के परिभाषित हितलाभ दायित्व निम्नलिखित राशियों द्वारा प्रभावित होंगी:

विवरण	31.03.2020 तक की स्थिति के अनुसार		31.03.2019 तक की स्थिति के अनुसार	
	वृद्धि	कमी	वृद्धि	कमी
डिस्कांउट दर (0.50% मूवमेंट)				
- उपदान (ग्रेच्युटी)	(1.90)	2.16	(1.88)	2.15
- पीआरएमएस	(13.21)	14.07	(3.44)	3.84
- ईआरएस	(0.25)	0.29	(0.19)	0.22
वेतन वृद्धि/चिकित्सा मुद्रास्फीति दर (0.50% मूवमेंट)				
- उपदान (ग्रेच्युटी)	0.45	(0.40)	0.40	(0.32)
- पीआरएमएस	13.17	(12.54)	9.18	(8.56)
- ईआरएस	0.27	(0.23)	0.20	(0.17)
चिकित्सा लागत (10% मूवमेंट)				
- पीआरएमएस	18.58	(17.25)	16.49	(16.49)

ऊपर दिए गए संवेदनशीलता विश्लेषण परिभाषित हितलाभ दायित्व में वास्तविक परिवर्तन का प्रतिनिधित्व नहीं भी कर सकता है क्योंकि इसकी संभावना नहीं है कि पूर्वानुमानों में परिवर्तन एक-दूसरे से अलग-अलग हो क्योंकि कुछ पूर्वानुमान सह-संबद्ध हो सकते हैं।

समूह इस बात की सक्रियता से मॉनीटरिंग करता है कि कैसे निवेशों की अवधि तथा अपेक्षित लब्धि कार्मिक हितलाभ दायित्वों से उत्पन्न अपेक्षित नकदी बहिर्प्रवाहों से मेल खा रही है। निवेशों में इतनी विविधता है कि किसी एकल निवेश में विफलता से परिसंपत्तियों के समग्र स्तर पर महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं होगा। अपने जोखिमों का प्रबंधन करने के लिए कंपनी द्वारा पिछली अवधियों में प्रयुक्त प्रक्रिया से कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

(ज) भावी वर्षों में परिभाषित हितलाभ योजनाओं का अपेक्षित परिपक्वता विश्लेषण

(₹ करोड़ में)

विवरण	उपदान		पीआरएमएस		ईआरएस	
	31.03.2020	31.03.2019	31.03.2020	31.03.2019	31.03.2020	31.03.20
1 वर्ष तक	13.63	14.55	11.74	11.86	1.57	1.07
1-5 वर्ष तक	28.96	41.64	71.31	74.89	5.16	4.17
5 वर्ष से अधिक	82.53	79.99	286.01	295.50	8.49	5.71
कुल	**125.12**	**136.18**	**369.06**	**382.25**	**15.22**	**10.95**

उपरोक्त तालिका को अपेक्षित नकदी प्रवाह के आधार पर तैयार किया गया है।

(झ) नियोजन पश्चात् हितलाभ योजना में अपेक्षित अंशदान

(₹ करोड़ में)

विवरण	उपदान		पीआरएमएस	
	वित्तीय वर्ष 2019-20	वित्तीय वर्ष 2018-19	वित्तीय वर्ष 2019-20	वित्तीय वर्ष 2018-19
अपेक्षित अंशदान	7.89	4.24	7.09	43.16

(ञ) रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक परिभाषित हितलाभ योजना बाध्यता की भारित औसत अवधि पीएफसी के लिए 16.02 वर्ष है (दिनांक 31.03.2019 तक की स्थिति के अनुसार 16.98 वर्ष) तथा आरईसीएल के लिए 12.57 वर्ष (दिनांक 31.03.2019 तक की स्थिति के अनुसार 12.76 वर्ष) है।

समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

43.3 अन्य दीर्घावधि कार्मिक हितलाभ:

(क) छुट्टी

कंपनी कार्मिकों के खाते में अर्जित छुट्टी हितलाभ तथा अर्ध-वेतन छुट्टी हितलाभ प्रदान करती है, जो क्रमशः 15 दिन और 10 दिन की दर से छमाही आधार पर प्रोद्भूत होती है। सेवा के दौरान किसी भी समय अधिकतम 300 दिन की अर्जित छुट्टी संचित की जा सकती है। अर्ध-वेतन छुट्टी के संचय की कोई सीमा नहीं है। 10 वर्ष की सेवा के बाद अलग होने पर या अधिवर्षिता पर अर्जित छुट्टी तथा अर्ध-वेतन छुट्टी का एक साथ अधिकतम 300 दिन के अधीन नकदीकरण किया जा सकता है। तथापि, सेवा से अलग होने पर अर्जित छुट्टी के नकदीकरण के लिए सेवा के वर्षों की संख्या के संबंध में कोई प्रतिबंध नहीं है। वर्ष के लिए ₹19.73 करोड़ के बीमांकिक मूल्यांकन पर आधारित प्रावधान (पिछले वर्ष ₹17.55 करोड़) वर्ष के अंत में किया गया है तथा लाभ एवं हानि के समेकित विवरण में डेबिट किया गया है।

(ख) अन्य कार्मिक हितलाभ

वर्ष के लिए ₹4.46 करोड़ के व्यवस्थापन भत्ता एवं दीर्घ सेवा के लिए प्रावधान (पिछले वर्ष ₹3.50 करोड़) बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया गया है तथा लाभ एवं हानि के समेकित विवरण में डेबिट किया गया है।

(ग) आरईसीपीडीसीएल और आरईसीटीपीसीएल के मामले में, मृत्यु के कारण कंपनी से अलग होने के मामले को छोड़कर, कार्मिकों को निष्ठा प्रोत्साहन तीन वर्ष की निरंतर सेवा पूरी होने पर ही देय है। कंपनी छोड़ने वाले कार्मिकों को बकाया देयों का भुगतान कंपनी छोड़ने के समय पर किया जाता है। बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर ₹0.15 करोड़ (पिछले वर्ष ₹0.18 करोड़) की राशि के व्यय को लाभ और हानि के समेकित विवरण में डेबिट किया गया है।

43.4 प्रतिनियुक्ति/सेकंडमेंट आधार पर पीएफसी की पूर्णतः स्वामित्वाधीन सहायक कंपनी, आरईसीएल में काम करने वाले पीएफसी के कार्मिकों के संबंध में कार्मिक हितलाभों (अर्थात् उपदान, पीआरएमएस, सेवांत लाभ, छुट्टी नकदीकरण तथा अन्य कार्मिक हितलाभ) को कार्मिक लागत के नियत प्रतिशत के आधार पर आबंटित किया जा रहा है।

44. 'आयकर' से संबंधित प्रकटन

44.1 लाभ और हानि के समेकित विवरण में मान्य आयकर व्यय:

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2019-20	वित्तीय वर्ष 2018-19
निम्नलिखित के संबंध में वर्तमान कर व्यय		
वर्तमान वर्ष	3,004.98	4,182.75
विगत वर्षों का समायोजन	83.02	(12.75)
(क) कुल वर्तमान कर व्यय	**3,088.00**	**4,170.00**
(ख) कुल आस्थगित कर व्यय	**1,527.42**	**1,051.76**
(ग) कुल आय कर व्यय (क + ख)	**4,615.42**	**5,221.76**

44.2 समेकित अन्य व्यापक आय में मान्य आयकर व्यय:

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2019-20	वित्तीय वर्ष 2018-19
आस्थगित कर व्यय		
(क) ऐसी मदें जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		
- परिभाषित हितलाभ योजनाओं का पुनर्मापन	0.80	8.46
- इक्विटी लिखतों के उचित मूल्य पर निवल अभिलाभ/(हानि)	12.39	(0.68)
- इक्विटी विधि का उपयोग करने के लिए संयुक्त उद्यम की अन्य व्यापक आय/(हानि) का शेयर	0.05	-
(ख) ऐसी मदें जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा		
- नकदी प्रवाह हेज में हेजिंग लिखत के संबंध में लाभों और हानियों का प्रभावी भाग	80.27	26.39
- हेजिंग रिजर्व की लागत	68.86	-
(ग) कुल आस्थगित कर व्यय (क + ख)	**162.32**	**34.71**

समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

44.3 कर व्यय और लेखांकन लाभ का समाधान

लागू कर दर के साथ गुणित कर व्यय (आय) और लेखांकन लाभ के गुणनफल के बीच समाधान

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2019-20	वित्तीय वर्ष 2018-19
कर पूर्व लाभ	**14,092.67**	**17,862.03**
लागू कर दर	25.17%	34.944%
लागू कर दर का प्रयोग करके कर	**3,546.84**	**6,241.71**
निम्नलिखित का कर प्रभाव:		
गैर-कटौती योग्य कर व्यय	119.18	62.84
कर से छूट प्राप्त आय	(334.29)	(66.94)
धारा 36(1) (viii) के अंतर्गत कटौती	(722.94)	(1,013.90)
अन्य	(175.86)	13.12
विगत वर्ष की कर देयता	83.02	(12.75)
कर दर में परिवर्तन*	1,795.36	(2.32)
उन्मूलन का प्रभाव	304.11	-
लाभ और हानि के समेकित विवरण में कुल कर व्यय	**4,615.42**	**5,221.76**

* वर्तमान वित्तीय वर्ष में लागू कर दर 34.944% से घटकर 25.168% हो गई क्योंकि समूह में शामिल कंपनियों ने कराधान कानून (अध्यादेश), 2019 द्वारा प्रस्तुत आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115 खकक के अंतर्गत अनुमेय विकल्प का प्रयोग किया है।

44.4 पीएफसी के संबंध में अग्रेनीत कटौती योग्य अस्थायी अंतर/अनप्रयुक्त कर हानियां/अनप्रयुक्त कर क्रेडिट:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 तक की स्थिति के अनुसार	समाप्ति की तारीख	31.03.2019 तक की स्थिति के अनुसार	समाप्ति की तारीख
ऐसे कटौती योग्य अस्थायी अंतर/अनुप्रयुक्त कर हानियां/अनप्रयुक्त कर क्रेडिट जिनके लिए कोई आस्थगित कर परिसंपत्ति मान्य नहीं की गई है।	1.25 2.54	31.03.2024 31.03.2025	1.25 2.54	31.03.2024 31.03.2025

44.5 आस्थगित कर शेष में मूवमेंट

वित्तीय वर्ष 2019-20

(₹ करोड़ में)

विवरण	दिनांक 01.04.2019 को निवल शेष	लाभ या हानि में मान्य	ओसीआई में मान्य	दिनांक 31.03.2020 को निवल शेष
(क) आस्थगित कर परिसंपत्तियां (+)				
(i) आयकर अधिनियम के तहत भुगतान आधार पर कटौती योग्य व्ययों के लिए प्रावधान	41.22	(12.15)	12.47	41.54
(ii) ऋणकर्ताओं को ऋण पर अपरिशोधित आय	-	(12.04)	-	(12.04)
(iii) वित्तीय लिखतों पर आरबीडीडी से अधिक क्षतिग्रस्तता हानि	7,393.96	(1,712.04)	-	5,681.92
(iv) मूल्यहास एवं परिशोधन	(1.45)	2.03	-	0.58
(v) डेरिवेटिव का उचित मूल्य (निवल)	19.52	281.88	149.13	450.53
(vi) अन्य	-	20.64	-	20.64
(ख) आस्थगित कर देयताएं (-)				
(i) पट्टा आय	(66.64)	18.65	-	(47.99)
(ii) अपरिशोधित विनिमय हानि (निवल)	(538.45)	(275.57)	-	(814.02)
(iii) ऋण देयताओं पर अपरिशोधित व्यय	(371.51)	118.05	-	(253.46)
(iv) अन्य	(106.91)	43.13	0.72	(62.39)
निवल आस्थगित कर देयताएं (-)/परिसंपत्तियां (+)	**6,369.74**	**(1,527.42)**	**162.32**	**5,005.31**

समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

वित्तीय वर्ष 2018-19

(₹ करोड़ में)

विवरण	01.04.2018 को निवल शेष	लाभ या हानि में मान्य	ओसीआई में मान्य	31.03.2020 को निवल शेष
(क) आस्थगित कर परिसंपत्तियां (+)				
(i) आयकर अधिनियम के अंतर्गत भुगतान आधार पर कटौती योग्य व्ययों को लिए प्रावधान	29.50	10.03	1.69	41.22
(ii) वित्तीय लिखतों पर आरबीडीडी से अधिक क्षतिग्रस्तता हानि	7,835.96	(442.00)	-	7,393.96
(iii) मूल्यहास एवं परिशोधन	(2.25)	0.80	-	(1.45)
(iv) डेरिवेटिव का उचित मूल्य (निवल)	10.91	(18.32)	26.93	19.52
(ख) आस्थगित कर देयताएं (-)				
(i) पट्टा आय	(66.64)	-	-	(66.64)
(ii) अपरिशोधित विनिमय हानि (निवल)	(165.76)	(372.69)	-	(538.45)
(iii) अपरिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियां और देयताएं	(99.77)	(271.74)	-	(371.51)
(iv) अन्य	(148.40)	42.17	(0.68)	(106.91)
निवल आस्थगित कर देयताएं (-)/परिसंपत्तियां (+)	**7,393.55**	**(1,051.76)**	**27.94**	**6,369.74**

45. पट्टे (लीज़ेज)

समूह ने कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) द्वारा कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) द्वितीय संशोधन नियम, 2019 दिनांक 30.03.2019 के माध्यम से यथाअधिसूचित इंड एएस 116 - 'लीजेज' को दिनांक 01.04.2019 से आशोधित पूर्वव्यापी दृष्टिकोण का प्रयोग करते हुए अपनाया है। समूह ने कार्यालय परिसर के रूप में उपयोग की गई कंपनी की पट्टे पर धारित भूमि के संबंध में ₹45.84 करोड़ के 'राइट ऑफ यूज एसेट' और ₹17.17 करोड़ की 'लीज लायबिलिटी' को मान्यता दी है। पट्टे पर धारित भूमि पर पूर्वसंदत्त भाड़ा, जिसे पहले अन्य गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों के तहत वर्गीकृत किया गया था, को राइट-ऑफ-यूज एसेट्स में पुनःवर्गीकृत किया गया है। दिनांक 31.03.2020 को समाप्त वर्ष के दौरान, निवल लाभ और ईपीएस पर इसे अपनाए जाने का कोई उल्लेखनीय प्रभाव नहीं पड़ा है। दिनांक 31.03.2019 तक की स्थिति के अनुसार और इसे समाप्त वर्ष के तुलनात्मक ब्यौरे का पुनः उल्लेख नहीं किया गया है।

इंड एएस 116 के परिणामस्वरूप प्रचालन कार्यकलापों से नकदी अंतःप्रवाह में और लीज भुगतान के कारण वित्तीय कार्यकलापों से नकदी बहिर्प्रवाह में वृद्धि हुई।

45.1 वर्ष के दौरान पट्टा (लीज) देयताओं के मूवमेंट को नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 तक की स्थिति के अनुसार
प्रारंभिक शेष	2.76
वर्ष के दौरान परिवर्धन	14.52
अवधि के दौरान प्रोद्भूत वित्तीय लागत	1.22
पट्टा (लीज) देयताओं का भुगतान	(4.53)
अंतिम शेष	**13.96**

45.2 बट्टारहित आधार पर पट्टा (लीज) देयताओं की संविदात्मक परिपक्वताओं के संबंध में ब्योरे नीचे दी गई तालिका में दिए गए हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 तक की स्थिति के अनुसार
1 वर्ष तक	4.7
1 - 5 वर्ष	5.24
5 वर्ष से अधिक	57.83

समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

45.3 सहायक कंपनी, आरईसीएल

(i) दिनांक 1 अप्रैल, 2019 तक की स्थिति के अनुसार मौजूद संविदाओं के लिए, आरईसीएल ने इंड एएस 17 से पट्टे की परिभाषा लागू करने का चुनाव किया और ऐसी व्यवस्थाएं जो विगत में इंड एएस 17 के अंतर्गत पट्टे के रूप में चिह्नित नहीं थीं, के लिए इंड एएस 116 को लागू नहीं किया है।

(ii) आरम्भिक प्रयोज्यता की तारीख को राइट-ऑफ-यूज एसेट की कोई क्षतिग्रस्तता पुनरीक्षा करने के बजाय, आरईसीएल ने अपने इस विगत मूल्यांकन पर विश्वास किया है कि पट्टे (लीजेज) इंड एएस 116 के आरम्भिक प्रयोज्यता की तारीख से तत्काल पूर्व किस सीमा तक दुर्वह थे।

46. लाभांश आय

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2019-20	वित्तीय वर्ष 2018-19
एफवीटीओसीआई पर निर्दिष्ट इक्विटी निवेशों पर लाभांश		
- वर्ष के अंत में धारित निवेश	103.75	67.56
- वर्ष के दौरान विमान्य किए गए निवेश	0.66	0.80
उप-योग	**104.41**	**68.36**
म्युचुअल फंड पर लाभांश	1.24	8.27
कुल	**105.65**	**76.63**

47. निवल परिवर्तन/लेन-देन विनियम हानि (+)/अभिलाभ (-)

(₹ करोड़ में)

निम्नलिखित के कारण निवल परिवर्तन/लेन-देन विनियम हानि (+)/अभिलाभ (-)	वित्तीय वर्ष 2019-20	वित्तीय वर्ष 2018-19
- दिनांक 01.04.2018 को अथवा इसके बाद मान्य दीर्घावधि विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद (एलटीएफसीएमआई) का परिवर्तन	3,632.64	(248.01)
- दिनांक 31.03.2018 तक मान्य एलटीएफसीएमआई पर सृजित विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद परिवर्तन अंतर लेखा का परिशोधन	1,358.68	1,289.45
कुल	**4,991.32**	**1,041.44**

(नोट 6.17 का संदर्भ लें)

48. निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) - वर्ष के दौरान सीएसआर गतिविधियों पर खर्च की गई राशि:

(₹ करोड़ में)

	वित्तीय वर्ष 2019-20			वित्तीय वर्ष 2018-19		
	संदत्त या समाधान	अभी भुगतान किया जाना है	कुल	प्रदत्त या समाधान	अभी भुगतान किया जाना है	कुल
(i) किसी परिसंपत्ति का निर्माण/अधिग्रहण	-	-	-	-	-	-
(ii) उपरोक्त (ळ) के अलावा अन्य प्रयोजनार्थ						
(iiक) स्वच्छता/अपशिष्ट प्रबंधन/पेयजल	67.26	-	67.26	9.95	0.06	10.01
(iiख) शिक्षा/व्यावसायिक कौशल विकास	64.83	-	64.83	17.07	-	17.07
(iiग) पर्यावरणीय संधारणीयता (सोलर एप्लीकेशन/वनीकरण/ऊर्जा दक्ष एलईडी लाइटिंग)	53.70	-	53.70	116.72	-	116.72
(iiघ) खेल	0.02	-	0.02	0.06	-	0.06
(iiङ) अन्य	61.84	-	61.84	52.67	-	52.67
(iiच) प्रशिक्षण, प्रभाव मूल्यांकन आदि सहित प्रशासनिक उपरिव्यय जो सीएसआर पर खर्च करने के लिए अपेक्षित कुला राशि के 5% तक सीमित है।	8.79	-	8.79	9.85	-	9.85
(iiछ) पीएम केयर फंड में अंशदान	100.00	-	100.00	-	-	-
कुल	**356.44**	**-**	**356.44**	**206.32**	**0.06**	**206.38**

समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

49. आकस्मिक देयताएं एवं प्रतिबद्धताएं

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2020 तक की स्थिति के अनुसार	31.03.2019 तक की स्थिति के अनुसार
आकस्मिक देयताएं			
(i)	गारंटियां[क]	81.02	121.49
(ii)	कंपनी के विरुद्ध दावे जिनको ऋण के रूप में नहीं माना गया	0.22	0.08
(iii)	संस्वीकृत ऋणों के विरुद्ध चुकौती आश्वासन पत्र के रूप में ऋणकर्ताओं को संवितरण की बकाया प्रतिबद्धताएं	1,821.78	1,019.06
(iv)[ख]	- पिछले वर्षों के संबंध में आयकर विभाग द्वारा की गई अतिरिक्त मांगें जिनका विरोध किया जा रहा है।	202.13	153.26
	- इसके अतिरिक्त, आयकर विभाग ने अपीलीय प्राधिकरणों द्वारा समूह में शामिल कंपनियों को प्रदान की गई राहत के विरुद्ध अपील की है। इसका भी विरोध किया जा रहा है।	340.40	233.42
(v)	- पिछले वर्षों के संबंध में सेवा कर विभाग द्वारा की गई सेवा कर मांग या कारण बताओ नोटिस जिनका विरोध किया जा रहा है।	20.56	1.40
	- इसके अतिरिक्त, सेवा कर विभाग ने आयुक्त (सीईएंडएसटी) के आदेश के विरुद्ध सीईएसटीएटी में अपील की है, जिन्होंने सेवा कर की मांग छोड दी थी। इसका भी विरोध किया जा रहा है।	46.31	21.53
(vi)	बैंक गारंटियां	33.50	29.86
प्रतिबद्धताएं			
(i)	ऐसी संविदाओं की अनुमानित राशि जो पूंजी खाते पर निष्पादित की जानी है तथा जिनके लिए प्रावधान नहीं किया गया है	745.47	792.63
(ii)	अमूर्त परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के लिए संविदात्मक प्रतिबद्धताएं	-	2.82
(iii)	अन्य प्रतिबद्धताएं - सीएसआर की खर्च न की गई राशि	510.26	478.10
कुल		**3,801.65**	**2,853.65**

(क) गारंटी में ऋणकर्ता कंपनी के पक्ष में पीएफसी द्वारा प्रदान की गई डिफॉल्ट भुगतान गारंटी शामिल है। गारंटी के विरूद्ध प्रदत्/देय राशि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति योग्य है।

(ख) वर्ष के दौरान, पीएफसी ने आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत पिछले कुछ वर्षों के संबंध में लंबित मुकदमों के संबंध में विवाद से विश्वास स्कीम का चयन किया है। कंपनी ने विवाद से विश्वास स्कीम के अंतर्गत आयकर विभाग की अपीलों के निपटान के उद्देश्य से आयकर विबाग द्वारा दायर की गई अपीलों के संबंध में विवादित कर के लिए अग्रिम के रूप में मार्च, 2020 में ₹116.90 करोड़ की अतिरिक्त राशि का भुगतान किया है।

50. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अंतर्गत प्रकटन:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 तक की स्थिति के अनुसार	31.03.2019 तक की स्थिति के अनुसार
वर्ष के अंत में अदत्त मूलधन	0.15	2.65
उस पर देय ब्याज जो वर्ष के अंत में अदत्त है	-	0.39
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 16 के अनुसार वर्ष के दौरान निर्धारित तारीख के बाद आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान की राशि के साथ कंपनी द्वारा भुगतान किया गया ब्याज	-	-
भुगतान करने में विलंब की अवधि के लिए देय एवं संदेय ब्याज परंतु एमएसएमई विकास अधिनियम 2006 के अंतर्गत निर्दिष्ट ब्याज शामिल किए बगैर।	0.14	-
वर्ष के अंत में प्रोद्भूत तथा अदत्त ब्याज	0.53	0.39
उत्तरवर्ती वर्षों में भी ऐसी तारीख तक जब उपर्युक्त के अनुसार लघु उद्यम को देय ब्याज का वस्तुतः भुगतान किया जाता है, देय और संदेय बना रहने वाला अतिरिक्त ब्याज	-	-

समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

51. इंड एएस 33 ''प्रति शेयर अर्जन'' के अनुसार प्रकटन

विवरण	31.03.2020 तक की स्थिति के अनुसार	31.03.2019 तक की स्थिति के अनुसार
अंश (न्यूमरेटर) के रूप में प्रयुक्त अवधि के लिए कंपनी के स्वामियों पर आरोप्य लाभ (मूल एवं तनुकृत) (₹ करोड़ में):		
- चल रहे प्रचालनों से	7,122.13	9,920.86
- बंद किए जा चुके प्रचालनों से	-	-
- चल रहे और बंद किए जा चुके प्रचालनों से	7,122.13	9,920.86
हर (डिनोमिनेटर) के रूप प्रयुक्त इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या (मूल एवं तनुकृत)	2,64,00,81,408	2,64,00,81,408
प्रति इक्विटी शेयर अर्जन (मूल एवं तनुकृत), अंकित मूल्य ₹10 प्रत्येक (₹):		
- चल रहे प्रचालनों से	26.98	37.58
- बंद किए जा चुके प्रचालनों से	-	-
- चल रहे और बंद किए जा चुके प्रचालनों से	26.98	37.58

52. समूह के आंशिक स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों का ब्यौरा जिनमें सारवान गैर-नियंत्रक ब्याज (एनसीआई) है:

सहायक कंपनी का नाम	व्यवसाय का मूल स्थान	एनसीआई द्वारा धारित स्वामित्व हितों का अनुपात		गैर-नियंत्रक ब्याज को आबंटित टीसीआई (₹ करोड़ में)		संचित गैर-नियंत्रक ब्याज (₹ करोड़ में)	
		31.03.2020 तक की स्थिति के अनुसार	31.03.2019 तक की स्थिति के अनुसार	31.03.2020 को समाप्त वर्ष	31.03.2019 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 तक की स्थितिके अनुसार	31.03.2019 तक की स्थिति के अनुसार
आरईसी लिमिटेड	भारत	47.37%	47.37%	2,092.79	2,690.71	16,765.57	16,363.02

53. समूह की सहायक कंपनियों जिनके सारवान गैर-नियंत्रक ब्याज हैं, के लिए वित्तीय सूचना का सारांश (अंतरा-समूह उन्मूलन से पूर्व):

(₹ करोड़ में)

आरईसीएल	31.03.2020 तक की स्थिति के अनुसार	31.03.2019 तक की स्थिति के अनुसार
वित्तीय परिसंपत्तियां	3,43,715.01	2,95,153.41
गैर-वित्तीय परिसंपत्तियां	3,305.54	3,290.86
बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत परिसंपत्तियां	9.53	9.56
वित्तीय देयताएं	3,11,442.65	2,63,702.57
गैर-वित्तीय देयताएं	190.32	204.84
बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत परिसंपत्तियों से प्रत्यक्ष रूप से संबद्ध देयताएं	0.68	0.08
कंपनी के स्वामियों पर आरोप्य इक्विटी	18,630.86	18,183.42
गैर-नियंत्रक ब्याज	16,765.57	16,363.02

समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 तक की स्थिति के अनुसार	31.03.2019 तक की स्थिति के अनुसार
कुल राजस्व	30,007.05	25,431.33
कुल व्यय	22,986.21	17,350.84
वर्ष के लिए लाभ/(हानि)	4,972.27	5,741.38
कंपनी के स्वामियों को आरोप्य लाभ/(हानि)	2,617.15	3,021.97
गैर-नियंत्रण ब्याज पर आरोप्य लाभ/(हानि)	2,355.12	2,719.41
कंपनी के स्वामियों पर आरोप्य अन्य व्यापक आय	(291.52)	(31.89)
गैर-नियंत्रण ब्याज पर आरोप्य अन्य व्यापक आय	(262.33)	(28.70)
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय	(553.85)	(60.59)
कंपनी के स्वामियों पर आरोप्य कुल व्यापक आय	2,325.63	2,990.08
गैर-नियंत्रण ब्याज पर आरोप्य कुल व्यापक आय	2,092.79	2,690.71
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	4,418.42	5,680.79
अन्य नियंत्रण ब्याज को प्रदत्त लाभांश	1,028.97	1,192.61
प्रचालन की गतिविधियों से निवल नकदी अंतःप्रवाह (बहिर्प्रवाह)	(32,711.91)	(35,865.80)
वित्तीय पोषण की गतिविधियों से निवल नकदी अंतःप्रवाह (बहिर्प्रवाह)	121.43	456.77
निवेश की गतिविधियों से निवल नकदी अंतःप्रवाह (बहिर्प्रवाह)	33,926.20	35,542.59
निवल नकदी अंतःप्रवाह (बहिर्प्रवाह)	1,335.72	133.56

54. समूह में कार्यान्वित की जा रही भारत सरकार की योजनाएं

(क) पीएफसी के मामले में

54.1 पुनर्निर्मित त्वरित विद्युत विकास और सुधार कार्यक्रम (आर - एपीडीआरपी)

पीएफसी आर- एपीडीआरपी के कार्यान्वयन के लिए प्रचालनात्मक और संबद्ध सेवाओं के लिए नोडल एजेंसी है। पात्र ऋणकर्ताओं को ऋण देने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में आर - एपीडीआरपी के अंतर्गत भारत सरकार से प्राप्त राशियों की व्यवस्था बैक टू बैक व्यवस्था है जिसमें पीएफसी को कोई लाभ या हानि नहीं होती हैं। ऋण के रूप में प्राप्त की गई राशि, जिसे प्रयोज्य दिशानिर्देशों के अनुसार अनुदान के रूप में परिवर्तित नहीं किया जाता है, ऋणकर्ताओं से प्राप्त किए जाने पर भारत सरकार को ब्याज सहित देय हो जाएगी। आर - एपीडीआरपी स्कीम के अंतर्गत ऋणकर्ताओं से वसूलीयोग्य और भारत सरकार को देय राशि दिनांक 31.03.2020 की स्थिति के अनुसार ₹18,141.20 करोड़ है। (दिनांक 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार ₹16,507.55 करोड़ थी)।

पीएफसी आर-एपीडीआरपी स्कीम के अंतर्गत विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार से नोडल एजेंसी शुल्क और व्यय की प्रतिपूर्ति प्राप्त करती है। शुल्क और व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए संचयी दावा, आर-एपीडीआरपी के भाग ए और बी के अंतर्गत संभावित परियोजना परिव्यय का 1.7% है, जो ₹850 करोड़ की सीमा के अध्यधीन है। दिनांक 31.03.2020 तक की स्थिति के अनुसार, कंपनी द्वारा प्राप्त/प्राप्य नोडल एजेंसी शुल्क और व्यय की प्रतिपूर्ति की कुल राशि ₹ 357.86 करोड़ है। (दिनांक 31.03.2019 तक की स्थिति के अनुसार ₹329.82 करोड़ था)।

54.2 एकीकृत विद्युत विकास योजना (आईपीडीएस)

विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के समग्र दिशानिर्देशों के अंतर्गत, पीएफसी को आईपीडीएस योजना के प्रचालन और कार्यान्वयन के लिए भी नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है। नोडल एजेंसी की भूमिका आईपीडीएस योजना में उल्लिखित की गई है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ पात्र विद्युत संस्थाओं को भारत सरकार के अनुदान, जिन्हें आईपीडीएस योजना में उल्लिखित कुछ शर्तों के अध्यधीन प्रत्याहारित/समय से पूर्व बंद किया जा सकता है, का वितरण करना शामिल है। दिनांक 31.03.2020 तक पात्र विद्युत संस्थाओं को वितरित किए गए भारत सरकार अनुदान की राशि ₹12,702.45 करोड़ (दिनांक 31.03.2019 को ₹8,083.17 करोड़) है। पीएफसी मॉनिटरिंग समिति द्वारा अनुमोदित की गई कुल परियोजना लागत या एवार्ड लागत, जो भी कम हो, के 0.50% (स्कीम के अनुसार चरणों में प्रोद्भूत किया जाना है) की दर पर नोडल एजेंसी शुल्क की हकदार है।

(ख) सहायक कंपनी, आरईसीएल के मामले में

54.3 प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य)

देश में सभी घरों को बिजली पहुंचाने के उद्देश्य से भारत सरकार ने प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना - सौभाग्य नामक योजना शुरू की है। इस योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में सभी विद्युत विहीन परिवारों तथा शहरी क्षेत्रों में गरीब परिवारों को आखिरी चरण तक संपर्क एवं विद्युत कनेक्शन प्रदान करने की परिकल्पना है। सौभाग्य योजना का पूंजी परिव्यय ₹16,320 करोड़ है जिसमें कार्यान्वयन की संपूर्ण अवधि के दौरान ₹12,320 करोड़ की सकल बजटीय सहायता शामिल है। विद्युत मंत्रालय ने सौभाग्य योजना के कार्यान्वयन के लिए आरईसीएल को नोडल एजेंसी के रूप में निर्दिष्ट किया है।

समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

54.4 दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई)

दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) ग्रामीण विद्युत वितरण के सभी पहलुओं को शामिल करते हुए भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना है। योजना के अंतर्गत परियोजना लागत का 60% (विशेष राज्यों के लिए 85%) भारत सरकार द्वारा अनुदान के रूप में प्रदान किया जाता है और निर्धारित माइलस्टोन की प्राप्ति पर 15% (विशेष राज्यों के लिए 5%) तक का अतिरिक्त अनुदान प्रदान किया जाता है। डीडीयूजीजेवाई निम्नलिलित परियोजना घटकों के माध्यम से देश में 'सबके लिए 24x7 बिजली' की प्राप्ति को सुगम बनाती है:

(i) ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि के लिए पर्याप्त विद्युत आपूर्ति तथा गैर-कृषि उपभोक्ताओं के लिए लगातार विद्युत आपूर्ति को सुगम बनाने के लिए कृषि और गैर-कृषि फीडर को अलग करना;

(ii) वितरण ट्रांसफार्मर/ फीडर/ उपभोक्ता के लिए मीटर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में उप पारेषण एवं वितरण अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण एवं वर्धन;

(iii) माइक्रो-ग्रिड तथा ऑफ-ग्रिड वितरण नेटवर्क;

(iv) आरजीजीवीवाई के अंतर्गत 12वीं और 13वीं योजनाओँ के ग्रामीण विद्युतीकरण घटक का डीडीयूजेजीवाई में विलय किया गया।

उपर्युक्त योजना के घटक (i) और (ii) का अनुमानित परिव्यय ₹43,033 करोड़ होगा जिसमें कार्यान्वयन की संपूर्ण अवधि के दौरान भारत सरकार से ₹33,453 करोड़ की बजटीय सहायता शामिल है। 12वीं और 13वीं योजना में जारी रखने के लिए सीसीईए द्वारा अनुमोदित आरजीजीवीवाई योजना को एक अलग ग्रामीण विद्युतीकरण (आरई) घटक के रूप में इस योजना में शामिल कर दिया गया है।

54.5 राष्ट्रीय विद्युत कोष (एनईएफ)

राष्ट्रीय विद्युत निधि (एनईएफ) जो ब्याज सब्सिडी योजना है जो वित्तीय वर्ष 2012-13 से क्रियाशील हुई है। यह योजना वितरण क्षेत्र में पूंजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई है। योजना वितरण क्षेत्र में विभिन्न पूंजी कार्यों के लिए सार्वजनिक एवं निजी वितरण विद्युत कंपनियों द्वारा लिए गए ऋणों पर सुधार के उपायों से संबद्ध ब्याज सब्सिडी प्रदान करती है। एनईएफ 2012-13 और 2013-14 के दौरान अनुमोदित परियोजनाओं के विरुद्ध ऋण संवितरण के लिए 14 वर्षों में ₹8,466 करोड़ तक कुल ब्याज सब्सिडी प्रदान करेगा (इसमें ऋणकर्ताओं को ब्याज सब्सिडी, नोडल एजेंसी को सेवा प्रभार, स्वतंत्र मूल्यांककों को भुगतान तथा अन्य आनुषंगिक व्यय शामिल हैं)। आरईसीएल को पूरे देश में एनईएफ योजना के प्रचालन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है।

54.6 जम्मू एवं कश्मीर प्रधानमंत्री विकास योजना (पीएमडीपी)

जम्मू एवं कश्मीर सरकार, विद्युत विकास विभाग ने नामांकन के आधार पर जम्मू एवं कश्मीर राज्य में पीएमडीपी के अंतर्गत प्रतिस्पर्धी बोलियों के माध्यम से प्राप्त की जाने वाली वास्तविक लागत के अनुसार वितरण कार्य के निष्पादन के लिए संपन्न किए जाने वाले सभी सामग्री एवं सेवा कार्यों के डिजाइन, इंजीनियरिंग, प्रापण, आपूर्ति, उत्थापन, परीक्षण और कम कमीशनिंग के लिए आरईसीपीडीसीएल और आरईसीटीपीसीएल को परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी (पीआईजी) के रूप में नियुक्त किया गया है।

54.7 ऊर्जा मित्र और 11 केवी फीडर मॉनीटरिंग

विद्युत मंत्रालय ने ऊर्जा मित्र तथा 11 केवी फीडर मॉनीटरिंग नामक दो योजनाएं शुरू की हैं। ऊर्जा मित्र एक पहल है, जिसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को विद्युत आउटेज/ कटौती/ ब्रेकडाउन/ शटडाउन (नियोजित एवं अनियोजित दोनों) के बारे में सूचना प्रदान करना है। फीडर मॉनीटरिंग योजना 66, 33/11 केवी उप केंद्रों से 11केवी सभी आउटगोइंग ग्रामीण फीडरों के विभिन्न आवश्यक पैरामीटरों की डाटा लार्गिंग के माध्यम से 11केवी ग्रामीण फीडर की स्वचालित मॉनीटरिंग प्रणाली के लिए एक आत्मनिर्भर स्वतंत्र वेब आधारित प्रणाली का विकास करने तथा विद्युत आपूर्ति की मॉनीटरिंग, एलर्ट, मीटर डाटा विश्लेषण, सूचना प्रसार एवं ऊर्जा लेखापरीक्षा के लिए रियल टाइम आधार पर सार्वजनिक पोर्टल सहित विभिन्न स्टेकधारकों के लिए ऑनलाइन सूचना उपलब्ध कराने के लिए है। आरईसीटीपीसीएल को दोनों योजनाओं के लिए नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है।

(ग) सहायक कंपनी, पीएफसीसीएल के मामले में

54.8 विद्युत मंत्रालय के दिनांक 30 मार्च, 2016 के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से विद्युत की अल्पावधि आवश्यकताओं को सुगम बनाने के लिए पीएफसी की सहायक कंपनी पीएफसीसीएल को नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है। दिशानिर्देशों के अनुसार प्रत्येक बोलीदाता को प्रति मेगावाट 500 का अपेक्षित शुल्क तथा अधिकतम क्षमता जिसके लिए बोलीदाता बोली प्रस्तुत करने का इच्छुक है, के लिए लागू कर पीएफसीसीएल के पास जमा करना है। गतिविधि की समाप्ति के बाद प्रत्येक बोलीदाता को आबंटित मात्रा के लिए पीएफसीसीएल को केवल सफल बोलीदाता (बोलीदाताओं) को शुल्क का भुगतान करना होगा तथा शेष राशि बोलीदाता को लौटाई जाएगी।

55. राज्य विद्युत बोर्डों के विभाजन के पश्चात् प्रलेखन की स्थिति

ऐसे कुछ पूर्ववर्ती राज्य विद्युत बोर्डों (एसईबी), जिनके विरूद्ध ऋण बकाया थे या जिनकी ओर से गारंटियां दी गई थीं, को संबंधित राज्य सरकारों द्वारा पुनर्गठित किया गया तथा विगत में नई संस्थाओं का गठन किया गया। परिणामस्वरूप, पूर्ववर्ती राज्य विद्युत बोर्डों (एसईबी) की देयताएं नई संस्थाओं को हस्तांतरित हो गईं।

समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

55.1 जम्मू एवं कश्मीर राज्य के पुनर्गठन के पश्चात् प्रलेख की स्थिति

जम्मू एवं कश्मीर राज्य के दो केंद्र शासित प्रदेशों - जम्मू एवं कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश एवं लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश - में विभाजन के पश्चात्, पूर्ववर्ती जम्मू एवं कश्मीर राज्य से संबंधित मौजूदा इकाईयों को दिनांक 23.10.2019 के विच्छिन्न (अनबंडलिंग) आदेश के जरिए पुनर्गठित किया गया है। नए पुनर्गठित विभागों के साथ करारों के परिशिष्ट को अभी निष्पादित किया जाना बाकी है। इन दस्तावेजों के निष्पादन में देरी के परिणामस्वरूप, मौजूदा ऋणों का प्रबंधन/पुनर्भुगतान वर्तमान ऋण करार के अनुसार की जा रही है।

55.2 आंध्र प्रदेश राज्य के पुनर्गठन के पश्चात् प्रलेखन की स्थिति

पूर्ववर्ती आंध्र प्रदेश राज्य के पुनर्गठन के पश्चात् दिनांक 02.06.2014 को तेलंगाना राज्य का गठन किया गया है। तथापि, औपचारिक राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से संबंधित विद्युत संस्था को परिसंपत्तियों एवं देयताओं का अंतरण किया जाना अभी बाकी है।

विद्युत संस्था में परिसंपत्तियों एवं देयताओं के अंतरण का विधिवत रूप से उल्लेख करते हुए सरकार द्वारा राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से अंतिम अंतरण योजना के अधिसूचित हो जाने पर नई/नाम परिवर्तित विद्युत संस्था के साथ सभी बकाया ऋणों के संबंध में प्रलेखन की औपचारिकताओं को पूरा करने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। तब तक, ब्याज/मूलधन के भुगतान के लिए मांग को विद्युत संस्था के अनुसार अलग-अलग निर्धारित किया जा रहा है और विद्युत संस्था द्वारा तेलंगाना एवं आंध्र प्रदेश में संबंधित अंश का भुगतान किया जा रहा है।

55.3 इसके अतिरिक्त भी सहायक कंपनी, आरईसीएल के मामले में

(i) जहां पूर्ववर्ती एपीसीपीडीसीएल, एपीएनपीडीसीएल और एपीजीईएनसीओ को विभाजन से पूर्व ऋण संस्वीकृत किए गए हैं तथा प्रलेखन नहीं किया गया है, इन योजनाओं को नवगठित विद्युत संस्थाओं के नाम में पुनः संस्वीकृत किया गया है तथा प्रलेखन की औपचारिकताएं पूरी की गई है और तदनुसार कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) के पास प्रभार पंजीकृत किए गए हैं।

(ii) जहां विभाजन से पूर्व तत्कालीन एपीसीपीडीसीएल, एपीएनपीडीसीएल के नाम में ऋण संस्वीकृत किए गए हैं तथा प्रलेखन की औपचारिकताएं पूरी की गई हैं और आहरण किए गए हैं, इन योजनाओं में परिवर्तित/नवगठित विद्युत संस्था के नाम से वचन पत्र प्राप्त किया गया है और नई/नाम परिवर्तित विद्युत संस्था के नाम में ऋणकर्ता के नाम को परिवर्तित करके नवगठित यूटिलिटी को संवितरण किए गए हैं।

(iii) जहां विभाजन से पूर्व तत्कालीन एपीसीपीडीसीएल, एपीएनपीडीसीएल के नाम में ऋण संस्वीकृत किया गया है तथा सरकारी गारंटी के साथ प्रलेखन की औपचारिकताएं पूरी की गई हैं और आहरण किए गए हैं, इन योजनाओं के लिए राजपत्रित अधिसूचना पर अग्रेतर प्रलेखन किया जाएगा।

56. नीचे प्रस्तुत नोट संख्या 57 से 69 एनबीएफसी पर लागू आरबीआई के मास्टर निदेशों से प्रवाहित हो रहे हैं। चूंकि पीएफसी और इसकी सहायक कंपनी आरईसीएल समूह में एनबीएफसी हैं, निम्नलिखित प्रकटन में केवल इन दो कंपनियों के संबंध में सूचना निहित है।

57. एक्सपोजर

57.1 आरबीआई के दिनांक 12 फरवरी, 2010 के परिपत्र सीसी संख्या 168 में निहित अनुदेशों के अनुसरण में आरबीआई ने पीएफसी और आरईसीएल को अवसंरचना (इंफ्रास्ट्रक्चर) वित्तीय कंपनी (आईएफसी) के रूप में वर्गीकृत किया है। आईएफसी के रूप में, निजी क्षेत्र में ऋण देने के लिए कुल अनुमत एक्सपोजर एकल ऋणकर्ता के मामले में स्वामित्व वाली निधियों का 25% और ऋणकर्ताओं के एकल समूह के मामले में 40% है तथा ऋण देने एवं निवेश करने के लिए एक साथ एक्सपोजर स्वामित्व वाली परिसंपत्तियों के क्रमशः 30% और 50% तक हो सकता है।

केंद्र सरकार/राज्य सरकार की संस्थाओं के संबंध में आरबीआई ने पीएफसी और आरईसीएल को दिनांक 31 मार्च, 2022 तक क्रेडिट/निवेश मानदंडों के अपने संकेंद्रण की प्रयोज्यता से छूट प्रदान की है। पीएफसी और आरईसीएल इन संस्थाओं के लिए विद्युत मंत्रालय द्वारा अनुमोदित क्रेडिट संकेंद्रण मानदंडों का अनुसरण करना जारी रखेगी।

57.2 समूह द्वारा पार की गई एकल ऋणकर्ता सीमा (एसजीएल)/समूह ऋणकर्ता सीमा (जीबीएल) का ब्यौरा:

पीएफसी और आरईसीएल ने वित्तीय वर्ष 2019-20 और वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान एकल ऋणकर्ता सीमा समूह ऋणकर्ता सीमा के विरुद्ध अपनी विवेकपूर्ण जोखिम सीमा को पार नहीं किया है।

57.3 भू-संपदा (रीयल एस्टेट) क्षेत्र में समूह का कोई एक्सपोजर नहीं है। (पिछले वर्ष - शून्य)

समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

57.4 पूंजी बाजार में एक्सपोजर:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2020 तक की स्थिति के अनुसार	31.03.2019 तक की स्थिति के अनुसार
(i)	इक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बॉण्डों, परिवर्तनीय डिबेंचरों तथा इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंड की यूनिटों में प्रत्यक्ष निवेश, जिसके कॉरपस का निवेश अनन्य रूप से कॉर्पोरेट ऋण (पूर्णतः परिवर्तनीय अधिमानी शेयरों में निवेश सहित) में निवेश न किया गया हो;	16,435.80	16,590.62
(ii)	शेयरों (आईपीओ/ईएसओपी सहित), परिवर्तनीय बॉण्डों तथा इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंड्स की यूनिटों में निवेश के लिए व्यक्तियों को शेयरों/बॉण्डों/डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों के विरुद्ध या स्पष्ट आधार पर अग्रिम;	-	-
(iii)	किसी अन्य प्रयोजन के लिए अग्रिम जहां शेयरों या परिवर्तनीय बॉण्डों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंड की यूनिटों को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में लिया जाता है;	-	-
(iv)	पूंजी बाजार से संबंधित कुल जोखिम शेयरों या परिवर्तनीय बॉण्डों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंड की यूनिटों की कोलेटरल प्रतिभूति द्वारा प्रतिभूत सीमा तक किसी अन्य प्रयोजन के लिए अग्रिम अर्थात जहां प्राथमिक प्रतिभूति शेयरों/ परिवर्तनीय बॉण्डों/ परिवर्तनीय डिबेंचरों/ इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंड की यूनिटों से भिन्न है, को अग्रिमों में पूर्णतः शामिल नहीं किया जाता है (ऐसे ऋणों को छोड़कर जहां प्रतिभूति का सृजन प्रक्रियाधीन है);	-	-
(v)	शेयर दलालों को दिए गए प्रतिभूत एवं अप्रतिभूत अग्रिम तथा शेयर दलालों एवं बाजार निर्माताओं की ओर से जारी की गई गारंटियां;	-	-
(vi)	कंपनियों को मंजूर किए गए ऋण जो शेयरों/ बॉण्डों/ डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों की सुरक्षा पर मंजूर किए गए हों अथवा जो संसाधन जुटाने की प्रत्याशा में नई कंपनियों की इक्विटी में प्रोमोटर का अंशदान पूरा करने के लिए स्पष्ट आधार पर दिए गए हों;	2,628.55	2,629.16
(vii)	प्रत्याशित इक्विटी प्रवाह/निर्गम के विरुद्ध कंपनियों को दिए गए ब्रिज लोन;	-	-
(viii)	उद्यम पूंजी निधि (पंजीकृत एवं गैर पंजीकृत दोनों) से संबंधित सभी एक्सपोजर	12.24	12.36
पूंजी बाजार से संबंधित कुल एक्सपोजर		**19,076.59**	**19,232.14**

57.5 धारक कंपनी के उत्पादों के वित्तपोषण का ब्यौरा:

कंपनी की कोई मूल कंपनी नहीं है।

58. आरबीआई द्वारा यथानिर्दिष्ट परिसंपत्ति देयता प्रबंधन - परिसंपत्तियों एवं देयताओं की मदों का परिपक्वता पैटर्न:

(क) पीएफसी के मामले में

(₹ करोड़ में)

31.03.2020 तक की स्थिति के अनुसार बकेट	जमा/निवेश	अग्रिम	घरेलू ऋण	विदेशी मुद्रा मदें	
				परिसंपत्तियां	देयताएं
30/31 दिनों तक	-	1,529.70	8,046.86	-	5.40
1 माह से अधिक और 2 माह तक	1,519.90	492.70	5,988.50	-	0.00
2 माह से अधिक और 3 माह तक	-	416.63	10,845.00	-	6.09
3 माह से अधिक और 6 माह तक	-	3,511.49	17,351.67	-	1,130.79
6 माह से अधिक और 1 वर्ष तक	-	18,837.19	5,305.25	-	2,156.10
1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक	-	59,187.06	57,474.09	-	11,493.88
3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक	-	56,046.51	60,813.03	-	10,231.67
5 वर्षों से अधिक	14,953.42	1,90,314.82	90,071.03	-	22,676.86
कुल	**16,473.32**	**3,30,336.10**	**2,55,895.43**	**-**	**47,700.79**

समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ करोड़ में)

31.03.2019 तक की स्थिति के अनुसार बकेट	जमा/निवेश	अग्रिम	घरेलू ऋण	विदेशी मुद्रा मदें	
				परिसंपत्तियां	देयताएं
30/31 दिनों तक	14,133.64	4,955.46	21,785.18	-	696.50
1 माह से अधिक और 2 माह तक	1,833.07	1,928.13	4,915.00	-	-
2 माह से अधिक और 3 माह तक	-	1,264.76	7,495.20	-	2,080.35
3 माह से अधिक और 6 माह तक	-	9,225.21	10,292.05	-	-
6 माह से अधिक और 1 वर्ष तक	-	16,559.51	19,088.10	-	3,468.40
1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक	-	50,663.28	76,608.05	-	4,971.67
3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक	-	49,879.10	32,730.60	-	9,235.95
5 वर्षों से अधिक	-	1,65,146.63	87,160.38	23.84	8,373.99
कुल	**15,966.71**	**2,99,622.08**	**2,60,074.56**	**23.84**	**28,826.86**

उपर्युक्त तालिका में, परिपक्वता की तारीख को ध्यान में रखे बगैर 5 वर्षों के बकेट में चरण-III की परिसंपत्तियों से संबंधित क्षतिग्रस्तता हानि छूट को घटाकर मूल नकदी प्रवाहों पर विचार किया गया है। इसके अतिरिक्त, प्रयोग की शीघ्रातिशीघ्र तारीख को ध्यान में रखते हुए मंदी एवं तेजी विकल्प (पुट एंड कॉल ऑप्शन) वाले बॉण्डों को दर्शाया गया है। इसके अतिरिक्त, कमर्शियल पेपर्स एवं जीरो कूपन बॉण्डों को परिपक्वता मूल्य पर दर्शाया गया है।

(ख) सहायक कंपनी, आरईसीएल के मामले में

(₹ करोड़ में)

31.03.2020 तक की स्थिति के अनुसार बकेट	जमा/निवेश	अग्रिम	घरेलू ऋण	विदेशी मुद्रा मदें	
				परिसंपत्तियां	देयताएं
30/31 दिनों तक	-	590.00	1,627.25	-	31.38
1 माह से अधिक और 2 माह तक	-	306.00	1,481.02	-	678.49
2 माह से अधिक और 3 माह तक	-	3,638.03	8,416.34	-	678.20
3 माह से अधिक और 6 माह तक	-	8,565.24	16,948.27	-	4,096.46
6 माह से अधिक और 1 वर्ष तक	1,501.45	15,889.84	22,701.29	-	11,466.59
1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक	22.93	63,791.10	69,271.03	-	6,567.71
3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक	-	55,014.93	44,960.59	-	21,538.84
5 वर्षों से अधिक	602.73	1,64,288.36	70,255.12	-	5,571.98
कुल	**2,127.11**	**3,12,083.50**	**2,35,658.91**	**-**	**50,629.65**

(₹ करोड़ में)

31.03.2019 तक की स्थिति के अनुसार बकेट	जमा/निवेश	अग्रिम	घरेलू ऋण	विदेशी मुद्रा मदें	
				परिसंपत्तियां	देयताएं
30/31 दिनों तक	56.56	1,850.88	3,908.90	-	27.10
1 माह से अधिक और 2 माह तक	-	1,316.82	1,140.25	-	1,848.36
2 माह से अधिक और 3 माह तक	-	3,401.32	4,145.36	-	99.06
3 माह से अधिक और 6 माह तक	-	7,627.17	11,942.27	-	1,110.68
6 माह से अधिक और 1 वर्ष तक	48.30	13,781.11	22,533.98	-	2,444.00
1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक	1,500.00	55,904.77	69,456.88	-	12,890.45
3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक	-	50,995.33	41,012.10	-	11,019.19
5 वर्षों से अधिक	678.27	1,35,573.52	56,158.89	-	4,511.39
कुल	**2,283.13**	**2,70,450.92**	**2,10,298.63**	**-**	**33,950.23**

समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

59. विनियामकों द्वारा लगाए गए जुर्माने का ब्यौरा:

(क) पीएफसी के संबंध में

एनएसई और बीएसई ने अपने दिनांक 03.02.2020 के पत्र द्वारा निदेशक मंडल (बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स) की संरचना के संबंध में गैर अनुपालन के लिए पीएफसी पर जुर्माना लगाया है। एनएसई और बीएसई को अपने उत्तर में पीएफसी ने बताया है कि केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम होने के कारण तथा कंपनी के संस्था के अंतर्नियम के अनुच्छेद 86 के अनुसरण में विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति द्वारा कंपनी के निदेशक मंडल में निदेशकों की नियुक्ति की जाती है। सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं तथा प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के अनुपालन के लिए कंपनी के निदेशक मंडल में शेष स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की प्रक्रिया को गति देने के लिए कंपनी ने विद्युत मंत्रालय के साथ मामले को उठाया है। पिछले वर्ष भी एनएसई और बीएसई ने इसी कारण के लिए कंपनी पर जुर्माना लगाया था।

(ख) सहायक कंपनी, आरईसीएल के मामले में

दिनांक 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के दौरान किसी विनियामक द्वारा कोई जुर्माना नहीं लगाया गया है। (पिछले वर्ष शून्य)

60. क्रेडिट रेटिंग

(क) पीएफसी के मामले में

(i) 31.03.2020 तक की स्थिति के अनुसार क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा प्रदान की गई रेटिंग और वर्ष के दौरान रेटिंग का माइग्रेशन:

क्र. सं.	रेटिंग एजेंसी	दीर्घावधि रेटिंग	अल्वाधि रेटिंग
1.	क्रिसिल	क्रिसिल एए	क्रिसिल ए1+
2.	आईसीआरए	आईसीआरए एए	आईसीआरए ए1+
3.	सीएआरई	सीएआरई एए	सीएआरई ए1+

वर्ष के दौरान रेटिंग का कोई माइग्रेशन नहीं हुआ है।

(ii) 31.03.2020 तक की स्थिति के अनुसार, कंपनी को दी गई दीर्घावधि विदेशी मुद्रा जारीकर्ता रेटिंग

क्र. सं.	रेटिंग एजेंसी	रेटिंग
1.	फिच रेटिंग्स	बीबीबी-
2.	स्टैण्डर्ड एंड पूअर (एस एंड पी)	बीबीबी-
3.	मूडीज	बीए3

(ख) सहायक कंपनी, आरईसीएल के मामले में

क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा प्रदान की गई रेटिंग और वर्ष के दौरान रेटिंग का माइग्रेशन:

(i) घरेलू क्रेडिट रेटिंग

क्र. सं.	रेटिंग एजेंसी	दीर्घावधि रेटिंग	अल्वाधि रेटिंग
1.	क्रिसिल	क्रिसिल एए	क्रिसिल ए1+
2.	आईसीआरए	आईसीआरए एए	आईसीआरए ए1+
3.	सीएआरई	सीएआरई एए	सीएआरई ए1+
4.	इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च	आईएनडी एए	आईएंडी ए1+

(ii) अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग

क्र. सं.	रेटिंग एजेंसी	रेटिंग
1.	फिच रेटिंग्स	बीबीबी-
2.	मूडीज	बीए3

वर्ष के दौरान रेटिंग का कोई माइग्रेशन नहीं हुआ है।

समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

61. लाभ और हानि के समेकित विवरण में डेबिट किए गए प्रावधान, आकस्मिकताएं और क्षतिग्रस्तता हानि छूट

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	वित्तीय वर्ष 2019-20	वित्तीय वर्ष 2018-19
1.	ऋणों, निवेशों और चुकौती आश्वासन पत्र पर क्षतिग्रस्तता हानि छूट	1,865.76*	(656.95)
2.	अन्य प्राप्य राशियों पर क्षतिग्रस्तता हानि छूट	45.07	31.21
3.	निवेशों पर क्षतिग्रस्तता हानि छूट	0.00	0.01
4.	आयकर के लिए किया गया प्रावधान	3,088.00	4,170.00

* बट्टा खाते मे डाले गए ₹1,368.92 करोड़ के ऋण सहित

62. वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए ग्राहकों की शिकायतें

31.03.2020 को समाप्त वर्ष के दौरान समूह में शामिल कंपनियों को अपने ऋणकर्ताओं से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। (पिछले वर्ष भी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई थी)

63. विनियामकों से प्राप्त पंजीकरणों का ब्यौरा:

क्र. सं.	विनियामक	विवरण	पंजीकरण का ब्यौरा	
			पीएफसी	आरईसीएल
1.	कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय	कॉर्पोरेट पहचान संख्या	L65910DL1986GOI024862	L40101DL1969GOI005095
2.	भारतीय रिज़र्व बैंक	पंजीकरण संख्या	B- 14.00004	14.000011
3.	लीगल एंटिटी आइडंटिफायर इंडिया लिमिटेड/ग्लोबल लीगल एंटिटी आइडंटिफायर फाउंडेशन (जीएलईआईएफ)	एलईआई संख्या/एलईआई कोड	3358003Q6D9LIJJZ1614	335800B4YRYW-MIJZ374

64.

(क) विदेशों में संयुक्त उद्यमों/सहायक कंपनियों के रूप में समूह ने कोई परिसंपत्ति धारित नहीं की है।

(ख) समूह द्वारा प्रायोजित कोई तुलन-पत्र में शामिल न होने वाली (ऑफ-बैलेंस शीट) एसपीवी नहीं है।

65. आरक्षित निधि (रिज़र्व) से आहरण के जरिए कमी

इक्विटी में परिवर्तन के समेकित विवरण में संदर्भ दिया जा सकता है।

66. कंपनी पर लागू आरबीआई के दिनांक 01.09.2016 के प्रधान निर्देश (मास्टर डायरेक्शन) के अनुलग्नक ख़त में यथानिर्दिष्ट समय-समय पर अद्यतन सूचना/विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2020 की स्थिति के अनुसार राशि		31.03.2019 की स्थिति के अनुसार राशि	
		बकाया	अतिदेय	बकाया	अतिदेय
1.	**कंपनी द्वारा प्राप्त किए गए ऋण एवं अग्रिम जिसमें उन पर प्रोद्भूत किंतु भुगतान न किया गया ब्याज शामिल है:**				
	(क) बॉण्ड : प्रतिभूत	55,114.95	0.00	63,896.72	0.00
	: अप्रतिभूत	3,99,100.36	0.00	3,32,176.68	0.00
	(ख) (i) रूपया सावधि ऋण	87,637.16	0.00	71,426.57	0.00
	(ii) विदेशी मुद्रा ऋण	48,672.38	0.00	42,625.94	0.00
	(ग) कमर्शियल पेपर	2,925.00	0.00	17,690.92	0.00
	(घ) अल्पावधि ऋण	4,794.32	0.00	13,357.45	0.00
	(ङ) वित्तीय पट्टा दायित्व	2.12	0.00	0.11	0.00

समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

परिसंपत्ति पक्ष	31.03.2020 की स्थिति के अनुसार बकाया राशि	31.03.2019 की स्थिति के अनुसार बकाया राशि
2. प्राप्य बिलों सहित ऋणों और अग्रिमों का ब्यौरा (नीचे (3) में शामिल मदों को छोड़कर) (प्रावधानों को घटाकर):		
(क) प्रतिभूत	4,48,171.49	4,04,072.84
(ख) अप्रतिभूत	2,07,277.76	1,80,451.16
3. पट्टा परिसम्पत्तियों और किराए पर लिए गए स्टॉक तथा एएफसी गतिविधियों के लिए गिनी जाने वाली परिसंपत्तियों का ब्यौरा (प्रावधानों को घटाकर):		
(i) विविध ऋणकर्ताओं के अंतर्गत पट्टा किराया सहित पट्टा परिसंपत्तियां:		
(क) वित्तीय पट्टा	99.18	99.89
4. निवेशों का ब्यौरा (प्रावधानों को घटाकर)		
वर्तमान निवेश		
1. उद्धृत		
(i) शेयर		
(क) इक्विटी	663.35	935.09
2. अनुद्धृत		
(i) शेयर		
(क) इक्विटी	12.50	-
(ख) वरीयता वाले	68.34	-
दीर्घावधि निवेश		
1. उद्धृत		
(i) शेयर		
(क) इक्विटी	585.67	728.95
(ii) डिबेंचर्स एवं बॉण्ड	2,342.77	2,366.71
2. अनुद्धृत		
(i) शेयर		
(क) इक्विटी	504.67	425.88
(ख) अधिमान	168.86	-
(ii) डिबेंचर एवं बॉण्ड	-	32.11
(iii) सरकारी प्रतिभूति	0.00	47.16
(iv) एसआईबी फंड की इकाईयां	12.24	12.36

5. उपर्युक्त (2) एवं (3) में यथावित्तपोषित परिसंपत्तियों का ऋणी समूहवार वर्गीकरण:

श्रेणी	प्रावधानों को घटाकर राशि (31.03.2020 तक की स्थिति के अनुसार)			प्रावधानों को घटाकर राशि (31.03.2019 तक की स्थिति के अनुसार)		
	प्रतिभूत	अप्रतिभूत	कुल	प्रतिभूत	अप्रतिभूत	कुल
1. संबंधित पक्षकार						
(क) सहायक कंपनियां एवं सहयोगी कंपनियां	-	155.05	155.05	-	196.22	196.22
(i) अन्य संबंधित पक्षकार	0.51	0.33	0.84	0.52	-	0.52
2. संबंधित पक्षकारों के अलावा	4,48,270.16	2,07,122.38	6,55,392.54	4,04,172.21	1,80,254.94	5,84,427.15
कुल	**4,48,270.67**	**2,07,277.76**	**6,55,548.43**	**4,04,172.73**	**1,80,451.16**	**5,84,623.89**

समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

6. शेयरों और प्रतिभूतियों (उद्धृत एवं अनुदधृत दोनों) में सभी निवेशों (वर्तमान और दीर्घावधि) का निवेशक समूहवार वर्गीकरण

श्रेणी	31.03.2020 की स्थिति के अनुसार		31.03.2019 की स्थिति के अनुसार	
	बाजार मूल्य$	बही मूल्य (प्रावधानों को घटाकर)	बाजार मूल्य$	बही मूल्य (प्रावधानों को घटाकर)
1. संबंधित पक्षकार				
(क) सहायक कंपनियां	18,685.88	14,500.45	18,145.15	14,500.70
(i) समान समूह में कंपनियां	547.82	504.72	295.99	246.25
2. संबंधित पक्षकारों के अलावा	3,853.73	3,853.73	2,018.88	2,018.88
कुल	**23,087.43**	**18,858.90**	**20,460.02**	**16,765.83**

7. अन्य जानकारी

विवरण	राशि (31.03.2020 की स्थिति के अनुसार)	राशि (31.03.2019 की स्थिति के अनुसार)
(i) सकल चरण III परिसंपत्तियां		
(क) संबंधित पक्षकारों को छोड़कर	49,127.25	49,888.75
(ii) निवल चरण III परिसंपत्तियां		
(क) संबंधित पक्षकारों को छोड़कर	23,826.66	25,168.79
(iii) ऋणमुक्ति में अधिग्रहीत परिसंपत्तियां (निवेश का सकल मूल्य)	200.60	-

$ ऋणात्मक बाजार मूल्य के मामले में, मूल्य शून्य माना जाता है।

67. चलनिधि जोखिम प्रबंधन संबंधी आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुपालन के संबंध में प्रकटन

(क) पीएफसी के मामले में

(i) महत्वपूर्ण काउंटरपार्टी के आधार पर वित्तपोषण संकेंद्रण (ऋण)

विवरण	महत्वपूर्ण काउंटरपार्टियों की संख्या*	राशि (₹ करोड़ में)	कुल देयताओं का प्रतिशत
31.03.2020 की स्थिति के अनुसार	8	81,440.48	25.70%
31.03.2019 की स्थिति के अनुसार	8	67,042.85	22.24%

* कुल देयताओं के 1% से अधिक के लिए महत्वपूर्ण काउंटरपार्टियों/महत्वपूर्ण लिखत/उत्पाद को समग्र रूप से लेखांकन में एक एकल काउंटरपार्टी या संबद्ध अथवा संबंधित काउंटरपार्टियों के समूह के रूप में परिभाषित किया जाता है।

(ii) 10 शीर्ष ऋण राशियाँ

क्र. सं.	विवरण*	31.03.2020 की स्थिति के अनुसार		31.03.2019 की स्थिति के अनुसार	
		राशि (₹ करोड़ में)	कुल ऋणों का %	राशि (₹ करोड़ में)	कुल ऋणों का %
1.	भारतीय स्टेट बैंक से आरटीएल	8,999.98	2.97%	8,999.98	3.12%
2.	नेशनल स्मॉल सेविंग्स स्कीम फंड (एनएसएसएफ) से आरटीएल	7,500.00	2.47%	7,500.00	2.60%
3.	केनरा बैंक से आरटीएल	6,000.00	1.98%	-	-
4.	3 95 यूएसडी बॉण्ड 2030	5,674.87	1.87%	-	-
5.	7 41 करयोग्य बॉण्ड श्रंखला 197	5,000.00	1.65%	-	-
6.	7 62 करयोग्य बॉण्ड श्रंखला 171	5,000.00	1.65%	5,000.00	1.73%
7.	8 41 करयोग्य बॉण्ड श्रंखला 131 सी	5,000.00	1.65%	5,000.00	1.73%
8.	8 65 करयोग्य बॉण्ड श्रंखला 126	5,000.00	1.65%	5,000.00	1.73%
9.	7 93 करयोग्य बॉण्ड श्रंखला 193	4,710.50	1.55%	-	-
10.	4 50 यूएसडी बॉण्ड 2029	4,539.90	1.50%	-	-

* बॉण्ड निर्गमन/बैंकों से सावधि ऋणों के परिमाण के आधार पर

समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

(iii) महत्वपूर्ण लिखत/उत्पाद पर आधारित वित्तपोषण संकेंद्रण

क्र. सं.	महत्वपूर्ण लिखत/उत्पाद	31.03.2020 तक की स्थिति के अनुसार		31.03.2019 तक की स्थिति के अनुसार	
		राशि (₹ करोड़ में)	कुल देयताओं का %	राशि (₹ करोड़ में)	कुल देयताओं का %
1.	**ऋण प्रतिभूतियां**				
	- इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड	278.63	0.09	278.63	0.09
	- कर मुक्त बॉण्ड	12,275.11	3.87	12,275.11	4.07
	- 54ईसी पूंजीगत अभिलाभ कर छूट बॉण्ड	1,918.54	0.61	784.10	0.26
	- करयोग्य बॉण्ड	1,72,930.24	54.97	1,67,774.95	55.66
	- विदेशी मुद्रा नोट	27,892.78	8.80	8,298.60	2.75
	- कमर्शियल पेपर	-	0.00	9,715.92	3.22
	उप-योग (1)	**2,15,295.30**	**68.00**	**1,99,127.31**	**66.06**
2.	**ऋण (ऋण प्रतिभूतियों के अलावा)**				
	- विदेशी मुद्रा ऋण	172.38	0.05	4,676.17	1.55
	- सिंडीकेटिड विदेशी मुद्रा ऋण	19,635.63	6.20	15,852.09	5.26
	- रूपया सावधि ऋण	49,598.98	15.65	38,703.55	12.84
	- रूपया सावधि ऋण - भारत सरकार	7,500.00	2.37	7,500.00	2.49
	- सावधि जमाओं के सापेक्ष ऋण	-	0.00	12,737.18	4.23
	- कार्यशील पूंजी मांग ऋण/ ओवरड्राफ्ट/ नकद क्रेडिट/ लाइन ऑफ क्रेडिट	2,038.36	0.64	620.00	0.21
	उप-योग (2)	**78,945.35**	**24.91**	**80,088.99**	**26.57**
3.	**सबॉर्डिनेटिड देयताएं**	9,211.50	2.91	9,211.50	3.06
	उप-योग (3)	**9,211.50**	**2.91**	**9,211.50**	**3.06**
	कुल (1+2+3)	**3,03,452.15**	**95.75**	**2,88,427.80**	**95.68**

(iv) स्टॉक अनुपात

क्र. सं.	विवरण	कुल सार्वजनिक निधियों का %	कुल देयताओं का %	कुल परिसंपत्तियों का %
	31.03.2020 तक की स्थिति के अनुसार			
1.	गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर्स (1 वर्ष से कम की मूल परिपक्वता)	-	-	-
2.	कमर्शियल पेपर	-	-	-
3.	अन्य अल्पावधि देयताएं	0.67	0.64	0.56
	31.03.2019 तक की स्थिति के अनुसार			
1.	गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर्स (1 वर्ष से कम की मूल परिपक्वता)	-	-	-
2.	कमर्शियल पेपर	3.37	3.22	2.82
3.	अन्य अल्पावधि देयताएं	6.19	5.92	5.18

समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

(ख) सहायक कंपनी, आरईसीएल के मामले में

(i) महत्वपूर्ण काउंटरपार्टी के आधार पर वित्तपोषण संकेंद्रण (ऋण राशियाँ)

विवरण	महत्वपूर्ण काउंटरपार्टियों की संख्या*	राशि (₹ करोड़ में)	कुल देयताओं का प्रतिशत
31.03.2020 की स्थिति के अनुसार	14	1,25,850.36	40.38%
31.03.2019 की स्थिति के अनुसार	16	1.03.251.25	39.12%

* कुल देयताओं के 1% से अधिक के लिए महत्वपूर्ण काउंटरपार्टियों/ महत्वपूर्ण लिखत/ उत्पाद को समग्र रूप से लेखांकन में एक एकल काउंटरपार्टी या संबद्ध अथवा संबंधित काउंटरपार्टियों के समूह के रूप में परिभाषित किया जाता है।

(ii) 10 शीर्ष ऋण राशियाँ

क्र. सं.	विवरण*	31.03.2020 की स्थिति के अनुसार		31.03.2019 की स्थिति के अनुसार	
		राशि (₹ करोड़ में)	कुल ऋणों का %	राशि (₹ करोड़ में)	कुल ऋणों का %
1.	नेशनल स्मॉल सेविंग्स फंड (एनएसएसएफ) से सावधि ऋण	10,000.00	3.57	5,000.00	2.090
2.	54 ईसी-श्रृंखला XI (2017-18)	9,565.23	3.42	9,565.23	4.00
3.	भारतीय स्टेट बैंक से सावधि ऋण	7,299.92	2.61	7,300.00	3.05
4.	54 ईसी-श्रृंखला XI (2018-19)	6,651.77	2.38	5,929.73	2.48
5.	54 ईसी-श्रृंखला XI (2018-19)	5,759.14	2.06	-	0.00
6.	विदेशी मुद्रा बॉण्ड - यूएस $700 मिलियन बॉण्ड	5,277.01	1.88	4,841.99	2.02
7.	संस्थानिक बॉण्ड - 182वीं श्रृंखला	5,063.00	1.81	-	0.00
8.	विदेशी मुद्रा बॉण्ड - यूएस $650 मिलियन बॉण्ड	4,900.08	1.75	-	0.00
9.	संस्थानिक बॉण्ड - 114वीं श्रृंखला	4,300.00	1.54	4,300.00	1.80
10.	संस्थानिक बॉण्ड -105वीं श्रृंखला	3,922.20	1.40	3,922.20	1.64

(iii) महत्वपूर्ण लिखत/उत्पाद पर आधारित वित्तपोषण संकेंद्रण

क्र. सं.	महत्वपूर्ण लिखत/ उत्पाद	31.03.2020 तक की स्थिति के अनुसार		31.03.2019 तक की स्थिति के अनुसार	
		राशि (₹ करोड़ में)	कुल देयताओं का %	राशि (₹ करोड़ में)	कुल देयताओं का %
1.	**ऋण प्रतिभूतियां**				
	- इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड	1,52,120.20	48.81	1,29,273.30	48.98
	- विदेशी मुद्रा बॉण्ड	22,615.78	7.26	12,796.69	4.85
	- 54ईसी पूंजीगत अभिलाभ कर बॉण्ड	22,376.33	7.18	23,879.92	9.05
	- कर मुक्त बॉण्ड	12,602.97	4.04	12,577.97	4.77
	उप-योग (1)	**2,09,715.28**	**67.30**	**1,78,527.88**	**67.65**
2.	**ऋण (ऋण प्रतिभूतियों के अलावा)**				
	- विदेशी मुद्रा ऋण	21,762.71	6.98	17,637.62	6.68
	- बैंकों से सावधि ऋण	18,899.78	6.06	18,550.00	7.03
	- भारत सरकार से सावधि ऋण	10,000.00	3.21	5,000.00	1.89
	- एफसीएनआर (बी) ऋण	6,973.20	2.24	4,323.20	1.64
	उप-योग (2)	**57,635.69**	**18.49**	**45,510.82**	**17.24**
3.	**सबॉर्डिनेटिड देयताएं**	**4,651.20**	**1.49**	**4,651.20**	**1.76**
	उप-योग (3)	**4,651.20**	**1.49**	**4,651.20**	**1.76**
	कुल (1+2+3)	**2,72,002.17**	**87.28**	**2,28,689.90**	**86.66**

समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

(iv) स्टॉक अनुपात

क्र. सं.	विवरण	राशि (₹ करोड़ में)	कुल सार्वजनिक निधियों का %	कुल देयताओं का %	कुल परिसंपत्तियों का %
31.03.2020 तक की स्थिति के अनुसार					
1.	गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर्स (1 वर्ष से कम की मूल परिपक्वता)	-	-	-	-
2.	कमर्शियल पेपर	2,925.00	1.04	0.94	0.84
3.	अन्य अल्पावधि देयताएं	10,829.62	3.87	3.48	3.12
31.03.2019 तक की स्थिति के अनुसार					
1.	गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर्स (1 वर्ष से कम की मूल परिपक्वता)	-	-	-	-
2.	कमर्शियल पेपर	7,975.00	3.33	3.02	2.67
3.	अन्य अल्पावधि देयताएं	4,776.01	2.00	1.81	1.60

68. समूह पर कोविड-19 का प्रभाव

कोरोना वायरस (कोविड-19) महामारी का प्रकोप विश्व भर के और भारत के वित्तीय बाजारों में बहुत अधिक अवरोध उत्पन्न कर रहा है। भारत सरकार द्वारा वायरस के प्रसार को रोकने के लिए घोषित लॉकडाउन के परिणामस्वरूप आर्थिक गतिविधियां बहुत अधिक धीमी हुई है। तब से सरकार और विभिन्न नियामकों ने वायरस के प्रसार को रोकने और आर्थिक विसंगतियों के प्रभावों को कम करने के लिए कई तरह के उपाय किए हैं। हालांकि, प्रबंधन का मानना है कि समूह के व्यवसाय और वित्तीय स्थिति पर इस प्रकोप का प्रभाव महत्वपूर्ण नहीं होगा।

अपनी सुदृढ़ आईटी अवसंरचना और डिजिटल संचार प्रौद्योगिकी के साथ, समूह ने अपने कार्मिकों को 'वर्क फ्रॉम होम' के लिए प्रोत्साहित किया। इसने अपने कार्यबल को व्यापार निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए दूरस्थ प्रौद्योगिकी के माध्यम से सुरक्षित रूप से काम करने में सक्षम बनाया। 31 मार्च, 2020 के अंतिम पखवाड़े के दौरान, समूह ने विद्युत क्षेत्र की परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए लगभग ₹17,476 करोड़ का संवितरण किया, जो महामारी से सुरक्षित कार्यस्थल बनाने के प्रयास का परिचायक है।

इस अवधि के दौरान ऋण सर्विसिंग के बोझ को कम करने के लिए, आरबीआई ने कुछ दिशानिर्देश अधिसूचित किए। दिनांक 27 मार्च, 2020 और 17 अप्रैल, 2020 के कोविड-19 विनियामक पैकेज के संबंध में आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार, पीएफसी और आरईसीएल ने पात्र ऋणकर्ताओं को दिनांक 1 मार्च, 2020 और 31 मई, 2020 के बीच आने वाली किश्तों के भुगतान पर अधिस्थगन (मोरेटोरियम) की पेशकश की है। आरबीआई ने दिनांक 23.05.2020 के परिपत्र के माध्यम से अधिस्थगन (मोरेटोरियम) की अवधि को 3 महीने अर्थात् 31 अगस्त, 2020 तक बढ़ा दिया है।

इसके अलावा, भारत सरकार ने अपने कोविड-19 पैकेज की घोषणा के एक भाग के रूप में, पीएफसी और इसकी सहायक कंपनी आरईसी लिमिटेड के माध्यम से सीपीएसई जेनको/ट्रांसको, आईपीपी और आरई जनरेटर्स की बकाया राशि के निपटान के लिए राज्य सरकार के गारंटीकृत ऋण के रूप में राज्य डिस्कॉम को ₹90,000 करोड़ की चलनिधि अंतःक्षेपण (इंटरवेंशन) की भी घोषणा की है।

समूह अपनी वित्तपोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए भलीभांति तैयार है। वर्तमान में, समूह के पास विभिन्न बैंकों के अनाहरित लाइन ऑफ क्रेडिट की पर्याप्त संख्या है। समूह की उच्च ऋण योग्यता ऋणदाताओं के साथ अच्छी तरह से स्थापित संबंध को ध्यान में रखते हुए, यह घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों से धन जुटा सकती है।

इस प्रकार, यह मानने का कोई कारण नहीं है कि समूह के सुनाम प्रतिष्ठान के आकलन सहित इसके प्रचालन को बनाए रखने के लिए मौजूदा संकट का समूह की क्षमता पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। हालांकि, समूह भविष्य की आर्थिक परिस्थितियों और उसके व्यवसाय पर प्रभाव के कारण होने वाले किसी भी भौतिक परिवर्तन की सूक्ष्म मॉनीटरिंग करना जारी रखेगी।

इसके अतिरिक्त, सीएसआर पहल के अंतर्गत, समूह ने मार्च और अप्रैल, 2020 माह में कोविड-19 से लड़ने के लिए पीएम केयर्स फंड में ₹350 करोड़ का अंशदान दिया। इसके अलावा, कार्मिकों ने भी इस फंड के लिए अपने एक दिन के वेतन का अंशदान दिया है। समूह द्वारा इसके सामाजिक दायित्व के भाग के रूप में जिला प्रशासन को वित्तीय सहायता, फ्रंटलाइन कार्मिकों को सहायता और जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन करना जैसे कई अन्य अखिल भारतीय पहल भी की गई हैं।

समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

69. आरबीआई के दिनांक 17.04.2020 के परिपत्र डीओआर संख्या बीपी.बीसी.63/21.04.048/2019-20 के अनुसरण में आरबीआई के कोविड-19 विनियामक पैकेज के संबंध में अधिस्थगन (मोरेटोरियम) और परिसंपत्ति वर्गीकरण के संबंध में प्रकटन

(क) पीएफसी के मामले में

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	राशि
1.	एसएमए/अतिदेय श्रेणियों, जिनमें मोरेटोरियम/आस्थगन को एसएमए 1 के लिए विस्तारित किया गया था, में राशि	594.72
2.	राशि जिसमें परिसंपत्ति वर्गीकरण हितलाभों को विस्तारित किया गया है	शून्य
3.	वित्तीय वर्ष 2020 की चौथी तिमाही के दौरान किए गए प्रावधान	लागू नहीं
4.	स्लिपेज और अवशिष्ट प्रावधानों के सापेक्ष संबंधित लेखांकन अवधियों के दौरान समायोजित प्रावधान	लागू नहीं

(ख) सहायक कंपनी, आरईसीएल के मामले में

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	राशि
1.	एसएमए/अतिदेय श्रेणियों, जिनमें मोरेटोरियम/आस्थगन को विस्तारित किया गया था, में संबंधित राशि	1460.22
2.	संबंधित राशि जिसमें परिसंपत्ति वर्गीकरण हितलाभों को विस्तारित किया गया है	23.37
3.	किए गए सामान्य प्रावधान	नीचे दी गई टिप्पणी का संदर्भ लें
4.	स्लिपेज और अवशिष्ट प्रावधानों के सापेक्ष संबंधित अवधियों के दौरान समायोजित सामान्य प्रावधान	नीचे दी गई टिप्पणी का संदर्भ लें

नोट: एनबीएफसी होने के नाते, आरईसीएल बोर्ड द्वारा अनुमोदित ईसीएल विधि के अनुसार इंड एएस 109 के अनुसरण में अपेक्षित क्रेडिट क्षति (ईसीएल) के लिए प्रावधान करती है। तथापि, आईआरएसीपी मानदंडों के अनुसार अपेक्षित प्रावधानों की गणना के लिए आरबीआई - आईआरएसीपी मानदंडों के अंतर्गत यथाअपेक्षित ऐसे प्रावधानों पर विचार किया जाता है।

70. बड़ी संस्थाओं द्वारा ऋण प्रतिभूतियों के निर्गमन के जरिए निधियां जुटाने के संबंध में सेबी के दिनांक 26.11.2018 के परिपत्र सेबी/एचओ/डीडीएचएस/सीआईआर/पी2018/144 के अनुसरण में प्रकटन

पीएफसी के संबंध में वृद्धिशील ऋणों के ब्यौरे:

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2019-20
वित्तीय वर्ष 2019-20 में लिए गए वृद्धिशील ऋण (क)	59,542.04
ऋण प्रतिभूतियों के निर्गमन के माध्यम से लिए जाने वाले अनिवार्य ऋण (ख) = (क का 25%)	14,885.51
वित्तीय वर्ष 2019-20 में ऋण प्रतिभूतियों के माध्यम से लिए गए वास्तविक ऋण	36,353.60
ऋण प्रतिभूतियों, यदि कोई हो, के माध्यम से अनिवार्य ऋण में कमी (घ) = (ख)-(ग) (यदि गणना करने पर प्राप्त मूल्य शून्य या ऋणात्मक है, तो इसे शून्य लिखा जाता है)	शून्य
ऋण प्रतिभूतियों के माध्यम से अनिवार्य ऋणों में कमी, यदि कोई हो, के कारण	लागू नहीं

आरईसीएल ने उपरोक्त उल्लिखित प्रकटन का ब्यौरा दिनांक 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए इसके वार्षिक लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों, जिन्हें दिनांक 17.06.2020 को मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज को प्रस्तुत किया गया था, में प्रदान किया था।

71. इंड एएस 108-'ऑपरेटिंग सेगमेंट' की अपेक्षा के अनुसार व्यवसाय/भौगोलिक सेगमेंट की रिपोर्टिंग के संदर्भ में

समूह के प्रचालनों में केवल एक व्यवसाय सेगमेंट-विद्युत क्षेत्र की संस्थाओं को ऋण शामिल है। सभी गतिविधियां मुख्य व्यवसाय के अनुसार की जाती है। अतः इंड एएस 108 के अनुसार सूचित करने योग्य कोई सेगमेंट नहीं है। इंड एएस 108 'प्रचालन सेगमेंट' में यथापरिभाषित 'प्रबंधन दृष्टिकोण' के आधार पर मुख्य प्रचालन निर्णयकर्ता एक व्यवसाय सेगमेंट के विभिन्न कारकों के विश्लेषण के आधार पर कंपनी के कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन करता है।

(i) समूह का कोई भौगोलिक सेगमेंट नहीं है क्योंकि समूह का प्रचालन मुख्य रूप से देश के भीतर किया जाता है।

(ii) प्रमुख सेवाओं से राजस्व

समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

अपनी प्रमुख सेवाओं के प्रचालन से समूह के राजस्व का विश्लेषण निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

	वित्तीय वर्ष 2019-20	वित्तीय वर्ष 2018-19
ब्याजगत आय		
- ऋणों से	61,089.77	52,837.17
- अन्य	538.58	590.24
शुल्क और कमीशन से आय	161.91	374.11
अन्य प्रचालनगत आय	293.53	227.50

(iii) प्रमुख ऋणकर्ताओं के बारे में सूचना

वित्तीय वर्ष 2019-20 और वित्तीय वर्ष 2018-19 दोनों के लिए एक भी एकल ऋणकर्ता ने कंपनी के राजस्व में 10% या अधिक का योगदान नहीं किया।

72. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों में संशोधन

समूह ने दिनांक 01.04.2019 से संशोधित पूर्वव्यापी दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा यथाअधिसूचित इंड एएस 116 पट्टाफको अपनाया है। इसके वित्तीय प्रभाव के ब्यौरों के लिए टिप्पणी 45 का संदर्भ लें।

इसके अलावा, और पारदर्शिता लाने के लिए, टिप्पणी 6.5 - समूह की महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों में कुछेक अन्य नीतियों को शामिल/संशोधित किया गया है। लेखांकन नीतियों में किए गए ऐसे संशोधनों का कोई वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ा है।

73. परिसंपत्ति और देयताओं के अंतर्गत प्रत्येक प्रमुख मद के लिए 12 माह में और उससे अधिक में वसूले/समाधान किए जाने के लिए अपेक्षित राशियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 तक की स्थिति के अनुसार		31.03.2019 तक की स्थिति के अनुसार	
	12 माह में	12 माह से अधिक	12 माह में	12 माह से अधिक
परिसंपत्तियां				
1. वित्तीय परिसंपत्तियां				
(क) नकदी एवं नकदी समतुल्य	1,905.21	-	726.64	-
(ख) नकदी एवं नकदी समतुल्य में शामिल की गई राशि को छोड़कर बैंक में शेष राशि	2,282.96	-	15,650.40	-
(ग) डेरिवेटिव वित्तीय लिखत	1,244.54	3,937.73	430.84	1,939.72
(घ) व्यापार से प्राप्य राशियां	137.31	-	172.13	-
(ङ) ऋण	86,807.57	5,59,388.54	73,948.42	4,99,712.86
(च) निवेश	2,164.80	1,688.92	1,037.32	3,085.06
(छ) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	4,359.33	23,102.79	634.77	23,078.20
कुल वित्तीय परिसंपत्तियां (1)	**98,901.72**	**5,88,117.98**	**92,600.52**	**5,27,815.84**
2. गैर-वित्तीय परिसंपत्तियां				
(क) मौजूदा कर परिसंपत्तियां (निवल)	212.29	926.04	5.59	795.35
(ख) आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)	-	5,005.31	10.25	6,359.49
(ग) निवेश संपत्ति	-	0.01	-	0.01
(घ) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	-	186.79	-	186.45
(ङ) प्रगतिशील पूंजीगत कार्य	-	287.62	-	196.94
(च) विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां	-	0.77	-	1.59
(छ) अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां	-	9.23	-	9.18
(ज) राइट ऑफ यूज परिसंपत्तियां	-	42.07	-	-
(झ) अन्य गैर-वित्तीय परिसंपत्तियां	168.84	95.10	294.61	98.89
(ञ) इक्विटी विधि का उपयोग करने के लिए निवेश	7.32	542.58	-	481.35
कुल गैर-वित्तीय परिसंपत्तियां (2)	**388.44**	**7,095.53**	**310.45**	**8,129.25**
3. बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत परिसंपत्तियां	16.98	-	12.66	-
कुल परिसंपत्तियां (1+2+3)	**99,307.16**	**5,95,213.51**	**92,923.63**	**5,35,945.09**

समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 तक की स्थिति के अनुसार		31.03.2019 तक की स्थिति के अनुसार	
	12 माह में	12 माह से अधिक	12 माह में	12 माह से अधिक
देयताएं				
1. वित्तीय देयताएं				
(क) डेरिवेटिव वित्तीय लिखत	115.03	1,810.52	124.33	540.66
(ख) व्यापार की देय राशियां	53.22	-	74.91	-
(ग) ऋण प्रतिभूतियां	85,726.03	3,56,039.87	85,954.05	3,12,397.95
(घ) ऋण (ऋण प्रतिभूतियों के अलावा)	37,283.77	1,03,382.95	36,201.68	90,805.55
(ङ) सबॉर्डिनेटिड देयताएं	273.62	13,856.98	272.26	13,856.20
(च) अन्य वित्तीय देयताएं	2,507.65	26,669.39	1,693.64	22,880.64
कुल वित्तीय देयताएं (1)	**1,25,959.32**	**5,01,759.71**	**1,24,320.87**	**4,40,481.00**
2. गैर-वित्तीय देयताएं				
(क) मौजूदा कर देयताएं (निवल)	67.40	-	-	5.74
(ख) प्रावधान	290.28	84.04	259.59	107.22
(ग) आस्थगित कर देयताएं (निवल)	-	-	-	-
(घ) अन्य गैर-वित्तीय देयताएं	82.42	111.43	112.99	96.96
कुल गैर-वित्तीय देयताएं (2)	**440.10**	**195.47**	**372.58**	**209.92**
3. बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत परिसंपत्तियों से प्रत्यक्ष रूप से संबद्ध देयताएं	0.68	-	0.08	-
कुल देयताएं (1+2)	**1,26,400.10**	**5,01,955.18**	**1,24,693.53**	**4,40,690.92**

74. इक्विटी विधि का उपयोग करने के लिए समूह की संयुक्त उद्यम संस्थाएं

(i) वर्ष के दौरान, संयुक्त उद्यम भागीदारों - एनटीपीसी लिमिटेड, पीजीसीआईएल और आरईसीएल ने ईईएसएल के 30,81,24,00 अतिरिक्त इक्विटी शेयरों को सब्सक्राइब किया। वर्ष के दौरान पीएफसी ने कोई अतिरिक्त इक्विटी शेयर सब्सक्राइब नहीं किए हैं। इस प्रकार, ईईएसएल की इक्विटी शेयर पूंजी में पीएफसी की शेयरधारिता 36.36% से कम होकर 24.97% हो गई।

31.03.2020 तक की स्थिति के अनुसार, पीएफसी अपनी सहायक कंपनी आरईसीएल के साथ-साथ ईईएसएल की इक्विटी शेयर पूंजी में 47.15% (24.97% प्रत्यक्ष रूप से और 22.18% इसकी सहायक कंपनी आरईसीएल के माध्यम से) शेयर की धारक है।

(ii) संयुक्त उद्यम संस्था (ईईएसएल) में समूह के शेयर के समेकन के लिए, वर्ष 2019-20 के लिए प्रबंधन द्वारा अनुमोदित एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों पर विचार किया गया था।

ईईएसएल के निवल मूल्य में समूह के शेयर की गणना के लिए, दिनांक 31.03.2019 तक की स्थिति के अनुसार समेकित निवल मूल्य में वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय निष्पादन को शेयर में समायोजित किया गया है।

संयुक्त उद्यम संसथा से संबंधित संगत प्रकटनों को अनुवर्ती उपखंडों में दर्शाया गया है:

74.1 ईईएसएल की वित्तीय स्थिति का संक्षिप्त विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 तक की स्थिति के अनुसार*	31.03.2019 तक की स्थिति के अनुसार#
वित्तीय परिसंपत्ति		
नकदी और नकदी समतुल्य	177.73	438.20
उपरोक्त को छोड़कर बैंक शेष	409.41	337.94
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	3,293.32	2,206.23
उप-योग (वित्तीय परिसंपत्तियां)	**3,880.46**	**2,982.37**
गैर-वित्तीय परिसंपत्तियां	5,228.82	4,406.26
कुल परिसंपत्तियां	**9,109.28**	**7,388.63**
वित्तीय देयताएं	7,554.34	6,208.76
गैर-वित्तीय देयताएं	373.85	309.93
कुल देयताएं	**7,928.19**	**6,518.69**
निवल परिसंपत्तियां	**1,181.09**	**869.94**

* प्रबंधन द्वारा अनुमोदित एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों के आधार पर

लेखापरीक्षित समेकित वित्तीय विवरणों के आधार पर

समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

74.2 ईईएसएल के वित्तीय निष्पादन का संक्षिप्त विवरण:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	वित्तीय वर्ष 2019-20*	वित्तीय वर्ष 2018-19#
(क)	**आय**		
	प्रचालनों से राजस्व	1,865.98	2,451.01
	अन्य आय	68.09	113.53
	कुल (क)	**1,934.07**	**2,564.54**
(ख)	**व्यय**		
	वित्तीय लागत	322.61	220.08
	मूल्यहास, परिशोधन और क्षतिग्रस्तता	496.75	345.91
	स्टॉक-इन-ट्रेड की खरीद	683.35	1,307.99
	कार्मिक हितलाभ	36.95	135.04
	अन्य व्यय	367.19	360.88
	कुल (ख)	**1,906.85**	**2,369.90**
(ग)	**इक्विटी विधि का उपयोग करने के लिए संयुक्त उद्यमों के निवल लाभों / (हानियों) का शेयर**	**0.00**	**0.03**
(घ)	**कर पूर्व लाभ (क - ख + ग)**	**27.22**	**194.67**
(ङ)	कर व्यय	(17.70)	73.39
(च)	**अवधि के लिए लाभ (घ - ङ)**	**44.92**	**121.28**
(छ)	अन्य व्यापक आय / (हानि)	(0.48)	(21.34)
(ज)	**कुल व्यापक आय (च + छ)**	**44.44**	**99.94**
	ईईएसएल से प्राप्त लाभांश	4.47	6.40

* प्रबंधन द्वारा अनुमोदित एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों के आधार पर

\# लेखापरीक्षित समेकित वित्तीय विवरणों के आधार पर

74.3 ईईएसएल की निवल परिसंपत्तियों में मूवमेंट:

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2019-20	वित्तीय वर्ष 2018-19
प्रारंभिक इक्विटी	874.58	690.07
घटाएं: गैर-नियंत्रक ब्याज (एनसीआई)	(45.76)	(46.68)
कंपनी के स्वामियों पर आरोप्य प्रारंभिक इक्विटी	828.82	643.39
गैर-लेखापरीक्षित की तुलना में लेखापरीक्षित के लिए समायोजन	(4.64)	-
निर्गत शेयर पूंजी	308.12	213.20
प्रयुक्त शेयर एप्लीकेशन मनी	-	(99.00)
वर्ष के लिए लाभ (गैर-लेखापरीक्षित स्टैंडअलोन विवरण के आधार पर)	44.44	83.83
ओसीआई (करों को घटाकर)	-	(0.22)
लेखांकन नीतियों में परिवर्तन	-	-
अन्य समायोजन (सहायक कंपनी के स्वामित्व और शेयर पूंजी में वृद्धि के लिए लेन-देन की लागत में परिवर्तन का प्रभाव)	-	-
घटाएं: प्रदत्त लाभांश (डीडीटी सहित)	(11.44)	(13.30)
कंपनी के स्वामियों पर आरोप्य अंतिम इक्विटी	**1,165.30**	**827.90**

74.4 ईईएसएल की वहन राशि का समाधान

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 तक की स्थिति के अनुसार	31.03.2019 तक की स्थिति के अनुसार
कंपनी के स्वामियों पर आरोप्य निवल मूल्य	1,165.30	827.90
समूह का शेयर %	47.15%	58.06%
निवल मूल्य में समूह का शेयर	549.40	480.59

ईईएसएल के इक्विटी शेयरों को स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध नहीं किया जाता है।

समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

75. इक्विटी विधि का उपयोग करने के लिए हिसाब में ली गई सभी व्यक्तिगत अमूर्त सहयोगी कंपनियों में हितों के लिए, समग्र विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2019-20	वित्तीय वर्ष 2018-19
सतत प्रचालनों से लाभ या हानि	(0.20)	-
बंद कर दिए गए प्रचालनों से करोपरांत लाभ या हानि	-	-
अन्य व्यापक आय	-	-
कुल व्यापक आय	(0.20)	-

76. कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के अंतर्गत यथाअपेक्षित समेकित संस्थाओं के संबंध में प्रकटन

76.1 निवल परिसंपत्तियों (अर्थात् कुल परिसंपत्तियां - कुल देयताओं) में शेयर

संस्था का नाम	31.03.2020 तक की स्थिति के अनुसार		31.03.2019 तक की स्थिति के अनुसार	
	समेकित निवल परिसंपत्तियों के प्रतिशत के रूप में	राशि (₹ करोड़ में)	समेकित निवल परिसंपत्तियों के प्रतिशत के रूप में	राशि (₹ करोड़ में)
मूल कंपनी				
पीएफसी लिमिटेड	68.26%	45,164.13	68.19%	43,287.99
सहायक कंपनियां - भारतीय				
आरईसी लिमिटेड	53.50%	35,396.43	54.42%	34,546.34
पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड (पीएफसीसीएल)	0.09%	60.07	0.15%	95.11
पावर इक्विटी कैपिटल एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड (पीईसीएपी)	0.00%	-	0.00%	0.05
संयुक्त उद्यम-भारतीय				
एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसिज लिमिटेड (ईईएसएल)	0.83%	549.40	0.76%	480.65
सहयोगी कंपनियां - भारतीय				
छत्तीसगढ़ सरगुजा पावर लिमिटेड	0.00%	-	0.00%	0.05
कोस्टल कर्नाटक पावर लिमिटेड	0.00%	-	0.00%	0.05
कोस्टल महाराष्ट्र मेगा पावर लिमिटेड	0.00%	-	0.00%	0.05
ओडिसा इंटीग्रेटिड पावर लिमिटेड	0.00%	-	0.00%	-
कोस्टल तमिलनाडु पावर लिमिटेड	0.00%	0.08	0.00%	0.05
सखीगोपाल इंटीग्रेटिड पावर लिमिटेड	0.00%	0.05	0.00%	0.05
घोगरपल्ली इंटीग्रेटिड पावर कंपनी लिमिटेड	0.00%	0.05	0.00%	0.05
तातिया आंध्रा मेगा पावर लिमिटेड	0.00%	-	0.00%	0.05
देवघर मेगा पावर लिमिटेड	0.00%	0.04	0.00%	0.05
चेय्यूर इंफ्रा लिमिटेड	0.00%	0.05	0.00%	0.05
ओडिशा इंफ्रापावर लिमिटेड	0.00%	0.04	0.00%	0.05
देवघर इंफ्रा लिमिटेड	0.00%	0.05	0.00%	0.05
बिहार इंफ्रापावर लिमिटेड	0.00%	0.05	0.00%	0.05
बिहार मेगा पावर लिमिटेड	0.00%	0.05	0.00%	0.05
झारखंड इंफ्रापावर लिमिटेड	0.00%	0.04	0.00%	0.05
समायोजनों या उन्मूलनों के प्रभाव	(22.68)%	(15,005.15)	(23.50)%	(14,926.57)
कुल	**100.00%**	**66,165.38**	**100.00%**	**63,484.27**

समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

76.2 लाभ और हानि में शेयर

संस्था का नाम	31.03.2020 तक की स्थिति के अनुसार		31.03.2019 तक की स्थिति के अनुसार	
	समेकित लाभ और हानि के प्रतिशत के रूप में	राशि (₹ करोड़ में)	समेकित लाभ और हानि के प्रतिशत के रूप में	राशि (₹ करोड़ में)
मूल कंपनी				
पीएफसी लिमिटेड	59.67%	5,655.14	55.01%	6,952.92
सहायक कंपनियां - भारतीय				
आरईसी लिमिटेड	52.47%	4,972.27	45.42%	5741.38
पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड (पीएफसीसीएल)	0.61%	58.15	0.18%	22.43
पावर इक्विटी कैपिटल एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड (पीईसीएपी)	0.00%	(0.05)	0.00%	0.00
संयुक्त उद्यम-भारतीय				
एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसिज लिमिटेड (ईईएसएल)	0.23%	21.63	0.35%	44.25
सहयोगी कंपनियां - भारतीय	0.00%	(0.20)	0.00%	0.00
समायोजनों या उन्मूलनों के प्रभाव	(12.98)%	(1,229.69)	(0.94)%	(120.71)
कुल	**100.00%**	**9,477.25**	**100.00%**	**12,640.27**

76.3 अन्य व्यापक आय में शेयर

(₹ करोड़ में)

संस्था का नाम	31.03.2020 तक की स्थिति के अनुसार		31.03.2019 तक की स्थिति के अनुसार	
	समेकित अन्य व्यापक आय के प्रतिशत के रूप में	राशिराशि (₹ करोड़ में)	समेकित अन्य व्यापक आय के प्रतिशत के रूप में	राशि (₹ करोड़ में)
मूल कंपनी				
पीएफसी लिमिटेड	37.66%	(334.63)	77.30%	(206.97)
सहायक कंपनियां - भारतीय				
आरईसी लिमिटेड	62.33%	(553.85)	22.63%	(60.59)
पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड (पीएफसीसीएल)	0.00%	0.00	0.00%	0.00
पावर इक्विटी कैपिटल एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड (पीईसीएपी)	0.00%	0.00	0.00%	0.00
संयुक्त उद्यम-भारतीय				
एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसिज लिमिटेड (ईईएसएल)	0.47%	(4.19)	0.05%	(0.13)
सहयोगी कंपनियां - भारतीय	0.00%	-	0.00%	-
समायोजनों या उन्मूलनों के प्रभाव	(0.46)%	4.06	0.02%	(0.06)
कुल	**100.00%**	**(888.61)**	**100.00%**	**(267.75)**

समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

76.4 कुल व्यापक आय में शेयर

संस्था का नाम	31.03.2020 तक की स्थिति के अनुसार		31.03.2019 तक की स्थिति के अनुसार	
	समेकित कुल व्यापक आय के प्रतिशत के रूप में	राशिराशि (₹ करोड़ में)	समेकित कुल व्यापक आय के प्रतिशत के रूप में	राशि (₹ करोड़ में)
मूल कंपनी				
पीएफसी लिमिटेड	61.95%	5,320.51	54.52%	6,745.95
सहायक कंपनियां - भारतीय				
आरईसी लिमिटेड	51.44%	4,418.42	45.91%	5,680.79
पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड (पीएफसीसीएल)	0.68%	58.15	0.18%	22.43
पावर इक्विटी कैपिटल एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड (पीईसीएपी)	0.00%	(0.05)	0.00%	0.00
संयुक्त उद्यम-भारतीय				
एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसिज लिमिटेड (ईईएसएल)	0.20%	17.44	0.36%	44.12
सहयोगी कंपनियां - भारतीय	0.00%	(0.20)	0.00%	0.00
समायोजनों या उन्मूलनों के प्रभाव	(14.27)%	(1,225.63)	(0.98)%	(120.77)
कुल	**100.00%**	**8,588.64**	**100.00%**	**12,372.52**

77. समेकित वित्तीय विवरणों में किए गए प्रकटन सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरणों में उपलब्ध जानकारी की सीमा तक किए गए हैं।

78. विगत वर्ष के आंकड़ों को तुलनात्मक रूप देने के लिए, आवश्यकता पड़ने पर, पुनः समूहबद्ध/पुनः वर्गीकृत किया गया है।

79. आंकड़ों को दो दशमलव के साथ निकटतम करोड़ रुपए में पूर्णांकित किया गया है।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

हस्ता/-
(मनोहर बलवानी)
कंपनी सचिव

हस्ता/-
(एन. बी. गुप्ता)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन: 00530741

हस्ता/-
(आर. एस. ढिल्लों)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 00278074

हमारी संलग्न समसंख्यक तारीख की रिपोर्ट के संदर्भ में हस्ताक्षरित

कृते गांधी मिनोचा एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या: 000458N

हस्ता/-
(सीए मनोज भारद्वाज)
भागीदार
सदस्यता संख्या: 098606

कृते दास गुप्ता एंड एसोसिएट
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या: 000112N

हस्ता/-
(सीए अशोक कुमार जैन)
भागीदार
सदस्यता संख्या: 090563

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 24.06.2020

फॉर्म एओसी - 1

सहयोगी कंपनियों एवं संयुक्त उद्यमों के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 (3) के अनुसरण में विवरण

भाग ''क'': सहायक कंपनियां

(₹ करोड़ में)

(क)	सहायक कंपनियां[1]	आरईसी लिमिटेड	पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड (पीएफसीसीएल)	पावर इक्विटी कैपिटल एडवाइजर प्राइवेट लिमिटेड (पीईसीएपी)[4]	आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड	आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड
1.	समाप्त वर्ष के लिए जानकारी[2]	31.03.2020	31.03.2020	31.03.2020	31.03.2020	31.03.2020
2.	अधिग्रहण / निगमन की तारीख	28.03.2019	25.03.2008	11.10.2011	28.03.2019	28.03.2019
3.	शेयर पूंजी	1,974.92	0.05	0.05	0.05	0.05
4.	आरक्षित निधि एवं अधिशेष	33,101.64	60.02	(0.05)	168.15	112.56
5.	कुल परिसंपत्तियां	3,46,487.59	92.07	-	310.30	259.89
6.	कुल देयताएं	3,11,411.03	32.00	-	142.10	146.60
7.	निवेश	2,313.21	-	-	15.81	75.26
8.	टर्नओवर[3]	29,791.06	111.42	-	143.01	79.16
9.	कराधान पूर्व लाभ	6,983.29	78.46	(0.05)	20.34	70.55
10.	कराधान के लिए प्रावधान	2,097.13	20.31	-	7.87	16.11
11.	कराधान पश्चात् लाभ	4,886.16	58.15	-	12.47	54.44
12.	प्रस्तावित लाभांश	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
13.	शेयरधारिता का %	52.63%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

टिप्पणी:

1. कंपनी की कोई विदेशी सहायक कंपनी नहीं है।
2. सभी सहायक कंपनियों की रिपोर्टिंग अवधि धारक कंपनी की रिपोर्टिंग अवधि के समान है।
3. टर्नओवर को प्रचालनों से आय समझा जाता है।
4. पीईसीएपी स्वैच्छिक परिसमापन की प्रक्रिया में है।
5. ऐसी सहायक कंपनियों के नाम जिनके प्रचालन शुरू किए जाने हैं - शून्य
6. सहायक कंपनियों के नाम जिनका वर्ष के दौरान परिसमापन किया गया या बेच दिया गया - शून्य

फॉर्म एओसी – 1

सहयोगी कंपनियों एवं संयुक्त उद्यमों के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 (3) के अनुसरण में विवरण

भाग 'ख' – सहयोगी कंपनियां और संयुक्त उद्यम

(ख)	संयुक्त उद्यम / सहयोगी कंपनियों का नाम	नवीनतम लेखापरीक्षित तुलनपत्र की तारीख	समाप्त वर्ष को कंपनी द्वारा धारित संयुक्त उद्यमों/ सहयोगी कंपनियों के शेयर			इस बारे में विवरण कि कैसे महत्वपूर्ण प्रभाव है	संयुक्त उद्यम को समेकित न करने का कारण	नवीनतम लेखापरीक्षित तुलन पत्र के अनुसार शेयरधारण पर आरोप्य निवल मूल्य	वर्ष के लिए लाभ / हानि	
			शेयरों की संख्या	संयुक्त उद्यम/ सहयोगी कंपनियों में निवेश की राशि	समूह की धारिता की सीमा %				समेकन में विचारित	समेकन में निवल विचारित
संयुक्त उद्यम										
1.	एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल)[3]	31.03.2019	46,36,00,000	463.60	47.15%	प्रोमोटर[1] होने/शेयरहोल्डिंग करार के कारण	लागू नहीं	388.56	21.63	-
सहयोगी कंपनियां[2]										
1.	सखीगोपाल इंटीग्रेटिड पावर कंपनी लिमिटेड	31.03.2019	50,000	0.05	100%	भारत सरकार से अधिदेश के अनुसार एसपीवी का प्रबंध किया जाता है तथा इन एसपीवी की संगत गतिविधियों को एकपक्षीय रूप से निर्देशित करने के लिए कंपनी के पास व्यावहारिक सामर्थ्य नहीं है। इसलिए, कंपनी के पास उनकी प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी का 100% होने के बावजूद इन एसपीवी में निवेश को सहयोगी के रूप में माना गया है, जिनके पास महत्वपूर्ण प्रभाव है।	लागू नहीं	0.05	-	-
2.	घोगरपल्ली इंटीग्रेटिड पावर कंपनी लिमिटेड	31.03.2019	50,000	0.05	100%		लागू नहीं	0.05	0.00	-
3.	कोस्टल कर्नाटक पावर लिमिटेड	31.03.2019	50,000	0.05	100%		लागू नहीं	-	(0.05)	-
4.	कोस्टल महाराष्ट्र मेगा पावर लिमिटेड	31.03.2019	50,000	0.05	100%		लागू नहीं	-	(0.05)	-
5.	झारखंड इंफ्रापावर लिमिटेड	31.03.2019	50,000	0.05	100%		लागू नहीं	0.05	-	-
6.	छतीसगढ़ सरगुजा पावर लिमिटेड	31.03.2019	50,000	0.05	100%		लागू नहीं	-	(0.05)	-
7.	ओडिशा इंफ्रापावर लिमिटेड	31.03.2020	50,000	0.05	100%		लागू नहीं	0.05	-	-
8.	उड़ीसा इंटीग्रेटिड पावर लिमिटेड	31.03.2019	50,000	0.05	100%		लागू नहीं	(0.08)	-	-
9.	चेय्यूर इंफ्रा लिमिटेड	31.03.2019	50,000	0.05	100%		लागू नहीं	0.05	-	-
10.	कोस्टल तमिलनाडु पावर लिमिटेड	31.03.2019	50,000	0.05	100%		लागू नहीं	0.08	-	-
11.	बिहार इंफ्रापावर लिमिटेड	31.03.2020	50,000	0.05	100%		लागू नहीं	0.05	-	-
12.	बिहार मेगा पावर लिमिटेड	31.03.2019	50,000	0.05	100%		लागू नहीं	0.05	-	-
13.	देवघर इंफ्रा लिमिटेड	31.03.2019	50,000	0.05	100%		लागू नहीं	0.05	-	-
14.	देवघर मेगा पावर लिमिटेड	31.03.2019	50,000	0.05	100%		लागू नहीं	0.05	-	-
15.	तातिया आंध्र मेगा पावर लिमिटेड	31.03.2019	50,000	0.05	100%		लागू नहीं	-	(0.05)	-
16.	बिजावर-विदर्भ ट्रांसमिशन लिमिटेड[4]	31.03.2020	10,000	0.01	100%		लागू नहीं	0.01	-	-
17.	टांडा ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड[5]	31.03.2020	50,000	0.05	100%		लागू नहीं	-	-	-
18.	शांगटोंग करचम – वांग्टू ट्रांसमिशन लिमिटेड[5]	31.03.2020	10,000	0.01	100%		लागू नहीं	-	-	-
19.	वापी II – नॉर्थ लखीमपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड	31.03.2020	10,000	0.01	100%		नोट संख्या 7 का संदर्भ लें	0.01	-	-
20.	कोप्पल-नरेंद्र ट्रांसमिशन लिमिटेड	लागू नहीं	10,000	0.01	100%			0.01	-	(0.00)
21.	करूर ट्रांसमिशन लिमिटेड	लागू नहीं	10,000	0.01	100%			0.01	-	(0.00)
22.	डिनचेंग ट्रांसमिशन लिमिटेड[6]	31.03.2020	50,000	0.05	100%			-	-	-
23.	चांडिल ट्रांसमिशन लिमिटेड	31.03.2020	50,000	0.05	100%			(2.14)	-	(0.44)
24.	कोडरमा ट्रांसमिशन लिमिटेड	31.03.2020	50,000	0.05	100%			(1.91)	-	(0.41)
25.	दुमका ट्रांसमिशन लिमिटेड	31.03.2020	50,000	0.05	100%			(2.08)	-	(0.43)
26.	मंदार ट्रांसमिशन लिमिटेड	31.03.2020	50,000	0.05	100%			(1.86)	-	(0.40)

टिप्पणी:

1. पीएफसी, एनटीपीसी, पीजीसीआईएल और आरईसीएल द्वारा ईईएसएल को संयुक्त रूप से प्रोमोट किया गया है।
2. सभी एसपीवी प्रचालन पूर्व चरण में हैं तथा अभी तक प्रचालन शुरू नहीं हुआ है।
3. लाभ / हानि की राशि दिनांक 31 मार्च, 2020 को प्रबंधन द्वारा अनुमोदित एकल वित्तीय विवरणों के अनुसार है।
4. नेशनल कमिटी फॉर ट्रांसमिशन (एनसीटी) द्वारा बिजावर-विदर्भा ट्रांसमिशन लिमिटेड को विअधिसूचित करने की अनुशंसा की गई थी और तदोपरांत, निवेश को क्षतिग्रस्तता के लिए प्रावधानित किया गया। कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय से कंपनी का नाम हटाने के लिए विद्युत मंत्रालय की अनुमति प्रतीक्षित है।
5. विद्युत मंत्रालय द्वारा टांडा ट्रांशमिशन कंपनी लिमिटेड और शांगटोंग करचम - वांग्टू ट्रांसमिशन लिमिटेड को विअधिसूचित किया गया था और तदोपरांत, निवेश को क्षतिग्रस्तता के लिए प्रावधानित किया गया। कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय से कंपनी का नाम हटाने के लिए विद्युत मंत्रालय की अनुमति वर्ष को दौरान प्राप्त कर ली गई है।
6. विद्युत मंत्रालय द्वारा डिनचेंग ट्रांसमिशन लिमिटेड को दिनांक 25.03.2019 के पत्र के अंतर्गत विअधिसूचित किया गया था और तदोपरांत, निवेश को बट्टे खाते में डाला गया। कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय से कंपनी का नाम हटाने के लिए विद्युत मंत्रालय की अनुमति वर्ष को दौरान प्राप्त कर ली गई है।
7. सहयोगी कंपनियों को 'बिक्री के लिए धारित' के रूप में वर्गीकृत किया गया है और लागत या उचित बाजार मूल्य (बिक्री की लागत को घटाकर), जो भी कम हो, पर मूल्यांकित किया गया है। तद्नुसार समेकित वित्तीय विवरणों में लाभ/(हानि) पर विचार नहीं किया गया है।
8. बारह एसपीवी अर्थात् बीदर कर्नाटक लाइन, गडग कर्नाटक भाग ए लाइन, सोलर एनर्जी राजस्थान भाग ए लाइन, सोलर एनर्जी राजस्थान भाग बी लाइन, सोलर एनर्जी राजस्थान भाग सी लाइन, राजगढ़ मध्य प्रदेश लाइन, ओस्मानाबाद महाराष्ट्र लाइन, आंध्र प्रदेश में अनंतपुरम और कुरनूल में सौर ऊर्जा क्षेत्र, चरण-II भाग-डी के अंतर्गत राजस्थान में सौर ऊर्जा क्षेत्र (8.1 जीडबल्यू), चरण-II भाग-ई के अंतर्गत राजस्थान में सौर ऊर्जा क्षेत्र (8.1 जीडबल्यू), चरण-II भाग-एफ के अंतर्गत राजस्थान में सौर ऊर्जा क्षेत्र (8.1 जीडबल्यू) और चरण-II भाग-जी के अंतर्गत राजस्थान में सौर ऊर्जा क्षेत्र (8.1 जीडबल्यू) निगमन की प्रक्रिया में हैं और 31 मार्च, 2020 तक प्रचालन शुरू किया जाना है।
9. तेरह एसपीवी नामतः खेतड़ी ट्रांस्को लिमिटेड, भिंडगुना ट्रांसमिशन लिमिटेड, उडुप्पी कासरगोड ट्रांसमिशन लिमिटेड, अजमेर फागी ट्रांस्को लिमिटेड, डब्ल्यूआरएसएस ददख (ए) ट्रांस्को लिमिटेड, जाम खंभालिया ट्रांस्को लिमिटेड, लकाडिया बानसकाठा ट्रांस्को लिमिटेड, रामपुर संभल ट्रांस्को लिमिटेड, मेरठ सिम्भावली ट्रांसमिशन लिमिटेड, बीकानेर-खेतड़ी ट्रांसमिशन लिमिटेड, भुज-II ट्रांसमिशन लिमिटेड, फतेहगढ़-II ट्रांस्को लिमिटेड और लकाडिया - वडोदरा ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट लिमिटेड को वर्ष के दौरान व्यवसाय प्रक्रिया के भाग के रूप में बेच दिया गया है।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

हस्ता/-
(मनोहर बलवानी)
कंपनी सचिव

हस्ता/-
(एन. बी. गुप्ता)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन: 00530741

हस्ता/-
(आर. एस. ढिल्लों)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 00278074

हमारी संलग्न समसंख्यक तारीख की रिपोर्ट के संदर्भ में हस्ताक्षरित

कृते गांधी मिनोचा एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या: 000458N

हस्ता/-
(सीए मनोज भारद्वाज)
भागीदार
सदस्यता संख्या: 098606

कृते दास गुप्ता एंड एसोसिएट
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या: 000112N

हस्ता/-
(सीए अशोक कुमार जैन)
भागीदार
सदस्यता संख्या: 090563

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 24.06.2020

नोटस्

नोट्स्

संदर्भ सूचना

पंजीकृत कार्यालय
''ऊर्जानिधि'',
1, बाराखंबा लेन,
कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001
दूरभाष नं. (91) (11) 23456000
वेबसाइट: http://www.pfcindia.com

सहायक कंपनियां (31 मार्च, 2020 के अनुसार)
पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड
पावर इक्विटी कैपिटल एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड
आरईसी लिमिटेड
छत्तीसगढ़ सरगुजा पावर लिमिटेड
कोस्टल कर्नाटक पावर लिमिटेड
कोस्टल महाराष्ट्र मेगा पावर लिमिटेड
कोस्टल तमिलनाडु पावर लिमिटेड
उड़ीसा इंटीग्रेटिड पावर लिमिटेड
साखीगोपाल इंटीग्रेटिड पावर कंपनी लिमिटेड
घोगरपल्ली इंटीग्रेटिड पावर कंपनी लिमिटेड
तातिया आंध्रा मेगा पावर लिमिटेड
देवघर मेगा पावर लिमिटेड
चेय्यूर इंफ्रा लिमिटेड
ओडिशा इंफ्रापावर लिमिटेड
देवघर इंफ्रा लिमिटेड
बिहार इंफ्रापावर लिमिटेड
बिहार मेगा पावर लिमिटेड
झारखंड इंफ्रापावर लिमिटेड
टांडा ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड*
बिजावर-विदर्भ ट्रांसमिशन लिमिटेड*
शोंगटोंग करचम-वांगटू ट्रांसमिशन लिमिटेड*
वापी II नॉर्थ लखीमपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड*
कोप्पल-नरेन्द्र ट्रांसमिशन लिमिटेड*
करूर ट्रांसमिशन लिमिटेड*
आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड
आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटड
कोडरमा ट्रांसमिशन लिमिटेड
मंदार ट्रांसमिशन लिमिटेड
डिनचेंग ट्रांसमिशन लिमिटेड
चांडिल ट्रांसमिशन लिमिटेड
दुमका ट्रांसमिशन लिमिटेड

*पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड के माध्यम से
^आरईसी लिमिटेड के माध्यम से

सूचीबद्ध शेयर
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड
बीएसई लिमिटेड (पूर्वनाम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड)

डिपॉजिटरी
नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड
सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसिज़ (इंडिया) लिमिटेड

कंपनी सचिव
श्री मनोहर बलवानी

लेखापरीक्षक
गांधी मिनोचा एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
दास गुप्ता एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

लेखापरीक्षक सचिवालय
मैसर्स अग्रवाल एस. एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिवालय

पंजीकृत एवं शेयर अंतरण अभिकर्ता
केफिन टेक्नोलॉजिज प्राइवेट लिमिटेड
सिलेनियम बिल्डिंग टॉवर-बी,
प्लॉट नं. 31 एवं 32,
फाइनेंसियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, सेरिलिंगमपल्ली,
हैदराबाद-500032, तेलंगाना, भारत
दूरभाष नं. +91 40 67162222
ई-मेल: einward.riskfintech.com
Website: www.kfintech.com

बैंकर्स
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
पंजाब नेशनल बैंक
बैंक ऑफ इंडिया
आईसीआईसीआई बैंक
एचडीएफसी बैंक

विद्युत क्षेत्र में सरकार का प्रमुख
वित्तीय भागीदार

कम लागत पर निधीयन तक
पहुँच - 54 ईसी बॉण्ड्स

एक दशक में लगभग 10 गुना
ऋण वृद्धि

सुदृढ़ लिक्विडिटी
स्थिति

विद्युत क्षेत्र में सबसे बड़ी
वित्तीय कंपनी

सुविविधीकृत देयता
मिश्रण

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

(एक नवरत्न पीएसयू)

पंजीकृत कार्यालय: ''ऊर्जानिधि'', 1, बाराखंबा लेन, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001

दूरभाष: 011-23456000, **फैक्स:** 011-23452545, **वेबसाइट:** www.pfcindia.com

सीआईएन: L65910DL1986GOI024862

/Concept, content and design at AICL (hello@aicl.in)